खण्ड-473, अंक-3
सोमवार, 26 माघ, शक संवत् 1931
(15 फरवरी, 2010 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(पंद्रहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 2010)

खण्ड 473 में 4 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

2010

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ–संख्या
– उपस्थित सदस्य	1–6
– प्रश्नोत्तर	7–101
– नियम–301 के अन्तर्गत सूचनायें	101–102
– जनपद महराजगंज के विकास खण्ड बृजमनगंज ग्राम पंचायत लालपुर के ग्राम प्रधान द्वारा बी०पी०एल० कार्डों में एवं ग्राम पंचायत के विकास हेतु आयी निधि में करोड़ों रुपये के हेरफेर के सम्बन्ध में नियम–301 अन्तर्गत सूचना	103
– नगर पालिका परिषद सुल्तानपुर में हो रही शासकीय निर्देशों की अवहेलना एवं लाखों रुपये के हेरफेर के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	103
– मुजफ्फरनगर सहारनपुर मार्ग से पानीपत खटीमा मार्ग (पिन्ना) तक बाईपास निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	104
– पूर्वी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ स्थापित करने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	104–105
– जनपद महामायानगर के विकास खण्ड सादाबाद एवं सहपऊ के ग्राम मजरों से प्राथमिक विद्यालयों एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में समुचित पढ़ाई न हो पाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	105
– उत्तर प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था, लखनऊ में प्रशासनिक अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुए श्री शिवराम सिंह चौहान के देय भुगतानों में कटौती किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	106–107
– महराजगंज जनपद में चावल उत्पादकों एवं किसानों के शोषण एवं खाद्य नीतियों का मखौल उड़ाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	107
– इलाहाबाद जौनपुर मार्ग पर स्थित फूलपुर टाउन एरिया के रेलवे क्रासिंग पर ओवर ब्रिज बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	107–108
– जनपद जौनपुर के तहसील शाहगंज–ग्राम गुरैनी में ईदगाह से इदरीस अहमद के मकान तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	108
– जनपद सिद्धार्थनगर के लगभग 800 गाँव, टोले और पुरवों का विद्युतीकरण राजीव गाँधी विद्युतीकरण योजना में चयनित होने के उपरान्त भी न कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना.....	108–109

विषय	पृष्ठ–संख्या
– बी०एड० डिग्रीधारी रिसोर्स एवं इटीनरेंट टीचर के नियमितीकरण के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना.....	109
– जनपद मुजफ्फरनगर के विकास खण्ड मोरना, पुरकाज़ी, जानसठ सहित अनेक खराब सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना.....	110–111
– जनपद लखीमपुर खीरी में राजस्व अभिलेखों में दर्ज खाद के गड्ढों के रूप में सरकारी जमीन से अवैध कब्जे हटाये जाने एवं दोषी क्षेत्रीय लेखपाल का स्थानान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अनतर्गत सूचना.....	111
– बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी में माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार मैनेजमेन्ट कोटे के अन्तर्गत वर्ष 2008 बी०एड० परीक्षा का परिणाम घोषित किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना.....	111
– वाराणसी मे पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम द्वारा प्राविधानों के विपरीत लोड बढ़ाने पर उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ बढ़ाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना.....	112
– उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड में अवर अभियन्ता से सहायक अभियन्ता में हुई विभिन्न प्रोन्नतियों से सम्बन्धित एकल सदस्य समिति की जाँच रिपोर्ट पर कार्यवाही के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना.....	112–113
– जनपद बहराइच बेहला बहुरोली तटबन्ध टूट जाने के कारण 26 गाँवों की कुल आबादी 64000 लोगो के प्रभावित हो जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना.....	113
– फतेहपुर विधान सभा क्षेत्र में पिछड़ी, अनुसूचित बस्तियों में विद्युतीकरण न होने से उत्पन्न कठिनाई के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना.....	113–114
– जनपद मेरठ के अर्न्तगत कंकरखेड़ा क्षेत्र के आस–पास की कालोनियों के विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना.....	114–115
– बी०टी०सी० 2004 के प्रशिक्षुओं को मानदेय न दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना....	115
– जनपद लखनऊ के मालवीय स्टेट कालोनी निकट विजयनगर कानपुर रोड में नाली रोड व सड़क खराब होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना....	115
– उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद् सेवा नियमावली में व्यवस्था होने के बावजूद सेवानिवृत्त कर्मियों को पेंशन न दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना.....	115–116

विषय	पृष्ठ–संख्या
– जनपद एटा के जलेसर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कस्बा आवागढ़ बाईपास के कई मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना.....	116
– जनपद लखनऊ मवैया पुल से राजकीय मुद्रणालय होते हुए एवरेडी चौराहा तक की सड़क का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना....	116
– जनपद उन्नाव के प्रमुख मार्ग पुरवा– [illegible]गंज के ग्राम लाऊखेड़ा से ग्राम नेवरना तक 12वें वृत्त द्वारा रोड बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना.....	116–117
– जनपद गाजियाबाद में गढ़मुक्तेश्वर में मण्डी समिति के अन्तर्गत जर्जर मार्गों की विशेष मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना....	117
– राजकीय आफीसर्स कालोनी लालबाग में पेयजल समस्या के समाधान हेतु नयी बोरिंग व मोटर लगवाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना.....	117
– दिनांक 17 जनवरी, 2010 को श्री सुल्तान बेग के बरेली स्थिति फार्म हाउस के वर्कशाप पर पुलिस द्वारा छापा डाले जाने विषयक व्यक्तिगत प्रकरण....	117–120
– औचित्य के प्रश्न की सूचनाएँ.....(जारी).....	121
– प्रदेश के कारागारों में 14 वर्ष या उससे भी अधिक समय से निरुद्ध कैदियों की शेष सजा माफ करके उन्हें मुक्त किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न.....	121–128
– प्रदेश में विद्युत संकट के बावजूद आय–व्ययक में विद्युत पर कम धनराशि आवंटित किये जाने विषयक औचित्य के प्रश्न की सूचना को पहले सुने जाने का अनुरोध.....	128–130
– शासन के स्पष्ट शासनादेशों के विरुद्ध शासन के अधिकारियों द्वारा उद्घाटन समारोह, शिलान्यास समारोह में मुख्य अतिथि की हैसियत से भाग लिये जाने एवं जन प्रतिनिधियों की अवहेलना किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न.....	130–132
– दिनांक 7 अगस्त, 2009 की बैठक में सदन के पटल पर रखे गए लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या 5/2008 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) पर कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न.....	132
– औचित्य के प्रश्न की सूचनाएँ.....	132–133

विषय	पृष्ठ–संख्या
– उत्तर प्रदेश तृतीय राज्य वित्त आयोग (पंचायती राज एवं नगरीय स्थानीय निकाय) का प्रतिवेदन 2006–2011 (प्रथम खण्ड के तीन भाग, द्वितीय खण्ड का एक भाग एवं तृतीय खण्ड का एक भाग) (राज्य सरकार की कार्यवाही ज्ञापन सहित) (सदन के पटल पर रखा गया).....	133
– लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या 2/2004 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) (सदन के पटल पर रखा गया).....	133
– लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या 4/2007(स्पष्टीकरण सहित (सदन के पटल पर रखा गया).....	133
– भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 2009 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) (सदन के पटल पर रखा गया).....	133
– लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या 5/2005 को (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) (सदन के पटल पर रखा गया).....	133
– स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2004–2005 (सदन के पटल पर रखा गया).....	134
– जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर के अन्तर्गत नासिर पट्टी विकास खण्ड प्रतापपुर के शारदा सहायक खण्ड–30 इलाहाबाद से सम्बद्ध नहर पर पुल बनाए जाने विषयक श्री जवाहर यादव उर्फ भुवर नेता आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई).....	134
– उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू–गृहादि (कतिपय अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) विधेयक, 2010 (पुरःस्थापित).....	134
– उत्तर प्रदेश अपार्टमेन्ट (निर्माण, स्वामित्व और अनुरक्षण का संवर्धन) विधेयक, 2010 (पुरःस्थापित).....	135
– उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2010 (पुरःस्थापित).....	135
– उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य और अधिकारी तथा मंत्री सुख–सुविधा विधि (संशोधन) विधेयक,2010 (पुरःस्थापित).....	135–136
– आज की कार्यसूची की मद संख्या–20, कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिशों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न.....	136–138
– कार्य–मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत).....	139–141
– नियम–311 की नियम–56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएँ.....	141–169

विषय	पृष्ठ–संख्या
– बजट अनुदानों पर चर्चा के लिए विपक्ष को अल्प समय मिलने विषयक व्यवस्था का प्रश्न....	169–174
– समेकित अनुदानों का प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान किये जाने का अनुरोध.....	174
– वित्तीय वर्ष 2010–2011 आय–व्ययक में अनुदानों की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या–1 लगायत 2, 7, 9 लगायत 17, 19 लगायत 21, 25, लगायत 28, 30 लगायत 45, 47 लगायत 49, 53 लगायत 58, 60 लगायत 63, 65 लगायत 68, 70 लगायत 73, 75 लगायत 92 अनुदान संख्या–01–आबकारी विभाग (स्वीकृत).....	174–175
– अनुदान संख्या–02–आवास विभाग (स्वीकृत).....	175
– अनुदान संख्या–07–उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) (स्वीकृत).....	175
– अनुदान संख्या–09–ऊर्जा विभाग (स्वीकृत).....	175
– अनुदान संख्या–10–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास) (स्वीकृत).....	175
– अनुदान संख्या–11–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) (स्वीकृत).....	175
– अनुदान संख्या–12–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन) (स्वीकृत).....	175
– अनुदान संख्या–13–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) (स्वीकृत).....	175
– अनुदान संख्या–14–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) (स्वीकृत).....	175
– अनुदान संख्या–15–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) (स्वीकृत).....	175
– अनुदान संख्या–16–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) (स्वीकृत).....	175
– अनुदान संख्या–17–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) (स्वीकृत).....	175
– अनुदान संख्या–19–कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)(स्वीकृत).....	176
– अनुदान संख्या–20–कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग) (स्वीकृत).....	176
– अनुदान संख्या–21–खाद्य तथा रसद विभाग (स्वीकृत).....	176
– अनुदान संख्या–25–गृह विभाग (कारागार) (स्वीकृत).....	176
– अनुदान संख्या–26–गृह विभाग (पुलिस) (स्वीकृत).....	176
– अनुदान संख्या–27–गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) (स्वीकृत).....	176
– अनुदान संख्या–28–गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) (स्वीकृत).....	176

विषय	पृष्ठ–संख्या
– अनुदान संख्या–30–गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय) (स्वीकृत).....	176
– अनुदान संख्या–31–चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) (स्वीकृत).....	176
– अनुदान संख्या–32–चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) (स्वीकृत).....	176
– अनुदान संख्या–33–चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) (स्वीकृत).....	176
– अनुदान संख्या–34–चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा) (स्वीकृत).....	176
– अनुदान संख्या–35–चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) (स्वीकृत).....	176
– अनुदान संख्या–36–चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) (स्वीकृत).....	177
– अनुदान संख्या–37–नगर विकास विभाग (स्वीकृत).....	177
– अनुदान संख्या–38–नागरिक उड्डयन विभाग (स्वीकृत).....	177
– अनुदान संख्या–39–भाषा विभाग (स्वीकृत).....	177
– अनुदान संख्या–40–नियोजन विभाग (स्वीकृत).....	177
– अनुदान संख्या–41–निर्वाचन विभाग (स्वीकृत).....	177
– अनुदान संख्या–42–न्याय विभाग (स्वीकृत).....	177
– अनुदान संख्या–43–परिवहन विभाग (स्वीकृत).....	177
– अनुदान संख्या–44–पर्यटन विभाग (स्वीकृत).....	177
– अनुदान संख्या–45–पर्यावरण विभाग (स्वीकृत).....	177
– अनुदान संख्या–47–प्राविधिक शिक्षा विभाग (स्वीकृत).....	177
– अनुदान संख्या–48–अल्पसंख्यक कल्याण विभाग (स्वीकृत).....	177
– अनुदान संख्या–49–महिला एवं बाल कल्याण विभाग (स्वीकृत).....	177
– अनुदान संख्या–53–राष्ट्रीय एकीकरण विभाग (स्वीकृत).....	177
– अनुदान संख्या–54–लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) (स्वीकृत).....	177
– अनुदान संख्या–55–लोक निर्माण विभाग (भवन) (स्वीकृत).....	178
– अनुदान संख्या–56–लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम) (स्वीकृत).....	178
– अनुदान संख्या–57–लोक निर्माण विभाग (संचार साधन–सेतु) (स्वीकृत).....	178
– अनुदान संख्या–58–लोक निर्माण विभाग (संचार साधन–सड़कें) (स्वीकृत).....	178

विषय	पृष्ठ–संख्या
– अनुदान संख्या–60–वन विभाग (अधिष्ठान) (स्वीकृत).....	178
– अनुदान संख्या–61–वन विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) (स्वीकृत).....	178
– अनुदान संख्या–62–वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें) (स्वीकृत).....	178
– अनुदान संख्या–63–वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) (स्वीकृत).....	178
– अनुदान संख्या–65–वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प–बचत आदि) (स्वीकृत).....	178
– अनुदान संख्या–66–वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) (स्वीकृत).....	178
– अनुदान संख्या–67–विधान परिषद् सचिवालय (स्वीकृत).....	178
– अनुदान संख्या–68–विधान सभा सचिवालय (स्वीकृत).....	178
– अनुदान संख्या–70–विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (स्वीकृत).....	178
– अनुदान संख्या–71–शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) (स्वीकृत).....	179
– अनुदान संख्या–72–शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) (स्वीकृत).....	179
– अनुदान संख्या–73–शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) (स्वीकृत).....	179
– अनुदान संख्या–75–शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्) (स्वीकृत).....	179
– अनुदान संख्या–76–श्रम विभाग (श्रम कल्याण) (स्वीकृत).....	179
– अनुदान संख्या–77– श्रम विभाग (सेवायोजन) (स्वीकृत).....	179
– अनुदान संख्या–78– सचिवालय प्रशासन विभाग (स्वीकृत).....	179
– अनुदान संख्या–79– समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण) (स्वीकृत).....	179
– अनुदान संख्या–80– समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण) (स्वीकृत).....	179
– अनुदान संख्या–81–समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) (स्वीकृत).....	179
– अनुदान संख्या–82– सर्तकता विभाग (स्वीकृत).....	179
– अनुदान संख्या–83– समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये घटक योजना) (स्वीकृत).....	179
– अनुदान संख्या–84– सामान्य प्रशासन विभाग (स्वीकृत).....	180
– अनुदान संख्या–85 सार्वजनिक उद्यम विभाग (स्वीकृत).....	180

विषय	पृष्ठ–संख्या
– अनुदान संख्या–86– सूचना विभाग (स्वीकृत).....	180
– अनुदान संख्या–87– सैनिक कल्याण विभाग (स्वीकृत).....	180
– अनुदान संख्या–88– संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय) (स्वीकृत).....	180
– अनुदान संख्या–89– संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्य कर) (स्वीकृत).....	180
– अनुदान संख्या–90– संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) (स्वीकृत).....	180
– अनुदान संख्या–91– संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प तथा पंजीकरण) (स्वीकृत).....	180
– अनुदान संख्या–92– संस्कृति विभाग (स्वीकृत).....	180–181
– उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2010 निर्धारित समय से पहले लिये जाने विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत).....	181
– उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2010 (जारी)	181
– मा० मंत्रियों के लिखित भाषण अंशों की कार्यवाही में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में अध्यक्ष पीठ से दी गयी व्यवस्था	181
– उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2010 (पारित)	182–190
– उत्तर प्रदेश निजी निधिकृत विश्वविद्यालय (स्थापना एवं विनियमन) विधेयक, 2010 (पारित)	190–222
– उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग का प्रतिषेध विधेयक, 2010 (पारित)	222–225
– उत्तर प्रदेश पन्द्रहवीं विधान सभा की नियम समिति (2009–10) का प्रथम प्रतिवेदन, जो सदन में दिनांक 4 फरवरी, 2010 को प्रस्तुत किया गया है, में समिति द्वारा की गई संस्तुतियों के सम्बन्ध में नियम–251 में प्राविधानित 14 दिन की कालावधि को वर्तमान सत्र के अन्तिम उपवेशन की कालावधि समझे जाने विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत).....	225–226
– उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2010 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा किये गए संशोधनों पर विचार का प्रस्ताव (स्वीकृत).....	226
– नियम–51 के अन्तर्गत सूचनाएँ	226–228
– प्रदेश के अनुदानित महाविद्यालयों में नियुक्त शिक्षकों को नियमित किए जाने के सम्बन्ध में श्री श्यामदेव राय चौधरी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर उच्च शिक्षा मंत्री का वक्तव्य.....	228–230

विषय	पृष्ठ–संख्या
– प्रदेश के विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में कार्यरत् शिक्षकों का जनवरी, 2006 से वेतन बकाये का भुगतान न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा० अजय तोमर द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर उच्च शिक्षा मंत्री का वक्तव्य.....	230–232
– मथुरा एवं महामायानगर में इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत हो रहे भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में डा० अनिल चौधरी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री का वक्तव्य.....	232–233
– जनपद मिर्जापुर स्थित जरगों नदी, गढ़ई नदी एवं कलकलिया नाला पर निर्माणाधीन अधूरे पुलों का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ओम प्रकाश सिंह द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य.....	233–234
– लखनऊ नगर स्थित मनकामेश्वर शिव मंदिर में हुई चोरी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री हुकुम सिंह द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य.....	234–235
– जनपद सुल्तानपुर के ग्राम पंचायत सत्थिन में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद तिवारी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का वक्तव्य.....	235–236
– वाराणसी में एल0पी0जी0 ईंधन गैस का अभाव, कालाबाजारी एवं कम तौल से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री श्यामदेव राय चौधरी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर खादय एवं रसद मंत्री का वक्तव्य.....	236–239
– महराजगंज, गोरखपुर देवरिया एवं कुशीनगर की क्षतिग्रस्त नहरों को ठीक कराये जाने एवं टेल तक पानी पहुँचाये जाने के सम्बन्ध में डा० पी0के0राय0 द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का केवल वक्तव्य.....	239–240
– लखनऊ के प्राथमिक विद्यालय टिकरा जुगराज के शिक्षा मित्रों को मानदेय का भुगतान न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में आर0के0चौधरी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर बेसिक शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य.....	240–241

विषय	पृष्ठ–संख्या
– आजमगढ़ के सोल्हावारी निवासी श्रीमती लक्ष्मी देवी की कृषि योग्य भूमि पर अराजकतत्वों द्वारा अवैध कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में श्री पशुपति द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का केवल वक्तव्य.....	241–242
– सिद्धार्थनगर के ग्राम पंचायत उस्की की ग्राम सभाओं को टाउन एरिया में सम्मिलित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ला द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर पंचायती राज्य मंत्री का केवल वक्तव्य.....	242–243
नत्थियां.....	244–251

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पन्द्रहवीं विधान सभा

सोमवार, दिनांक 15 फरवरी, 2010 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन में 11.00 बजे अध्यक्ष, श्री सुखदेव राजभर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य–338

1. अंगद यादव, श्री — आजमगढ़
2. अकबर हुसैन, श्री — मुरादाबाद
3. अकीलुर्रहमान खाँ, श्री — मुरादाबाद
4. अखिलेश कुमार सिंह, श्री — रायबरेली
5. अजय तोमर, डा0 — बागपत
6. अजय सिंह, श्री — जालौन
7. अनन्त मिश्रा, श्री — फर्रुखाबाद
8. अनिल कुमार, श्री — मुजफ्फरनगर
9. अनिल कुमार अहिरवार,श्री — महोबा
10. अनिल कुमार मौर्य, श्री — मिर्जापुर
11. अनिल कुमार सिंह यादव श्री — एटा
12. अनिल चौधरी, डा0 — हाथरस (महामायानगर)
13. अनीस अहमद खाँ, उर्फ फूलबाबू श्री — पीलीभीत
14. अनुग्रह नारायण सिंह, श्री — इलाहाबाद
15. अनूप कुमार गुप्ता, श्री — सीतापुर
16. अनूप सण्डा,, श्री — सुल्तानपुर
17. अब्दुल मन्नान, श्री — हरदोई
18. अब्दुल वारिस खाँ, श्री — मुजफ्फरनगर
19. अब्बास अली जैदी उर्फ रूश्दी मियां, श्री — फैजाबाद
20. अमरमणि त्रिपाठी, श्री — महराजगंज
21. अमरेश कुमार शुक्ल, श्री — बाराबंकी
22. अमेरिका प्रधान, श्री — गाजीपुर
23. अम्बिका चौधरी, श्री — बलिया
24. अम्बिका सिंह, श्री — गोरखपुर
25. अयोध्या प्रसाद पाल, श्री — फतेहपुर
26. अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्री — बाराबंकी
27. अरविन्द सिंह यादव, श्री — कन्नौज
28. अरशद खान, श्री — पीलीभीत
29. अरूण कुमार यादव, श्री — आजमगढ़
30. अरूणा तोमर, श्रीमती — कानपुर नगर
31. अलाउद्दीन, श्री — बलरामपुर
32. अलीम हाजी, श्री — बुलन्दशहर
33. अवध पाल सिंह यादव, श्री — एटा
34. अवधेश प्रसाद, श्री — फैजाबाद
35. अवधेश वर्मा, श्री — शाहजहाँपुर
36. अवनीन्द्र नाथ द्विवेदी उर्फ महन्त दूबे, श्री — महराजगंज
37. अवस्थी बाला प्रसाद,श्री — लखीमपुर खीरी
38. अशोक कंसल, श्री — मुजफ्फरनगर
39. अशोक कुमार दोहरे, श्री — औरैया
40. अशोक कुमार राणा, श्री — बिजनौर
41. अशोक कुमार सिंह, श्री — रायबरेली
42. अशोक कुमार सिंह चन्देल, श्री — हमीरपुर
43. अशोक सिंह चौहान, श्री — मैनपुरी
44. आदित्य पाण्डेय, श्री — फतेहपुर
45. आनन्द कुमार उर्फ, कलेक्टर पाण्डेय, श्री — इलाहाबाद
46. आर0ए0 उस्मानी डा0,श्री — लखीमपुर खीरी
47. आर0 के0 चौधरी, श्री — लखनऊ
48. आर0के0 शर्मा, पंडित — बरेली
49. आरिफ अनवर हाशमी, श्री — गोण्डा
50. आलोक कुमार शाक्य, श्री — मैनपुरी
51. आसिफ, श्री — हरदोई
52. इकबाल महमूद, श्री — मुरादाबाद
53. इन्द्रजीत सरोज, श्री — कौशाम्बी
54. इमरान महसूद, श्री — सहारनपुर
55. इरफान सोलंकी, श्री — कानपुर नगर
56. ईश्वर चन्द्र शुक्ल, श्री — सिद्धार्थनगर

57. उदयभान करवरिया, श्री इलाहाबाद
58. उदयराज, श्री उन्नाव
59. उदयलाल मौर्य, श्री वाराणसी
60. उमलेश यादव, श्रीमती बदायूँ
61. उमेश पाण्डेय, श्री मऊ
62. ओम प्रकाश सिंह, श्री मिर्जापुर
63. ओम प्रकाश सिंह, (ओ0पी0 सिंह), श्री सुल्तानपुर
64. ओमवती देवी, श्रीमती बिजनौर
65. कमलेश चन्द दिवाकर,श्री कानपुर देहात
66. कामेश्वर उपाध्याय, श्री देवरिया
67. कालीचरन राजभर, श्री गाजीपुर
68. काशीराम, श्री रामपुर
69. कुवेर सिंह, श्री एटा
70. कुलदीप सिंह गंगवार, श्री फर्रूखाबाद
71. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
72. कृपा शंकर सिंह, श्री उन्नाव
73. कृष्ण कुमार, श्री बहराइच
74. कृष्ण कुमार उर्फ सतीश वर्मा, श्री हरदोई
75. कृष्णारा त, श्रीमती लखीमपुर खीरी
76. के0 के. सचान, डा0 जौनपुर
77. केदारनाथ वर्मा, श्री बलिया
78. कैलाश चौरसिया, श्री मिर्जापुर
79. कैलाश साहू, श्री झांसी
80. कैलाश सिंह राजपूत, श्री कन्नौज
81. कौकब हमीद खाँ, श्री बागपत
82. कौशल किशोर, डा0 लखीमपुर खीरी
83. गजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
84. गिरीश चन्द्र, श्री मुरादाबाद
85. गुटियारी लाल दुबेश, श्री आगरा
86. गुरू प्रसाद मौर्य, श्री इलाहाबाद
87. गुलाम मोहम्मद खान, श्री बहराइच
88. गेंदा लाल चौधरी, श्री हाथरस (महामायानगर)
89. घूराराम, श्री बलिया
90. चन्द्रदेव, श्री आजमगढ़
91. चन्द्र प्रकाश मिश्र "मटियारी", श्री सुल्तानपुर
92. चन्द्रभद्र सिंह, श्री सुल्तानपुर
93. चौधरी रविन्द्र प्रताप, श्री सिद्धार्थनगर
94. छत्रपाल सिंह, श्री बरेली
95. जगदीश नारायण, श्री जौनपुर
96. जगपाल, श्री सहारनपुर
97. जमीरउल्ला, श्री अलीगढ़
98. जयवीर सिंह, श्री मैनपुरी
99. जयवीर सिंह, ठाकुर अलीगढ़
100. जावेद अंसारी एडवोकेट, श्री जौनपुर
101. जितेन्द्र कुमार एडवोकेट, श्री चन्दौली
102. जितेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री बस्ती
103. जितेन्द्र कुमार बब्लू भइया, श्री फैजाबाद
104. जोखू लाल यादव, श्री इलाहाबाद
105 ज्योत्सना श्रीवास्तव, डा0 वाराणसी
106 ताहिर हुसैन सिद्दीकी, श्री फर्रूखाबाद
107. त्रिभुवन दत्त, श्री अम्बेडकरनगर
108. ददन मिश्रा, श्री श्रावस्ती
109. ददू प्रसाद, श्री चित्रकूट
110. दयाराम, श्री कौशाम्बी
111. दशरथ प्रसाद चौहान,श्री सन्तकबीर नगर
112. दाउद अहमद, श्री हरदोई
113. दिनेश प्रसाद, श्री चित्रकूट
114. दीनानाथ कुशवाहा, श्री देवरिया
115. दीनानाथ पाण्डेय, श्री वाराणसी
116. दीपक कुमार, श्री उन्नाव
117. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
118. दूधराम, श्री बस्ती
119. धर्मपाल, श्री गाजियाबाद
120. धर्मपाल यादव, डी0पी0 यादव, श्री बदायूँ
121. धर्मपाल सिंह, श्री आगरा
122. धर्मराज निषाद, श्री अम्बेडकरनगर

123. धर्म सिंह सैनी, डा0 सहारनपुर
124. धर्मी रावत, श्रीमती बाराबंकी
125. धीरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री बलरामपुर
126. धीरेन्द्र प्रसाद, श्री शाहजहांपुर
127. धू राम लोधी, चौधरी, श्री हमीरपुर
128. नकुल दूबे, श्री लखनऊ
129. नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी', श्री इलाहाबाद
130. नन्दिता शुक्ला, श्रीमती गोण्डा
131. नरेन्द्र सिंह, श्री सीतापुर
132. नारायण सिंह, श्री आगरा
133. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
134. निर्मल वर्मा, श्री सीतापुर
135. नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्री शाहजहाँपुर
136. पंकज कुमार, श्री मुजफ्फरनगर
137. पशुपति, श्री गाजीपुर
138. पी0के0 राय, डा0 कुशीनगर
139. पुरुषोत्तम नरेश द्विवेदी, श्री बाँदा
140. पूजा पाल, श्रीमती इलाहाबाद
141. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
142. प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती कानपुर देहात
143. प्रदीप कुमार उर्फ गुड्डू, श्री बदायूं
144. प्रदीप माथुर, श्री मथुरा
145. प्रमोद तिवारी, श्री प्रतापगढ़
146. प्रमोद सिंह, श्री देवरिया
147. प्रवीण पटेल, श्री इलाहाबाद
148. प्रेमलता कटियार, श्रीमती कानपुर नगर
149. फतेह बहादुर, श्री महराजगंज
150. फरहत हसन, श्री ज्योतिबाफूलेनगर
151. फरीद महफूज किदवई, श्री बाराबंकी
152. फसीहा बशीर चौधरी (गजाला लारी), श्रीमती देवरिया
153. फागू, श्री मऊ
154. बजरंग बहादुर सिंह, श्री महराजगंज
155. बलबीर, श्री मुजफ्फरनगर
156. बलराम सिंह सैनी, श्री मुरादाबाद
157. बादशाह सिंह, श्री हमीरपुर
158. बिरजू राम, श्री जौनपुर
159. बृजेश सौरभ, श्री प्रतापगढ़
160. बैजनाथ दूबे, श्री गोण्डा
161. भगवती प्रसाद सागर, श्री झाँसी
162. भगवान दास, श्री सन्तकबीरनगर
163. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री आगरा
164. भीमराव अम्बेडकर एडवोकेट, श्री इटावा
165. भोला पासवान, श्री आजमगढ़
166. मंजू, श्रीमती बलिया
167. मदन चौहान, श्री गाजियाबाद
168. मदन भैया उर्फ मदन गोपाल, श्री बागपत
169. मधुबाला, श्रीमती संत रविदासनगर (भदोही)
170. मधुसूदन शर्मा, श्री आगरा
171. मनोज चौधरी, श्री सहारनपुर
172. ममतेश शाक्य, श्री एटा
173. मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री रायबरेली
174. महबूब अली, श्री ज्योतिबाफूलेनगर
175. महिपाल सिंह, श्री सहारनपुर
176. महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री सीतापुर
177. महेन्द्र सिंह, श्री अलीगंढ़
178. महेन्द्र सिंह राजपूत, श्री इटावा
179. महेश चन्द्र, श्री औरैया
180. महेश चन्द्र गुप्ता, श्री बदायूँ
181. महेश त्रिवेदी, श्री कानपुर देहात
182. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
183. माधव पासवान, श्री गोरखपुर
184. मिथलेश कटियार, श्रीमती कानपुर देहात
185. मिथिलेश पाल, श्रीमती मुजफ्फरनगर
186. मीता गौतम, कु0 बाराबंकी
187. मुरलीधर, श्री फतेहपुर
188. मुस्लिम खाँ, श्री बदायूँ
189. मोहम्मद आजम खां, श्री रामपुर
190. मोहम्मद इकबाल, श्री बिजनौर

191. मोहम्मद इरशाद खान, श्री लखनऊ
192. मोहम्मद गाजी, श्री बिजनौर
193. मोहम्मद जलील खान, श्री गोण्डा
194. मोहम्मद जासमीर अंसारी, श्री सीतापुर
195. मोहम्मद ताबिश खां, श्री सन्तकबीरनगर
196. मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, श्री इलाहाबाद
197 यशपाल सिंह, श्री बिजनौर
198. यशपाल सिंह चौहान, श्री अलीगढ़
199. यशवन्त सिंह, डा0 मुजफ्फरनगर
200. योगराज सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
201. योगन्द्र सागर, श्री बदायूं
202. योगेश वर्मा, श्री मेरठ
203. रंगनाथ मिश्र, श्री सन्त रविदासनगर (भदोही)
204. रघुनाथ प्रसाद संखवार, डा0 कानपुर देहात
205. रघुराज प्रताप सिंह "राजा भइया" कुं0 प्रतापगढ़
206. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
207. रणवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी भइया, श्री फतेहपुर
208. रतनलाल अहिरवार, श्री झांसी
209. रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री कुशीनगर
210. रमेश गौतम, श्री गोण्डा
211. रमेश चन्द्र विन्द, डा0 मिर्जापुर
212. रविन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री जौनपुर
213. रवीन्द्र कुमार (मोल्हू), श्री सहारनपुर
214. राकेश कुमार गोस्वामी, श्री महोबा
215. राकेश धर त्रिपाठी, डा0 इलाहाबाद
216. राजकिशोर सिंह, श्री बस्ती
217. राजकुमार रावत, श्री मथुरा
218. राजदेव सिंह, श्री जौनपुर
219. राजपाल त्यागी, श्री गाजियाबाद
220. राजपाल सिंह, श्री गाजियाबाद
221. राजबली जैसल, श्री इलाहाबाद
222. राजाराम त्यागी, श्री रायबरेली
223. राजीव कुमार सिंह, श्री बाराबंकी
224. राजेन्द्र कुमार, श्री मऊ
225. राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री प्रतापगढ़
226. राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
227. राजेन्द्र सिंह उर्फ पहलवान सिंह, श्री गोरखपुर
228. राजेश कुमार, श्री लखीमपुर खीरी
229. राजेश त्रिपाठी, श्री गोरखपुर
230. राजेश यादव, श्री शाहजहांपुर
231. राधामोहन दास अग्रवाल, डा0 गोरखपुर
232. राघे लाल रावत, श्री उन्नाव
233. राघे श्याम गुप्ता, श्री फतेहपुर
234. राधेश्याम जायसवाल, श्री सीतापुर
235. राम अचल राजभर, श्री अम्बेडकरनगर
236. राम कुमार तिवारी, पण्डित ललितपुर
237. रामपाल राजवंशी, श्री सीतापुर
238. रामपाल वर्मा, श्री हरदोई
239. राम प्रकाश कुशवाहा, पी0एच0डी0, डा0 कानपुर नगर
240. राम प्रकाश यादव, श्री फिरोजाबाद
241. राम प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
242. राम बिशुन आजाद, श्री गोण्डा
243. रामवीर उपाध्याय, श्री हाथरस
244 राम शिरोमणि शुक्ल, श्री प्रतापगढ़
245. राम सागर अकेला, श्री श्रावस्ती
246. रामसेवक, श्री सुल्तानपुर
247. राम सेवक सिंह पटेल, श्री बदायूं
248. रामस्वरूप सिंह, श्री कानपुर देहात
249. रामहेत भारती, श्री सीतापुर
250. रिजवान अहमद खां, श्री ज्योतिबाफूलनगर
251. रियाज अहमद, श्री पीलीभीत
252. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
253. लक्ष्मी नारायण, श्री मथुरा
254. लखीराम नागर, श्री मेरठ
255. लल्लू सिंह, श्री फैजाबाद
256. लाल जी यादव, श्री सिद्धार्थनगर
257. लाल जी वर्मा, श्री अम्बेडकरनगर

258. वकार अहमद शाह, डा0 बहराइच
259. वारिस अली, श्री बहराइच
260. वासुदेव सिंह "बाबा" श्री बुलन्दशहर
261. विजय कुमार, श्री गाजीपुर
262. विजय कुमार उर्फ विजय यादव, श्री मुरादाबाद
263. विजय पाल सिंह, श्री बरेली
264. विजय बहादुर यादव, श्री गोरखपुर
265. विद्या चौधरी, श्रीमती आजमगढ़
266. विद्यासागर गुप्त, श्री लखनऊ
267. विनोद कुमार, श्री प्रतापगढ़
268. विनोद कुमार हरित, श्री मेरठ
269. विनोद चतुर्वेदी, श्री जालौन
270. विनोद सिंह, श्री सुल्तानपुर
271. विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री बांदा
272. विशम्भर सिंह यादव, श्री बांदा
273. विश्वनाथ, श्री कुशीनगर
274. वीरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री बुलन्दशहर
275. बृज सिंह उर्फ बृज कुंवरि, श्रीमती गोण्डा
276. वेदराम भाटी, श्री बुलन्दशहर
277. शब्बीर अहमद, श्री बहराइच
278. शहजिल इस्लाम अंसारी, श्री बरेली
279. शहनवाज, श्री बिजनौर
280. शारदा प्रसाद, श्री चन्दौली
281. शाहिद मंजूर, श्री मेरठ
282. शिव गणेश "लोधी" श्री रायबरेली
283. शिवपाल सिंह यादव, श्री इटावा
284. शिव प्रसाद यादव, श्री इटावा
285. शिव बालक पासी, श्री रायबरेली
286. शीशराम, श्री बिजनौर
287. शेख नसीरूद्दीन सिद्दीकी, श्री फिरोजाबाद
288. शेरबहादुर, श्री अम्बेडकरनगर
289. शैलेन्द्र यादव "ललई", श्री जौनपुर
290. श्याम किशोर शुक्ला, श्री लखनऊ
291. श्यामदेव राय चौधरी (दादा), श्री वाराणसी
292. श्याम नारायण यादव, श्री आजमगढ़
293. श्याम लाल, श्री बलरामपुर
294. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
295. श्रीपति आजाद, श्री महराजगंज
296. श्री भगवान पाठक, श्री बलिया
297. संग्राम सिंह, श्री बाराबंकी
298. संजय कपूर, श्री रामपुर
299. संजय कुमार त्रिपाठी, श्री प्रतापगढ़
300. संजीव दरियाबादी, "बन्टी" श्री कानपुर नगर
301. संदीप अग्रवाल, श्री मुरादाबाद
302. संध्या, कुमारी मैनपुरी
303. सत्य नारायण जैसल, श्री सोनभद्र
304. सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री मेरठ
305. सत्यवीर सिंह गुर्जर, श्री गौतमबुद्धनगर
306. सत्येन्द्र सोलंकी, चौ0 बागपत
307. सदल प्रसाद, श्री गोरखपुर
308. सनातन पाण्डेय, श्री बलिया
309. सलिल विश्नोई, श्री कानपुर नगर
310. सिद्धार्थ शंकर, डा0 लखनऊ
311. सिनोद कुमार शाक्य, श्री बदायूं
312. सिवगतुल्लाह अंसारी, श्री गाजीपुर
313. सीमा द्विवेदी, श्रीमती जौनपुर
314. सी0वी0 इन्निस, श्री नाम–निर्देशित
315. सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री फतेहपुर
316. सुखेदव राजभर, श्री आजमगढ़
317. सुधीर कुमार, श्री उन्नाव
318. सुनील शर्मा, श्री गाजियाबाद
319. सुन्दर लाल लोधी, श्री उन्नाव
320. सुभाष, श्री बलिया
321. सुभाष पाण्डेय, श्री जौनपुर
322. सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री आजमगढ़
323. सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री वाराणसी
324. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
325. सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री लखनऊ
326. सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री लखनऊ
327. सुरेश तिवारी, श्री देवरिया

328. सुरेश्वर सिंह, श्री	बहराइच	334. शैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमती	गाजीपुर
329. सुल्तान बेग, श्री	बरेली	335. सोबरन सिंह, श्री	मैनपुरी
330. सुशील कुमार, श्री	चन्दौली	336. हरगोविन्द भार्गव, डा0	सीतापुर
331. सूरजपाल सिंह ठाकुर, श्री	आगरा	337. हरिओम, श्री	जालौन
332. सूरज सिंह शाक्य, श्री	एटा	338. होराम सिंह, श्री	गौतमबुद्धनगर
333. सूर्यभान, श्री	मिर्जापुर		

नोट--मुख्य मंत्री (सुश्री मायावती), लोक निर्माण, सिंचाई आबकारी, आवास तथा गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी) तथा भूतत्व एवं खनिकर्म सहकारिता तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री बाबू सिंह कुशवाहा) भी सदन में उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रदेश के आंतकवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु कार्य–योजना

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

1–क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आतंकवादी गतिविधियों के बढ़ते प्रभाव पर अंकुश लगाने हेतु संवेदनशील जिलों में कोई प्रभावी कार्य–योजना क्रियान्वित की जा रही है? क्या सरकार "सिमी" संगठन की गतिविधियों को प्रतिबन्धित करने हेतु कोई निर्णय लेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)–

प्रदेश में आतंकवादी गतिविधियों पर पूरा अंकुश लगाया गया है। आतंकवादी गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए नवम्बर, 2007 में आतंकवादी निरोधक दस्ते का गठन किया गया था। आतंकवादी अभिसूचना के संकलन, उससे जुड़े अभियोगों की विवेचना और उसके विचारण के लिए इस दस्ते को पूरा उत्तर दायी बनाया गया है।

इस प्रकार के संगठनों को प्रतिबन्धित करने का अधिकार केन्द्र सरकार में निहित है। वर्तमान में विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1967 की धारा 3 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत निहित शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार द्वारा स्टूडेन्ट्स इस्लामिक मूवमेन्ट आफ इन्डिया (सिमी) संगठन पर भारत सरकार के राज पत्र में निर्गत अधिसूचना दिनांक 7-2-2008 से प्रतिबन्धित किया गया है। उक्त प्रतिबन्ध की अवधि अधिकतम 2 वर्ष की है।

उपरोक्तानुसार–

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मा० मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं, मान्यवर, मेरा प्रश्न था कि अंकुश लगाने हेतु संवेदनशील जिलों में कोई प्रभावी कार्य–योजना क्रियान्वित की जा रही है अथवा नहीं? तो मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूँ कि यह प्रभावशाली कार्य–योजना आखिर क्या है और उसके लिए आपने प्रदेश के कितने जिलों को संवेदनशीन चिन्हित किया है और साथ ही मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि इसके पहले भी वाराणसी, फैजाबाद, अयोध्या और लखनऊ में इन घटनाओं से लोग प्रभावित हुए हैं, जान-माल की क्षति हुई है तो उसके मद्देनजर आप क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं? क्योकि अभी-अभी बहुत दुःखद घटना पुणे में हुई है और केन्द्रीय गृह मंत्री का कहना है कि हमने राज्य सरकार को एलर्ट कर दिया था और आज समाचार-पत्रों में यह पढ़ने को मिला जिसमें महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री ने कहा कि हमें कोई सूचना नहीं मिली है। आज अखबार में यह भी पढ़ने को मिला कि इन्दौर, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कानपुर के लिए भी केन्द्र सरकार द्वारा एलर्ट किया गया है तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार को कानपुर में आतंकवादी गतिवाधियों के अंजाम देने सम्बन्धी कोई सूचना केन्द्र सरकार से प्राप्त हुई है और यदि प्राप्त हुई है तो उस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मैने पहले से उत्तर मे ही बताया कि आतंकवादी निरोधक दस्ते का गठन किया गया है 26-11-2007 को। सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील स्थानों का चिन्हीकरण तथा

वहाँ पर सम्पर्क सूत्र विकिसित करना जहाँ पर राष्ट्र विरोधी तत्व छिपे रहने की जगह बना सकते हैं। अभिसूचनाओं का एकत्रीकरण, विश्लेषण और संकलन करने अन्य राज्यों की अभिसूचना इकाइयों द्वारा केन्द्रीय एजेंसियों आदि से समन्वय स्थापित करना, राज्य में किसी आतंकवादी ग्रुप की उपस्थिति, गतिविधि के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त करना और कार्यवाई करना एवं आपरेशन करना। ऐसे आतंकवादी ग्रुपों की मदद करने वाले और उनके शरणदाताओं के विरुद्ध कार्यवाई सुनिश्चित करना। ऐसे संगठित आतंकवादी तत्वों, जिनके विदेशी एजेंसियों से सम्पर्क हैं उनकी गतिविधियों का अनुश्रवण करना। मान्यवर, यह ए०टी०एस० का कार्य है और इसके आधार पर कड़ी नजर रखी जा रही है। मान्यवर, हमने इसके साथ ही साथ अभिसूचना के तहत् मान्यवर, 17 विशेष प्रकोष्ठ इकाईयां स्थापित की हैं, 3 सर्विलांस इकाइयों की स्थापना की गई है, 13 नेपाल बार्डर ईकाइयां स्थापित हैं अभिसूचना के लिए।

डा० राधामोहन दास अग्रवाल–

मा० अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष–

मा० डॉक्टर साहब, एक मिनट रुक जाइये। मा० मंत्री जी, मा० चौधरी साहब यह पूछे हैं कि क्या भारत सरकार द्वारा इस प्रकार का कोई संकेत राज्य सरकार को मिला है?

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

मान्यवर, मैंने यह जानना चाहा है कि कानपुर को भी हाई-एलर्ट किया गया है केन्द्रीय गृह मंत्री द्वारा तो क्या ऐसी कोई सूचना प्राप्त हुई है और अगर हुई है तो प्रदेश सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाई कर रही है?

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, जैसा आपको भी मालूम है इस तरह की जब घटनाएं होती है, तो अब पूरे प्रदेश में जो हाई अलर्ट घोषित किया गया है और उसके तहत प्रदेश में भी और पूरे राज्य में अलर्ट घोषित जारी कर दिया है, कानपुर में विशेष रूप से सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गयी है। ए०डी०जी० कानून-व्यवस्था कानपुर गये थे और वहाँ की विस्तृत समीक्षा की है तो वहाँ के परिप्रेक्ष्य में मान्यवर, वहाँ पर विस्तृत समीक्षा करके और सुरक्षात्मक पूरा प्रयास किया गया है।

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

अध्यक्ष जी, मुझे संरक्षण देने की कृपा करें, मेरा बहुत प्वांइटेड क्वैश्चन है, अनुपूरक है कि क्या जो केन्द्र सरकार द्वारा कानपुर में आतंकवादी गतिविधियां घटित होने की संभावना पर कोई सूचना प्रदेश सरकार को दिया गया है अथवा नहीं दिया गया है, यह भी मेरा अनुपूरक है। हाँ, या ना में जबाब दें ?

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मैने पहले बताया की कानपुर में ए०डी०जी० स्वयं पहले ही गये थे। भारत सरकार की कोई सूचना प्राप्त होने से पहले ही उन्होने.....

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मा० संसदीय कार्य मंत्री जी पहले हमें सुन लें। सीधा सा प्रश्न है कि केन्द्र सरकार उत्तर प्रदेश में आतंकवादी गतिविधियों के बारे में कोई सूचना दी है, जिसके आधार पर वह

व्यवस्था करें। मा० श्याम देव जी ने स्पेसिफिक कानपुर के बारे में पूछा लेकिन सभी के बारे में पूरे प्रदेश के बारे में इसके बारे में निहित है कि क्या कोई गोपनीय सूचना आतंकवादी गतिविधियों के बारे में केन्द्र से मिली है ? ये स्पेसिफिक प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष–

इसीलिए कह रहे है मा० मंत्री जी हाई अलर्ट किया था जो भारत सरकार ने कह दिया था कि.....

श्री प्रमोद तिवारी–

मा० अध्यक्ष जी, आपने मुझे बुलाया था उसके बाद.....

श्री अध्यक्ष–

चौधरी साहब बैठ जाएं, डॉ साहब आप भी बैठ जाए।

श्री प्रमोद तिवारी–

मा० अध्यक्ष महोदय, इस संदर्भ में बड़ा सीधा-सा, स्पष्ट सा सवाल है, मान्यवर, ओम प्रकाश जी ने भी यही पूछा, यह प्रश्न आवश्यक है और सबकी चिंता का विषय है कि कुख्यात आंतकवादी हेडली, जिसने जहाँ-जहाँ की रैकिंग की थी, उनमें पुणे भी एक स्थान था, कानपुर भी एक स्थान था और उसी आधार पर केन्द्र सरकार ने क्या कानपुर में ऐसी संभावित घटनाओं की होने की संभावना व्यक्त की है। सवाल सीधा सा है और इसके परिप्रेक्ष्य में मैने बता दिया कि क्यों इसलिए कि यह जो समझा जा रहा है, मान्यवर, जिस दिन यह घटना हुई पुणे में उसके तीन दिन पहले हमारे पड़ोसी देश के जनसभा में कहा गया है कि पुणे, कानपुर और एक अन्य शहर हमारे निशाने पर है इंदौर। 3 शहरों के लिए बकायदे जनसभा में मान्यवर, जो वहाँ का प्रतिबन्धित संगठन है, मान्यवर उसने कहा है और उसके कहने के दूसरे दिन पुणे में यह घटना हो गयी, तो यह घटना हमारी स्वाभाविक है कि क्या कानपुर के लिए जो हेडली ने जो वहाँ पर रैकिंग की है, जहाँ उसके सम्पर्क भी हुए है, क्या वहाँ के लिए आप विशेष सावधानी बरत रहे है, विशेष रूप से जो भाषण या जो उत्तेजना हमारे पड़ोसी राष्ट्र में फैलायी गयी है, उसके प्रकाश में मेरा प्रश्न है, मान्यवर, कानपुर के लिए क्या वहाँ विशेष सुरक्षा का प्रबन्ध आप कर रहे है या नही? केन्द्र ने सूचना दी है या नहीं कानपुर के लिए ?

श्री अध्यक्ष–

वही बात तो कह रहे हैं, चौधरी साहब मा० ओम प्रकाश सिंह ने आप ही के अनुपूरक पर बल दिया है।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

उत्तर नहीं आया।

श्री अध्यक्ष–

उत्तर दे रहे है मा० मंत्री जी।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, मा० ओम प्रकाश जी ने बल दिया और मेरा अनुपूरक था लेकिन उत्तर कहीं भी उसके संबंध में नही आ रहा है। मान्यवर, पुणे में दुःखद घटना हुई है दर्जनों लोग मारे गये

हैं। उसके संबंध में समाचार पत्रों में यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने महाराष्ट्र सरकार को पहले ही अलर्ट कर दिया था। उसी के साथ केन्द्र सरकार ने कानपुर के संबंध में भी अलर्ट कर दिया था। मान्यवर, मेरा अनुपूरक प्रश्न है।

कि क्या, यह तो एक साधारण व्यवस्था है हर राज्य सरकार अपने यहाँ एलर्ट करती है कि कहीं कोई घटना हो जाती है तो। आपने वह कहा कि हमने कानपुर में भी एलर्ट कर दिया, पूरे राज्य भर में एलर्ट कर दिया लेकिन मेरा अनुपूरक यह है कि.....

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी आपकी बात समझ गये, अब उत्तर देने दीजिए।

श्री लालजी वर्मा–

भारत सरकार से ऐसी सामान्य सूचना मौखिक रूप से कल बतायी गयी है लेकिन इसके पहले ही ए0डी0जी0 कानपुर जा करके सतर्कता की दृष्टि से समीक्षा करके पूरी व्यवस्था का जायजा लिये हैं और रोकथाम करने के लिए कहा है।

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

मैं यहाँ यह भी उल्लेख कर दूँ कि आपने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा मौखिक सूचना के पहले ही हमने वहाँ सारी कार्यवाही कर दी। उसके संबंध में आज समाचार–पत्रों में यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन का यह कहना है कि ऐसा कोई इनपुट हमको नहीं मिल रहा है कानपुर में।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल–

सदन में माननीय मंत्री जी अधिकारियों द्वारा दिये गये सूचनाओं पर जवाब देते हैं। कोई भी मंत्री हर पत्र और हर सूचना के बारे में नहीं जान सकता। यह दायित्व अधिकारियों का होता कि जब कोई प्रश्न है तो उसकी अनुपूरक जानकारियाँ दे। मा0 मंत्री जी ने कहा कि मौखिक रूप से बताया गया। मैं लिखित पत्र नंबर कोड कर रहा हूं। भारत सरकार का लेटर नं0–एम0एच0ए0/आई0बी0/35221/वी0आई0पी0/09, यह एक पत्र है जो भारत सरकार ने भेजा है। यह लिखते हुए भेजा है कि कानपुर को यह आतंकवादी संगठन अब आपरेटिव हब के रूप में स्थापित कर रहे हैं। मैंने पत्र नंबर कोड किया है और उसका जो जनरल कन्टेंट है वह भारत सरकार के मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स ने इस बात के लिए स्पष्ट रूप से चेतावनी दी है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एम0के0 नारायणन साहब की भी चेतावनी है कि पाकिस्तानी ट्रेण्ड मिलिटेंट्स उत्तर प्रदेश के डिफरेण्ट सिटीज में अपना कब्जा कर रहे हैं। नक्सलवाद के बारे में जब बहस कर रहे थे तो यह प्रश्न हम लोग ले करके आये थे कि कानपुर को नक्सलवाद गतिविधियों का केन्द्र बनाया जा रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा क्या सरकार इस बात की जांच करने की ओर अग्रसर होगी कि एक ओर आतंकवादी कानपुर को अपना केन्द्र बना रहे हैं, दूसरी ओर नक्सलवादी संगठन अपनी बैठकें, अपना पैसा और सारी मीटिगें पिछले 4 साल से कानपुर में कर रहे हैं। मा0 विधायक जी कानपुर का विषय है क्या ऐसा सम्भव है कि मा0 मंत्री जी यह आश्वासन दें कि नक्सलवादी संगठनों, आतंकवादी संगठनों और आई0एस0आई0 का जो आपसी गठजोड़ है, शायद इन दोनों चिट्ठियों और नक्सलवादी

गतिविधियों को मिलाकर देखा जाए तो कहीं न कहीं आपस में इण्टरलिंकिंग की ओर इशारा करता है। क्या मा0 मंत्री जी इस बात की जांच करायेंगें, इस चिट्ठी के परिप्रेक्ष्य में कि तीनों संगठनों का आपसी गठजोड़ और कानपुर के अंदर गहन अभिसूचना इकाइयों को स्थापित करके उनकी पूरी सूचना एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न, जो पाकिस्तानी नागरिक यहाँ आये हों और जिन्होंने अपना वीजा जम्प किया हो, ऐसे उत्तर प्रदेश में वीजा जम्प करने वाले पाकिस्तानी नागरिकों की सूची क्या है, कितने लोग हैं ?

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, सूचनायें दो तरह की होती हैं, एक सामान्य प्रकृति की और एक स्पैसिफिक। स्पैसिफिक कोई सूचना मैंने पहले बताया कि नहीं प्राप्त हुई हमें कल मौखिक तौर पर बताया गया। पूरे प्रदेश में ए0टी0एस0 और एस0टी0एफ पूरी तरह से सतर्क और जागरूक है और उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में कई ऐसे आतंकवादी लोग जो उनके मारे गये या पकड़े गये। उक्त अवधि में जब से हमारा ए0टी0एस0 का गठन हुआ विभिन्न घटनाओं में 6 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया, 7 आई0एस0आई0 एजेण्टों को गिरफ्तार किया गया और 2 आतंकवादी मारे गये। प्रदेश में हुई आतंकवादी गतिविधियों से संबंधित 13 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया। अन्य प्रदेशों में हुई आतंकवादी गतिविधियों से संबंधित 16 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया और ए0टी0एस0 और एस0टी0एफ0 की जो सतर्क दृष्टि है और जागरूकता है, यह उसी का परिणाम है।

श्री अम्बिका चौधरी–

अध्यक्ष जी, मैं सीधा–सीधा अनुपूरक पूछना चाहता हूँ। जितनी अभिसूचना इकाइयाँ हैं चाहे उत्तर प्रदेश सरकार की उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थानीय अभिसूचना इकाई है या जो केन्द्रीय सरकार के अधीनस्थ कार्य करने वाली अभिसूचना की यूनिटें हैं दोनों के पास अलग–अलग तरह की सूचनाएं होती हैं। जब एक स्थापित तथ्य सम्मुख आ गया है कि चाहे लश्करे तैयबा हो, हूजी हो, जमातुद्दावा या जितने इस तरह के आतंकवादी संगठन हैं या नैपाल में माओवादी गतिविधियों को संचालित करने वाले आतंकवादी हैं इन सबने आपस में सूचना के आदान प्रदान करने का तंत्र विकसित कर लिया है एक सूचना देगा, दूसरा सामान मुहैया कराएगा, तीसरा एक्सन करेगा यह बातें स्थापित हो गयी हैं इस संदर्भ में उसका मुकाबला करने के लिए हमारे पास क्या सिंक्रोनाइज तरीके से कोई टीम या फोरम बनाया गया है जिस पर समय-समय पर इन तमाम सूचनाओं का आदान प्रदान समय रहते कि जिसके पास आतंकवाद की घटनाओं से संबंधित पूर्व सूचना से संबंधित कोई सूचना रही हो तो उसका क्या आदान प्रदान हो रहा है।, ऐसा होता है तो कृपापूर्वक यह भी बता दें कि पिछले तीन महीनों के अन्दर ऐसी कितनी बैठकें हुई हैं और उन बैठकों के परिणामस्वरूप जो सूचनाएं आई हैं क्या संबंधित को आपने दी है।

श्री अध्यक्ष–

आतंकवादी गतिविधियों के संबन्ध में हमारी एजेंसियों द्वारा दी गई जानकारियाँ, मेसेज या बातचीत गोपनीय किस्त की होती हैं तो इस बात का ख्याल रखते हुए ही अनुपूरक प्रश्न करें तो अच्छा रहेगा।

श्री अम्बिका चौधरी–

मैं सूचना नहीं पूछ रहा हूँ हमारा प्रश्न यह है कि इन तमाम अभिसूचना इकाइयों जैसे पुलिस विभाग की एल0आई0यू0, सी0बी0आई0,आई0बी0, सेना की अभिसूचना इकाई या अन्य अभिसूचना इकाइयों के बीच कोई तालमेल की व्यवस्था है और सामन्जस्य हेतु बैठकों होती हैं या नहीं उत्तर प्रदेश उसमें कितनी सतर्कता से भाग ले रहा है मुख्य मंत्री जी ने स्वयं चिन्ता व्यक्त की है अभी एक सप्ताह पूर्व पाकिस्तान और जो अन्य विदेशी नागरिक यहाँ आते हैं उनके बारे में हमारे पास सूचना नहीं है कि उनमें से कितने नागरिक देश छोड़कर गए हैं कितने नहीं गए हैं वह उत्तर प्रदेश में कहाँ–कहाँ हैं क्योंकि इसके बारे में सूचना केन्द्रीय सरकार के पास रहती है उत्तर प्रदेश सरकार के पास इसकी सूचना न होने के कारण चेक नहीं हो पा रहा है उनकी चिन्ता के बाद गृह विभाग द्वारा कोई ऐसा कदम उठाया गया है जांच की गई है कि कितने विदेशी नागरिक यहीं पर छिपे हुए हैं और उनको बाहर किए जाने के सम्बन्ध में क्या प्रक्रिया अपनाई गई क्या इस सम्बन्ध में कोई जानकारी सदन में देंगे ?

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, देश द्रोही एव समाज विरोधी तत्वों के बारे में कार्यवाही करने के लिए उत्तर प्रदेश अभिसूचना विभाग का केन्द्रीय और अन्य प्रदेशों की अभिसूचना सुरक्षा एजेन्सियों का भी सम्पर्क बना रहता है। आपस में सूचनाओं पर आदान प्रदान की कार्यवाही की जाती है। जिससे समय रहते राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को रोका जा सके। आपस मे समन्वय बना हुआ है।

श्री अम्बिका चौधरी–

तीन महीने मे बैठक हुई है कि नहीं और इस सम्बन्ध में कितनी बैठकें हुई है ?

श्री अध्यक्ष–

मन्त्री जी ने बता दिया कि को–आर्डिनेशन रोजाना हो रहा है।

श्री अम्बिका चौधरी–

मुख्य मंत्री जी की चिन्ता के बारे में क्या बताया ?

श्री अध्यक्ष–

मुख्य मंत्री जी ने इस तरह की एक बात कही उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से जो लोग आते हैं उसकी सही सूचना नहीं मिलती कि कब आते है कब जाते हैं यह भारत सरकार की जिम्मेदारी बनती थी इस तरह से वह हमें बता नहीं रहे हैं।

श्री लालजी वर्मा–

जो पाकिस्तान से लोग बीजा लेकर आते हैं उसमें प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में जब बैठक हुई थी जिसमें आन्तरिक सुरक्षा के सम्बन्ध में हमने इस बिन्दु को प्रदेश सरकार की तरफ से उठाया कि जितने लोग प्रदेश में आते हैं उनके बारे में हमे जानकारी न होने से यह पता नहीं चलता कि कितने लोग यहां पर रुक गये कितने वापस गये इसलिये ऐसी व्यवस्था की जाय कि स्थानीय प्रदेश सरकार को भी उसकी जानकारी हो।

श्री प्रदीप माथुर–

माननीय अध्यक्ष जी, आतंकवाद की घटनाओं के चलते हुये मथुरा जनपद के मंदिरों खास तौर से द्वारिकाधीश मंदिर, वृन्दावन में बांके बिहारी मंदिर, एस्कॉन मंदिर, राधा बिहारी मंदिर जो कि पूरे देश की आस्था के केन्द्र हैं और लाखों तीर्थयात्री देश और विदेश से वहां आते हैं। सरकार वहां पर अभी तक कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं कर पाई है। क्या सरकार वहां पर इन मंदिरों की विशेष सुरक्षा व्यवस्था करायेगी ? मान्यवर, पूरे देश के लोग वहां पर आते हैं भगवान कृष्ण के दर्शन करने के लिये। वहां पर मंदिरो की सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है और किसी भी दिन वहां पर हेडली जैसे आतंकवादी बम फोड़ सकते हैं और लाखों लोग काल के ग्रास में जा सकते हैं। इस तरह का आश्वासन मैं आपकी तरफ से चाहता हूं। मान्यवर, यह बहुत ही सेंसिटिव विषय है।

श्री अध्यक्ष–

ऐसे स्थानों की सुरक्षा के लिये व्यवस्था है। सेंसिटिव है तो सुरक्षा व्यवस्था की गयी है। चाहे मथुरा हो, फैजाबाद हो, अयोध्या हो, सबकी सुरक्षा की व्यवस्था है।

श्री प्रदीप माथुर–

मान्यवर, लाखों तीर्थयात्री वहां पर आते हैं। भगवान कृष्ण की धरती पर जो लाखों करोड़ों लोग आते हैं, जिनकी आस्था का यह केन्द्र है, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी प्रदेश की होती है। सारे मंदिरों में अभी तक सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई है। कई बार ए0डी0सी0 वहां जाकर मीटिंग कर आये हैं।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मैंने पहले ही कहा कि पूरे प्रदेश में सतर्क कर दिया गया है सुरक्षा एजेन्सियों को। उसमें सभी महत्वपूर्ण स्थान आते हैं।

श्री प्रदीप माथुर–

माननीय मंत्री जी की चिन्ता ठीक है लेकिन आप खुद जाकर देख लें कि वहां सुरक्षा के नाम पर कोई व्यवस्था नहीं है ?.

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी ने कह दिया कि सुरक्षा के नाम पर पूरे प्रदेश में एलर्ट कर दिया गया है। महत्वपूर्ण और संवेदनशील स्थानों की सुरक्षा के बारे में मंत्री जी ने कह दिया है। अब उत्तर आ गया है।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत ज्यादा सूचना इसमें दिया जाना सम्भव नहीं होगा।

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

मान्यवर, मैं कोई भी अनुपूरक ऐसा नहीं करने वाला हूं जिससे कोई गोपनीय बात सामने लाने की आवश्यकता पड़े। मेरा सीधा सा एक अनुपूरक है कि वाराणसी में, फैजाबाद में, अयोध्या में पहले भी दुःखद घटनायें घटित हो चुकी हैं। यह सभी महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान हैं, यह

आतंकवादियों के साफ्ट टारगेट हैं। क्या वर्तमान में जो फिर घटनायें हुई हैं और उत्तर प्रदेश के कानपुर को सम्वेदनशील माना गया है, रेड एलर्ट किया गया है क्या पूर्व में जो घटनायें वाराणसी, अयोध्या और फैजाबाद में हुई हैं, उसको दृष्टिगत रखते हुये वहां विशेष सुरक्षा प्रबन्ध किये जाने और वहां की, माननीय अध्यक्ष जी यह भी देखा गया कि घटना घटित हो जाती है और अभिसूचना इकाई हमारा सोता रहता है। उसके पास कोई सूचना नहीं होती है। क्या अभिसूचना इकाई जो तंत्र है आपका उसको और व्यापक रूप से सक्रिय करने हेतु, जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु और दूसरा वाराणसी, फैजाबाद, अयोध्या में विशेष एलर्ट करने या वहां सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से कोई प्रभावी कदम उठाये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यह आश्वासन देगी ?

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मैंने पहले बताया कि सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश विशेष रूप से जो महत्वपूर्ण जगहें हैं उन सब जगहों पर पूरी तरह से सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। 2007 में ए0टी0एस0 के गठन के बाद से उसी का परिणाम है मान्यवर, कि पूरे प्रदेश में कोई इस तरह की घटना नहीं हुई है। हम पूरी तरह से सतर्क हैं और आप सब लोगों के सहयोग की आवश्यकता है कि प्रदेश में कोई आतंकवादी गतिविधि न होने पाये। अभिसूचना तंत्र को मैंने पहले बताया कि उसको सुदृढ़ किया गया है।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, आ गई पूरी जानकारी।

*2–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

राज्य कर्मचारियों के वेतनमानों की शिक्षकों के वेतनमानों से समानता की नीति की जानकारी तथा महंगाई भत्ते की किश्त की मांग

*3–श्री सुधीर कुमार (अनुपस्थित)–

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के बेसिक एवं माध्यमिक अध्यापकों की भांति प्रदेश के राजकीय कर्मचारियों के वेतनमान एवं ग्रेड–पे दिये जाने हेतु सरकार संशोधित शासनादेश जारी करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार केन्द्रीय कर्मचारियों की भांति प्रदेश के कर्मचारियों को जुलाई, 2009 से देय महंगाई भत्ते की किश्त का भी भुगतान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी वर्मा–

जी नहीं।

राज्य कर्मचारियों के वेतनमानों की शिक्षकों के वेतनमानों से समानता की कोई नीति नही है।

राज्य कर्मचारियों को दिनांक 01–7–09 से केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ता दिये जाने से सम्बन्धित शासनादेश संख्या–वे0आ0–1–26/दस–2010–42(एम)/08, दिनांक 15 जनवरी, 2010 निर्गत किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग पर प्रतिबन्ध लगाने की मांग

*4–श्री उदयभान करवरिया–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्लास्टिक के थैलों के प्रयोग से पर्यावरण दूषित होता है तथा जल निकासी प्रभावित होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग पर प्रतिबन्ध लगायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नगर विकास, पर्यावरण, शहरी समग्र विकास एवं कर एवं निबंधन मंत्री (श्री नुकुल दुबे)–

जी हां।

20 माइक्रान से कम मोटाई तथा 8" ×12" साइज से कम के पुनःचक्रित पालीथीन कैरीबैग का प्रयोग पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत लागू पुनःचक्रित प्लास्टिक विनिर्माण एवं उपयोग संशोधित नियम–2003 के अन्तर्गत पूर्णतया प्रतिबन्धित हैं। इसके अतिरिक्त पुनःचक्रित प्लास्टिक में खाद्य सामग्री का भण्डारण, परिवहन तथा पेकिंग निषिद्ध की गयी है राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में प्लास्टिक कैरी बैग के नियंत्रण हेतु उत्तर प्रदेश प्लास्टिक एवं अन्य जीव अनाशित कूड़ा कचरा (उपयोग और विनियमन) अधिनियम, 2000 अधिसूचित किया गया है जो दिनांक 01–11–2000 से लागू है। अधिनियम की धारा 7 (1) व (2) के अनुसार पुनःचक्रित प्लास्टिक का उपयोग किसी भी रूप में खाद्य सामग्री के भण्डारण, ले जाने या पेकिंग करने के लिये नहीं करेगा। यदि प्लास्टिक की मोटाई 20 माइक्रान से कम है तो अन्य किसी भी प्रयोजन हेतु प्रयोग में लाना पूर्णतया प्रतिबन्धित है। उक्त अधिनियम के अनुपालन हेतु स्थानीय निकाय के अधिकारियों को पदनाम से कार्यवाही/प्रशमन हेतु अधिकृत किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री उदयभान करवरिया–

मान्यवर, मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि प्लास्टिक के थैलों का प्रयोग पर्यावरण को दूषित करता है। लेकिन मान्यवर, आजकल प्लास्टिक का ही ज्यादा उपयोग हो रहा है। पहले शहरों में ही इसका उपयोग होता था लेकिन अब देहात के क्षेत्रों में भी इसका प्रचलन बढ़ा हुआ है। मान्यवर, मैं ज्यादा डिटेल में न जा करके माननीय मंत्री जी से अनुपूरक के रूप में एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि 20 माइक्रान से कम मोटाई तथा 8×12 साइज से कम के पुनःचक्रित पालीथीन कैरीबैग के प्रयोग पर पूर्णतया प्रतिबन्ध लगा दिया है। लेकिन मान्यवर, इससे ज्यादा मोटाई का जो है उस पर पूर्ण प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है, तो क्या प्लास्टिक की ज्यादा मोटाई हो जाने के बाद वह पर्यावरण को दूषित करने में उसकी भागीदारी नहीं रहती है और अगर है तो उस पर आपने पूर्ण प्रतिबन्ध क्यों नहीं लगाया? दूसरा प्रश्न इसी के परिप्रेक्ष्य में कि मान्यवर, इसमें यह कहा गया है कि पुनःचक्रित, तो पुनः चक्रित का मेरा प्रश्न ही नहीं हैं, यह प्रश्न आगे आने वाला है प्रश्न संख्या–10 पर, लेकिन जवाब मुझे पुनःचक्रित का दे दिया गया है। मान्यवर, जवाब दोनों प्रश्नों का एक ही दे दिया गया है। अलग–अलग नहीं दिया गया है जबकि प्रश्न दोनों अलग हैं। तो दूसरा प्रश्न चूंकि माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है तो मैं दूसरा प्रश्न यह पूछना चाहता हूँ

कि जो पुनः चक्रित प्लास्टिक है उसमें आपने खाद्य सामाग्री पर पूर्णतः प्रतिबन्ध लगा दिया है। लेकिन डेरी पर जो दूध मिलता है वह प्लास्टिक में, चिप्स हर दुकान में मिलता है वह प्लास्टिक में, मान्यवर, बैग मिलते हैं वह प्लास्टिक में। मान्यवर, आपने नियम बना दिए, कानून बना दिए लेकिन उस पर कड़ी कार्यवाही आपने अब तक कितनी की है। और तीसरा प्रश्न मान्यवर मेरी जानकारी में है कि रिहायशी इलाकों में प्लास्टिक बनाने की फैक्ट्रियां चल रहीं । उद्योग विभाग ने निश्चित रूप से उसका लाइसेंस दिया होगा। अगर लाइसेंस दिया है तो मान्यवर, गलत है और अगर लाइसेंस नहीं दिया है अवैध चल रही हैं। तो और ज्यादा गलत है मेरा प्रश्न है कि रिहायशी क्षेत्र में जो प्लास्टिक बनाने की फैक्ट्रियां चल रही हैं उसमें आप कितनें दिन में पूर्णतया रोक लगा देंगे ?

श्री नकुल दुबे–

मान्यवर, माननीय सदस्य के तीन प्रश्न थे पहला प्रश्न 20 माइक्रान से अधिक मोटाई की जो प्लास्टिक है उससे पर्यावरण को क्या नुकसान हो रहा है और उसको रोकने का कोई विचार शासन का है या नहीं ? इस संदर्भ में माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से करवरिया जी को अवगत कराना चाहता हूँ कि जहां तक 20 माइक्रान से कम मोटाई का पालीथिन है यह आज के वातावरण में सबसे ज्यादा हानिकारक है। इससे ज्यादा जो मोटी प्लास्टिक है उनको वेस्ट के रूप में, जो हाथलन नियमावली बन रही है उसमें उसको ले जा करके नष्ट करने का प्राविधान प्रचलित हैं और जल्दी उसमें कार्यवाही होने की संभावना भी है। जहां तक इनके दूसरे प्रश्न का सवाल है माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूँ कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पुनः चक्रित प्लास्टिक निर्माण और उपयोग नियम–1999 यथा संशोधित 2003 के प्रविधानों के अनुपालन में प्लास्टिक निर्माताओं के चिन्हीकरण एवं पंजीकृत की कार्यवाही की जा रही है। वर्तमान सूचना के आधार पर प्रदेश में 299 उद्योग चिन्हित किए गए हैं। कुल पंजीकृत उद्योग 142 हैं 45 उद्योगों को बन्द कराया गया है। 111 उद्योगों को क्षेत्रीय कार्यालय के स्तर पर नोटिस दी गई है और इन 111 में लगभग 40 उद्योगों की अभी सूचना प्राप्त हुई है, उसके हिसाब से उनकों बन्द कर दिया गया है।

डा० राधामोहन दास अग्रवाल–

मा० अध्यक्ष जी, मा० मंत्री जी, नगर विकास मंत्री भी है और म्यूनिसिपल वेस्ट का 20 परसेण्ट प्लास्टिक होता है, यह आप भी जानते हैं बंग्लौर में इस प्लास्टिक का उपयोग करके सड़को को मजबूती दी जा रही है और उनका जीवन बढ़ाया जा रहा है। मा० मंत्री जी से सिर्फ मैं इतना जानना चाहूँगा, एक वैज्ञानिक विधा है, एक प्रदेश में सफलता के साथ इस्तेमाल हो रही है, लागत में सिर्फ 7 प्रतिशत का व्यय बढ़ता है और सड़क का जीवन बहुत अच्छा हो जाता है। अभी एक निजी संस्था के माध्यम से बंग्लौर की सरकार यह काम कर रही है। क्या इस योजना की जानकारी ले करके, यह योजना प्रदेश में लागू हो सके, इस पर आप विचार करेंगे ?

श्री नकुल दुबे–

मा० अध्यक्ष जी, जहाँ तक मा० सदस्य द्वारा जो अवगत कराया गया है, मैं – आपसे उसकी डिटेल ले लूँगा और उस पर कार्यवाही के लिए विचार किया जायेगा।

श्री उदयभान करवरिया–

माननीय मंत्री जी ने यह तो बताया कि 3 प्रश्न मेरे है लेकिन दूसरे प्रश्न का इन्होंने उत्तर नहीं दिया। मान्यवर, अपने जवाब में मा० मंत्री जी ने कहा है कि अधिनियम की धारा–7(1) व (2) के अनुसार पुनः चक्रित प्लास्टिक का उपयोग किसी भी रूप में खाद्य सामाग्री के भण्डारण किए जाने या पैकिंग किए जाने के लिए नहीं किया जायेगा। मैने सीधा प्रश्न किया था कि इस प्रकार से खाद्य सामाग्री बिक रही है, अभी आप विधान सभा से बाहर निकलिए, वहाँ भी आपको दिख जायेगी और मान्यवर, अभी आ रहा था, कुछ कर्मचारी लंच पैकेट लेकर घूम रहे थे तो उसमें भी रोटी और अन्य सामाग्री की जो पैकिंग थी, वह भी प्लास्टिक की पैकिंग में थी, इसी विधान सभा में मैने देखा है। मान्यवर, मेरा सीधा सा प्रश्न है कि यह जो आपने लिखा है कि इस पर पूर्ण प्रतिबन्ध है, दुकानों पर जो इस प्रकार से खाद्य सामाग्री बिकती है क्या उस पर आप तत्काल रोक लगाने के लिए आश्वासन देंगे ?

श्री नकुल दुबे–

अध्यक्ष महोदय, मा० सदस्य के संज्ञान के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि जहाँ तक धारा–7(1) और धारा–7 (2) का प्रश्न है, यह स्वयं में स्पष्ट है कि पुनः चक्रित पालीथीन जिनका कि मेजरमेंट 20 मा.इक्रान से कम है और उसी के साथ ही मान्यवर, धारा–8 में अगर इन नियमों का, धारा–7(1) एवं (2) का कोई भी व्यक्ति उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही की जाती है और इसके उपबन्धों के हिसाब से उसमें दण्ड का प्रविधान है और अगर मा० सदस्य के पास कोई सूचना हो, जहाँ तक इन पालीथीनों का सवाल है, जो मानक के अनुरूप पाये जाते हैं, लिहाजा उनके खिलाफ कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं है।

श्री उदयभान करवरिया–

मान्यवर, इस बात को तो मा0 मंत्री जी भी स्वीकार करते हैं कि 20 मॉइक्रान से अधिक मोटाई के जो भी प्लास्टिक बैग या जो भी सामग्री पैकिंग के लिए बनाई जाती है, उस पर प्रतिबन्ध पूर्णतः नहीं है। मान्यवर, केवल मैं इतना पूछना चाहता हूँ कि प्लास्टिक तो प्लास्टिक है, वह चाहे 20 मॉइक्रान से अधिक मोटाई का हो या 20 मॉइक्रान से कम मोटाई का हो तो क्या ज्यादा मोटाई हो जाने के बाद, उससे पर्यावरण को कोई लाभ है जिसके कारण आप इस पर पूर्ण प्रतिबन्ध नहीं लगा रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष–

मंत्री जी ने कहा कि जो मोटे प्लास्टिक हैं, उसको हम नष्ट कर लेते हैं ?

श्री उदयभान करवरिया–

मान्यवर, तो मंत्री जी यह बता दें कि क्या इसको नष्ट करने के लिए शहरों में कहीं कोई प्लान्ट लगा रखा है, जहाँ पर प्लास्टिक इकट्ठी की जाती हो और नष्ट कर दी जाती हो ?

श्री अध्यक्ष–

मा० मंत्री जी, एसे मोटे प्लास्टिक जहाँ प्रयोग हो रहे है, उनको नष्ट करने का कोई प्लान्ट वगैरह लगाया है ?

श्री नकुल दुबे–

मान्यवर, मैने मा० सदस्य को पहले ही बताया कि इस तरह की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है जो नियमावली है, उसके अनुसार जो यह संकटमय तत्व है, जैसे लखनऊ जनपद में है, लखनऊ में हरदोई रोड पर हम लोगों ने 81 एकड़ क्षेत्र चिन्हित कर लिया है, वहाँ ऐसे पदार्थों को ले जा करके नष्ट किया जायेगा।

श्री उदयभान करवरिया–

मान्यवर, यह पूरे प्रदेश का प्रश्न है, यह प्रस्ताव बता रहे हैं। अगर पर्यावरण को नुकसान पहुँच रहा है तो उसके लिए तो मंत्री जी को कोई समय-सीमा निर्धारित करनी चाहिए कि इस समय-सीमा के अन्दर कुछ इस प्रकार के प्लान्ट्स लगा दिए जायें कि जो वेस्ट प्लास्टिक है, उसको वहाँ पर नष्ट कर दिया जाए, इसका कोई आप आश्वासन दे दें ?

श्री अध्यक्ष–

मंत्री जी बता रहे हैं कि जमीन लिए हैं।

श्री उदयभान करवरिया–

मान्यवर, जमीन तो लखनऊ में लिए है, क्या पूरे प्रदेश के प्लास्टिक वेस्ट को यहाँ लाकर जलाया जायेगा ?

श्री अध्यक्ष–

जमीन लिए हैं।

श्री उदयभान करवरिया–

मान्यवर, यह केवल लखनऊ तक सीमित करने वाली बात नहीं है मैं पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूँ। यह स्वीकार कर रहे हैं कि पर्यावरण को उससे नुकसान है। तो कितनी समय-सीमा में यह प्रदेश में वेस्ट को जलाने की व्यवस्था कर देंगे ?

श्री अध्यक्ष–

चलिए आपने संज्ञान में ला दिया है। अभी उन्होंने बता दिया है।

श्री उदयभान करवरिया–

मान्यवर, इसमें उत्तर दिलवा दें कि कितना समय लगेगा? साल डेढ़ साल, महीना दो महीना मान्यवर, अभी तो विभाग का बजट भी होना है उसमें ही व्यवस्था कर दें। मान्यवर, इसमें मेरा यह जवाब दिलवा दें कि कितनी समय-सीमा में यह कर देंगे ?

श्री अध्यक्ष–

चलिए, बजट तक बैठे रहिएगा, सुन लीजिएगा।

श्री उदयभान करवरिया–

वह कह दें कि बजट में इसका प्राविधान कर देंगे।

श्री अध्यक्ष–

अभी उसमें पूछ लीजिएगा।

श्री उदयभान करवरिया–

मान्यवर, यह महत्वपूर्ण विषय है।

श्री अध्यक्ष–

आपने संज्ञान में ला दिया, यह महत्वपूर्ण विषय है।

श्री उदयभान करवरिया–

मान्यवर, इससे उपजाऊ जमीन भी नष्ट हो रही है। मान्यवर, प्रतिवर्ष नालों की सफाई में लाखों रुपये खर्च होते हैं उसमें भी प्लास्टिक जाती है, प्लास्टिक की वजह से जलभराव होता है। कुछ दुधारू पशु ऐसे हैं जो उस प्लास्टिक को खाते हैं और उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है।

श्री अध्यक्ष–

करवरिया साहब, माननीय मंत्री जी उसकी योजना बता दिये। अभी जमीन लिये हैं।

श्री उदयभान करवरिया–

मान्यवर, यह बड़ा महत्वपूर्ण विषय है।

श्री अध्यक्ष–

महत्वपूर्ण है इसलिए तो सुन रहा हूँ। अब अगला प्रश्न लेते हैं।

प्रदेशवासियों के पीने हेतु स्वच्छ जल उपलब्ध कराने हेतु योजना

*5–श्री जोखू लाल यादव–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेशवासियों के पीने हेतु स्वच्छ जल उपलब्ध कराये जाने हेतु सरकार कोई कार्य योजना बनायेगी? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं तो क्यों ?

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री ददद्दू प्रसाद)–

ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम पूर्व से विद्यमान है जिसका क्रियान्वयन राज्य सरकार द्वारा स्थानीय आवश्यकताओं के दृष्टिगत किया जा रहा है। प्रश्न नहीं उठता।

श्री जोखू लाल यादव–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न सीधे करोड़ो लोगों के जनजीवन से जुड़ा हुआ प्रश्न है। मैंने इच्छा जाहिर की है और सरकार से अपेक्षा की है कि क्या सरकार ग्रामीण अंचल के लोगों को स्वच्छ जल मुहैया कराने की कोई योजना बनाएगी? इस पर सरकार की तरफ से जवाब दिया गया है। मान्यवर, यह सच्चाई है कि आजादी के 63 साल बाद भी दुनिया के सारे मुल्कों में हम लोग दुनिया के 117 देशों से खराब पानी भारत के लोग पीते हैं। मेरी चिंता यह है कि आज प्रदेश के तमाम ऐसे स्थान हैं जहाँ का पानी खारा होता है और दूषित होता है और मेरी विधानसभा में 5-7 गाँव ऐसे हैं जहाँ का पानी खारा है और हमारी चिंता यह है कि क्या सरकार उनको खारा जल की जगह शुद्ध पेयजल की व्यवस्था उपलब्ध कराएगी ?

श्री ददद्दू प्रसाद–

माननीय अध्यक्ष जी, जहां-जहां कोई अशुद्धियां पायी जाती हैं वहां पर गुणता प्रभावित क्षेत्र मानते हुये वहां पाइप पेयजल योजना के माध्यम से जो भी हैण्डपम्प स्थापित किया जाता है तो उसका टेस्ट होता है और जिस इलाके में इस तरीके की रसायनिक अशुद्धियां पायी जाती हैं, जिसमें खारा पानी भी शामिल है और खारा पानी की भी एक सीमा है जो अनुमन्यता है, मानव के पीने के लिये, तो उतने से ऊपर अगर टी0डी0एस0 खारा पानी आता है तो उधर पाइप पेयजल योजना से वह आच्छादित किया जाता है।

श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि हमारी विधान सभा में तमाम इंडिया मार्का जो हैण्डपम्प लगे थे वह खराब हो गये और उनकी रिबोरिंग के लिये कहा गया परन्तु आज तक उनकी रिबोरिंग नहीं हो पायी है। तो मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहती हूं कि पूरे प्रदेश में ऐसे हैण्डपम्पों की कितनी संख्या है जो खराब पड़े हैं और उनकी रिबोरिंग नहीं हो पायी है उनकी कितनी संख्या है और क्या वह रिबोर कर दिये जायेंगे, यदि कर दिये जायेंगे तो माननीय मंत्री जी उसकी एक समय–सीमा बता दें कि कब तक वह हैण्डपम्प ठीक हो जायेंगे ताकि लोगों की जल की समस्या का हल हो जाये ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय फातिमा जी, प्रश्न पढ़ें, अब जो आप प्रश्न विस्तृत कर रही हैं, पूरे प्रदेश के बारे में पूछ रही हैं।

श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा–

अच्छा वह केवल हमारे जनपद का ही बता दें।

श्री अध्यक्ष–

इनके क्षेत्र का बताइये।

श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा–

माननीय अध्यक्ष जी, उसी का उत्तर दिलवा दीजिये।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, ये अपने क्षेत्र का पूछ रही हैं, रीबोर के सम्बन्ध में है।

श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा–

रीबोरिंग की भी है और हैण्डपम्प भी नहीं मिल रहा है। या तो हम लोगों को थोड़े हैण्डपम्प दिलवा दें, ताकि पानी की समस्या हल हो जाये, बहुत बड़ी समस्या है हम लोगों के सामने। कुछ हैण्डपम्प का ही आश्वासन दिलवा दीजिये। इसका और रीबोरिंग वाले का दोनों का आश्वासन दिलवा दीजिये, एक समय सीमा बता दें, माननीय मंत्री जी, कि कब तक हो जायेगा ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, एक जनरल तौर पर जानना चाहती हैं, अलग से और प्रश्नों से हट करके है इनका, अगर इस तरह के हैण्डपम्प हैं जहां रीबोरिंग की परिस्थितियां उत्पन्न हो

जाती हैं, उसके लिये क्या व्यवस्था है ? माननीय फातिमा के सामने इस तरह की परिस्थितियां ज्यादा आ गयी हैं उसमें रीबोर की क्या व्यवस्था है ?

श्री दद्दू प्रसाद–

पूरे प्रदेश में जनवरी, 2010 तक 90210 हैण्डपम्पों को इस वित्तीय वर्ष में रीबोर किया गया है और 95251 नये हैण्डपम्प लगाये गये हैं। ये हैण्डपम्प लगाने की सतत् प्रक्रिया है मान्यवर, आवश्यकता और मांग के अनुसार और परीक्षण कराकर के हैण्डपम्प बिना किसी भेदभाव के पूरे प्रदेश के सभी विधान सभा क्षेत्रों में लगाये जा रहे हैं।

श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा–

माननीय अध्यक्ष जी, एक स्पष्टीकरण है कि हम लोगों ने तमाम प्रस्ताव दिये हैं और आपके माध्यम से आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं। हम लोगों ने तमाम प्रस्ताव दिये थे, वहां पर हैण्डपम्प नहीं था, आवश्यक थी, परेशानी थी, परन्तु उसको रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया और आज तक उन प्रस्तावों पर कार्यवाही तो दूर उनका संज्ञान तक नहीं लिया गया। कृपया माननीय मंत्री जी से इसका उत्तर दिलवा दें कि हम लोगों ने जो प्रस्ताव दिये थे, उनके ऊपर कोई कार्यवाही होगी या नहीं होगी, और अगर होगी तो कब तक होगी, इतना उत्तर आप दिलवा दें ?

श्री अध्यक्ष–

माननीया फातिमा साहिबा, अभी तमाम सूचनायें आयीं थी कि गाइड लाइंस आयी है भारत सरकार से, उसके आधार पर ही जिनके प्रस्ताव जा रहे हैं, परीक्षण करके हैण्डपम्प लगा दिये जा रहे हैं। माननीय मंत्री जी, अगर इस तरह की यदि गाइड लाइंस हों तो बताइये।

श्री दद्दू प्रसाद–

मान्यवर, भारत सरकार की गाइड लाइंस तो 250 व्यक्तियों पर एक हैण्डपम्प की थी, जो पूरे प्रदेश में निरन्तर हैण्डपम्प लगते रहे हैं। अब 100 व्यक्तियों पर 1 हैण्डपम्प है, अर्थात् 13 करोड़ आबादी है ग्रामीण क्षेत्र की इस समय, और 21 लाख 5299 हैण्डपम्प स्थापित हैं, तो 100 व्यक्तियों पर, 01 हैण्डपम्प के मानक को मानते हुये इस समय हैण्डपम्प लगाये जा रहे हैं और राज्य सरकार की यह नीति है कि प्रत्येक असेवित बस्ती में हैण्डपम्प लगाया जायेगा, जहां–जहां ऐसी मांग, आवश्यकता है, वहां पर लगाया जा रहा है।

श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा–

मान्यवर, उत्तर नहीं आया है, हम लोगों ने जो प्रस्ताव दिये थे, उन पर कोई कार्यवाही नहीं हुयी है ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय फातिमा जी, उनका कहना है कि इस सीमा के अन्तर्गत और नार्म्स के अन्तर्गत जिनके प्रस्ताव हों, चाहे वह किसी भी पक्ष का हो, उन्होंने कहा है कि वे दिखवा रहे हैं।

श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा–

मान्यवर, हम लोगों ने जो प्रस्ताव दिये थे, क्या उसमें किसी में भी रीबोर हुआ ?

श्री ददद्दू प्रसाद–

मान्यवर, जहां पर सर्वे जल निगम कराता है और रीबोर के लायक जो हैण्डपम्प हैं, उनको जिला योजना से रीबोर कराया जा रहा है।

श्री आरिफ अनवर हाशमी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के किन–किन जिलों में गरीब जनता को पीने के लिये खारा पानी मिल रहा है। क्या माननीय मंत्री जी ने या सरकार ने इसका सर्वे कराया है और अगर सर्वे कराया है कि खारा पानी किन–किन स्थानों पर मिल रहा है तो उनको शुद्ध पेयजल पिलाने के लिये, नल लगाने के लिये कौन सी व्यवस्था की गयी है ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, यदि इस खारे पानी के सम्बन्ध में कोई सर्वे रिपोर्ट आपके पास में हो, तो बताइये।

श्री ददद्दू प्रसाद–

माननीय अध्यक्ष जी, क्वालिटी प्राब्लम की जो बस्तियां हैं, वे पूरे प्रदेश में 2257 पायी गयी थीं, और 31 मार्च, 2009 तक 559 बस्तियों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करा दिया गया है, जिनमें से 1092 बस्तियों को पाईप पेय जल योजना से निर्मित किया गया है।

श्री अध्यक्ष–

अब एक सूचना आ गई कि इतने चिन्हित हुए हैं और इतना सेचुरेट हो गया और इतना अभी नहीं हुए हैं। तो यह तो आपकी एक स्पेसफिक सूचना आ गई अब क्या रह गया है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, यह प्रश्न प्रदेश में स्वच्छ पेय जल उपलब्ध कराने से सम्बन्धित है।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, एक मिनट का समय लूँगा। माननीय अध्यक्ष जी, इतना साधारण प्रश्न है कि किन–किन जनपदों में खारे पानी की समस्या है। उत्तर इतना लम्बा है, लेकिन असली उत्तर नहीं आया है। आपका संरक्षण चाहिए मान्यवर, सिर्फ माननीय मंत्री जी बता दें अगर उनके पास जानकारी है कि किन–किन जनपदों में खारे पानी की समस्या है। अब इतनी तो जानकारी होगी ही मान्यवर।

श्री अध्यक्ष–

अभी इतनी बस्तियों को तो बताया है।

श्री ददद्दू प्रसाद–

मान्यवर, आगरा में 29 बस्तियां खारे पानी की हैं, अलीगढ़ में 13 बस्तियां, बाराबंकी में 10 बस्तियां, बुलन्दशहर में 02 बस्तियां, चित्रकूट में 06 बस्तियां, एटा में 19 बस्ती, इटावा में

11 बस्ती, फर्रुखाबाद में 01 बस्ती, फतेहपुर में 11 बस्ती, फिरोजाबाद में 06 बस्ती इस प्रकार से 612 बस्तियां हैं जो कि खारे पानी से प्रभावित हैं।

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, यह प्रश्न प्रदेश में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने से सम्बन्धित है। मैं वही प्रश्न कर रहा हूं, जो स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही खतरनाक है और पिछले दो वर्षों में उस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया लेकिन सरकार ने उस पर कोई कार्यवाही किया नहीं। आर्सेनिक से ग्रसित जो पेय जल है वह कितने जिलों में है और उन जिलों के बारे में सरकार ने पिछले दो वर्षों में क्या व्यवस्था की जिससे कि इस क्षेत्र से ग्रसित जनता को स्वच्छ पेय जल मिल सके। माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करें कि क्या व्यवस्था पिछले दो वर्षों में किया है ? क्योंकि आर्सेनिक से प्रभावित लोगों को यह अपंग भी करता है व्यक्ति की लाईफ भी कम करता है, आयु भी कम करता है, उनमें कई तरह की बीमारियां भी पैदा करता है, सबसे भयानक प्रदूषण यही है जल का, इसलिए इस क्षेत्र में क्या कार्य किया गया और कहां–कहां किया गया, कृपया मा0 मंत्री जी बता दें ?

श्री ददद्दू प्रसाद–

माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न तो मूल रूप से नीतिगत था, पर अब गुणवत्ता प्रभावित के बारे में मा0 ओम प्रकाश सिंह जी ने पूछा है, मान्यवर, तीन जनपद–बलिया, लखीमपुर–खीरी, और बहराइच, मुख्य रूप से आर्सेनिक से प्रभावित हैं और उन पर मान्यवर, पहले भारत सरकार ने उच्च स्तर की कमेटी पर यह था कि डीप बोर लगा कर के, पर अब यह पाया गया कि डीप बोर हैण्ड पम्प भी इसका पर्याप्त उपाय नहीं है, क्योंकि जो नीचे का स्टेटा है वहां पर भी आर्सेनिक पाया गया तो इसलिए अब सरफेस वाटर अथवा नदियों का जल उपचारित कर के और पाईप पेय जल योजना के माध्यम से पहुंचाया जाय और इसके अलावा एक आर्सेनिक फिल्टर भी डेवलप किया गया है तो बलिया के कई गाँवों में वह फिल्टर स्थापित किया जा रहा है, जिसको अगले इसी वित्तीय वर्ष में बलिया के प्रत्येक आर्सेनिक प्रभावित गाँवों में लगाने का प्राविधान किया जा रहा है।

डा0 पी0के0 राय–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से केवल एक अनुपूरक प्रश्न यह पूछना चाहता हूं, जैसा मा0 मंत्री जी ने कहा कि यह नीतिगत प्रश्न है, प्रदेश सरकार की चिन्ता है कि प्रदेश वासियों को उनके स्वास्थ्य के लिए स्वच्छ जल उपलब्ध करायें। ऐसे क्षेत्रों में जहां कि यह आवश्यकता महसूस की गई कि डीप बोरिंग कर के और पाईप से जल या ट्यूबवेल से जल पीने के लिए उपलब्ध कराया जाय। प्रायः यह देखा जा रहा है कि आपने ट्यूबवेल लगा दिये हैं, पाईप लाईन लगा दी है और टोटियां भी लग गई हैं, लेकिन पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है क्योंकि विद्युत की आपूर्ति प्रायः बाधित रहती है।

तो क्या सरकार ऐसी जगहों पर जहां इस तरह के ट्यूबवेल लगा दिये गये हैं वहां की विद्युत आपूर्ति को अलग से फीडर से जोड़ने के बारे में विचार करेगी ? यह मेरा प्रश्न है जिससे कि आप जो शुद्ध जल देना चाहते हैं वह उन लोगों को मिल सके, उसके लिए यह आवश्यक है।

श्री अध्यक्ष–

अब डॉक्टर साहब, यह तो ठीक है शुद्ध पेयजल की चिन्ता है लेकिन अब विद्युत आपूर्ति और विद्युत देना यह अलग विषय है।

डा0 पी0के0 राय–

मान्यवर, वैकल्पिक व्यवस्था उसकी है नहीं या तो वैकल्पिक व्यवस्था करा दें।

माननीय मंत्री जी असमर्थता ही व्यक्त कर दें, क्या इसका विकल्प हो सकता है, माननीय उर्जा मंत्री जो बैठे हुए हैं।

श्री अध्यक्ष–

नहीं ? नहीं।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, पेयजल में जो आर्सेनिक की उपस्थिति है उसके चलते जो गम्भीर स्थितियां हैं उसमें कैंसर एक्सक्लोरेसिस, पेट की सारी बीमारियां उसके अतिरिक्त अंधेपन की स्थिति यह इतनी गम्भीर बीमारियां हैं जो आर्सेनिक के चलते होती है और इस माननीय सदन में पन्द्रहवीं विधान सभा में चौदहवीं, विधान सभा में तेरहवीं विधान सभा में मान्यवर, लगातार यह प्रश्न उठते रहे हैं और आर्सेनिक के सवाल पर इतनी गम्भीरता चाहे इधर से कोई सरकार रही हो, सरकार ने भी व्यक्त किया है और प्रतिपक्ष ने भी व्यक्त किया है। इसलिए मान्यवर, मैं उसमें अनुरोध करना चाहता हूं कि इंडिया मार्क–2 हैण्डपम्प की स्थापना की जाय, बात आई तो वह इसलिए आई कि जो ऊपर हैण्डपम्प लगाये जाते हैं वह शुद्ध नहीं होते, डीप बोर के चलते शुद्ध आता है। आर्सेनिक की समस्या मान्यवर, डीपबोर में ज्यादा है माननीय मंत्री जी ने बताया। मैं इस आलोक में माननीय मंत्री जी से अनुपूरक पूछना चाहता हूँ कि इन सारी बातों की जानकारी भी हो गयी, सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट की जो सर्वे की टीम है वह भी चली आई और स्वास्थ्य विभाग के दूसरे संगठनों ने और एनजीओ ने भी उसका सर्वे किया। पूरी पट्टी वह चिन्हित हो गयी जो गंगा के किनारे की बेल्ट है जो आर्सेनिक प्रभावित है लेकिन अभी तक जिन व्यवस्था की बात आपने कही है तीसरा वर्ष इस सरकार का है और इस समय तक चाहे आर्सेनिक फिल्टर का सवाल हो या सर्फेस वाटर पर जब यह पाइप लाइन के थ्रू वाटर सप्लाई उन गांवों को किये जाने का प्रश्न हो तो जनपद बलिया में कोई गांव अभी तक इस सुविधा से जोड़ा नहीं गया है। क्या आप वह समयावधि बता देंगे कि कितने माह के अन्दर आर्सेनिक प्रभावित, सरकार की निश्चिय जानकारी में जो गांव है उन गांवों को आप स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित कर देंगे ?

श्री दद्दू प्रसाद–

माननीय अध्यक्ष जी, यह मैने बताया कि बलिया जनपद के जिन बस्तियों में आर्सेनिक पाया गया है, चिन्हित हुआ है वहां पर तत्कालिक रूप से आर्सेनिक फिल्टर युक्त हैण्डपम्प लगाये जाने के ऊपर काम प्रारम्भ कर दिया गया है और इसी वित्तीय वर्ष में प्रत्येक बस्ती में यह आर्सेनिक फिल्टर युक्त हैण्डपम्प स्थापित कराया जायेगा।

श्री अध्यक्ष–

उन्होंने बता दिया इसी वित्तीय वर्ष में अब मैं प्रश्न संख्या 6 ले रहा हूँ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, आपने इसी वित्तीय वर्ष में लगाने की बात कही, मैं बात दूसरी पूंछना चाहता हूँ दो उपाय आपने बताये एक उपाय आर्सेनिक फिल्टर का है और एक उपाय उस सर्फेस वाटर की सप्लाई का है वह कब तक करा देंगे? यह बता दें। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने इस वित्तीय वर्ष में कहा है, नहीं लगायेंगे तो फिर कभी यह सत्र हुआ अगली बार तो पूछेंगे आपसे।

श्री अध्यक्ष–

अब इसी वित्तीय वर्ष में कह दिया है, अब अगली बार पूछियेगा इसी वित्तीय वर्ष में।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, मंत्री जी कुछ कहना चाहते है ?

श्री अध्यक्ष–

मंत्री जी बतायें, ऐसा आभास हो रहा है कि आप कुछ कहना चाह रहे हैं चौधरी साहब को।

श्री दद्दू प्रसाद–

मान्यवर, यह सतत प्रक्रिया है धन की उपलब्धता के आधार पर।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, क्या एक वर्ष में आप आर्सेनिक प्रभावित बलिया के सभी गांवों को सर्फेस वाटर सप्लाई से जोड़ देंगे ?

श्री दद्दू प्रसाद–

मान्यवर, धन की उपलब्धता के आधार पर हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। आर्सेनिक बहुत ही गम्भीर बीमारी पैदा करती हैं और आर्सेनिक प्रमावित समी बस्तियों को पाइप पेयजल योजना से जोड़ने की वृहद योजना है इस पर सरकार गम्भीरता से काम कर रही है।

लखनऊ नगर निगम सीमान्तर्गत कूड़े के निस्तारण हेतु कार्यवाही

चौ० सत्येन्द्र सोलंकी–

*6–क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ में प्रतिदिन 1500 मीट्रिक टन, कूड़ा हरदोई रोड डिडौली मार्ग (रिंग रोड) के किनारे फेंक दिया जाता है, जिससे चारों तरफ दुर्गन्ध व वायु प्रदूषण में वृद्धि हो रही है ? यदि हां, तो केन्द्र द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्ध और हथालन) नियमावली, 2000 के अन्तर्गत लखनऊ में कूड़ा प्रबन्धन की दिशा में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे–

लखनऊ नगर निगम सीमान्तर्गत कूड़े के निस्तारण हेतु लैण्डफिल साइट वर्तमान में उपलब्ध न होने के कारण प्रतिदिन नगर में उत्पन्न कूड़े का निस्तारण आबादी से दूर स्थित पुराने गड्ढे, रोड साइड ट्रेंचेस में डाला जाता है जिसको बुलडोजर आदि से दबाकर उस पर

मिट्टी डाली जाती है। संभावित दुर्गन्ध के शमन हेतु ब्लीचिंग पाउडर चूना आदि के छिड़काव की कार्यवाही की जाती है। निरन्तर यह प्रयास किया जाता है कि कूड़ा खुले में न रहे। वर्तमान में बहुत कम मात्रा में कूड़ा हरदोई रोड पर डाला जाता है जिस पर उपरोक्तानुसार कार्यवाही की जाती हैं।

शहरी विकास मन्त्रालय भारत सरकार द्वारा जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत लखनऊ नगर की सालिड बेस्ट मैनेजमेन्ट की रू0 42.92 करोड़ की परियोजना स्वीकृत की गयी है। योजना के कार्यावन्यन हेतु आपरेटर का चयन कर कार्यादेश निर्गत किया जा चुका है। अनुबन्ध की कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा जो प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के जितने भी बड़े शहर हैं, उसमें सबमें यह समस्या है, जो लखनऊ में समस्या है। मेरा कहना यह है कि लखनऊ शहर में बहुत बड़ी तादाद में जो वेस्टेज है, कूड़ा है, उसको हरदोई रोड पर आबादी के पास खुले में डालने का काम हो रहा है जिससे वहाँ के आसपास के जो निवासी है जो वहाँ से गुजरते हैं, उनको निकलने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। माननीय मंत्री जी का जवाब आया कि लखनऊ नगर निगम सामान्तर्गत कूड़े के निस्तारण हेतु लैण्डफिल साइट वर्तमान में उपलब्ध न होने के कारण ऐसा किया जा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले माननीय सदस्य करवरिया जी के प्रश्न के जवाब में माननीय मंत्री जी ने कहा कि 85 एकड़ जगह हरदोई रोड पर ले ली गयी है। प्लास्टिक के निस्तारण के लिये, जहाँ कोई प्लान्ट लगायेंगे एक तरफ एक प्रश्न के जवाब में कह रहे हैं कि हमारे पास जगह नहीं हैं जिसकी वजह से कूड़ा खुले/गढ्ढों में डालने का काम हो रहा है। जो भी अधिकारी लिखकर दे देते हैं, वही माननीय मंत्री जी का जवाब आ आता है। सच्चाई यह है कि आपने जो 85 एकड़ जगह हरदोई रोड पर ली है क्या वह गढ्ढायुक्त जगह है ? वह जगह तो प्लेन है, उस जगह पर खुले में कूड़ा डालने का काम हो रहा है, जिसे माननीय मंत्री जी स्वीकार कर चुके हैं। लेकिन उसके बाद जो प्रक्रिया और प्रोसीजर आपने बताया, जो–जो कार्यवाही आप करते हैं, क्या वह कार्यवाही स्थल पर होने का काम हो रहा है। कूड़े से बदबू न आये, उसको गढ्ढे में डालने का काम करते हैं, पाउडर डालने का काम करते हैं, मिट्टी डालने का काम करते हैं, जे0सी0बी0 के द्वारा, क्या वह काम हो रहा है, एक तो मेरा अनुपूरक प्रश्न यह है। दूसरा प्रश्न यह है कि जो भारत सरकार के द्वारा जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत आपकी 42.92 करोड़ की परियोजना स्वीकृत की गयी है, आपने कहा कि उस में आपरेटर का चयन भी कर लिया गया है तो उस पर काम कब तक शुरू करा देगें ?

श्री नकुल दुबे–

माननीय सदस्य महोदय ने अपने स्वयं के प्रश्न में यह स्पष्ट किया है कि नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्ध और हथालन नियमावली, 2000 के अन्तर्गत कार्यवाही की जानी है, माननीय अध्यक्ष, जी माननीय सदस्य की जो शंका है उसके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि इस

लैंड फिल के लिये ग्राम दशहरी, सलेमपुर, पतौरा, रायपुर व सिकरोरी गांवों में करीब 35.405 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया गया है और इसमें धारा 6(17) की कार्यवाही भी पूर्ण हो चुकी है और इसमें पर्यावरण क्लियरेंस के लिये उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जनसुनवाई दिनांक 30 दिसम्बर, 2009 को पूर्ण कर ली गयी है। जहाँ तक माननीय सदस्य की शंका का सवाल है, उसके संबंध में बताना चाहता हूँ कि इसमें तमाम तरह की प्रक्रियायें हैं हम लोग लैंड फिल साइट तैयार करते हैं और तैयार करने के बाद उस पर कुछ और कार्यवाही होती है उन कार्यवाहियों को पूर्ण करने के पश्चात् ही वहाँ पर कूड़ा डालने का काम किया जाता है। जैसा मैंने आपको उत्तर में ही बता दिया कि काफी स्तर तक कार्यवाही हो चुकी है। हम लोगों को 10 करोड़ रूपया करीब प्राप्त हो चुका है।

32 करोड़ रुपए अभी और प्राप्त होने हैं और जमीन उपलब्ध होते ही वहाँ पर कूड़ा डालने की कार्रवाही प्रारम्भ करा दी जायेगी।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव–

मान्यवर, मैं मा0 नगर विकास मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि लखनऊ की जीवनधारा गोमती नदी है। गोमती नदी के तट पर आज से नहीं वर्षों से शहर का सारा कूड़ा, अवशिष्ट और जो प्राइवेट नर्सिंग होम्स से जो वेस्टेज निकलता है, जिनमें रेडियो ऐक्टिव सस्टेंस होता है, यह सब गोमती के किनारे रेत पर गड्ढे बनाकर बराबर डाला जा रहा है, जिसके कारण लखनऊ का भू–गर्भ प्रभावित हो रहा है। हुसैनगंज, राजाजीपुरम् व अनेक स्थानों पर यह पाया गया कि इसमें आर्सेनिक, मैगनीज, लेड और क्रोमियम जैसे जहरीले पदार्थ पाये जा रहे हैं और एक ऐसी स्थिति पैदा होने वाली है कि जिससे पूरे लखनऊ का भू–गर्भ जल प्रदूषित हो जायेगा। मा0 मंत्री जी, मेरा पहला अनुपूरक प्रश्न है कि क्या गोमती के तट पर जो हजारों टन रोज कूड़ा निकलता है, अवशिष्ट है, मन्दिरों से निकले हुए फूल हैं और तमाम चीजें डालकर उन्हें पाटने का काम किया जाता है जिसके कारण भू–गर्भ जल प्रदूषित हो रहा है, क्या इसे रोकने का आप काम करेंगे ? नम्बर–2, अभी आपने प्रश्न में स्वीकार किया कि हरदोई रोड पर कूड़ा बहुत कम जा रहा है। मा0 मंत्री जी हरदोई रोड पर कूड़े से बिजली बनाने का काम शुरू करने के लिए शिलान्यास भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मा0 अटल बिहारी बाजपेजी जी ने किया था और जो आप 42.92 करोड़ रुपए का आप जिक्र कर रहे हैं, इसकी वहाँ पर मशीन लगी थी। इस योजना को आपने खटाई में डाल दिया और उधर मुंह करके नहीं देखा और आप कह रहे हैं कि कूड़ा वहां जाता ही नहीं है। यदि आप कूड़ा वहां नहीं भेजेंगे तो बिजली वहां कैसे बनेगी ? मेरी व्यक्तिगत जानकारी है कि जिस कम्पनी से यह तय हुआ था कि कूड़े से बिजली बनायी जायेगी और इसका कान्ट्रैक्ट आपने कैंसिल कर दिया और कैंसिल करने के कारण वहाँ कूड़े से बिजली बनाने का काम रूक गया है। क्या मा0 मंत्री जी कूड़े से बिजली बनाने के काम को शीघ्रता से प्रारम्भ करेंगे ?

श्री नकुल दुबे–

मा0 अध्यक्ष जी, श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव बहुत वरिष्ठ अधिवक्ता हैं लेकिन लगता है कि पिछले एक–डेढ़ साल से गोमती नदी के किनारे शायद आपका जाना नहीं हो पाया है और

कुछ कागजी आंकड़े आपके सामने हैं। मा0 अध्यक्ष जी, विगत सम्पूर्ण वर्ष 2009 में उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के निर्देश और आशीर्वाद से हम लोगों ने 12 किलोमीटर का एरिया जो गोमती के तट का है, सम्पूर्ण वर्ष जन–अभियान चला करके दोनों तटों को स्वच्छ करने का काम किया है और पूरे लखनऊ जनपद के मोहल्ले–मोहल्ले से आ करके लोगों ने वहां पर सफाई अभियान में अपना योगदान दिया। वर्ष 2010 में भी 17 जनवरी, 2010 से पुनः अभियान चला करके गोमती के तटों को स्वच्छ करने का काम किया गया है। मैं मा0 सदस्य को आमन्त्रित करना चाहता हूँ कि वह गोमती के तट पर आयें और आ करके अपनी भी सहभागिता करें और अगर उनके संज्ञान में कोई भी नर्सिंग होम या कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो वहाँ पर गड्ढा खोद करके बॉयोकेमिकल्स वेस्ट डालने का काम कर रहा है तो उसे हमारे संज्ञान में लायें, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जायेगी।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव–

आपने कहा कि हम गोमती को क्लीन करने का काम कर रहे हैं। गोमती काली थी और जलकुम्भी को हटाने से गोमती नहीं क्लीन होने वाली है। मेरा सीधा प्रश्न था कि तट के ऊपर आप इस तरह का कार्य कर रहे हैं जिससे भूगर्भ जल प्रदूषित हो रहा है और दूसरा प्रश्न मेरा था, बिजली बनाने का कूड़े से उसका उत्तर तो बिल्कुल नहीं दिया मा0 मंत्री जी, क्योंकि वह भी अधिवक्ता हैं, बहुत होशियार हैं, उत्तर देने से हमेशा कतराते हैं। मैं इन दोनों प्रश्नों का उत्तर चाहता हूँ ?

श्री अध्यक्ष–

पहले का है मा0 श्रीवास्तव जी उन्होंने जैसे आपने कहा बेस्ट तत्वों को बताया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि कहीं पर कोई ऐसा नर्सिंग होम वाला इस तरह का कार्य कर रहा हो तो हमको बता दें। दूसरा प्रश्न है मा0 मंत्री जी एक स्कीम जिसका आपने उल्लेख किया है, यह स्कीम संचालित कब से होगी, कब से चलेगी ? क्या इसकी प्रगति है यह बता दे, जो 42.92 करोड़ जिसके सापेक्ष दिया गया है, उस स्कीम के संदर्भ में।

श्री नकुल दुबे–

जहाँ तक यह 42 करोड़ की योजना है, ये सोलिड बेस्ट मैनेजमेन्ट की योजना है और इस योजना से बिजली उत्पादन से कोई लेना–देना नहीं है। प्रतिदिन वहाँ पर कूड़ा डालने का काम किया जायेगा और ये जो कूड़े से बिजली बनाने की योजना है। यह अलग योजना है इससे सम्बन्धित कम्पनी ने कोई बहाना किया है कि हमें इससे और अच्छा कूड़ा चाहिए जिससे हम बिजली बना पायेंगे, लिहाजा उनका प्रकरण निरस्त कर दिया गया है। इस 42 करोड़ की योजना से उस योजना से कोई लेना–देना नहीं।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

अध्यक्ष जी प्रश्न सं0–40 बुलंदशहर के बारे में बिल्कुल सेम प्रश्न है और प्रश्न यह था कि क्या नगर विकास मंत्री बताने के कृपा करेंगे कि जनपद बुलंदशहर के अंतर्गत नगर पालिका बुलंदशहर में तेजी से आबादी बढ़ने के कारण तेजी से कचरा भी बढ़ रहा है परन्तु उसका स्थायी समाधान नहीं किया जा रहा। आपका उत्तर आया। जी, हाँ। और आपने जो

उत्तर दिया है क्या सरकार इस समस्या का स्थायी समाधान करने हेतु प्रभावी योजना बनाने पर विचार करेगी ? आपने कहा कि शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा क्रियान्वयन यू0आई0डी0एस0एम0पी0 योजना के अन्तर्गत नगरपालिका बुलंदशहर को सम्मिलित किया गया है। सम्मिलित किया गया है यह मान रहे है। इसका उल्लेख जो आप दे रहे हैं इसी प्रश्न के संदर्भ में उल्लेख दें।

श्री लाल जी वर्मा–

इस प्रश्न से उसका कोई संबंध नहीं।

श्री अध्यक्ष–

इस प्रश्न से उसका कोई संबंध नहीं, इसका उल्लेख नही दे सकते हैं।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

यह कूड़े का मामला है।

श्री अध्यक्ष–

कूड़े का मतलब तो क्या पूरे देश का कूड़ा यह तो लखनऊ के बारे में पूछ रहे हैं।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

लखनऊ के बारे में था लेकिन यह आज ही का मेरा प्रश्न था यह लेकिन अतांराकित प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष–

अतारांकित व्यवस्था में चला गया। अतारांकित में उत्तर आपको मिल गया। आप अनुपूरक करिये, वरिष्ठ सदस्य हैं। अनुपूरक आप पूछ लीजिये, इस प्रश्न संख्या–6 की परिधि में पूछिये। आप जो पूछना चाहते हैं। तीन प्रश्नों में इतना समय ले लिया है।

पेयजल की समस्या के निराकरण पर विचार

*7-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वांचल में वर्ष 2009 के भयंकर सूखे के कारण पेयजल संकट से त्रस्त जनता को निजात दिलाने हेतु सरकार कोई पैकेज जारी करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ददू प्रसाद–

जी नहीं। चूंकि वर्ष 2009 के सूखे के बावजूद पूर्वान्चल में पेयजल की समस्या का निराकरण सरकार द्वारा संचालित ग्रामीण पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम के माध्यम से किया जाता रहा है, अतः विशेष पैकेज का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है।

इलेक्ट्रो होम्योपैथी को प्रदेश में चिकित्सा विधा के रूप में मान्यता देने पर विचार

*8-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने के कृपा करेंगे कि क्या सरकार इलेक्ट्रो होम्यापैथी को प्रदेश में चिकित्सा विधा के रूप में मान्यता देने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो इस संदर्भ में कब तक निर्णय ले लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी वर्मा--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

भारत सरकार द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी विधा को निर्धारत मानदण्डों को पूरा न करने के कारण मान्यता नहीं दी गयी है।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल--

अध्यक्ष जी, 11 जुलाई, 2007 को, इसी भवन के सामने सहकारिता भवन में प्रदेश के सारे इलेक्ट्रो होम्योपैथी लोग एकत्र हुये थे, वे 1200 दिनों की हड़ताल कर रहे थे, अनशन कर रहे थे। उनके अनशन को समाप्त कराने के लिए मा0 होम्योपैथी एवं धर्मार्थ चिकित्सा मंत्री श्री राजेश त्रिपाठी जी सहकारिता भवन की इस बैठक में गये थे। मैं स्वयं भी इस बैठक में उपस्थित था इसलिए अपने हवाले से भी कह रहा हूं और जो इस बैठक की सूचना छपी या जो होम्योपैथ के डाक्टरों ने बताया उसके हवाले से भी कह रहा हूँ। मा0 मंत्री जी यहाँ स्वयं सदन में हैं। माननीय मंत्री जी ने घोषणा किया था कि इस विधा के चिकित्सकों का छत्तीसगढ़, दिल्ली और कर्नाटक की तर्ज पर पंजीकरण कराके उनको प्रैक्टिस करने की सुविधा दी जायेगी।

वह 11 जुलाई, 2007 का दिन था और आज सरकार की ओर से प्रश्न का जवाब है (कि क्या सरकार इलेक्ट्रो होम्योपैथी को प्रदेश में चिकित्सा विधा के रूप में मान्यता देने पर विचार कर रही है) जी नहीं। 2007 में यह कहा गया कि कर्नाटक, दिल्ली और छत्तीसगढ़ के तर्ज पर उन्हें डिग्री दिलाया जायेगा। मैं जानना चाहता हूँ कि जो मा0 मंत्री जी की बैठक में घोषणा थी, मा0 मंत्री जी सदन में हैं, क्या उस घोषणा के कार्यान्वयन पर सरकार विचार करेगी ? दूसरा, मा0 उच्चतम न्यायालय ने एक निर्णय दिया था, यह निर्णय है 27 फरवरी, 2009 का अपील संख्या 1337/07 । मा0 उच्चतम न्यायालय ने यह कहा था कि जो डिग्री और डिप्लोमा इलेक्ट्रो होम्योपैथ में रखते हों, वह बिना पंजीकरण के ही इलेक्ट्रो होम्योपैथ की प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि प्रदेश में जो इलेक्ट्रो होम्योपैथ के प्रैक्टिसनर्स हैं तो पुलिस उन्हें बहुत परेशान कर रही है, छापे मार रही है, प्रैक्टिस करने से रोक रही है। मा0 उच्चतम न्यायालय का आदेश है, मैंने आदेश संख्या और दिन कोट किया है और मैं मा0 मंत्री जी को दे भी दे दूँगा। यह आदेश कोट दिया है कि क्या उन्हें जब तक उनकी डिग्री को मान्यता न मिल जाए, क्या उनको प्रैक्टिस करनें की अनुमति सरकार प्रदान करेगी या उनको प्रैक्टिस करने में कोई पुलिसिया उत्पीड़न न हो, यह सुनिश्चित करेगी ?

श्री लालजी वर्मा--

माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली के एक फैसले के तहत भारत सरकार ने न्यायालय द्वारा सुझाये गये अनुसार विधा बनाने की व्यवहारिकता की जाँच करने हेतु सरकार ने महानिदेशक, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक स्थायी समिति गठित की थी और उस समिति ने चिकित्सा की नई एक शाखा को मान्यता प्रदान करने के लिए अनिवार्य एवं वांछनीय मापदण्ड तैयार किये और वैकल्पिक चिकित्सा की विभिन्न शाखाओं

अर्थात आयुर्वेद, सिद्ध यूनानी, होम्योपैथ, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा को छोड़कर अन्य के बारे में कहा कि मान्य नहीं है। उसमें समिति ने आगे सुझाव दिया कि सभी तरह की चिकित्सा पद्धतियाँ जिन्हें अलग पद्धतियों के रूप में मान्यता नहीं दी गयी है, को पूर्णकालिक स्नातक और मास्टर की उपाधि के पाठ्यक्रमों को जारी रखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और डाक्टर शब्द का प्रयोग केवल भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धति के व्यवसायियों द्वारा ही किया जाना चाहिए। मान्यवर, इस तरह से उस समिति के निर्णय के आधार पर उसी के परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार के पत्र 25 नवम्बर, 2003 के द्वारा जो स्पष्ट रूप से भारत सरकार के संयुक्त सचिव के हस्ताक्षर से जारी हुआ था, उन्होंने यह कहा कि यह मान्यता नहीं दी जा सकती है और इस पर उन्होंने रोक लगाने का आदेश दिया जिस कारण से मान्यवर इसको मान्यता नहीं दी जा सकती।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

मान्यवर, मा0 मंत्री जी ने जिस पत्र का हवाला दिया है वह 25 नवम्बर, 2003 का है। वह सही भी है। मैं जिस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हवाला दे रहा हूं, वह 27 फरवरी, 2009 का है अर्थात 1 साल पहले का। इस निर्णय के तहत मा0 उच्चतम न्यायालय ने यह कहा है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी या इलेक्ट्रोपैथी में बिना पंजीकरण के प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि कोई भी विधा जो नई विकसित होती है, इसके पहले कि वह मान्यता करे, उसके पीछे सैकड़ों साल तक उसका प्रयोग चलता है और धीरे–धीरे जब उसकी वैज्ञानिकता, सारी पद्धतियों के सारे मापदण्ड स्वीकृत हो जाते हैं तो उसको मान्यता मिल जाती है। एलोपैथी को भी एक दिन में मान्यता नहीं मिली थी। मान्यता मिलने के पहले न जाने कितने डाक्टरों ने, कितने मरीजों का इलाज किया था और प्रैक्टिस तथा व्यवहार में पाया गया कि यह विधा इलाज के योग्य हो गयी है तो उसे मान्यता दे दी गयी। लेकिन प्रैक्टिस के योग्य पाने के लिए भी प्रैक्टिस करना जरूरी होता है। मा0 उच्चतम न्यायालय ने यही कहा कि वह प्रैक्टिस कर सकते हैं, डाक्टर की डिग्री न लगायें हम इस पर कोई आपत्ति नहीं करते। इलेक्ट्रो होम्योपैथ के रूप में प्रैक्टिस करें, किस और विधा में प्रैक्टिस न करें, हम इस बात पर भी सहमत हैं। क्या अगर वह इलेक्ट्रो होम्योपैथ के रूप में प्रैक्टिस करते हैं। मा0 उच्चतम न्यायलय का यह निर्णय हैं तो सरकार उस पर विचार कर ले।

जो उत्तर प्रदेश में उचित हो, निर्णय पर सरकार विचार कर ले तो आगे के लिए रास्ता खुलेगा क्योंकि यह भी एक विधा हैं विज्ञान की विधा है ?

श्री लाल जी वर्मा–

मैंने पहले ही कहा कि समिति ने पहले से मान्यता प्राप्त परम्परागत चिकित्सा पद्धतियों अर्थात यूनानी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, एलोपैथी, योगपैथी चिकित्सा विधा को छोड़कर अन्य किसी पद्धति को समिति द्वारा विकसित किए गए आवश्यक एवं वांछनीय मानदण्डों को पूरा करते हुए नहीं पाया गया और उक्त पद्धतियों के अतिरिक्त किसी अन्य चिकित्सा पद्धतियों को मान्यता प्रदान करने की संस्तुति नहीं की गई इस प्रकार इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा विधा अब भी भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त नहीं है। उपरोक्त के

सम्बन्ध में इलेक्ट्रो होम्योपैथी विधा को प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता देने पर विचार किए जाने पर प्रश्न नहीं उठता।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

मान्यता नहीं दे सकते यह केन्द्र सरकार देगी। मेरा प्रश्न यह है कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में वह लगातार प्रेक्टिस करेंगे धीरे–धीरे उनको मान्यता मिलेगी सिर्फ इलेक्ट्रो होम्योपैथी की प्रेक्टिस करें कोई और प्रेक्टिस न करें यह सुनिश्चित करते हुए क्या ऐज ए इलेक्ट्रो होम्यो पैथ उनकी प्रेक्टिस चले यह काम करने दिया जाय इस पर सरकार विचार करेगी ?

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, मैंने पूरा उत्तर पहले दे दिया कि भारत सरकार ने समिति बनाई थी और उन्होंने नहीं पाया प्रदेश सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं है।

*9-डा0 अजय तोमर–

[एक से अधिक विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त]–

पुनः चक्रित पालीथीन से बने बैग के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगाने की मांग

*10–श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पुनः चक्रित पालीथीन बैग, स्वास्थ्य के लिए घातक साबित हो रहे हैं और इसको प्रतिबन्धित करने के लिए लखनऊ जिला प्रशासन ने पत्र लिखकर अपनी राय जाहिर की है ? यदि हां, तो क्या सरकार पुनः चक्रित पालीथीन से बने बैग के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगायेगी ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे–

जी नहीं।

20 माइक्रान से कम मोटाई तथा 8"×12" साइज से कम के पुनः चक्रित पालीथीन केरीबेग का प्रयोग पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत लागू पुनःचक्रिय प्लास्टिक विनिर्माण एवं उपयोग संशोधत नियम 2003 के अन्तर्गत पूर्णतया प्रतिबन्धित है। इसके अतिरिक्त पुनः चक्रित प्लास्टिक में खाद्य सामग्री का भण्डारण, परिवहन तथा पेकिंग निषिद्ध की गयी है। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में प्लास्टिक कैरी बैग के नियंत्रण हेतु उत्तर प्रदेश प्लास्टिक एवं अन्य जीव अनाशित कूड़ा कचरा (उपयोग और विनियमन) अधिनियम 2000 अधिसूचित किया गया है जो दिनांक 01–11–2000 से लागू है। अधिनियम की धारा–7(1) व (2) के अनुसार पुनःचक्रित प्लास्टिक का उपयोग किसी भी रूप में खाद्य सामग्री के भण्डारण, ले जाने या पैकिंग करने के लिए नहीं करेगा। यदि प्लास्टिक की मोटाई 20 माइक्रान से कम है तो अन्य किसी भी प्रयोजन हेतु प्रयोग में लाना पूर्णतया प्रतिबन्धित है। उक्त अधिनियम के अनुपालन हेतु स्थानीय निकाय के अधिकारियों को पदनाम से कार्यवाही/प्रशमन हेतु अधिकृत किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव–

मान्यवर, हमारे इस प्रश्न का उत्तर पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव–

मान्यवर, अभी करवरिया जी ने प्रश्न पूछा था क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्लास्टिक के थैलों के प्रयोग से पर्यावरण दूषित होता है। मेरा प्रश्न प्लास्टिक से सम्बन्धित नहीं है। मैंने पुनः चक्रित पालीथीन बैग के बारे प्रश्न किया था प्लास्टिक और पालीथीन बैग में अन्तर है। लेकिन अधिकारियों ने एक सा उत्तर दे दिया।

मेरा प्रश्न यह था कि क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पुनःचक्रित पालीथीन बैग स्वास्थ्य के लिए घातक साबित हो रहे हैं ? दूसरा इन पर प्रतिबन्ध लगाने के बारे में था। यह दो प्रश्न हैं और दोनों को एक तलवार द्वारा काट दिया गया उत्तर आया 'जी नहीं'। आप जानते हैं कि पुनःचक्रित पालीथीन में अगर कोई गर्म लिक्विड पदार्थ या दूध रखा जाता है तो उसका रिएक्सन होने से जो रसायन निकलता है उससे कैंसर का रोग लोगों को हो रहा है इसका स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है जबकि उत्तर आ गया जी नही। मेरा दूसरा प्रश्न है कि पुनःचक्रित पालीथीन और प्लास्टिक में क्या अन्तर है ?

श्री अध्यक्ष वह सब आप बता चुके।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव–

शहर के अन्दर जो पालीथीन बनाने के कारखाने हैं उनको क्या आप शहर के बाहर पर्यावरण की शुद्ध रखने की दृष्टि से करने का काम करेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

यह सब तो उत्तर में आ गया है।

करवरिया जी आज फिर से क्यों खड़े हो रहे हैं आपके प्रश्न का तो उत्तर दिया जा चुका है।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव–

मैंने शहर से बाहर करने की बात कही है। मैंने उद्योग को ऐसे उद्योग जो पुनःचक्रित पालीथीन से बैग बनाते हैं, उनको पर्यावरण की रक्षा के लिये लखनऊ शहर से बाहर करने के लिये कोई आदेश नगर निगम से या सरकार पारित करायेगी ?

श्री अध्यक्ष–

श्रीवास्तव जी, अभी इन्होंने उद्योगों को, जो ऐसे स्थापित किये गये थे, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही के लिये, कई लोगों को हटाने के लिये निर्देश दे दिये हैं। वह तो आ गया। अब प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

नोट :– तारांकित प्रश्न संख्या–10 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

प्रदेश के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को पे-बैंड–I में शामिल करते हुये केन्द्र की भांति वेतनमान दिये जाने पर विचार

*11–चौ0 रवीन्द्र प्रताप–

क्या वित्त मंत्री को जानकारी है कि केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को छठे वेतनमान में "पे बैंड–I" में शामिल करते हुये रु0 5200–20200 का वेतनमान दे दिया है ? यदि हां, तो क्या प्रदेश सरकार भी प्रदेश के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को "पे बैंड–I" में शामिल करते हुये 5200–20200 का वेतनमान दिये जाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को रुपया 7000/–मूल वेतन के साथ रु0 18000/–का ग्रेड वेतन भी दिये जाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी वर्मा–

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों के परिप्रेक्ष्य में केन्द्र सरकार द्वारा लिये गये निर्णयों के दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा गठित वेतन समिति–2008 की संस्तुतियों के क्रम में विभिन्न श्रेणी के कार्मिकों जिनमें चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी भी शामिल हैं को पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड/ग्रेड वेतन अनुमन्य कराया जा चुका है।

उक्त समिति की विभिन्न श्रेणी के पदों जिनमें चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी भी शामिल है, से सम्बन्धित पदवार/संवर्गवार संस्तुतियां प्राप्त होने के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा यथोचित निर्णय लिया जायेगा। केन्द्र सरकार द्वारा अपने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को रु0 7000/–मूल वेतन के साथ रु0 18000 का ग्रेड वेतन दिये जाने का निर्णय नहीं लिया गया है। जहां तक राज्य के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को रु0 1800 का ग्रेड वेतन अनुमन्य कराये जाने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में वेतन समिति की संस्तुतियां प्राप्त होने पर राज्य सरकार द्वारा यथोचित निर्णय लिया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति सुधारने हेतु कार्य योजना

1–श्री मदन चौहान–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विशेषकर नोएडा, ग्रेटर नोएडा में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है ? यदि हां, तो क्या इसके सुधार हेतु कोई कार्य योजना बनाई गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (सुश्री मायावती)–

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नोएडा व ग्रेटर नोएडा सहित कानून–व्यवस्था की स्थिति पूर्ण नियंत्रण में है।

कानून–व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से आधुनिक कन्ट्रोल रूम की स्थापना, थानों के नियतन में वृद्धि क्यू0आर0टी0 (क्विक रिस्पांस टीम) का गठन, गश्त पार्टियों की व्यवस्था एवं प्रदेश की सीमाओं पर सीमा प्रबन्धन की व्यवस्था लागू की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के जनपदों में खराब हैण्डपम्पों के रिबोर का निर्धारित लक्ष्य

2–डॉ0 अजय तोमर–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चालू वित्तीय वर्ष में प्रदेश के अधिकांशतः जनपदों में सूखे को दृष्टिगत रखते हुये क्या सरकार चालू वित्तीय वर्ष में पूर्णतया बन्द अथवा आंशिक बन्द/खराब हैण्डपम्पों के रि–बोर कराने का सामान्य लक्ष्य के अतिरिक्त कोई लक्ष्य निर्धारित किया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद–

दिनांक 31–03–2009 तक स्थाई रूप से खराब सभी 90000 हैण्डपम्प को वर्ष 2009–10 में रिबोर किया जा चुका है।

वर्ष 2009–10 में हुये सर्वेक्षण में 63409 हैण्डपम्प स्थाई रूप से खराब पाये गये, जिसमें से 20000 हैण्डपम्प की रिबोरिंग वर्ष 2009–10 में किया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्रीमती सवीरा बेगम, ग्राम नींबी, जनपद इलाहाबाद की इन्दिरा आवास आवंटन हेतु दिये गये पत्र पर कृत कार्यवाही

3–श्री उदयभान करवरिया–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती सवीरा बेगम पत्नी एक लाख मुहम्मद ग्राम नींबी, विकास खण्ड शंकरगढ़ जनपद–इलाहाबाद को इन्दिरा आवास आवंटन हेतु प्रश्नकर्ता के कार्यालय के पत्र संदर्भ संख्या–631/09, दिनांक 21–6–09, खण्ड विकास अधिकारी, शंकरगढ़, इलाहाबाद को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद–

जी हां।

उक्त पत्र में उल्लिखित परिवार का नाम इन्दिरा आवास की स्थायी पात्रता सूची में अंकित न होने के कारण भारत सरकार द्वारा निर्धारित आवंटन प्रक्रिया के अनुसार आवास का आवंटन सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

4–श्री राम बिशुन आजाद–

[3सरे गुरुवार के अतारांकित प्रश्न संख्या–62 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में इण्डिया मार्का–2 हैण्डपम्प की बोरिंग कराये जाने का मानक

5–श्री राम बिशुन आजाद–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में इण्डिया मार्का–2 हैण्डपम्प की बोरिंग कराये जाने का मानक क्या है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि प्रदेश में घटते जल स्तर को देखते हुये स्वच्छ पेयजल हेतु इण्डिया मार्का–2 हैण्डपम्प के लिये 200 फिट पर बोर करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे–

भूगर्भ जल की गहराई के अनुसार बोरिंग का मानक है, जिससे कि हैण्डपम्प के सिलेण्डर के ऊपर 10 मीटर भूगर्भ जल का कालम/ऊंचाई उपलब्ध हो सके। सिलेण्डर के नीचे 3 मीटर का स्टेनर तथा उसके नीचे 10 मीटर ब्लाइन्ड पाइप रहे।

जी नहीं। प्रदेश में सामान्यतः 160 फिट की गहराई तक की गयी बोरिंग में सिलेण्डर के ऊपर 10 मीटर भूगर्भ जल का कालम/ऊंचाई प्राप्त हो जाती है।

भूगर्भ जल के स्तर (लेबिल) के अनुसार इण्डिया मार्का–2 हैण्डपम्प का सिलेण्डर वर्तमान जल स्तर से 10 मीटर नीचे रख जाता है, जिससे हैण्डपम्प अपने कार्यकारी जीवन (8-10 वर्ष) में इस सीमा तक भूगर्भ जल स्तर गिरने पर भी कार्यरत रहेगा।

6–श्री राम बिशुन आजाद–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद लखनऊ के गोमतीनगर रेलवे लाइन पार–खरगापुर में राम जानकीपुरम एवं कौशलपुरी में सड़क के डामरीकरण व नाली के निर्माण की मांग

7–श्री चौ0 रवीन्द्र प्रताप–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद लखनऊ के गोमतीनगर रेलवे लाइन पार–खरगापुर में रामजानकीपुरम् एवं कौशलपुरी में कामाख्या मंदिर की तरफ आने–जाने वाली सड़क का डामरीकरण व जल निकासी हेतु नाली का निर्माण करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे–

गोमतीनगर रेलवे लाइन पार–खरगापुर में रामजानकीपुरम् एवं कौशलपुरी में कामाख्या मन्दिर की तरफ जाने वाली सड़क नगर निगम लखनऊ की सीमा में नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

इन्दिरा नगर स्थित मोहल्ला रघुराज नगर, पटेल नगर के भवन संख्या 17 से 25 तक के सामने विद्युत पोलों पर मरकरी लाइट की व्यवस्था की मांग

8–चौ0 रवीन्द्र प्रताप–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ के इन्दिरा नगर स्थित मो0 रघुराज नगर, पटेल नगर के भवन सं0–17 से 25 तक के सामने लगे विद्युत पोलों पर मार्ग प्रकाश व्यवस्था न होने के कारण मुहल्लेवासियों को अत्यधिक कठिनाई हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त भवनों के सामने लगे विद्युत पोलों पर मरकरी लाइट/मार्ग प्रकाश व्यवस्था करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे–

जी नहीं, इन्दिरानगर स्थित मो0 रघुराज नगर, पटेल नगर के भवन संख्या–17 से 25 तक के सामने स्थित विद्युत पोलों पर वर्तमान में टयूब लाइटें लगी हैं। उक्त स्थान पर पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था है एवं सभी प्रकाश बिन्दु प्रज्जवलित हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर की कतिपय ग्राम पंचायतों में नरेगा योजना के अन्तर्गत आवंटित धनराशि

9–श्री राम बिशुन आजाद–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–गोण्डा के वि0स0 क्षेत्र मनकापुर के ग्राम पंचायत अम्बरपुर, हरनाटायर, गड़रही, भगोहर, सिकछदरपुर, रतनपुर, महरागौरा, कानपुर, सैजलपुर में वर्ष 2007–08 व 2008–09 में नरेगा योजना के अन्तर्गत कितना–कितना धन आवंटित किया गया तथा आवंटित धनराशि से किन–किन योजनाओं पर कार्य कराया गया ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि कराये गये कार्यों पर कितने जॉब कार्ड धारकों को रोजगार दिया गया ? क्या सरकार द्वारा श्रमिकों एवं जनता के बीच स्पेशल आडिट कराया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार कराये गये कार्यों का आंकलन के अनुसार स्थलीय परीक्षण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दददू प्रसाद–

जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र–मनकापुर की ग्राम पंचायत–अम्बरपुर, हरनाटायर, गड़रही, भगोहर, सिकन्दरपुर, रतनपुर, महरागौरा, करनपुर, सैजलपुर में वर्ष 2007–08 एवं 2008–09 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत ग्रामवार आवंटित धनराशि तथा कराये गये कार्य एवं रोजगार प्राप्त जाब कार्ड धारकों की संख्या का विवरण संलग्न† है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत स्पेशल आडिट की व्यवस्था नहीं है। भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देशिका के अनुसार राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत कराये गये कार्यों की सोशल आडिट ग्राम सभा की खुली बैठक में कराने की व्यवस्था विद्यमान है। विधान सभा क्षेत्र मनकापुर की उक्त ग्राम पंचायतों में कराये गये कार्यों की सोशल आडिट भारत सरकार द्वारा निर्गत मार्ग निर्देशिका के प्रस्तर–11.2.2 के अनुसार नियमित रूप से किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

तकनीकी सहायक/अवर अभियन्ता द्वारा स्थलीय निरीक्षण करने के पश्चात् भुगतान किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

---

† देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ .....पर

जनपद गोण्डा में जल स्तर को ऊंचा करने हेतु तालाब/जलाशयों में पानी भरवाने के कार्य पर व्यय की गई धनराशि

10–श्री राम बिशुन आजाद–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–गोण्डा में वर्ष 2006–07, 2007–08, 2008–09 व 2009–10 में 31 मई, 2009 तक जल स्तर को ऊंचा करने के लिये कितने हेक्टेयर तालाब/जलाशयों को गहरा किया गया एवं पानी भरवाया गया ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि अब तक उक्त योजना पर कुल कितनी धनराशि व्यय की गयी ? क्या सरकार द्वारा खुदवाये गये तालाबों/जलाशयों का स्थलीय परीक्षण कराया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ददद्दू प्रसाद–

जनपद–गोण्डा में वर्ष 2006–07, 2007–08, 2008–09 व 2009–10 में 31 मई, 2009 तक जल स्तर को ऊंचा करने के लिये 2765.14 हेक्टेयर तालाब/जलाशयों जिनकी कुल संख्या–1827 है, को गहरा किया एवं उनमें पानी भरवाया गया है।

उक्त कार्य पर अब तक मु0 965.224 लाख की धनराशि व्यय की गयी।

जी हां।

तालाबों की खुदाई के पश्चात् सम्बन्धित विकास खण्ड के खण्ड विकास अधिकारी/अवर अभियन्ता द्वारा स्थलीय निरीक्षण कराया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा की कतिपय ग्राम पंचायतों में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों पर ग्राम्य विकास विभाग की संचालित परियोजनाओं के अन्तर्गत व्यय

11–श्री राम बिशुन आजाद–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–गोण्डा की ग्राम पंचायत भगोहर विकास खण्ड वजीरगंज, ग्राम पंचायत जमुनहा विकास खण्ड नवाबगंज, ग्राम पंचायत अम्बरपुर, गड़रही, हरनाटायर, विकास खण्ड मनकापुर में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का 22.5 प्रतिशत धनराशि किन–किन अनुसूचित जाति के व्यक्तियों में किन–किन परियोजनाओं के अन्तर्गत व्यय किया गया है तथा किन–किन अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को इसका लाभ दिया गया ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त सभी प्रकरणों की जांच करवाकर दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ददद्दू प्रसाद–

जनपद–गोण्डा की ग्राम पंचायत भगोहर विकास खण्ड वजीरगंज, ग्राम पंचायत जमुनहा विकास खण्ड नवाबगंज ग्राम पंचायत अम्बरपुर, गड़रही, हरनाटायर, विकास खण्ड मनकापुर में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत आवंटित धनराशि अनुसूचित जाति के

व्यक्तियों को ग्राम्य विकास विभाग द्वारा संचालित परियोजनाओं के अन्तर्गत किये गये व्यय का विवरण निम्नवत् है :–

ग्राम पंचायत का नाम	विकास खण्ड का नाम	अनुसूचित जाति के जॉब कार्ड धारकों की संख्या	कार्य पर लगे अनुसूचित जाति के जॉबकार्ड धारकों की संख्या	व्यक्तिगत लाभार्थी परियोजनाओं से लाभान्वित अनुसूचित जाति के परिवारों की संख्या
भगोहर	वजीरगंज	25	15	03
जमुनहा मझरेती	वजीरगंज	11	06	04
अम्बरपुर		180	65	04
गड़रही	मनकापुर	60	30	04
हरनाटायर		200	110	20

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा में नरेगा योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को आवंटित धनराशि

12–श्री राम बिशुन आजाद–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–गोण्डा में वर्ष 2007–08 व 2008–09 में नरेगा योजना के अन्तर्गत किन–किन क्षेत्र पंचायतों को कितना–कितना धन आवंटित किया गया ? क्या सरकार द्वारा धन आवंटन में सभी क्षेत्र पंचायतों में समानता का ध्यान रखा गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ददद्दू प्रसाद–

नरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2007–08 एवं 2008–09 में क्षेत्र पंचायतों को आवंटित की गयी धनराशि का विवरण निम्नवत् है :–

विकास खण्ड का नाम	वर्ष 2007–08 का योग	वर्ष 2008–09 का योग
झझरी	125.00	140.00
पंण्डरी कृपाल	125.00	175.00
गुजेहना	135.00	50.00
इटियाथोक	125.00	100.00
रूपईडीह	95.00	115.00
मनकापुर	55.00	55.00

विकास खण्ड का नाम	वर्ष 2007–08 का योग	वर्ष 2008–09 का योग
बमनजोत	65.00	60.00
छपिया	105.00	120.00
कर्नेलगंज	85.00	35.00
परसपुर	58.00	60.00
कटरा बाजार	130.00	175.00
हलधरमऊ	125.00	160.00
तरबगंज	80.00	130.00
वजीरगंज	120.00	90.00
नवाबगंज	90.00	130.00
बेलसर	55.00	60.00
योग	**1573.00**	**1655.00**

धन आवंटन के संबंध में जिन क्षेत्र पंचायतों द्वारा 60 प्रतिशत से अधिक धनराशि व्यय कर धनराशि की मांग की है, उन्हें धनराशि आवंटित की है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के आई0ए0एस0 एवं पी0सी0एस0 अधिकारियों के विदेश प्रशिक्षण का औचित्य तथा हुआ व्यय

13–श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2009–10 में अक्टूबर, 2009 तक कितने आई0ए0एस0 एवं कितने पी0सी0एस0 अधिकारी विदेशों में प्रशिक्षण के लिये भेजे गये और उनके प्रशिक्षण पर जाने का औचित्य क्या है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त अधिकारियों को विदेश भेजने में कुल कितना व्यय हुआ और इससे प्रदेश की जनता को क्या लाभ हुआ ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

प्रश्नगत अवधि में 05 आई0ए0एस0 एवं 43 पी0सी0एस0 अधिकारी विदेश प्रशिक्षण हेतु भेजे गये।

प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का निश्चित अभिज्ञानित क्षेत्रों में ज्ञान–संवर्धन, भावी दायित्वों के निर्वहन हेतु नवीनतम कार्य प्रणालियों की जानकारी, उत्पन्न चुनौतियों/ समस्याओं का समाधान, नये लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सक्षम बनाने, ज्ञान और कौशल में सतत् अभिवृद्धि करने तथा जनसेवा की उत्कृष्ट व्यवस्थाओं से परिचित कराना है।

विदेश प्रशिक्षण कार्यक्रम में पी0सी0एस0 अधिकारियों के ऊपर रु0 01,23,03,658/– का व्यय किया गया तथा आई0ए0एस0 अधिकारियों के प्रशिक्षण का समस्त व्ययभार भारत सरकार द्वारा वहन किया गया।

अधिकारियों के विदेश प्रशिक्षण के फलस्वरूप, उनके ज्ञान व कौशल के स्तर में अभिवृद्धि से जन कल्याण के अनुकूल मानसिकता/दृष्टिकोण का विकास हुआ।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर में नगरपालिका परिषद् के सीमा विस्तार हेतु आस–पास की ग्राम पंचायतों को नगरपालिका परिषद् में जोड़ने हेतु पत्र

14–श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–सिद्धार्थनगर में नगरपालिका परिषद् के सीमा विस्तार हेतु आस–पास की ग्राम पंचायतों को नगरपालिका परिषद् में जोड़ने हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र दि0 18–09–09 माननीय मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे–

जी नहीं, परन्तु इसी विषय पर प्रश्नकर्ता का एक अन्य पत्र दिनांक 03–9–2009, मा0 मुख्य मंत्री जी को प्राप्त हुआ है।

प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 03–9–2009 के संबंध में जिलाधिकारी जनपद–सिद्धार्थनगर से प्रस्ताव मांगा गया है।

सामान्य प्रशासन अनुभाग–3 की अधिसूचना संख्या–जी0आई0–165/तीन–09–15(1)/2009, दिनांक 22 दिसम्बर, 2009 द्वारा जनगणना को दृष्टिगत रखते हुये यह निर्देश निर्गत किये गये हैं कि नगर पालिकाओं, राजस्व ग्रामों, तहसीलों, पुलिस थानों, विकास खण्डों, तालुकों, परगनों और जिलों आदि की प्रशासनिक सीमाओं में दिनांक 01 जनवरी, 2010 से प्रारम्भ होने वाली और दिनांक 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

जनपद बागपत तहसील बागपत तथा बड़ौत में हैण्डपम्प लगाने के लिये प्राप्त आवेदन-पत्र

15–डॉ0 अजय तोमर–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–बागपत, तथा बड़ौत में दिनांक 30–11–2009 तक कितने व्यक्तियों/परिवारों/समूहों ने पेयजल हेतु इण्डिया मार्का–2 हैण्डपम्प लगाने के लिए आवदेन–पत्र दिये हैं ? इनमें से कितने हैण्डपम्प लगाये जा चुके हैं तथा अवशेष हैण्डपम्प कब तक लगवा दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ददू प्रसाद–

दिनांक 30–11–2009 तक तहसील–बागपत तथा तहसील–बड़ौत में नये हैण्डपम्प अधिष्ठापन हेतु क्रमशः 680 तथा 1490 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं।

तहसील–बागपत में 450 तथा बड़ौत में 945 हैण्डपम्प मानक के अनुसार लगाये जा सकते हैं। इसके सापेक्ष वर्तमान वित्तीय वर्ष में बागपत में 269 तथा बड़ौत में 501 हैण्डपम्प अधिष्ठापित किये जा चुके हैं।

अवशेष हैण्डपम्प शीघ्र अधिष्ठापित किये जायेंगे।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर निगम, कानपुर में सफाई एवं खाद्य निरीक्षक के सृजित पद तथा रिक्त पदों पर तैनाती

16–श्री संजीव दरियाबादी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर निगम में वर्तमान में कितने सफाई स्वास्थ्य निरीक्षक के पद स्वीकृत हैं तथा उसके सापेक्ष कितने सफाई स्वास्थ्य निरीक्षक, कानपुर नगर निगम में कार्यरत हैं एवं कितने सफाई स्वास्थ्य निरीक्षक के पद रिक्त हैं ? रिक्त पदों पर कब तक तैनाती कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे–

नगर निगम, कानपुर में सफाई स्वास्थ्य निरीक्षक के पद नहीं वरन् सफाई एवं खाद्य निरीक्षक के 42 पद सृजित हैं, जिसके सापेक्ष 14 सफाई एवं खाद्य निरीक्षक कार्यरत हैं एवं 28 पद रिक्त हैं।

रिक्त पदों पर चयन हेतु अधियाचन लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 इलाहाबाद को भेजा गया है। लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर ही रिक्त पदों पर तैनाती की जा सकेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद के यमुनापार क्षेत्रों में विकास के लिये धनराशि बढ़ाये जाने पर विचार

17–श्री उदयभान करवरिया–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–इलाहाबाद के यमुनापार क्षेत्र में तहसील कोरांव, मेजा बुन्देलखण्ड से सटा हुआ हैं और उससे मिलती–जुलती प्रकृति का पहाड़ी क्षेत्र है ? इन तहसीलों में सरकार द्वारा इन्दिरा आवास, हैण्डपम्प के मद में जो धन दिया जाता है, क्या वह बुन्देलखण्ड क्षेत्र में विकास के मानक से बहुत कम है ? यदि हां, तो क्या सरकार बुन्देलखण्ड क्षेत्र के अनुरूप जनपद–इलाहाबाद के उक्त क्षेत्रों के विकास के लिए धनराशि बढ़ाये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ददू प्रसाद–

जी हाँ।

इन्दिरा आवास योजना भारत सरकार द्वारा संचालित योजना है। भारत सरकार द्वारा आवासविहीन बी0पी0एल0. परिवारों की संख्या के अनुपात में इन्दिरा आवास की धनराशि सीधे जनपदों को दी जाती है। उसी के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा भी राज्यांश की धनराशि निर्गत की जाती है। प्रश्नगत तहसीलों के बुन्देलखण्ड क्षेत्र से मिलते–जुलते भौगोलिक प्रकृति के दृष्टिगत इन क्षेत्रों में भी बुन्दलेखण्ड क्षेत्र के अनुरूप ही हैण्डपम्प एवं अधिष्ठापन की लागत जारी की जाती है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम बुढ़ावा, जनपद इलाहाबाद में अग्निशमन की स्थापना की मांग

18–श्री उदयमान करवरिया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा बुढावां, विकास खण्ड जसरा, तहसील बारा, जनपद इलाहाबाद में एक फायर स्टेशन की स्थापना हेतु उप जिलाधिकारी द्वारा जमीन का चिन्हीकरण कर दिया गया है ? क्या जनपद–इलाहाबाद का यमुनापार क्षेत्र अग्निकाण्ड से ज्यादा प्रमावित रहता है ? यदि हां, तो बुढावां जनपद–इलाहाबाद में अग्निशमन केन्द्र की स्थापना कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हाँ।

जी हाँ।

तहसील बारा में जनपद–इलाहाबाद शासनादेश संख्या 576/छः–पु–8–09–02(स्थापना)/07, दिनांक 24–02–2009 द्वारा दो यूनिट के फायर स्टेशन की स्थापना कर दी गयी हैं अतः अब ग्राम–बुढ़ावा में अग्निशमन केन्द्र खोले जाने का औचित्य नहीं पाया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

बी0 आर0 डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर के पोस्टमार्टम हाउस में प्रदत्त सुविधायें

19–डा0 राधामोहन दास अग्रवाल–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि मेडिकल कौन्सिल आफ इण्डिया के मानक के अनुरूप बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर में वर्तमान में पोस्टमार्टम हाउस किन–किन सुविधाओं से आच्छादित है? शेष सुविधाओं को प्रदत्त करने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री लालजी वर्मा–

बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर में पोस्टमार्टम हाउस का भवन पूर्व में ही निर्मित है। वर्तमान में पोस्टमार्टम हाउस में विद्युत की सुविधा, उपकरण फर्नीचर, मार्चरी टेबिल, कुर्सी, स्टेशनरी–पेपर, लिफाफा, रजिस्टर, कार्बन उपलब्ध है। वर्तमान में पोस्ट मार्टम का कार्य मेडिकल कालेज, गोरखपुर में ही सम्पादित हो रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

विकास प्राधिकरण कर्मियों को 10, 20 तथा 30 के समयमान वेतनमान दिये जाने की मांग

20–डा0 राधामोहन दास अग्रवाल–

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश शासन वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 के आदेश संख्या–वे0आ0–2–251/दस–54 (एम) 2008 टी0ए0सी0, दिनांक

7–2–2009 के संकल्प के प्रस्तर–6 के द्वारा विकास प्राधिकरण के कर्मियों को 10, 20 तथा 30 वर्ष के समयमान वेतनमान दिये जाने की स्वीकृति शासन द्वारा दी गयी थी? यदि हां, तो क्या विकास प्राधिकरणों के कर्मियों को यह सुविधा प्रदान कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी वर्मा–

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 के संकल्प संख्या–वे0आ0–2–251/दस –54(एम)/2008 टी0सी0 दिनांक 07 फरवरी, 2009 के प्रस्तर–6 द्वारा नगरीय स्थानीय निकाय, जिला पंचायत, जल संस्थान तथा विकास प्राधिकरण के विभिन्न श्रेणी के कार्मिकों को पुनरीक्षित वेतन संरचना में समयमान वेतनमान/ए0सी0पी0 के रूप में 10 वर्ष, 20 वर्ष तथा 30 वर्ष की सेवावधि पर स्तरोन्नयन के रूप में अगला ग्रेड वेतन राजकीय कर्मियों के संबंध में शासन द्वारा लिये गये निर्णय के सादृश्य अनुमन्य किया जायेगा।

उक्त संकल्प के प्रस्तर–1 (12) में उपरोक्त लाभ की अनुमन्यता के संबंध में यह प्रतिबन्ध था कि विकास प्राधिकरणों के कर्मचारियों/अधिकारियों को पुनरीक्षित वेतन संरचना, भत्ते एवं सुविधाएं तथा अन्य लाभ इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य कराये जायेंगे कि उक्त पर आने वाले व्ययभार को वहन करने हेतु राज्य सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता नहीं दी जायेगी तथा ऋणदाता वित्तीय संस्थाओं के देयों अथवा शासकीय देयों, यदि कोई हो, के भुगतान में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं होगा। प्राधिकरणों को अपने कार्मिकों को पुनरीक्षित वेतन संरचना का लाभ अनुमन्य कराये जाने से अधिष्ठान व्यय में होने वाली वृद्धि के आधार पर ऋणदाता संस्थाओं एवं शासकीय देयों, यदि कोई हो, के भुगतान में कोई छूट नहीं दी जायेगी।

उपर्युक्त शतों की पूर्ति होने पर आवास विभाग द्वारा वित्त विभाग की सहमति से आदेश जारी किये जायेंगे।

प्रश्न नहीं उठता।

21–श्री सुल्तान बेग–

[3सरे शुक्रवार के अतारांकित प्रश्न संख्या–04 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बरेली के विकास खण्ड शेरगढ़, फतेहगंज पश्चिमी तथा मीरगंज में डा0 अम्बेडकर विकास योजना के अन्तर्गत चयनित ग्राम सभाएं

22–श्री सुल्तान बेग–

क्या डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली के विकास खण्ड शेरगढ़ फतेहगंज पश्चिमी तथा मीरगंज में वर्ष 2008–09 में कुल कितने ग्राम अम्बेडकर ग्राम घोषित किये गये ? क्या उक्त ब्लाकों के अम्बेडकर गांवों को पूर्ण रूप से संतृप्त कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो अधूरे कार्यों को कब तक पूर्ण कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 अम्बेडकर ग्रामीण समग्र विकास राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार)–(श्री रतन लाल अहिरवार)–

वर्ष 2008–2009 में जनपद बरेली के विकास खण्ड शेरगढ़ में 4, फतेहगंज पश्चिमी में 5 तथा मीरगंज में 5 अर्थात कुल 14 ग्राम समाएं डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना के अन्तर्गत चयनित की गयी।

उक्त चयनित ग्राम समाएं स्वच्छ शौचालय, सम्पर्क मार्ग, ग्रामीण विद्युतीकरण, स्वच्छ पेयजल, आवासहीन को आवास, आवासहीन को आवासीय पट्टा/भूमिहीन को कृषि योग्य भूमि पट्टा के कार्यक्रम से संतृप्त है। सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन निर्माण कार्यक्रम के संबंध में पंचायतीराज विभाग द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार जनपद स्तर पर वर्ष 2007–08 के अवशेष तथा वर्ष 2008–09 में चयनित ग्राम सभाओं की एक तिहाई ग्रामसभाओं को ही संतृप्त किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

वाराणसी शहर के दक्षिणी विधान सभा क्षेत्र के पक्का महाल क्षेत्र हेतु तैयार की गयी जल सम्पूर्ति योजना

23–श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–वाराणसी के शहर दक्षिणी विधान सभा क्षेत्र के पक्के महाल के नागरिकों को स्वच्छ तथा सुचारू रूप से पेयजल आपूर्ति किये जाने हेतु बूस्टर पम्पों की क्षमता वृद्धि नये बूस्टर पम्प लगाये जाने लगभग 100 वर्ष पुराने जीर्ण–शीर्ण कास्ट आइरन की पाइप लाइनों को बदलकर अधिक कैरींग कैपेसिटी (अधिक वाहन क्षमता) के कास्ट आइरन पाइप डालने तथा घुमावदार घनी आबादी वाले पक्के महाल के क्षेत्रों में पेयजलापूर्ति सुनिश्चित करने हेतु जे0एल0एन0यू0आर0एम0 परियोजना में आवश्यक व्यवस्था किये जाने सम्बन्धी प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 13–11–2009 मा0 मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हों, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे–

जी हां। मा0 सदस्य का पत्र दिनांक 13–11–2009 मुख्य मंत्री कार्यालय से प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम को प्राप्त हुआ था, जिस पर क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा कार्यवाही की गयी।

वाराणसी शहर के दक्षिणी विधान सभा क्षेत्र के पक्का महाल क्षेत्र वाराणसी शहर हेतु तैयार की गयी जल सम्पूर्ति योजना (प्रायरिटी–1 फेज–2) लागत रु0 86.10 करोड़ जेएनएनयूआरएम कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत है। इस योजना में पीवीसी/एसी पाइप स्वीकृत है, जिनकी कैरिंग कैपेसिटी पहले से अधिक है। पीवीसी/एसी पाइप के स्थान पर कास्ट आयरन पाइप का लगाया जाना योजना में अनुमन्य नहीं है और इसमें लागत मूल्य भी अधिक आयेगा। वाराणसी जल सम्पूर्ति योजना के संवर्धन हेतु वाराणसी जल सम्पूर्ति योजना के संवर्धन हेतु वाराणसी जल सम्पूर्ति (प्रायरिटी 1 फेज 1) लागत रु0 111.02 करोड़ निर्माणाधीन है। दोनों योजनाओं के पूर्ण होने पर क्षेत्र की पेयजल समस्या का समाधान हो जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

आमी नदी के प्रदूषण को समाप्त करने हेतु योजना

24–डा0 राधामोहन दास अग्रवाल–

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आमी नदी के प्रदूषण को समाप्त करने के लिये क्या शासन ने कोई योजना बनायी है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे–

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने हेतु केन्द्र सरकार से विशेष आर्थिक सहायता दिये जाने की मांग

25–डा0 राधामोहन अग्रवाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के अत्यधिक आर्थिक पिछड़ेपन को देखते हुए क्या प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से इस क्षेत्र को विशेष आर्थिक सहायता दिये जाने की मांग की है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है, केन्द्र सरकार ने अब तक इस सन्दर्भ में क्या कार्यवाही की है ?

सुश्री मायावती–

जी हाँ।

केन्द्र सरकार को 80 हजार करोड़ रु0 का पैकेज स्वीकृत करने का प्रस्ताव दिनांक 17 जुलाई, 2007 को प्रस्तुत किया गया था, जिसमें बुन्देलखण्ड, पूर्वान्चल तथा अन्य क्षेत्रों के प्रस्ताव भी सम्मिलित थे। इस पैकेज में पूर्वान्चल क्षेत्र में औद्योगिक विकास करने हेतु अन्य राज्यों की भांति स्पेशल एरिया इन्सेन्टिव पैकेज की व्यवस्था किये जाने के साथ ही रु0 36270.40 करोड़ के प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये थे, जो संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

मद	करोड़ रु0 में
सड़क निर्माण	3700.00
स्वास्थ्य सुविधाएं	2522.69
पेयजल	414.37
बिजली कार्य	3094.90
सिंचाई सुविधा	3991.00
ग्रामीण आवास	4112.83
समाजोत्थान एवं रोजगार कार्यक्रम	8322.94
कृषि एवं संवर्गीय	6101.21
अन्य कार्य	2732.15
ग्राम सभाओं को सुविधायें	1278.31

पैकेज पर केन्द्र सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही की जानकारी राज्य सरकार को नहीं है।

जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र महमूदाबाद के ग्राम शाहगानी की निवासी श्रीमती शालिन्दी देवी को जानमाल की धमकी दिये जाने विषयक–पत्र पर जांच

26–श्री नरेन्द्र सिंह (सीतापुर)–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र महमूदाबाद के विकास खण्ड महमूदाबाद के ग्राम शाहगानी, थाना रामपुर मथुरा की निवासी शालिन्दी देवी पत्नी उत्तम कुमार का गांव के जयपाल पुत्र श्रीकेशन द्वारा जानमाल की धमकी दिये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संलग्नक सहित दिनांक 25–10–2009 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां। प्रकरण की जांच से यह तथ्य सामने आये कि आवेदिका शालिन्दी देवी के पति उत्तम कुमार व विपक्षी जयपाल वर्तमान प्रधान ग्राम सभा ढखवा के मध्य पुरानी रिश्तेदारी व मधुर सम्बन्धों के कारण जयपाल द्वारा महमूदाबाद–रामपुर मथुरा रोड पेट्रोल पम्प के निकट स्थित एक प्लॉट करीब 10 वर्ष पूर्व रहने के लिए दिया गया था तथा वर्ष 2000 में उसमें एक कमरा रहने के लिए बनवा दिया गया। आवेदिका द्वारा उसी प्लॉट के बगल में अपना स्वयं प्लाट खरीद लिया गया।

विपक्षी जयपाल को अपने प्लॉट की आवश्यकता हुई तो उसके द्वारा आवेदिका से अपना प्लॉट खाली करने के लिए कहा गया, जिस पर आवेदिका द्वारा प्लॉट खाली करने से मना करते हुए लड़ाई–झगड़ा किया गया तथा अपना सामान दिनांक 14–10–09 को अपने प्लॉट में रख लेने की बात प्रकाश में आयी। जांच से आवेदिका के पति उत्तम को मारने–पीटने व उसके घर से सामान उठा ले जाने की पुष्टि नहीं हुई। उभय पक्षों के मध्य विवाद को दृष्टिगत रखते हुए स्थानीय पुलिस द्वारा दोनों पक्षों के विरुद्ध धारा–107/116 द0प्र0सं0 की निरोधात्मक कार्यवाही की जा चुकी है।

यूनानी चिकित्सालयों में चिकित्सकों की नियुक्ति की मांग

27–डा0 अजय तोमर–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यूनानी चिकित्सा पद्धति के स्नातक चिकित्सकों को यूनानी चिकित्सालयों में खाली पदों पर नियुक्ति करने की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी वर्मा–

जी हाँ। यूनानी चिकित्सालयों में चिकित्साधिकारियों के पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने हेतु 62 पदों का अधियाचन लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 को भेजा गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

छठे वेतनमान में पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण संबंधी शासनादेश का कार्यान्वयन

28–डा० राधामोहन दास अग्रवाल–

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि छठें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करते हुए दिनांक 01–01–2006 से वेतन के अन्तर के एरियर के भुगतान हेतु शासनादेश जारी कर दिया गया है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो शासनादेश अभी तक जारी न करने के क्या कारण हैं ?

श्री लाल जी वर्मा–

जी हाँ।

दिनांक 01–01–2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण विषयक शासनादेश दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 के प्रस्तर–12 में निम्नानुसार व्यवस्था की गयी है :–

1–दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 को देय वेतन (भुगतान 01 जनवरी, 2009 को देय) तथा महंगाई भत्ते का भुगतान नकद किया जायेगा।

2–दिनांक 01 जनवरी, 2006 से दिनांक 30 नवम्बर, 2008 तक के देय अवशेष का, 20 प्रतिशत भाग वित्तीय वर्ष–2008–09 में, 40 प्रतिशत भाग वित्तीय वर्ष 2009–10 में तथा शेष 40 प्रतिशत का भुगतान वित्तीय वर्ष 2010–11 में किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति के साथ प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री श्री शैलेष कुष्ण के साथ हुंयी बैठक में लिये गये निर्णय

29–डा0 राधामोहन दास अग्रवाल–

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री श्री शैलेष कृष्ण के साथ दिनांक 01 फरवरी, 2009 को हुई बैठक में उत्तर प्रदेश कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति के साथ नगरों के वर्गीकरण ग्रेड–पे के स्थान पर मूल वेतन के प्रतिशत के आधार पर मकान किराया भत्ता, नगर प्रतिकर भत्ता, परिवहन भत्ता तथा शिशु शिक्षा भत्ता दिये जाने पर विचार करने का आश्वासन दिया गया था ? यदि हां, तो उक्त विषयों पर सरकार द्वारा अभी तक की गयी कार्यवाही का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी वर्मा–

जी नहीं। बैठक में भारत सरकार की भांति नगर प्रतिकर भत्ता हेतु नगरों का वर्गीकरण किये जाने एवं दरों के पुनरीक्षण पर विचार करने, मकान किराया भत्ता ग्रेड पे के स्थान पर मूल वेतन के आधार पर दिये जाने सहित भारत सरकार के समान नगरों का वर्गीकरण करने तथा नगर प्रतिकर भत्ता के स्थान पर परिवहन भत्ता प्रदान करने के सम्बन्ध में यथासमय विचार करने का आश्वासन दिया गया था।

राज्य की अर्थोपाय स्थिति एवं विकास सम्बन्धी प्रतिबद्धताओं को दृष्टिगत रखते हुए नगरों के वर्गीकरण सहित मकान किराया भत्ता एवं नगर प्रतिकर भत्ता की दरों में परिवर्तन तथा परिवहन भत्ता स्वीकृत करने का औचित्य नहीं पाया गया। शिशु शिक्षा भत्ता की अनुमन्यता के सम्बन्ध में वेतन समिति की संस्तुतियों प्राप्त होने के उपरान्त ही विचार किया जा सकेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश के राज्याधीन सेवाओं में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को वेतन बैण्ड–1 में रखे जाने का प्रकरण

30–डा0 राधामोहन दास अग्रवाल–

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के राज्याधीन सेवाओं में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को वेतन बैण्ड–I में रखे जाने का प्रकरण सरकार के विचाराधीन है ? यदि

हां, तो सरकार इन्हें कब तक वेतन बैण्ड–I की सुविधाएं प्रदान कर देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी वर्मा–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों के परिप्रेक्ष्य में वेतन समिति–2008 का गठन किया गया है। वेतन समिति की संस्तुतियों के क्रम में विभिन्न श्रेणी के कार्मिकों, जिनमें चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी भी शामिल हैं, को पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड/ग्रेड वेतन अनुमन्य कराया जा चुका है। उक्त समिति की विभिन्न श्रेणी के पदों, जिनमें चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी भी शामिल हैं, से सम्बन्धित पदवार/संवर्ग वार संस्तुतियां प्राप्त होने के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा यथोचित निर्णय लिया जायेगा।

जनपद गोरखपुर के विभिन्न नालों के तल्लीझार सफाई कार्य पर हुये व्यय

31–डा0 राधामोहन दास अग्रवाल–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर नगर निगम द्वारा वर्ष 2006–07, 2007–08, 2008–09 तथा 2009–10 में महानगर के विभिन्न नालों की तल्लीझार सफाई के लिये अलग–अलग कितना धन व्यय किया गया है ? क्या नगर निगम की तल्लीझार सफाई न होने के संदर्भ में शिकायतें प्राप्त हुयी हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे–

जनपद गोरखपुर के विभिन्न नालों के तल्लीझार सफाई कार्य पर हुये व्यय का वर्ष वार विवरण निम्नवत् हैं :–

वर्ष 2006–07–54 लाख लगभग

वर्ष 2007–08–60 लाख लगभग

वर्ष 2008–09–80 लाख लगभग

वर्ष 2009–10–60 लाख लगभग

(जनवरी 2010 तक)

जी हां।

मौके पर सफाई दल भेजकर शिकायतों का निस्तारण कराया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर नगर निगम के अन्तर्गत स्थापित नलकूप व पानी की टंकिया

32–डा0 राधामोहन दास अग्रवाल–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर नगर निगम के अन्तर्गत किन–किन क्षेत्रों में कितनी क्षमता के कितने ट्यूबवेल/पानी की टंकियां स्थापित हैं ? इन ट्यूबवेल/पानी की टंकियों के रख–रखाव हेतु नगर निगम द्वारा वर्ष 2007–08 तथा 2008–09 में किये गये व्यय का अलग–अलग विवरण क्या है ?

श्री नकुल दुबे–

गोरखपुर नगर निगम के अन्तर्गत कुल 88 नग नलकूप स्थापित हैं जिनका कुल श्राव 84050 ली0/मिनट है तथा 17 नग पानी की टंकियां स्थापित हैं जिनका विवरण निम्न है :–

क्रमांक	क्षेत्र का नाम जिसमें जलाशय निर्मित है	क्षमता कि0ली0 में
1	जलकल परिसर	910
2	मोहद्दीपुर	450
3	महादेव झारखण्डी	450
4	बशारतपुर	2250
5	शाहपुर आवास विकास कालोनी	200
6	विष्णु मंदिर शाहपुर	225
7	मुंशी प्रेम चन्द्र पार्क	100
8	हनुमान मंदिर के पीछे बेतियाहाता	2250
9	लालडिग्गी	675
10	गोरखनाथ मंदिर परिसर	113
11	सूरजकुण्ड कालोनी	230
12	सूर्य विहार कालोनी	230
13	सुभाष चन्द्र कालोनी	230
14	शास्त्रीपुरम	230
15	राप्तीनगर	500
16	जलकर परिसर सी0डब्लू0आर0	1350
17	खूनीपुर	2250
	कुल क्षमता	12643

नगर निगम गोरखपुर द्वारा इन ट्यूबवेल/पानी की टंकियों के रख–रखाव हेतु वर्ष 2007–08 में रु0 183.057 लाख एवं वित्तीय वर्ष 2008–09 में रु0 308.741 लाख की धनराशि व्यय की गयी है।

बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज गोरखपुर स्थित ब्लड बैंक में मानक के अनुसार सुविधायें उपलब्ध कराने की मांग

33–डा0 राधामोहन दास अग्रवाल–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर में ब्लड बैंक के 24 घण्टे संचालन हेतु ब्लड बैंक में मानक के अनुसार सभी सुविधायें उपलब्ध हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार मानक के अनुसार सभी सुविधाओं को उपलब्ध करायेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी वर्मा–

बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर स्थित ब्लड बैंक में वर्तमान में मानक के अनुसार सभी सुविधायें उपलब्ध नहीं है। सीमित/उपलब्ध संसाधनों द्वारा ब्लड बैंक 24 घंटे निरन्तर चलाया जा रहा है।

मानक के अनुसार पद सृजित नहीं है।

मानक के अनुसार आवश्यक पदों के सृजन का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जो विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मैनपुरी के ब्लाक बेवर के राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत कराये गये कार्य व व्यय की गई धनराशि

34–श्री आलोक कुमार शाक्य–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–मैनपुरी के ब्लाक बेवर में नरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2008–09 के माह अक्टूबर, 2009 तक कितना धन खर्च किया गया एवं कौन–कौन से कार्य कराये गये ?

श्री दद्दू प्रसाद–

जनपद–मैनपुरी के विकास खण्ड–बेबर में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत वर्ष 2008–09 के माह अक्टूबर, 2009 तक कराये गये कार्य एवं खर्च की गयी धनराशि का विवरण निम्नवत् है :–

कार्य का नाम	कार्य की सं0	व्यय धनराशि
जल संरक्षण एवं जल एकत्रीकरण	103	150.68
वनारोपड़ सहित सूखा रोधन	67	77.63
परम्परागत निकायों का पुनरूद्धार	154	137.90
पौध रोपड़ सहित भूमि विकास	65	17.33
बाढ़ नियंत्रण एवं सुरक्षा	265	114.35
ग्रामीण सम्पर्कता (सड़क)	365	237.75
कुल कार्य–	1019	735.64

गोरखपुर नगर निगम द्वारा कराये गये विकास कार्यों का वार्डवार विवरण

35–डा0 राधामोहन दास अग्रवाल–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर नगर निगम द्वारा विभिन्न स्रोतों से प्राप्त धन द्वारा वित्तीय वर्ष 2007–08 तथा 2008–09 में अलग–अलग वार्डों में कराये गये विकास कार्यों का वार्डवार विवरण क्या है ? इनमें से कितने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता के संदर्भ में नगर निगम को शिकायतें प्राप्त हुयी हैं तथा इन पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे–

वर्ष 2007–08 तथा वर्ष 2008–09 में विभिन्न वार्डों में कराये गये कार्यों का विवरण संलग्न हैं ।

अभियंत्रण विभाग के 04 निर्माण कार्यों की गुणवत्ता के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुई थी। एक ठेकेदार को कार्य की गुणवत्ता ठीक न होने के कारण ब्लैक लिस्ट कर दिया गया था। ठेकेदार द्वारा खराब कार्य को ठीक कराया गया तथा उसके ऊपर अर्थदण्ड भी लगाया गया। 03 कार्यों पर शिकायत प्राप्त होने पर ठेकेदार/एजेन्सी को नोटिस दी गयी। ठेकेदार द्वारा कार्य को ठीक करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत में महिला थाना की स्थापना पर विचार

36–चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–बागपत में महिला थाना खोले जाने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जनपद बागपत में महिला थाना की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

कान्सटेबुल स्व0 इन्द्रपाल सिंह के आश्रित को पेंशन दिये जाने की मांग

37–चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कान्सटेबुल स्व0 इन्द्रपाल सिंह निवास–345, पुलिस लाइन, आगरा के आश्रित को पुलिस सेवा नियमावली, 1961 के प्रथम संशोधन (34 नियम–3) के अन्तर्गत पेंशन स्वीकृत की गई है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं। प्रस्ताव विचारोपरान्त अस्वीकृत किया जा चुका है।

जिला बागपत, ग्राम बोपरा निवासी मैनुद्दीन की मृत्यु होने से आर्थिक सहायता दिये जाने विषयक–पत्र

38–चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का आपको सम्बोधित पत्र दिनांक 20–2–08, जो निर्वाचन क्षेत्र बरनावा ग्राम बोपरा जिला–बागपत निवासी मैनुद्दीन पुत्र हकीमुद्दीन की कुएं में मिट्टी से दबने के कारण मृत्यु होने एवं उक्त परिवार को 1,00,000/– रु0 की आर्थिक सहायता दिये जाने विषयक था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त मृतक परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान कर दी गई ? यदि हां, तो कितनी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां।

---

[1] (देखिये नत्थी ख आगे पृष्ठ पर 245–247 पर।)

शासनादेश संख्या–एफ–50/मुमका–4/08, दिनांक 18–8–2008 द्वारा 12,000/– (रु0 बारह हजार मात्र) की सहायता स्वीकृत की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

बुलन्दशहर नगर के मोहल्ला साठा में भूतेश्वर मन्दिर से शमशान घाट तक अवैध कब्जा हटाकर पक्की सड़क के निर्माण की मांग

39–श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–बुलन्दशहर के नगरपालिका परिषद् बुलन्दशहर में भूतेश्वर मन्दिर शमशान घाट तथा भूतेश्वर मन्दिर शमशान को जाने वाले रास्ते से अवैध कब्जा हटवाकर पक्की सड़क का निर्माण कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे–

बुलन्दशहर नगर के मौहल्ला साठा में भूतेश्वर मन्दिर से शमशान घाट तक सड़क का निर्माण कार्य नगर पालिका परिषद् बुलन्दशहर द्वारा न कराकर बुलन्दशहर विकास प्राधिकरण द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है। जहां तक अवैध कब्जे को हटाने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उक्त सड़क पर आरा मशीन वाले लकड़ियां सड़क के किनारे रख देते हैं, जिन्हें समय-समय पर हटवा दिया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

नगरपालिका परिषद्, बुलन्दशहर में कचरा बढ़ने का स्थायी समाधान करने हेतु योजना की जानकारी

40–श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद–बुलन्दशहर के अन्तर्गत नगरपालिका परिषद् बुलन्दशहर में तेजी से आबादी बढ़ने के कारण तेजी से कचरा भी बढ़ रहा है, परन्तु उसका स्थाई समाधान नहीं किया गया ? क्या सरकार इस समस्या का स्थाई समाधान करने हेतु प्रभावी योजना बनाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे–

जी हां।

शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी0 योजना के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद, बुलन्दशहर को सम्मिलित किया गया है। योजनान्तर्गत नगर पालिका परिषद बुलन्दशहर की ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन की योजना अनुमानित लागत रु0 1767.70 लाख की तैयार कर ली गयी है। भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने पर योजना क्रियान्वित की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मैनपुरी की ग्राम सभा टिकुसुरी, विकास खण्ड जागीर में नरेगा के अन्तर्गत कराये कार्य एवं निर्गत धनराशि

41—श्री आलोक कुमार शाक्य—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद—मैनपुरी ग्रा0 टिकुसुरी ब्लाक जागीर के वर्तमान प्रधान द्वारा वर्ष 2008 से नवम्बर, 09 तक नरेगा के अन्तर्गत कराये गये कार्यों एवं निर्गत धनराशि का विवरण क्या है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि नरेगा की मजदूरी हेतु कार्ड धारक मजदूरों के नाम, पते क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ददू प्रसाद—

जनपद—मैनपुरी के ग्राम सभा टिकुसुरी, विकास खण्ड—जागीर में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत वर्ष 2008—09 में 6,14,000.00 धनराशि प्राप्त हुई थी, जिसके सापेक्ष 4,88,776.00 रु0 धनराशि उपभोग की गयी एवं वर्ष 2009—10 में 2,60,200.00 धनराशि प्राप्त हुई है। वर्ष 2008—09 की अवशेष एवं 2009—10 की प्राप्त धनराशि के सापेक्ष माह नवम्बर, 2009 तक 2,92,000.00 रु0 की धनराशि उपभोग की गयी है (विवरण संलग्न है)†

ग्राम सभा टिकुसुरी, विकास खण्ड—जागीर में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना प्रारम्भ से अब तक कुल 279 जॉब कार्ड बनाये गये है। (सूची संलग्न†उपरोक्तानुसार)।

† छापी नहीं गयी।

जनपद इलाहाबाद के डी0आर0डी0ए0 में कार्यरत कार्मिकों का वेतन छठे वेतन आयोग के सापेक्ष उच्चीकरण पर विचार

42—श्री जोखू लाल यादव—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के डी0आर0डी0ए0 में कार्यरत कार्मिकों का वेतन छठवें वेतन आयोग की सिफारिशों के सापेक्ष उच्चीकरण करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ददू प्रसाद—

जी हाँ।

प्रकरण विचाराधीन है।

उ0प्र0 पुलिस रेडियो विभाग में सीधी भर्ती के रेडियों केन्द्र अधिकारी के पद हेतु आयोजित परीक्षा के परिणाम की जानकारी

43—श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव—

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि उ0प्र0 पुलिस रेडियो विभाग में सीधी भर्ती के रेडियो केन्द्र अधिकारी के पद हेतु दिनांक 6 अगस्त, 2006 को प्रारम्भिक परीक्षा आयोजित की गयी थी और तत्पश्चात् सफल परीक्षार्थियों की शारीरिक दक्षता एवं नाप हेतु लखनऊ में दिनांक 27—11—2006 को परीक्षा हुई थी ? यदि हां, तो क्या इस पद हेतु मुख्य लिखित परीक्षा 28 फरवरी, 2007 को लखनऊ में हुई थी ? यदि हां, तो क्या उक्त परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हाँ।

जी हाँ।

जी नहीं।

प्रकरण शासन के विचाराधीन है।

नगर के मा0 विधायकों की संस्तुति पर इण्डिया मार्का–2 हैण्ड पम्प लगाये जाने की व्यवस्था की जानकारी

44–श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि पेयजल की समस्या के निदान हेतु नगर विधायकों की संस्तुति पर 150 इण्डिया मार्का–2 हैण्ड पम्प लगाने की व्यवस्था की गयी थी जिसे वर्तमान सरकार द्वारा समाप्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार पेयजल समस्या के निदान हेतु नगर के मा0 विधायकों की संस्तुति पर पूर्व की भांति इण्डिया मार्का–2 हैण्ड पम्प लगाये जाने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे–

जी नहीं नगरीय क्षेत्र में रिवाल्विंग फण्ड से ऋण का प्रस्ताव संबंधित निकाय से प्राप्त होने पर हैण्डपम्प लगाने की व्यवस्था थी। इस व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ में स्थित पुराने ऐशबाग वाटर वर्क्स का जीर्णोद्धार

45–श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित पुराने ऐशबाग वाटर वर्क्स का जीर्णोद्धार किया जायेगा तथा वाटर वर्क्स में बने हुए चारों सेटलिंग वाटर टैंक को तार की जालियों से ढका जायेगा ताकि इसमें कोई जीव जन्तु न गिर सके ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे–

जी हाँ। सेटलिंक वाटर टैंक को तार की जालियों से नहीं ढका जायेगा क्योंकि तकनीकी रूप से एवं अनुरक्षण हेतु ऐसा करना व्यावहारिक नहीं है। सुरक्षा हेतु लोहे की रेलिंग की मरम्मत का कार्य प्रस्तावित है।

लखनऊ स्थित ऐशबाग पम्पिंग स्टेशन की सेटेलिंग टैंक को लोहे की जाली से ढकने की व्यवस्था की मांग

46–श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ स्थित ऐशबाग पम्पिंग स्टेशन के सेटेलिंग टैंक में दिनांक 4–6–09 की एक युवक की डूबने से मौत हो गयी है ? यदि हां, तो

क्या सरकार सेटेलिंग टैंक की लोहे की जाली से ढकने की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे–

जी हाँ।

जी नहीं। सेटेलिंग टैंक को तार की जालियों से ढका जाना तकनीकी रूप से एवं अनुश्रवण कार्य करने की दृष्टि से उचित नहीं है। सुरक्षा हेतु लोहे की रेलिंग की मरम्मत का कार्य जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना में प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश में होमगार्डों में दैनिक वेतन भत्ते में बढ़ोत्तरी पर विचार

47–श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव–

क्या होमगार्ड्स मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 में होमगार्डों के दैनिक वेतन भत्ते में बढ़ोत्तरी करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

होमगार्ड्स एवं प्रान्तीय रक्षा दल मंत्री–(श्री वेदराम भाटी)–

उत्तर

जी हाँ।

होमगार्ड्स स्वयं सेवकों का दैनिक भत्ता 01 अप्रैल, 2010 से बढ़ाये जाने का निर्णय लिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

48–श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव–

[3सरे मंगलवार के अतारांकित प्रश्न सं0 01 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश के जनपदों में मुख्य अग्निशमन अधिकारियों के रिक्त पद

49–श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मुख्य अग्निशमन अधिकारियों के कितने पद किन–किन जिलों में रिक्त है? क्या सरकार की इनको भरने की कोई योजना है? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हाँ, प्रदेश के निम्न 29 जनपदों में मुख्य अग्निशमन अधिकारियों के पद रिक्त है :–

फिरोजाबाद/कांसीरामनगर/शाहजहांपुर/बदायूं/पीलीभीत/रामपुर/बुलन्दशहर/मुजफ्फरनगर/फर्रूखाबाद (फतेहगढ़)/ जालौन /ललितपुर /हरदोई /खीरी /उन्नाव/ अम्बेडरकरनगर/बाराबंकी/आजमगढ़/बलिया/मऊ/जौनपुर/गाजीपुर/सोनभद्र/देवरिया/ कुशीनगर/बस्ती/बलरामपुर/बहराइच/चित्रकूट/हमीरपुर।

जी हाँ, उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद का मुख्य अग्निशमन अधिकारी के सीधी भर्ती के 26 रिक्तियों को भरे जाने के लिए चयन कर नियुक्ति हेतु संस्तुति उपलब्ध कराये जाने हेतु अधियाचन प्रेषित है। सीधी भर्ती के 02 मुख्य अग्निशमन अधिकारियों के नियुक्ति की

संस्तुति चयनोपरान्त उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद से प्राप्त हो गयी है? जिनकी नियुक्ति की कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

50—श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव—

[3सरे मंगलवार के अतारांकित प्रश्न सं0 97 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

लखनऊ बालागंज में वाटर वर्क्स की क्षमता बढ़ाये जाने की मांग

51—श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ में पेयजल की स्थिति को सुधारने के लिये बालागंज स्थित वाटर वर्क्स की क्षमता बढ़ाई जायेगी? यदि हां, तो उसके लिये क्या योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे—

जी हाँ।

जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत बालागंज वाटर वर्क्स की क्षमता से 100 एमएलडी की वृद्धि करने की कार्य योजना हैं

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कानपुर नगर के अनवरगंज थाने के बाहर अतिक्रमण हटाने की मांग

52—श्री संजीव दरियाबादी—

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद—कानपुर नगर के अनवरगंज थाने के बाहर अतिक्रमण करके सालों से कई वाहन स्थाई रूप से खड़े कर दिये गये हैं ? जिससे यातायात अवरुद्ध रहता है ? यदि हां, तो अनवरगंज थाने के बाहर खड़े वाहनों को कब तक हटा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती—

जनपद कानपुर नगर के थाना अनवरगंज के सामने रोड के किनारे खड़े कीमती चार पहिया वाहन थाने के अभियोगों से संबंधित माल मुकदमाती है, जिन्हें थाना परिसर में रखने की अन्य कोई व्यवस्था न होने के कारण सुरक्षा के दृष्टिकोण से थाने के बाहर सड़क के किनारे खड़ा किया गया है। इन वाहनों के कारण यातायात अवरुद्ध नहीं है।

संबंधित अभियोगों के निस्तारण के पश्चात् ही इन वाहनों का निस्तारण किया जाना सम्भव हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर नगर में बन्द हो रहे सिनेमा उद्योग को बचाने की कार्य योजना

53—श्री संजीव दरियाबादी—

क्या कर एवं निबन्धन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर में मई, 1996 से लेकर सितम्बर, 2009 तक कितने सिनेमा गृह बन्द हो गये हैं एवं इनके बन्द होने के कारण क्या हैं ? क्या सरकार कानपुर में बन्द हो रहे सिनेमा उद्योग को बचाने के लिये कोई ठोस योजना बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे–

जी हाँ। जनपद कानपुर नगर में मई, 1996 से सितम्बर, 2009 तक कुल 09 सिनेमा गृह व्यापार में आर्थिक घाटे, समय से लाइसेन्स का नवीनीकरण न कराने एवं लाइसेन्स समर्पित करने के कारण बन्द हुए हैं।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

54–श्री संजीव दरियाबादी–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जनपद इलाहाबाद की विधान सभा प्रतापपुर के अन्तर्गत कतिपय ग्रामों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की मांग

55–श्री जोखू लाल यादव–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद की विधान सभा प्रतापपुर के अन्तर्गत बेलाखास, नेवादा जंघई, वृन्दावन, विकास खण्ड–प्रतापपुर तथा मैलहन, मैलवन एवं सरवाडीह, वि0खं0–फूलपुर आदि ग्रामों में इण्डिया मार्का-II हैण्डपम्प से खारा पानी निकलता है ? यदि हां, तो क्या सरकार वहां के निवासियों के लिये इण्डिया मार्का-II हैण्डपम्प की डीप बोरिंग कराकर शुद्ध पेयजल उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ददद्दू प्रसाद–

जी हाँ।

इन क्षेत्रों हेतु गहरे नलकूप बनाकर पाइप पेयजल से आपूर्ति किये जाने के लिए सर्वेक्षण व ार्य प्रारम्भ किया जा रहा है।

योजना स्वीकृत होने के पश्चात् इसके निर्माण में 02 वर्ष का समय लगेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी स्थित दुर्गा मन्दिर सर्वजीतपुर के सौन्दर्यीकरण हेतु कराये गये कार्य

56–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी स्थित दुर्गा मंदिर सर्वजीतपुर को जिला योजना वर्ष 2003–04 में सौन्दर्यीकरण हेतु रु0 7.28 लाख सी0एन0डी0एस0 यूनिट–10 जल निगम को उपलब्ध कराया गया है ? यदि हां, तो सरकार उक्त धनराशि से क्या–क्या कार्य करायेगी ? क्या सरकार मन्दिर का गुंबद एवं चहार दीवारी सहित अन्य कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री विनोद सिंह)–

जी हाँ।

उक्त धनराशि से आगणन में प्राविधानित कार्य मंदिर के चारों तरफ बरामदा, फर्श में कोटा एवं मार्बल स्टोन लगाना, ग्रील लगाना एवं पेन्टिंग का कार्य कराये जाने थे। आगणन में प्राविधानित समस्त कार्यों को पूर्ण कर दिया गया है।

जी नहीं।

आगणन में गुम्बद एवं चहारदीवारी का कार्य कराये जाने का प्राविधान नहीं था।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

57–श्री उदयभान करवरिया–

[एक से अधिक विभागों से सम्बद्ध होने के कारण निरस्त]

जे0एन0यू0आर0एम0 योजना के अन्तर्गत लखनऊ के वार्डों में सीवर लाईन डालने का कार्य

58–श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जे0एन0यू0आर0एम0 योजना के अन्तर्गत लखनऊ में कुछ वार्डों में सीवर लाइनें डाली जा रही हैं ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि उक्त सीवर लाइन डालने में जो पाइप उपयोग में लाये जा रहे हैं वे छः इंच व्यास के हैं ? यदि हां, तो क्या यह मानक के अनुरूप हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इन पाइपों को बदलकर कम से कम 10 इंच व्यास के पाइप डालने के आदेश देगी ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे–

जी हाँ। वर्तमान में लखनऊ सीवरेज डिस्ट्रिक्ट–1 के अन्तर्गत 09 वार्डों में सीवर लाइन डाली जा रही है।

उक्त क्षेत्रों में 150 मि0मी0 (6") व्यास से लेकर 1800 मि0मी0 व्यास तक की सीवर लाइन डाली जा रही है।

जी हाँ, मानक के अनुरूप हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

59–श्री नरेन्द्र सिंह (सीतापुर)–

[3सरे मंगलवार के अतारांकित प्रश्न सं0–96 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

रायबरेली के सभी पुलिस स्टेशनों में पंजीकृत अवस्क अनुसूचित जाति व जनजाति की लड़कियों की अपहरण, बलात्कार, हत्या की घटनायें

60–श्री राजाराम त्यागी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रायबरेली के सभी पुलिस स्टेशनों में गत एक जनवरी, 2008 से 31 अक्टूबर, 2009 तक के मध्य कितनी अवयस्क अनु0 जाति व जनजाति की लड़कियों के अपहरण, बलात्कार व हत्याओं की घटनायें पंजीकृत हुई ? उक्त जनपद के महराजगंज बछरावां शिवगढ़ तथा शिवरतनगंज थानों में इनका विवरण क्या है ? क्या अपहरित लड़कियों को पुलिस ने बरामद किया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जनपद रायबरेली के सभी पुलिस स्टेशनों में गत 01 जनवरी, 2008 से 31 अक्टूबर, 2009 तक के मध्य अवयस्क अनुसूचित जाति व जनजाति की लड़कियों के अपहरण की, कुल 04, बलात्कार 13 तथा हत्या में शून्य घटनायें पंजीकृत हुई है।

जनपंद के महराजगंज में अपहरण की 01 घटना, बलात्कार व हत्या की घटनाएं शून्य है। थाना बछरांवा, थाना शिवगढ़ व थाना शिवरतनगंज में अपहरण, बलात्कार व हत्याओं की घटनाएं पंजीकृत नहीं हुई हैं।

सभी अपहरित लड़कियों को पुलिस ने बरामद किया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ की नगर पंचायत, पट्टी में क्षतिग्रस्त पक्के सी0सी0 मार्ग एवं नालियां

61–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–प्रतापगढ़ की नगर पंचायत, पट्टी में अधिकांश पक्के, सी0सी0 मार्ग एवं नालियां क्षतिग्रस्त हैं? क्या क्षतिग्रस्त नाली एवं मार्ग के मरम्मत का प्रस्ताव वर्तमान वित्तीय वर्ष में पारित कराकर निर्माण कार्य पूरा करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे–

जी नहीं। 74वें संविधान संशोधन के पश्चात नागर निकायों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास का दायित्व नगरीय निकायों का है। नागर निकायें राज्य वित्त आयोग व 12वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अंतरण से दी जाने वाली धनराशि, स्वयं द्वारा अर्जित किए गए संसाधनों आदि से निकाय की सीमा के अन्तर्गत अवस्थापना सुविधाओं के कार्य कराती है। उक्त के अतिरिक्त नगर पंचायत, पट्टी को आदर्श नगर योजनान्तर्गत 20 सड़क निर्माण कार्यों हेतु शासनादेश संख्या–3115/नौ–5–08–121बजट/08टीसी, दिनांक 22.08.2008 द्वारा रु0 50.00 लाख की धनराशि प्रथम किश्त के रूप में स्वीकृत की गयी है। समस्त कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी में मुन्सिफ न्यायालय खोलने की योजना

62–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–प्रतापगढ़ की तहसील, पट्टी में मुन्सिफ न्यायालय खोलने की सरकार की योजना है ? यदि हां, तो उक्त न्यायालय कब तक खोल दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

रूरे शहीद स्थल, पट्टी प्रतापगढ़ में महोत्सव के आयोजन हेतु प्रति वर्ष बजट की मांग

63–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रूरे शहीद स्थल के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुये क्या सरकार पट्टी, प्रतापगढ़ में महोत्सव के आयोजन हेतु प्रति वर्ष बजट की स्वीकृति प्रदान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विनोद सिंह–

जी नहीं। क्योंकि यह महोत्सव पर्यटन विभाग के चिन्हित महोत्सव में सम्मिलित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के नगर पंचायत क्षेत्र पट्टी को आदर्श नगर पंचायत घोषित किये जाने सम्बन्धी जानकारी

64–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–प्रतापगढ़ के नगर पंचायत क्षेत्र पट्टी को आदर्श नगर पंचायत घोषित किया गया था ? यदि हां, तो उस पर अनुमन्य कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे–

जनपद प्रतापगढ़ की नगर पंचायत क्षेत्र पट्टी को आदर्श पंचायत घोषित नहीं किया गया था, अपितु राज्य सरकार द्वारा संचालित "आदर्श नगर योजना" के अन्तर्गत वर्ष 2008 में नगर पंचायत, पट्टी का चयन किया गया था। चयन के उपरान्त निकाय के अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु शासनादेश संख्या–3115/नौ–5–08–12बजट/08टीसी, दि0 22–08–2008 द्वारा रु0 50.00 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी थी। निकाय द्वारा स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष चिन्हित कार्यों को करा लिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

गढ़मुक्तेश्वर को धार्मिक व पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना

65–डा0 अजय तोमर–

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के विभाजन के उपरान्त हरिद्वार जिले के उत्तराखण्ड में चले जाने के दृष्टिगत गंगा नदी के तट पर स्थित गढ़मुक्तेश्वर को धार्मिक व पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की कोई कार्य योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विनोद सिंह–

किसी स्थल का धार्मिक स्थल के रूप में विकास किए जाने की पर्यटन विभाग की नीति नहीं है। गढ़मुक्तेश्वर–ब्रजघाट में पर्यटन सम्बन्धी सुविधाएं सुलभ कराने की दृष्टि से वर्ष 2002–03 में राज्य योजना के अन्तर्गत रु0 100.47 लाख, वर्ष 2003–04 से जिला योजना के अन्तर्गत रु0 39.46 लाख तथा वर्ष 2004–05 में जिला योजना के अन्तर्गत रु0 1.32 लाख की धनराशि से पर्यटन विकास एवं सौन्दर्यीकरण के कार्य कराये गये हैं।

वर्ष 2005–06 में स्वीकृत केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत गढ़मुक्तेश्वर–ब्रजघाट के पर्यटन विकास हेतु स्वीकृत रु0 457.90 लाख की योजना कार्यान्वित की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मैनपुरी के थानों में पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति व अल्पसंख्यक के थानाध्यक्ष एवं कोतवाली प्रभारी की तैनाती

66–श्री आलोक कुमार शाक्य–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–मैनपुरी के किन–किन थानों अथवा कोतवाली में पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति व अल्पसंख्यक के थानाध्यक्ष एवं कोतवाली प्रभारी

की तैनाती की गयी है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त जनपद–के थानों तथा कोतवाली में आरक्षण के अनुसार तैनाती करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जनपद–मैनपुरी के 14 थानों में से 07 थानों क्रमशः कोतवाली मैनपुरी, भोगांव व करहल तथा थाना किशनी, औछा, बिछुवा तथा महिला थाना में अनुसूचित जाति एवं 03 थानों क्रमशः कुरावली, बरनाहल व एलाऊ में अन्य पिछड़ी जाति के थानाध्यक्ष तैनात हैं। जनपद में अल्पसंख्यक समुदाय से कोई थानाध्यक्ष/कोतवाली प्रभारी नियुक्त नहीं हैं। शासनादेश दिनांक 18–5–2007 के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित 27 प्रतिशत कोटे में अल्पसंख्यक समुदाय के थानाध्यक्ष/कोतवाली प्रभारी भी शामिल हैं। इस प्रकार जनपद में आरक्षण का कोटा पूर्ण है।

प्रदेश की हिन्डन व कृष्णा नदी के प्रदूषित जल की रोकथाम हेतु उपाय

67–डॉ0 अजय तोमर–

क्या पर्यावरण मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश की हिन्डन नदी व कृष्णा नदी का जल प्रदूषित हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी रोकथाम हेतु कोई उपाय करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे–

जी हाँ।

प्रदेश में हिण्डन नदी में सीधे उत्प्रवाह निस्तारित करने वाली कुल 28 प्रदूषणकारी इकाईयां उद्योगों की श्रेणी में चिन्हित हैं, इन इकाईयों में आवश्यक उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित किये गये हैं।

हिण्डन नदी में काली नदी (पश्चिम) के माध्यम से कुल 37 प्रदूषणकारी औद्योगिक इकाईयों का उत्प्रवाह निस्तारित होता है। समस्त इकाईयों में आवश्यक उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित किये गये हैं।

कृष्णा नदी के कैचमेन्ट क्षेत्र में कुल 10 प्रदूषणकारी औद्योगिक इकाईयां चिन्हित हैं, इन समस्त इकाईयों में आवश्यक उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित किये गये हैं।

उक्त सभी औद्योगिक इकाईयों में स्थापित प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं का संतोषजनक संचालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नियमित अनुश्रवण किया जा रहा है।

घरेलू उत्प्रवाह के शोधन हेतु जल निगम द्वारा सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट की स्थापना कर संचालन एवं अनुश्रवण किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

इलाहाबाद मेडिकल कालेज के विभिन्न विभागों के लिये स्वीकृत शैक्षिक पदों के सापेक्ष रिक्त पद

68–श्री जोखू लाल यादव–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद मेडिकल कालेज के विभिन्न विभागों के लिये स्वीकृत शैक्षिक पदों के सापेक्ष कितने पद रिक्त हैं ? क्या सरकार रिक्त पदों पर नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी वर्मा–

मेडिकल कालेज, इलाहाबाद में विभिन्न विभागों में स्वीकृत 148 शैक्षिक पदों के सापेक्ष 31 पद रिक्त हैं।

जी हाँ।

नियुक्ति की कार्यवाही एक सतत प्रक्रिया है, अतः समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

प्रश्न नहीं उठाता।

जनपद मैनपुरी, विधान सभा क्षेत्र भोगांव में खराब हैण्डपम्पों को रिबोर कराने की मांग

69–श्री आलोक कुमार शाक्य–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–मैनपुरी के विधान सभा क्षेत्र भोगांव में वर्तमान में खराब इण्डिया मार्का–2 हैण्ड पम्पों को रिबोर कराने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद–

जी हां। विधान सभा क्षेत्र भोगांव में सर्वेक्षण में पाये गये 189 स्थाई रूप से खराब हैण्डपम्प को वर्ष 2009–10 में रिबोर करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत की तहसील बागपत व बड़ौत के ग्रामों में पेयजल समस्या के निदान पर विचार

70–डा0 अजय तोमर–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत की तहसील बागपत व बड़ौत में खारे दूषित एवं आर्सेनिक युक्त पानी की समस्या से ग्रस्त ग्रामों का विवरण क्या शासन में उपलब्ध है ? यदि हां तो क्या सरकार, कोई कार्य योजना बनाकर इन गांवों की पेयजल समस्या का निदान करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद–

जनपद बागपत की तहसील बागपत व बड़ौत में आर्सेनिक से प्रभावित कोई बस्ती चिन्हित नहीं है।

तहसील बड़ौत में गुणता प्रभावित 16 बस्तियाँ, चिन्हित की गई हैं।

तहसील बड़ौत की चिन्हित सभी 16 बस्तियों को 14 पाइप पेयजल योजनाओं से आच्छादित कर पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है।

जनपद गोण्डा की नगर पंचायत मनकापुर में सीवर लाइन डालने की मांग

71–श्री राम बिशुन आजाद–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा की नगर पंचायत मनकापुर में जल निकासी की समस्या के निराकरण हेतु क्या सरकार सीवर लाइन डालने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे–

जी नहीं। 74वें संविधान संशोधन के बाद नगर निकायों को अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु अनुदान के रूप में कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की जाती है। नागर निकायें अवस्थापना सुविधाओं का विकास अपने संसाधनों से कराती हैं। अतः उक्त कार्य कराने की जिम्मेदारी नगर पंचायत की है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में अम्बेडकर ग्रामों का चयन

72–श्री राम बिशुन आजाद–

क्या डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में डा0 अम्बेडकर ग्रामों को पूर्ण रूप से संतृप्त कर लिया गया है ? यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है ? कितने डा0 अम्बेडकर ग्राम समयानुसार विकास कार्य से वंचित रह गये हैं ? क्या सरकार डा0 अम्बेडकर ग्रामों के विकास के लिये अलग से धन की व्यवस्था करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रतन लाल अहिरवार–

प्रदेश में वर्ष 1990–91 से लेकर वर्ष 2002–03 तक डा0 अम्बेडकर ग्रामों का चयन किया गया। इसके पश्चात वर्ष 2003–04 से 2006–07 तक किसी भी ग्राम को डा0 अम्बेडकर ग्राम के रूप में चयनित नहीं किया गया। वर्ष 2007–08 तथा 2008–09 में ग्राम सभाओं का चयन किया गया। वर्ष 1990–91 से लेकर 2002–03 तक प्रदेश में चयनित 28158 डा0 अम्बेडकर ग्रामों में से 28157 ग्रामों को योजनान्तर्गत संचालित कार्यक्रमों से संतृप्त किया जा चुका है। जनपद सोनभद्र का वर्ष 2002–03 में चयनित ग्राम करहिया वन भूमि में होने तथा वन विभाग द्वारा धनराशि की मांग के दृष्टिगत सम्पर्क मार्ग से संतृप्त नहीं किया जा सका है। लोक निर्माण विभाग द्वारा वांछित धनराशि स्वीकृत कर दी गयी है तथा उक्त कार्य भी ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग द्वारा कराया जा रहा है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत में पुलिस के क्षेत्रीय अधिकारी, निरीक्षक, सब इंस्पेक्टर तथा कान्सटेबिल के स्वीकृत पदों के सापेक्ष रिक्त पद

73–डा0 अजय तोमर–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत में पुलिस के क्षेत्रीय अधिकारी, निरीक्षक, सब इंस्पेक्टर तथा कास्टेबिल के कितने–कितने पद स्वीकृत है तथा उसके सापेक्ष वर्तमान में कितने–कितने पदों पर तैनाती है ? क्या सरकार जनपद में बढ़ते अपराधों को दृष्टिगत रखते हुये रिक्त पदों पर तैनाती करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जनपद बागपत विभिन्न श्रेणी के स्वीकृत पदों एवं रिक्तियों का विवरण निम्नवत् हैं :–

पद	स्वीकृत	उपलब्धता	रिक्ति
उपाधीक्षक	03	03	–
निरीक्षक ना0पु0	13	04	09
निरीक्षक स0पु0	01	01	–
उपनिरीक्षक ना0पु0	78	56	22
उपनिरीक्षक स0पु0	05	04	01
हेड कान्स0ना0पु0	288	116	172
हेड कान्स0स0पु0	58	74	–
कान्सटेबिल ना0पु0	1144	505	639
कान्सटेबिल स0पु0	188	164	24

नागरिक पुलिस संवर्ग में रिक्तियों की संख्या अधिक परिलक्षित होने का कारण यह है कि शासन द्वारा नागरिक पुलिस के नियतन में शासनादेश संख्या दिनांक 11–12–08 द्वारा वृद्धि करते हुए निरीक्षक के 1017, उप–निरीक्षक के 7145, हेड कान्सटेबिल के 40,824 एवं कान्सटेबिल के 1,51,765 नये पद सृजित किये गये हैं।

इन नये सृजित पदों को भरे जाने की कार्यवाही चरणबद्ध रूप से उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा की जा रही है। भर्ती एवं प्रोन्नति की प्रक्रिया होने पर जनपदों में विद्यमान रिक्तियों के सापेक्ष पूर्ति की जायेगी।

जनपद बागपत की बड़ौत तथा बागपत तहसील के ग्रामों का एकल ग्राम पेयजल योजना हेतु चयन

74–डा0 अजय तोमर–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत की बड़ौत तथा बागपत तहसील किन–किन ग्रामों को एकल ग्राम पेयजल योजना के लिए नवम्बर, 2009 तक उपयुक्त पाया गया है ? योजना हेतु अब तक कौन से ग्रामों का चयन कर स्वीकृति के लिए शासन को भेजा गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद–

नवम्बर, 2009 तक तहसील बड़ौत, के 29 ग्राम – बिजरौल, बराका बिनौली, असारा, लुहारी, बाउली, शाबगा, कोटाना, हिलवारी, सादाकपुर सिनौली, वाजीदपुर, मलकपुर, शाहपुर बरौली, बरवाला, साडकपुर जोनमाना, किशनपुर, महावतपुर, निरपुरा, रनचार, सिरसाल दारकोडा, सिरसाली, बरनावा, किरथाल, लूम्ब, रामाला, राथौरा, तुगाना, सूप, ककरीपुर को एकलग्राम पाइप पेयजल योजना हेतु उपयुक्त पाया गया है।

तहसील बागपत के 13 ग्राम–धौला, धिकोली, सिंघौली अहीर, हिसावाड़ा, बसौड, बिलोचपुरा, डोलचा, सरूरपुर कलान, धानौरा सिलवरनगर, मिलती, सिसना, फेजपुर निनाना एवं बाली एकल ग्राम पाइप पेयजल योजना हेतु उपयुक्त पाया गया है।

तहसील बड़ौत के ग्राम–बिजरौल, बराका बिनौली, असारा तथा तहसील बागपत के ग्राम धौला की योजनाएं वर्तमान वित्तीय वर्ष में स्वीकृति किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नही उठता।

रामगढ़ताल परियोजना के अन्तर्गत निर्मित मुक्ताकाशी मंच के विद्युत संयोजन एवं चहार दीवारी बनवाने हेतु व्यय

75–डा० राधा मोहन दास अग्रवाल–

क्या संस्कृति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर की रामगढ़ताल परियोजना में स्थित मुक्ताकाशी रंगमंच में साउण्ड एवं लाइट व्यवस्था करने, रंगमंच की चाहर दीवारी बनवाने विभिन्न कार्यों हेतु कितना व्यय आंगणित किया गया है ? इन व्यवस्थाओं को कब तक पूर्ण करा लिया जायेगा ?

संस्कृति मंत्री (श्री सुभाष पाण्डेय)–

रामगढ़ताल परियोजना के अन्तर्गत निर्मित मुक्ताकाशी मंच के विद्युत संयोजन हेतु रु0 ०1.79 लाख तथा चाहर दीवारी व वाह्य मिट्टी भराई हेतु रु० 25.82 लाख का आंगणन प्राप्त हुआ है।

बजट की उपलब्धता पर निर्भर है।

जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में हैण्ड पम्पों का अधिष्ठापन

76–श्री राम विशुन आजाद –

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में वर्ष 2008–09 में प्रश्नकर्ता द्वारा स्वच्छ पेयजल हेतु 250 हैण्डपम्प (इण्डिया मार्क) लगाने हेतु जल निगम गोण्डा को दिया गया, प्रस्ताव उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या सभी हैण्डपम्पों को लगवा दिया गया है ? यदि नही तो क्यों ?

श्री नकुल दूबे–

जी हां।

जनवरी, 2010 तक 115 नग इण्डिया मार्का 2 हैण्डपम्प अधिष्ठापित करा दिये गये हैं। अवशेष 135 नग हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन की कार्यवाही प्रगति पर है।

प्रश्न नही उठता ।

जनपद गोण्डा में अधिष्ठापित इण्डिया मार्का हैण्डपम्प

77–श्री राम बिशुन आजाद–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा में वर्ष 2007–08, 2008–09 एवं 2009–10 में ग्रामीण अंचलों में शुद्व पेयजल हेतु कितने इण्डिया मार्का हैण्डपम्प लगाये गये ? क्या सभी हैण्डपम्प सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं ? यदि नही, तो क्या सरकार सभी हैण्डपम्पों को ठीक करायेगी ?

श्री दद्दू प्रसाद–

जनपद गोण्डा में वर्ष 2007–08 में 3526, वर्ष 2008–09 में 2520 एवं 2009–10 में 1964 इण्डिया मार्का II हैण्डपम्प अधिष्ठापित किये गये।

जी हां।

प्रश्न नही उठता।

मा० श्री काशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के अन्तर्गत जनपद महामायानगर में आवास आवंटन

78–श्री यशपाल सिंह चौहान–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मा० काशीराम योजना के अन्तर्गत निर्बल वर्ग की आय वाले व्यक्तियों के लिए जनपद महामाया नगर में 30 अक्टूबर, 2009 तक कितने आवास बने हैं, और आवंटन की प्रक्रिया क्या है ?

श्री नकुल दुबे–

मा० श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के अन्तर्गत महामायानगर में 30 अक्टूबर, 2009 तक सभी 1500 भवनों की छत पूर्ण हो चुकी थी तथा 1450 भवनों में चुनाई व 900 भवनों में प्लास्टर का कार्य पूर्ण हो चुका था।

योजनान्तर्गत आवासों का आवंटन प्राथमिकता के आधार पर निराश्रित विधवाओं, निराश्रित विकलांगों एवं गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले शहरी गरीब नागरिकों को उपलब्ध कराये जायेंगे। उपरोक्त तीन श्रेणियों के समस्त आवंटियों में से 23 प्रतिशत भवन अनुसूचित जाति/जन जाति, 27 प्रतिशत भवन पिछड़े वर्गों के लिए तथा शेष 50 प्रतिशत भवन सामान्य श्रेणी के लिए आरक्षित हैं। सर्वे के उपरान्त चयन समिति द्वारा आवेदनों का सत्यापन के पश्चात पात्र लाभार्थियों को आवास आवंटित किया जायेगा। आवास आवंटन का उत्तरदायित्व जिलाधिकारी का है।

जनपद गोरखपुर में उच्च न्यायालय की खण्डपीठ स्थापित करने की योजना

79–डा० राधा मोहन दास अग्रवाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर में उच्च न्यायालय की खण्डपीठ स्थापित करने की सरकार की कोई योजना है ? यदि नही, तो क्यों ?

सुश्री मायावती –

जी नही।

भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि संख्या–78 की व्यवस्था के अनुसार उच्च न्यायालय उसकी खण्ड पीठ की स्थापना तथा क्षेत्राधिकार का प्रकरण केन्द्र सरकार के विचार का बिन्दु हैं अतः इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय लेने हेतु भारत सरकार ही सक्षम है।

विकास खण्ड शंकरगढ़ एवं चाका जनपद इलाहाबाद में स्थायी पात्रता एवं बी0पी0एल0 के अन्तर्गत आवास आवंटन

80–श्री उदयभान करवरिया–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड शंकरगढ़ एवं चाका, जनपद इलाहाबाद में स्थायी पात्रता एवं बी0पी0एल0 के अन्तर्गत 46 लाभार्थियों को इन्दिरा आवास आवंटन के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 642/09 दिनांक 26–6–09 परियोजना निदेशक, ग्रामीण अभिकरण, इलाहाबाद को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ददद्दू प्रसाद–

जी हाँ।

उक्त पत्र में संस्तुत कुल 46 नामों में से 04 को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार स्थायी पात्रता क्रम में वरीयता के आधार पर निर्धारित कोटे के तहत नियमानुसार आवंटन किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

डॉ0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना व अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के अर्न्तगत कतिपय विकास खण्डों में विद्युतीकरण

81–डॉ0 अजय तोमर–

क्या डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत के छपरौली, बड़ौत, बागपत, बिनौली ब्लाक में वर्ष 2003–2004 से वर्ष 2009–10 तक कुल कितने तथा कौन–कौन से ग्रामों को डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना व अम्बेडकर ग्राम विकास योजना में पूर्णतया विद्युतीकरण से संतृप्त कर दिया गया है ? शेष ग्रामों का विद्युतीकरण कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री रतन लाल अहिरवार–

वर्ष 2003–04 से 2006–07 तक डा0 अम्बेडकर ग्रामों/ग्राम सभाओं का चयन नहीं किया गया।

वर्ष 2007–08 में डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना के अन्तर्गत जनपद बागपत के विकास खण्ड छपरौली की 03, बड़ौत की 04 बागपत की 02 तथा बिनौली की 03 अर्थात् कुल 12 चयनित ग्राम सभाओं को निर्धारित मानक के अनुसार विद्युतीकरण कार्यक्रम से संतृप्त कर दिया गया है। विवरण निम्नवत् है :–

क्रम संख्या	विकास खण्ड	विद्युतीकरण ग्राम सभाओं के नाम
1	छपरौली	असारा, सूप, तिलवाड़ा साकिन।
2	बड़ौत	लुहारी, कोताना, बावली, चौबली।
3	बागपत	कर्मअल्लीपुर, जाफराबाद नंगला।
4	बिनौली	दाहा, सिरसलगढ़ बेगमाबादगढ़ी।

वर्ष 2008–09 में डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना के अन्तर्गत जनपद बागपत के विकास खण्ड छपरौली की 01, बड़ौत की 01 बागपत की 07 तथा बिनौली की 07 अर्थात् कुल 16 चयनित ग्राम सभाओं को निर्धारित मानक के अनुसार विद्युतीकरण कार्यक्रम से संतृप्त कर दिया गया है। विवरण निम्नवत् है :–

क्रम संख्या	विकास खण्ड	विद्युतीकृत ग्रामसभाओं के नाम
1	छपरौली	हेवा।
2	बड़ौत	गुराना।
3	बागपत	सियाना, बली, अहैडा, पुटठीब्राह्मण, ढोढरा, बिचपुड़ी, जहानगंज उर्फ दौजा।

4	बिनौली	जिवाना, मु0कमाला, पिचकौरा, तमेलागढ़ी, शाहपुरबाढगंगा, फखरपुरशेखपुरा, आदमपुर।

वर्ष 2009–10 में वर्ष 1995–96 व 1997–98 के चयनित डा0 अम्बेडकर ग्रामों में से लिए गए ग्रामों के अन्तर्गत विकास खण्ड छपरौली के 01 बड़ौत के 01, बागपत के 02 तथा बिनौली के 06 अर्थात् 10 ग्रामों को विद्युतीकरण कार्यक्रम से संतृप्त कर दिया गया है। केवल 03 मजरों में ही विद्युतीकरण कराया जाना शेष है जिसे मार्च, 2010 तक पूर्ण कराये जाने का लक्ष्य निर्धारित है। विद्युतीकृत ग्रामों का विवरण निम्नवत् है :–

क्रम संख्या	विकास खण्ड	विद्युतीकृत ग्राम के नाम
1	छपरौली	किरठल।
2	बड़ौत	सिनौली सादकपुर।
3	बागपत	धनौरा सिलवरनगर, सिसाना।
4	बिनौली	रन्छाड, बिनौली, बिजवाडा, सिरसलगढ़, निरपुड़ा, दाहा।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बागपत के कतिपय ब्लाकों में डॉ0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना के अन्तर्गत ग्रामों का चयन

82–डॉ0 अजय तोमर–

क्या डॉ0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत के ब्लाक–छपरौली, बड़ौत, बागपत व बिनौली में वर्ष 2009–2010 में डॉ0 अम्बेडकर ग्रास सभा विकास योजना के अन्तर्गत किन–किन ग्रामों का चयन किया गया है ? इनमें से कौन–कौन से ग्राम 13 (तेरह) प्रमुख कार्यक्रमों (बिन्दुओं) से संतृप्त कर दिये गये है ? क्या वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक चयनित सभी ग्राम सभाओं को पूर्ण रूप से संतृप्त कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रतन लाल अहिरवार–

वर्ष 2009–2010 में वर्ष 1995–96 व 1997–98 के चयनित डा0 अम्बेडकर ग्रामों में से लिये गये ग्रामों के अन्तर्गत विकास खण्ड छपरौली के 01, बड़ौत के 01, बागपत के 02 तथा बिनौली के 06 ग्रामों को अर्थात् कुल 10 ग्रामों को चयनित किया गया है। चयनित ग्रामों का विवरण निम्नवत् है :–

क्रम संख्या	विकास खण्ड	चयनित ग्रामों के नाम
1	छपरौली	किरठल।
2	बड़ौत	सिनौली सादकपुर।
3	बागपत	धनौरा सिलवरनगर, सिसाना।
4	बिनौली	रन्छाड़, बिनौली, बिजवाड़ा, सिरसलगढ़, निरपुड़ा दाहा।

उपर्युक्त चयनित ग्रामों को डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना के अन्तर्गत संचालित निम्नलिखित 05 कार्यक्रमों से वित्तीय वर्ष 2009–10 में 31 मार्च, 2010 तक संतृप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है :–

क्रम संख्या	संचालित कार्यक्रम
1	स्वच्छ शौचालय।
2	मार्गों का निर्माण– (क) सम्पर्क मार्ग निर्माण। (ख) सी0सी0 रोड व के0सी0 ड्रेन निर्माण।
3	ग्रामीण विद्युतीकरण।
4	स्वच्छ पेयजल।
5	ग्रामीण आवास एवं कृषि योग्य भूमि का आवंटन– (क) आवासहीन को आवास। (ख) आवासहीन को आवासीय पट्टा/भूमिहीन को कृषि योग्य भूमि पट्टा।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

83–श्री राम बिशुन आजाद–

[उसरे शुक्रवार के अतारांकित प्रश्न सं0 27 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

पी0पी0 योजना एवं ठेका पद्धति के अन्तर्गत नगर निगम, लखनऊ में प्रस्तावित योजनाओं पर रोक

84–श्री सुरेश चन्द्र तिवारी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम कर्मचारी संघ, नगर निगम, लखनऊ के पत्रांक 264/संघ/09, दिनांक 8–9–09 का पत्र जो पी0पी0 योजना एवं ठेका पद्धति के अन्तर्गत नगर निगम, लखनऊ में प्रस्तावित योजनाओं पर तत्काल रोक लगाये जाने विषयक था, नगर आयुक्त नगर निगम, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसके बिन्दु क्या थे और उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे–

जी हाँ।

नगर निगम कर्मचारी संघ के पत्र दिनांक 08–09–09 में मार्ग प्रकाश, कूड़ा निस्तारण, इन्सीनेरेटर, एस0टी0पी0, स्लाटर हाऊस एवं सफाई व्यवस्था को पी0पी0पी0 योजना/ठेके पर दिये जाने पर तत्काल रोक लगाये जाने तथा कर्मचारी नगर निगम एवं नागरिकों के हित में विभागीय कर्मचारियों से ही कार्य कराने का उल्लेख किया गया है। उक्त में से मात्र सफाई व्यवस्था संबंधी जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम में अन्तर्गत स्वीकृत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट परियोजना का कार्यान्वयन 30 वर्ष की अवधि हेतु पी0पी0पी0 पर कराये जाने संबंधी कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज उ0प्र0 जल निगम द्वारा निविदा उपरान्त लेटर ऑफ अवार्ड दिनांक

11-11-09 को जारी किया गया है, जिसके अनुबन्ध हेतु प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी/सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठाता।

85-श्री सुरेश चन्द्र तिवारी-

(पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त)

86-श्री छत्रपाल सिंह-

(राज्य सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त)

87-चौधरी रवीन्द्र प्रताप-

[3सरे शुक्रवार के अतारांकित प्रश्न सं0-10 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश के विकलांग कर्मचारियों को मिलने वाले वाहन भत्ते का संशोधित शासनादेश जारी करने की मांग

88-चौ० रवीन्द्र प्रताप-

क्या मुख्यमंत्री बताने को ज्ञात है कि प्रदेश के विकलांग कर्मचारियों को मिलने वाला वाहन भत्ता पुराने वेतनमान के मूल वेतन के अनुसार है ? क्या सरकार प्रदेश में छठे वेतनमान की संस्तुतियों के लागू हो जाने के पश्चात नये वेतनमान के मूल वेतन के अनुसार वाहन भत्ते का संशोधित शासनादेश जारी करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां।

वाहन भत्ते से सम्बन्धित विषय पर वेतन समिति, 2008 की संस्तुति अभी प्राप्त नही हुयी है। उक्त संस्तुति तथा उस पर लिये गये निर्णय के प्राप्त होने पर तद्नुसार संशोधित शासनादेश निर्गत किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नही उठता।

गोरखपुर में स्थित मूक बधिर विद्यालय में फुट ओवर ब्रिज बनवाने के संबंध में पत्र

89-डॉ० राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर महानगर में स्थित मूक बधिर विद्यालय में फुट ओवर ब्रिज बनवाने के संदर्भ में प्रश्नकर्ता का पत्रांक क-3 संख्या 045199, दिनांक 01 सितम्बर, 2009 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी नही।

प्रश्न नही उठता।

प्रश्न नही उठता।

मो० अयूब विकास खण्ड कौधियारा, इलाहाबाद को इन्दिरा आवास स्वीकृत कराये जाने विषयक–पत्र

90–श्री उदयमान करवरिया–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मो० अयूब पुत्र हफीज उल्लाह ग्राम चक घनश्यामदास, विकास खण्ड कौधियारा, इलाहाबाद को इन्दिरा आवास स्वीकृत कराये जाने से सम्बन्धित प्रश्नकर्ता के कार्यालय के संदर्भ संख्या 646/09, दिनांक 27–6–09 खण्ड विकास अधिकारी कौधियारा, इलाहाबाद को प्राप्त हुआ है ?यदि हां, तो क्या उपरोक्त आवास की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद–

जी हां।

उक्त पत्र में उल्लिखित परिवार का नाम इन्दिरा आवास की स्थायी पात्रता सूची में न होने के कारण निर्धारित मापदण्ड के अनुसार आवास आवंटन संभव नही है।

प्रश्न नही उठता।

श्रीमती कैलाशी, विकास खण्ड जसरा, इलाहाबाद एवं अन्य को इन्दिरा आवास आवंटन हेतु पत्र

91–श्री उदयमान करवरिया–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती कैलाशी पुत्री देवशरन ग्राम मनकवार, विकास खण्ड जसरा, इलाहाबाद एवं अन्य को इन्दिरा आवास आवंटन हेतु प्रश्नकर्ता के कार्यालय के पत्र संदर्भ संख्या 648/09, दिनांक 27–6–09 परियोजना निदेशक, ग्राम अभिकरण, इलाहाबाद को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उपरोक्त सभी को आवास की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद–

जी हां।

उक्त पत्र में उल्लिखित परिवारों का नाम इन्दिरा आवास की स्थायी पात्रता सूची में अंकित न होने के कारण भारत सरकार द्वारा निर्धारित आवंटन प्रकिया के अनुसार आवास का आवंटन संभव नही है।

प्रश्न नही उठता।

जल निगम, गोण्डा को इण्डिया मार्का 2 हैण्डपम्पों के रिबोर हेतु निर्धारित लक्ष्य

92–श्री राम बिशुन आजाद–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा में वर्ष 2007–08, 2008–09 एवं 2009–10 में जल निगम, गोण्डा को इण्डिया मार्का–2 हैण्डपम्पों के रिबोर हेतु कितना–कितना लक्ष्य निर्धारित था ? उक्त के सापेक्ष प्रत्येक विकास खण्डों में कितने–कितने हैण्डपम्प रिबोर कराये गये ? क्या सरकार को जानकारी है कि रिबोर किये हैण्डपम्पों से निकली खराब सामग्रियां स्टोर में जमा नहीं की गयीं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर इसके दोषियों को दण्डित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे–

जनपद गोण्डा में वर्ष 2007–08, 2008–09 एवं 2009–10 में जल निगम, गोण्डा को इण्डिया मार्का–2 हैण्डपम्पों के रिबोर हेतु क्रमशः 823, 1764 एवं 1856 का लक्ष्य निर्धारित था।

जनपद गोण्डा के कुल 16 विकास खण्डों में वर्षवार रिबोर कराये गये हैण्डपम्पों का विवरण निम्न है :–

क्र0 सं0	विकास खण्ड का नाम	वर्ग 2007–08	वर्ग 2008–09	वर्ग 2009–10
1	रूपईडीह	65	118	117
2	इटियाथोक	52	72	109
3	पड़रीकृपाल	38	88	98
4	झंझरी	8	87	63
5	गजेहना	62	188	168
6	कटरा बाजार	61	137	111
7	हलधरमऊ	59	136	147
8	करनेलगंज	56	89	73
9	परसपुर	55	109	73
10	बेलसर	35	45	104
11	तरबगंज	36	58	113
12	बजीरगंज	36	53	93
13	नवाबगंज	59	84	123
14	मनकापुर	62	197	136
15	बभनजोत	71	163	163
16	छतिया	68	140	165
	योग	**823**	**1764**	**1856**

रिबोर किये गये हैण्डपम्पों से निकाली कोई भी खराब सामग्रियां स्टोर में जमा किया जाना अवशेष नहीं है।

जी नहीं।

रिबोर किये गये हैण्डपम्पों से निकली खराब सामग्री स्टोर में जमा कर दी गयी है और कोई अनियमितता नहीं हुई है।

जनपद गोण्डा में हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन

93–श्री राम बिशुन आजाद–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के विकास खण्ड मनकापुर, छपिया बजीरगंज एवं नवाबगंज में वर्ष 2007–08, 2008–09 एवं 2009–10 में ग्रामीण अंचलों में कितने इण्डिया मार्का–2 हैण्डपम्प जल निगम, गोण्डा द्वारा लगाये गये, उसमें से कितने चालू हालत में हैं एवं कितने खराब हैं ? क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि

ग्रामीण अंचलों में लगे हुये हैण्डपम्पों का प्रदूषित जल पीने के कारण अधिकांशतः लोग संक्रामक रोग के शिकार हो रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार हैण्डपम्पों के जल का परीक्षण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ददद्दू प्रसाद–

जनपद–गोण्डा में हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन का विकास खण्डवार विवरण निम्नवत् है:–

विकास खण्ड	2007–08	2008–09	2009–10
मनकापुर	265	303	97
छपिया	184	160	99
वजीरगंज	73	75	52
नवाबगंज	121	312	54

उपरोक्त सभी हैण्डपम्प चालू हालत में हैं।

जी नहीं। हैण्डपम्प से जल पीने के कारण प्रदूषण एवं संक्रामक रोग होने की सूचना नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा में लगाये गये इण्डिया मार्का–2 हैण्डपम्पों के चबूतरे की जांच

94–श्री राम बिशुन आजाद–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा में वर्ष 2007–08, 2008–09 एवं 2009–10 में लगाये गये सभी इण्डिया मार्का–2 हैण्डपम्पों के चबूतरे अधो मानक बनाये गये है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नकुल दुबे–

जी नहीं। वर्ष 2007–08 तथा 2008–09 में सभी इण्डिया मार्का–2 हैण्डपम्पों के चबूतरे मानक के अनुसार बनाये गये हैं। वर्ष 2009–10 में लगाये गये इण्डिया मार्का–2 हैण्डपम्पों के चबूतरे मानक के अनुसार बमाये जा रहे हैं।

आवश्यकता नहीं है।

जनपद गोण्डा के विकास खण्डों में खण्ड विकास अधिकारियों की तैनाती

95–श्री राम बिशुन आजाद–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के अन्तर्गत सभी विकास खण्डों में खण्ड विकास अधिकारियों की तैनाती कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो उक्त तैनातियां कब तक कर दी जायेगी ?

श्री ददद्दू प्रसाद–

जी नहीं।

जनपद गोण्डा में 16 विकास खण्डों के सापेक्ष 8 खण्ड विकास अधिकारी एवं 02 संयुक्त खण्ड विकास अधिकारी कार्यरत हैं तथा रिक्त विकास खण्डों के खण्ड विकास अधिकारियों का अतिरिक्त प्रभार शासनादेश संख्या–542/38–1–2005–3जी/88, दिनांक

10-03-2005 द्वारा प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत निकट के खण्ड विकास अधिकारियों को सौपा गया है।

प्रदेश में खण्ड विकास अधिकारी के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 इलाहाबाद को अधियाचन प्रेषित किये गये हैं। आयोग से चयन/पदोन्नति के परिणाम प्राप्त होने पर रिक्त पदों पर नियुक्ति/तैनाती की जायेगी।

96-श्री राम बिशुन आजाद-

(पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त)-

जनपद गोण्डा की कतिपय ग्राम पंचायतों में नरेगा के अन्तर्गत मजदूरों की मजदूरी का बैंक खाते के माध्यम से भुगतान

97-श्री राम बिशुन आजाद-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा की क्षेत्र पंचायत, मनकापुर की ग्राम पंचायत अम्बरपुर, हरनाटायर, गड़रही क्षेत्र पंचायत छपिया के ग्राम पंचायत महराजगंज ग्रन्ट, बहुआन, रतनपुर, सैयजलपुर, महरागौरा, करनपुर परसाउदयपुर, क्षेत्र पंचायत वजीरगंज के ग्राम पंचायत भगौहर क्षेत्र पंचायत नवाबगंज के ग्राम पंचायत सिकन्दरपुर, शम्भुनगर भुटाहा में नरेगा के अन्तर्गत मजदूरों को मजदूरी भुगतान हेतु शासन द्वारा दिनांक 31 अगस्त, 2008 के बाद से नकद भुगतान न कर, उनके द्वारा बैंक खातों के माध्यम से ही भुगतान किये जाने का आदेश जारी किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार को जानकारी है कि उक्त ग्राम पंचायतों में शासनादेश का अनुपालन नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? सरकार द्वारा मजदूरों को खातों के माध्यम से भुगतान कब से प्रारम्भ किया जायेगा, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ददद्दू प्रसाद-

जी हाँ।

श्रमिकों के बैंक खाते खोले जाने का कार्य प्रक्रियात्मक होने के कारण विलम्ब हुआ। इस कारण विकास खण्ड वजीरगंज की ग्राम पंचायत भगोहर में आदेश का आंशिक अनुपालन ही तत्समय हुआ। सम्प्रति उक्त ग्राम पंचायत में भी भुगतान बैंक खाते के माध्यम से ही किया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

98-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

[अस्पष्टता के आधार पर निरस्त]

जनपद गोण्डा के तहसील मुख्यालय, मनकापुर में स्थित राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय में स्वीकृत पदों के अनुरूप नियुक्तियाँ

99-श्री राम बिशुन आजाद-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के तहसील मुख्यालय, मनकापुर में स्थित राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय में स्वीकृत पदों के अनुसार सभी नियुक्तियां की जा चुकी हैं ? यदि नहीं, तो स्वीकृत पदों के अनुरूप नियुक्तियां कब तक कर दी जायेगी ?

श्री लालजी वर्मा–

जी हाँ।

25 शैय्यायुक्त राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय मनकापुर किराये के भवन में संचालित है। शासनादेश दिनांक 23–10–2009 द्वारा 15/25 शैय्यायुक्त किराये के भवनों में संचालित चिकित्सालयों को 04 शैय्या में परिवर्तित किये जाने का निर्णय लिया गया है। 4 शैय्या चिकित्सालय के मानकानुसार राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय मनकापुर के सभी पद भरे हुए हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के महानगरों, शहरों तथा कस्बों में फैक्ट्री और कारखानों से निकले प्रदूषित जल को रोकने के उपाय

100–श्री राम बिशुन आजाद–

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के महानगरों, शहरों तथा कस्बों में फैक्ट्री और कारखानों से निकले प्रदूषित जल को बोरिंग द्वारा पृथ्वी के नीचे एकत्रित किया जा रहा है जिससे भूगर्भ जल प्रदूषण का खतरा उत्पन्न हो गया है ? यदि हां, तो क्या जल प्रदूषण रोकने के लिये सरकार द्वारा कोई योजना बनायी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

श्रीमती रानी सिंह, ग्राम मानपुर, विकास खण्ड जसरा, इलाहाबाद को इन्दिरा आवास आवंटन विषयक पत्र

101–श्री उदयभान करवरिया–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती रानी सिंह पत्नी हरनाम सिंह ग्राम मानपुर, विकास खण्ड जसरा, इलाहाबाद को इन्दिरा आवास आवंटन विषयक प्रश्नकर्ता के कार्यालय के पत्र संदर्भ संख्या 720/09, दिनांक 6–7–09 परियोजना निदेशक, ग्राम्य अभिकरण, इलाहाबाद को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उपरोक्त को आवास की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ददू प्रसाद–

जी हाँ।

उक्त पत्र में उल्लिखित परिवार का नाम इन्दिरा आवास की स्थायी पात्रता सूची में अंकित न होने के कारण भारत सरकार द्वारा निर्धारित आवंटन प्रक्रिया के अनुसार आवास का आवंटन संभव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

विकास खण्ड कौधियारा एवं चाका, जनपद इलाहाबाद में इन्दिरा आवास आवंटन विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

102–श्री उदयभान करवरिया–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड कौंधियारा एवं चाका, जनपद इलाहाबाद के 66 व्यक्तियों को इन्दिरा आवास आवंटन विषयक प्रश्नकर्ता के कार्यालय का पत्र संदर्भ संख्या 722/09, दिनांक 6–7–09 परियोजना निदेशक, ग्राम्य अभिकरण इलाहाबाद को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ददद्दू प्रसाद–

जी हाँ।

उक्त पत्र में संस्तुत कुल 66 नामों में से 03 को भारत सरकार द्वारा निर्धारित आवंटन प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए स्थायी पात्रता क्रमांक से वरीयता के आधार पर निर्धारित आरक्षण कोटा के अनुसार आवासों का आवंटन किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

मेडिकल कालेज, मेरठ में शिक्षकों व अन्य कर्मचारियों के रिक्त पद

103–डॉ0 अजय तोमर–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एल0एल0आर0एम0 मेडिकल कालेज, मेरठ में शिक्षकों व अन्य कर्मचारियों के कितने–कितने पद रिक्त हैं ? रिक्त पदों पर नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी वर्मा–

मेडिकल कालेज, मेरठ में चिकित्सा शिक्षकों तथा अन्य कर्मचारियों के रिक्त पदों का विवरण निम्न प्रकार है:–

1–चिकित्सा शिक्षकों के 63 पद रिक्त हैं।

2–कालेज स्तर पर समूह "ग" के 21 तथा समूह "घ" के 10 पद रिक्त है।

नियुक्ति की कार्यवाही एक सतत् प्रक्रिया है, अतः समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

प्रश्न नहीं उठता।

104–डा० राधामोहन दास अग्रवाल–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त।]

मेरठ शहर में रोहटा रोड पर फाटक से परतापुर बाईपास तक सोडियम लाइट लगाने का कार्य

105–डॉ0 अजय तोमर–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ शहर में रेलवे स्टेशन रोहटा फाटक से परतापुर मेरठ बाई पास तक रोहटा रोड पर बने डिवाइडर पर लगायी गयी सोडियम लाइट खराब हैं ? यदि हां, तो उन्हें कब तक ठीक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे–

रोहटा रोड पर फाटक से परतापुर बाईपास तक सोडियम लाइट लगाने का कार्य मेरठ विकास प्राधिकरण मेरठ द्वारा कराकर नगर निगम मेरठ को गत वर्ष 2009 में हस्तान्तरित कर दिया था, लेकिन उ0प्र0 पावर कारपोरेशन से विद्युत भार स्वीकृत नहीं होने के कारण सोडियम लाइटें बन्द थीं।

माह जनवरी, 2010 के अन्त में नगर निगम, मेरठ द्वारा उक्त सोडियम लाइटों का विद्युत भार नियमानुसार स्वीकृत कराकर उक्त स्थल की सोडियम लाइटें चालू कर दी गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

सचिवालय में तैनात समीक्षा अधिकारियों की पदोन्नति

106–डॉ0 अजय तोमर–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सचिवालय में समीक्षा अधिकारी के पद पर तैनात अधिकारियों का सीधी भर्ती एवं पदोन्नति कोटे का वर्तमान में अनुपात क्या है ? क्या समीक्षा अधिकारियों के समस्त पद सेवा नियमावली के अनुपात में भरे गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

उ0प्र0 सचिवालय अधीनस्थ सेवा नियमावली, 1999 (यथा संशोधित) के नियम–5(1) के अनुसार समीक्षा अधिकारियों के 50 प्रतिशत पद लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा तथा 60 प्रतिशत पद मौलिक रूप से नियुक्त अवर वर्ग सहायकों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 06 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा भरे जाने का प्राविधान है।

जी नहीं।

समीक्षा अधिकारी के रिक्त पदों को भरे जाने का प्रकरण विचाराधीन है।

सचिवालय में आयोग से चयनित समीक्षा अधिकारियों की ज्येष्ठता सूची

107–डॉ0 अजय तोमर–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सचिवालय में आयोग से चयनित (सीधी भर्ती कोटे के) वर्ष 1996 से नियुक्त समीक्षा अधिकारियों की ज्येष्ठता सूची बनायी गयी है ? क्या संयुक्त ज्येष्ठता सूची में, सीधी भर्ती तथा प्रोन्नति कोटे के द्वारा तैनात/भर्ती समीक्षा अधिकारियों में कोई भिन्नता की गयी है ? यदि हां, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

उ0 प्र0 सचिवालय के समीक्षा अधिकारियों की ज्येष्ठता क्रमांक–1314 से 3298 तक की अन्तिम ज्येष्ठता सूची दिनांक 05–12–09 को प्राख्यापित की गयी है, जिसमें 1991 बैच के सीधी भर्ती के समीक्षा अधिकारियों, जिन्होंने वर्ष 1996 में कार्यभार ग्रहण किया है, के नाम भी सम्मिलित है।

जी नहीं ज्येष्ठता सूची नियमानुसार बनायी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद पीलीभीत के ड्रमन्ड इन्टर कालेज के सामने तालाब को जबरन पाटने का कार्य रुकवाने की मांग

108–श्री रियाज अहमद–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पीलीभीत के शहर पीलीभीत में ड्रमन्ड इन्टर कालेज के सामने टनकपुर रोड पर स्थित तालाब को कुछ लोगों द्वारा जबरन पाटने का कार्य किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त तालाब के पटान को अविलम्ब रुकवाकर जो हिस्सा पाटा जा चुका है उसे दोबारा खुदवाएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे–

जनपद पीलीभीत के शहर के मध्य में ड्रमण्ड राजकीय इण्टर कालेज के सामने स्थित तालाब के संबंध में जांच में पाया गया है कि भूमि गाटा संख्या 150 मि0 रकवा 0–781 इ0 एवं 153 रकवा 0–357 हे0 कुल 2 किता रकवा 1–138 हे0 (2–82 एकड़) खतौनी नान जैड ए मुडिया मनई उर्फ सुनगढ़ी के खाता संख्या–46 पर भट्ठा के रूप में दर्ज है तथा खवट खाता संख्या 14 में मालिकान श्रीमती जोगेन्द्र कौर का नाम दर्ज है। उक्त दोनों गाटाओं से सदा गाटा संख्या–148 है जो जेरे इन्तजाम नगर पालिका सम्पत्ति तालाब है। मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा रिट याचिका संख्या–13057/07 में दिये गये आदेश दिनांक 05.08.2008 के अनुक्रम में उक्त दोनों गाटा संख्या 150 मि0 रकवा 0–781 हे0 एवं 153 रकवा 0–357 हे0 कुल रकवा 1–138 हे0 को राजस्व अभिलेख में श्रेणी 15 की अकृषिक भूमि भट्ठा निजी स्वामित्व की भूमि पाते हुये भूमि का विकास करने मिट्टी भराव करने समतलीकरण करने तथा कालोनी बनाने हेतु अवरोध उत्पन्न न करने के संबंध में तत्कालीन नगर मजिस्ट्रेट/नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र पीलीभीत द्वारा विस्तृत आदेश दिनांक 17.02.2009 को पारित किये गये हैं। इस आदेश के अनुक्रम में निजी स्वामित्व संबंधी गाटाओं के समतलीकरण की कार्यवाही संबंधित भू–स्वामी द्वारा की जा रही है। गाटा संख्या 148 (तालाब) जो जेरे इन्तजाम नगर पालिका सम्पत्ति है, पर किसी प्रकार का कोई पटान/अतिक्रमण होना नहीं पाया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

109–डा0 राधामोहन दास अग्रवाल–

[दिनांक 9-2-2010 के अतारांकित प्रश्न संख्या-106 द्वारा उत्तरित]

प्रदेश में विकलांगों से विवाह करने वाले पात्रों को प्रोत्साहन पुरस्कार दिये जाने की जानकारी

110–श्री राजाराम त्यागी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने विकलांगों से विवाह करने वाले पात्रों को वर्ष 2008–09 व 2009–10 में प्रोत्साहन पुरस्कार दिया गया इसमें से रायबरेली जनपद में प्रोत्साहन पुरस्कार पाने वाले पात्रों की संख्या कितनी है ?

सुश्री मायावती–

प्रदेश में वर्ष 2008–09 में शादी विवाह प्रोत्साहन योजनान्तर्गत 1636 युगल पात्रों तथा वर्ष 2009–10 में माह दिसम्बर, 2009 तक 1199 युगल पात्रों को लाभान्वित किया गया।

उक्त योजनान्तर्गत वर्ष 2008–09 में रायबरेली जनपद में 11 युगल पात्रों को वर्ष 2009–10 में 15 युगल पात्रों को लाभान्वित किया गया है।

प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र के लिये विशेष पैकेज की मांग

111–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बुन्देलखण्ड के विकास हेतु भारत सरकार से कोई पैकेज प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो कुल कितनी धनराशि विभागवार/मदवार प्राप्त हुई है क्या चित्रकूट, झांसी मण्डल के मा0 विधायकों से कार्य योजना बनाने हेतु प्रस्ताव लिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

केन्द्रीय योजना आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र के लिए विशेष पैकेज वर्ष 2009–10 से 3 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत करने की जानकारी दी गयी है। पैकेज में केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं एवं केन्द्रीय सेक्टर की चालू योजनाओं के साथ ही अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में धनराशि उपलब्ध होना इंगित किया गया है।

केन्द्र से अभी तक कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है।

केन्द्र द्वारा विभिन्न मदों का निर्धारण कर दिया गया है, इसलिए प्रस्ताव लिये जाने का अवसर ही नहीं है।

जनपद गोण्डा में इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत मा0 विधायकों के प्रस्ताव पर आवासों का आवंटन हेतु निर्धारित मानक

112–श्री राम बिशुन आजाद–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा में वर्ष 2007–08, 2008–09 एवं 2009–10 में इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत किन–किन मा0 विधायकों के प्रस्तावों पर कितने–कितने आवास आवंटित किये गये हैं ? क्या माननीय विधायकों द्वारा आवास आवंटित किये जाने हेतु शासन द्वारा कोई मानक निर्धारित किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या उक्त आवंटन मानक के अनुसार किये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ददद्दू प्रसाद–

112–जी, हां।

जनपद गोण्डा में इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत वर्ष 2007–08, 2008–09 एवं वर्ष 2009–10 में नियमों में व्यवस्था न होने के कारण मा0 विधायकों के प्रस्ताव पर आवासों का आवंटन नहीं किया गया है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा में इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत आवास का लक्ष्य

113–श्री राम बिशुन आजाद–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा में वर्ष 2007–08, 2008–09 एवं 2009–10 में इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत जनपद का क्या–क्या लक्ष्य रहा है ? प्रत्येक क्षेत्र पंचायतों में कितना–कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है ? कितना आवंटित किया गया और कितना अवशेष है ? क्या सभी पात्र व्यक्तियों को इन्दिरा आवास योजना का लाभ दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद–

जी, हां।

इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत जनपद गोण्डा में वर्ष 2007–08 का लक्ष्य 9317 आवास वर्ष 2008–09 का लक्ष्य 11140 एवं वर्ष 2009–10 का लक्ष्य 15071 आवास रहा है।

संलग्नक†–1 के अनुसार।

स्थायी प्रतीक्षा सूची/बी0पी0एल0 सूची के आधार पर पात्रता की जांचोपरान्त लक्ष्य के अनुरूप पात्र व्यक्तियों को इन्दिरा आवास योजना का लाभ दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा के कतिपय विकास खण्डों में नरेगा के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को आवंटित धनराशि

114–श्री राम बिशुन आजाद–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के विकास खण्ड छपिया मनकापुर, वजीरगंज एवं नवाबगंज में वर्ष 2007–08, 2008–09 एवं 2009–10 में नरेगा के अन्तर्गत जिला पंचायत गोण्डा द्वारा चिन्हित कुछ ग्राम पंचायतों को ही धनराशि आवंटित की गयी है ? यदि हां, तो अन्य ग्राम पंचायतों के मांग के आधार पर धनराशि आवंटित न किये जाने के क्या कारण है ? क्या सरकार बतायेगी कि जहां कार्य कराये गये हैं वहां क्या सभी जाबकार्ड धारकों को 100 दिन का काम (रोजगार) दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद–

जी नहीं।

अन्य ग्राम पंचायतों को मांग तथा जॉब कार्ड धारकों की संख्या के आधार पर धनराशि अवमुक्त की गयी है।

जॉब कार्ड धारकों को मांग के आधार पर कार्य दिया गया है। सभी जॉब कार्ड धारकों द्वारा 100 दिवस का रोजगार पूर्ण नहीं किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

---

† देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 248 पर

जनपद गोण्डा में अम्बेडकर ग्राम योजना के अन्तर्गत ग्रामों का चयन

115–श्री राम बिशुन आजाद–

क्या डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा में वर्ष 2007–08, 2008–09 एवं 2009–10 में डा0 अम्बेडकर ग्राम योजना के अन्तर्गत क्षेत्र पंचायत छपिया, मनकापुर, वजीरगंज, नवाबगंज में किन–किन ग्रामों को चयनित किया गया है ? क्या चयनित किये गये सभी अम्बेडकर ग्राम संतृप्त हो गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या कराये गये कार्यों की गुणवत्ता मानक के अनुसार है ? यदि नहीं तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रतन लाल अहिरवार–

जनपद– गोण्डा में वर्ष 2007–08, 2008–09 एवं 2009–10 में डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना के अन्तर्गत क्षेत्र पंचायत छपिया, मनकापुर, वजीरगंज तथा नवाबगंज में चयनित ग्राम सभाओं/ग्रामों का विवरण निम्नवत् है–

1–क्षेत्र पंचायत–छपिया

क्र0सं0	वर्ष	चयनित ग्रामसभा/ग्राम
1	2007–08	शीतलगंज ग्रन्ट, वीरापुर व सिकहरा।
2	2008–09	महुली खीरी, मसकनवां, रतनपुर, शुकुलपुर व देवगांव।
3	2009–10	सुरूवार बुजुर्ग, चुवाड, नेवादा, गडहा, चारू व परसा उदयकर। (सभी ग्राम है)

2–क्षेत्र पंचायत–मनकापुर

क्र0सं0	वर्ष	चयनित ग्रामसभा/ग्राम
1	2007–08	मिर्जापुर रामनाथ व मछलीगांव नानकार।
2	2008–09	रामापुर, समरूपुर, चौबेपुर व अमघटी।
3	2009–10	कुड़ासन, पंडितपुर वन्जरिया खास, अमवा व तुर्काडीहा। (सभी ग्राम है)

3–क्षेत्र पंचायत–वजीरगंज

क्र0सं0	वर्ष	चयनित ग्रामसभा/ग्राम
1	2007–08	पेडराही, भगोहर व चन्दापुर।
2	2008–09	रमचेरापुर व अशोकपुर खोखिया।
3	2009–10	करौंदा ढोढियापारा व दुर्जनपुर घाट। (सभी ग्राम है)

4–क्षेत्र पंचायत–नवाबगंज

क्र0सं0	वर्ष	चयनित ग्रामसभा/ग्राम
1	2007–08	लौच्चा वीरपुर व इन्दरपुर।
2	2008–09	वैजलपुर, कटरा भोगचन्द्र, दुर्गागंज, रघुनाथपुर व दुल्लापुर।
3	2009–10	नरायनपुर, खडीवा व गढ़ी। (सभी ग्राम है)

वर्ष 2007–08 व 2008–09 में चयनित ग्राम सभाओं को लक्ष्य के सापेक्ष चिन्हित सभी कार्यक्रमों से संतृप्त करा दिया गया है। चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 में प्रदेश में वर्ष 2009–10 की चयनित डा0 अम्बेडकर ग्राम सभाओं की कार्ययोजना को स्थगित रखते हुए वर्ष 1995–96 व 1997–98 के चयनित डा0 अम्बेडकर ग्रामों में से 2195 ग्राम लिये गये हैं। तत्क्रम में जनपद गोण्डा से 15 ग्रामों का चयन किया गया है, जिन्हें इसी वित्तीय वर्ष में संतृप्त किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

उपरोक्तानुसार।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत में गुण्डा अधिनियम एवं गैंगस्टर ऐक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही

116–डा0 अजय तोमर–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत में 1 जनवरी, 2009 से 30 अक्टूबर, 2009 तक किन–किन लोगों पर गुण्डा ऐक्ट एवं गैंगस्टर ऐक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी है ? क्या इनमें ऐसे व्यक्ति भी हैं जिन पर इस कार्यवाही के समय अथवा चालान के समय किसी भी न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण लम्बित नहीं था ? यदि हां, तो क्या निर्दोष व्यक्तियों को फंसाने पर उक्त ऐक्ट लगाने वाले अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हाँ।

जनपद बागपत में दिनांक 01–01–2009 से 30–10–2009 तक गुण्डा अधिनियम के अन्तर्गत 421 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी है तथा गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत 297 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी है। उक्त व्यक्तियों की सूची† मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी के कार्यालय में अवलोकनार्थ उपलब्ध है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में खण्ड विकास अधिकारियों के पदों के सापेक्ष रिक्त पद

117–डॉ0 अजय तोमर–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने खण्ड विकास अधिकारियों के पद रिक्त हैं, क्या एक अधिकारी को एक से अधिक विकास खण्डों का कार्यभार दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रत्येक विकास खण्डों में खण्ड विकास अधिकारी की तैनाती करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

---

† छापी नहीं गयी।

श्री ददद्दू प्रसाद–

प्रदेश में 907 खण्ड विकास अधिकारी के पदों के सापेक्ष 536 खण्ड विकास अधिकारी कार्यरत है एवं 371 खण्ड विकास अधिकारियों के पद रिक्त हैं।

जी हाँ।

जी हाँ।

प्रदेश में खण्ड विकास अधिकारी के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 इलाहाबाद को अधियाचन प्रेषित किये गये हैं। आयोग से चयन/पदोन्नति के परिणाम प्राप्त होने पर रिक्त पदों पर नियुक्ति/तैनाती की जायेगी।

इसके अतिरिक्त सेवा स्थानान्तरण पर 42 खण्ड विकास अधिकारियों की नियुक्ति किये जाने के आदेश जारी कर दिये गये हैं, जिसकी तैनाती शीघ्र ही विकास खण्डों में किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

118–डॉ0 अजय तोमर–

[3सरे बुधवार के अतारांकित प्रश्न सं0–132 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं लखनऊ खण्डपीठ में जनपदों के न्यायिक अधिकारिता परिवर्तन करने की योजना

119–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं लखनऊ खण्डपीठ में जनपदों के न्यायिक अधिकारिता परिवर्तन करने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ? क्या सरकार जनहित में जनपद प्रतापगढ़ को लखनऊ खण्डपीठ से हटाकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय से सम्बद्ध करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची–1 की प्रविष्टि संख्या–78 की व्यवस्था के अनुसार उच्च न्यायालय उसकी खण्डपीठ की स्थापना तथा क्षेत्राधिकार का प्रकरण केन्द्र सरकार के विचार का बिन्दु है। अतः इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय लेने हेतु भारत सरकार ही सक्षम है।

प्रतापगढ़ नगर में अनधिकृत कब्जों को हटाने की कार्यवाही

120–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रतापगढ़ नगर में सार्वजनिक मार्गों पर अनधिकृत कब्जों से मार्ग काफी संकरे हो गये हैं जिससे लोगों को आवागमन में काफी असुविधा होती है तथा जाम लगता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्गों पर अनधिकृत कब्जों को हटाते हुए उन्हें चौड़ा करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे–

प्रतापगढ़ नगर में आवागमन यातायात सुविधा बनाये रखने हेतु समय–समय पर अभियान चलाकर अनाधिकृत कब्जों को हटाने की कार्यवाही की जा रही है। अनधिकृत कब्जों को हटाये जाने हेतु उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम 1916 की संगत धारा 211 व 186 के अन्तर्गत नियमित कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

121–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

[मा0 उच्च न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद प्रतापगढ़ के अन्तर्गत सई नदी, पीली नदी एवं चमरौरा नदियों का पानी प्रदूषण मुक्त करने हेतु उपाय

122–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–प्रतापगढ़ के अन्तर्गत सई नदी, पीली नदी एवं चमरौरा नदी का पानी प्रदूषित हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नदियों को प्रदूषण मुक्त करने हेतु कोई उपाय करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत स्थित बरनावा के महाभारत कालीन लाक्षागृह को विकसित करने की योजना

123–डॉ0 अजय तोमर–

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत स्थित बरनावा के महाभारत कालीन लाक्षागृह को विकसित करने की कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस स्थल को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विनोद सिंह–

जनपद बागपत स्थित बरनावा में महाभारत कालीन लाक्षागृह को विकसित किये जाने हेतु निम्नवत् विवरणानुसार कार्य कराये गये हैं :–

जिला योजना वर्ष 2001–02 के अन्तर्गत रु0 4.00 लाख की धनराशि से यात्री शेड का निर्माण। वर्ष 2002–03 के अन्तर्गत गुफा की सीढ़ी एवं फर्श के निर्माण हेतु रु0 2.00 लाख एवं वर्ष 2004–05 में रु0 1.3916 लाख की लागत से 1–स्तम्भ का निर्माण, 2–स्तम्भ पर शिलालेखों को लगाया जाना, 3–लाक्षागृह पर जाने वाले मुख्य द्वार का निर्माण, 4–दो होर्डिंग्स/साइन बोर्ड का निर्माण 5–स्थल पर मिट्टी भराई के कार्य कराये गये हैं।

केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत महाभारत पर्यटन सर्किट बरनावा के पर्यटन विकास हेतु रु0 33.53 लाख की धनराशि से ओपन एयर थिएटर, बरनावा गेट, प्लेटफार्म, विद्युत व्यवस्था, शिलालेख की स्थापना, साइनेज, टॉय बैन्चों का निर्माण आदि कार्य कराये जा चुके हैं। शेष कार्य प्रगति पर हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रतापगढ़ में सई नदी में गिरने वाले नाले/नालियों एवं मिलों से होने वाले प्रदूषण को रोकने हेतु उपाय

124–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रतापगढ़ में सई नदी में गिरने वाले नाले/नालियों एवं रायबरेली की मिलों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिये नाले/ नालियों के पानी की निकासी की कोई वैकल्पिक व्यवस्था करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे–

जी हां। प्रतापगढ़ हेतु सीवर योजना (प्रथम फेज) लागत रु0 1578.42 लाख अनुमोदित है जिसके सापेक्ष शासन द्वारा 800.01 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी है। योजना के कार्य हो रहे हैं। रायबरेली स्थित मिलों से निकलने वाले एफलूएन्ट की उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निगरानी की जाती है। उत्प्रवाह में गुणवत्ता मानक के अनुरूप पाये जाने पर ही संचालन की अनुमति बोर्ड द्वारा दी जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में थाना स्तर पर जांच में अनियमितताओं की शिकायत

125–डॉ0 अजय तोमर–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में थाना स्तर पर जांच में अनियमिताओं की शिकायतों पर अंकुश लगाने हेतु थानों पर अपराधों की निष्पक्ष एवं प्रभावी जांच सुनिश्चित करने के दृष्टिगत थानों पर स्वतंत्र रूप से एक जांच अधिकारी की नियुक्ति किये जाने पर सरकार विचार करेगी, जो पूर्ण रूप से थानाध्यक्ष/थाना प्रभारी के नियंत्रण से मुक्त है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं।

प्रदेश में थानों पर पंजीकृत अपराधों की दण्ड प्रक्रिया संहिता में थानाध्यक्ष को विवेचना के संबंध में कतिपय अधिकार प्रदत्त है।

विवेचकों द्वारा की जा रही विवेचना का सूक्ष्म पर्यवेक्षण राजपत्रित अधिकारियों द्वारा किया जाता है। अपराधों की विवेचना में त्रुटि अथवा निष्पक्षता के अभाव पाये जाने पर यथोचित कार्यवाही अमल में लायी जाती है। यथा थानों पर पंजीकृत अपराधों की विवेचना में किसी प्रकार की निष्पक्षता प्रभावित होने अथवा शिथिलता परिलक्षित होने पर जनपदीय एस0आई0एस0, अन्य जनपद, अन्य थाना अथवा परिक्षेत्र एस0आई0एस0 या अन्य जांच इकाई यथा अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग, भ्रष्टाचार निवारण संगठन, आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन एवं सतर्कता अधिष्ठान द्वारा कराये जाने की व्यवस्था है। आवश्यकतानुसार शासन के विवेकानुसार किसी भी अपराध की जांच उपरोक्त जांच संगठनों से कराये जाने का प्राविधान है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बागपत के नगर पंचायत क्षेत्र छपरौली में खराब हैण्डपम्पों को रिबोर कराने की मांग

126–डॉ0 अजय तोमर–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत के नगर पंचायत क्षेत्र छपरौली में कुल कितने हैण्डपम्प पूर्ण रूप से/आंशिक रूप से खराब हैं ? क्या सरकार इन हैण्डपम्पों को रिबोर अथवा ठीक करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे–

जनपद बागपत के नगर पंचायत क्षेत्र छपरौली में वर्तमान में 6 नग इण्डिया मार्का–2 हैण्डपम्प पूर्ण रूप से खराब (रिबोर योग्य) हैं। आंशिक रूप से कोई हैण्डपम्प खराब नहीं है।

जी हाँ।

रिबोर योग्य हैण्डपम्पों को वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने एवं जिला योजना में वरीयता निर्धारण होने के उपरान्त कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत में दहेज, हत्या, लूट, बलात्कार एवं अपहरण की घटनायें

127–डॉ0 अजय तोमर–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत में एक जनवरी, 2009 से 30 नवम्बर, 2009 तक कुल कितनी दहेज हत्या, लूट बलात्कार एवं अपहरण की घटनायें हुई हैं तथा उनमें से विवेचना के उपरान्त कितने अपराधियों को जेल भेजा गया ? क्या जनपद में बढ़ते अपराधों की रोकथाम हेतु कोई प्रभावी कार्य योजना बनाई गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जनपद बागपत में 01 जनवरी, 2009 से 30 नवम्बर, 2009 तक दहेज हत्या, लूट, बलात्कार एवं अपहरण की कुल 57 घटनाएं घटित हुई जिनमें विवेचनोपरान्त 134 अपराधियों को जेल भेजा गया।

अपराधों की रोकथाम हेतु जनपद में गश्त पिकेट्स तथा मोबाईल गश्त की व्यवस्था की गयी है तथा अपराधियों की निगरानी हेतु एच0एस0 खुलवाने तथा गैंगेस्टर अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

अनुपूरक बजट में जनपद गोरखपुर स्थित तारामंडल को पुनः प्रारम्भ किये जाने हेतु आवंटित धनराशि

128–डा0 राधामोहन दास अग्रवाल–

क्या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2009–10 के अनुपूरक बजट में जनपद गोरखपुर स्थित तारामण्डल को पुनः प्रारम्भ किये जाने के उद्देश्य से किन

मदों में कितने धन की व्यवस्था की गयी है ? बजटीय प्राविधान किये जाने के बावजूद अभी तक तारामण्डल के पुनः प्रारम्भ न किये जाने के क्या कारण हैं ?

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री अब्दुल मन्नान)–

वित्तीय वर्ष 2009–10 के अनुपूरक बजट में जनपद गोरखपुर स्थित तारामण्डल को पुनः प्रारम्भ किये जाने के उद्देश्य से एक वर्ष के संचालन हेतु रु0 130.36 लाख एवं अवशेष कार्यों हेतु रु0 212.28 लाख की बजट व्यवस्था की गयी है।

गोरखपुर स्थित तारामण्डल को पुनः दिनांक 21–12–2009 से प्रारम्भ कर दिया गया है।

प्रदेश के मुख्य विकास अधिकारियों को गनर/शैडो उपलब्ध कराये जाने संबंधी जानकारी

129–डॉ0 अजय तोमर–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के मुख्य विकास अधिकारियों को भी गनर/शैडो उपलब्ध कराये गये हैं ? यदि हां, तो किस शासनादेश के अन्तर्गत ? यदि नहीं, तो क्या सरकार शासनादेश के विपरीत दी गयी सुरक्षा व्यवस्था को समाप्त करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

आज की स्थिति के अनुसार उ0प्र0 के किसी भी जनपद में शासन द्वारा मुख्य विकास अधिकारियों को गनर/शैडो उपलब्ध नहीं कराये गये हैं।

उपरोक्तानुसार।

130–131–श्री राम बिशुन आजाद–

[3सरे शुक्रवार के अतारांकित प्रश्न सं0–05–06 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद गोण्डा में चयनित किये गये डॉ0 अम्बेडकर ग्राम

132–श्री राम बिशुन आजाद–

क्या डॉ0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद– गोण्डा में वर्ष 2007 से 30 नवम्बर, 09 तक कितने डॉ0 अम्बेडकर ग्राम चयनित किये गये ? इनमें से कितने ग्रामों को पूर्ण रूप से संतृप्त कर दिया गया है तथा कितने अधूरे हैं ? अधूरे कार्यों को कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ?

श्री रतन लाल अहिरवार–

डॉ0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना के अन्तर्गत जनपद गोण्डा में वर्ष 2007–08 में 34 ग्राम सभाएं वर्ष 2008–09 में 68 ग्राम सभाएं तथा वर्ष 2009–10 में वर्ष 1995–96 के चयनित डा0 अम्बेडकर ग्रामों में से 15 ग्रामों को विकास हेतु चयनित किया गया है।

वर्ष 2007–08 व 2008–09 में चयनित ग्राम सभाओं को लक्ष्य के सापेक्ष चिन्हित सभी कार्यक्रमों से संतृप्त कर दिया गया है। वर्ष 2009–10 हेतु वर्ष 1995–96 के चयनित 15 ग्रामों में सम्पर्क मार्ग, ग्राम/मजरों के अन्दर डामरीकरण, खड़न्जा एवं नाली निर्माण, स्वच्छ पेयजल,

आवासहीन को आवास, आवासहीन को आवासीय पट्टा, भूमिहीन को कृषि योग्य भूमि पट्टा कार्यक्रमों से संतृप्त करा दिया गया है।

15 ग्रामों में सी0सी0 रोड/के0सी0 ड्रेन का निर्माण एवं मजरों को आपस में जोड़ने से संबंधित मार्गों का निर्माण, 13 ग्रामों में विद्युतीकरण तथा 7 ग्रामों में स्वच्छ शौचालय निर्माण का कार्य अवशेष है।

वर्ष 2009–10 हेतु चयनित ग्रामों को मार्च, 2010 तक योजना के समस्त कार्यक्रमों से संतृप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

जनपद गोण्डा में डॉ0 अम्बेडकर ग्राम योजना के अन्तर्गत चयनित ग्रामों में इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत आवासों का चयन

133–श्री राम बिशुन आजाद–

क्या डॉ0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद– गोण्डा में वर्ष 2007–08, 2008–09 व 2009–10 में डा0 अम्बेडकर ग्राम योजना के अन्तर्गत क्षेत्र पंचायत छपिया, मनकापुर, वजीरगंज एवं नवाबगंज के किन–किन ग्रामों को उक्त योजना के अन्तर्गत चयनित किया गया ? चयनित ग्रामों में इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत कितने–कितने आवासों का चयन किया गया ? क्या चयनित सभी लाभार्थी पात्रता की सभी शर्तें पूरी करते हैं ? यदि नहीं, तो उनका चयन किस आधार पर किया गया ?

श्री रतन लाल अहिरवार–

जनपद–गोण्डा में वर्ष 2007–08, 2008–09 एवं 2009–10 में डॉ0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना के अन्तर्गत क्षेत्र पंचायत छपिया, मनकापुर, वजीरगंज तथा नवाबगंज में चयनित ग्राम सभाओं/ग्रामों का विवरण निम्नवत् है:–

1–क्षेत्र पंचायत–छपिया

क्र0सं0	वर्ष	चयनित ग्रामसभा/ग्राम
1	2007–08	शीतलगंज ग्रन्ट, वीरापुर व सिकहरा।
2	2008–09	महुली खीरी, मसकनवां, रतनपुर, शुकुलपुर व देवगांव।
3	2009–10	सुरूवार बुजुर्ग, चुवाड, नेवादा, गडहा, चारू व परसा उदयकर। (सभी ग्राम है)

2–क्षेत्र पंचायत–मनकापुर

क्र0सं0	वर्ष	चयनित ग्रामसभा/ग्राम
1	2007–08	मिर्जापुर रामनाथ व मछलीगांव नानकार।
2	2008–09	रामापुर, समरूपुर, चौबेपुर व अमघटी।
3	2009–10	कुड़ासन, पंडितपुर बन्जरिया खास, अमवा व तुर्काडीहा। (सभी ग्राम है)

3–क्षेत्र पंचायत–वजीरगंज

क्र0सं0	वर्ष	चयनित ग्रामसभा/ग्राम
1	2007–08	पेंडराही, भगोहर व चन्दापुर।

2	2008–09	रमचेरापुर व अशोकपुर खोखिया।
3	2009–10	करौंदा ढोढियापारा व दुर्जनपुर घाट। (सभी ग्राम है)

4–क्षेत्र पंचायत–नवाबगंज

क्र0सं0	वर्ष	चयनित ग्रामसभा/ग्राम
1	2007–08	लौव्वा वीरपुर व इन्दरपुर।
2	2008–09	बैजलपुर, कटरा भोगचन्द्र, दुर्गागंज, रघुनाथपुर व दुल्लापुर।
3	2009–10	नरायनपुर, खडीवा व गढ़ी। (सभी ग्राम है)

उपरोक्त चयनित ग्रामसभाओं/ग्रामों में से वर्ष 2007–08 व 2008–09 में चयनित ग्राम सभाओं तथा वर्ष 2009–10 हेतु वर्ष 1995–96 व वर्ष 1997–98 के चयनित ग्रामों में से लिये गये ग्रामों में इन्दिरा आवास हेतु चयनित आवासों का विवरण निम्नवत् है :–

1–क्षेत्र पंचायत–छपिया

शीतलगंज ग्रन्ट–95, वीरापुर–48, सिकहरा–26, महुली खोरी–181, सकनवा–23, रतनपुर–47, शुकुलपुर–45, देवगांव–18, सुरूवार बुजुर्ग–53, चुवाड–144, नेवादा–41, गडहा–54, चारू–88, परसा उदयपुर–20

2–क्षेत्र पंचायत–मनकापुर

मिर्जापुर रामनाथ–17, मछलीगांव नानकार–22, रामापुर–40, समरूपुर–59, चौबेपुर–54 व अमघटी–122, कुड़ासन–33, पंडितपुर–33, बन्जरिया खास–20, अमवा–67, तुर्काडीहा–57

3–क्षेत्र पंचायत–वजीरगंज

डराही–62, मगोहर–89, चन्दापुर–148, रमचेरापुर–136, अशोकपुर खोखिया–10, करौदा–55 ढोढियापारा–66, दुर्जनपुरघाट–85

4–क्षेत्र पंचायत–नवाबगंज

लौव्वा वीरपुर–68, इन्दरपुर–183, बैजलपुर–51, कैटरा भोगचन्द्र–214, दुर्गागंज–61, रघुनाथपुर–25, दुल्लापुर–54, नरायनपुर–87, खौवा–48, गढ़ी–42

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, विभाग उत्तर प्रदेश के प्रतिवेदन वर्ष 2002–2003 को आडिट शुल्क के प्रमुख बकायेदारों की दर्शायी गयी सूची

134–श्री प्रदीप माथुर–

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा में प्रस्तुत स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, विभाग, उत्तर प्रदेश के प्रतिवेदन वर्ष 2002–2003 में 31 मार्च, 2003 को आडिट शुल्क के प्रमुख बकायेदारों की दर्शायी गयी सूची के अनुसार कुल कितनी धनराशि बकाया दर्शायी गयी है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि इसकी वसूली के लिए क्या कोई प्रयास किए गये ? यदि हां, तो अब तक कितनी धनराशि वसूल की गयी तथा अवशेष धनराशि कब तक वसूल की जाएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी वर्मा

31 मार्च, 2003 को कुल रु0 67,13,01,796.00 (रुपये सरसठ करोड़ तेरह लाख एक हजार सात सौ छानबे मात्र) सम्परीक्षा शुल्क बकाया है।

बकाया सम्परीक्षा शुल्क की वसूली हेतु स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग के द्वारा यथा सम्भव प्रयास किए गये। कुल बकाया धनराशि में से रु0 39,35,43,417.00 (रुपये उन्तालिस करोड़ पैंतीस लाख तैंतालिस हजार चार सौ सत्रह मात्र) की वसूली कर ली गयी है। अवशेष धनराशि की वसूली विशेष अभियान चलाकर यथाशीघ्र कर ली जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

होम्योपैथी चिकित्सा परिषद् उ0प्र0 के कार्यालय में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्वीकृत पदों पर तैनात संविदा कर्मी

135–चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि होम्योपैथी चिकित्सा परिषद् उ0प्र0 के कार्यालय में अधिकारियों/कर्मचारियों के कुल कितने पद स्वीकृत हैं ? स्वीकृत पदों के सापेक्ष कुल कितने नियमित, दैनिक वेतनभोगी, मस्टररोल एवं संविदा कर्मी तैनात हैं ? क्या यह सही है कि बिना पद के भी संविदा कर्मी तैनात हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रकरण की जांच कराकर विधि समस्त कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी वर्मा–

होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड, उ0प्र0 के कार्यालय में अधिकारियों/कर्मचारियों के कुल 14 पद स्वीकृत हैं।

स्वीकृत पदों के सापेक्ष 6 नियमित एवं 6 संविदाकर्मी तैनात हैं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

136–श्री लालजी यादव–

[3सरे शुक्रवार के अतारांकित प्रश्न सं0–11 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

कार्यालय स्थानीय निकाय, उन्नाव में कार्यरत कर्मचारियों की स्थानान्तरण नीति

137–श्री लालजी यादव–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि कार्यालय, स्थानीय निकाय, उन्नाव में ऐसे कितने अधिकारी/कर्मचारी हैं, जो लगातार 10 साल से भी अधिक समय से कार्यरत हैं ? क्या स्थानान्तरण नीति के अनुसार इन अधिकारियों/कर्मचारियों का स्थानान्तरण किया जाएगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे–

नगर पालिका परिषद्, उन्नाव में केन्द्रीयित सेवा के 09 कर्मचारी कार्यरत हैं, इनमें से कोई भी अधिकारी/कर्मचारी 10 साल से अधिक समय से कार्यरत नहीं हैं।

अकेन्द्रीयित सेवा में 473 कर्मचारी कार्यरत हैं। अकेन्द्रीयित सेवा के कर्मचारी स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत नहीं आते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

मेसर्स बजाज हिन्दुस्तान शुगर मिल, गोण्डा का प्रदूषित जल प्रवाह से चमदई नदी को प्रदूषण मुक्त करने की मांग

138–श्री राम बिशुन आजाद–

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–गोण्डा में रामगढ़ टिकरी रेन्ज में चमदई नदी के ऊंट घाट पर बजाज शुगर मिल, कुन्दरकी का प्रदूषित जल जमा हो रहा है, जिससे जंगली जानवरों को पानी पीने से मृत्यु एवं संक्रामक बीमारियां फैल रही हैं ? यदि हां, तो क्या उक्त शुगर मिल के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुये नदी को प्रदूषण मुक्त कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे–

मेसर्स बजाज हिन्दुस्तान शुगर एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0 कुन्दरकी, गोण्डा में क्रसिंग सीजन से जनित होने वाले उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित किया गया है। उद्योग द्वारा चार्टर के प्राविधानों के अनुरूप शुद्धिकृत उत्प्रवाह को रिसाइकिल किये जाने की व्यवस्था अपनाई गयी है। उद्योग का शुद्धीकृत उत्प्रवाह चमदई नदी में निस्तारित नहीं किया जाता है। दिनांक 1–2–2010 को सर्वेक्षण में आस–पास के गांवों का घरेलू उत्प्रवाह निस्तारित होता हुआ पाया गया। उक्त नदी बरसाती नदी होने के कारण नदी में अपना स्वयं का जल प्रवाह नहीं है।

मुख्य चिकित्साधिकारी गोण्डा के पत्र दिनांक 4–8–2009 के द्वारा प्रेषित सूचना के अनुसार मेसर्स बजाज हिन्दुस्तान शुगर मिल कुन्दरकी, गोण्डा द्वारा छोड़े जाने वाले जल से आस–पास के गांवों में संक्रामक बीमारी से जन मानस के ग्रसित होने के संबंध में सूचना/शिकायत उनके कार्यालय में नहीं है।

लागू नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, इलाहाबाद द्वारा धमार्दा संदान तथा न्यास निधियों के किये गये आडिट

139–श्री प्रदीप माथुर–

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, इलाहाबाद द्वारा धमार्दा संदान तथा न्यास निधियों के आडिट किये जाते हैं ? यदि हां, तो स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश के सदन के पटल पर रखे गये प्रतिवेदन वर्ष 2002–03 के अनुसार कितने केन्द्रीय एवं प्रान्तीय न्यास हैं, जिसके कोषाध्यक्ष स्वयं निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, इलाहाबाद है तथा इनमें से कितने ऐसे न्यास हैं जिनका आडिट पिछले तीन वर्ष से नहीं कराया गया है ? क्या सरकार लम्बित वर्षों का आडिट करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी वर्मा–

जी हाँ।

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2002–03 के अनुसार 17 केन्द्रीय एवं 471 प्रान्तीय न्यास हैं। इस प्रकार कुल 488 न्यास हैं। स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग के जनपदीय एवं मण्डलीय कार्यालयों से ऐसे न्यासों की सूचना एकत्र की जा रही है, जिनकी आडिट पिछले तीन वर्षों से नहीं कराई गई है।

जी हाँ।

दिनांक 30 सितम्बर, 2010 तक।

प्रश्न नहीं उठता।

स्थायी इन्दिरा आवास योजना प्रतीक्षा सूची को ग्राम पंचायत की दीवारों पर पेंट करने का प्राविधान की जानकारी

140–डा0 अनिल चौधरी–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गरीबी रेखा से नीचे (बी0पी0एल0) की सूची में शामिल आश्रयहीनों को स्थायी इन्दिरा आवास योजना प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित कर इस स्थायी प्रतीक्षा सूची को ग्राम पंचायत की दीवारों पर पेंट करने का प्राविधान है ? यदि हां, तो क्या तहसील सादाबाद, जनपद–महामायानगर की सभी ग्राम पंचायतों में उक्त प्रतीक्षा सूची दीवार पर पेन्ट कर दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद–

जी हाँ।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

141–श्री अनिल कुमार सिंह यादव–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

विधान सभा क्षेत्र तिलहर, जिला शाहजहांपुर के कतिपय ब्लाकों में खराब इण्डिया मार्का हैण्डपम्प ठीक कराने की मांग

142–श्री राजेश यादव–

क्या ग्राम विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र तिलहर, जिला शाहजहांपुर के ब्लाक जैतीपुर, तिलहर मदनापुर, खुदागंज में दि0 31–05–08 तक कितने इण्डिया मार्का हैण्डपम्प खराब हैं ? सरकार द्वारा खराब इण्डिया मार्का हैण्डपम्पों को कब तक ठीक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद–

214 नग इण्डिया मार्क–11 हैण्डपम्प स्थाई रूप से खराब थे।

स्थाई रूप से खराब उक्त सभी हैण्डपम्पों को मार्च, 2009 तक रिबोर कर चालू करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ में ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग में अवर अभियन्ता तथा सहायक अभियन्ता के स्वीकृत पद

143–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या ग्रामीण अभियंत्रण सेवा बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–प्रतापगढ़ में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग में अवर अभियन्ता तथा सहायक अभियन्ता के कितने पद स्वीकृत हैं ? क्या सरकार के संज्ञान में है कि स्वीकृत पदों के सापेक्ष अभियन्ता न होने से विकास कार्यों की गति अत्यन्त शिथिल है ? यदि हां, तो क्या सरकार रिक्त पदों पर तैनाती करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, कृषि विदेश व्यापार एवं कृषि निर्यात

ठा0 जयवीर सिंह–

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, प्रखण्ड प्रतापगढ़ में अवर अभियन्ता के 25 पद एवं सहायक अभियन्ता के 04 पद स्वीकृत हैं।

उपरोक्तानुसार स्वीकृत पदों के सापेक्ष माह दिसम्बर, 2009 तक 04 सहायक अभियंता कार्यरत थे, जिनमें से एक सहायक अभियन्ता दिनांक 31.12.2009 को सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप 03 सहायक अभियन्ता एवं 32 अवर अभियन्ता कार्यरत हैं। इस प्रकार विकास कार्य प्रभावित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

144–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के चयनित अम्बेडकर ग्रामों को संतृप्त किये जाने की मांग

145–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–प्रतापगढ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में वर्ष 2003–04 से 2008–09 तक चयनित अम्बेडकर ग्रामों को संतृप्त कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो कितने ग्राम शेष हैं ? शेष ग्रामों का संतृप्तीकरण कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री रतन लाल अहिरवार–

प्रदेश में वर्ष 2003–04 से 2006–07 तक डा0 अम्बेडकर ग्रामों का चयन नहीं किया गया था। वर्ष 2007–08 में जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में 05 तथा वर्ष 2008–09 में 10 ग्राम सभाओं को अर्थात् कुल 15 ग्राम सभाओं को डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना के अन्तर्गत चयनित किया गया है। उक्त चयनित ग्राम सभाओं में से वर्ष 2008–09 की ग्राम सभा महुली में 'स्वच्छ शौचालय' कार्यक्रम को छोड़कर अन्य समस्त ग्राम सभाओं को निर्धारित नीति के अनुसार संतृप्त कर दिया गया है।

उपर्युक्तानुसार।

ग्राम सभा महुली में अवशेष स्वच्छ शौचालय निर्माण का कार्य यथाशीघ्र पूर्ण क़राने हेतु जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ को निर्देशित कर दिया गया है।

जनपद बागपत में खराब हैण्डपम्पों को रिबोर/मरम्मत कराने की योजना

146–डा० अजय तोमर–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–बागपत में ब्लाकवार कितने–कितने हैण्डपम्प पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से दिनांक 30–11–09 तक खराब हैं ? क्या इनके रिबोर/मरम्मत की कोई कार्य योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ददू प्रसाद–

जनपद बागपत में दिनांक 30–11–2009 तक स्थाई रूप से खराब हैण्डपम्पों का विकास खण्डवार विवरण निम्नवत् है :–

विकास खण्ड	स्थाई रूप से खराब हैण्डपम्पों की संख्या
बागपत	77
पिलाना	180
बड़ौत	138
खेकड़ा	83
छपरौली	80
बिनौली	426
योग–	984

जनवरी, 2010 तक 03 हैण्डपम्प अस्थाई रूप से खराब थे। अस्थाई रूप से खराब हैण्डपम्पों के मरम्मत का कार्य ग्राम पंचायतों द्वारा नियमित रूप से किया जाता है।

स्थाई रूप से खराब 984 हैण्डपम्प में से 200 हैण्डपम्प को वर्तमान वित्तीय वर्ष 2009–10 में तथा अवशेष 784 हैण्डपम्प को वित्तीय वर्ष 2010–2011 में रिबोर किया जायेगा।

अस्थाई रूप से खराब हैण्डपम्पों को नियमित रूप से ग्राम पंचायतों द्वारा ठीक कराया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

147–डा० राधामोहन दास अग्रवाल–

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

आगरा में कमलानगर स्थित तेजनगर में श्री सोहन लाल की दुकान से ओम प्रकाश के घर तक नाली व सड़क की मरम्मत की मांग

148–श्री जगन प्रसाद गर्ग–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि आगरा नगर में कमलानगर स्थित तेज नगर में श्री सोहन लाल की दुकान से ओम प्रकाश के घर तक की सड़क व नाली विगत एक

वर्ष से जर्जर एवं गड्ढा युक्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नाली व सड़क की मरम्मत करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे–

जी हाँ।

जी हाँ।

नगर निगम आगरा द्वारा कमलानगर स्थित तेजनगर में श्री सोहन लाल की दुकान से ओम प्रकाश के घर तक की सड़क व नाली निर्माण का आगणन तैयार किया गया है। नगर निगम द्वारा धन की उपलब्धता पर कार्य कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

आगरा नगर स्थित माईथान चौराहा से लेकर कस्तूरी देवी जैन कन्या जू0 हाई स्कूल तक की सड़क व नाली की मरम्मत की मांग

149–श्री जगन प्रसाद गर्ग–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा नगर स्थित माईथान चौराहा से लेकर कस्तूरी देवी जैन कन्या जू० हाई स्कूल तक की सड़क व नाली विगत पांच वर्षों से जर्जर एवं गड्ढ युक्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नाली व सड़क की मरम्मत करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे–

आगरा नगर स्थित माईथान चौराहा से लेकर कस्तूरी देवी जैन कन्या जू० हा० तक मार्ग जगह-जगह क्षतिग्रस्त है। जिसकी आवश्यक पैच मरम्मत समय-समय पर करायी जाती है।

माईथान चौराहा से लेकर कस्तूरी देवी जैन कन्या जू० हा० तक की सड़क व नाली निर्माण हेतु रु0 7.70 लाख का आगणन तैयार कराया गया है।

नगर निगम आगरा के पास धन उपलब्ध होने पर कार्य कराया जाना सम्मन हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

आगरा नगर में नगला देवजीन स्थित मलिन बस्ती की सड़क व नाली की मरम्मत की मांग

150–श्री जगन प्रसाद गर्ग–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा नगर में नगला देवजीत स्थित मलिन बस्ती की सड़क व नाली विगत दस वर्षों मे जर्जर एवं गड्ढा युक्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क व नाली की मरम्मत करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे–

जी हाँ।

नगला देवजीत बस्ती में नाली इण्टरलाकिंग एवं हैण्डपम्प के अधिष्ठापन संबंधी कार्यों के लिए जिला नगरीय विकास अभिकरण, आगरा द्वारा नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन विभाग को प्रस्ताव भेजा गया था। नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन विभाग द्वारा अवगत

कराया गया है कि सम्प्रति बजट उपलब्ध न होने के कारण सम्प्रति कार्य होने मे असमर्थता व्यक्त की है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद प्रतापगढ़ के नगर पंचायत क्षेत्र पट्टी के सभी मोहल्लों मे जल भराव के निदान की योजना

151–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ के नगर पंचायत क्षेत्र पट्टी के सभी मोहल्लों मे जल भराव की समस्या के निदान हेतु नाला निर्माण की कोई कार्य योजना प्रस्तावित है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे–

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के नगर पंचायत पट्टी के नवीन कार्यालय भवन निर्माण हेतु योजना

152–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ के नगर पंचायत पट्टी के नवीन कार्यालय भवन निर्माण हेतु कोई कार्य योजना स्वीकृत की गई है ? यदि हां, तो उसका निर्माण कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दूबे–

जी नहीं।

नगर पंचायत पट्टी में कार्यालय भवन उपलब्ध है।

प्रश्न नहीं उठता।

153–श्री राजेश यादव–

[उसरे मंगलवार के अतारांकित प्रश्न सं०–94 के अन्तर्गत स्थानान्तरीय]

जनपद शाहजहांपुर में प्रधान मंत्री रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत फतेहगंज पूर्वी से मड़ई सम्पर्क मार्ग का निर्माण

154–श्री राजेश यादव–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद-शाहजहांपुर में प्रधान मंत्री रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत फतेहगंज पूर्वी से मड़ई सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य मानक के अनुरूप नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद–

जी नहीं।

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रश्नगत सम्पर्क मार्ग का निर्माण फेज 6 के अन्तर्गत अपग्रेडेशन हेतु स्वीकृत है। मार्ग की कुल लम्बाई 25.75 किमी. है। मार्ग का निर्माण योजना के अन्तर्गत निर्धारित विशिष्टियों के अनुरूप ही कराया गया है।

प्रश्नगत सम्पर्क मार्ग की गुणवत्ता के संबंध में स्टेट क्वालिटी मानीटर्स द्वारा दिनांक 23–6–2009, 26–07–2009, 23–10–2009 तथा दिनांक 24–10–2009 को किये गये अपने निरीक्षणों के दौरान कोई प्रतिकूल तथ्य इंगित नहीं किये गये हैं तथा निर्माण के दौरान पायी गयी छोटी-मोटी कमियों का निराकरण भी ससमय करा दिया गया है। अतः किसी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत के ब्लाक बड़ौत में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत रोजगार दिये जाने की मांग

155–डॉ0 अजय तोमर–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बागपत के ब्लाक बड़ौत के कितने-कितने लोगों को ग्रामवार रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत रोजगार दिये गये हैं ? क्या मंत्री जी को यह भी जानकारी है कि जॉब कार्ड धारकों को उक्त योजना से रोजगार न मिल पाने के कारण अन्यत्र मजदूरी करने जाना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार जॉब कार्ड धारकों को उक्त योजना के अन्तर्गत रोजगार दिलाना सुनिश्चित करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री दद्दू प्रसाद–

उत्तर–

जनपद-बागपत के ब्लाक बड़ौत के 44 ग्रामों में 1095 रोजगार कार्ड धारकों को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत दिया गया है। (ग्रामवार सूची संलग्न है)।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना मांग आधारित श्रमपरक रोजगार योजना है, जिसमें न्यूनतम मजदूरी 100 रुपया अनुमन्य है। उक्त पारिश्रमिक दर पर इच्छुक सभी लोगों को मांग के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 249–250 पर।

स्व० श्री रमेश चन्द्र, थाना रेलवे रोड, जनपद मेरठ की पत्नी को पारिवारिक पेंशन का भुगतान

156–श्री सुल्तान बेग–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि का०सं०–066 सी०पी० श्री रमेश चन्द्र थाना रेलवे रोड, जनपद मेरठ की मृत्यु दिनांक 13-7-07 को हो गई थी ? यदि हां, तो क्या उनकी पत्नी को पारिवारिक पेंशन का भुगतान किया जा रहा है ? यदि नही, तो क्यों ? क्या सरकार

पारिवारिक पेंशन स्वीकार कर उसका भुगतान कराये जाने हेतु आदेशित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हाँ।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

पारिवारिक पेंशन के भुगतान के आदेश दिनांक 8-5-2008 को जारी किये जा चुके हैं।

स्व० श्री रमेश चन्द्र, थाना रेलवे रोड, जनपद मेरठ के पुत्र श्री अंकुर मलिक को नौकरी देने की मांग

157–श्री सुल्तान बेग–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि का०सं०–066 सी०पी० श्री रमेश चन्द्र थाना रेलवे रोड, जनपद मेरठ की मृत्यु दिनांक 13-7-07 को सड़क दुर्घटना में हो गई थी ? यदि हां, तो क्या सरकार ने उनके पुत्र श्री अंकुर मलिक को मृतक आश्रित के रूप में नौकरी दे दी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हाँ।

जी नहीं।

स्व० का० रमेश चन्द्र के आश्रित पुत्र श्री अंकुर मलिक को आरक्षी के पद पर सेवायोजित करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था जबकि उनकी शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल है। संगत नियमावली, 2008 में का० के पद पर सेवायोजन हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट निर्धारित है। अतः श्री अंकुर मलिक से चतुर्थ श्रेणी के पद सेवायोजन हेतु प्रार्थना–पत्र/सहमति प्राप्त कर उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध पुलिस मुख्यालय द्वारा पुलिस उपमहानिरीक्षक, जनपद मेरठ से किया गया है।

जनपद शाहजहांपुर के ग्राम पिंगरी पिंगरा ब्लाक ददरौल, अम्बेडकर ग्राम में विकास कार्य कराये जाने विषयक

158–श्री राजेश यादव–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के ग्राम पिंगरी पिंगरा ब्लाक ददरौल, अम्बेडकर ग्राम में विकास कार्य कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 सी०एम०/वि०को०/एम-188532/2009, दिनांक 15-09-08 जो प्रमुख सचिव/सचिव, ग्राम्य विकास को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ददू प्रसाद–

जी हाँ।

प्रश्नगत ग्राम में मानक एवं उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष विकास कार्य कराये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

शाहजहांपुर जनपद की जिला योजना की बैठक में दिये गये निर्देश

159–श्री राजेश यादव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2007-2008 में शाहजहांपुर जनपद की जिला योजना की बैठक में यह निर्देश दिये गये थे कि मा० जनप्रतिनिधियों के प्रस्तावों को शामिल करने का प्रयास किया जाय ? यदि हां, तो प्रश्नकर्ता तथा अन्य जनप्रतिनिधियों के कितने-कितने प्रस्ताव जिला योजना में शामिल किये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जनपद की जिला योजना बनाने हेतु वर्ष 2007–08 में जिला योजना समिति की बैठक नहीं हुई थी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के ब्लाक आसपुर देवसरा में एस0एस0जी0आर0वाई0 योजना में निर्माण कार्यों में की गयी अनियमितताओं की जांच

160–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–प्रतापगढ़ के ब्लाक आसपुर देवसरा में एस0एस0जी0आर0वाई0 योजना में वर्ष 2000 से 2005 तक कराये गये निर्माण कार्यों में की गई अनियमितताओं की जांच एवं सत्यापन के स्तर से कराया गया है तथा उसके परिणाम क्या हैं ? क्या दोषी के खिलाफ कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यो ?

श्री ददद्दू प्रसाद–

जनपद–प्रतापगढ़ के विकास खण्ड आसपुर देवसरा में सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस0जी0आर0वाई0) के अन्तर्गत कराये गये 11 कार्यो की जांच एवं सत्यापन शासन द्वारा प्राविधिक परीक्षक, लखनऊ मण्डल, लखनऊ से कराया गया। 02 कार्यों पर रु0 6,719.00 की धनराशि का दुरुपयोग पाया गया।

दोषी पाये गये कार्मिकों से दुरुपयोग की गई उक्त धनराशि रु0 6,719.00 की वसूली की गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

161–श्री मदन भैया उर्फ मदन गोपाल–

[3सरे बुधवार के अतारांकित प्रश्न सं0–29 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में स्थापित पशु वधशालाएं एवं मीट प्रोसेसिंग प्लान्ट

162–श्री अनिल चौधरी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में कुल कितनी पशु वधशालाएं एवं मीट प्रोसेसिंग प्लान्ट स्थापित हैं ? इनमें से प्रत्येक की पशु कटान एवं मीट प्रोसेसिंग की अधिकतम क्षमता प्रतिदिन पृथक–पृथक कितनी है ?

श्री नकुल दुबे–

प्रदेश के समस्त नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों में स्थानीय निकाय के स्वामित्व में संचालित पशुवधशालाओं की संख्या प्राप्त सूचना के अनुसार 94 एवं मीट प्रोसेसिंग प्लान्ट की संख्या 07 है।

उक्त पशुवधशालाओं में सम्बन्धित निकाय द्वारा पशुओं के निर्धारित कटान की अनुज्ञप्ति के आधार पर भैंस/भैंसा, बकरा/भेड़ पशुओं का वध निर्धारित किया जाता है। मीट प्रोसेसिंग की अधिकतम क्षमता लगाये गये प्लान्ट के आधार पर 40 टन प्रतिदिन से 100 टन प्रतिदिन हो सकती है।

नियम–301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 15 फरवरी, 2010 को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाने हेतु कुल 30 सूचनाएं प्राप्त हुईं। प्राप्त सूचनाओं में से निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें स्वीकार की गयीं :– पहली सूचना श्री रमापति उर्फ रमाकान्त की जनपद महराजगंज के विकास खण्ड बृजमनगंज ग्राम पंचायत लालपुर के ग्राम प्रधान द्वारा बी0पी0एल0 कार्डों में एवं ग्राम पंचायत के विकास हेतु आयी निधि में करोड़ों रुपये के हेरफेर के सम्बन्ध में है। दूसरी सूचना श्री कुलदीप सिंह सेंगर की नगर पालिका परिषद् सुल्तानपुर में हो रही शासकीय निर्देशों की अवहेलना एवं लाखों रुपये के हेरफेर के संबंध में है। (तीसरी सूचना पर श्री आर0के0 चौधरी का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य अनुपस्थित थे।) चौथी सूचना श्री अशोक कंसल की मुजफ्फरनगर–सहारनपुर मार्ग से पानीपत खटीमा मार्ग (पिन्ना) तक बाई पास निर्माण कार्य कराये जाने के संबंध में है। पांचवीं सूचना डा0 राधामोहन दास अग्रवाल की पूर्वी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में उच्च न्यायालय की खण्डपीठ स्थापित करने के संबंध में है। (छठवीं सूचना पर श्री दीप नारायण सिंह दीपू यादव का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य अनुपस्थित थे।) सातवीं सूचना डा0 अनिल चौधरी की जनपद महामायानगर के विकास खण्ड सादावाद एवं सहपऊ के ग्राम मजरों में प्राथमिक विद्यालयों एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में समुचित पढ़ाई न हो पाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। आठवीं सूचना श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह की उत्तर प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था, लखनऊ में प्रशासनिक अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुए श्री शिवराम सिंह चौहान के देय भुगतानों में कटौती कियें जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। नवीं सूचना श्री अमरमणि त्रिपाठी की महराजगंज जनपद में चावल उत्पादकों एवं किसानों के शोषण एवं खाद्य नीतियों का माखौल उड़ाने के संबंध में है। दसवीं सूचना श्री जोखू लाल यादव की इलाहाबाद जौनपुर मार्ग पर स्थित फूलपुर टाउन एरिया में रेलवे क्रासिंग पर ओवर ब्रिज बनाये जाने के संबंध में है। ग्यारहवीं सूचना श्री जावेद अंसारी की जनपद जौनपुर की तहसील शाहगंज ग्राम गुरैनी में ईदगाह से इदरीश अहमद के मकान तक सडक निर्माण कराये जाने के संबंध में है। बारहवीं सूचना श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल की जनपद सिद्धार्थनगर के लगभग 800 गांव टोले पुरवों का विद्युतीकरण राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना में चयनित होने के उपरान्त भी न कराये जाने के संबंध में है। तेरहवीं सूचना श्री महेश चन्द्र गुप्ता की बी0एड0 डिग्रीधारी रिसोर्स एवं इन्टीनरेंट टीचर के नियमितीकरण के संबंध में है। चौदहवीं सूचना श्रीमती मिथलेश पाल की जनपद मुज्जफ्फरनगर

के विकास खण्ड मोरना, पुरकाजी, जानसठ सहित अनेक खराब सड़कों की मरम्मत कराये जाने के संबंध में है। पन्द्रहवीं सूचना डा0आर0ए0 उस्मानी की जनपद लखीमपुर खीरी में राजस्व अभिलेखों में दर्ज खाद के गड्ढों के रूप में सरकारी जमीन से अवैध कब्जे हटाये जाने एवं दोषी क्षेत्रीय लेखपाल का स्थानान्तरण किये जाने के संबंध में है। (सोलहवीं सूचना पर श्री विशम्भर प्रसाद निषाद का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य अनुपस्थित थे) सत्रहवीं सूचना श्री श्यामदेव राय चौधरी की वाराणसी में पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम द्वारा प्राविधानों के विपरीत लोड़ बढ़ाने पर उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ बढ़ने के संबंध में है। अट्ठारहवीं सूचना श्री इमरान मसूद की उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0 में अवर अभियंता से सहायक अभियन्ता में हुई विभिन्न प्रोन्नतियों से संबंधित एकल सदस्य समिति की जांच रिपोर्ट पर कार्यवाही के संबंध में है। उन्नीसवीं सूचना श्री सुरेश्वर सिंह की जनपद बहराइच बेलहा बहुरोली तटबंध टूट जाने के कारण 26 गांवों की कुल आबादी 64000 लोगों के प्रभावित हो जाने के संबंध में है। बीसवीं सूचना श्री राधेश्याम गुप्ता जी की जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र में पिछड़ी अनुसूचित बस्तियों में विद्युतीकरण न होने से उत्पन्न कठिनाई के संबंध में है। इक्कीसवीं सूचना श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल की जनपद मेरठ के अन्तर्गत ककड़खेड़ा क्षेत्र के आस–पास की कालोनियों के विद्युतीकरण कराये जाने के संबंध में है। बाइसवीं सूचना श्री अवधेश प्रसाद की बी0टी0सी0 2004 के प्रशिक्षुओं को मानदेय न दिये जाने के संबंध में है। (तेइसवीं सूचना पर श्रीमती विमलेश का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्या उपस्थित नहीं थीं।) चौबीसवीं सूचना श्री उदयभान करवरिया की जनपद लखनऊ में मालवीय स्टेट कालोनी निकट विजयनगर कानपुर रोड में नाली व सड़क खराब होने के संबंध में है। पच्चीसवीं सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की उ0प्र0 गन्ना शोध परिषद् सेवा नियमावली में व्यवस्था होने के बावजूद सेवानिवृत्त कर्मियों को पेंशन न दिये जाने के संबंध में है। छब्बीसवीं सूचना श्री कुबेर सिंह की जनपद एटा के जलेसर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कस्बा आंवगढ़ बाईपास के कई मार्गों का निर्माण कराये जाने के संबंध में है। सत्ताइसवीं सूचना श्री विद्यासागर गुप्ता की जनपद लखनऊ मवैया पुल से राजकीय मुद्रणालय होते हुए एवरेडी चौराहे तक की सड़क का चौड़ीकरण कराये जाने के संबंध में है। अट्ठाइसवीं सूचना श्री सुन्दर लाल लोधी की जनपद उन्नाव के मुख्य मार्ग पुरवा–अचलगंज के ग्राम लाऊखेड़ा से ग्राम नेवरना तक 12वें वृत्त द्वारा रोड बनाये जाने के संबंध में है। उन्तीसवीं सूचना श्री मदन चौहान की जनपद गाजियाबाद में गढ़मुक्तेश्वर में मण्डी समिति के अन्तर्गत जर्जर मार्गों को विशेष मरम्मत कराये जाने के संबंध में है। तीसवीं सूचना श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव की राजकीय आफीसर्स कालोनी, लखनऊ में पेयजल समस्या के समाधान हेतु नयी बोरिंग व मोटर लगवाये जाने के संबंध में है।

(श्री विशम्भर प्रसाद निषाद के खड़े होने पर)

आपका नाम पुकारा था, आप थे नहीं। अब आ गये हैं, आपकी सूचना ले लेते हैं। आपकी सूचना बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय झांसी में माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार मैनेजमेंट कोटे के अन्तर्गत वर्ष 2008 बी0एड0 परीक्षा का परिणाम घोषित किये जाने के संबंध में है।

(स्वीकृत सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं)

जनपद महराजगंज के विकास खण्ड बृजमनगंज ग्राम पंचायत लालपुर के ग्राम प्रधान द्वारा बी0पी0एल0 कार्डों में एवं ग्राम पंचायत के विकास हेतु आयी निधि में करोड़ों रुपये के हेरफेर के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रमापति उर्फ रमाकान्त–

नियम–301 के अन्तर्गत सूचना।

[जनपद महराजगंज के विकास खण्ड बृजमनगंज के ग्राम पंचायत लालपुर के ग्राम प्रधान द्वारा बी0पी0एल0 श्रेणी के कार्ड वास्तविक रूप से कार्डधारकों को नहीं दिया गया है। ग्राम पंचायत के गरीबों का खाद्यान का वितरण नहीं किया जा रहा है। नरेगा में भी इसी तरह की गड़बड़ी कर केवल उन्हीं लोगों को काम दिया जा रहा है जो पैसा निकालकर आधा पैसा उन्हें दे दें। ग्राम पंचायत के विकास हेतु आये करोड़ों रुपये का फर्जी कार्य दिखाकर गबन किया जा रहा है। ग्राम पंचायत के गरीब अनुसूचित जाति पिछड़ी जाति के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है।

अतः इस औचित्य के प्रश्न से मैं मांग करता हूँ कि उक्त ग्राम पंचायत लालपुर को विगत पाँच वर्षों में आवंटित धन से किये गये गबन की उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषी को दंण्डित कराने एवं गरीबों, अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति के लोगों को न्याय दिलाने का कष्ट करें।]

नगर पालिका परिषद् सुल्तानपुर में हो रही शासकीय निर्देशों की अवहेलना एवं लाखों रुपये के हेरफेर के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री कुलदीप सिंह सेंगर–

आपका ध्यान नगरपालिका परिषद् सुल्तानपुर में हो रही शासकीय निर्देशों की अवहेलना कर लाखों रुपये का भ्रष्टाचार किया जा रहा है। दि0 7 फरवरी, 2010 को नगरपालिका परिषद् सुल्तानपुर की तरफ से सुन्दरलाल व्यावसायिक केन्द्र में 14 दुकानों तथा कुड़वार रोड तहसील बाउन्ड्री के प्रथम तल पर 45 दुकानों के निर्माण हेतु एक दैनिक समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित किया गया। इन दुकानों की कुल लागत लगभग 42 लाख रु0 होती है। इस विज्ञापन में नगरपालिका परिषद् ने टेण्डर प्रपत्र प्राप्त करने की तिथि 9 फरवरी, 2010 तथा जमा करने की तिथि 10 फरवरी, 2010 निर्धारित की थी। व्यापक अनियमितता यह है कि बगैर टेण्डर पड़े व स्वीकृत हुए भी हफ्तों पूर्व ही इन दुकानों का निर्माण कार्य प्रारम्भ करा दिया गया तथा आधा से ज्यादा निर्माण कार्य हो चुका है जबकि टेण्डर अभी तक नहीं खुले हैं न ही इन दुकानों का नक्शा नियति प्राधिकारी सुल्तानपुर से पास कराया गया।

अतः इस प्रकरण का मामला स्पष्ट है कि सुल्तानपुर नगरपालिका में भारी भ्रष्टाचार है तथा शासकीय दिशा निर्देशों का खुलेआम उल्लंघन करके लाखों रु0 धन की बंदरबांट की जा रही है। इस सम्पूर्ण प्रकरण की जांच तथा दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही अतिआवश्यक है इस सम्पूर्ण प्रकरण सर सरकार का ध्यान आकृष्ट करने की माँग करता हूँ।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोटः– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मुज्जफरनगर सहारनपुर मार्ग से पानीपत खटीमा मार्ग (पिन्ना) तक बाईपास निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अशोक कंसल–

जनपद मुजफ्फरनगर में मुजफ्फरनगर–सहारनपुर मार्ग से पानीपत खटीमा मार्ग पिन्ना तक बाई पास का निर्माण होने से नगर मुजफ्फरनगर को रोजमर्रा के लगने वाले जाम से एवं नगर में भारी वाहन प्रवेश होने के कारण किसी न किसी होने वाली दुर्घटना से बचाया जा सकता है। इस महत्वपूर्ण बाईपास निर्माण की मांग जिला स्तर से लेकर शासन स्तर तक विभिन्न माध्यमों से किया जा चुका है लेकिन इस भारी परेशानी से जनता को निजात नहीं मिल सकी है। जबकि जनता की इस परेशानी को देखते हुए जिला प्रशासन से अनुरोध करने पर लोक निर्माण विभाग द्वारा इस बाई पास का प्रस्ताव बनाकर शासन को भिजवा दिया गया लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार इस समस्या के निजात के लिए अभी कोई ठोस कार्यवाही नहीं हो सकी है जबकि वर्तमान में धार्मिक महाकुम्भ का आयोजन हरिद्वार में चल रहा है जिसमें देश–विदेश के करोड़ों लोगों का आवागमन हरिद्वार में होने की सम्भावना है क्योंकि हरिद्वार के लिये मुजफ्फरनगर से होकर लाखों लोग महाकुम्भ में शामिल हो रहे हैं जिस वजह से नगर को भारी जाम की समस्या से दो–चार होना पड़ रहा है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए मु0नगर–सहारनपुर मार्ग से पानीपत खटीमा मार्ग तक बाई पास निर्माण कराये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

पूर्वी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में उच्च न्यायालय की खण्डपीठ स्थापित करने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

*डा० राधामोहन दास अग्रवाल–

[पूर्वी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों के हजारों–हजार अधिवक्ता बन्धु, अपने मुकदमों के लिये इलाहाबाद स्थित उच्च न्यायालय जाने के लिये बाध्य होने के कारण, अपने लाखों वादकारियों को होने वाली आर्थिक, शारीरिक एवं मानसिक हानि के विरोध में पिछले कई माह से सड़क पर हैं। वे प्रत्येक माह के अन्तिम सोमवार को अपना काम बन्द कर हड़ताल पर रहते है।

देश के कई प्रान्तों में, उत्तर प्रदेश से बहुत छोटे होने के बावजूद, मुख्य उच्च न्यायालय के अलावा खण्डपीठ कार्यरत हैं। अगर छोटे प्रान्तों (यथा मद्रास में चेन्नई और मदुरै) में खण्डपीठ हो सकते हैं तो 18 करोड़ की जनसंख्या के प्रदेश में क्यों नहीं ? अकेले उच्च न्यायालय में इतनी बड़ी संख्या में मुकदमें लम्बित हैं कि वादकारी इतने देर में न्याय पाते हैं कि उनके बच्चे इसका लाभ पाते है। लखनऊ खण्डपीठ केन्द्रीय उत्तर प्रदेश में स्थित है। स्वयं केन्द्र के स्तर पर यह विचार चल रहा है कि देश में एक उच्चतम न्यायालय से काम नहीं चल पा रहा है, इसलिये वर्तमान उच्चतम न्यायालय को फेडरल कोर्ट बनाकर देश के अलग–अलग

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

4 केन्द्रों पर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाये। इसी तर्ज पर प्रदेश सरकार को चाहिये कि इलाहाबाद के उच्च न्यायालय को केन्द्रीय उच्च न्यायालय बनाकर, उसके अतिरिक्त प्रदेश के 4 आर्थिक जोन में 4 खण्डपीठ स्थापित की जाये (केन्द्रीय उत्तर प्रदेश में लखनऊ में पहले से ही खण्डपीठ है। सिर्फ 3 की और स्थापना करनी होगी), जिससे पूरे प्रदेश के नागरिक सरल और सस्ता न्याय प्राप्त कर सकें। केन्द्र सरकार ने विगत दिनों यह बयान दिया है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पत्र न लिखने के कारण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खण्डपीठ स्थापित नहीं हो रहा है। अगर उत्तर प्रदेश इस विषय पर स्वयं निर्णय न ले सके तो इस विषय को उत्तर प्रदेश विधि आयोग को प्रतिवेदित किया जाये तथा उन्हें समयवद्ध तरीके से रिपोर्ट देने के लिये आग्रह किया जाय।

अतः नियम–301 के तहत शासन को व्यक्तव्य देने हेतु निर्दिष्ट करने का कष्ट करें।]

जनपद महामायानगर के विकास खण्ड सादाबाद एवं सहपऊ के ग्राम मजरों से प्राथमिक विद्यालयों एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में समुचित पढ़ाई न हो पाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

*डा० अनिल चौधरी–

[जनपद–महामायानगर के विकास खण्ड सादाबाद एवं सहपऊ के ग्राम/मजरों में प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय की संख्या कम होने के कारण यहां के बालकों के लिए पढ़ाई की समुचित व्यवस्था नहीं हो पा रही है।

पूर्व में चली बी0इ0पी0 एवं डी0पी0इ0पी0 योजनाओं से भी यह दोनों विकास खण्ड वंचित रहे हैं।

वर्तमान में चल रही सर्व शिक्षा अभियान योजना में इन दोनों विकास खण्ड में विशेष संरक्षण दिये जाने की आवश्यकता है, ताकि गरीब बालकों की भी शिक्षा की समुचित व्यवस्था हो सके।

अतः सादाबाद विकास खण्ड के गाँव विष्खोरा (करसौरा), गढी अंचा (भुर्रका), गढी ख्याली (भुर्रका), नगला मान्धाता (कुरंसडा) नगला बीच (कुरसंडा), गढी केसरी (मिढ़ावली), नगला बिजना (अरौठा) तथा सहपऊ विकास खण्ड के गांव तकिया (सहपऊ देहात) नगला कोडा (बढार), गढ़ी रामी (शिखरा), नगला डहर (शिखरा) नगला आम (इसौदा), सलहपुर (सलहपुर–चन्दवारा), गढ़ी हुलासी (शेरपुर) नगला नवले (राजनगर) गढी छत्तर (खोंडा) गढी जुलिया (खोडा) में प्राथमिक विद्यालय निर्माण किया जाना आवश्यक है। इसी तरह विकास खण्ड सादाबाद के बिधीपुर (बिसावर) व नगला चौधरी (नौगांवा) तथा विकास खण्ड सहपऊ के मॉगरू, रसीदपुर एवं बहादुरपुर देवकरन में उच्च प्राथमिक विद्यालय का निर्माण कराया जाना आवश्यक है।

अतः उपरोक्त अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न पर त्वरित कार्यवाही कर विद्यालयों का निर्माण सर्व शिक्षा अभियान में कराये जाने की मांग करता हूँ।]

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उत्तर प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था, लखनऊ में प्रशासनिक अधिकारी के पद से सेवानिवृत हुए श्री शिवराम सिंह चौहान के देय भुगतानों में कटौती किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

मैं आपके माध्यम से अविलम्बनीय लोक महत्व की अधोलिखित सूचना देते हुए शासन से शीघ्रातिशीघ्र कार्रवाई की माँग करता हूँ।

मैं माननीय सदन का ध्यान एक महत्वपूर्ण मामले की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। मामला यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था, लखनऊ में प्रशासनिक अधिकारी के पद से श्री शिवराम सिंह चौहान दिनांक 31 जनवरी, 2006 को सेवानिवृत्त हुए थे। सेवानिवृत्त के पश्चात् उनको देय उपादान धनराशि में से रु0 2,87,206.81 की धनराशि काट ली गयी है। निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था, लखनऊ के आदेश के विरुद्ध श्री शिवराम सिंह चौहान ने अपनी अपील प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उ0प्र0 शासन को दिनांक 23 मई, 2007 को प्रस्तुत की थी परन्तु उक्त अपील पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

इस सम्बन्ध में दो बिन्दुओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया जाना आवश्यक है। प्रथम यह है कि श्री शिवराम सिंह चौहान को सेवानिवृत्ति के पश्चात् उन घटनाओं हेतु आरोप–पत्र दिया गया है, जो श्री चौहान को आरोप–पत्र दिये जाने से चार साल से अधिक पहले की थी। सिविल सर्विस रेगुलेशन्स के अनुच्छेद–351A में व्यवस्थानुसार सेवानिवृत्ति के पश्चात् तभी आरोप–पत्र दिया जा सकता है जबकि घटनायें आरोप–पत्र दिये जाने के चार वर्ष के अन्दर की ही हों। यहाँ पर यह भी उल्लेखनीय है कि चूँकि उत्तर प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था, लखनऊ के आदेश संख्या–नि0शि0319/जाँच/2006–07, दिनांक 21 दिस बर, 2006 के आधार पर उक्त जाँच अनुच्छेद–351A के अन्तर्गत ही की गयी है, अतः इस आधार पर श्री चौहान की अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।

इसके अतिरिक्त इस बिन्दु पर भी आपका ध्यान आकर्षित करना है कि श्री चौहान को सेवानिवृत्त के पश्चात् देय उपादान की धनराशि, बिना किसी नियम या शासनादेश के, रोक ली गयी और दण्डादेश दिनांक 11 मई, 2007 पारित होने के पश्चात् उनकी ग्रेच्युटी की धनराशि में से रु0 2,87,206.81 की धनराशि की कटौती कर ली गयी। इस प्रकार बिना किसी नियम/शासनादेश के ग्रेच्युटी की धनराशि एक वर्ष चार माह तक रोकना एवं ग्रेच्युटी में कटौती किया जाना उचित नहीं था। जबकि C.S.R. के अनुच्छेद–351A के अनुसार देय पेंशन से ही कटौती की जा सकती है न कि अन्य देय उपादान की धनराशि से। इस प्रकार यह कटौती ही नियम विरुद्ध है।

मैं आपको यह भी अवगत कराना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था, लखनऊ में पेंशन योजना लागू नहीं है जिससे श्री चौहान को कोई पेंशन प्राप्त नहीं हो रही है। श्री चौहान को दो बार फालिस का अटैक हो चुका है और उन्हें अभी दो बेटियों का विवाह भी करना है। वर्तमान में इनकी आर्थिक स्थिति अत्यन्त खराब है।

श्री चौहान की ग्रेच्युटी से नियम के विरुद्ध वसूली होने और उन्हें पेंशन न मिलने के कारण उनका परिवार भुखमरी की कगार पर है। श्री चौहान को फालिस का अटैक हो चुका है

और वह बीमार रहते हैं तथा अभी उनकी दो पुत्रियों का विवाह भी होना है जो धनाभाव के कारण नहीं हो पा रहा है। शासन द्वारा उनकी अपील शीघ्रातिशीघ्र स्वीकार किए जाने की माँग करता हूँ।]

महराजगंज जनपद में चावल उत्पादकों एवं किसानों के शोषण एवं खाद्य नीतियों का मखौल उड़ाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अमरमणि त्रिपाठी–

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के गम्भीर विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। जनपद महराजगंज के प्रमुख चावल उद्योग शासन की कुरीतियों के कारण बन्द होने के कगार पर पहुंच चुका है। महराजगंज में जहां चावल उत्पादक करोड़ों/अरबों रुपया खर्च कर आज बेबसी से शासन की नीतियों को कोस रहे हैं। वहीं किसान आज भी अपने धान को सरकारी क्रय केन्द्रों पर न बेच पाने के कारण भुखमरी के कगार पर पहुंच गये हैं। किसी तरह से बिचौलियों के माध्यम से तौल भी करा दिया गया है परन्तु भुगतान लटका पड़ा है। सम्भागीय खाद्य नियंत्रक गोरखपुर मण्डल द्वारा मण्डल में कुल लगभग 10 लाख कुन्तल चावल लेवी व कस्टम के रूप में गोदामों में खरीदा गया जिसमें कमीशन के रूप में सं0खा0नि0, (आर0एफ0सी0) ने करीब 12 करोड़ रुपये यह कहकर उत्पादकों से ले लिया कि यह पैसा शासन को ऊपर तक भेजना है तभी खरीद सम्भव है। लेवी के रूप में हमारे विधान सभा क्षेत्र में मैसर्स सूर्यप्रकाश ट्रेडिंग कम्पनी पैसिया, गणेश इण्डस्ट्रीज परसौनी, चौधरी मार्डन राइस मिल महादेवा कांशीराम, बबलू मिनी राइस मिल पैसिया, कमलेश ट्रेडर्स बरगदवा इत्यादि राइस मिलों को लेवी भेजने हेतु चौरी चौरा जनपद गोरखपुर का टी0डी0 स्लिप किया गया। जिसमें लगभग 7500 कुन्तल चावल ट्रकों पर लदकर चौरी–चौरा गोदाम पर भेजा गया। शासन की मंशा के अनुसार एक ही केन्द्र निरीक्षक किसी भी केन्द्र का प्रभारी व गोदाम का प्रभारी नहीं हो सकता है। परन्तु इस आदेश के विपरीत आर0एफ0सी0 ने अपने चहेतों उमेश मणि को चौरी–चौरा के केन्द्र व गोदाम का प्रभारी, कमलेश पाण्डेय को गोण्डा गोदाम का प्रभारी व चरगांवा प्रभारी, रूपेश सिंह को उसरा का प्रभारी बनाकर अवैध वसूली करवा रहे है।,

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के गम्भीर विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए शीघ्र कठोर दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।]

इलाहाबाद–जौनपुर मार्ग पर स्थित फूलपुर टाउन एरिया के रेलवे क्रासिंग पर ओवर ब्रिज बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जोखू लाल यादव–

[इलाहाबाद–जौनपुर मार्ग पर स्थित फूलपुर टाउन एरिया के रेलवे क्रांसिग पर ओवर ब्रिज/बाईपास मार्ग न होने के कारण आवागमन बाधित रहता है। आये दिन वहां जाम लगा

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

रहता है। कभी–कभी ऐसी हृदय विदारक घटनायें हो जाती हैं जब जाम के कारण गम्भीर रोगी कराहते हुए दम तोड़ देता है।

मान्यवर यह इलाहाबाद–जौनपुर मार्ग निकटवर्ती कई जनपदों को लिंक करता है।

यह अत्यन्त अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर रोककर चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद जौनपुर के तहसील शाहगंज ग्राम गुरैनी में ईदगाह से इदरीस अहमद के मकान तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के के अन्तर्गत सूचना

श्री जावेद अंसारी–

[मैं आपके माध्यम सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं जनपद जौनपुर में तहसील शाहगंज का गुरैनी गांव (मदरसा अरबिया रियाजुउलूम) अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर ख्याती प्राप्त है। इस मदरसे के कारण देश–विदेश के प्रख्यात विद्यावान एवं शोध छात्र बराबर यहां आते जाते रहते हैं।

जौनपुर शाहगंज मुख्य मार्ग पर स्थित गुरैनी गांव तहसील शाहगंज जनपद जौनपुर में ईदगाह से इदरीस अहमद के मकान तक लगभग 1.5 किमी0 सड़क आज भी कच्ची और खस्ता हाल है। जिसके कारण लोगों को भारी असुविधा होती है तथा बाहर से आने जाने वाले सैलानियों, पर्यटकों और विद्वानों के समक्ष शर्मिंदगी का एहसास होता है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के महत्वपूर्ण विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए ग्राम गुरैनी तहसील शाहगंज जनपद जौनपुर में ईदगाह से इदरीस अहमद के मकान तक सड़क निर्माण शून्य से लेपर स्तर तक कराये जाने की शासन से मांग करता हूं।)

जनपद सिद्धार्थनगर के लगभग 800 गांव टोले और पुरवों का विद्युतीकरण राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना में चयनित होने के उपरान्त भी न कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल–

[जनपद सिद्धार्थनगर को राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत चयनित किया गया है। आज के भौतिक युग में विद्युत की आवश्यकता मानव जीवन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बिना विद्युत आपूर्ति के जीवन के उत्थन की कल्पना करना भी असंभव है। जनपद सिद्धार्थनगर के राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना में चयनित होने के उपरांत भी अभी तक लगभग 800 गांव, टोले और पुरवों का विद्युतीकरण अभी तक नहीं हुआ है जिसके कारण इन गांवों के निवासी विद्युत की असुविधा से अभी तक वंचित है, और अंधकार में जीवन यापन करने को विवश है। ऐसी स्थिति में उनके सम्मुख विद्युत की अनुपलब्धता के कारण विभिन्न प्रकार की परेशानियां उत्पन्न है और उनको विकास विद्युत के अभाव में अवरूद्ध है। यहां के

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नागरिकों को विद्युत की सुविधा न मिलने के कारण उनमें आक्रोश एवं रोष व्याप्त है। ऐसी दशा में उक्त गांवो में जल्दी से जल्दी से विद्युतीकरण की आवश्यकता है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुये कार्यवाही की मांग करता हूं।]

बी0 एड0 डिग्रीधारी रिसोर्स एवं इंटीनरेंट टीचर के नियमितीकरण के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री महेश चन्द्र गुप्ता–

[सादर अवगत कराना है कि सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विकलांग बच्चों (मूकबधिर, नेत्रहीन व मन्दबुद्धि) को शिक्षा प्रदान करने वाले इंटीनरेंट व रिसोर्स टीचर की नियुक्ति विकास क्षेत्र वार संविदा पर 2005–06 में की गई। यह टीचर विकास क्षेत्र के 16–20 बच्चों को कक्षा 1–8 तक बेसिक शिक्षा के परिषदीय विद्यालयों में भ्रमण करते हुए अतिरिक्त शैक्षिक सपोर्ट देते हैं।

इन विशेष शिक्षकों (IT, RT) की नियुक्ति राज्य परियोजना कार्यालय सर्व शिक्षा अभियान लखनऊ के आदेशानुसार जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्र 2005–06 में की गई थीं इन टीचरों की योग्यता प्रशिक्षित स्नातक होने के साथ विकलांगता में विशेषज्ञता है। इनकी विशेषज्ञता सम्बन्धी डिग्री राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) या भारतीय पुनर्वास परिषद् (RCI) द्वारा मान्यता प्राप्त है।

आज प्रदेश में रिसोर्स टीचर लगभग 160 इंटीनरेंट टीचर लगभग 1400 कार्यरत हैं। जिसमें से लगभग 350 बी0एड0 डिग्रीधारी हैं और शेष डिप्लोमा धारी हैं।

इन विशेष शिक्षकों को सत्र 2005–06 से मानदेय के रूप मे रुपये 6000 हजार मात्र दिया जाता है। जबकि इनके कार्य (विकलांग बच्चों के शिक्षण) को कोई सामान्य अध्यापक नहीं कर सकता है।

यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि 05 सामान्य बच्चों के उर्दू भाषा के शिक्षण हेतु एक स्थायी उर्दू शिक्षक की नियुक्ति की व्यवस्था है। परन्तु पूरे विकास खण्ड स्तर पर लगभग 500 विकलांग बच्चों हेतु एक विशेष शिक्षक की स्थाई नियुक्ति नहीं की जा रही है। जहां सामान्य बच्चे सप्ताह में 6 दिन प्रतिदिन 6 घण्टे शिक्षा प्राप्त करते है। यही विकलांग बच्चे सप्ताह में 2 दिन एक या दो घण्टे शिक्षा प्राप्त करते हैं।

शासन इन विकलांग बच्चों को शिक्षा प्रदान करने वाले विशेष अध्यापकों के प्रति उदासीन रवैया अपना रहा है।

अतः नियम 301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए पूर्ण करने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद मुजफ्फरनगर के विकास खण्ड मोरना, पुरकाजी, जानसठ सहित अनेक खराब सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्रीमती मिथिलेश पाल–

[जनपद मुजफ्फरनगर के विकास खण्ड मोरना, पुरकाजी, जानसठ की अधिकतर सड़कें जर्जर है। जिसके कारण क्षेत्रीय नागरिकों को आवागमन में भारी असुविधा होती है। इन विशेष क्षतिग्रस्त मार्गों का विवरण निम्नवत् है :–

1–ग्राम रूडकली से तिस्सा तक।

2–ग्राम रूकली मोड से ग्रा0 रूडकली तक।

3–ग्रा0 रूड़कली से ग्रा0 से तेवडा तक।

4–ग्रा0 तेवडा से ककरौली तक।

5–ग्रा0 खेडी फिरोजाबाद से पिमोडा तक।

6–ग्रा0 शाहदरा में राजवाहे के पुल से सतीश प्रधान के मकान तक।

7–ग्राम भण्डूर से बेहडा आस्सा तक।

8–ग्रा0 कासमपुर खोला से ग्रा0 कटिया तक।

9–ग्रा0 ढांसरी से कुएं तक।

10–ग्राम रसूलपुर में मस्जिद से रजवाहे के पुल तक।

11–ग्राम जडवड से सम्भलहेडा तक।

12–भोपा रोड से ग्राम युसुफपुर तक।

13–भोकरहेडी बेलडा मार्ग।

14–ग्राम टण्ढेडा स्कूल से ग्राम बेहडा की ओर।

15–ग्राम भण्डूर से ग्राम सिखेडा तक मिटटी खड़ंजा कार्य।

16–भोपा रोड से ग्राम यूसुफपूर तक लेपन कार्य।

17–श्याम सिंह के खेत से जंगल की ओर जाने वाला रास्ता।

18–ग्राम रहकडा में श्री बलजोर सिंह पाल के मकान से श्री ओम प्रकाश पंडित के मकान तक।

19–ग्राम भण्डूर में राजवाहे के दक्षिण वाले घाट से कब्रिस्तान वाली सड़क तक शून्य से लेपन कार्य तक।

20–नगर पंचायत भोकर हेडी से खिचड़ी वाले आश्रम तक।

21–ग्राम भण्डूर में राजबाहे के दक्षिण वाले घाट से कब्रिस्तान वाली सड़क तक लेपन कार्य।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

22–ग्राम मन्दोड से ग्राम दाहखेड़ी होते हुए सिखेड़ा जाने वाले मार्ग को जानसठ मीरापुर मार्ग से जोड़ने वाले रास्ते पर लेपन कार्य।

23–ग्राम जौली के बस अड्डे से करबला तक शून्य से लेपन स्तर तक।

उक्त सभी मार्ग 8 वर्ष से पूर्व निर्मित है, और इनकी मरम्मत/जीर्णोद्धार कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः उपरोक्त मार्गों के जीर्णोद्धार/मरम्मत कराये जाने की शासन से मांग करती है।]

जनपद लखीमपुर खीरी में राजस्व अभिलेखों में दर्ज खाद के गड्ढों के रूप में सरकारी जमीन से अवैध कब्जे हटाये जाने एवं दोषी क्षेत्रीय लेखपाल का स्थानान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*डा0 आर0 ए0 उस्मानी–

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान जनपद लखीमपुर खीरी की पलिया तहसील के ग्राम सरखना पूरब में राजस्व अभिलेखों में दर्ज खाद्य के गड्डो के रूप में सरकारी जमीन पर क्षेत्रीय लेखपाल की मदद से अवैध कब्जा कर लिया गया है। जिससे जनता में भारी आक्रोश/जनाक्रोश व्याप्त है। खाद्य के गड्डो को अवैध कब्जे से मुक्त कराकर ग्रामवासियों को घूरा डालने हेतु उपरोक्त सरकारी भूमि का वितरण कराया जाना जरूरी है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न पर उपरोक्त कब्जा हटाया जाये।]

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी में मा0 उच्च न्यायालय के आदेशानुसार मैनेजमेन्ट कोटे के अन्तर्गत वर्ष 2008 बी0एड0 परीक्षा का परिणाम घोषित किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

[आपका ध्यान लोक महत्व के विषय बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय झांसी के अन्तर्गत मा0 उच्च न्यायालय के आदेशानुसार मैनेजमेंट कोटे के अन्तर्गत वर्ष 2007–08 बी0एड0 की परीक्षा करायी गयी थी। जिसका वार्षिक परीक्षा परिणाम अभी तक नहीं घोषित किया गया। जिसके कारण सैकड़ो बी0एड0. डिग्री धारक छात्रों का भविष्य अन्धकारमय हो गया है। जनपद बांदा, हमीरपुर, झांसी, जालौन, के कई स्व–वित्तपोषित कालेजों से बी0एड0 के छात्रों ने सितम्बर, 2009 में परीक्षा दी थी। ज्ञात हुआ है कि कापियां भी जंच चुकी हैं लेकिन अभी तक परीक्षा परिणाम नहीं घोषित किया गया है जिससे छात्रों के अन्दर आक्रोश व्याप्त है। न्यायहित में शीघ्र उक्त परीक्षा परिणाम घोषित कराया जाना चाहिए।

अतः लोक महत्व के उपरोक्त विषय पर नियम 301 के अन्तर्गत सूचना को स्वीकृत करते हुए बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय झांसी को वर्ष 2007–08 के बी0एड0 के छात्रों के परीक्षाफल घोषित कराने के आदेश देने की कृपा करें।]

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

वाराणसी में पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम द्वारा प्राविधानों के विपरीत लोड बढ़ाने पर उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ बढ़ने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)–

[बहुत पहले से आर्थिक रूप से कमजोर सिर्फ बत्ती, पंखा वाले जिन उपभोक्ताओं के यहां लोड कम होता है। उनके द्वारा एक किलोवाट लोड का कनेक्शन लिया गया था जिन्हें फिक्स चार्ज के रूप में 60 रुपये अदा करना पड़ता था और प्रथम एक यूनिट से 100 यूनिट तक रु0 1.90 की दर से चार्ज देना पड़ता था। 101 से 200 यूनिट तक 3 रुपये प्रति यूनिट की दर से तथा 201 से ऊपर के उपभोक्ताओं को 3.30 रु0 की दर से अदा करना पड़ता था। लेकिन आश्चर्य का विषय है कि उ0प्र0 विद्युत प्रदाय संहिता 2005 के प्राविधानों के विपरीत एवं आयोग से भी बिना किसी स्वीकृति के उपरोक्त लगभग 40 हजार घरेलू कनेक्शन धारकों को 2 किलोवाट लोड बढ़ा दिया गया जिससे सभी उपभोक्ताओं को जिन्हें पहले 60 रु0 प्रतिमाह फिक्स चार्ज देना पड़ता था उन्हें अब 120 रु0 फिक्स चार्ज देना पड़ेगा और साथ ही रु0 1.90 के स्थान पर 3 रूपये प्रति यूनिट की दर से अदा करने हेतु तथा 300 रु0 अतिरिक्त सिक्योरिटी जमा करने हेतु नोटिस/बिल भेजा जा रहा है जिससे आर्थिक रूप से कमजोर उपभोक्ताओं पर जबरदस्त आर्थिक बोझ बढ़ गया है और वे बुरी तरह परेशान हैं। उल्लेखनीय है कि इस तरह उपभोक्ताओं को बिना विश्वास में लिये मनमाने तरीके से आफिस में बैठकर लोड बढ़ा देना और उन पर आर्थिक बोझ डालने की इजाजत न तो उ0प्र0 विद्युत प्रदाय संहिता 2005 और न ही विद्युत नियामक आयोग भी अनुमति देता है जिससे स्पष्ट है कि उक्त कार्य सभी दृष्टि से अनुचित और नियमों के विपरीत है, जिस पर अविलम्ब रोक लगाये जाने एवं नियमों के अनुसार ही लोड बढ़ाये जाने की कार्यवाही हेतु पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम वाराणसी के प्रबन्ध निदेशक को शासन स्तर पर निर्देशित करने की लोकहित में आवश्यकता है।

अतः 301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के सुनिश्चित विषय पर प्रभावी कार्यवाही एवं सम्बन्धित माननीय मंत्री जी द्वारा प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित करने की मांग करता हूं।]

उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0 में अवर अभियन्ता से सहायक अभियन्ता में हुई विभिन्न प्रोन्नतियों से संबंधित एकल सदस्य समिति की जांच रिपोर्ट पर कार्यवाही के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री इमरान मसूद–

[उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड में अवर अभियन्ता से सहायक अभियन्ता के पद पर हुई विभिन्न प्रोन्नतियों से सम्बन्धित एकल सदस्य समिति (श्री हरीराज किशोर सचिव, ऊर्जा की जांच रिपोर्ट पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई ? दिनांक 14–1–2000 के बाद आमेलित कर्मचारियों/अधिकारियों को विभिन्न संवर्गों में की गई 08 प्रोन्नतियों को इस जांच से बाहर क्यों रखा गया, जबकि यह प्रोन्नतियां भी समान आधार पर बगैर संयुक्त वरिष्ठता सूची निर्गत की गई थी। वर्ष 2008 में एक सहायक अभियन्ता

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

(सिविल) अपने पद से त्याग–पत्र देकर लम्बी अवधि तक अनुपस्थित रहे, फलस्वरूप उन्हें त्याग–पत्र स्वीकारोपरान्त माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश पर अंतरिम रूप में पुनः सेवा में रखा गया। मुख्यालय पर सहायक अभियन्ता (सिविल) के बिना रिक्त पद पर नियुक्त कर उन्हें कार्मिक अनुभाग का कार्यभार दिया गया। जहां से उनके स्वयं के विरुद्ध वाद की पैरवी हो रही है। प्रस्तुत शपथ–पत्रानुसार वह निजी संस्था में वैतनिक सलाहकार नियुक्त रहे। क्या उनके द्वारा इस हेतु पूर्व विभागीय अनुमति ली गई एवं क्या विभाग द्वारा शपथ–पत्र की सत्यता की जांच करायी। क्या इनके सलाहकार नियुक्ति सम्बन्धित दस्तावेज प्राप्त किये गये ? क्या इनके विरुद्ध सेवा नियमावली के तहत कार्यवाही की गई जिसमें इनकी वरिष्ठता खंडित होना शामिल है ? क्या इनके द्वारा कृत कार्यवाही वैध थी ? एवं क्या वाद के चलते इन्हें अधिशासी अभियन्ता पद पर प्रोन्नति हेतु नामित किया जा रहा है ? क्या ऐसा करना विधिसंगत है ? निगम में इस तरह का पक्षपात पूर्ण रवैया निगम एवं प्रदेश दोनों के लिये घातक है।

अतः मैं अविलम्बनीय इस लोक महत्व के प्रश्न पर कार्यवाही की मांग करता हूं।)

जनपद बहराइच बेलहा बहुरोली तटबन्ध टूट जाने के कारण 26 गांवो की कुल आबादी 64000 लोगों के प्रभावित हो जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश्वर सिंह–

[बेलहा बहरौली तटबन्ध का निर्माण 1955–56 में हुआ था। आज वर्तमान समय में किलोमीटर 55 से 57 के मध्य तटबन्ध से घाघरा नदी की दूरी मात्र 800–900 मी0 बची है, यदि समय से स्पर का निर्माण कर नदी की दिशा परिवर्तित करने का कार्य न किया गया तो तटबन्ध टूट जाने के कारण विभिन्न ग्रामों जैसे बिसवां आबादी 3500, मनेरा–1500, घुरेहरीपुर–2000, बहोरवा–800, जैतापुर–5000, धर्मापुर–2000, गुजौलीकलां–1500, गुजौलीखुर्द– 1200, साईगांव–4000, बेहटा चूरामणि–1500, तैलवा–1000, कोदही–6000, कनैरा–2000, गोहनियां–3000, अमवा–तेतारपुर–2000, बमियारी–2000, हेमनापुर–2000, भदवानी–2500, नंदवल–5000, ढकेरवा–1500, बसहिया–2000, ढिकौली–2500, सिरौली–1500, रसूलपुर–करेहटा–2000, वजीरगंज–4000 एवं कटेला 2000 इस प्रकार कुल ग्राम 26 एवं कुल आबादी 64000 पूर्ण रूप से प्रभावित होगी।

अतः जनहित, किसानहित, राजस्व हित में यह आवश्यक हो गया है कि 15 जून, 2010 के पूर्व बनवाकर नदी की दिशा परिवर्तित कराने का कार्य प्राथमिकता के आधार पर कराया जाय।

अतः विधान सभा कार्य प्रक्रिया नियमावली के अन्तर्गत नियम 301 के तहत सरकार को सदन में जवाब हेतु निर्देशित करें।]

जनपद फतेहपुर की विधान सभा क्षेत्र में पिछड़ी अनुसूचित बस्तियों में विद्युतीकरण न होने से उत्पन्न कठिनाई के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राधेश्याम गुप्ता–

[मैं आपके माध्यम से अपने विधान सभा नगर क्षेत्र फतेहपुर के पिछड़ी अनुसूचित बस्तियों में विद्युतीकरण न होने से उत्पन्न कठिनाइयों की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मेरे विधान सभा नगर क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली बस्तियों में विद्युतीकरण नहीं जिससे वहां के नागरिक पिछड़ी जाति व अनुसूचित जाति, अनुसूयित जनजाति के लोगों का जीवन अत्यन्त नार्कीय हो गया है। जिसमें 1–हरगनपुर, 2–मधुपुरी, 3–चौधकियापुर, 4–खलीफापुर, 5–बीबीपुर, 6–सैदाबाग, 7–जयरामपुर, 8–मिठनापुर, 9–नरायनपुर, 10–अजगवां, 11–चक बिसौली, 12–मुचुवापुर, 14–गडरियनपुर, 14–कंजरन का डेरा (आबूनगर), 15–नई बस्ती आबूनगर, 16–नई बस्ती राधानगर, 17–नई बस्ती हरिहरगंज आदि इन बस्तियों का विद्युतीकरण कराना अति आवश्यक है। विद्युतीकरण न होने से इन बस्तियों में निराशा एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उपरोक्त बस्तियों का विद्युतीकरण कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद मेरठ के अन्तर्गत कंकरखेड़ा क्षेत्र के आस-पास की कालोनियों के विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले)–

[मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत कंकरखेड़ा क्षेत्र लगभग 50 वर्ष पुरानी आवासीय आबादी वाला क्षेत्र है। क्षेत्र में आबादी बढ़ने के साथ-साथ क्षेत्र में कालोनियों का भी विस्तार हो रहा है। लेकिन विद्युत विभाग कंकरखेड़ा के आस–पास की कालोनियों जैसे मंगलपुरी, टीकाराम कालोनी, नगला तासी जैसी कालोनियों में विद्युतीकरण नहीं कर रहा है। इन कालोनियों में अधिकतर दलित एवं अनुसूचित जाति के लोग निवास करते हैं, जो मजदूर, रिक्शा चालक अथवा अ य छोटी-छोटी प्राइवेट नौकरियां करके अपने परिवार का भरण-पोषण कर रहे हैं। कंकरखेड़ा क्षेत्र के उपखण्ड अधिकारी द्वारा भ्रष्टाचार की सभी सीमायें पार कर दी गयी हैं। बिना सुविधा शुल्क के विद्युत कनेक्शन नहीं दिये जा रहे हैं। जो लोग सुविधा शुल्क दे देते हैं उन्हें विद्युत कनेक्शन दे दिया जाता है, जो सुविधा शुल्क नहीं देते हैं उन्हें 50–50 हजार रुपये के इस्टीमेट बनाकर दे दिये जाते हैं कि जमा करो तब 2 किलोवाट का घरेलू विद्युत कनेक्शन मिलेगा। मंगलपुरी क्षेत्र मे तो ऐसे उदाहरण हैं कि एक मकान के दो किनारों को सुविधा शुल्क लेकर कनेक्शन दे दिया गया है मध्य के मकान को 45 हजार का इस्टीमेट बनाकर दे दिया है।

यह सब कालोनियां किसी प्राइवेट बिल्डर द्वारा नहीं बसायी गयी हैं इसलिए इनका विद्युतीकरण सरकार द्वारा ही तत्काल कराया जाना चाहिए। बिना बिजली के गरीबों के बच्चों को पढ़ने में दिक्कत आ रही है। मार्च में बोर्ड की परीक्षायें होने वाली हैं। बिना विद्युत के बच्चे परीक्षा की तैयारी कैसे करेंगे। गरीब, दलित एवं अनुसूचित व्यक्तियों को विद्युतीकरण होने तक तत्काल विद्युत कनेक्शन जैसे पहले लम्बी दूरी से तार लटका कर दिये गये हैं तत्काल जारी किये जाने चाहिए।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

बी०टी०सी०–2004 के प्रशिक्षुओं को मानदेय न दिये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अवधेश प्रसाद–

[प्रदेश के बी०टी०सी०–2004 के जो प्रशिक्षुओं को कोई वेतनमान न मिलने से उनमें असंतोष की भावना व्याप्त हो गयी हैं क्योंकि बी०टी०सी०–2006 को 2500/–रु० प्रतिमाह दिया जा रहा है। 2004 बी०टी०सी० के जो प्रशिक्षु हैं, उसमें सभी जाति और धर्म के हैं तथा जो सेवा शर्तें उर्दू बी०टी०सी०–2006 के प्रशिक्षुओं की है, वही बी०टी०सी०–2004 की। समान कार्य, समान वेतन व समता के अधिकार का तो उल्लघंन है ही है, साथ ही साथ संविधान के अनुच्छेद–14 का खुल्लम–खुल्लम उल्लंधन है।

सदन के समक्ष इस महत्वपूर्ण समस्या को लाकर शासन से मांग करता हूँ कि जिस तरह से उर्दू बी०टी०सी०–2006 के प्रशिक्षुओं को शासन की तरफ से 2500/– रु० प्रतिमाह मानदेय दिया जा रहा है, उसी पैमाने पर बी०टी०सी०–2004 के प्रशिक्षुओं को भी मानदेय दिया जाए। न मिलने से प्रदेश के 2004 बी०टी०सी० के प्रशिक्षुओं के मन में शासन के प्रति असंतोष की भावना प्रबल रूप से उत्पन्न होने की संभावना है। यह बहुत अविलम्बनीय, लोक महत्व का प्रश्न है। इसलिए शासन से मांग करता हूं कि बिना अविलम्ब के बी०टी०सी०–2004 के प्रशिक्षुओं को प्रतिमाह मानदेय दिया जाय।]

जनपद लखनऊ के मालवीय स्टेट कालोनी निकट विजयनगर कानपुर रोड में नाली व सड़क खराब होने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री उदयभान करवरिया–

[आपके माध्यम से अविलम्बनीय महत्व की सूचना सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूँ। मालवीय स्टेट कालोनी निकट विजय नगर कानपुर रोड, लखनऊ, लखनऊ में सड़क निर्माण एवं नाली के अधूरे कार्य को पूरा कराये जाने के सम्बन्ध में आपके संज्ञान में यह समस्या आना अति आवश्यक है क्योंकि इस समस्या के कारण गन्दगीय कीचड़ एवं बरसात में जल भराव हो जाने से सभी लोगों का चलना दूभर हो जिसके फलस्वरूप गन्दगी से तरह–तरह की बीमारियाँ पैदा होती हैं।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए स्टेट कालोनी निकट विजय नगर कानपुर रोड लखनऊ के दो गलियों में 200 मी0 के अधूरे कार्य को पूरा कराये जाने के सम्बन्ध आवश्यक कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूँ।]

उ०प्र० गन्ना शोध परिषद् सेवा नियमावली में व्यवस्था होने के बावजूद सेवानिवृत्त कर्मियों को पेंशन न दिये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सुरेश कुमार खन्ना–

[उ०प्र० गन्ना शोध परिषद् सेवा नियमावली जो कि उ0प्र0 सरकार से अनुमोदित है। इसके नियम (21) में यह व्यवस्था है कि परिषदीय कर्मचारी अधिकारी को सेवानिवृत्त होने के

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोटः– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

बाद पेंशन दी जायेगी, परन्तु इस नियम (21) का पालन नहीं हो रहा है। इन कर्मचारियों व उनके परिवार के लोगों के सामने सेवा निवृत्त होने के पश्चात घनघोर आर्थिक संकट रहता है तथा भुखमरी का सामना करना पड़ता है। इसी सरकार के कार्य काल में विधान सभा के 2008 के द्वितीय सत्र में वर्तमान मा0 गन्ना मंत्री जी ने अतारांकित प्रश्न संख्या–38 के उत्तर में कहा था कि गन्ना शोध परिषद् के कर्मचारियों को पेंशन देने के प्रकरण पर शासन स्तर पर विचार चल रहा है। मैं समझता हूँ कि दो वर्ष में विचार पूर्ण हो गया होगा तथा सेवा नियमावली के पालन करने हेतु सरकार ने नियम (21) को पालन करने का भी मन बनाया होगा। जनहित में कर्मचारियों व उनके परिवार के हितों की रक्षा के लिए कर्मचारियों/अधिकारियों को सेवा निवृत्त के पश्चात पेंशन मिलना आवश्यक है।

लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर मैं आपके माध्यम से मांग करता हूँ कि उ0प्र0 गन्ना शोध परिषद् के कर्मचारियों के लिये पेंशन की व्यवस्था की जावे।]

जनपद एटा के जलेसर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कस्बा बाईपास के कई मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री कुवेर सिंह–

[मेरे विधान सभा क्षेत्र जलेसर में कई बार जिला योजना में प्रस्तावित सड़कें जो शासन तक पहुँची है परन्तु आज तक उन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है जिसमें प्रमुख रूप से कस्बा अवागढ़ बाईपास, जिनावली–मिर्जापुर मार्ग से नगकलाखड़ी, अम्बरपुर मार्ग, नगला वक्ती मार्ग, नगला कांस मार्ग, गहला मार्ग आदि सम्मिलित थे। जनहित में इन भागों का निर्माण कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार ध्यान आकृष्ट करते हुए उपरोक्त मार्गों का निर्माण कराये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

जनपद लखनऊ मवैया पुल से राजकीय मुद्रणालय होते हुए एवरेडी चौराहे तक की सड़क का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री विद्यासागर गुप्ता–

[निवेदन यह है कि जनपद लखनऊ मवैया पुल से राजकीय मुद्रणालय होते हुये एवरेडी चौराहे तक सड़क बहुत पतली है और पुल बनाने के कारण आवागमन अत्यधिक बढ़ गया है पर सड़क वैसी ही है। जिसके कारण हर महीने कई एक्सीडेन्ट होते हैं।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये मांग करता हूँ कि लोक निर्माण विभाग द्वारा इस सड़क का चौड़ीकरण किया जाय।]

जनपद उन्नाव के मुख्य मार्ग पुरवा–अचलगंज के ग्राम लाऊखेड़ा से ग्राम नेवरना तक 12वें वृत्त द्वारा रोड बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सुन्दर लाल लोधी–

[जनपद उन्नाव का ग्राम नेवरना व उसके मजरे ग्राम चन्दीखेड़ा, सेवाखेड़ा, लाऊखेड़ा जिसकी आबादी लगभग 5 हजार है। मुख्य मार्ग अचलगंज, पुरवा रोड जो ग्राम लाऊखेड़ा से

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोटः– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

गुजरती है परन्तु लाऊखेड़ा नेवरना के मध्य चन्दीखेड़ा, सेवाखेड़ा होते हुये कोई मार्ग नहीं है। जिससे नेवरना व अन्य ग्रामों की जनता को आवागमन में अत्यधिक कठिनाई पड़ती है। मैंने कई बार मार्ग बनवाने हेतु पत्र दिये परन्तु अभी तक मार्ग का निर्माण नहीं हो सका।

कृपया जनहित में प्रमुख सचिव पंचायती राज को निर्देश देने का कष्ट करें कि जिला पंचायत उन्नाव द्वारा कार्य योजना में सम्मिलित कर ग्राम लाऊखेड़ा से ग्राम नेवरना तक जोड़ने का कार्य करें।]

जनपद गाजियाबाद में गढ़मुक्तेश्वर में मण्डी समिति के अन्तर्गत जर्जर मार्गों की विशेष मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मदन चौहान–

[मान्यवर, पूर्व के वर्षों में मण्डी परिषद् द्वारा कुछ मार्गों का निर्माण कराया गया था। आज वह मार्ग क्षतिग्रस्त होकर आवागमन में बाधा बने हैं जो निम्न है।

(1) ग्राम भदस्याना तथा ग्राम जलालपुर के बीच

(2) ग्राम नावादा पुल से ग्राम फरीदपुर की ओर

(3) ग्राम रसूलपुर से ग्राम अल्लीपुर मुगलपुर की ओर

(4) ग्राम भदस्याना से ग्राम हाजीपुर की ओर उपरोक्त मार्गों की विशेष मरम्मत जनहित में अत्यन्त आवश्यक है यह सूचना अनेक ग्रामों से जुड़ी महत्वपूर्ण व अविलम्बनीय है। मैं शासन का ध्यान आकर्षित करते हुये विशेष मरम्मत हेतु निर्माण का आग्रह करता हूँ।]

राजकीय आफिसर्स कालोनी लालबाग, लखनऊ में पेयजल समस्या के समाधान हेतु नयी बोरिंग व मोटर लगवाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव–

[मैं अविलम्बनीय लोकमहत्व के निम्नलिखित विषय को उठाने हेतु अनुमति चाहता हूँ :–

1–लखनऊ स्थित राजकीय लालबाग आफिसर्स कालोनी, लालबाग लखनऊ एक शासकीय आवासीय कालोनी है जिसमें 7–7 मंजिल की दो इमारतें 'ए' ब्लाक तथा 'बी' ब्लाक हैं। इसमें 28–28 फ्लैट्स हैं। उक्त कालोनी के अध्यासियों की पेयजल समस्या हेतु लगभग 10 वर्ष पहले पीने के पानी की बोरिंग शासन द्वारा करायी गयी थी जिससे पेयजल समस्या का समाधान हो गया था। उक्त बोरिंग पुरानी हो चुकी है और बोरिंग का मोटर भी जीर्ण–शीर्ण अवस्था में है तथा अनेकों बार जल चुका है जिससे अनेक बार पेयजल की भीषण समस्या उत्पन्न हो जाती है।

अतः मेरा अनुरोध है कि उक्त कालोनी के अध्यासियों एवं उनके परिवारों के लिए पेयजल जैसी मौलिक आवश्यकता पूर्ति करवाने तथा उक्त कालोनी में नई बोरिंग एवं नया मोटर लगवाये जाने जैसे अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय को कृपया मुझे सदन में उठाने की अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें।]

दिनांक 17 जनवरी, 2010 को श्री सुल्तान बेग के बरेली स्थित फार्म हाउस के वर्कशाप पर पुलिस द्वारा छापा डाले जाने विषयक व्यक्तिगत प्रकरण

श्री रियाज अहमद–

मान्यवर, सुल्तान बेग जी की व्यक्तिगत परेशानी है कृपया दो मिनट का समय दे दें आपको बताना चाहते हैं।

नोटः– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री सुल्तान बेग–

माननीय अध्यक्ष जी, 17–1–10 को मेरे फार्म हाउस पर, वहां मेरी वर्कशाप है, जिसे मैंने एक मोहम्मद इकवाल खाँ लड़का है गाँव का ही, उसे ठेके पर दे दिया था। वहां पुलिस ने छापा मारा, और वहां पर एक ट्रक और एक इण्डिका कार चोरी का होना बताकर, उसे अपने कब्जे में ले लिया। उसमें मेरे खिलाफ व अन्य पाँच–छः व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा–अ संख्या–56/2010 और मुकदमा–ब संख्या 60/2010 कायम कर दिया। मान्यवर, इसमें मैं सिर्फ आपसे यह कहना चाहता हूँ कि इस ट्रक से, इस इण्डिका कार से न तो मेरा कोई सरोकार है और न मेरा कोई वास्ता है, न मेरे परिवार का कोई वास्ता है, मैं इसमें आपका संरक्षण चाहूँगा, इसमें मुझे व मेरे परिवार का द्वेष की भावना से फंसाया जा रहा है, राजनैतिक द्वेष की भावना से फंसाया जा रहा है, मेरा आपसे सिर्फ एक ही अनुरोध है कि मेरी वर्कशाप पर जो आदमी ट्रक लेकर आया था उसका नाम अवतार सिंह है वह रुद्रपुर का रहने वाला है और मेरी वर्कशाप जो मैंने ठेके पर दे दी है, उसमें बा–हैसियत एक कस्टमर, अपनी गाड़ी में काम कराने आया, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मैं यहां से जाऊँ या कोई भी माननीय सदस्य अपने क्षेत्र से आता है और रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो जाए तो अगर वह किसी वर्कशाप में अपनी गाड़ी ठीक कराने जाए तो क्या वर्कशाप वाला यह उससे पूछेगा कि तेरी गाड़ी चोरी की है? मान्यवर, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अवतार सिंह से, या वह गाड़ी जहां से चुराई गई है कहां से खरीदी गई है जिसने फाइनेंस किया है, मेरा कोई मतलब नहीं है मेरा मोबाइल देख लें, मेरे भाई का मोबाइल देख लें, एक भी काल कभी किसी से बात हुई हो, किसी से कोई लेन–देन की बात हुई हो, तो मैं माननीय अध्यक्ष जी आपसे बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि कोई भी टेस्ट आप करा लें, अगर एक रत्ती भर भी मैं या मेरा भाई दोषी पाया जाए, तो मैं लिखित आपको स्वयं इस्तीफा दे दूँगा। मैं लगातार दूसरी बार तीसरी पीढ़ी का विधायक हूँ। मेरे परिवार में मौलाना हफीक साहब यहां के सदस्य थे, मेरे बड़े दादा विधायक हुआ करते थे, छोटे दादा रफीक साहब विधायक हुआ करते थे, लगातार मैं यहां पर दूसरी बार विधायक चुनकर आया हूँ। तो माननीय अध्यक्ष जी मेरी छवि को खराब करने का पुलिस क़ा षडयंत्र है अभी तक की जो मेरी जानकारी है वह गाड़ी चोरी की है या नहीं है? मुझे नहीं मालूम, मुझे झूठा फंसाया जा रहा है मैं इसमें बेकसूर हूँ मैं अपने आप को बेकसूर साबित करने के लिए यह अनुरोध करना चाहता हूँ कि इसमें सी0बी0सी0आई0डी0 से जाँच करा लें आप अगर सी0बी0सी0आई0डी0 से जाँच नहीं कराते हैं तो ढेर सारी एजेन्सी आपके पास हैं। किसी भी एजेन्सी से आप जाँच करा लें अगर मैं दोषी पाया जाऊँ तो मैं तो मैं आज ही विधान सभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर चला जाऊँगा, मुँह काला करके चला जाऊँगा लेकिन जिस तरह से षडयंत्र करके, बाकायदा प्लानिंग करके, मेरे गाँव के अन्दर जाकर यह कहा जाए कि यह गाड़ियाँ चोरी की है, एक गाड़ी मेरी भी ले गए मेरे परिवार की गाड़ी है, मैंने कागज दिये हैं, मेरे पास कागज रखे हैं मेरी बहन कागजों को दिखाती रही, जिसने गाड़ी को फाइनेंस किया है जिसने बेचा है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

बात आ गई है।

श्री सुल्तान बेग–

तीसरा आदमी किस तरह से गाड़ी को ले करके आया, उसका दोष है या नहीं इसमें मुझे कुछ नहीं कहना है लेकिन मैं इसमें निर्दोष हूँ, मेरा भाई इसमें निर्दोष है।

*श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, आपने कृपापूर्वक इनकी व्यथा सुन ली। एक ऐसी बात जिसका मा0 सदस्य ने स्वयं रखा और मान्यवर, यहाँ तक रख दिया कि अगर उनका कोई भी दोष पाया जाए तो वह कोई सजा पाने को तैयार हैं। मान्यवर, आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, इसमें आप एक ऐसा निर्देश दें कि जब तक कोई साक्ष्य इस तरीके का इकट्ठा न हो जाये और जो साक्ष्य इन्होंने दिए हैं, उनका जब तक परीक्षण न कर लिया जाए, तब तक कोई भी कार्यवाही आगे नहीं की जायेगी, इस बात का आश्वासन मा0 मंत्री जी को सदन में देना चाहिए और आप सरकार को निर्देशित करेंगे कि वह स्पष्ट तौर पर इस बात को कर दें, मान्यवर, एफ0आई0आर0 के आधार पर उनके घर पर छापे डाले जा रहे हैं, उनके बच्चों को परेशान किया जा रहा है और मान्यवर, सदन का सत्र चल रहा है और एक निर्दोष विधायक का जीना मुहाल है, इसलिए आप संरक्षण नहीं देंगे तो कौन देगा ? मान्यवर, आप पीठ से सीधे निर्देश दे दें और इसकी जाँच एजेंसी तय कर लीजिए लेकिन एफ0आई0आर की बिना पर एक मा0 सम्मानित सदस्य के यहाँ पर छापे डाले जा रहे हैं। मान्यवर, आप सरकार को निर्देशित कर दें।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, बात आ गई।

*नेता, विरोधी दल (श्री शिवपाल सिंह यादव)–

माननीय अध्यक्ष जी, सदस्य का स्वयं का मामला है और सदस्य को काफी दिन हो गए, एक तो सदस्य की छवि खराब करने के लिये पुलिस ने षड्यन्त्र करके और उसमें बड़े अधिकारियों का हाथ है। केवल सदस्य की छवि खराब करने के लिए और आज से नहीं, जब से एफ0आई0आर0 हुई है, क्या सदस्य के परिवार का कोई सदस्य कोई धन्धा नहीं कर सकता ? तो यह षड्यन्त्र है, अगर इनका वर्कशाप था, वह भी इन्होंने किराये पर दे दिया और चोरी की गाड़ी है कि नहीं है, अगर इनके वर्कशाप पर आ गई है तो सदस्य कैसे दोषी हो गए ? तो मान्यवर, जाँच तो करानी ही है, तफ्तीश तो इसलिए होती है कि सही उसकी जाँच हो लेकिन सही जाँच न हो करके केवल सदस्य को परेशान करना है और सदस्य की छवि खराब करने की नीयत से यह मुकदमा लिखा गया है। क्यों न उन अधिकारियों को भी जो इस षड्यन्त्र में शामिल है, जब एक मा0 सदस्य के खिलाफ षड्यन्त्र पुलिस के अधिकारी कर सकते हैं तो आम जनता का हाल क्या होगा, मान्यवर ? तो उन अधिकारियों के खिलाफ भी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कार्यवाही होनी चाहिए और निष्पक्ष एजेंसी से इसकी जाँच होनी चाहिए और तब तक पूरी कार्यवाही को रोक देना चाहिए। तो मान्यवर, यह व्यक्तिगत मामला है क्योंकि विधायकों को तो आपका ही संरक्षण मिलना है। यह बहुत आवश्यक है इसलिए यहीं पर इस मामले में निर्देशित कर दें, मा0 मंत्री जी को निर्देशित कर दें, सरकार को निर्देशित कर दें और दूसरी जाँच एजेंसी से जाँच करा लें और इनके प्रति कार्यवाही तक न की जाए।

श्री अध्यक्ष–

मा0 मंत्री जी, अभी मा0 सदस्य ने अपने बारे में कहा है।

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)–

मान्यवर, मेरे पास कोई सूचना तो है नहीं और मान्यवर, अगर एफआईआर होती है तो उसकी विवेचना भी होती है और विवेचना में जो तथ्य आते हैं, उसके हिसाब से कार्यवाही होती है।

श्री अध्यक्ष–

जैसा कि अभी मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि कोई सूचना नहीं है।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, तथ्य आते हैं तो एजेंसी बदली भी जाती है।

यह तो कोई बात नहीं हुई। मान्यवर, यह क्या करना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, आप संरक्षण दें। संसदीय कार्य मंत्री जी तो इसको उपहास की तरह ले रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

उपहास क्या है ? इसकी सूचना उनके पास नहीं है।

श्री अम्बिका चौधरी–

यह तो गम्भीर तरीका है। मान्यवर, एक ही तो अनुरोध है कि हम उत्तर प्रदेश के बाहर की किसी एजेंसी से जांच की मांग तो नहीं कर रहे हैं। सरकार जांच करा ले, सी0बी0 सी0आई0डी0 से जांच करा ले, यह भी इन्हीं की एजेंसी है और आप सैकड़ों–हजारों मामलों में कराते हैं तो इस मामले में क्या दिक्कत है। आप किसी दूसरी एजेंसी से करा लीजिए। स्थानीय थाने, जिला पुलिस के बजाय आप किसी दूसरी एजेंसी से जांच करा लीजिए, इतना ही तो अनुरोध है।

श्री अध्यक्ष–

वास्तव में माननीय सदस्य ने जिस घटना का जिक्र किया कि हमको अकारण इस तरह से तंग किया जा रहा है या अधिकारी मिलकर हमको तंग कर रहे है कि एक विवेचना चल रही है। मैं माननीय मंत्री जी से कह रहा हूँ कि यह एक माननीय सदस्य से जुड़ा हुआ विषय है इसका आप परीक्षण करा लें, इसको दिखवा लें।

श्री लालजी वर्मा–

ठीक है, मान्यवर।

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज, दिनांक 15 फरवरी, 2010 को नियम 300 के अन्तर्गत निम्नलिखित 08 सूचनायें प्राप्त हुयीं। पहली सूचना–

श्री प्रमोद तिवारी व अम्बिका चौधरी की प्रदेश के कारागारों में 14 वर्ष या उससे भी अधिक से निरूद्ध कैदियों की शेष सजा माफ करके उन्हें मुक्त किये जाने के सम्बन्ध में है। दूसरी सूचना श्री अनुग्रह नारायण सिंह की शासन स्पष्ट शासनादेशों के विरूद्ध शासन के अधिकारियों द्वारा उदघाटन समारोहों, शिलान्यास समारोहों एवं विकास योजनाओं से संबंधित समारोहों में मुख्य अतिथि की हैसियत से भाग लिये जाने एवं जन प्रतिनिधियों की अवहेलना किये जाने के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्री प्रमोद तिवारी की उत्तर प्रदेश विधान सभा में दिनांक 7 अगस्त, 2009 को उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा 12(7) के अधीन सदन के पटल पर रखे गये, लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या 5/2008 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) पर कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में यह तीनों सूचनाएं ग्राह्यता हेतु सुनी जायेंगी। चौथी सूचना डा0आर0ए0 उस्मानी की प्रदेश में डिग्री कालेजों की कमी होने के बावजूद सरकार द्वारा सोसायटी के नाम भूमि होने पर एन0 ओ0 सी0 जारी न किये जाने के संबंध में है, पांचवी सूचना श्री अमर मणि त्रिपाठी की दिनांक 17 जनवरी 2010 की रात लक्ष्मीपुर स्थित कार्यालय में कुछ अज्ञात लोगों द्वारा आग लगाये जाने के सम्बन्ध में है, छठी सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की प्रदेश में विद्युत संकट होने के बावजूद आय–व्ययक में विद्युत विभाग की धनराशि कम आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में है, सातवीं सूचना श्री मदन चौहान की जनपद गाजियाबाद के गढ़मुक्तेशवर में गन्ना विभाग के अन्तर्गत निर्मित मार्ग पर माननीय सदस्य का बोर्ड हटाकर दूसरे का लगाये जाने के सम्बन्ध में है, आठवीं सूचना श्री श्याम देव राय चौधरी (दादा) की पी0जी0 आई0 लखनऊ में 6 दिन से सफाई कर्मियों द्वारा कार्य बन्द कर हड़ताल पर रहने से उत्पन्न गम्भीर स्थिति के सम्बन्ध में है, यह सभी सूचनाएं नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आती इसलिए नहीं सुना जायेगा।

प्रदेश के कारागारों में 14 वर्ष या उससे भी अधिक समय से निरूद्ध कैदियों की शेष सजा माफ करके उन्हें मुक्त किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न।

*श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मैं एक अत्यन्त महत्पूर्ण प्रश्न आपके संज्ञान में लाते हुए सम्पूर्ण सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूँ। मान्यवर, प्रदेश के विभिन्न कारागारों में 80 हजार बंदीगण निरूद्ध हैं उनमें से बहुत से ऐसे बंदी हैं जो 35–40 साल से जेल के अन्दर बंद हैं। यही नहीं मान्यवर, अगर मैं उनकी आयु बताउं तो 70 और 80 वर्ष है। निसंदेह मान्यवर, अगर 20–25 साल की उम्र में जेल में अन्दर गये तो 40–45 साल से बन्द है तो 65–70 साल उम्र हो गयी। मान्यवर, सबसे चौंकाने वाला तथ्य यह है कि जो 35–40 साल से बंद हैं इन पर जो मुकदमा कायम है उस मुकदमे की अधिकतम सजा, 3 साल, 5 साल और 7 साल है। तो तीन साल अधिकतम सजा कानून कहता है, 5 साल अधिकतम सजा दूसरी दफाओं में कानून कहता है, 7 साल

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अधिकतम सजा कानून कहता है तो इन 35–40 वर्षों से जेल में जो बन्द है तो इनका गुनाहगार कौन है। क्यों इनको उस सजा के पूरी होने के बाद रखा जा रहा है। इसी तरह मान्यवर, इनकी आयु 70–80 वर्ष हो गयी है। मान्यवर, विशेष रूप से मैं उन महिलाओं और बुजुर्गों का तथ्य आपके सामने उठाना चाहता हूँ। इन महिलाओं के साथ जो उस समय एम महीने, दो महीने, तीन महीने, छः महीने की बच्चियाँ थीं आज वह जेल के वातावरण में रहकर 15–16–20 साल की हो गयी हैं। उनका क्या गुनाह है। क्या जेल का वातावरण इन वयस्क होती लड़कियों के लिए सुरक्षित है। मान्यवर, इसी तरीके से मैं आपको बताऊं तो 90 प्रतिशत ऐसे बन्दी हैं जिनके किसी कौशल का उपयोग भी नहीं हो रहा है। मान्यवर, 24 हजार 428 ऐसे बन्दी हैं, जिन्हें कन्विक्टेड कहा जाता है, सजायाफ्ता कहा जाता है उनमें 13500 बन्दी आजीवन कारावास के हैं तथा शेष सीमित अवधि के दण्ड से दण्डित हैं।

आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित बंदियों में 699 बंदी ऐसे हैं कि जो 14 वर्ष से अधिक की सजा काट चुके हैं। मान्यवर, जिन्हें आजीवन कारावास हुआ है, सर्वोच्च न्यायालय के परिप्रेक्ष्य में, अगर वे 14 वर्ष से अधिक की सजा काट चुके हैं, तो उन्हें जेल में क्यों निरुद्ध किया गया है? मान्यवर, 404 बंदी हैं जो 16 साल से ज्यादा की सजा काट चुके हैं। मान्यवर, 155 बंदी हैं जो 20 साल से ज्यादा की सजा काट चुके हैं। 20 बंदी ऐसे हैं जो 26 साल से ज्यादा की सजा काट चुके हैं। मान्यवर, ऐसे बंदियों को जेल में निरुद्ध रखना, नियमों के विरुद्ध है तथा विधान सभा में घोषित किया गया है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री क्या जवाब देंगे, मैं नहीं जानता, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, लेकिन मैं इनके संज्ञान में ला देना चाहता हूं कि हमारा पड़ोसी प्रदेश मध्य प्रदेश है मान्यवर, वहां भी ऐसी परिस्थिति आयी थी तो वहां दण्ड प्रक्रिया संहिता, सी0आर0पी0सी0 के नियम/अनु0 433 के अंतर्गत, कारागार से छूट दिला कर जो 15 वर्ष की सजा काट चुके थे, ऐसे मामलो में 433 के अंतर्गत उन्हें बिना शर्त मुक्त कर दिया गया है। मान्यवर, मैं इसे नियमों के अंतर्गत ले आया और रख रहा हूं लेकिन इसके साथ मानवीय आधार पर भी आपसे अनुरोध करना चाहता हूं। मान्यवर, कहीं न कहीं हम यहां बैठकर मूक दर्शक नहीं हो सकते, अगर हम मूकदर्शक हैं तो इस प्रदेश में बैठना और सरकार चलाना दोनों का ही क्रोई औचित्य नहीं है। अगर 70–80 साल के वृद्ध जेल में बंद हैं, 35 से 40 साल की सजा काट चुके है, जिस जुर्म में बंद है उसकी चार्जशीट में उनका नाम भी नहीं है। मान्यवर, ऐसे भी बंदी है जिनका एफ0आई0आर0 में नाम नहीं है। चलिये ठीक है, एफ0आई0आर0 में न हो बाद में तफ्तीश में आ गया हो। फिर मान्यवर, उन छोटी बच्चियों की कल्पना कीजिये, हमारे परिवार की न हो, आपके परिवार की न हों, किसी मां की बेटी तो हैं। किसी परिवार की बेटी तो हैं। जो 6 माह की अवधि में दूध पीती बच्चियां मां के साथ चली गयी हैं और 15 साल, 20 साल में जिनका कोई गुनाह नहीं है, वे जेल के वातावरण में रह रही है। मान्यवर, मैं इसमें आपसे विनम्रतापूर्वक अनुरोध करना चाहूंगा कि यह एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय है जिसे मैंने बहुत ज्यादा अध्ययन करके, सारी जेलों से पता लगा कर, सदन के सामने तथ्य रखे हैं, इसे 300 में लें या न लें मान्यवर, लेकिन सरकार को आपको निर्दिष्ट करना चाहिए कि नियम 433 सी0आर0पी0सी0 के अंतर्गत जिस जुर्म के अंतर्गत ये बंद हैं, अगर उसकी अधिकतम सजा ये काट चुके हों मान्यवर, तो इन्हें तत्काल सी0आर0पी0सी0 के नियम/अनु0 433 में मुक्त करना चाहिए। यह जनहित से जुड़ा हुआ प्रश्न है, मानवता से जुड़ा

हुआ प्रश्न है, गंभीर प्रश्न है। मैं सरकार को तो आपके माध्यम से संबोधित कर रहा हूं। लेकिन मैं आपसे भी मान्यवर, विनय, निवेदन, याचना के साथ कहना चाहता हूं कि आज विधान सभा एक नया इतिहास लिखे कि जो कैदी अपनी सजा पूरी कर चुके हों, वे जिनकी आयु 70, 80 साल हो, या जिन महिलाओं के साथ बच्चियां हों, या वे बच्चियां जिनका कोई दोष नहीं है, या जिनका चार्जशीट से नाम निकल गया हो, या जो अधिकतम सजा काट चुके हों, उन्हें दोषमुक्त करने की घोषणा यह सरकार करेगी। इसलिये मान्यवर, मैं आपसे औचित्य का यह प्रश्न उठाता हूं।

*श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रमोद तिवारी जी ने जो तथ्य रखे हैं, मैं उनको दोहरा करके सदन का समय नहीं जाया करना चाहता। मैं इसके दूसरे पक्ष के बारे में बहुत संक्षेप में अपना निवेदन रखना चाहूंगा। श्रीमन्, संविधान के प्राविधानों के अंतर्गत यह विधान सभा गठित है और विधान सभा के समस्त अधिकार भी संविधान द्वारा प्रदत्त हैं। उन्हीं अधिकारों के अंतर्गत हम काम करते हैं और उसमें जो मुख्यतः हमारा जो सबसे बड़ा कार्य है मान्यवर, वह विधान बनाने का है, इसीलिये यह विधायिका है और हम विधायक कहे जाते हैं। श्रीमन् इसके संबंध में हमारी नियमावली के अध्याय 14 में विधान बनाने की समस्त प्रक्रिया वर्णित है और जो सूची है श्रीमन्, वह संविधान में पहले से दी गयी है कि किस पर पार्लियामेण्ट कानून बनायेगी, किस पर स्टेट कानून बनायेगा, कौन सी स्टेट लिस्ट होगी, कौन सी कान्करण्ट लिस्ट होगी, मैं उन चीजों को दोहरा करके सदन का समय नहीं लेना चाहता।

जिस समस्या का उल्लेख मा0 प्रमोद तिवारी जी ने किया है वह इतनी ही नहीं है, वह इससे कहीं भयावह स्थिति में है। श्रीमन्, बनारस की सेंट्रल जेल में 95 वर्ष तक के ऐसे सजायाफ्ता लोग हैं जो 40–45 वर्षों से वहां हैं वह अपना नाम और अपने वारिसान का नाम तक बता पाने की स्थिति में नहीं है। श्रीमन् उनके जेल जाने के साल भर, दो साल, तीन साल बाद तक तो लोग मिलने भी आते हैं, कई लोग ऐसे हैं जिनसे मिलने आने वाले तक लोग नहीं हैं और जिनकी मृत्यु जेल में हो रही है और रोज उनकी स्थिति यह है कि वह चल नहीं सकते, खड़े नहीं हो सकते और जेल में श्रीमन् उनको इन स्थितियों में ले आना पड़ता है। महिला कैदियों की जो स्थिति है श्रीमन् वह आप देख रहे हैं कि कितनी गम्भीर है, उनके साथ जो स्थितियां है श्रीमन् कि बच्चे चले गये हैं तो उन बच्चों का भविष्य क्या है। जिन बातों का उल्लेख मा0 प्रमोद तिवारी जी ने किया स्थिति इतनी भयावह है और सजा का जो प्राविधान है मान्यवर, वह किन कारणों से है। सजा का प्राविधान मान्यवर इन कारणों से है कि उनमें सुधार हो सके और सुधार के बाद जब वह आयें तो सामान्य जीवन यापन कर सकें, अपराध की प्रवृत्ति पर नियंत्रण रख सके इस कारण नहीं है कि उसको इस कदर सड़ा दिया जाय कि उसका कोई भी लाभ उसको जेल भेजने के बाद, उसके सुधर कर आने की कोई गुंजाइश न रह जाय, इसलिए प्राविधान है मान्यवर, सी0आर0पी0सी0 में सेक्शन, यह चूँकि सेंट्रल ऐक्ट है,

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसमें मा0 मंत्री जी का कोई उत्तर आयेगा मैं नहीं जानता, मैं अपनी बात बताना चाहता हूँ, सी0आर0पी0सी0 के सेक्शन–432 में जो दण्डादेश है, जो सजा है, उस सजा के निलम्बन या परिहार का अधिकार सरकार को प्राप्त है और श्रीमन् 433 में उस सजा के लघुकरण का अधिकार है सरकार के पास कि जो सजा है, जो सजा कोर्ट ने दे दी है, उस सजा का लघुकरण कैसे किया जाय और श्रीमन् उसमें आजीवन कारावास के लघुकरण का भी प्राविधानं सरकार के पास है। 1978 में एक संशोधन ले आकर के और श्रीमन् 433 (क) इस सी0आर0पी0सी0 में जोड़ दिया गया। श्रीमन् उसमें निर्बधन हो गया, 433 (क) के माध्यम से यह निर्बधन हो गया कि आजीवन कारावास के जो कैदी हैं, उनका तब तक लघुकरण नहीं किया जायेगा जब तक वह वास्तव में 14 वर्ष की सजा काट न चुके हों। इतनी ही पाबंदी है मान्यवर, 433 में तो पूरी छूट थी, जितना चाहें उतना कर लीजिए, लेकिन 433 (क) मान्यवर, उसको रोकती है कि आप किस सीमा तक इसको कर सकते हैं। आजीवन कारावास के अलावा बाकी सजाओं में तो कोई रोक नहीं है, लेकिन आजीवन कारावास की सजा में मान्यवर सेक्शन 433 (क) सी0आर0पी0सी0 रोकता है मान्यवर कि 14 वर्ष जब तक वास्तविक सजा न हो गई हो, अगर इसको भी मान लें तो हम आपसे अनुरोध यह करना चाहते हैं कि जेल से जिन कैदियों के बारे में यह सूचना है कि इनका चाल–चलन ठीक है, जो रूग्ण हैं, बीमार है, जो अक्षम, है, अपने हाथ से चलफिर नहीं सकते, जो अपंग हैं और उससे और बड़ी परेशानी है मान्यवर, मानसिक रोगियों की तादात जेलों में इतनी बेतहाशा वृद्धि हुई है, बाहर अलग समस्या है, जेलों में अलग बड़ी समस्या है, उन स्थितियों में उनकी सजा माफ करके करने का आपको अधिकारी है, आप कर लीजिए। इसके अतिरिक्त अगर आप इससे भी ज्यादा करना चाहें तो कोई स्टेट अमेन्डमेन्ट ले आकर के आपको पावर है स्टेट अमेन्डमेन्ट इसके पहले तमाम हुए हैं आप अगर कहेंगे तो मैं उसका उल्लेख कर दूँगा, एण्ट्रीसेपेट्री बिल के मामले में हमारा स्टेट अमेन्डमेंन्ट का ऐक्ट है मान्यवर, अन्य मामलों में हमारा स्टेट अमेन्डमेंन्ट है, इसलिए आप स्टेट अमेन्डमेन्ट के द्वारा प्रस्ताव ले आकर के ऐसे कैदियों को जेल से अगर रिहा करने का काम करेंगें तो दो बातें होगी, जेलों में जो ज्यादा कैदियों के कारण स्थिति खराब है, सरकार पर आर्थिक बोझ भी है, उनकी स्थिति जेलों में बहुत खराब है। यही रिपोर्ट पेश हुई थी, तमाम जेलों की, जिसमें मान्यवर सिफ्ट में लोग शौचालय जाते हैं, मान्यवर, रोज सुबह जो नित्य क्रिया के लिए शौचालय जाने की स्थिति है कैदियों की सिफ्ट है एक सिफ्ट में शौचालय जाने की स्थिति जेलों में है उत्तर प्रदेश के, इसलिए मान्यवर, हम आपसे इतने गम्भीर और मानवीय पहलू को दृष्टिगत रखते हुए इतने गम्भीर विषय पर श्रीमन् औचित्य के रूप में इसको उठाते हुए, हम आपसे ऐसे निर्देश या व्यवस्था की अपील करते हैं कि सरकार को निर्देशित करने का काम करें कि यदि आवश्यकता हो तो नया विधान बनाकर के, नई विधि बनाकर के श्रीमन् ऐसे कैदियों को जेल से रिहा कर दिया जाय अन्यथा मान्यवर अगर यही जड़ता चलती रही तो बहुत गम्भीर स्थिति होगी। इसे औचित्य के प्रश्न के रूप में आपके समक्ष रखता हूँ, कृपया अपनी व्यवस्था देने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष–

यह कोई चर्चा नहीं हो रही है, नियम–300 की सूचना है, हां मा0 ओम प्रकाश सिंह जी, एक मिनट में अपनी बात रख दें।

*श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, मा0 तिवारी जी ने जो विषय आपके समक्ष रखा है, उस पर मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन चूँकि अतिसंवेदनशील और मानवीय मामला है, इसमे कोई सरकार जिम्मेदार नहीं है मान्यवर, क्योंकि कई सालों का प्रकरण है और चूँकि जेल और न्याय मंत्री रहने का भी संयोग रहा है।

यह सामान्य आदेश से भी सम्भव नहीं हो पाता क्योंकि यह अमानवीय परिस्थिति क्यों पैदा हुई? यह उन्हीं के प्रति पैदा हुई जिनको एक तरह से कहा जाय कि अनाथ है, जिनके केस की कोई पैरवी करने वाला ही नहीं है, किसी की फाइल गायब है, किसी का रिकार्ड नष्ट हो गया है, कोर्ट में केसेज बढ़ते चले जा रहे है अर्थात वह जीवित है, मानव है, लेकिन एक अमानवीय स्थिति उनकी समाज में हो गयी है। इसलिए मैंने कहा कि अनाथ हैं उनका नाथ केवल सरकार ही है और इस समय सदन है। चूँकि केस कोर्ट में है सबके, कोर्ट के आदेश से बन्द हुए है इसलिए कोई भी रिहाई बिना कोर्ट के सहमति से नहीं हो सकती। हर केस में कोर्ट में जाना पड़ेगा, हर केस की वास्तविक स्थिति क्या है यह रिकार्ड तैयार करना पड़ेगा क्योंकि सरकार निर्णय भी लेगी और यही प्रक्रिया हर गवर्नमेन्ट में उठती चली जाती है और वह सामान्य रूप से फिर समाप्त हो जाती है। इसलिए मेरा एक सुझाव है कि एक उच्च अधिकारी केवल इसी कार्य के लिए डिप्यूट किया जाय और उसको एक समय सीमा दी जाय कि पूरी प्रत्येक के बारे में रिपोर्ट सरकार के सामने प्रस्तुत करे और सरकार की इच्छाशक्ति और मनःस्थिति की बन जाय कि इस मानवीय विषय को जो अमानवीय परिस्थितियों में पड़ा हुआ है, एक जीवित लोगों के साथ में अमानवीय व्यवहार कहीं न कहीं प्रशासनिक लापरवाही के कारण, जुडीशियल परेशानी बाधाओं के कारण लम्बे समय से साल दर साल टलता जा रहा है। उसका निस्तारण हम महीने दो महीने तीन महीने में कर लेंगे और 3 महीने बाद फिर उसकी समीक्षा हो और न 3 महीने बाद हो जाय तो आज सदन आपके आदेश से स्वीकार कर ले और यह चाहे जितना टालेंगे 6 महीने से ज्यादा सदन तो टाल नहीं सकते, सदन एकाएक बैठक समाप्त कर सकते हैं लेकिन 6 महीने से ज्यादा टाल नहीं सकते हैं तो 6 महीने के अन्दर पहली या दूसरी बैठक जब हो तो उस रिपोर्ट पर फिर सदन चर्चा करे लेकिन निस्तारण हो इस मानवीय प्रश्न का और इस मानवीय प्रश्न की जिम्मेवारी आप एक उच्च मानवीय भावना से लें। क्योंकि संसदीय कार्य मंत्री जी के ऊपर भी इतना कार्यभार है और कुछ तकनीकी स्थिति से, मानसिकता से वह बंध गये हैं तो वह स्वीकार तो कर लेंगे लेकिन इसको करना है गृह विभाग और न्याय विभाग को वह विभाग इनके जिम्मे है। नहीं फिर पता चला वह बात टल गयी जो अधिकारी इससे संबंधित है वह देखते रहेंगे और भूल जायेंगे इसलिए कहीं न कहीं इसको इस रूप में बांधिये मान्यवर। और सरकार भी इस उच्च मानवीय विषय को एक

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

इच्छा शक्ति के साथ एक प्रतिबद्धता के साथ स्वीकार करे कि इसको हमें किसी भी परिस्थिति में 6 महीने के अन्दर इस प्रश्न को पूरी तरह से निस्तारित कर देना है। अब कोई अमानवीय पीड़ा से पीड़ित व्यक्ति कोई जेल में नहीं रहेगा। यह आज सदन निर्णय कर ले और यह निर्णय तब होगा जब आप इस मनःस्थिति के हो जायें और मैं संसदीय कार्य मंत्री जी को जानता हूँ कि संवेदनशील है इसमें सरकार विरोध और राजनीति का प्रश्न नहीं है, यह पूरी तरह से मानवीय है इसलिए पूरा सदन इससे सहमत है कि इसका निस्तारण होना चाहिए इसलिए मान्यवर, जो तकनीकी बाधाएं हैं जो अनाथ की स्थिति है उसका निस्तारण हो जाय इसलिए मैं इसका समर्थन करता हूँ।

*चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी–

मान्यवर, मैं अपने को माननीय अम्बिका चौधरी और माननीय ओम प्रकाश सिंह जी से सम्बद्ध करते हुए कहना चाहता हूँ कि यह बहुत ही गम्भीर समस्या है। आज प्रदेश में हजारों लोग बंदी हैं जिनका कोई पैरोकार नहीं है, जिनकी कोई पैरोकारी करने वाला नहीं है, तमाम गरीब लोग हैं बल्कि सजा तो ज्यादातर गरीब लोग पाते हैं अपराधी किस्म के और बड़े लोग तो छूट जाते है तो माननीय अध्यक्ष जी, यह मानवीय प्रश्न है, नियमों से ऊपर उठकर के इस पर मानवीय आधार पर निर्देश आपकी पीठ से हो जाय कि जितने भी कारागार में इस तरह के लोग हैं जो अपनी अवधि से भी ज्यादा सजा काट चुके हैं जितनी सजा उनको होनी थी, जितनी सजा काटनी थी जेल के अन्दर उससे ज्यादा सजा वह काट चुके है।

तो उनकी जाँच कराकर उनकी रिहाई कराने का काम करें, ऐसा निर्देश आपकी पीठ से हो जाय।

श्री अध्यक्ष–

मैनें इस सूचना पर माननीय प्रमोद तिवारी जी को सुना, माननीय अम्बिका चौधरी, माननीय ओम प्रकाश सिंह जी को सुना, माननीय सोलंकी जी को सुना.....

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर हर छोटी बात पर सरकार का जवाब आता है और इतने गंभीर विषय पर सरकार बोलेगी भी नहीं।

श्री अध्यक्ष–

गंभीर विषय है इसीलिये तो सभी दल के नेताओं को हमने सुना है। माननीय मंत्री जी आप कुछ कहना चाहेंगे ?

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री–(श्री लाल जी वर्मा)–

मान्यवर, जहाँ तक इस प्रश्न का सवाल है यह नियम 300 में तो आता नहीं। यह माननीय प्रमोद तिवारी जी और माननीय चौधरी साहब भी अच्छी तरह से जानते है। मान्यवर, किसी व्यक्ति को छोड़ना या न छोड़ना, जैसा मान्यवर, आपको मालूम है कि सर्वोच्च न्यायालय

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नही किया।

ने एक फैसला दिया कि आजीवन मीन्स आजीवन है। कोई सीमाओं में उसको बांधा नहीं है कि 14 साल या 15 साल। मान्यवर, इसके साथ ही साथ राज्य सरकार कभी संस्तुति भी करती है, सिफारिश भी करती है माफीनामे के लिये। महामहिम के स्तर पर भी जाता है अब उनका विवेक है कि वह इसे माने या न मानें। तो मान्यवर, इसलिये नियम 300 में आता नहीं और यह विषय न्यायालय की परिधि में आता है। मैं चाहता हूँ कि इसको आप अग्राह्य करने की कृपा करें। जहाँ तक अगर मान्यवर, कोई विशेष रूप से कोई बुजुर्ग एकदम वृद्ध हो गये हैं या महिलायें एकदम वृद्ध हो गयी है इनका कोई प्रकरण है।

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जिनका केस ही फाइनल नहीं हुआ है केवल पेंडिग पड़ा है, यह ऐसे केसेज है जिनका न्यायालय के सामने पैरवी करने वाला उनका कोई नहीं है।

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, उसको दिखवा लिया जायेगा, नियमों के अनुसार जो संभव होगा।

श्री ओम प्रकाश सिंह–

आप उसी को छोड़ेगें जिसको अन्तिम सजा हो गयी हो, उसको समय–समय पर सरकार तो छोड़ती ही है। लेकिन इनको सजा ही नहीं हुई उनका फाइनल ही नहीं है। अभी पेंडिग पड़ा हुआ है। यह ऐसे केस है।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मैं थोड़ा स्पष्ट कर दूँ। कुछ भ्रम हो रहा है। मैं आजीवन कारावास वालों की अकेले बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जिस दफा में उनका चालान हुआ, जिस दफा में चार्जशीट लगाई गयी उसमें अद्यतन सजा 5 वर्ष या 7 वर्ष है और वह 30 साल से जेल में है तो अधिकतम सजा जो कानून द्वारा निर्धारित है दुनिया की कोई भी अदालत उसे बढ़ा नहीं सकती। अधिकतम सजा तो एक निर्धारित सजा है, उनको माननीय मंत्री जी दिखवा लें, महिलाओं वाला दिखवा लें, वृद्धों वाला दिखवा लें। माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम दिखवा लेंगे। मैं आभारी हूँ उनकी इस प्रतिक्रिया का। लेकिन इस मामले में मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूँ कि उनको यह कैसे जेल के अंदर रख सकते हैं जिनको किसी अपराध में सजा का प्रावधान केवल 5 साल है और अगर वह 30 साल से है तो आप दोषी हैं। आजीवन कारावास की परिभाषा जो सर्वोच्च न्यायालय ने की है, उसमें 433 के अन्तर्गत मध्य प्रदेश सरकार ने रास्ता निकाला है। मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ। सजा होने के बाद पैरोल नहीं दी जा सकती यह तो माननीय मंत्री जी नई बात मुझे बता रहे हैं। सजा होने के बाद भी परमानेंट जमानत दी जा सकती है पैरोल की जा सकती है, सरकार पहल तो करे। मेरा सिर्फ आपसे आग्रह है कि सरकार का पक्ष आपने सुन लिया हमारा पक्ष सुन लिया अब आपके विवेक से जो निर्णय हो, वह दे दें।

श्री अध्यक्ष–

मैनें संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना, यह सूचना नियम 300 में नही आती, मैं इसे अग्राहय घोषित करता हूँ। जैसा कि माननीय सदस्य और मंत्री जी ने भी कहा कि अंडर ट्रायल

अगर कोई अभियुक्त है तो उसके मामले में न्यायालय ही विचार करेगा। लेकिन तब भी माननीय मंत्री जी भी कह रहे थे कि ऐसे बुजुर्ग या जो 14 वर्ष से ज्यादा समय से निरूद्ध हैं, महिलायें भी हैं तो ऐसे मामले को माननीय मंत्री जी ने दिखवाने के लिये भी कहा। मैं इस विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूँ, माननीय मंत्री जी, इसे दिखवा लें।

(श्री अनुग्रह नारायण सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

प्रदेश में विद्युत संकट के बावजूद आय-व्ययक में विद्युत पर कम धनराशि आवंटित किये जाने विषयक औचित्य के प्रश्न की सूचना को पहले सुने जाने का अनुरोध

*श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय, एक सूचना हमारी भी है।

श्री अध्यक्ष–

थोड़ा सुन लें। एक सूचना माननीय खन्ना साहब ने दी है। आज विद्युत विभाग के आय–व्ययक पर चर्चा है। वह कह रहे हैं कि हो सकता है कि हम चर्चा में भाग न ले पायें। तो हमें नियम 300 में ही सुन लिया जाय अब बताइये कि क्या करें ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय, विद्युत विभाग प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण विभाग है।

श्री अध्यक्ष–

अनुग्रह नारायण जी आप बताइये, आपको क्या कहना है ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय, मेरी बात को सुन लिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

अभी विद्युत विभाग के आय–व्ययक पर चर्चा होगी, आप उस पर बोल लीजियेगा। आपने नोटिस में लिखा है कि आय–व्यय पर चर्चा होने वाली है, पहले हमको सुन लें नियम–300 में, अब हम नियम–300 में कैसे सुन लें?

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय, आज की कार्यसूची देख लें, माननीय, 45 विभाग लगे हुए है, इसमें यदि आप सुनेंगे तो एक–एक मिनट भी नहीं मिलेगा। माननीय, यह प्रदेश के साथ कितना बड़ा अन्याय हो रहा है। आज 45 विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा होनी है।

(भा0 सदस्य श्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा लगातार अपनी बात कहते रहने पर)

श्री अध्यक्ष–

अभी चर्चा होगी तो उसमें आप कह लीजियेगा।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, 45 विभागों का बजट एक दिन में पास करके यह सरकार नया इतिहास बनाने जा रही है।

श्री अध्यक्ष–

आपकी सूचना को मैं अग्राह्य कर चुका हूँ। एक सूचना तो मानवीय आधार ले करके मा0 सदस्य ने कहा था उसे मैंने सुन लिया है, बाकी सूचनाओं में कोई सफाईकर्मी का है कोई गढ़मुक्तेश्वर का है, कोई विद्युत संकट है, इन सब पर हम नहीं सुनेंगे, आप कृपया बैठ जायें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, मैं केवल दो बातें कहना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

अरे खन्ना साहब बैठिये। मैंने मा0 अनुग्रह नारायण सिंह को बुलाया है, इनको हमें सुनना है। इनका मा0 विधायक से जुड़ा हुआ प्रश्न है। इसलिए मैं सुन ले रहा हूँ, नहीं तो नियम--300 में तो कोई विषय नहीं आता है। जब विद्युत विभाग के आय–व्ययक पर चर्चा होगी उसमें आप कह लीजिएगा। आप आय--व्ययक की चर्चा नियम–300 में करना चाहते हैं, यह क्या तरीका है ? हाँ, अनुग्रह नारायण सिंह जी आप अपनी बात कहें। मा0 खन्ना साहब की बातों को नोट न किया जाय। विद्युत विभाग के आय–व्ययक की चर्चा पर मा0 खन्ना साहब बोलेंगे।

(श्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा अपनी बात कहते रहने पर)

आपको बोलने की अनुमति नहीं है, इनकी बातों को नोट न किया जाय। खन्ना साहब आप पूरी एनर्जी इसी में लगा देंगे। दो मिनट में मा0 अनुग्रह नारायण सिंह जी कह लीजिए, यह सूचना नियम–300 में नहीं आती है। मा0 खन्ना साहब, आपकी सूचना अग्राह्य हो गयी है। मा0 खन्ना साहब को बोलने की अनुमति नहीं मिली है, इसलिए इनकी किसी बात को नोट न किया जाय।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, आप हमारे संरक्षक हैं।

श्री अध्यक्ष–

हाँ हैं, आप भी हमारे संरक्षक हैं ऐसी बात नहीं है, आप भी हमारे समय को बचा सकते हैं। आप अपनी बात विद्युत विभाग के आय–व्ययक पर कह लीजिएगा। जब आपकी बात ही नहीं सुनी जा रही है तो फिर आपके बोलने का मतलब क्या है ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, आप आज की सूची देख लीजिए।

श्री अध्यक्ष–

सूची सभी लोगों ने देखी हैं केवल आप ही नहीं देखे हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

नहीं, नहीं, सुनेंगे नहीं। आप कृपया बैठिये।

(खन्ना साहब द्वारा अपनी बात कहते रहने पर)

श्री अध्यक्ष–

मा0 सदस्य, अब आप अपनी वरिष्ठता का दुरुपयोग कर रहे हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, [* * *]

श्री अध्यक्ष–

जब आपकी कोई बात नोट ही नहीं हो रही है तो फिर आप बोल करके क्या करेंगे? जब बिना इजाजत के आप बोल रहे हैं तो फिर उसे बोलने से फायदा क्या है? आपकी बात कार्यवाही में नहीं आ रही है, मैंने निर्देश दिया है कि आपकी कोई बात नोट नहीं की जायेगी, तो फिर आपके बोलने से क्या फायदा है? हो सकता है कि तिवारी जी ही गम्भीरता से सुन रहे हों और कोई तो सुन नहीं रहा है। मा0 सदस्य, अनुग्रह नारायण सिंह जी दो मिनट में अपनी बात कहें। चलिये खन्ना साहब हो गया।

जितना आपको बोलना था उसका चौगुना बोल गये है। जबरदस्ती नहीं बोला जाता खन्ना साहब इस तरह का आप अगर आचरण करेंगे तो नये सदस्य आपके आचरण पर आएंगे, तो सदन का कोई समय ही नहीं बचेगा मैं दस बार कहा कि आप बिना इजाजत बोल रहे हैं अग्राह्य कर चुके है। मैंने यह भी निर्देश दिया कि बिना इजाजत के बोल रहे है इनकी कोई बात नोट न की जाये। क्यों आप समय बर्बाद कर रहे हैं खन्ना साहब। एक–एक मिनट का समय होता है खन्ना साहब, तब भी आपने इतना बोल दिया, जितना आप शायद बजट में बोल नहीं पाते आय–व्ययक पर। कुछ रह गया है तो रहने दीजिये। आप भी समय बचायें सदन का।

शासन के स्पष्ट शासनादेशों के विरुद्ध शासन के अधिकारियों द्वारा उद्घाटन समारोह, शिलान्यास समारोह में मुख्य अतिथि की हैसियत से भाग लिये जाने एवं जन प्रतिनिधियों की अवहेलना किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, भारतीय संविधान में विधायिका न्यायपालिका और कार्यपालिका के कार्यक्षेत्र एवं अधिकारों का वर्णन है। मान्यवर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164(2) में मंत्रि परिषद राज्य की विधान सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। मंत्रि परिषद् की नियुक्ति महामहिम राज्यपाल जी करते है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 166(ए) में किसी

नोट [***] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला दिया गया।

राज्य की सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यबाही राज्यपाल के नाम से की हुई की जायेगी। मान्यवर, राज्यपाल जी की ओर से मुख्यसचिव, उत्तर प्रदेश शासन ने समय–समय पर कार्यपालिका और विधायिका के बीच में स्पष्ट रेखा खीची है और कई शासनादेश जारी किये है। सबसे पहला शासनादेश गोपनीय अर्द्ध शा० प०सं०–6855/ए–1958, दिनांक 4 अगस्त 1958 जारी किया गया।

श्री अध्यक्ष --

सबका उल्लेख करेंगे तो काफी समय लगेगा। कृपया संक्षिप्त करें।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह –

दूसरा गोपनीय शासनादेश संख्या 1752 कार्मिक–1/82 जो 10 दिसम्बर, 1982 में जारी किया गया, 15 अप्रैल, 1983 में जारी किया गया। चौथा 21 अप्रैल 1988 को जारी किया गया।

श्री अध्यक्ष –

मूल बता दीजिये।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

सभी शासनादेशों में मान्यवर, निम्नलिखित कठोर एवं स्पष्ट निर्देश दिये गये :–

किसी भी उद्घाटन या शिलान्यास समारोह अथवा विकास योजनाओं के अंतर्गत ऋण स्वीकृति की धनराशि विवरण समारोह अथवा सहायता शिविरों में सामग्री वितरण किये जाने वाले समारोह अथवा ऐसे अन्य समारोहों में अधिकारी मुख्य अतिथि की हैसियत से भाग नहीं लेंगे तथा ऐसे सभी समारोहों में यथासंभव जनप्रतिनिधि ही मुख्य अतिथि अथवा अध्यक्ष होंगे और शासन द्वारा निर्धारित नीतियों की अवहेलना करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध समुचित कठोर कार्यवाही की जाये। मान्यवर, ये शासनादेश जारी हुये और इसकी कापी मा0 मंत्रियों को भी, महामहिम राज्यपाल जी को और मुख्यसचिव को सबको जारी की गयी, लेकिन समय–समय पर ऐसा देखा गया कि इसका स्पष्ट उल्लंघन हो रहा है। हम लोगों के इलाहाबाद में, मेरठ में तमाम ऐसे जगहों पर इस तरह के स्पष्ट उदाहरण हैं। 2 फरवरी, 2007 को इलाहाबाद में संगम सभागार बनाया गया, उसमें मा0 विधायकों से भी निधि ली गयी, लेकिन उसका शिलान्यास तत्कालीन अध्यक्ष राजस्व परिषद् ने किया। अध्यक्षता तत्कालीन मण्डलायुक्त ने किया। इसी प्रकार 17 मार्च, 2008 को उसी संगम सभागार का उद्घाटन मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ने किया। अभी मेरठ में मेरठ विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत डिफेंस इन्क्लेव पार्क बना है। उसका लोकार्पण मा0 मण्डलायुक्त ने किया और इसी तरह तमाम उदाहरण हैं। मान्यवर, एकदम स्पष्ट बात यह है या तो ये सारे शासनादेश खत्म कर दिये जाये और जो जैसा हो रहा है उसे होने दिया जाये और नहीं तो इसको अधिकारियों द्वारा अपने दायित्वों की अवहेलना और विधायकों के कर्तव्यों पर अतिक्रमण मानते हुए अतिक्रमणकारी की तरह उनके खिलाफ कार्यवाही की जाये। ये जो समुचित कार्यवाही की जायेगी। वाक्य है हम मान्यवर, चाहेंगे कि आप इस अध्यक्ष पीठ से संरक्षण दें और इसका स्पष्ट विश्लेषण कर दें। समुचित कार्यवाही क्या होगी? प्रतिकूल प्रविष्टि दी जायेगी? निलंबित किया जायेगा या उनके खिलाफ

और कोई कार्यवाही की जायेगी। एक स्पष्ट निर्देश अध्यक्ष पीठ से होना चाहिए कि कोई कार्यवाही हो और अगर नहीं हो सकती और हम लोग इतने असहाय हो गये है तो उसको समाप्त कर दिया जाये शासनादेशों को और दे दिया जाय चार्ज इनको जो कर रहा है वह करता रहे। जो जहाँ प्रभावशाली होगा, करेगा, सत्तापक्ष विपक्ष जो भी हो। हाँ, मान्यवर, ऐसे उदाहरण है आज सत्तापक्ष के लोग जाकर उद्घाटन करते हैं। वहाँ के जो माननीय विधायक है और जनप्रतिनिधि हैं मुंह ताकते खड़े रहते हैं।

ऐसा नहीं कि नाम आ जाने से बहुत प्रभाव पड़ेगा, लेकिन एक गरिमा है, विधायिका की एक गरिमा है जो इसी शासनादेश से मिला है। मान्यवर, या तो शासनादेश खत्म कर दिया जाए या कड़ाई से इसको लागू कराया जाय।

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)–

मान्यवर, यह नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आता है। जब नियम 300 के अंतर्गत हर ईश्यू उठाया जायेगा तो मैं यही निवेदन करूंगा कि इसको अग्राह्य करें, जहाँ तक शासनादेश का सवाल है पुनः निर्देश दिया जायेगा कि इसका कड़ाई से पालन हो।

श्री अध्यक्ष–

मैंने इस पर संसदीय कार्य मंत्री और अनुग्रह नारायण सिंह जी को सुना। यह सूचना नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आती है। अतः मैं इसे अग्राह्य करता हूँ। जैसा कि मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा वह शासनादेश का परीक्षण कर लेंगे और शासनादेश का परिधि के अन्तर्गत अनुपालन हेतु उसको दिखवा लेंगे। मैं इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।

दिनांक 7 अगस्त, 2009 की बैठक में सदन के पटल पर रखे गए लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या–5/2008 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) पर कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

सूचना, श्री प्रमोद तिवारी जी की है।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। इसलिए आपसे अनुरोध करूँगा कि इस पर आप शासन को निर्देश दे दें कि कार्यवाही करें।

श्री अध्यक्ष–

सभी सूचनायें अग्राह्य की गयी है, परन्तु शासन का ध्यान आकृष्ट कर दिया जा रहा है।

अब मैं मद संख्या–2 ले रहा हूँ।

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएँ (क्रमागत)

श्री अमरमणि त्रिपाठी–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरी बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है, केवल एक मिनट सुन लें।

श्री अध्यक्ष–

त्रिपाठी जी बैठ जाईये। सभी सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट कर दिया गया है।

उत्तर प्रदेश तृतीय राज्य वित्त आयोग (पंचायती राज एवं नगरीय स्थानीय निकाय) का प्रतिवेदन 2006–2011 (प्रथम खण्ड के तीन भाग, द्वितीय खण्ड का एक भाग एवं तृतीय खण्ड का एक भाग) (राज्य सरकार की कार्यवाही ज्ञापन सहित)†

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपको अनुमति से उत्तर प्रदेश तृतीय राज्य वित्त आयोग (पंचायती राज एवं नगरीय स्थानीय निकाय) का प्रतिवेदन 2006–2011 (प्रथम खण्ड के तीन भाग, द्वितीय खण्ड का एक भाग एवं तृतीय खण्ड का एक भाग) को (राज्य सरकार के कार्यवाही ज्ञापन सहित) को संविधान की धारा 243 आई (4) एवं 243 वाई (2) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ।

लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन सं0–2/2004 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित)†

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपको अनुमति से लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या–2/2004 को (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) को लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा 12 की उपधारा (7) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ।

लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन सं0–4/2007 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित)†

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपको अनुमति से लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या–4/2007 को (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) को लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा 12 की उपधारा (7) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ।

भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 2009 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन (वाणिज्यिक)†

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 2009 को समाप्त हुए वर्ष के लिये प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) उत्तर प्रदेश सरकार को संविधान के अनुच्छेद–151 (2) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ।

लोक आयुक्त उ0 प्र0 के विशेष प्रतिवेदन सं0 5/2005 को (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित)†

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या–5/2005 को (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) को लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा 12 की उपधारा (7) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ।

---

† छापे नहीं गये।

स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2004–2005†

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2004–2005 को उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा परीक्षा अधिनियम 1984 की धारा 8 की उपधारा (3) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–8 में कुछ नहीं है।

जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर के अन्तर्गत नासिर पट्टी वि0ख0 प्रतापपुर के शारदा सहायक खण्ड–30 इलाहाबाद से सम्बद्ध नहर पर पुल बनाये जाने विषयक श्री जवाहर यादव उर्फ भुवर नेता आदि निवासीगण इलाहाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्री जोखू लाल यादव–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद–इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर के अन्तर्गत नासिर पट्टी वि0ख0 प्रतापपुर के शारदा सहायक खण्ड–30 इलाहाबाद से सम्बद्ध नहर पर पुल बनाये जाने विषयक श्री जवाहर यादव उर्फ भुवर नेता तथा श्री जिया लाल निवासीगण इलाहाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–10 व 11 में कुछ नहीं है।

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू–गृहादि (कतिपय अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) विधेयक, 2010

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू–गृहादि (कतिपय अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) विधेयक, 2010 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू–गृहादि (कतिपय अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) विधेयक, 2010 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू–गृहादि (कतिपय अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) विधेयक, 2010 को पुरःस्थापित करता हूँ।

उत्तर प्रदेश अपार्टमेंट (निर्माण, स्वामित्व और अनुज्ञा का संवर्धन) विधेयक, 2010

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश अपार्टमेंट (निर्माण, स्वामित्व और अनुरक्षण का संवर्धन) विधेयक, 2010 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अपार्टमेंट (निर्माण, स्वामित्व और अनुरक्षण का संवर्धन) विधेयक, 2010 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश अपार्टमेंट (निर्माण, स्वामित्व और अनुरक्षण का संवर्धन), विधेयक, 2010 को पुर:स्थापित करता हूँ।

उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2010

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2010 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2010 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय?

(प्रश्न उपस्थित हुआ और स्वीकृत हुआ)

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2010 को पुर:स्थापित करता हूँ।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य और अधिकारी तथा मंत्री सुख–सुविधा विधि (संशोधन) विधेयक, 2010

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य और अधिकारी तथा मंत्री सुख–सुविधा विधि (संशोधन) विधेयक, 2010 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा माँगता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य और अधिकारी तथा मंत्री सुख–सुविधा विधि (संशोधन) विधेयक, 2010 को पुर: स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा माँगता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य और अधिकारी तथा मंत्री सुख–सुविधा विधि (संशोधन) विधेयक, 2010 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित हुआ और स्वीकृत हुआ)

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य और अधिकारी तथा मंत्री सुख-सुविधा विधि (संशोधन) विधेयक, 2010 को पुरःस्थापित करता हूँ।

आज की कार्यसूची की मद संख्या–20, कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, मद संख्या–20 के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष–

क्या व्यवस्था है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, कार्यमंत्रणा समिति में परम्परा रही है कि वहाँ बहुमत से ही निर्णय होता है, सर्वसम्मति से निर्णय होता है और उसके प्रस्ताव को सदन में सर्वसम्मति से स्वीकार किया जाता है। लेकिन आज परम्परा के पालन करने का प्रश्न है। अभी कल छुट्टी थी लेकिन 14 तारीख को छुट्टी के दिन एकाएक कार्यमंत्रणा समिति की बैठक बुला ली गई। यह प्रस्ताव बहुमत के पास है। बहुमत वहाँ था कल सदन की बैठक समाप्त कर दी जाय यह फैसला हुआ। पूरा विपक्ष इससे सहमत नहीं है। हम भी सहमत नहीं है। जिस तरह से पिछले कुछ साल में सदन की बैठक जितने दिन के लिए घोषित होती है उससे पहले ही समाप्त हो जाती है। पिछले सत्र में 13 दिन के लिए घोषित थी लेकिन तीन दिन में समाप्त हो गई। इस बार 24 तारीख तक सदन की बैठक घोषित थी लेकिन 16 तारीख को ही बैठक समाप्त हो रही है। इससे सदन की साख और सार्थकता दोनों ही समाप्ति की ओर है। बहुमत का अर्थ कार्यमंत्रणा समिति में विपक्ष की भावना का आदर करना भी है। विपक्ष को अवसर मिले जनता की बात रखने का सदन की बैठक लम्बी चले नहीं तो जितने दिन घोषित हुई है उतने दिन चले लेकिन दोनों का हनन हो रहा है। लेकिन यहाँ पर बहुमत का दुरुपयोग करके मूल भावना का ही हनन हो रहा है, परम्परा का हनन हो रहा है। इसलिए मैं सदन की साख और सार्थकता खतरे में है। हम सदन में परम्परा का विरोध नहीं करना चाहते। बहुमत की मनमानी प्रवत्ति कार्यमंत्रणा समिति में बार–बार दिख रही है। इसके विरोध में हम सदन का बहिर्गमन करते हैं।

(श्री ओम प्रकाश सिंह अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का त्याग किया।)

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)–

कई बार ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं कि जो निर्धारित कार्यक्रम रहते हैं उसमें परिवर्तन करना पड़ता है। मान्यवर, आप अवगत है कि दिनांक 16, 17, 18, 19 तक पहले बैठक

निर्धारित थी लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता का पत्र आया कि 17, 18, 19 को उनकी पार्टी का अधिवेशन है। इसलिए उस दिन सदन न हो। इसी तरह से बीच बीच में ऐसे सुझाव आए जिसके कारण परिवर्तन करना पड़ जाता है। मान्यवर, आगे पाँच–सात दिन तक लगातार बन्द होना था उसके बाद ऐसी परिस्थिति आई जिसके कारण यह निर्णय लिया गया है। कार्य मंत्रणा समिति ने शासन ने हमेशा प्रयास किया है कि सभी लोगों की, विपक्ष की आवाज है उसके अनुसार निर्णय लिया जाय। परिस्थितियाँ कभी कभी अलग–अलग होती है।

लेकिन फिर भी हमारा यही प्रयास है कि सदन ज्यादा से ज्यादा समय चले और साथ ही साथ मान्यवर, विपक्ष के लोगों के सलाह मशविरे के अनुसार चले। ऐसा हमारा पूरा प्रयास है और मान्यवर, इसमें किसी तरह की बाधा नहीं है, हमारा ऐसा पूरा प्रयास रहेगा। इन परिस्थितियों के कारण, क्योंकि ऐसी परिस्थितियाँ आई हैं जिनके कारण कल बंद किये जाने की आवश्यकता महसूस की गई है। इसलिये मैं चाहूँगा कि इसमें कोई अनुचित बात नहीं है, ऐसे बहुत से अवसर आये हैं, जब इस तरह के निर्णय लिये गये हैं।

*नेता, विरोधी दल (श्री शिवपाल सिंह यादव)–

मान्यवर, हमारा शुरू से ही सुझाव रहा है कि सदन की बैठक ज्यादा से ज्यादा चलें। साल में 90 दिन चलें। लेकिन अभी तक 12 ही बैठकें हुई हैं और आज की कार्य सूची में अनुदान की सभी मदें जिस पर बहस की बहुत आवश्यकता है। और जब बहस होती है तो आलोचनाएं भी होती हैं और बहुत सारे सुझाव भी आते हैं। यह सही है कि कार्य मंत्रणा की बैठक में हमारे अम्बिका चौधरी जी, जो कल बैठक मे रहे थे। उन्होंने कल विरोध भी किया था। सदन का उपवेशन इतनी जल्दी समाप्त न किया जाय। अभी समय है, फरवरी का महीना है, अभी तो 15 तारीख है और पूरा मार्च का महीना पड़ा है। मान लीजिये कोई आवश्यकता है तो छुट्टियों के बाद सदन की बैठक की ली जाय लेकिन यह सदन का उपवेशन समाप्त न किया जाय। अभी 31 मार्च में डेढ़ महीना है। 45 विभाग हैं और 5 बजे आपको बजट रखना है तो दो घंटे में शायद एक मिनट–डेढ़ मिनट पड़ेगा एक विभाग को, तो इतने समय में चर्चा कैसे हो सकती है? कैसे बहस हो सकती है, आलोचना कैसे हो सकती है, अच्छे सुझाव कैसे आ सकते हैं? मैंने तो पहले की कहा है कि यह घपले और घोटाले का बजट है। घपले, घोटालों पर कैसे पर्दा डाला जाय। तो यही तो मतलब हुआ। फिर इसमें भी घपला कर गये। बहुमत के बल पर घपला कर गये। हमारा तो विरोध है इसमें कि सदन का उपवेशन अभी समाप्त न किया जाय, आगे और चलाया जाय, अभी 31 मार्च तक का समय है। मंत्री जी, इतनी जल्दी क्या है ? अभी तो समय है। डेढ़ महीने का समय है। अभी कुछ काम कर लीजिये, कुछ गैप दे दीजिये, उसके बाद में फिर बैठक कर लीजियेगा।

*श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल ने बहुत विद्वतापूर्ण ढंग से अपनी बात कही। माननीय ओम प्रकाश सिंह जी ने भी कही है, मैं उनकी भावनाओं से अपने को सम्बद्ध करना चाहता हूँ कि नियमावली के नियम 14 के अन्तर्गत 90 दिन सत्र चलाया जाना चाहिए। तो 90 दिन में भी उसमें एक परिवर्तन हुआ है कि यथासंभव 2 महीने के अंतराल में 10–10 दिन का

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

सत्र बुलाया जाय। मान्यवर, मैं सदन की उच्च परम्पराओं का पालन करने वाला हूँ । मैं किसी भी हालत में कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश का बहिर्गमन करूँगा न विरोध करूँगा लेकिन यह आग्रह जरूर करूँगा आपसे कि नियमावली के नियम 14 के प्राविधान को देखते हुए हर दो माह पर 10 दिन की बैठक बुलाय इसका आग्रह करूँगा और माननीय नेता विरोधी दल ने जो कहा है। उस पर एक लाइन याद आ रही है अगर आप इजाजत दें तो कह दूँ अभी न जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं।

(हँसी)

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, माननीय नेता प्रतिपक्ष को तो घोटाला और घपला ही नजर आता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि इन्होंने इसको सीख इतना लिया है कि इसको छोड़कर दूसरी बात कह ही नहीं पाते हैं मेरे पास एक कार्यवाही है 11 मार्च 2006 की, ...(शोर) मैं उसका उल्लेख इस परिप्रेक्ष्य में कर रहा हूँ हमने तो सारी बातें सुनी हमने तो धोटाला और घपला की बात सुनी मान्यवर, जो घोटाला घपला किया उसको भी सुना मान्यवर, क्योंकि यह पूरी तरह से इनको कंठस्थ हो गया है और पूरी तरह से उसी में रम बस गए हैं।

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जब तक घपले घोटाले छोड़ोगे नहीं तो हम तो कहेंगे ही।

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, मैं वही कह रहा हूँ कि इनको उसके अलावा कुछ आता ही नहीं है। यह घोटाला और घपला के इतने अभ्यस्त हो गए हैं उसके इतने आदि हो गए हैं कि उसको छोड नहीं पा रहे हैं। मैं निवेदन कर रहा था कि 11 मार्च, 2006 को माननीय तत्कालीन मुख्य मंत्री जी ने इस बात को रखा कि सभी मांगे एक साथ रख ली जाएं, विधान परिषद् में जाना है कुछ जल्दी थी, उन्होंने कहा, और सम्पूर्ण सदन ने स्वीकार किया था एक साथ मॉग भी रखी गयी, एक साथ कटौती भी रखी गई थी उस समय भी 11 मार्च था पर्याप्त समय था लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी थीं कि जिसके कारण एक दिन में सारा लिया गया तो ऐसा नहीं, कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं हम तो चलाना चाहते थे लेकिन बीच--बीच में माननीय सदस्यों का आग्रह आता गया एक दिन समाजवादी पार्टी का आया उनका कोई सम्मेलन था। उसके अलावा किसी और के भी आग्रह आए इसी तरह के बीच--बीच मे कुछ ऐसे कारण पड़ते गए, दिनांक 17, 18, 19 लगातार भारतीय जनता पार्टी का था जिसके कारण यह निर्णय लिया गया कि 16 तारीख को इस सत्र को समाप्त कर दिया जाए। तो ऐसी कोई मंशा नहीं है अब ऐसी परिस्थितियों में जो कार्य--मंत्रणा की सिफारिश है उसको आप रखें।

श्री आरिफ अनवर हाशमी--

माननीय अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष ने सुझाव दिये हैं सरकार को, लेकिन यह और बिजनेस निपटाना नहीं चाहते है।

श्री अध्यक्ष–

उनका हमेशा सम्मान रहता है और रहेगा। कुछ परिस्थितियां थी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने अवगत करा दिया है।

कार्य–मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशे विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

अब मैं कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश ले रहा हूँ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य–मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 14 फरवरी, 2010 की बैठक में विधान सभा के दिनांक 15 फरवरी, 2010 से 24 फरवरी, 2010 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने का सिफारिशें की हैं :–

1–दिनांक 15 फरवरी, 2010 के लिये निर्धारित नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा सम्बन्धी मद अब दिनांक 16 फरवरी, 2010 को ली जायं।

2–दिनांक 15 व 22 फरवरी, 2010 के लिये निर्धारित नियम 103 के प्रस्तावों सम्बन्धी मदें अब दिनांक 16 फरवरी, 2010 को ली जायं।

3–दिनांक 16, 22 व 23 फरवरी, 2010 के लिये निर्धारित वित्तीय वर्ष 2010–2011 के आय–व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान सम्बन्धी मदें अब दिनांक 15 फरवरी, 2010 को ली जायं तथा अपराह्न 5.00 बजे उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2010 का पुरःस्थापन, विचार एवं पारण किया जाय।

4–दिनांक 22, 23 व 24 फरवरी, 2010 को सदन के उपवेशन न हों।

5–दिनांक 15 फरवरी, 2010 से दिनांक 24 फरवरी, 2010 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नवत् रखा जाय :–

फरवरी, 2010

15 सोमवार

1–वित्तीय वर्ष 2010–2011 के आय–व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

2–5.00 बजे अपराह्न–

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2010 का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण।

3–निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण (आधा–आधा घण्टा)।

(क) उत्तर प्रदेश निजी निधिकृत विश्वविद्यालय (स्थापना एवं विनियमन) विधेयक, 2010

(ख) उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में रैंगिंग का प्रतिषेध विधेयक, 2010

(ग) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2010, जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा संशोधनों सहित पारित हुआ।

फरवरी, 2010

16 मंगलवार–

1–श्री जोखू लाल यादव, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–103 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं दिनांक 19 फरवरी, 2009 को सदन में प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर आधे घण्टे की अग्रतर चर्चा :–

"यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रभावी नीति बनाई जाय।"

2–श्री जोखू लाल यादव, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–103 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं दिनांक 19 फरवरी, 2009 को सदन में प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर आधे घण्टे की अग्रतर चर्चा :–

"यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश के किसानों को उनकी फसलों के लाभकारी मूल्य दिलाये जाने हेतु सरकार द्वारा कार्य योजना बनाई जाय।"

3–डा0 राजेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–103 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं माननीय अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा ग्राह्य निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण तथा उस पर आधे घण्टे की चर्चा :–

"यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहाबाद में एक पालीटेक्निक की स्थापना की जाय।"

4–श्री राजेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–103 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं माननीय अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा ग्राह्य निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण तथा उस पर आधे घण्टे की चर्चा :–

"यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहाबाद के दोनों विकास खण्डों में माडल स्कूलों का निर्माण तुरन्त कराया जाय।"

5–श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–103 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं माननीय अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा ग्राह्य निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण तथा उस पर आधे घण्टे की चर्चा :–

"यह सदन प्रस्ताव करता है कि उत्तर प्रदेश से मांस के निर्यात को प्रतिबन्धित करने हेतु पशु वध पर तत्काल रोक लगाई जाय।"

6–डा0 राजेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–103 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं माननीय अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा ग्राह्य निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण तथा उस पर आधे घण्टे की चर्चा :–

"यह सदन प्रस्ताव करता है कि आगरा शहर की पेयजल समस्या के समाधान हेतु यमुना नदी की डाउन स्ट्रीम पर बैराज बनाया जाय।"

7–माननीय डा0 आर0ए0 उस्मानी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं माननीय अध्यक्ष द्वारा ग्राह्य निम्नलिखित सूचना पर एक घण्टे की चर्चा :–

"स्नातक उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को बी0एड0 कक्षाओं में प्रवेश हेतु वर्ष 2009–10 की प्रवेश परीक्षा कराये जाने के सम्बन्ध में।"

8–श्री सुन्दर लाल लोधी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं माननीय अध्यक्ष द्वारा ग्राह्य निम्नलिखित सूचना पर एक घण्टे की चर्चा :–

"उत्तर प्रदेश में जिला ग्राम्य विकास अधिकरण कर्मियों की भारत सरकार की नई गाइड लाइन के परिप्रेक्ष्य में शासनादेश न निर्गत होने से उत्पन्न गम्भीर स्थिति के सम्बन्ध में।"

फरवरी, 2010

17 बुधवार
18 गुरुवार
19 शुक्रवार
20 शनिवार
21 रविवार
22 सोमवार
23 मंगलवार
24 बुधवार

बैठक नहीं होगी।

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री–(श्री लाल जी वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी है, सहमत है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव, जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से यह सदन सहमत है?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

नियम 311 की नियम 56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 15–02–2010 को नियम 311 में प्राप्त 3 सूचनाओं को नियम–56 में परिवर्तित कर दिया गया है। इस प्रकार नियम 56 के अन्तर्गत कुल 38 सूचनायें प्राप्त हुई जिनमें से शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनायें चयनित की गई। प्रथम दो सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है :–

पहली सूचना श्री प्रमोद तिवारी, श्री अजय कपूर, श्री प्रदीप माथुर, श्री अनुग्रह नारायण सिंह, श्री संजीव दरियाबादी, श्री रामसेवक, श्री शिवबालक पासी, श्रीमती अमीता सिंह, श्री विनोद चतुर्वेदी, श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ला, श्री अजय पाल सिंह, श्री श्याम किशोर शुक्ला, श्री विवेक कुमार सिंह, श्री पंकज मलिक, चौ0 रवीन्द्र प्रताप, श्री संजय कपूर, श्री शिव गणेश लोधी तथा श्री माधव पासवान की बरेली में दरगाह आला हजरत पर मुख्यमंत्री दिल्ली एवं अन्य गणमान्यों के आगमन पर पुलिस द्वारा सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था न किये जाने के सम्बन्ध में है।

दूसरी सूचना श्री विशम्भर प्रसाद निषाद तथा श्री रियाज अहमद की बुन्देलखण्ड में भीषण ओलावृष्टि एवं वर्षा से रबी की फसल को नुकसान होने के सम्बन्ध में है।

तीसरी सूचना डॉ0 राधामोहन दास अग्रवाल की गोरखपुर में आई0सी0डी0एस0 स्कीम एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में है।

चौथी सूचना श्री महेन्द्र सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री नरेन्द्र सिंह तथा श्री राधेश्याम जायसवाल की पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच, बाराबंकी, आदि जनपदों में बाढ़ की भयावह स्थिति से बचाये जाने के सम्बन्ध में है।

पांचवी सूचना श्री प्रमोद तिवारी, श्री अजय कपूर, श्री प्रदीप माथुर, श्री अनुग्रह नारायण सिंह, श्री संजीव दरियाबादी श्री राम सेवक, श्री शिवबालक पासी, श्रीमती अमीता सिंह, श्री विनोद चतुर्वेदी, श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ला, श्री अजय पाल सिंह श्री श्याम किशोर शुक्ला, श्री विवेक कुमार सिंह, श्री पंकज मलिक, चौ0 रवीन्द्र प्रताप, श्री संजय कपूर, श्री शिव गणेश लोधी, श्री माधव पासवान श्री राजाराम त्यागी तथा श्री अशोक सिंह की प्रदेश में कन्या भ्रूण हत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है।

छठी सूचना श्री दीनानाथ कुशवाहा की देवरिया के बनकटा स्टेशन के आउटर पर 6 लोगों की हत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

सातवीं सूचना श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह की प्रतापगढ़ में पट्टी से दीवानगंज मार्ग पर पड़ने वाले ईट भट्ठों पर बंधुआ मजदूरी एवं अवैध गतिविधियां किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

आठवीं सूचना श्री जोखू लाल यादव की इलाहाबाद स्थित अन्दावां बाईपास से सहसों बाजार तक ग्रीन लैण्ड घोषित करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

नवीं सूचना श्रीमती सै0 सादाब फातिमा की प्रदेश में नगरपालिका के सदस्यों के मानदेय की सुविधा दिलाये जाने के सम्बन्ध में है।

दसवीं सूचना श्री सत्यप्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले) तथा श्री अशोक कंसल की समाचार पत्रों, मोबाइल कम्पनियों द्वारा अश्लीलता को बढ़ाये जाने वाले मैसेजों पर तत्काल रोक लगाये जाने के सम्बन्ध में है।

ग्यारहवीं सूचना श्री इकबाल महमूद की मुरादाबाद के ग्राम पोटा में पड़ी भीषण डकैती से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध मे हैं।

जो सूचनाएं विशेष उल्लेख के अन्तर्गत सुनी जाएगी, उनका विवरण निम्नवत् है :–

पहली सूचनां श्री सनातन पाण्डेय की किसान सहकारी चीनी मिल संघ लिमिटेड, रसड़ा बलिया द्वारा किसानों का गन्ना मूल्य कम भुगतान किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है,

दूसरी सूचना श्री राजाराम त्यागी की रायबरेली के ग्राम जिहवा में ग्रामवासियें के आंखों में अचानक तकलीफ होने एवं मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा समय से उपचार न किये जाने के सम्बन्ध में है,

तीसरी सूचना श्री जावेद अंसारी की मऊ के ग्राम अतरारी मोहम्मदाबाद गोहना के बुनकरों के खिलाफ पुलिस द्वारा उत्पीड़न की कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में है तथा

चौथी सूचना श्री श्याम किशोर शुक्ला की लखनऊ पश्चिमी क्षेत्र के विकास में अनदेखी किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनायें चयनित नहीं हुई अतः अस्वीकृत हुई :–

1–श्रीमती मिथिलेश पाल,

2–श्री माताप्रसाद पाण्डेय,

3–श्री रमापति,
4–श्री बैजनाथ दुबे,
5–श्री प्रदीप माथुर,
6–श्री सुन्दर लाल लोधी, श्री दीपक कुमार, श्री कुलदीप सिंह सेंगर,
7–श्री सर्वेश कुमार सिंह,
8–श्री राजेश यादव,
9–श्री इमरान मसूद,
10–श्री आर0 के0 चौधरी
11–श्री अमरमणि त्रिपाठी,
12–डॉ पी0 के0 राय,
13–श्री सुरेश्वर सिंह,
14–श्री अनूप सण्डा,
15–चौ0 सत्येन्द्र सोंलकी,
16–डॉ0 आर0 ए0 उस्मानी,
17–श्री सत्यप्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले),
18–श्री सतीश महाना,
19–श्री सुरेश कुमार खन्ना,
20–डॉ0 अजय तोमर,
21–श्री अवधेश प्रसाद तथा
22–श्री मदन चौहान

*श्री प्रमोद तिवारी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने एक अत्यंत संवेदनशील, महत्वपूर्ण और सुरक्षा से जुड़े हुए प्रश्न पर आपने मुझे उस समय बोलने का अवसर दिया जब माननीय नेता सदन मुख्यमंत्री जी मौजूद हैं और यह सीधे–सीधे एक मुख्यमंत्री की सुरक्षा से जुड़ा हुआ प्रश्न हैं मान्यवर, दिनांक 11 फरवरी, 2010 को मुख्यमंत्री, दिल्ली सरकार, श्रीमती शीला दीक्षित जी, जो कि पिछले 12 वर्षों से मुख्यमंत्री है वह बरेली आयी थी। उनका कार्यक्रम जो उत्तर प्रदेश सरकार को मिला था उसमें स्पष्ट रूप से था कि वह एक विशेष वायुयान द्वारा साढ़े नौ बजे बरेली आएंगी और 11.00 बजे दरगाह आला हजरत, बरेली में चादर चढ़ाने जाएंगी। मान्यवर, उसी के साथ–साथ प्रोग्राम आया हुआ था, पूर्व मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह जी का, जिन्हें जेड प्लस की सुरक्षा अनुमन्य है और उनके कार्यक्रम को भी इसी प्रकार किया गया था। उन्हीं के साथ उसी वायुयान से, कार्यक्रम आया था, श्री परवेज हाशमी, सांसद और वह हमारे राष्ट्रीय प्रभारी सचिव है, मान्यवर, उन्हीं के साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष डॉ0 रीता जोशी जी, जिन्हें वाई श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त है, श्री अनिल शास्त्री जो पूर्व केंद्रीय मंत्री है और पूर्व प्रधानमंत्री स्व0 श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के पुत्र हैं, मान्यवर, स्थानीय

सांसद, एरन साहब, सभी लोग गये थे। मान्यवर, इसी के कारण उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें राजकीय अतिथि घोषित किया था और वह स्टेट गेस्ट थे। यह सब बताने के पीछे मेरा एकमात्र उद्देश्य है कि उनका पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था, कार्यक्रम का उद्देश्य भी बताया गया था कि वह दरगाह तक जाएंगे और वहाँ चादर चढ़ाएंगे। मान्यवर, यह स्मरणीय है कि यह चादर यू0पी0ए0 की चेयरपरसन श्रीमती सोनिया गाँधी की तरफ से लेकर यह लोग आये थे और यह वहाँ चढ़ाना चाह रहे थे। मान्यवर, मैं इसमें यही कहना चाहता हूँ कि जिस समय यह लोग गये, इनकी सुरक्षा के नाम पर वहाँ एक एल0आई0यू0 का सिपाही उन्हें ले गया। लगभग 400 मीटर लम्बी गली है उसमें कोई इनके साथ नहीं गया और इन्हें भीड़ के हवाले कर दिया गया। वहाँ पर सभी जायरीन थे, सभी इबाबत के लिए गये थे। दूसरी तरफ से भी भीड़ को छोड़ दिया गया और बीच में यह लोग उसमें घिर गये। श्रीमती शीला दीक्षित जी की बाईपास सर्जरी हुयी है वह वहीं गिर गयीं। भीड़ में फँसने के बाद उन्हें किसी तरीके से हमारे सांसद, हमारे स्वयं राष्ट्रीय महासचिव श्री दिग्विजय सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री जी उन्हें उठाकर बगल में एक श्री बेचु मिश्र जी के घर में ले जाया गया। मान्यवर, उसके यह चित्र है जो इन समाचार पत्रों में छपे हैं यह आपके सामने मैंने संसदीय कार्य मंत्री जी को भी दे दिये हैं। मान्यवर, मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूँ कि राजनीतिक परिस्थितियाँ कुछ हो सकती है किसी दल के लोग हो सकते हैं लेकिन पद का महत्व होता है। एक मुख्यमंत्री दूसरे राज्य का आये, उसे राज्य अतिथि घोषित किया जाय, जिसको जेड प्लस की सुरक्षा मिली हुई है उसके साथ कुछ और सुरक्षा प्रबंध और उपबंध भी होते हैं, श्री दिग्विजय सिंह जी के साथ तो सुरक्षा के प्रबंध और उपबंध किये गये थे, वह भी मौजूद थे। मान्यवर, मैंने नाम लिया, उनके साथ रीता जोशी जी, परवेज हाशमी जी और अनिल शास्त्री जी भी थे। मान्यवर, 5–10 मिनट के ये चित्र अपने आप इस बात के गवाह है कि क्या परिस्थितियाँ पैदा की गयी थीं।

मान्यवर, धार्मिक यात्रा में यह आप नहीं कह सकते कि आप सबको खाली करा दीजिये, या आप दरगाह के अंदर चले जायें। लेकिन दरगाह तक पहुंचने का जो मार्ग है, उस पर तो सुरक्षा दी जा सकती थी, वह सुरक्षा नहीं दी गयी। मान्यवर, हालात, मैंने वह पत्र भी दिया है, जिसमें उन लोगों ने अपनी बात रखी है मान्यवर।

श्री अध्यक्ष–

कृपया संक्षेप में रखें।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, यह संक्षेप करने लायक विषय नहीं है। यह एक मुख्यमंत्री और उसकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ, एक गंभीर विषय है। सामान्यतया मैं ऐसी बातों को अधिक लंबा नहीं खींचता लेकिन यह एक प्रश्न है मान्यवर, जिसे आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं। मान्यवर, या तो यह साजिशन किया गया, मैं उसे नजर अंदाज कर देता हूं, लापरवाहीवश किया गया, दोनों हालात में, इसके लिये कौन जिम्मेदार है? स्थानीय प्रशासन, जिस स्थानीय प्रशासन ने लखनऊ से उन्हें स्टेट गेस्ट घोषित करने के बाद, उनकी जेड प्लस श्रेणी के बावजूद मुख्यमंत्री जी के लिये विशेष रूप से जो कार्यक्रम गया था मान्यवर, उसमें

स्पष्ट रूप से सारी परिस्थितियां भी वर्णित थीं, उसके बाद भी उन्हें सुरक्षा नहीं दी गयी मान्यवर और वह घिर गयी, अगर कांग्रेस के महासचिव उठाकर न ले गये होते तो उन्हें चोट आती, श्री दिग्विजय सिंह जी को खुद चोट आयी, उनके कपड़े फट गये। मान्यवर, उसके बाद उन्हें किसी तरीके से वहां से ले जाया गया। एक पुलिस का कर्मी, पूरे चित्र देख लें आप, एक पुलिस का कर्मी उनकी सुरक्षा में नहीं था। हमारे मंत्रियों को भी जाना पड़ता है, हमारी मुख्यमंत्री जी भी जाती हैं दूसरे राज्यों में, अगर ऐसी परिस्थितियां पैदा हों, तो उस समय क्या दण्ड देना चाहिए। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी पर छोड़ता हूं कि अगर यह असुरक्षा हुई है तो इस पर आप क्या उचित समझती हैं, यह निर्णय आप लें। लेकिन मेरा एक अनुरोध जरूर है मान्यवर कि ऐसे लोगों के साथ, जब विशेष रूप से दो महिलायें भी हों, मान्यवर, शीला दीक्षित जी, मुख्यमंत्री के साथ एक महिला भी है, रीता जोशी जी अध्यक्ष के साथ एक महिला भी है। क्या उनको इस पूरे चित्र में आप देख लें कि एक खाकी वर्दी नहीं दिखायी पड़ रही है और जो चेहरे दिखायी पड़ रह हैं, वे उनके व्यक्तिगत सुरक्षाकर्मी है। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि जानबूझकर साजिशन यह किया गया है, तो कार्यवाही होनी चाहिए, लापरवाही के साथ किया गया है तब कार्यवाही होनी चाहिए, इस तरस से जेडप्लस सुरक्षा प्राप्त लोगों को और मान्यवर, एक विशेष राज्य के मुख्यमंत्री को, यह मैं मान लेता मान्यवर, यदि उनका कार्यक्रम न आया होता और कार्यक्रम आने के बाद यदि बरेली में उन्होंने यह न बताया होता कि कितने बजे वह दरगाह पर जायेंगी, तो भी मान्यवर, यह क्षम्य अपराध था। मैं इस संदर्भ में आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि इन सब मामलों में मैंने देखा है कि वह कठोर निर्णय लेती हैं। मान्यवर, मैं चाहता हूं कि इस पर कठोर निर्णय लिया जाये। बल्कि मैं मुख्यमंत्री जी से यह कहना चाहता हूँ कि अपने आप को इस स्थिति में रखें कि अगर सुरक्षा कर्मियों ने यह लापरवाही आपके साथ की होती तो आप क्या दण्ड देतीं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस बहुत ही अतिमहत्वपूर्ण प्रश्न पर, अविलंबनीय प्रश्न पर, लोक महत्व के प्रश्न पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराये जाने का आपसे अंनुरोध करता हूं।

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)–

मान्यवर, जिलाधिकारी बरेली ने जो अवगत कराया है कि उन महानुभावों के विशेष विमान से त्रिशूल हवाई अड्डे पर उतरने के पश्चात् मुख्य मार्ग में काफी भीड़भाड़ होने के कारण, उक्त महानुभावों को सिटी सब्जी मण्डी होते हुये झगड़े की मठिया तक ले जाया गया। दरगाह मार्ग पर उक्त पुलिस व्यवस्था के अतिरिक्त श्री राजकुमार क्षेत्राधिकारी, द्वितीय, श्री पंकज पाण्डेय, क्षेत्राधिकारी, फरीदपुर, अतिरिक्त निरीक्षक नवाबगंज, प्रधान निरीक्षक कोतवाली अन्य पर्याप्त पुलिस बल की ड्यूटी साथ में थी। झगड़े वाली मठिया के आगे वाहनों का रास्ता न होने के कारण सभी महानुभावों से पैदल चलने का अनुरोध किया गया। इन महानुभावों के साथ बड़ी संख्या में महिला पुरुष स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ता भी साथ चल रहे थे। कार्यकर्ताओं ने दिल्ली से लायी चादर फैला रखी थी। उसके दोनों सिरों को पकड़कर चल रहे थे। आला हजरत दरगाह में आने जाने का एक ही संकरा मार्ग है, उसका अंतिम और मुख्य दिन होने के कारण, यहां के स्थानीय और बाहर के जायरीनों का अत्यधिक जमावड़ा था। इसी

दरगाह से लगभग 50, 60 मीटर पहले महानुभावों को देखने की जिज्ञासावश जायरीन का दबाव बढ़ जाने के कारण सुरक्षा दृष्टि से श्रीमती शीला दीक्षित, श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी को उक्त मार्ग में ही स्थित मनु मिश्रा के मकान में कुछ क्षण के लिये रोककर ड्यूटी में लगे पुलिस बल द्वारा भीड़ को नियंत्रित कर रास्ता बनाने और श्री दिग्विजय सिंह और उनके सभी कार्यकर्ताओं को दरगाह तक ले जाया गया और चादर पोशी की रस्म अदायगी करायी गयी। श्रीमती शीला दीक्षित और श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी द्वारा दरगाह के सज्जादा नसीन श्री सुभान रजा खां उर्फ सुभानी मियां से मिलने की ख्वाहिश पर उनके आवास पर भेट कराई गई, जहां वह करीब 10–15 से 20 मिनट तक रही, चूँकि दरगाह के प्रति श्रद्धा और सम्मान को दृष्टिगत रखते हुए श्री दिग्विजय सिंह चादर लेकर दरगाह के रास्ते नंगे पैर पैदल चल रहे थे, ऐसी स्थिति में श्री दिग्विजय सिंह के पैर की एड़ी थोड़ी सी छिल गई, जिसके विषय में उनके द्वारा चादर पोशी के उपरान्त फिलीट के पास पहुँच कर बताया गया। फिलीट में चल रही ऐम्बुलेन्स के चिकित्सक द्वारा उपचार किया गया, इसके बाद यह सभी महानुभाव स्थानीय माननीय सांसद श्री प्रवीण सिंह ऐरन के आवास पर गये, जहां उनके द्वारा प्रेस कान्फ्रेन्स की गई। प्रेस कान्फ्रेन्स के दौरान भी उक्त महानुभावों द्वारा स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा की गई सुरक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई, इसके उपरान्त सभी मह नुभाव अन्य कार्यक्रमों में भाग लेने के पश्चात् विशेष विमान से अपने गन्तव्य की ओर प्रस्थान कर गये। उपरोक्त के अलावा मान्यवर, इनकी सुरक्षा हेतु निर्धारित मानको के अनुसार स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा फिलीट की व्यवस्था की गई थी। फिलीट में एक पायलेट कार, पी0आई0पी0 कार, स्कोर्ट प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं ऐम्बुलेन्स और टेल कार की व्यवस्था की गई थी। मान्यवर, इस तरह से उन्होंने जो सूचना दी कि पर्याप्त व्यवस्था थी और किसी तरह से कहीं कोई अव्यवस्था नहीं हुई और उस समय जो प्रेस कान्फ्रेन्स हुई स्थानीय मा0 सांसद जी के यहां, उसमें भी किसी प्रतिकूल बात को उन्होंने दृष्टिगत नहीं रखा और उन्होंने कहा कि जो जिलाधिकारी और पुलिस उप महानिरीक्षक द्वारा बताया गया कि जो समाचार–पत्रों में समाचार छपा है वह आधारहीन और तथ्यों से परे है। तो मान्यवर, उनके लिए मैंने जैसा बताया, उस तरह से है और यह नियम–56 में नहीं आता, इसलिए मैं चाहूँगा कि इसको अग्राह्य करने का कष्ट करें।

श्री प्रमोद तिवारी–

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी व्यवस्था आये, उसके बाद तो मुझे बोलना नहीं चाहिए, इसलिए मैं पहले ही कह देना चाहता हूँ, एक बात बहुत ही स्पष्ट रूप से मैं स्पष्ट कर दूँ विनम्रता के साथ। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी वही कहेंगें जो उनके पास रिपोर्ट आई होगी। मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा है कि उन्होंने प्रेस कान्फ्रेन्स में ऐसा कुछ नहीं कहा है। मान्यवर, मैं पढ़ देता हूँ, मान्यवर, शीला दीक्षित, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह इत्यादि ने उक्त वर्णित हादसे में सरकारी मशीनरी को कसूरवार ठहराया। पत्रकार सम्मेलन में यह छपा हुआ है और यह मैंने अभी समय से पहले माननीय मंत्री जी के पास भिजवा भी दिया है। तो मान्यवर, यह कहना जिलाधिकारी का कि यह कसूरवार नहीं थे या इन्होंने नही दिया है, तो जब इसी से मान्यवर, इनकी बात सच्चाई से विपरीत जाती है, तो फिर कौन सी बात रह जाती है। यह इसी से साफ हो गया। दूसरा मान्यवर, मैंने वह सारे चित्र दिखा दिये हैं, जिनमें एक पुलिस का कर्मी जो नाम लिये है, उनका नाम तक नहीं है, सूरत तक नहीं है, चित्र तो

झूठ नहीं बोलेंगे, चित्र देख लें और मैं तो यह कहूँगा कि जब मैं खड़े होकर यहां यह बात कह रहा हूँ तो उसके ऊपर आपको विश्वास करना चाहिए या जनप्रतिनिधि जो लिख कर दे रहे है, जिसको मैंने आपके पास भेज दिया, उस पर आपको विश्वास करना चाहिए। आपकी एक बात यहीं गलत साबित हो गई कि इन्होंने पत्रका[illegible]म्मेलन करके चिन्ता नहीं व्यक्त की, वह भी मान्यवर, आप देख लें। तो मैं इन परिस्थितियों में कहना चाहता हूँ कि आपकी व्यवस्था आये उससे पहले अब दो तरह के तथ्य आ गये एक जिला प्रशासन का, मैं उसे संसदीय कार्य मंत्री जी का कथन नहीं मानता, मैं अपना कथन मानता हूँ और जिला प्रशासन का मानता हूँ, तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि सम्पूर्ण प्रकरण की जाँच न्यायिक रूप से करा ली जाय, जो दोषी हों, उनके खिलाफ कार्यवाही हो जाय।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, जहां तक माननीय प्रमोद तिवारी जी कह रहे है कि उनकी सुरक्षा नहीं की गई थी। मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि श्रीमती शीला दीक्षित के साथ सादे वस्त्रों में रिंग राउण्ड टीम, एक महिला पी0एस0ओ0 तथा वर्दी में थानाध्यक्ष महिला थाना एवं श्री दिग्विजय सिंह के साथ वस्त्रों में रिंग राउण्ड टीम तथा मध्य प्रदेश पुलिस के तीन पी0एस0ओ0 नियुक्त थे तथा श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी के साथ एक महिला पी0एस0ओ0 नियुक्त थी, इसके अतिरिक्त त्रिशूल हवाई अड्डे से कार्यक्रम के अन्त तक पर्याप्त पुलिस बल रूट ड्यूटी के लिए लगाया गया था। श्री नरेन्द्र सिंह ए0सी0एम0 प्रथम एवं श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह, क्षेत्राधिकारी तृतीय बरेली ड्यूटी पर लगे थे। तो मान्यवर, यह सारे लोग लगे थे। मान्यवर, जो नार्म्स है, जिसके अनुसार सुरक्षा व्यवस्था है वह पर्याप्त व्यवस्था थी और किसी भी तरह की असुविधा भी नहीं हुई मान्यवर, भीड़ जरूर ज्यादा थी अन्तिम दिन होने के कारण, उनको रास्ते में किसी तरह को कोई दिक्कत भी नहीं हुई और सकुशल फिर वह अपने स्थान पर गये।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, मैंने माननीय प्रमोद तिवारी जी को सुना और माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी को सुना, यह सूचना नियम 56 में नहीं आती है, इसलिए मैं इसे अग्राह्य करता हूँ। मा0 श्री विशम्भर प्रसाद निषाद जी, दो–दो मिनट में सब लोग अपनी बात कह लीजिए।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, वह वहां तक पहुँच भी नही पाये , उनके कपड़े भी फटे और सुरक्षा की बात की जा रही है। मान्यवर, यह एक गम्भीर प्रश्न है।.....

मान्यवर, यह एक गम्भीर प्रश्न है। मान्यवर, सुरक्षा पर गलतबयानी अगर की जायेगी तो एक चुनौती देता हूँ कि एक जुडीशियल जांच हो जाय।

(श्री अनीस अहमद खां के खड़े होने पर)

श्री लाल जी वर्मा –

मान्यवर, वहॉ माननीय मंत्री जी भी थे ।

श्री अध्यक्ष–

मैं इसको अग्राह्य कर चुका हूँ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, इसमें जांच में क्या दिक्कत है?

श्री अम्बिका चौधरी –

मान्यवर श्री प्रमोद तिवारी जी की सूचना पर बल देने के लिए एक मंत्री जी भी खड़े हो गये है तब भी आप इसको गम्भीर नही मान रहें हैं ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, यह एक गलत परम्परा है, अनुचित है, दुर्भाग्यपूर्ण है, मान्यवर इसकी जांच करा लें, मैं यह चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

आप क्या चाहते है?

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मैं चाहता हूँ कि इसकी जांच करा ली जाय।

मान्यवर , एक गम्भीरता होती है एक सीमा होती है लेकिन सरकार सारी सीमाएं तोड़कर ऐसा कर रही है।

कांग्रेस पार्टी के सदस्यगण नारे लगाने लगे जिससे सदन में व्यवधान बना रहा।

(व्यवधान के मध्य)

अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार (श्री अनीस अहमद खां उर्फ फूल बाबू)–

मान्यवर, मेरा विधान सभा क्षेत्र है। 10 से 15 लाख लोग इस उर्स में शामिल होते है।

श्री अध्यक्ष–

यह सूचना अग्राह्य हो चुकी है।

श्री प्रमोद तिवारी –

मान्यवर मैं आपसे बहुत ही विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूँ कि आप इसकी जांच करा लें, आप इसकी न्यायिक जांच करा लें, आप कमिश्नर से कहें कि इसकी जांच करके दे दे। एक मुख्यमंत्री आपकी असुरक्षा के कारण गिरी जा रही हैं वहॉ तक पहुॅच नही पा रही हैं । मान्यवर, सिर्फ दिग्विजय सिंह वहॉ पहुॅच पाये बाकी कोई पहुॅच नही पाया । उन्हे चोट लगी है, बाईपास सर्जरी हुई है।

श्री अध्यक्ष–

मूल बात तो आपकी आ गयी है।

श्री प्रमोद तिवारी –

मान्यवर बात आई लेकिन सरकार की क्या बात आई?

श्री अध्यक्ष–

सरकार ने भी व्यवस्था बताई है।

श्री प्रमोद तिवारी –

मान्यवर सरकार झूठ बोल रही है। सरकार झूठ बोल रही है। सरकार झूठी है, सरकार गलत बयानी कर रही है मान्यवर।

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर हमारे माननीय मंत्री जी राज्यमंत्री जी स्वयं वहॉ पर थे ।

श्री प्रमोद तिवारी –

मान्यवर माननीय मंत्री जी वहॉ असुरक्षा पैदा करने के लिए शामिल थे?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

यह सूचना अग्राह्य हो चुकी है। अब मैंने अगली सूचना को ले लिया है।

श्री अम्बिका चौधरी –

मान्यवर वहॉ भी साजिश थी और यहॉ भी साजिश है। हमको लग ये रहा है कि वहॉ भी गम्भीर साजिश थी और यहॉ भी साजिश हो रही है। यह अभी भी साजिश में लगें हुए है, गड़बड़ बात हैं ।

श्री अध्यक्ष –

नहीं, नहीं ऐसा नहीं है।

श्री प्रमोद तिवारी –

मान्यवर मैं आपसे आग्रह करूगॉ कि आप सरकार को यह निर्देश दें कि सरकार इसकी जांच करा लें । इसकी जांच कराके जो तथ्य हो उससे आपको अवगत करा दें । यह जो डीएम की रिपोर्ट आई है यह सत्य से परे हैं ।

श्री अध्यक्ष –

पूरी व्यवस्था से सरकार ने अवगत करा दिया हैं ।

श्री प्रमोद तिवारी –

मान्यवर, वह व्यवस्था नही थी। मान्यवर, यह चित्र बता रहें हैं कि वह व्यवस्था नही थी।

आबकारी, लोक निर्माण, सिंचाई, आवास एवं शहरी विकास तथा गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी) –

मान्यवर, माननीय प्रमोद तिवारी जी बहुत वरिष्ठ सदस्य है। मैं माननीय तिवारी जी से यह जानना चाहता हूँ कि क्या आपकी व्यवस्था के बाद भी आपकी व्यवस्था चलेगी। आपने मान्यवर अग्रह्य कर दिया आपने एक व्यवस्था दे दी क्या फिर पुनजीर्वित करेंगें ?

श्री प्रमोद तिवारी –

जी हां, हो सकती हैं।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी –

मान्यवर, आप सिखाते है आप नये सदस्यों को सिखातें है कि झूठ जो है वह असंसदीय हैं और सदन में आप झूठ, झूठ, झूठ कह रहे है, यह अच्छी बात नही है। अगर आप

दूसरों को सिखातें हैं नये सदस्यों को सिखातें हैं और आपही सब भूल गये तो आपके पुराने होने का आपकी सीनियारिटी का क्या मतलब, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप झूठ झूठ बोलेंगे यह कुछ और सीखेंगे और फिर आपको ही बुरा लगेगा । अभी तो आपकी बात सारी सुनी आपने मान्यवर, पूरी तरह से व्यवस्था दे दी, आपके व्यवस्था देने के बाद माननीय तिवारी जी का खड़ा होना, कुछ कहना, कोई औचित्य नही हैं। वर्ना माननीय अध्यक्ष पीठ की गरिमा ही नही रह जायेगी।

..... यह गरिमा के विरूद्ध है, इसलिए तिवारी जी को समझना चाहिये और जब आपने अग्राह्य कर दिया, व्यवस्था दे दी तो फिर उसके आगे कोई बात नहीं होनी चाहिये।

श्री प्रमोद तिवारी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं विनम्रतापूर्वक एक चीज कहना चाहता हूँ। क्योंकि उसके बाद कहा गया है। ∴ कहा है कि यह सरकार झूठी है। झूठ शब्द से परहेज है लेकिन अगर सरकार झूठी है तो उसे झूठी कहा जायेगा। मान्यवर, मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि यह तथ्य झूठा है बल्कि सरकार झूठी है और सरकार को झूठी भी कहा जा सकता है। सरकार को फरेबी भी कहा जा सकता है सरकार को वायदा खिलाफ करने वाली भी कहा जा सकता है। मैनें झूठ शब्द का प्रयोग तथ्य के लिए नहीं, बल्कि इस सरकार के लिए किया है जो इस सरकार के लिये सबसे उपयुक्त शब्द हो सकता है।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दकी–

हम अगर वायदा खिलाफी कर रहे हैं तो हम आपके मुँह से सुन लें कि हम वायदा खिलाफी कर रहे हैं। मैं वायदा खिलाफी कर रहा हूँ यह हम आपके मुँह से सुन लें। हम इतना सुनना चाहते हैं ताकि भविष्य में हमारे काम आये और सनद रहे। आप एक बार कह दीजिये कि हम वायदा खिलाफी कर रहे हैं। ताकि सनद रहे और समय पर काम आवे। एक बार आप कह दीजिये कि वायदा खिलाफी कर रहा हूँ।

श्री प्रमोद तिवारी–

आप बैठ जायें।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दकी–

सारे काम रूक जायेंगे अगर वायदा खिलाफी करना है।

श्री प्रमोद तिवारी–

अध्यक्ष जी, जो में कह रहा हूँ उसको सुनें।

श्री अध्यक्ष–

आपकी बात को सुन लिया गया और उस पर एक निर्णय आ गया। सरकार का भी निर्णय आया कि उनका पूरा सम्मान किया गया और सुरक्षा की गयी। कहीं कोई अनियमितता नहीं पायी गयी।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, इस सरकार ने वायदा खिलाफी की है। सरकार ने जो आश्वासन दिया था सुरक्षा का, जो स्टेट गेस्ट डिक्लयर किया था, वह वायदा पूरा नहीं किया है। इस प्रकार

सरकार ने वायदा खिलाफत की है। सरकार ने उनको सुरक्षा नहीं दी है। मैं आपसे विनम्रतापूर्वक आग्रह कर रहा हूँ कि सरकार ने वायदाखिलाफी की है।

नेता विरोधी दल (श्री शिवपाल सिंह यादव)–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय तिवारी जी ने सरकार की कई बार मदद की है, बहुत मौकों पर मदद की है। उसके बाद यहाँ तिवारी जी को धमकी मिल रही है।

श्री अम्बिका चौधरी–

यह मान्यवर, सदन में वादा खिलाफी है। कितने वायदे कितने सौदे और आज धमकी तक मिल रही है।

श्री अध्यक्ष–

धमकी देना बुरा नही, धमकी खाना बुरा होता है।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मैं माननीय नेता विरोधी दल का आभारी हूँ।

समाज कल्याण अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण एवं बाल विकास पुष्टाहार एवं कृषि विपणन मंत्री (श्री इन्द्रजीत सरोज)–

मान्यवर, मैं भी इलाहाबाद का हूँ और पी०जी०आई० से सीधे आ रहा हूँ आपके दर्शन हो गये, आप भी इलाहाबाद के हैं और जिनका प्रकरण है वह भी इलाहाबाद की हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य है कि माननीय तिवारी जी उनके इतने शुभचिन्तक कैसे हो गये।

श्री प्रदीप माथुर–

मान्यवर, बात है माननीय शीला दीक्षित जी की, दिल्ली की मुख्यमंत्री जी की, और दिग्विजय सिंह पूर्व मुख्यमंत्री हैं और रीता बहुगुणा जोशी जी भी है।

श्री अध्यक्ष–

निषाद जी, आप अपनी सूचना पर कहिये।

*श्री विश्वम्भर प्रसार निषाद–

माननीय अध्यक्ष जी, आप पहले सदन को व्यवस्थित करा दें।

(श्री प्रमोद तिवारी के पुनः कुछकहने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष–

मैं सूचना को अग्राह्य कर चुका हूँ। अब आप निर्णय को माने या न माने यह आपका विषय है। पता चल जायेगा कि कितना लोकतांत्रिक या अलोकतांत्रिक है।

(भारतीय राष्ट्रीय काग्रेंस के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गए)

श्री विश्वम्भर प्रसाद निषाद–

माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश के इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर आपने बोलने का मौका दिया। मान्यवर, गत दिनों पूरे प्रदेश में भीषण ओलावृष्टि और बारिश से

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

किसानों की स्थिति कितनी खराब हो गयी। लाखों किसान इससे बरबाद हो गया और उनकी फसलें खराब हो गयी।

(नारेबाजी जारी रहने पर)

मान्यवर, सदन को पहले व्यवस्थित करा दें।

श्री अध्यक्ष–

अब हो गया निर्णय हो गया। एक वर्जन सरकार का आया कि हमने उनके सम्मान और सुरक्षा में व्यवस्था की है अब आप उसको प्रतिष्ठा का विषय बनायें तो वह अलग बात है लेकिन आपका सुन लिया गया है, संज्ञान मे लिया गया है और सरकार का बयान भी आ गया कि सुरक्षा और सम्मान विधिवत् किया गया है तो अब उसमें कौन सा जाँच का विषय बनता है। मा० निषाद जी आप अपनी बात कहें।

(श्री प्रमोद तिवारी ने जांच का आश्वासन न मिलने पर अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का त्याग किया)

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

मा० अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे नियम 56 की ग्राह्यता पर बोलने का मौका दिया इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मान्यवर, प्रदेश में भीषण ओलावृष्टि एवं बारिश के कारण लाखों किसानों की फसल बरबाद हो गयी है। पीलीभीत से लेकर बुन्देलखण्ड और मध्य प्रदेश के किनारे तक भयंकर ओलावृष्टि और बारिश हुई। जिन किसानों ने कर्जे से खाद लिया था आज उनकी फसल पूरी तरह से चौपट हो गयी है।

श्री अध्यक्ष–

विशम्भर जी, एक निवेदन है कि आप अपनी बात को शार्ट में कहियेगा क्योंकि आगे कुछ महत्वपूर्ण विभागों पर चर्चा भी होनी है ताकि हम 5 बजे तक चर्चा भी करा ले। आप अपनी बात संक्षिप्त में रख दें।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

ठीक है। मान्यवर, सभी जनपद झांसी, जालौन, बॉदा, हमीरपुर, महोबा, ललितपुर, चित्रकूट, यह पूरा क्षेत्र दलहन और तिलहन के लिए प्रसिद्ध है। तीन चार साल सूखा रहा और बड़ी मुश्किल से किसानों ने देखा कि हमारी फसल अच्छी हुई है लेकिल मान्यवर, भीषण ओलावृष्टि और वर्षा के कारण किसानों की फसल चौपट हो गयी है। तमान किसान जो बैंकों से कर्जा लिये हुए थे, खाद, बीज लिये हुए थे मान्यवर, आज उनके पास पैसा वापस करने के लिए कोई जरिया नहीं रह गया है। वह आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहे हैं, अपने खेतों में जा करके रो रहे हैं। तो मान्यवर, ऐसी विषम स्थिति को देखते हुए, किसानों की फसल के नुकसान को देखते हुए उसमें हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि आप सरकार को निर्देश दे दें कि सरकार वहां का सर्वे करा ले और सर्वे कराकर सभी किसानों के सभी प्रकार के कर्ज माफ कर दिये जायें और जो वसूली की जा रही है उसे रोक दिया जाये यह मान्यवर, आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं और मान्यवर इस लोकमहत्व के प्रश्न पर कार्यवाही रोक करके चर्चा करा ली जाये।

*श्री रियाज अहमद–

मा० अध्यक्ष जी, मैं आभारी हूँ कि आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पर हमें बोलने का अवसर दिया। वर्ष 2008-2009 में नानक मत्ता सागर का बांध खोल दिये जाने की वजह से पूरा जनपद बाढ़ की चपेट में रहा। एक पैसे की राहत नहीं दी गयी, तमाम किसान तबाह और बरबाद हो गये। सोते समय बिना सूचना के पानी आ गया और सब बह गया, कोई राहत नहीं मिली। उसके बाद वर्ष 2009-2010 में सूखाग्रस्त घोषित किया गया पीलीभीत को लेकिन एक पैसे की राहत नहीं दी गयी। सूखे से निपटने के बाद फिर बाढ़ आ गयी। बाढ़ में भी कुछ नहीं मिला, अब किसानों ने बड़ी मुश्किल से खाद की किल्लत को देखते हुए ब्लैक में खाद खरीदी और अपने घर के गहने गिरवी रखकर अपनी फसल को खड़ा किया। मान्यवर, एक एकड़ नहीं, दो एकड़ नहीं बल्कि पूरे पांच हजार एकड़ का एरिया पीलीभीत का पूरा का पूरा तबाह और बरबाद हो गया। 11/12 की रात में भयंकर ओलावृष्टि हुई और ओले की हालत यह रही कि आज मैं आपके सामने बोल रहा हूँ आज की तारीख तक भी ओले पूरी तरह से गल नहीं पाये हैं। तमाम तरह की खपरैलें तमाम टीनशेड टूट गये। 125 गावों में फसल 80 प्रतिशत से ज्यादा तबाह और बरबाद हो गयी। खास तौर से पूरनपुर और तीनों ही तहसीलें प्रभावित हुई हैं। मान्यवर, सत्तापक्ष की पार्टी के दो विधायक जिसमें से एक मंत्री भी हैं वह जानते हैं कि पूरी तरह से जनपद पीलीभीत के लोग बरबाद हो चुके हैं। मैं, मा० मंत्री जी से चाहता हूँ कि कम से कम इस समय मुआवजे की राशि उस तरह की न हो जिस तरह से प्रति एकड़ पाँच सौ रूपए दे दिया गया, दो सौ रूपये दे दिया, अगर उस तरह से देना है तो सदन में इसकी घोषणा करने की जरूरत नहीं है बल्कि जो पीड़ित किसान हैं, जिनकी फसलें पूरी तरह से बरबाद हो गयी हैं, जो भुखमरी के कगार पर पहुँचने की स्थिति में हैं। आज गेहूँ की फसल पूरी तरीके से निकल कर बाहर आ गयी थी, पूरी की पूरी बर्बाद हो गयी है। खपरैलें बर्बाद हो गयी है, टीन सेट बर्बाद हो गये हैं, किसान कराह रहा है। पूरी तरीके से जिला प्रशासन उसकी जांच करा रहे है। जानवर जख्मी हुये हैं, हजारों की तादाद में परिन्दे मरे हैं।

मान्यवर, जानवर जख्मी हैं। मैं मांग करता हूँ कि इस महत्वपूर्ण मसले पर सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराने का कष्ट करें।

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मान्यवर, 11/12 फरवरी को प्रदेश में कई जिलों में ओलावृष्टि हुई है। इसमें पीलीभीत में 80 प्रतिशत फसल का नुकसान हुआ है। इसी तरह से बुदेलखंड में भी भारी नुकसान हुआ है। इसमें मान्यवर, फसल का तो नुकसान हुआ ही है मवेशियों का भी नुकसान हुआ है। खपरैल के जो मकान बने थे उनका भी नुकसान हुआ है। मान्यवर, बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। किसान मान्यवर पहले ही बर्बाद था उसको खाद नहीं मिली थी ब्लैक में खाद मिली थी। बाढ़ भी कई जगहें आयी थी। वह बाढ़ से भी प्रभावित हुआ, ओलावृष्टि से भी प्रभावित हो गया है। तो मान्यवर यह किसानों से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण सवाल है। यह

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अविलम्बनीय है और तात्कालिक है। मैं मांग करता हूँ कि इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराने का कष्ट करें। जो किसानों का नुकसान हुआ है उसकी भी भरपाई करायी जाय, यह मेरी मांग है।

श्री लाल जी वर्मा--

मान्यवर, यह ओलावृष्टि एक प्राकृतिक आपदा है। इसमें भारत सरकार द्वारा निर्धारित आपदा राहत निधि की गाईड लाइन्स के अनुसार ओला वृष्टि से 50 प्रतिशत या इससे अधिक फसल क्षति हेतु कृषि निवेश अनुदान के वितरण हेतु धनराशि आपदा राहत निधि से अनुमन्य है। मान्यवर, इस सम्बन्ध में सम्बन्धित जिलाधिकारियों से सूचना मांगी जा रही है, नियमानुसार अगर 50 प्रतिशत से अधिक कहीं भी फसल क्षति हुई है, तो इसके अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

श्री रियाज अहमद-

मान्यवर, हमारे यहां भारी पैमाने पर नुक्सान हुआ है। तत्काल कोई राहत देने की जरूरत है। कम से कम राहत देने की तो कोई घोषणा की जाय।

श्री अध्यक्ष--

मैंने इस सूचना पर माननीय सदस्यों को, नेता प्रतिपक्ष श्री शिवपाल सिंह यादव जी को और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना, यह सूचना नियम 56 मे नहीं आती है, इसलिए अग्राह्य करता हूँ फिर भी शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूँ कि यदि किसानों को कोई असुविधा है तो उसे दिखावा लें।

श्री लाल जी वर्मा--

मान्यवर, ठीक है।

श्री रियाज अहमद--

मान्यवर, यह सरकार किसानों के प्रति संवेदनहीन है। मैं सदन का वाक आऊट करता हूँ।

(श्री रियाज अहमद सदन का बहिर्गमन कर चले गये)

*डॉ० राधामोहन दास अग्रवाल--

मैं आभारी हूँ कि आपने बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित इतने महत्वपूर्ण विषय पर मुझे कार्यस्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता पर बोलने का अवसर दिया है अध्यक्ष महोदय हम लोगों ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में यह लक्ष्य निर्धारित किया है। अध्यक्ष महोदय, यह दोनों लोगों की बातचीत अगर बंद हो जाती मा० मंत्री जी और मा० अंबिका जी की तो हम लोग शुरू कर लेते।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

वह तो हो गयी।

डॉ० राधामोहन दास अग्रवाल–

धन्यवाद, 11वी पंचवर्षीय योजना में हम लोगों ने लक्ष्य निर्धारित किया है कि कुपोषण की दर 47.5 प्रतिशत की दर से घटाकर के 30.5 की दर पर लाने का काम करेंगे। आज की स्थिति यह है कि पूरे देश में कुपोषण की 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की कुपोषण की दर बिहार को छोड़कर के उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। तकरीबन 57 प्रतिशत बच्चे कुपोषित होते है। सरकार के आंकड़े कहते है 47 प्रतिशत बच्चे कुपोषित होते हैं, 12 प्रतिशत बच्चे पूरी तरह वेस्टेड होते है एक्यूट न्यूट्रीशन के शिकार होते हैं। इस कुपोषण की दर को कम करने के लिए जो सरकार के पास योजना है वह है इन्टीग्रेटेड चाइल्ड डेवलेपमेण्ड स्कीम, आई.सी.डी.एस. स्कीम। इस स्कीम के तहत आंगनबाड़ी केन्द्र चलाये जाते हैं और उस क्षेत्र के 1000 की जनसंख्या पर उन केन्दों में बच्चों को इनरोल करके प्रतिदिन 140 ग्राम पंजीरी देने का प्राविधान है। इसके अतिरिक्त जो गर्भवती मातायें होती है उनको हफ्ते में एक दिन बुला करके 7 दिन का भोजन दिया जाता है और किशोरी बालिकाओं को भी पंजीरी दी जाती है। बच्चों का लगातार स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है, वजन नापे जाते है और एक निश्चित अंतराल के बाद चिकित्सकों को बुलाकर के यह जाँच करायी जाती है कि यह जो भोजन उन्हें दिया जा रहा है, इनके कारण इनके स्वास्थ्य पर कोई असर पड़ रहा है या नहीं? महिला एवं बाल विकास कल्याण का बजट इस वर्ष 4470 करोड़ रूपये है और सिर्फ पंजीरी देने का बजट 2505 करोड़ रूपये है। यह पंजीरी उत्तर प्रदेश स्तर पर खरीदी जाती है। 25-25 किलो के पैकेट बनाये जाते है और यह 25 किलो का पैकेट सरकार तकरीबन 810 रूपये में खरीदती है। सरकार के माध्यम से बाल विकास परियोजनाओं के ब्लाक्स में जो गोदाम होते है सरकार के माध्यम से गोदाम तक पहुँती है और गोदाम में जा करके आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका होती है, वह गोदामों से उस पंजीरी को उठाती है, सरकार खरीदती है, सरकार की एजेंसी गोदामों तक पहुँचाती है और सरकार के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकायें उसे उठाकर आंगनबाड़ी केन्दों तक ले जाने का काम करती हैं। लेकिन जब वह गोदामों से चलता है और जब तक वह आंगनबाड़ी केन्द्रों तक पहुँचता है, 60 प्रतिशत से अधिक पंजीरी बिक जाती है और उस क्षेत्र के पशुओं के आहार के रूप में प्रयोग होती है।

वस्तुतः यह जो बाल विकास एवं पुष्टाहार परियोजना है उसका नाम ही बदलकर पशु विकास एवं पशु पुष्टाहार परियोजना कर देना चाहिए जो सच्चाई है सिर्फ पशुओं के स्वास्थ्य के लिए काम आ रही है। जो थोड़ा बहुत आंगनबाड़ी केन्द्रों तक पहुँचता है वह भी टुकड़ों–टुकड़ों में बिकता रहता है। स्वयं इस बात को अधिकारिक रूप से स्वीकार किया जाता है कि आंगनबाड़ी केन्द्रों पर जो हम लोग 912 रूपया स्नैक्स के लिए देते हैं। प्रतिदिन, प्रतिमाह और जो 2850 रुपया हॉट–कुक्ड योजना के अंतर्गत देते है। आपको जानना चाहिए, हम लोग गोरखपुर की स्थिति के हवाले से बता सकते हैं कि हॉट कुक्ड योजना इतनी महत्वपूर्ण योजना है जो बच्चों के स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती, करीब-करीब पूरी तरह कागज पर चल

रही है, जमीनी धरातल पर उसका अनुपालन नहीं हुआ है। स्नैक्स की भी यही कहानी है और इसका परिणाम यह है कि कुल मिलाकर सिर्फ 15 प्रतिशत बच्चों को सप्लीमेंटरी पुष्टाहार मिलता है, 85 प्रतिशत बच्चे इसके बिना रहते है। सिर्फ 14 प्रतिशत बच्चों को टीकाकरण आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से हो पाता है। हम लोग इतना पास करते है प्री-स्कूल हेल्थ के लिए, सिर्फ 13 प्रतिशत बच्चों की प्री-स्कूल एजूकेशन होती है। सिर्फ 3–4 प्रतिशत बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें बच्चों का स्वास्थ्य जाँच किया जाता है और यही कारण है कि वह जो पंजीरी हम लोगों ने इन बच्चों के स्वास्थ्य के लिए बनायी थी उन तक नहीं पहुँच पाती है इसलिए प्रदेश आज भी कुपोषण के घटाने का स्वयं उसका अपना लक्ष्य है, उस लक्ष्य को पाने में पूरी तरह असफल रहा है। सरकार की योजना बहुत बड़ी है, सरकार इसके लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था करती है। चूँकि वह धन, श्री दुष्यन्त कुमार ने किसी जमाने में लिखा था कि–

यहाँ तक आते आते सूख जाती है कई नदियाँ,

मुझे मालूम है पानी कहाँ ठहरा हुआ होगा।

वस्तुतः ये सारी पंजीरी रास्ते में जिस प्रकार से बिकती है, इन बच्चों तक पहुँचती नहीं है, यह इसका एक आदर्शतम उदाहरण है। मैं गोरखपुर का हूँ इसलिए गोरखपुर की बातें विशेष परिपेक्ष्य में उदाहरण दे करके कह सकता हूँ लेकिन समय कम है। जो वहाँ जिला कार्यक्रम अधिकारी है वह इतने स्वच्छन्द है कि यदि अध्यक्ष महोदय, हम सब जानते है कि कौन सा अधिकारी सरकार के होलोग्राम का प्रयोग कर सकता है, जो डी०ओ० लिखता है, डी०ओ० लिखने के स्तर के अधिकारी को होलोग्राम प्रयोग करने का अधिकार होता है। जिला कार्यक्रम अधिकारी उसमें नहीं आता है। वह अपने होलोग्राम का प्रयोग करके सबको हड़काने का काम करते हैं। वे सहायिकायें जिन्हें जो 750 रूपया पाती हैं, बहुत कम पाती है। इस नाते मजबूर होते है। कार्यकत्रियों 1250 रूपए पाती वह बहुत कम पाती हैं इस नाते मजबूर होती हैं। मंत्री जी कह सकते है कि जो धन दिया जाता है वह चेक से दिया जाता है लेकिन चेक से धन देने के बाद कैश से वापस ले लिया जाता है। एक ओर चेक जाती है दूसरी ओर वह धन बनकर जिला कार्यक्रम अधिकारी के पास चली आती है। मैं इस महत्वपूर्ण विषय पर जो बच्चों के स्वास्थ्य को प्रभावित करने से सम्बन्धित है। वस्तुतः दो योजनाएं जो सबसे क्रांतिकारी योजनाएं है एक आई०सी०डी०एस० की दूसरी नरेगा यह सीधे लाभर्थियों तक पहुँचने वाली योजनाएं है अगर इनका सही क्रियान्वयन हो जाए तो वास्तव में गरीबी का उन्मूलन और बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार हों। मैं इस बात पर आरोप प्रत्यारोप नही करता कि इससे पहले क्या होता रहा है मेरा कहना है कि इसको रोकने की जरूरत है। मैं मत्री जी से आग्रह करूँगा कि आई०सी०डी०एस० स्कीम और पुष्टाहार के वितरण में जो भी भ्रष्टाचार व्याप्त है उस बारे में आप क्या कर रहे हैं इससे सदन को अवगत कराएं और यह विश्वास दिलाएं कि इस भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष–

प्रस्तुत सूचना जो कि गोरखपुर आई०सी०डी०एस० स्कीम एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में है पर मैंने डा० राधा मोहन दास अग्रवाल को सुना। इनकी

सूचना नियम 56 में नहीं आती है इसलिए अग्राह्य करता हूँ तब भी यह जनहित से जुड़ा हुआ विषय है इस पर मैं शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।

अगली सूचना श्री महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू श्री नरेन्द्र सिंह, श्री राधेश्याम जायसवाल की पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच, बाराबंकी आदि जनपदों को बाढ़ की भयावह स्थिति से बचाये जाने के सम्बन्ध में है।

*श्री महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू–

मान्यवर, आपने मुझे इस गम्भीर विषय पर ग्राह्यता पर बोलने का अवसर दिया आपको धन्यवाद। मान्यवर, जनपद पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच, बाराबंकी और उससे भी आगे गोरखपुर तक बाढ़ की भयावह स्थिति बनी रहती है। जब बाढ़ पर चर्चा आई, सिंचाई विभाग का बजट आया उसमें भी यह बात आई इसके पहले भी जब आपने बाढ़ पर बोलने का अवसर दिया यह विषय उठाया गया। सबसे भयावह स्थिति यह है कि वहाँ पर जो गाँव के गांव कट गए हैं उनको मुआवजे के नाम पर कुछ सहायता तो दी गई लेकिन उनको बसने के लिए कोई जमीन नहीं दी गई जिससे सारे किसान हम लोगों ने नाम दिए है कि कौन-कौन से गाँव कट गए हैं जिनको पैसा दिया जाय यहाँ पर लोग रोड के किनारे बंगला डालकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं जो फसली जमीन कट गयी है यह करीब 26 हजार 62 हेक्टेएयर जमीन कट गई है जो लखीमपुर से लेकर सीतापुर तक बाढ़ में समाहित हो गयी है उनको कोई मुआवजा नहीं दिया गया है। पिछले वर्षों में ऐरा खमरिया मिल तक एक बन्धा आसाम रोड की तरफ बनाया गया है और जब बाँध बनकर तैयार हो गया है तो उधर की जमीन आसाम रोड तक घाघरा और शारदा का पानी बंधा बन जाने से उधर न जाकर दक्षिण की तरफ उत्पात मचाता है जिससे भारी तबाही हो जाती है हम लोग बहुत दिनों से माँग कर रहे है जब भी विधान सभा चली हम लोगों ने यह माँग रखी जैसे ऐरा से लेकर खमरिया तक बन्धा बनाया गया है उसी तरह आसाम रोड की तरफ उत्तर की तरफ घाघरा और शारदा में दक्षिण की तरफ ऐरा से लेकर महमूदाबाद बाराबंकी तक बंधे का निर्माण कराया जाय। पिछले नियमों में इसका उल्लेख किया गया तो उसका जवाब भी आया है, दिया गया है कि इसको गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग पटना को भारत सरकार द्वारा भेजी जा चुकी है। मान्यवर, यह कब स्वीकृत हो जायेगी? सन् 2005 में इसको भेजा गया था अब तक न तो इसमें काम शुरू हुआ है और न यह पता चल पाया है कि कब तक इस बांध का निर्माण होगा जिससे कि घाघरा और चॉदा से दक्षिण किनारे पर बसे हुए लगाकर लखीमपुर से सीतापुर होते हुए और महमूदाबाद बाराबंकी तक के लोगों को इस किनारे की बाढ़ से राहत मिलेगी। मान्यवर, इसको दिखवा लिया जाय और सदन की कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा करा ली जाय।

*श्री नरेन्द्र सिंह (सीतापुर)

मान्यवर, प्रत्येक वर्ष के जून माह में सीतापुर, लखीमपुर पीलीभीत, बाराबंकी, फैजाबाद आदि जनपदों में बरसात से निपटने के लिये तैयारी की बैठकें होती हैं और नवम्बर दिसम्बर

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माह में प्रति वर्ष अरबों रूपये की सड़कें, पुल रेलवे लाइन, फसलें, खेतिहर जमीन, मकान नष्ट हो जाते हैं। मान्यवर, जिस तरह से बुन्देलखंड कभी सूखे से परेशान रहता है इसी तरह से हमारा जनपद कभी बाढ़ और बाढ़ की विभीषिका से परेशान रहते हैं। मान्यवर, प्रत्येक तीन वर्षो में 2 वर्ष हर हाल में सीतापुर, पीलीभीत, लखीमपुर, बाराबंकी जंनपद में प्रलयकारी बाढ़ आती है और इसका परिणाम यह होता है कि हमारी पूरी फसल चली जाती है। जहाँ हमारी धान की फसल जाती है वहाँ उसके साथ गेहूँ या दूसरी फसलें जिसमें रबी की फसल होती है वह भी चली जाती है क्योंकि नमी की वजह से खेत जोत नहीं पाते और बो नहीं पातें। अध्यक्ष जी, आपसे निवेदन है कि यह लोक महत्व का अविलम्बनीय प्रश्न है। नानकसागर, बनबसा दो डैम में हजारों क्यूसिक पानी छोड़ने के कारण यह जिले और जिले के किसान और आम आदमी बारबादी के कगार पर पहुँच जाते हैं। मैं अति अविलम्बनीय और लोक महत्व के सवाल पर सरकार का और इस सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। हमारे माननीय सदस्य चाहे वे सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों इससे सहमत होंगे मान्यवर,बनबसा और नानक सागर डैम में जो पानी एकत्र होता है, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि जब 500-700 क्यूसिक मीटर पानी ज्यादा हो जाता है तो वहाँ के अधिकारी/कर्मचारी एक साथ पानी को छोड़ देते हैं और वह पानी एक सुनामी की तरह 5-5 जनपदों में 3-3, 4-4, 5-5 फिट की ऊँचाई से जाता है और मकान, फसलें आदि को ध्वस्त करते हुए जन जीवन को अस्त व्यक्त करता है। तमाम जनहानि होती है, पशुओं की हानि होती है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि बनबसा और नानकसागर डैम से जो पानी छोड़ा जाय वह धीमे-धीमें छोड़ा जाय। निवेदन इसलिये करना चाहता हूँ कि वहाँ पर कोई अधिकारी तो रूकता नहीं है, चौकीदार जब तक मुख्यालय तक इन्फार्म करता है हमारे पहाड़ का तब तक डैमों में इतना पानी स्टोर हो जाता है कि अधिकारी मजबूर होकर यकायक 500, 700, 1000 क्यूसिक पानी छोड़ देते हैं और वह ही मान्यवर, हमारी तबाही का कारण होता है। आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि प्रत्येक जून में जब बाढ़ से निपटने के लिये समीक्षा बैठक की जाती है उसके बजाय बेहतर होगा कि सदन में चर्चा करवा ली जाय। जो लाखों किसान भुखमरी की कगार पर खड़े हैं मान्यवर, आप जाँच करवा ले हमारे क्षेत्र महमूदाबाद सीतापुर से लोग मजदूरी करने के लिये लखनऊ पैदल आते हैं उनके पास पैसा नहीं है कि बस पकड़कर आ सकें। यह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है, जो गाँव कटे हैं उनको इंदिरा आवास दिये जायं। जिन किसानों की 50 प्रतिशत से ज्यादा फसल नष्ट हुई है उनको राहत दी जाय और मकान गिर गये हैं उनको इंदिरा आवास देने के साथ साथ बार-बार आ रही बाढ़ के बारे में सोचा जाय। वह लोक महत्व का प्रश्न है मान्यवर इसलिये इस पर चर्चा कराई जाय।

श्री अध्यक्ष–

मैने श्री महेन्द्र सिंह उर्फ झीन बाबू को और नरेन्द्र सिंह जी को सुना। यह सूचना नियम 56 में नहीं आती इसलिये अग्राह्य करता हूँ तब भी शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूँ कि जिन महत्वपूर्ण विषयों जो जन जीवन से, किसानों से जुड़े हुए हैं, माननीय मंत्री जी इसको दिखवा लें। श्री प्रमोद तिवारी, अनुपस्थित हैं, इनकी सूचना नियम 56 में नहीं आती, इसलिये अग्राह्य करता हूँ। दो सूचनाएं और सुननी है। हमारे सत्य प्रकाश अग्रवाल और कंसल साहब

हैं। अग्रवाल साहब ने कहा है कि इनकी 3 बजे कोई ट्रेन है। इसलिये क्रम को तोड़कर क्योंकि अग्रवाल साहब ने व्यक्तिगत तौर पर निवेदन किया है इसलिये दो मिनट में अग्रवाल साहब आप कह लें।

*श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले)–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे नियम 56 में बोलने का अवसर दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मान्यवर, प्रदेश की मोबाइल कम्पनियों द्वारा प्रदेश के नौजवानों को पश्चिमी सभ्यता की तरफ धकेलने का काम किया जा रहा है। आइडिया कम्पनी द्वारा मोबाइल पर कुछ इस प्रकार संदेश दिये जा रहे हैं जो नौजवान लड़के लड़कियों को चरित्रहीनता एवं नैतिक पतन की ओर ले जा रहे हैं। मोबाइल पर मैसेज आता है चैट आई०डी०नं० 556949903 से मिस काल है यह आपसे बात करना चाहती हैं दोस्ती करने के लिए डायल करें। दूसरा मैसेज है ये आपसे बात करना चाहती हैं नम्बर 58888 डायल करें। फीमेंल फ्रेंड पायें एवं तीसरा मैसेज है मेरा नाम क्या है मुझसे दोस्ती करना चाहते हो, तो मेरा नम्बर डायल करें। चौथा मैसेज है अगर आप 18 वर्ष के है तो नॉटी जोक्स सुनने के लिए फलाँ नम्बर डायल करें इस प्रकार के मैसेज लगातार आइडिया मोबाइल कम्पनी से आ रहे है नॉटी जोक्स के मैसेज बी०एस०एन०एल० कम्पनी से भी आ रहे है। समाचार पत्रों में भी कुछ व्यक्ति छोटे-छोटे विज्ञाप देकर नौजवान बच्चों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे है। कल दिनांक 03.02.10 को लखनऊ से प्रकाशित एक समाचार पत्र में इस प्रकार के 6 विज्ञापन छपें हैं जिसमें लिखा है फलाँ क्लब वैलेटाईन ऑफर हर उम्र/शहर के लड़के-लड़कियों के संग दोस्ती, मीटिंग, मसाज हेतु सम्पर्क करें। (हँसी)

फीमेल मेम्बरशिप फ्री तथा प्रतिमाह अच्छे पैसे कमाये साथ में मोबाइल नम्बर दिए गए है। मान्यवर, हम युवाओं को सही दिशा देने के लिए प्रयासरत है। (हँसी) प्रदेश में युवाओं को विगड़ने से बचाने हेतु प्रयास करने की आवश्यकता है क्योंकि यही पीढ़ी भविष्य की धरोहर है। अनेक बार सेक्स एजूकेशन पर विधान सभा में चर्चा हो चुकी है जिसे सर्वसम्मति से नकारा गया।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है आ गया। अग्रवाल साहब बैठिये हम युवाओं की सुनवाई होगी।

श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले)–

मान्यवर, इस तरीके के विज्ञापन मैसेज से युवाओं में अश्लीलता फैलाई जा रही है। युवा पीढ़ी का भविष्य पूरी तरह से बर्बाद करने की तैयारी समाज के चंद लोगों ने कर रखी है। इस पर बहुत प्रभावी नीति बनाकर तत्काल अंकुश लगाये जाने की आवश्यकता है। इस मैसेज व विज्ञापनों से युवा पीढ़ी को अब गलत कामों के लिए किसी को तलाशने की आवश्यकता नहीं रह गयी है। घर बैठे समस्त सुविधायें उपलब्ध हो रही हैं। अतः इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय पर सदन के समस्त नियमों को निलम्बित करते हुए चर्चा कराये जाने की मांग करता हूँ।

श्री अशोक कंसल–

मान्यवर, आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आभारी हूँ। मान्यवर, यह कोई जनरल मामला नहीं है सभी के मोबाइलों पर इस तरह के मैसेज

आ रहे हैं। और मान्यवर, इससे युवा पीढ़ी बिगड़ रही है। युवा पीढ़ी का चरित्र हनन हो रहा है। बहुत से मैसेज इस प्रकार के आते है कि आपस में मिलने का प्रयास लड़का लड़की करते है। परिवार उसकों एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो जाकर के किसी स्टेज पर वह आत्महत्या तक करने को मजबूर हो जाते हैं। मान्यवर, युवाओं के ऊपर देश ओर प्रदेश का भविष्य निर्भर करता है मान्यवर, इसी तरह से सदन के संज्ञान में भी होगा कि इसी प्रकार से एक वायदा व्यापार भी इण्टरनेट पर चल रहा है उसमें भी स्पर्धा इस प्रकार की है कि रातों रात करोड़पति अरबपति बनना चाहते है लोग, तो उसमें भी पथभ्रष्ट होकर युवा पीढ़ी एक गलत रास्ते पर जा रही है। और अन्त में जब इतना पैसा बरबाद कर जाते हैं और परिवार जब इस पैसे को सहन करने की अपेक्षा नहीं रखता है तो अन्त में वह आत्महत्या कर गुजरते हैं। इसी प्रकार से मान्यवर, व्यापार के अन्दर जो बहुराष्ट्रीय कम्पनियां घुस गई हैं उससे भी इसी प्रकार का मैसेज जा रहा है। क्योंकि देश के अन्दर एक ईस्ट इण्डिया कम्पनी जब राज्य करने के लिए आई तो दो सौ वर्षों तक राज्य करती चली गई।

श्री अध्यक्ष–

बात आ गई बैठिए।

श्री अशोक कंसल–

इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। बहुत से टी0वी0 चैनलों पर स्थिति यह है कि परिवार के लोगों के साथ आप विज्ञापन या किसी भी प्रकार का जो चित्रण आता है उसको देखने के लिए किसी भी तरह से इजाजत परिवार या समाज नहीं देता है। तो टी0वी0 चैनलों पर भी प्रतिबन्ध लगना चाहिए। यह अविलम्बनीय और महत्व का प्रश्न है और मान्यवर, समाचार पत्रों में भी इस प्रकार के बड़े खराब विज्ञापन आते हैं जिससे वास्तव में आज युवा पीढ़ी बिगड़ रही है। तो मान्यवर, उस ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। मैं ऐसे विज्ञापनों पर पूर्ण प्रतिबन्ध की माँग करते हुए. चर्चा की मांग करता हूँ, धन्यवाद।

श्री अम्बिका चौधरी–

अध्यक्ष जी, युवाओं की बात तो आपने सुन ली, एक ऐसे बुजुर्ग जो हमारे आसपास हैं, किन्तु वह स्वयं इसका उल्लेख नहीं करना चाहते थे, उन्होंने कहा कि यह एसएमएस केवल नौजवानों के फोन पर क्यों आ रहा है, हम तो कई दिन से प्रतीक्षा कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

अच्छा, यह बात है।

मैंने सत्य प्रकाश अग्रवाल जी को सुना, अशोक कंसल जी को सुना, यह सूचना नियम–56 के अन्तर्गत नहीं आती, इसे अग्राह्य करता हूँ फिर भी ऐसे संसाधनों के द्वारा अगर समाज में विकृतियाँ, अश्लीलता बढ़ रही है तो यह गंभीर चिन्ता का विषय है। यह हम सबके सोचने का विषय है कि अगर इन संसाधनों के माध्यम से कहीं समाज में अश्लीलता और विकृतियाँ फैल रही है तो कहीं न कहीं इस पर सोचने की बात है, इस पर विचार करना चाहिए। मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

अब श्री दीनानाथ कुशवाहा जी, दो मिनट में घटना का चित्रण कर दें।

*श्री दीनानाथ कुशवाहा–

मान्यवर, मैं एक अत्यन्त महत्वपूर्ण घटना की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हैं। मान्यवर, जब रोम जल रहा था तो वहाँ का शासक नीरू बंशी बजा रहा था। देवरिया जनपद के अन्तर्गत बनकटा थाने का गाँव भैंसनी जहाँ 5/6 की रात में छः लोगों की हत्या कर दी गई। यह इतनी हृदय विदारक घटना है कि मान्यवर, मानवता भी कांप जा रही है। इन्दु देवी, उम्र 45 वर्ष, कु0 सीता, उम्र–17 वर्ष, हाईस्कूल की छात्रा थी, हरिकेष उर्फ लालू, कक्षा–7 का विद्यार्थी था, उम्र–12 वर्ष, राकेश उर्फ छोटू, 10 वर्ष, विकास उर्फ गोचू, 8 वर्ष और शिल्पा, 6 वर्ष की लड़की थी, इन छवों की हत्या की गई और हत्या हुए 10 दिन बीत गए हैं, देवरिया का पुलिस प्रशासन मूकदर्शक बना हुआ है और अब तक घटना का पर्दाफाश नहीं हो पाया है। मान्यवर, इसमें देवरिया के पुलिस कप्तान ने पहले घटना के रंग को बदलना चाहा और कहा कि यह आत्महत्या हुई है लेकिन मेडिकल की जो टीम थी, उसने जाँच की और जाँच के बाद बिसरा सुरक्षित कर लिया। मान्यवर, देवरिया का जिला प्रशासन, जिलाधिकारी से लेकर प्रशासन के सारे अधिकारी वहाँ पहुँचे और वहाँ पहुँचने के बाद मोहन गौड़, परिवार का जो एक सदस्य बचा हुआ है, उसको पकड़ करके पुलिस द्वारा पूछताछ हो रही है, लेकिन 10 दिन इस घटना के हो गए हैं, अब तक इस गंभीर घटना का पर्दाफाश नहीं हो पा रहा है। हमें शंका है कि जिला प्रशासन इस घटना का कहीं दूसरा रूप, रेलवे एक्सीडेंट न दिखा दे, इसलिए इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के प्रश्न पर मैं सरकार का स्पष्टीकरण चाहता हूँ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, इस घटना की रिपोर्ट अंकित की जा चुकी है, मुकदमा अपराध संख्या–78/2010, धारा–302, 201 और इसमें मान्यवर, थानाध्यक्ष बनकटा द्वारा तफ्तीश की गई और इसमें दो व्यक्तियों, अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है, घटना के शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। मान्यवर, इस सूचना को कार्य–स्थगन के रूप में अग्राह्य करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष–

मैंने दीनानाथ कुशवाहा जी को सुना और मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना, यह सूचना नियम–56 में नहीं आती, इसे मैं अग्राह्य करता हूँ।

जोखू लाल यादव जी आप अपनी बात दो मिनट में कह लीजिए।

श्री जोखू लाल यादव–

मा0 अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे नियम–56 में सूचना की ग्राह्यता पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपको बहुत–बहुत धन्यवाद। मा0 अध्यक्ष महोदय, हमारे जनपद इलाहाबाद में इलाहाबाद से जौनपुर मार्ग पर स्थित अंदावा बाईपास से ले करके सहसों बाजार तक एडीए द्वारा ग्रीन लाइन घोषित की गई है और मान्यवर, जब से नोटिस दी गई है। इस ग्रीन लैण्ड में सड़क के किनारे 300 मी0 के इर्दगिर्द जिनके मकान हैं, भवन हैं, व्यापारिक प्रतिष्ठान है या पूजाघर हैं तो इस 10 किमी0 के अन्दर जो हजारों मकान, भवन, व्यापारिक प्रतिष्ठान को जो तोड़ने की साजिश है इसमें मैं आपसे चाहता हूँ और सुझाव भी है मेरा,

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, सत्तापक्ष के साथी झूंसी विधान सभा के श्री प्रवीण पटेल जी बैठे होंगे, यह अन्दावां बाईपास से सहसों तक 10 किमी0 की दूरी पर दसियों गांव तक जिनके मकान हैं, जिनके व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं यह सभी लोग भयभीत हैं, वहां के लोग आक्रोशित हैं और आन्दोलित हैं। इसलिये आपसे मेरा आग्रह है कि उनके हजारों वर्ष से जो पुस्तैनी मकान और तमाम जो भवन और व्यापारिक प्रतिष्ठान और विद्यालय हैं उन्हें क्षतिग्रस्त न किया जाये। बल्कि मेरा सुझाव है कि इलाहाबाद में रिंग रोड का निर्माण होना है अगर वह ग्रीनलैण्ड डेवलप करना ही चाहते हैं तो वह रिंग रोड के इलाके में ग्रीनलैण्ड को विकसित करें। मान्यवर, यह अत्यन्त अविलम्बनीय और लोक महत्व का प्रश्न है इसलिये मैं नियमों को शिथिल करते हुये इस पर चर्चा कराने की मांग करता हूं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी मैंने श्री जोखूलाल यादव जी को सुना यह सूचना नियम 56 में नहीं आती है मैं इसको अग्राह्य करता हूं। लेकिन जिस विषय की तरफ इन्होंने संकेत दिया है इसको दिखवा लें कि इसमें किसानों का नुकसान न हो।

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

मान्यवर, प्रतापगढ़ में पट्टी से दीवानगंज मार्ग पर पड़ने वाले ईंट भट्ठों पर बंधुआ मजदूरों से जुड़ा विषय है। सरकार से कार्यवाही का निर्देश आप देने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष–

मैंने श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह जी को सुना मैं इस सूचना को नियम 56 के अन्तर्गत अग्राह्य करता हूं। अगर कहीं बंधुआ मजदूर या बालकों से मजदूरी का इस तरह का प्रकरण हो तो माननीय मंत्री जी इसे दिखवा लें।

श्री लालजी वर्मा–

ठीक है मान्यवर।

*श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये धन्यवाद। मान्यवर, नगर पालिका के जो सदस्य होते हैं उनको कोई मानदेय नहीं मिलता है और तमाम कार्य उनको जनसेवा के करने पड़ते हैं। अगर उन्हें वह मिल जाये तो उससे उन्हें सुविधा होगी। मान्यवर, गांव के जो प्रधान हैं उनको भी मानदेय की व्यवस्था है। जो संसद के सदस्य हैं या जो विधान मण्डल के सदस्य हैं सभी को अपने कार्यों के लिये मानदेय मिलता है। केवल यह नगर पालिकाओं के जो सदस्य हैं इनके साथ ही यह सौतेला बर्ताव हो रहा है जबकि यह भी जनसेवा का कार्य करते हैं। अगर देखा जाये तो जो गांव के प्रधान हैं तो अगर वहां पर 600–700 वोटर भी वहां पर होते हैं तो वह उसके प्रधान होते हैं लेकिन जो नगर पालिका का सदस्य है तो वहां कम से कम ढाई हजार, साढ़े तीन हजार वोटर होते हैं। तो उनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी अपेक्षा होती है कि वह सदस्य उसे पूरा कराये। परन्तु व्यवहारिक रूप में कठिनाई यह आती है कि उसके प्रस्ताव को भी कोई सुनने वाला नहीं

होता है और न ही वह कार्य को करा पाता है। इसमें मेरी आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह मांग है कि कृपया वह उस पर विचार करें और यह अत्यन्त ही अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है। सदन की कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा करायी जाये और उन्हें भी अन्य सदस्य जनप्रतिनिधियों की तरह से मानदेय देने पर विचार किया जाये। बहुत--बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष--

मैं यह सूचना नियम 56 में अग्राह्य करता हूं। तब भी मैं इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

श्री इकबाल महमूद--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने बैठते ही मुझे बुला लिया। मान्यवर, यह घटना 7 तारीख की है। मुरादाबाद जनपद के गांव पोटा में रात 10 ही बजे थे, गांव के लोग सोये ही थे कि मोहम्मद अली के मकान पर बहुत सारे डकैतों ने एकदम हमला कर दिया। उसके घर में घुस गये।

(इस समय 2 बजकर 40 मिनट पर अधिष्ठाता श्री ओम प्रकाश सिंह (ओ0पी0 सिहं पीठासीन हुए)

गोलियां चलाई। मोहम्मद अली को चोट आई, उसकी पत्नी को भी चोट आई। जब गोली की आवाज आयी तो पूरा गांव जाग गया, पड़ोस में ही जुम्मन नाम का गरीब व्यक्ति है, उसने सुना कि गांव के अन्दर फायरिंग हो रही है, वह घर से बाहर निकल कर जैसे ही आया तो डकैत उसके सामने ही खड़े थे, एक डकैत ने उसके ऊपर भी गोली चला दी और वह मौके पर ही मर गया। अधिष्ठाता महोदय, पूरे गांव में हाहाकार मचा, आसपास के तमाम गांव के लोग इकट्ठा हो गये। मगर, पुलिस वाले रात के 3 बजे तक नहीं आये, कोई पूछने नहीं आया कि आखिर क्या हो रहा है? पूरा गांव ही नहीं, पूरा शहर वहाँ तक पहुंच गया। ये हालात हो गये हैं।

मान्यवर, डकैतों के हौंसले इतने बढ़ गये कि दिन दहाड़े ही, रात के 10 बजे भी दिनदहाड़े ही होता है, घर के अन्दर घुस गये। यही नहीं मान्यवर, इतने हावी हैं वहां पर जनपद मुरादाबाद के अंदर डकैत और पता नहीं कि हमारी यह पुलिस और सरकार क्या कर रही है? एक घटना हुयी थी संभल सराय के अंदर एक बच्चे को उठा लिया गया था और जब उस बच्चे को उठाया गया, पूरे मोहल्ले ने दौड़कर उस आदमी को पकड़ लिया, उसे पुलिस को दे दिया गया। उस घटना के बारे में और नाम भी दिये गये हैं, रपट लिखायी गयी, मगर उसके बाद में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई और यहां तक कर दिया गया कि उसके बाद उनको बचाने के लिये, मुल्जिमों को बचाने के लिये, लखनऊ शासन से ही उस तफ्तीश को चेंज करा दिया गया। माननीय अधिष्ठाता महोदय, पोटा गांव के अंदर बहुत आक्रोश है। वहां इतनी बड़ी घटना हो गयी। अधिकारी कोई नहीं पहुंचा, न डी0एम0, न एस0एस0पी0, न सी0ओ0, न कोतवाल रात के तीन बजे तक हाहाकार मचता रहा और लोग अपनी डेड बॉडी को लिये हुये

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पड़े रहे। रात के 4 बजे, 5 बजे जाने के बाद में चार सिपाही आते हैं और आकर के पूछते हैं कि क्या हो गया? इतनी बड़ी घटना घट गयी? किसी को कुछ पता ही नहीं है, सरकार क्या कर रही है? क्या कर रहे हैं वहां के अधिकारी? सोये पड़े हैं मान्यवर। कोई मर गया है और कोई पूछने वाल ... है। मैं चाहूंगा कि सरकार इस घटना में तुरन्त कार्यवाही कराये। इन डकैतों को पकड़ा ... और जिन अधिकारियों ने इस मामले में शिथिलता बरती है उनके खिलाफ भी कार्यवाही की जाये और मरने वालों को भी सरकार की तरफ से कोई मदद दी जाये। बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री अधिष्ठाता–

यह सूचना नियम 56 के अंतर्गत नहीं आती है, इसे निरस्त किया जाता है और सरकार का इसकी तरफ ध्यानाकर्षण किया जाता है।

अब सनातन पाण्डेय जी, किसान सहकारी चीनी मिल लि0, रसड़ा बलिया द्वारा किसानों को गन्ना मूल्य का कम भुगतान किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

*श्री सनातन पाण्डेय–

माननीय अधिष्ठाता महोदय जी, लोक महत्व के गंभीर विषय की तरफ आपने मुझे बोलने का मौका दिया है, इसके लिये बहुत–बहुत धन्यवाद। पूर्वांचल के जनपद बलिया में मात्र एक चीनी मिल है, सहकारी चीनी मिल, रसड़ा बलिया। इस साल पूरे प्रदेश में गन्ने का उत्पादन कम था, उसके बावजूद भी जनपद बलिया के गन्ने को दूसरे जनपदों, दूसरे क्षेत्रों को आवंटित कर दिया गया है। यह आपका कार्यक्षेत्र था, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि उसके बावजूद किसानों ने अपना गन्ना दि किसान सहकारी चीनी मिल को दिया। कुछ समय चीनी मिल चली, उसके बाद से उस चीनी मिल को यह कह करके बंद कर दिया गया कि पर्याप्त मात्रा में गन्ना नहीं मिल रहा है। इसलिये गन्ना घोसी चीनी मिल को ट्रांसफर कर दिया जाये। पूरे रसड़ा का गन्ना महीनों तक घोसी चीनी मिल को दिया गया। घोसी चीनी मिल ने अपना गन्ना भुगतान रसड़ा के किसानों को बलिया के ही किसानों को 195 रुपये प्रति कुण्टल करने का काम कर रही है और जो रसड़ा, जनपद बलिया का किसान सहकारी चीनी मिल को गन्ना दिया है उसका भुगतान 165 रुपये से किया जा रहा है। अगर यह घोसी की चीनी मिल प्राइवेट चीनी मिल होती तो मैं अपनी बात को यहां उठाने का काम नहीं करता। लेकिन वह भी सहकारी चीनी मिल है और रसड़ा की भी सहकारी चीनी मिल है और किसान एक है और वह जनपद बलिया का किसान है। यदि बलिया का किसान रसड़ा चीनी मिल को गन्ना देता है तो 165 रुपये का भुगतान पा रहा है और घोसी चीनी मिल को दे रहा है तो 195 रुपये पा रहा है। किसानों में इस बात को लेकर आक्रोश व्याप्त है और आज उस चीनी मिल पर धरना चल रहा है। अधिष्ठाता महोदय, मैं आपसे मांग करता हूं कि पूर्वांचल का हमारा एक मात्र उद्योग गन्ना मिल का था। उसको बर्बाद करने की साजिश अधिकारियों ने की है कि हमारा गन्ना रहते हुए, हमारे गन्ने को दूसरे जनपद को आवंटित किया गया, गन्ना रहते हुए चीनी मिल को बन्द किया गया और हमारे जो काश्तकार अपना गन्ना दे चुके हैं

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उनको 165 रुपये के हिसाब से भुगतान किया जा रहा है, उनको जो है सहकारी चीनी मिल की जो दर घोसी की जो 195 रुपये है, उसी तरह जनपद बलिया के किसानों को भी 195 रुपये प्रति कुन्तल की दर से भुगतान किया जाय। मैं चाहूँगा कि लोकमहत्व के विषय के इस प्रश्न पर सदन की कार्यवाही रोक करके चर्चा करा ली जाय।

श्री अधिष्ठाता–

यह सूचना नियम 56 के अन्तर्गत नहीं आती है, इसको निरस्त किया जाता है, लेकिन सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

माननीय सदस्य श्री राजाराम त्यागी जी, रायबरेली के ग्राम जिहवा के ग्राम वासियों की आंखों में अचानक तकलीफ होने एवं मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा समय से उपचार न किये जाने के सम्बन्ध में।

श्री राजाराम त्यागी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने इस गम्भीर विषय पर नियम 56 के अन्तर्गत बोलने का अवसर दिया, आपके प्रति आभार व्यक्त करते है। मान्यवर, महाशिवरात्रि के दिन 12 फरवरी, 2010 को जो रायबरेली जनपद के महराजगंज कोतवाली के अन्तर्गत, जो मेरी विधान सभा के अन्तर्गत आता है, हनुमानगंज तिराहे पर जिहवा गांव के वहां महाशिवरात्रि का कार्यक्रम चल रहा था। रात्रि में कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी चल रहा था, ऐसे अवसर पर जब सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने के बाद रात्रि में अपने–अपने घरों को लोग गये। प्रातःकाल जब सुबह उठे तो उनकी आँखों के सामने कुछ नहीं दिखाई पड़ता है कुछ ऐसे भी लोग थे। महिलाएं और पुरुष उसमें बच्चे भी थे, जिनके आंखों में आंसू बह रहे थे और पानी बह रहा था। मान्यवर, यह सब लोग जब प्रातःकाल नौ–दस तक स्थानीय उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में गये तो वहां पर अधीक्षक समेत कोई भी चिकित्सक वहां पर उपस्थित नहीं था। मान्यवर, वहां चिकित्सक न होने के कारण, कोई उपचार न होने के कारण भीड़ बढ़ती गई। यहां तक कि वहां एक घण्टे के अन्दर सैकड़ों लोग आ गये और अन्त में वहां जब 12 बजे तक कोई डाक्टर, चिकित्सक उपस्थित नहीं था, स्थिति ढाई सौ, पौने तीन सौ के आस–पास ऐसे लोगों की हुई और वहां चीख–पुकार करते रहे सारे लोग, चिल्लाने की आवाज सुनकर वहां के स्थानीय कोतवाल इस संदर्भ में गये कि कोई ऐसी घटना न होने पाए। मान्यवर, इसके कारण वहां पर क्षेत्राधिकारी और कोतवाल पहुँचे शान्ति व्यवस्था कायम करने के उद्देश्य से कि अन्य कोई दुर्घटना न होने पाए। मान्यवर, वहां क्षेत्राधिकारी के उच्च अधिकारियों को सूचना देने के बाद तब कहीं सायंकाल 3.00 बजे वहां एक रायबरेली से जिला मुख्यालय से आंखों का एक दल वहां पहुँचता है। मान्यवर, उसके बाद भी वहां समुचित दवा नहीं हो पा रही थी और वहां रोगियों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही थी, शाम को बहुत प्रयास करने के बाद मुख्य चिकित्साधिकारी शाम को 7.00 बजे वहां पहुँचते हैं और 7.00 बजे तक जो तीन–चार गांवों के लोग थे, बल्लागांव, जिहवा, रौना पास–पड़ोस के गाँव के जो लोग वहां थे, उन सारे गांवों में ऐसे मरीजों की संख्या बढ़ती गई। समय पर वहां कोई ऐसा दल नहीं भेजा गया। मान्यवर, आपके माध्यम से मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, आज भी समाचार पत्र के माध्यम से

मैंने पढ़ा, सवा तीन सौ संख्या ऐसे रोगियों की हो गई है। मान्यवर, वहां पर समय से उपचार किया जाना आवश्यक था और कोई ऐसी घटना नहीं घटी, इसके लिए वहां के निवासी धन्यवाद के पात्र हैं,

(इस समय 2 बजकर 48 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

लेकिन माननीय अध्यक्ष जी मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि समय से वहां चिकित्साधिकारी, चिकित्सक के न होने के कारण, गांव में कोई समुचित व्यवस्था न होने के कारण मरीजों की संख्या बढ़ी है, भविष्य में इस तरह की कोई ऐसी घटना न हो। मैं चाहता हूँ मा0 अध्यक्ष जी, इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा कराई जाय और आपका निर्देश हो कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं किसी दूसरे जनपदों में न हो। स्वास्थ्य विभाग जो लापरवाही बरते हैं, जिन्होंने समय पर वहां इलाज नहीं किया, जो चिकित्साधिकारी अधीक्षक सहित वहां पर उपस्थित नहीं थे, मान्यवर आपकी पीठ से निर्देश हो, उनके खिलाफ कार्यवाही हो और ऐसी पुनरावृत्ति न हो। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने मा0 सदस्य श्री राजाराम त्यागी जी को सुना। यह सूचना नियम–56 के अन्तर्गत नहीं आती है, मैं इसे अग्राह्य करता हूँ लेकिन तब भी जिस विषय की तरफ इन्होंने ध्यान आकृष्ट किया है, यह जन–जीवन से जुड़ा हुआ है, मैं इसमें शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूँ कि इस विषय को दिखवा लें।

श्री जावेद अंसारी–

मान्यवर, मैं आपका हृदय से आभारी हूं आपने अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े हुये इस लोकमहत्व के तात्कालिक अविलम्बनीय विषय की ग्राह्यता पर बोलने का मुझे अवसर दिया। मान्यवर, अक्सर देखा गया है कि गलत मानसिकता के कतिपय अधिकारियों के द्वारा सुनियोजित ढंग से कभी–कभी किसी खास मकसद के लिये साइलेन्ट मूवमेन्ट चलाया जाता है। यह ताजा मसला जनपद मऊ के ग्राम अतरारी, थाना कोतवाली मोहम्मदाबाद गोहना से संबंधित है। मान्यवर, 27 जनवरी, 2010 को 11 बजकर 30 मिनट पर श्रीमती नुशरत जहां पत्नी हाफिज मोख्तार आलम जो अतरारी की निवासी हैं इनके घर पर नायब तहसीलदार, राम मूरत, अमीन, राजेश सिंह, अमीन, नरसिंह और चपरासी, फिरोज अहमद के साथ 7–8 अवांछनीय लोग आये और इनके घर में सीधे घुस गये और घुसने के बाद महिलाओं से सीधे कहा कि तुम्हारे सौहर के नाम आर0सी0 है, आर0सी0 के पैसे दिलवाओ, उसको अदा कर दो, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ भी कार्यवाही की जायेगी। उन लोगों ने जाति सूचक शब्दों का प्रयोग भी किया और उसे अपमानित करते हुये महिला को धमकाया कि यह ज्यादा बोलती है। राम मूरत नायब तहसीलदार ने उसे धक्का देकर वहीं गिरा दिया और राजेश ने उसके कान की बाली नोच ली। बिजली की मोटर खोलने के लिये ललकारा जिस पर फिरोज और नरसिंह ने मोटर खोल लिया और लूम पर चढ़ी हुई साड़ियाँ बीम से काट और हजारों रुपयों का नुकसान किया फिर ये लोग उसके देवर के घर गये वहां पर उसकी देवरानी श्रीमती साकिया खातून के साथ भी बदतमीजी की गयी। विरोध करने पर राममूरत ने उसे कई झापड़ मारा और उसे चोटें पहुंचाई। और उसके भी लूम पर चढ़े हुये बीम को काट दिया गया जो साड़िया तैयार थी उसको उठा ले गये और साथ में बिजली की मोटर खोल ले गये। मान्यवर, इस घटना के बारे में श्रीमती नुशरतजहां ने थाने पर जाकर तहरीर दी लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी,

गवाहान का नाम लिया गया कि इन गवाहों की मौजूदगी में इस तरह की हरकत और बदतमीजी की गयी है इसका संज्ञान लिया जाय लेकिन मुल्जिमान ने जिस तरह वहां पर नंगा नाच किया वह आतंक की पराकाष्ठा है। मान्यवर, जो वकील अहमद और उसका लड़का सुलतान अहमद ने इन लोगों का विरोध किया तो उनके घरों में भी ये सारे लोग घुस गये, लूम की मोटर को खोल लिया और लूम पर चढ़ी हुई बीम खोल ली। बाद में वकील अहमद उसकी बीबी सितारा बेगम, सुल्तान अहमद को बेंत और डन्डों से मारापीटा और जबरदस्ती जीप पर बैठाकर थाने पर उठा ले गये और थाने पर जाने के बाद उल्टे जिनके साथ हादसा हुआ था इनकी तहरीर लिखे जाने के बजाय इन्हीं लोगों के खिलाफ एक झूठी मनगढ़न्त एफ0आई0आर0 अपनी करतूतों को छिपाने के लिये दर्ज कराई गयी और 30 जनवरी, 2010 को श्रीमती नुशरत जहां ने जब उनको कहीं से रैमिडी नहीं मिली तो 30 जनवरी, 2010 को जिलाधिकारी को इन्होंने तमाम मेडिकल रिपोर्टों के साथ प्रार्थना–पत्र दिया, रजिस्ट्री डाक से प्रेषित किया, वहां पर चूंकि संबंधित राजस्व विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों का मामला था इसलिये उस पर भी लीपापोती की गयी और कोई एफ0आई0आर0 नहीं दर्ज की गयी। 5 लोगों के खिलाफ जो एफ0आई0आर0 नायब तहसीलदार के द्वारा दर्ज कराई गयी वह केवल देख लें कि किस तरह से उसमें जल्दबाजी की गयी और किस तरह से निर्दोष लोगों को फंसाने की बात की गयी। एक बिलाल अहमद पुत्र अब्दुल गनी है जो घटना के दो साल पहले से सऊदी अरब में रहकर नौकरी करते हैं भारत के पारपत्र के द्वारा विदेश गये हुये हैं और भारत के किसी टेरीटरी पर वह मौजूद भी नहीं हैं उनको इस एफ0आई0आर0 के अन्दर नामजद किया गया, एक एमानुद्दीन पुत्र अमानुतउल्ला है जो घटना के 4 दिन पहले रेलवे से आरक्षण लेकर दिल्ली गये और दिल्ली से इस घटना के बाद उनकी वापिसी होती है उनको भी मुल्जिम बना दिया गया। मान्यवर, सुल्तान अहमद और वकील अहमद के खिलाफ चूंकि कोई आर0सी0 नहीं थी उन्हें भी गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। मान्यवर, विशेष सम्प्रदाय का होने के कारण उत्पीड़न यहां पर किया गया। इसमें अधिकारियों की शह हासिल है। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की जाय और निर्दोषों को न्याय दिलाया जाय, नुकसान की भरपाई कराई जाय। पूरा गांव मान्यवर, भयाक्रान्त है सुरक्षा की ईमानदारी से व्यवस्था की जाय और दरख्वास्त देने से जो अधिकारियों की नाराजगी है, उनसे कहा जाय कि वह इस तरह की उत्पीड़क कार्यवाही बंद करके उन्हें न्याय दिलावें। मान्यवर, मऊ जनपद से संबंधित लोक महत्व की, इस अविलम्बनीय, तात्कालिक घटना पर बल देते हुये सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं।

श्री अध्यक्ष–

मैंने इस सूचना पर श्री जावेद अंसारी जी को सुना। यह सूचना नियम–56 में नहीं आती, इसलिये इसे अग्राह्य घोषित करता हूं। फिर भी माननीय मंत्री जी इस बात को दिखवा लें कि गरीब बुनकरों का कहीं गलत ढंग से उत्पीड़न न होने पाये।

श्री श्याम किशोर शुक्ला जी, आप दो मिनट में अपनी बात कहें। डा0 पी0के0 राय जी, आप भी दो मिनट में अपनी बात कह लीजियेगा।

श्री श्याम किशोर शुक्ला–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया, मैं बहुत ही आभारी हूं। आज लखनऊ प्रदेश की राजधानी में विकास के मानकों की अनदेखी के विषय पर, मैं आपके

माध्यम से शासन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। निःसंदेह लखनऊ प्रदेश की राजधानी है और यहां बसने वालों की आबादी दिन–प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। यहां पर नये संगठनों, नई संस्थाओं और नये–नये लोग यहां पर आकर अपने कार्यालयों और संस्थाओं की स्थापना कर रहे हैं। रिहायशी आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है। लखनऊ विकास प्राधिकरण सारे मानकों और सारे दिशा–निर्देशों का उल्लंघन करके रिहायशी कालोनी और व्यापारिक केन्द्र बना रहा है। वह माननीय सर्वोच्च न्यायालय सहित समय–समय पर शासन द्वारा दिये गये दिशा–निर्देशों का भी उल्लंघन कर रही है। उपजाऊ जमीन जो लखनऊ की है, या उसको हरित पट्टी घोषित कर दिया गया है, पर भी भवन नहीं बनना चाहिये लेकिन बनने लगे हैं। मैं आपके माध्यम से शासन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि लीडा के माध्यम से लखनऊ में कानपुर रोड हो, चाहे मोहान रोड हो, उस पर भी अनाधिकृत रूप से शासन द्वारा घोषित जो उपजाऊ जमीन है, जो फल पट्टी घोषित है, फल पट्टी पर शासन द्वारा भी यह तय है और केन्द्र सरकार द्वारा भी है कि फल पट्टी को हम नहीं ले सकते हैं उसका अधिग्रहण नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहां फल पट्टी का भी अधिग्रहण किया जा रहा है। लखनऊ पश्चिम विधान सभा क्षेत्र में विशेषकर ग्रामीण अंचल के संगम पर कर्मचारियों और अधिकारियों की मिलीभगत से मुख्यतः दुबग्गा और लखनऊ की हरी–भरी हरीतिमा तथा बाग को कटकर कंक्रीट के जंगल खड़े किये जा रहे हैं। प्रदेश की राजधानी में ही नियमों का अनुपालन नहीं हो पा रहा है तो पूरे प्रदेश की स्थिति क्या होगी, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। यद्यपि राजधानी लखनऊ में अरबों रुपये सरकारी धन देकर कुछ पार्कों एवं कुछ स्थानों का सुन्दरीकरण एवं कुछ सड़कों को अत्याधुनिक बनाया जा रहा है। परन्तु मूल लखनऊ पश्चिमी विधान सभा क्षेत्र में न सड़कें पक्की बनाई जा रही हैं, गलियों में पानी भरा हुआ है, उनकी जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। पीने के पानी का अभाव है और जल भराव की वह स्थिति है कि वहां पर संक्रामक रोग पैदा होने की भी स्थिति पैदा हो रही है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि निश्चित रूप से सड़कों पर करोड़ों रुपये, लखनऊ के समग्र विकास के लिये दिये गये हैं लेकिन वह समग्र विकास क्या वैसा तो नहीं होने वाला है जिस प्रकार से अभी तक समग्र विकास होता रहा है। कुछ जगह तो ऐसा विकास किया गया है कि लखनऊ की सड़कें और बिजलियां चमचमा रही हैं लेकिन अगर आप अंदर चले जायें, कन्हैया माधोपुर वार्ड में चले जायें, आप बालागंज वार्ड में चले जायें, गढ़ी पीर खां तथा अम्बरगंज व खदरा वार्ड में चले जायें, उधर आप पश्चिमी क्षेत्र के छठा मील पर चले जायें तो आप पायेंगे कि वहां हालात बद से बदतर हैं। न सड़कों की स्थिति ठीक है न पानी की स्थिति ठीक है, और बिजली के खम्भे लकड़ी के लगे हुये हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं और आपके माध्यम से शासन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर आप सदन की कार्यवाही को रोककर लखनऊ राजधानी जिसका यह हाल है, के विषय पर चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं।

श्री अध्यक्ष–

मैने श्री श्याम किशोर शुक्ला जी जो सुना, यह सूचना नियम–56 में नहीं आती। मैं इसे अग्राह्य करता हूं लेकिन उन्होंने जिन बिन्दुओं की तरफ ध्यान आकृष्ट किया है मैं उसकी तरफ शासन का ध्यान आकर्षित करता हूं।

डा0 पी0के0 राय जी आपको क्या कहना था, आप दो मिनट में कह लीजिये।

डा0 पी0 के0 राय–

मा0 अध्यक्ष महोदय, मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से शासन का ध्यान जनपद कुशीनगर में हो रहे खाद्यान्न के करोड़ों रुपये के घोटाले की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, जनपद कुशीनगर में 2 लाख 95 हजार 332 कार्ड बने हुये हैं जबकि बी0पी0एल0 सूची में जो संख्या है वह है 2 लाख 82 हजार 522 यानी कि 12 हजार 810 कार्ड अधिक बने हैं और कार्ड के सापेक्ष प्रत्येक माह में गल्ला उठाया जा रहा है और उस गल्ले से प्राप्त धनराशि का बन्दरबाट और उसको फिर से रि–साइकिल करने का काम किया जा रहा है। मान्यवर, कुशीनगर जनपद में बड़े भारी पैमाने पर फर्जी बी0पी0एल0 कार्ड भी बने हैं। यदि इसकी जांच करायी जाये तो इसकी संख्या कम से कम 1 लाख के आसपास आयेगी। क्षमता से अधिक दोगुना और तीनगुना से ज्यादा लेबी का गल्ला सप्लाई करने का काम मिल अपनी और वहीं पर व्यवसाइयों के द्वारा फर्जी नाम भर करके 6 आर0 और 9 आर0 की रशीदें काटी गयी हैं। ऐसी स्थिति में जो बी0पी0एल0 के श्रेणी में हैं जो वास्तविक पात्र लोग हैं वह उससे वंचित हैं और अपात्र लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। मान्यवर, वहां पर एक ऐसा बड़ा रैकेट है जो बी0पी0एल0 के खाद्यान्न को, बी0पी0एल0 के चावल को फिर से रि–पैकिंग करके पुनः सप्लाई करने का काम उस जनपद में कर रहा है। मान्यवर, वर्ष 2006 में सतर्कता विभाग के एक कप्तान, श्री जसवीर सिंह ने इस प्रकरण की जांच भी की थी, लेकिन उस जांच के ऊपर कोई भी कार्रवाई प्रदेश सरकार द्वारा नहीं की गयी है मैं ऐसे महत्वपूर्ण विषय की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुये इस खाद्यान्न घोटाले की जांच सी0बी0आई0 से कराने की और लिप्त लोगों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई किये जाने की मांग करता हूं। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं मा0 अध्यक्ष जी, विशेष तौर से आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं।

श्री अध्यक्ष–

मैंने डा0 पी0 के0 राय जी को सुना, यह सूचना नियम–56 में नहीं आती है, मैने पहले ही इस सूचना को अस्वीकृत किया था लेकिन इन्होंने जिस विषय की ओर ध्यान आकृष्ट किया है, मा0 मंत्री जी कृपया इसे दिखवा लें।

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, ठीक है।

बजट अनुदानों पर चर्चा के लिए विपक्ष को अल्प समय मिलने विषयक व्यवस्था कर प्रश्न

•श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, मैंने नियमावली के नियम–197 को देखा, यह विनियोग विधेयक की प्रक्रिया के सम्बन्ध में है दूसरे इस सदन की परम्परा भी है कि विनियोग विधेयक के लिए हमारी कार्य सूची में एक समय नियत होगा और ठीक उसी समय पर विनियोग विधेयक प्रस्तुत किया जायेगा। इस सम्बन्ध में मान्यवर, जैसे मा0 अध्यक्ष महोदय को अनेक अधिकार प्राप्त हैं जैसे वह वरीयता का क्रम परिवर्तित कर सकते हैं, मदों का क्रम बदल सकते हैं लेकिन विशेष तौर पर जैसे नियमों के निलम्बन का अधिकार है उसी प्रकार से इस नियम में है कि "अध्यक्ष ऐसे

विधेयकों को समय के भीतर पारित कराने के लिए किसी नियम की प्रक्रियां का निलम्बन कर सकेंगे।" मान्यवर, मैं केवल इसलिए इसका उल्लेख करना चाहूंगा कि यह इतना महत्वपूर्ण है कि इसको किसी भी स्थिति में आगे और पीछे नहीं किया जा सकता है। मान्यवर, तीन बजकर कुछ मिनट हो गये हैं लेकिन तीन बजे से पांच बजे के बीच 120 मिनट होते हैं। अब 120 मिनट में से 117 मिनट रह गये, 114 मिनट रह गये। कार्य सूची में अभी मान्यवर, आपने मद सं0 22 पुकारा, मद सं0–22 में 1 से 74 तक आप पुकारेंगे और इन 74 बिन्दुओं में तमाम विभागीय अनुदान मांगों को रखा जाना है और उस पर कटौती प्रस्ताव भी रखा जाना है। मैं एक उल्लेख और कर दूं आपसे कि उसमें 24 ऐसे मामले हैं जो विवादित नहीं हैं और 50 ऐसे मामले हैं जिसमें कटौती का प्रस्ताव रखा जाना है। इन अनुदान मांगों का रखा जाना कटौती के प्रस्ताव के लिए बुलाया जाना और कटौती के प्रस्ताव का रखा जाना और श्रीमन्, आप द्वारा प्रश्न उपस्थित किया जाना कि इतनी राशि दे दी जाये जो सदस्य इसके पक्ष में हों, कृपया हाँ कहें, कृपया नहीं कहें, हां की संख्या अधिक है अतः यह पारित हुआ। इतना कहने में न्यूनतम समय दो मिनट का लगेगा। एक वाक्य एक शब्द भी उसके अतिरिक्त न कहा जाये तो 100 मिनट लगेगा। मान्यवर उसके बाद जो 24 है। 24 को बीस मिनट भी मान लें तो 5 बजे किसी तरीके से मान्यवर, यह पूरा नहीं हो सकेगा जब तक कि कोई लोप करने का कोई दूसरा प्रस्ताव ऐसा नहीं लिया जाये कि बिना पढ़े बजट पास मान लिया जाये, चूंकि सरकार प्रचण्ड बहुमत में है इसलिए बजट प्रस्तुत करने की कोई आवश्यकता नहीं, जो कहा जाये पास यहां नहीं तो वहां लिख दिया जाये पास हो जायेगा। अगर कोई ऐसी विधि हो तो श्रीमन् 5 बजे विनियोग विधेयक आ सकता है। अगर ऐसी कोई विधि नहीं हो और सचमुच में प्रस्ताव रखना, कटौती रखना, आपके द्वारा मान्यवर, प्रश्न उपस्थित किया जाना, उस पर मतदान कराया जाना इतना अ ार हो तो मान्यवर किसी भी स्थिति में 1 घंटा 15 मिनट में होने की स्थिति में मान्यवर नहीं होगा, इसलिए श्रीमन् क्षमा करेंगे 115 मिनट में नहीं संभव।

इसलिए श्रीमन् इस पर आप अपनी व्यवस्था दें, इससे पहले एक बात का उल्लेख आपसे कर देना चाहता हूं, यह बात संसदीय कार्यमंत्री जी को भलीभांति मालूम है समय की सीमा भी मालूम है और यह भी मालूम है कि मान्यवर, विनियोग विधेयक 5 बजे आयेगा। मान्यवर, यह सिर्फ इन कारणों से किया जा रहा है कि किसी भी हालत में उनकी उन कमियों पर चर्चा न हो सके जिसके लिए कि बजट की चर्चा में हम कटौती प्रस्तुत कर रहे हैं। हम कटौती प्रस्ताव जब करते हैं तो कहते हैं कि प्रस्ताव का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना और सुझाव देना। इन दोनों चीजों का मान्यवर, न ये अपनी आलोचना सुनने के लिए तैयार है, न हमारा सुझाव सुनने के लिए तैयार हैं। इसलिए श्रीमन् जानबूझकर इस बात की आपाधापी की जा रही है। फरवरी का महीना है मान्यवर अभी आधी फरवरी बीती है। श्रीमन् और आधी फरवरी, बीती है। 31 मार्च तक श्रीमन्, यह विनियोग विधेयक ले आया जाता तो कोई वित्तीय संकट या संवैधानिक संकट न होता, लेकिन जिन परिस्थितियों में सरकार इनसे बचना चाहती है मान्यवर, कि कोई चर्चा नहीं हो सके। कोई हम उल्लेख नहीं कर सके। अभी भाषण में कह कर चले जायेंगे कि हमने स्मारकों के लिए पैसा नहीं रखा है और नगर विकास विभाग के बजट में मान्यवर, आठ सौ करोड़ रुपये का इंतजाम उनके लिए अलग से कर देंगे, उल्लेख कहां करें? कहां उल्लेख करें? कैसे करें? इसलिए श्रीमन् मैं इस पर आपसे व्यवस्था

चाहता हूं कि कौन सा चमत्कार होगा मान्यवर, उस चमत्कार के लिए पहले से क्या संसदीय कार्यमंत्री जी पहले से कोई कार्ययोजना रखे हैं, जिसकी आप अनुमति देंगे कि 115 मिनट से कम समय में ये सारा सिर्फ पढ़ने–पढ़ने का काम मान्यवर, हो जायेगा। इस पर चर्चा करने का काम तो मान्यवर पूरा–पूरा धोखा देना है, हो ही नहीं सकता। एक मिनट भी किसी को आप नहीं दे सकते श्रीमन्, इसलिए आपकी व्यवस्था आ जाये मान्यवर, इस पर तो फिर इस मद को आगे बढ़ाये ये प्रस्ताव आ गया।

नेता विरोधी दल (श्री शिव पाल सिंह यादव)–

माननीय अध्यक्ष जी, जो इतना कम समय है और इतनी बड़ी संख्या में विभागीय अनुदानों की मांगे पास होनी है। उस पर चर्चा भी नहीं होगी, आलोचना भी नहीं होगी, सुझाव भी नहीं होंगे तो फिर इस सत्र का मतलब क्या हाउस का मतलब क्या है। वैसे तो सुझाव और आलोचनाएं सुनना चाहिए था सरकार को। पास तो बजट होना ही था। समय भी है। 31 मार्च तक समय भी है। कोई वित्तीय संकट आने का नहीं है, लेकिन सरकार को बहुत जल्दी है। मान्यवर, अगर ये इस तरीके से यहां पर पास होंगे तो फिर हम लोगों का बैठना, तो फिर हम तो विरोध करते हैं। हमारा दल पूरा विरोध करता है।

आप देखें कि उधर से आवाज भी आ रही है कि जाइये। तो आदेश है कि जाइये।

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)–

कोई ऐसी बात नहीं है। यहां पर आप बैठिये।

श्री शिव पाल सिंह यादव–

मान्यवर, इसके विरोध में मैं और मेरा दल सदन का बहिष्कार करता है।

(श्री शिवपाल सिंह यादव ने अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का त्याग किया)

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, यह तो आपके अधिकार क्षेत्र में है कि आप समय को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते है। मेरे पास 11 मार्च, 2006 की सदन की कार्यवाही की प्रति है। माननीय चौधरी साहब यहां पर बैठे होते और उसे सुन लेते तो अच्छा होता।

मान्यवर, यह 11 मार्च, 2006 की सदन की कार्यवाही है। इस कार्यवाही में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि "अध्यक्ष महोदय इसे विधान परिषद् में भेजना है। हम इस सुझाव से सहमत हैं कि एक साथ सभी अनुदान की मांगे पारित कर दी जायें।"

मान्यवर, इसी के बाद राजस्व मंत्री थे उस समय श्री अम्बिका चौधरी जी। इन्होंने कहा कि मा0 अध्यक्ष जी सामूहिक रूप से अनुदान की मांगों को रख दिया जाए और पिछली बार मद संख्या–10(1) आपने पुकारी थी तो अनुरोध है कि सब एक साथ ले लिया जाय। हमारी प्रार्थना है कि पूरे बजट में जितनी अनुदान की मागें है सब एक साथ रख दी जाएं। उस समय यह बात कही गयी थी।

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, मैं जानता था कि संसदीय कार्यमंत्री जी इस बातं को कहेंगे और ये दुर्भाग्यपूर्ण घटनायें घटी हैं, उस समय भी इससे सहमत नहीं थे। लेकिन ये सदन एक विशेष तरह का था इस बार पूरी कार्यवाही में मान्यवर, आपके कुशल संचालन में कहीं अवरोध नहीं

हुआ, हंगामा नहीं हुआ और 24 तारीख तक इसका डेट था, अब यह 16 तारीख को खत्म होगा और वह भी कल बैठक बुलाकर। आप उस दिन को याद करें जब लोक सभा के चुनाव से पहले बजट सत्र हुआ था, बहुत संक्षिप्त हुआ था जितना घोषित हुआ था उससे पहले खत्म हो गया। यह बात कही गयी थी कि बाद में किया जायेगा। पिछला जो सत्र हुआ था वह जितने दिन के लिए घोषित हुआ था उससे 8 दिन पहले खत्म हुआ। यह पहला सदन है जिस दिन सदन शुरू होता है, उसी दिन से कब खत्म होगा इसकी चर्चा शुरू हो जाती है। निश्चित रूप से मान्यवर, सदन का कुशल संचालन, अधिक दिन तक चलना सबका सहयोग यह लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत रखने के लिए जरूरी है। क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसदीय कार्य और संसदीय परम्परा और सदन का संचालन यह बहुत महत्वपूर्ण है। इससे लोकतंत्र कमजोर हो रहा है संसदीय परम्परायें महत्वहीन हो रही है। इस सदन की सार्थकता केवल यह हो रही है कि आपकी जो संवैधानिक आवश्यकता है यहां विधेयक लाकर, प्रस्ताव लाकर पास करना, उसी तक आप चलाते हैं। अगर एक दिन में बजट पास करना है तो फिर 24 तक क्यों चलायें? आपका बहुमत है तो आप पहले ही दिन कह देते कि हम 5 दिन में खत्म करेंगे। आपने विपक्ष के साथ छल किया है। पिछली बार भी किया है और आज भी किया है। एकाएक छुट्टी के दिन, आप पहले ही कर लेते, 11 तारीख को कर लेते जब हम लोग 12 तारीख को चलने वाले थे कि भाई आज बजट खत्म। आपने छुट्टी का कार्य मंत्रणा की बैठक बुलायी, इसलिए पिछली बार भी छल किया और इस बार भी छल किया। यही बहुमत की तानाशाही है, मनमानापन है। संसदीय परम्परा हम ब्रिटिश से लेते हैं, ब्रिटिश पार्लियामेण्ट में, पुरानी बात है एक बार कहा गया कि ब्रिटिश पार्लियामेण्ट सुप्रीम है, यह कुछ भी कर सकती है तो दूसरे सदस्य ने कहा कि नहीं स्त्री को पुरूष और पुरूष को स्त्री नहीं बना सकती, बाकी सब कर सकती है। तो तीसरे सदस्य ने कहा कि अगर परिभाषा बदल दें तो वह भी कर सकती है। क्या मतलब है, कौन सी बाधा थी? जितनी भी घटनायें आप सुनायेंगे, उस समय कई दिनों तक सदन अव्यवस्थित था, अशांत था और सहमति से हुआ था या फिर अशांति में हुआ। आज तो सदन बिल्कुल शांत था, कोई वेल में भी नहीं जा रहा है? कौन सी परिस्थिति थी जिसमें आपने छुट्टी के दिन एकाएक निर्णय ले लिया। कार्य–मंत्रणा समिति में बहुमत की बात कर रहा था, कार्य–मंत्रणा समिति में बहुमत से पास होता है। लेकिन उस बहुमत में विपक्ष का आदर होता है। हमें भी बात कहने का अवसर मिले। हमें अवसर ही नहीं मिल रहा है। यकायक आप यह कर गये। इसलिए यह छल है, यह लगातार संसदीय परम्परा को कमजोर करने वाली कार्यवाही कर रहे हैं। आज ही होता तो कोई बात नहीं, लगातार हो रहा है, पिछली बार भी हुआ, 2009 के बजट सत्र में हुआ, 6 महीने पहले वाले में हुआ, इस समय भी यही हो रहा है। क्या कारण है क्यों आप लम्बा घोषित करते हैं और फिर संक्षेप में खत्म कर देते हैं। यही तो छल है, दिखावा लम्बा करते हो कि चलायेंगे 15 दिन, 20 दिन और 5 दिन में खत्म कर देते हो। यही छल कहलाता है और छल कहलाता क्या है? सोना दिखाकर पीतल दे देना ही तो छल है। आप लम्बा घोषित करोगे और 5 दिन में खत्म कर दोगे।

यह 11 तारीख को ही कर देते या यही कह देते कि हम 5 दिन में बजट पास करेंगे। यह यकायक 14 तारीख को कार्य–मंत्रणा समिति की बैठक बुलाना, इस तरह से कभी

कार्य मंत्रणा समिति की बैठक नहीं हुई है। मैं यह भी कह रहा हूं कि अब कार्य–मंत्रणा समिति की सार्थकता समाप्त हो गयी है। भारतीय जनता पार्टी कार्य–मंत्रणा समिति की सदस्य नहीं रहेगी, यही बात कहते हुए मैं सदन का बहिष्कार करता हूं।

(श्री ओम प्रकाश सिंह भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों के साथ सदन का त्याग किया)

*श्री कौकब हमीद खां–

मान्यवर, जब यह बजट सत्र शुरू हुआ था तो नेताओं की बैठक हुई थी आपने बुलाई थी उसमें मुख्यमंत्री जी भी आई थी उसके अन्दर यह वायदा किया गया था पूरे विपक्ष ने वायदा किया था हम कोई ऐसी रुकावट नहीं करेंगे ऐसे कोई हालात नहीं बनाएंगे जिसमें सरकार मजबूर हो जाए सदन न चलाने पर। यह सत्र अच्छी तरह से चल रहा था कोई वाक आउट नहीं हालांकि वाक आउट तो परम्परा है कोई एजोर्नमेंट नही हुआ कोई वेल में नहीं आ रहा कोई उधम नहीं कोई दिक्कत नही और माननीय मुख्यमंत्री ने यह वायदा किया था कि हम साथ देंगे बेहतर चलाने के लिए उसके बावजूद इस तरह से इतनी जल्दी करने की बात समझ में नहीं आयी। कोई वजह नहीं कि इतवार को कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुला ले कार्य मंत्रणा समिति की बैठक तो आप रोज बुला सकते है एक दिन में छ. बार बुला सकते है उस दिन जब आप गए थे उस दिन बुला सकते थे अब इतवार में हो जाए और एक आध आदमी कह दे कि हम भी तैयार हैं इस तरह का निर्णय ले लिया यह कोई तरीका नहीं है। पूर्व में बहुत से विभागों के बारे में यह निर्णय लिया गया था कि बिना बहस के पास होंगे और इन विभागों पर सदन में चर्चा होगी ज्यादा ऐसे थे लेकिन क्या वजह है कि आज ही इतने विभागों के बजट एक साथ प्रस्तुत हों और आज ही पास हो जाएं। संसदीय कार्य मंत्री जी का यह कहना कि उन–उन सालों में ऐसा–ऐसा हुआ है वह सरकारें खराब थी आप तो बहुत अच्छे हैं आप तो बताते हैं कि हममें कोई कमी नहीं है आप बताते हैं किं सरकार विद ए डिफरेंस हम जनता की सरकार हैं हम चाहते है कि बहस हो। आप कहते कि इन सालो में हुआ था तो इस साल क्या हो रहा है यह भी देखो पिछले तीन सालों से आपकी सरकार है और हर वर्ष यही किया जा रहा है तीन साल से आप तय नहीं कर पा रहे है। आपके पास बहुमत है आप पहले दिन ही तय कर लें कि हम दो तीन दिन में सदन खत्म कर देंगे आपको कौन रोक सकेगा लेकिन इतवार के दिन कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाकर इस तरह का निर्णय ले लेना और बजट पर कोई चर्चा न होना इस वजह से मैं और मेरा दल सदन से बहिर्गमन करता है।

(श्री कौकब हमीद खां ने अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का त्याग किया)

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, हम सदन चलाना चाहते थे और 24 तक समय था नेता भाजपा बार-बार इस बात को जिक्र कर रहे हैं उन्होंने ही अनुरोध किया कि 17, 18, 19 को उनका राष्ट्रीय अधिवेशन है इसलिए 17, 18 19 को सदन न चलाया जाय। 17, 18, 19 को सदन इसलिए रुका उसके बाद शनिवार रविवार था ऐसी जरूरत है कि उसके बाद दो एक दिन के लिए पांच दिन बाद कार्य की जो स्थिति थी उसके अनुसार यह उचित समझा गया कि कल ही

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

सदन समाप्त कर लिया जाय। मान्यवर, पहली बार आपने सबको पूरा-पूरा अवसर दिया और अगर घंटों के रूप में विचार किया जाय तो मैं पाऊंगा कि शायद ही कम समय ऐसे होंगे जब इतना सदन चला होगा। दूसरी बात जो भी बातें कार्य मंत्रणा में आई है उस समय सारे लोगों के सुझाव से ही बातें रखी गई और मानी गई हम लोगों ने कोई जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं किया। सरकार सदन चलाना चाहती है और निश्चित रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था में पूरा सम्मान है, सदन के प्रति पूरा सम्मान है। हम दृढ़ शब्दों में इस बात को कहना चाहते है जहां तक माननीय नेता भाजपा ने कहा कि उस समय कोई परिस्थिति रही होगी तो उस समय भी शांति पूर्ण सदन चल रहा था मार्च, 2006 में भी आप कार्यवाही निकाल कर देख लीजिए निश्चित रूप से उस समय शांति पूर्वक सदन चल रहा था। उस समय जब यह प्रस्ताव आया था तो हमने यह कहा था कि अलग-अलग एक–एक मद रख दीजिए एक-एक प्रस्ताव रखा जाये लेकिन उस समय यह विचार आया कि एक साथ कंसालीडेटेड रखा जाय मैंने ही उस समय कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था और एक साथ सबकी कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था इसलिए यह कहना कि सरकार चलाना नहीं चाहती यह 21 जनवरी से सत्र शुरू हुआ था आज 15 फरवरी है कल 16 फरवरी है। लगभग 1 माह तक हम सदन के बीच-बीच में ऐसी छुट्टियां माननीय सदस्यों के कारण, करनी पड़ी। विभिन्न पार्टियों के द्वारा कभी समाजवादी पार्टी द्वारा कहा गया कि हमारा सम्मेलन है, उसको ध्यान में रखना पड़ा। तिवारी जी ने भी बात रखी तो उसको मानना पड़ा। तो आपके सुझाव को मानने के कारण ही विपक्ष के सुझाव को मानने के कारण ही 21 जनवरी से 16 फरवरी तक यह सत्र चला है। मान्यवर, इतने दिन कोई कम दिन नहीं होते हैं। इसलिये हमारी यह चाहत है कि- पूरी तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के तहत सदन चले, और मैं इस बात का स्वागत करता हूं कि विपक्ष ने भी पूरा सहयोग किया है, उनकी अनुपस्थिति में मैं इस बात का स्वागत करता हूं और इस बात के लिये आभार भी प्रकट करता हूं कि उन्होंने सदन को चलाने में सहयोग किया।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, अब आगे की मदें लेते हैं।

समेकित अनुदानों का प्रस्ताव करने की अनुमति प्रदान किये जाने का अनुरोध

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)–

मान्यवर अब आगे मेरा एक प्रस्ताव है कि यदि आपकी अनुमति हो जाय तो मैं सारी अनुदानें एक साथ रख दूं।

श्री अध्यक्ष–

रख दीजिये।

वित्तीय वर्ष 2010-2011 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांग पर मतदान अनुदान संख्या–1 लगायत 2, 7, 9 लगायत 17, 19 लगायत 21, 25 लगायत 28, 30 लगायत 45, 47 लगायत 49, 53 लगायत 58, 60 लगायत 63, 65 लगायत 68, 70 लगायत 73, 75 लगायत 92

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–01 लगायत 02, 07, 09

लगायत 17, 19 लगायत 21, 25 लगायत 28, 30 लगायत 45, 47 लगायत 49, 53 लगायत 58, 60 लगायत 63, 65 लगायत 68, 70 लगायत 73, 75 लगायत 92 के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये रुपये एक लाख सोलह हजार चार करोड़ चालीस लाख सत्तर हजार (रुपये 116004,40,70,000) से अनधिक की धनराशि स्वीकृत की जाय। बजट अनुदानों का विवरण निम्नवत् है:—

अनुदान संख्या—01 आबकारी विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 80,83,50,000 रुपये से अनधिक धनराशि,

अनुदान संख्या—02 आवास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 8,53,41,78,000 रुपये से अनधिक धनराशि,

अनुदान संख्या—07 उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 4,48,06,30,000 रुपये से अनधिक धनराशि,

अनुदान संख्या—09 ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 78,00,08,67,000 रुपये से अनधिक धनराशि,

अनुदान संख्या—10 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 1,44,14,60,000 रुपये से अनधिक धनराशि,

अनुदान संख्या—11 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 26,82,72,42,000 रुपये से अनधिक धनराशि,

अनुदान संख्या—12 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 2,15,24,04,000 रुपये से अनधिक धनराशि,

अनुदान संख्या—13 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 30,23,78,21,000 रुपये से अनधिक धनराशि,

अनुदान संख्या—14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 23,64,85,03,000 रुपये से अनधिक धनराशि,

अनुदान संख्या—15 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 4,32,80,41,000 रुपये से अनधिक धनराशि,

अनुदान संख्या—16 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 41,39,85,000 रुपये से अनधिक धनराशि,

अनुदान संख्या—17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 58,00,67,000 रुपये से अनधिक धनराशि,

अनुदान संख्या–19 कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 7,60,06,000 रुपये से अनधिक धनराशि,

अनुदान संख्या–20 कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 1,77,47,000 रुपये से अनधिक धनराशि,

अनुदान संख्या–21 खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 1,06,69,02,36,000 रुपये से अनधिक धनराशि,

अनुदान संख्या–25 गृह विभाग (कारागार) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 7,06,01,24,000 रुपये से अनधिक धनराशि,

अनुदान संख्या–26 गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 72,34,64,83,000 रुपये से अनधिक धनराशि,

अनुदान संख्या–27 गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 3,74,90,84,000 रुपये से अनधिक धनराशि,

अनुदान संख्या–28 गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 1,03,49,15,000 रुपये से अनधिक धनराशि,

अनुदान संख्या–30 गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 2,79,36,000 रुपये से अनधिक धनराशि,

अनुदान संख्या–31 चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के अन्तर्गत होने वाल परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 11,42,24,89,000 रुपये से अनधिक धनराशि,

अनुदान संख्या–32 चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 26,39,72,92,000 रुपये से अनधिक धनराशि,

अनुदान संख्या–33 चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 4,10,83,87,000 रुपये से अनधिक धनराशि,

अनुदान संख्या–34 चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 1,65,98,12,000 रुपये से अनधिक धनराशि,

अनुदान संख्या–35 चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 13,93,71,65,000 रुपये से अनधिक धनराशि,

अनुदान संख्या–36 चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 5,86,82,22,000 रुपये से अनधिक धनराशि,

अनुदान संख्या–37 नगर विकास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 30,85,20,15,000 रुपये से अनधिक धनराशि,

अनुदान संख्या–38 नागरिक उड्डयन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 68,27,40,000 रुपये से अनधिक धनराशि,

अनुदान संख्या–39 भाषा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 10,38,90,000 रुपये से अनधिक धनराशि,

अनुदान संख्या–40 नियोजन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 13,74,06,96,000 रुपये से अनधिक धनराशि,

अनुदान संख्या–41 निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 56,21,67,000 रुपये से अनधिक धनराशि,

अनुदान संख्या–42 न्याय विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 10,38,41,24,000 रुपये से अनधिक धनराशि,

अनुदान संख्या–43 परिवहन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 91,64,68,000 रुपये से अनधिक धनराशि,

अनुदान संख्या–44 पर्यटन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 1,11,70,40,000 रुपये से अनधिक धनराशि,

अनुदान संख्या–45 पर्यावरण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 9,66,12,000 रुपये से अनधिक धनराशि,

अनुदान संख्या–47 प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 5,58,51,57,000 रुपये से अनधिक धनराशि,

अनुदान संख्या–48 अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 10,42,48,85,000 रुपये से अनधिक धनराशि,

अनुदान संख्या–49 महिला एवं बाल कल्याण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 35,23,84,37,000 रुपये से अनधिक धनराशि,

अनुदान संख्या–53 राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 1,02,92,000 रुपये से अनधिक धनराशि,

अनुदान संख्या–54 लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 11,21,43,42,000 रुपये से अनधिक धनराशि,

अनुदान संख्या–55 लोक निर्माण विभाग (भवन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 52,95,39,000 रुपये से अनधिक धनराशि,

अनुदान संख्या–56 लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 1,38,00,00,000 रुपये से अनधिक धनराशि,

अनुदान संख्या–57 लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सेतु) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 6,06,70,00,000 रुपये से अनधिक धनराशि,

अनुदान संख्या–58 लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 42,69,19,90,000 रुपये से अनधिक धनराशि,

अनुदान संख्या–60 वन विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 4,70,42,83,000 रुपये से अनधिक धनराशि,

अनुदान संख्या–61 वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 58,25,57,37,000 रुपये से अनधिक धनराशि,

अनुदान संख्या–62 वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 1,01,23,80,45,000 रुपये से अनधिक धनराशि,

अनुदान संख्या–63 वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 1,61,22,08,000 रुपये से अनधिक धनराशि,

अनुदान संख्या–65 वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प–बचत आदि) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 1,57,45,60,000 रुपये से अनधिक धनराशि,

अनुदान संख्या–66 वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 2,44,81,000 रुपये से अनधिक धनराशि,

अनुदान संख्या–67 विधान परिषद् सचिवालय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 23,84,03,000 रुपये से अनधिक धनराशि,

अनुदान संख्या–68 विधान सभा सचिवालय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 64,76,28,000 रुपये से अनधिक धनराशि,

अनुदान संख्या–70 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 55,79,36,000 रुपये से अनधिक धनराशि,

अनुदान संख्या–71 शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 1,44,36,85,86,000 रुपये से अनधिक धनराशि,

अनुदान संख्या–72 शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 63,40,33,73,000 रुपये से अनधिक धनराशि,

अनुदान संख्या–73 शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 19,47,26,08,000 रुपये से अनधिक धनराशि,

अनुदान संख्या–75 शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 98,27,52,000 रुपये से अनधिक धनराशि,

अनुदान संख्या–76 श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 1,72,49,66,000 रुपये से अनधिक धनराशि,

अनुदान संख्या–77 श्रम विभाग (सेवायोजन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 48,04,99,000 रुपये से अनधिक धनराशि,

अनुदान संख्या–78 सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 4,45,51,02,000 रुपये से अनधिक धनराशि,

अनुदान संख्या–79 समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 14,48,30,07,000 रुपये से अनधिक धनराशि,

अनुदान संख्या–80 समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 30,82,75,95,000 रुपये से अनधिक धनराशि,

अनुदान संख्या–81 समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 81,00,62,000 रुपये से अनधिक धनराशि,

अनुदान संख्या–82 सतर्कता विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 43,35,08,000 रुपये से अनधिक धनराशि,

अनुदान संख्या–83 समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 90,99,74,91,000 रुपये से अनधिक धनराशि,

अनुदान संख्या–84 सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 2,90,69,79,000 रुपये से अनधिक धनराशि,

अनुदान संख्या–85 सार्वजनिक उद्यम विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 4,20,80,000 रुपये से अनधिक धनराशि,

अनुदान संख्या–86 सूचना विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 1,47,82,97,000 रुपये से अनधिक धनराशि,

अनुदान संख्या–87 सैनिक कल्याण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 46,04,90,000 रुपये से अनधिक धनराशि,

अनुदान संख्या–88 संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 4,80,54,000 रुपये से अनधिक धनराशि,

अनुदान संख्या–89 संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्य कर) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 4,14,17,80,000 रुपये से अनधिक धनराशि,

अनुदान संख्या–90 संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 67,02,04,000 रुपये से अनधिक धनराशि,

अनुदान संख्या–91 संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 1,12,79,36,000 रुपये से अनधिक धनराशि,

अनुदान संख्या–92 संस्कृति विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 42,85,98,000 रुपये से अनधिक धनराशि,

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखना चाहता है।

(किसी माननीय सदस्य द्वारा कटौती प्रस्ताव न रखने पर)

श्री अध्यक्ष–

किसी का कटौती प्रस्ताव नहीं है, इसलिये अब मैं प्रश्न उपस्थिति कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–01 लगायत 02, 07, 09 लगायत 17, 19 लगायत 21, 25 लगायत 28, 30 लगायत 45, 47 लगायत 49, 53 लगायत 58, 60 लगायत 63, 65 लगायत 68, 70 लगायत 73, 75 लगायत 92 के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये रुपये

एक लाख सोलह हजार चार करोड़ चालीस लाख सत्तर हजार (रुपये 116004,40,70,000) से अनधिक की धनराशि स्वीकृत की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक 2010 निर्धारित समय से पहले लिये जाने विषयक प्रस्ताव

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)–

मान्यवर, मद संख्या–23 विनियोग विधेयक के लिये तो 5.00 बजे का समय निर्धारित है, या तो आगे की मदें पहले ले लें या फिर मैं इसके लिये प्रस्ताव कर दूं।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, आप प्रस्ताव कर दें।

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि विनियोग विधेयक के लिये जो 5.00 बजे का समय निर्धारित था, उसको 3 बजकर 24 मिनट पर ले लिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि जैसा माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया है कि जो विनियोग विधेयक 5.00 बजे के लिये निर्धारित था उसको 3 बजकर 24 मिनट पर ले लिया जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, अभी एक मिनट रह गया है। मैंने 3.24 कहा था।

श्री अध्यक्ष–

चलिये, 3.24 ही मानिये, हो गया है।

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2010

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2010 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

मा0 मंत्रियों के लिखित भाषण अंशों को कार्यवाही में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में अध्यक्ष पीठ से दी गयी व्यवस्था

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, इसमें हमारे कुछ माननीय मंत्री जी के अपने विभागवार बजटों का कुछ विस्तृत तौर पर उल्लेख किया है, उनके सभी बजट भाषणों को मैं, एक अलग से व्यवस्था दे रहा हूं कि उनको कार्यवाही में सम्मिलित कर लेंगे। आपने मद प्रस्तुत कर दी?

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2010 (क्रमागत)

संसदीय कार्य वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)–

मान्यवर, फिर से प्रस्तुत कर देता हूं। मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2010 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक 2010 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रतियां बंटवा दी जाएं।

(प्रतियां बांटी गयी)

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2010 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री लालज़ी वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2010 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2010 पर विचार किया जाए?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड–2 से खण्ड–3 तक, अनुसूची, खण्ड–1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2010

31 मार्च, 2011 ई0 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिए राज्य की समेकित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार देने की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग अधिनियम, 2010 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से वर्ष 2010–2011 के लिए 167014,16,64,000 रुपये का निकाला जाना

2–ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के निमित्त जो 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ-2 में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में देने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से इतना रुपया दिया और काम में लाया जा सकता है जो अनुसूची के स्तम्भ-3 में दी हुई धनराशियों से, जिनका कुल योग 167014,16,64,000 रुपये (एक लाख सड़सठ हजार चौदह करोड़ सोलह लाख चौसठ हजार रुपये मात्र) होता है, अधिक न हो।

विनियोग

3–इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से, जिन धनराशियों को देने और काम में लाने का अधिकार दिया गया है, उनका विनियोग 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायेगा जो अनुसूची में दिये गये हैं।

अनुसूची

(धारायें 2 और 3 देखें)

1	2		3		
अनुदान/ क्रम संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनाधिक (हजार रुपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
1	2	3	4	5	6
01	आबकारी विभाग	राजस्व :	808350	*2000*	810350
		पूंजी :	...	...	0
02	आवास विभाग	राजस्व :	417302	*54426*	471728
		पूंजी :	8116876	*88554*	8205430
03	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	राजस्व :	1054946	*400*	1055346
		पूंजी :	23931	...	23931
04	उद्योग विभाग (खानें और खनिज)	राजस्व :	172416	...	172416
		पूंजी :	70000	...	70000
05	उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग)	राजस्व :	1235165	...	1235165
		पूंजी :	...	...	0
06	उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)	राजस्व :	374753	...	374753
		पूंजी :	...	...	0
07	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	राजस्व :	2645344	...	2645344
		पूंजी :	1835286	...	1835286
08	उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन-सामग्री)	राजस्व :	1132116	...	1132116
		पूंजी :	5000	...	5000
09	ऊर्जा विभाग	राजस्व :	30050866	*292575*	30343441
		पूंजी :	47950001	...	47950001

1	2	3	4	5	6
10	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास)	राजस्व :	1420460	*8354*	1428814
		पूंजी :	21000	...	21000
11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	राजस्व :	20896506	*1510*	20898016
		पूंजी :	5930736	...	5930736
12	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन)	राजस्व :	2152404	...	2152404
		पूंजी :	...	...	0
13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	राजस्व :	18673866	*1400*	18675266
		पूंजी :	11563955	...	11563955
14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	राजस्व :	17921893	...	17921893
		पूंजी :	5726610	...	5726610
15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	राजस्व :	4209080	*1379*	4210459
		पूंजी :	118961	...	118961
16	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्ध शाला विकास)	राजस्व :	413985	*10*	413995
		पूंजी :	...	...	0
17	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)	राजस्व :	580067	...	580067
		पूंजी :	...	...	0
18	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	राजस्व :	1980557	*47788*	2028345
		पूंजी :	49000	*106382*	155382
19	कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	76006	...	76006
		पूंजी :	...	...	0
20	कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग)	राजस्व :	17747	*270508*	288255
		पूंजी :	...	*1905*	1905

1	2	3	4	5	6
21	खाद्य तथा रसद विभाग	राजस्व :	460489	...	460489
		पूंजी :	106229747	*28620400*	134850147
22	खेल विभाग	राजस्व :	421946	...	421946
		पूंजी	367050	...	367050
23	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	राजस्व :	1493222	*150*	1493372
		पूंजी :	184900	...	184900
24	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	राजस्व :	475805	...	475805
		पूंजी :	...	...	0
25	गृह विभाग (कारागार)	राजस्व :	3099094	*1000*	3100094
		पूंजी :	3961030	...	3961030
26	गृह विभाग (पुलिस)	राजस्व :	67390883	*7500*	67398383
		पूंजी :	4955600	...	4955600
27	गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)	राजस्व :	3652903	...	3652903
		पूंजी :	96181	...	96181
28	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	1031915	...	1031915
		पूंजी :	3000	...	3000
*29	गोपन विभाग (राज्यपाल सचिवालय)	राजस्व :	...	*80521*	80521
		पूंजी :	...	...	0
30	गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	27936	...	27936
		पूंजी :	...	...	0
31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	राजस्व :	8364858	...	8364858
		पूंजी :	3057631	...	3057631
32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)	राजस्व :	24312658	*2000*	24314658
		पूंजी :	2084634	...	2084634
33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा)	राजस्व :	3804387	...	3804387
		पूंजी :	304000	...	304000
34	चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा)	राजस्व :	1651236	...	1651236
		पूंजी :	8576	...	8576

*भारित विनियोग से सम्बन्धित क्रम-संख्या।

1	2	3	4	5	6
35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	राजस्व :	13937165	*1500*	13938665
		पूंजी :	...	...	0
36	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	राजस्व :	5868222	*100*	5868322
		पूंजी :	...	...	0
37	नगर विकास विभाग	राजस्व :	10450595	...	10450595
		पूंजी :	20401420	...	20401420
38	नागरिक उड्डयन विभाग	राजस्व :	268738	...	268738
		पूंजी :	414002	...	414002
39	भाषा विभाग	राजस्व :	103890	...	103890
		पूंजी :	...	...	0
40	नियोजन विभाग	राजस्व :	2238135	...	2238135
		पूंजी :	11502561	...	11502561
41	निर्वाचन विभाग	राजस्व :	562167	...	562167
		पूंजी :	...	...	0
42	न्याय विभाग	राजस्व :	8823617	*1665172*	10488789
		पूंजी :	1560507	...	1560507
43	परिवहन विभाग	राजस्व :	907814	...	907814
		पूंजी :	8654	...	8654
44	पर्यटन विभाग	राजस्व :	211275	...	211275
		पूंजी :	905765	...	905765
45	पर्यावरण विभाग	राजस्व :	96612	...	96612
		पूंजी :	...	...	0
46	प्रशासनिक सुधार विभाग	राजस्व :	71040	...	71040
		पूंजी :	150536	...	150536
47	प्राविधिक शिक्षा विभाग	राजस्व :	3418864	*102*	3418966
		पूंजी :	2166293	...	2166293
48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	राजस्व :	7149881	*205*	7150086
		पूंजी :	3275004	...	3275004
49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	राजस्व :	35225537	*10*	35225547
		पूंजी :	12900	...	12900
50	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	राजस्व :	4764922	*1754*	4766676
		पूंजी :	790001	...	790001

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6
51	राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)	राजस्व :	6908168	...	6908168
		पूंजी :	250000	...	250000
52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	15738563	*6956*	15745519
		पूंजी :	10545	*1005*	11550
53	राष्ट्रीय एकीकरण विभाग	राजस्व :	10192	...	10192
		पूंजी :	100	...	100
54	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	राजस्व :	11214342	*400*	11214742
		पूंजी :	...	...	0
55	लोक निर्माण विभाग (भवन)	राजस्व :	356719	*26537*	383256
		पूंजी :	172820	*8300*	181120
56	लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम)	राजस्व :	...	...	0
		पूंजी :	1380000	...	1380000
57	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सेतु)	राजस्व :	110000	...	110000
		पूंजी :	5957000	...	5957000
58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन- सड़कें)	राजस्व :	14813787	*500*	14814287
		पूंजी :	27878203	*50600*	27928803
59	लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)	राजस्व :	981708	...	981708
		पूंजी :	696871	...	696871
60	वन विभाग	राजस्व :	3474630	*1370*	3476000
		पूंजी :	1229653	...	1229653
61	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	53065687	*206628272*	259693959
		पूंजी :	5190050	*156453615*	161643665
62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें)	राजस्व :	99738045	*165137*	99903182
		पूंजी :	1500000	...	1500000
63	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	राजस्व :	1529200	...	1529200
		पूंजी :	83008	...	83008
65	वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प-बचत आदि)	राजस्व :	1574360	...	1574360
		पूंजी :	200	...	200

1	2	3	4	5	6
66	वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)	राजस्व :	24481	*1460149*	1484630
		पूंजी :	...	...	0
67	विधान परिषद् सचिवालय	राजस्व :	237803	*4731*	242534
		पूंजी :	600	...	600
68	विधान सभा सचिवालय	राजस्व :	630468	*6601*	637069
		पूंजी :	17160	...	17160
70	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	राजस्व :	557936	...	557936
		पूंजी :	...	...	0
71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	राजस्व :	144361171	...	144361171
		पूंजी :	7397	...	7397
72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	राजस्व :	63028180	*270*	63028450
		पूंजी :	375193	...	375193
73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	राजस्व :	18712506	*100*	18712606
		पूंजी :	760102	...	760102
75	शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्)	राजस्व :	981748	...	981748
		पूंजी :	1004	...	1004
76	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	राजस्व :	1724966	...	1724966
		पूंजी :	...	...	0
77	श्रम विभाग (सेवायोजन)	राजस्व :	478574	...	478574
		पूंजी :	1925	...	1925
78	सचिवालय प्रशासन विभाग	राजस्व :	3985102	...	3985102
		पूंजी :	470000	...	470000
79	समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	राजस्व :	13496287	...	13496287
		पूंजी :	986720	...	986720
80	समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)	राजस्व :	30827595	...	30827595
		पूंजी :	...	...	0
81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	राजस्व :	418187	*10*	418197
		पूंजी :	391875	...	391875

1	2	3	4	5	6
82	सतर्कता विभाग	राजस्व :	310324	*24843*	335167
		पूंजी :	123184	...	123184
83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)	राजस्व :	52148687	...	52148687
		पूंजी :	38848804	...	38848804
84	सामान्य प्रशासन विभाग	राजस्व :	2906979	...	2906979
		पूंजी :	...	...	0
85	सार्वजनिक उद्यम विभाग	राजस्व :	42080	...	42080
		पूंजी :	...	...	*0*
86	सूचना विभाग	राजस्व :	1478297	...	1478297
		पूंजी :	...	...	0
87	सैनिक कल्याण विभाग	राजस्व :	451490	*10*	451500
		पूंजी :	9000	...	9000
88	संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)	राजस्व :	48054	...	48054
		पूंजी	...	...	0
89	संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्य कर)	राजस्व :	4088839	*654439*	4743278
		पूंजी ::	52941	...	52941
90	संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर)	राजस्व :	670204	...	670204
		पूंजी ::	...	...	0
91	संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)	राजस्व :	1099668	*4*	1099672
		पूंजी :	28268	...	28268
92	संस्कृति विभाग	राजस्व :	302692	*5*	302697
		पूंजी :	125906	...	125906
94	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	राजस्व :	14148950	...	14148950
		पूंजी :	39881022	*184000*	40065022
95	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	राजस्व :	19724002	*5000*	19729002
		पूंजी :	...	...	0
	योग	राजस्व :	902920306	*211425698*	1114346004
		पूंजी :	370280899	*185514761*	555795660
		महायोग :-	1273201205	*396940459*	1670141664

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–3 तक, अनुसूची, खण्ड–1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाएं?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2010 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2010 पारित किया जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(मेजें थपथपाई गई)

उत्तर प्रदेश निजी निधिकृत विश्वविद्यालय (स्थापना एवं विनियमन) विधेयक, 2010

उच्च शिक्षा मंत्री (डा0 राकेश धर त्रिपाठी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश निजी निधिकृत विश्वविद्यालय (स्थापना एवं विनियमन) विधेयक, 2010 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

इस पर कोई संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं कर रहा है इसलिए मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश निजी निधिकृत विश्वविद्यालय (स्थापना एवं विनियमन) विधेयक, 2010 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड–2 से खण्ड–49 तक

परिभाषायें

2. जब तक कि सन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हों, इस अधिनियम में :-

(क) "विश्वविद्यालय का प्रत्यायन" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के सभी विभागों के प्रत्यायन से है।

(ख) "परिसर" का तात्पर्य विश्वविद्यालय का वह क्षेत्र या क्षेत्र हैं जिसके भीतर यह स्थापित है;

(ग) "कर्मचारी" का तात्पर्य व्यक्तियों से है जो विश्वविद्यालयों द्वारा नियुक्त हों और इसके अन्तर्गत अध्यापक तथा विश्वविद्यालय का अन्य कर्मचारीवर्ग भी हैं;

(घ) "संकाय" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के किसी संकाय से है;

(ड.) "फीस" का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों से संग्रहीत धन से है, चाहे उसे जो भी नाम दिया जाये, जो अप्रतिदेय है;

(च) "शासी निकाय" का तात्पर्य धारा 21 के अधीन गठित शासी निकाय से है;

(छ) "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की सरकार से है;

(ज) "विभागाध्यक्ष" का तात्पर्य निदेशक अथवा प्राचार्य या किसी अन्य अधिकारी से है चाहे कोई भी नाम हो जो किसी विभाग के प्रशासन के लिए उत्तरदायी हो;

(झ) "उच्च शिक्षा" का तात्पर्य 10+2 स्तर के पश्चात् ज्ञानार्जन के लिए पाठ या पाठ्यक्रम के अध्ययन से है;

(ञ) "छात्रावास" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के छात्रों के निवास स्थान से है जो विश्वविद्यालय द्वारा इस रूप में स्थापित अथवा मान्यता प्राप्त हो;

(ट) "विहित" का तात्पर्य परिनियमों द्वारा विहित से है;

(ठ) "नियामक निकाय" का तात्पर्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय शिक्षक परिषद, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद, भारतीय औषधि विज्ञान परिषद, भारतीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, विज्ञान एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद इत्यादि तथा जिसमें केन्द्र एवं राज्य सरकार भी सम्मिलित है, जैसी संस्थाओं से है जो केन्द्र सरकार द्वारा उच्च शिक्षा में शैक्षिक मानकों को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मानकों एवं शर्तों के निर्धारण हेतु स्थापित की गयी हों;

(ड) "अनुसूची" का तात्पर्य इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची से है;

(ढ) "प्रायोजक निकाय" का तात्पर्य विश्वविद्यालय की स्थापना की इच्छुक निम्नलिखित निकायों से हो सकेगा :-

(एक) सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 21, सन् 1860) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसायटी; अथवा

(दो) भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2 सन् 1882) के अधीन पंजीकृत कोई लोक न्यास; अथवा

(तीन) कंपनी अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या-1 सन् 1956) की धारा 25 के अधीन पंजीकृत कोई कम्पनी;

(ण) "परिनियम", "अध्यादेश" और "विनियम" का तात्पर्य क्रमशः इस अध्यादेश के अधीन विश्वविद्यालय द्वारा बनाये गये परिनियम, अध्यादेश और विनियमों से है;

(त) "छात्र" का तात्पर्य ऐसा व्यक्ति है जो विश्वविद्यालय द्वारा संस्थित उपाधि, डिप्लोमा अथवा अन्य शैक्षिक विशिष्टताओं जिसमें शोध उपाधि भी सम्मिलित है, में अध्ययन करने हेतु विश्वविद्यालय में नामांकित हुआ हो;

(थ) "अध्यापक" का तात्पर्य आचार्य, सहयुक्त आचार्य, सहायक आचार्य, प्रवक्ता या अन्य ऐसे व्यक्ति से है जो शिक्षण अथवा अनुसंधान कार्य में मार्गदर्शन या किसी भी रूप में विश्वविद्यालय में किसी पाठ्यक्रम में अध्ययनरत छात्रों के मार्गदर्शन में संलग्न हों;

(द) "कोषाध्यक्ष", "कुलसचिव", "वित्त अधिकारी" अथवा "परीक्षा नियंत्रक" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के क्रमशः के कोषाध्यक्ष, कुलसचिव, वित्त अधिकारी या परीक्षा नियंत्रक से है;

(ध) "विश्वविद्यालय" का तात्पर्य निजी-निधिकृत शैक्षिक विश्वविद्यालय से है;

(न) "कुलाध्यक्ष", "अध्यक्ष" और "कुलपति" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के क्रमशः "कुलाध्यक्ष", "अध्यक्ष" और कुलपति से है।

विश्वविद्यालय के उद्देश्य

3. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे :-

(क) ज्ञान की उच्चतर अभिवृद्धि के उद्देश्य से उच्च शिक्षा में शिक्षण अध्ययन एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था करना;

(ख) शिक्षा एवम् प्रशिक्षण कार्य हेतु सुविधाएं स्थापित करना;

(ग) शिक्षण, अनुसंधान कार्यों तथा सतत शिक्षा कार्यक्रमों को संचालित करना;

(घ) राज्य की आवश्यकताओं से सुसंगत तथा ज्ञान के आदान प्रदान और इसके उपयोग हेतु अनुसंधान एवम् विकास के लिए श्रेष्ठता केन्द्रों का सृजन करना;

(ड) परीक्षा के आधार पर ऐसी उपाधियों और डिप्लोमा प्रदान करना जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और अन्य सांविधिक और नियामक निकायों द्वारा अनुमोदित हो;

विश्वविद्यालय की स्थापना सम्बन्धी प्रस्ताव का प्रस्तुत किया जाना एवं उसका मूल्यांकन

4. (1) (क) विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु प्रायोजक निकाय द्वारा यथाविहित फीस के साथ प्रस्ताव और परियोजना रिपोर्ट सहित सरकार को आवेदन किया जायेगा;

(ख) सरकार को प्रस्तुत सभी ऐसे आवेदनों को उच्च शिक्षा विभाग की सरकारी वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा;

(2) परियोजना रिपोर्ट में निम्नलिखित विवरण होंगे, अर्थात् -

(क) प्रायोजक निकाय के विवरण के साथ उसके पंजीकरण का प्रमाणपत्र, गठन तथा उपविधियों की प्रतियाँ,

(ख) गत पाँच वर्ष के संपरीक्षित लेखों के साथ प्रायोजक निकाय के वित्तीय संसाधनों की सूचना,

(ग) प्रस्तावित विश्वविद्यालय का नाम, स्थान, प्रचालन क्षेत्र तथा मुख्यालय,

(घ) विश्वविद्यालय की स्थापना के उद्देश्य,

(ड.) प्रस्तावित विश्वविद्यालय की स्थापना की आवश्यकता सम्बन्धी औचित्य,

(च) इस आशय का बचनबंध देना कि विश्वविद्यालय का कोई भी परिसर वाह्य या दूरस्थ शिक्षण केन्द्र नहीं खोलेगा,

(छ) विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित रूप से चलाये जाने वाले अध्ययन के पाठ्यक्रम एवं प्रकृति और अनुसंधान के साथ पाठ्यक्रमवार नामांकन लक्ष्य तथा राज्य के विकासात्मक लक्ष्यों एवं स्थानीय आवश्यकताओं के प्रति उनकी संगति तथा प्रथम पाँच वर्षों के दौरान ऐसे कार्यक्रमों की चरण्नबद्धता,

(ज) प्रेस्ताव में निम्नलिखित में से न्यूनतम चार संकायों में डाक्ट्रेट स्तर तक के पाठ्यक्रम आरम्भ करने की प्रतिबद्धता सम्मिलित होगी अर्थात् :-

कला, विज्ञान, वाणिज्य, विधि अभियंत्रण, चिकित्सा विज्ञान, प्रबन्धन, पशु चिकित्सा विभाग, कृषि विज्ञान आदि और इस आशय का बचनबंध कि पाठ्यक्रमों के आरम्भ करने के पूर्व सम्बन्धित विनियामक निकायों से सम्यक अनुमति प्राप्त की जायेगी,

(झ) विद्यमान भूमि के विवरण के साथ भूमि अभिलेखों के सत्यापन के बारे में जिले के कलेक्टर की रिपोर्ट और भवनों, यदि कोई, का विवरण, और विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित प्रस्तावित अवसंरचनात्मक सुविधायें तथा उनके अर्जन के साधन,

(ञ) परिसर विकास हेतु योजना का विवरण यथा, भवनों का निर्माण, अवसंरचनात्मक सुविधायें एवं अन्य प्रसुविधायें, विश्वविद्यालय के कार्य प्रारम्भ होने के पूर्व उपकरणों आदि की उपादित, प्रथम पॉच वर्षों के लिए चरणबद्ध कार्यक्रम तथा उसके लिए वित्त के स्रोत,

(ट) प्रायोजक निकाय के पास सम्बन्धित विधाओं में उपलब्ध अनुभव और विशेषज्ञता,

(ठ) इकाई लागत आधार पर व्यय के विवरण के संदर्भ के साथ प्रस्तावित फीस का ढॉचा और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा विकलांग छात्रों को सम्मिलित करते हुए आर्थिक व सामाजिक रूप से पिछड़े परिवारों के छात्रों के लिए फीस में प्रस्तावित छूट या रियायतें, शुल्क वृत्तियों एवं छात्र वृत्तियों की सीमा,

(ड) छात्रों से फीस, कन्सल्टेंसी सेवाओं तथा विश्वविद्यालय के उद्देश्यों में सम्मिलित अन्य कार्य-कलापों से अनुमानित राजस्व और अन्य अनुमानित आय के माध्यम से आन्तरिक रूप से अगले पॉच वर्षों के लिए निधियों के सृजन की योजनायें,

(ढ) विश्वविद्यालय में अध्ययन के पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु छात्रों के चयन के लिए अपनाई जाने वाली प्रस्तावित प्रणाली,

(ण) विश्वविद्यालय में कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए अपनायी जाने वाली प्रस्तावित प्रणाली,

(त) क्रीड़ा, खेल-कूद एवं अन्य पाठ्येत्तर गतिविधियों के लिए क्रीड़ा स्थल एवं अन्य उपलब्ध सुविधाओं या सृजन के लिए प्रस्तावित सुविधाओं का विवरण,

(थ) शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों यदि कोई, को सम्मिलित करते हुए शैक्षिक सुविधाओं का विवरण,

(द) पाठ्यक्रमवार या क्रियाकलापवार अनुमानित आवर्ती व्यय, निधियों के स्रोत तथा प्रति छात्र अनुमानित व्यय,

(ध) संसाधनो एवं पूँजी लागत के उद्ग्रहण हेतु योजना और उनके वेतन समुदाय के लिए योजना,

(न) शैक्षिक सम्प्रेषण के लिए की जाने वाली प्रस्तावित व्यवस्था,

(प) प्रस्तावित समय सीमा जिसमें कि विश्वविद्यालय का प्रत्यायन एन. ए.ए.सी. द्वारा हो जायेगा यदि वह पॉच वर्ष से पहले हो जाता है जैसे कि अधिनिमय की धारा 42 में दिया गया है।

(फ) विभिन्न विनियामक निकायों द्वारा अधिकथित नियमों एवं अनुदेशों के अनुपालन की बचनबद्धता,

(ब) कोई अन्य विवरण जो विहित किया जाये,

(भ) कोई अन्य विवरण जैसा कि प्रायोजक निकाय प्रस्तुत करना चाहे,

(3) सब प्रकार से पूर्ण आवेदन पत्र की प्राप्ति पर सरकार इस प्रकार जमा किये गये प्रस्तावों के परीक्षणार्थ एक पाँच सदस्यीय समिति गठित करेगी जिसमें राज्य विश्वविद्यालयों के दो कुलपति और राज्य विश्वविद्यालयों में सुसंगत विधाओं में कार्यरत दो आचार्य होंगे और सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट एक विशेषज्ञ होगा।

(4) समिति निम्नलिखित आधारों पर आवेदनों का विचारण करेगी, अर्थात्;

(क) प्रायोजक निकाय की वित्तीय सक्षमता और प्रस्तावित विश्वविद्यालय की अवसंरचना को स्थापित करने की उसकी क्षमता;

(ख) प्रायोजक निकाय की पृष्ठभूमि अर्थात् शिक्षा के क्षेत्र में उसकी विशेषज्ञता और अनुभव, उसकी सामान्य ख्याति और विनियामक निकायों के मानकों के अनुपालन की उसकी प्रतिबद्धता; और

(ग) प्रस्तुत किये जाने वाले प्रस्तावित पाठ्यक्रमों की सक्षमता, तात्पर्य यह कि क्या प्रस्तावित पाठ्यक्रम समकालिक मांग की अपेक्षानुसार, शिक्षा की उभरती शाखाओं में ई-लर्निंग में नये अवसर प्रस्तुत करने और राज्य की अपेक्षाओं कें अनुसार मानव संसाधन विकसित करने में सक्षम है;

(5) उपधारा (4) के अधीन प्रस्ताव एवं परियोजना रिपोर्ट पर विचार करते समय समिति प्रायोजक निकाय से ऐसी अन्य अतिरिक्त सूचना की मांग कर सकती है जैसी वह उचित समझे।

(6) समिति प्रायोजक निकाय द्वारा प्रस्तुत किये गये भू-अभिलेखों के सत्यापन के बारे में जिले के कलेक्टर की रिपोर्ट मांग सकती है।

(7) समिति अपने गठन के दिनांक से तीन माह की अवधि के भीतर समिति अपनी आख्या सरकार को प्रस्तुत करेगी :

परन्तु यह कि तीन माह की गणना करते समय उस दिनांक से जब उपधारा (5) के अधीन कोई सूचना जारी की गयी हो तथा वांछित

सूचना के समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के दिनांक तक की अवधि की गणना नहीं की जायेगी।

(8) समिति की रिपोर्ट उच्च शिक्षा विभाग की सरकारी वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी।

आशय पत्र एवं अनुपालन आख्या निर्गत करना

5. (1) धारा 4 की उपधारा (3) के अधीन गठित समिति से आख्या प्राप्ति के पश्चात् यदि सरकार विश्वविद्यालय की स्थापना से संतुष्ट हो तो यह प्रायोजक निकाय से अनुसूची-2 में अधिकथित शर्तों को पूरा करने की मांग करने के लिए आशय पत्र जारी कर सकती है,-

(क) निम्नलिखित संकायों अर्थात् कला, विज्ञान, वाणिज्य, विधि, अभियंत्रण, चिकित्सा विज्ञान, प्रबन्धन, पशु चिकित्सा विज्ञान व कृषि विज्ञान आदि में से चार संकायों में सम्बन्धित विनियमन निकायों से डाक्ट्रेट स्तर तक पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए प्राप्त अनुज्ञा की प्रमाणित प्रतियों को प्रस्तुत करे,

(ख) प्रायोजक निकाय की ऐसी न्यूनतम 50 एकड़ भूमि के विवाद रहित स्वामित्व को दर्शाते हुए सुसंगत राजस्व अभिलेखों को मूलरूप में प्रस्तुत करना जिसमें से न्यूनतम 15 एकड़ संलग्न भूमि प्रमुख स्थान पर होना चाहिए और बाकी परस्पर सटी हुई भूमि प्रमुख स्थान से 40 कि0मी0 के अन्तर्गत अवस्थित होनी चाहिए,

(ग) धारा 10 के उपबन्धों के अनुसार विन्यास निधि की स्थापना करना

(घ) न्यूनतम 24000 वर्ग मी0 के आच्छादित क्षेत्र का निर्माण या नियामक निकाय के मानकों के अनुसार जो भी अधिक हो, जो शैक्षणिक कार्यक्रमों को चलाने के लिए उपयुक्त हो और जिसमें से न्यूनतम 50 प्रतिशत शैक्षणिक खण्डों के लिए आरक्षित हो और शेष अन्य प्रयोजनों के लिए जैसा कि नियामक निकाय द्वारा अपेक्षा की जाय,

(ङ) न्यूनतम 10 लाख रूपये के मूल्य पर या विनियमन निकायों के प्रतिमानों के अनुसार, जो भी अधिक हो, पुस्तकों और पत्रिकाओं के अभिदान सहित उनका क्रय करना और पुस्तकालीय कार्य प्रणाली और अन्य सुविधाओं के लिए व्यय उपगत करने हेतु बचन देना जिससे कि पुस्तकालय को पूर्ण रूप से सुसज्जित किया जा सके और प्रथम पॉच वर्षों के अन्तर्गत पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करना जो 50 लाख रूपये से अनधिक या नियामक निकाय के प्रतिमानों, जो भी अधिक हो, के अनुसार होगा।

(च) उपस्करों, कम्प्यूटरों, फर्नीचर अन्य चल एवं अचल परिसम्पत्तियों तथा अवसंरचनात्मक सुविधाओं (उपखण्ड (ख) और (घ) के अधीन भूमि और भवनों को छोड़कर) को क्रय करना जिसकी कीमत एक सौ लाख रूपये या नियामक निकायों के प्रतिमानों, जो भी अधिक हो, के अनुसार होगी और प्रथम पॉच वर्षों के अन्तर्गत उपस्कर, कम्प्यूटरों, फर्नीचर अन्य चल एवं अचल परिसम्पत्तियों तथा उपखण्ड (ख) और (घ) के अधीन भूमि और भवन से भिन्न ऐसी अवसंरचनात्मक सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए बचन देना जिसकी कीमत चार सौ लाख रूपये से अन्यून या नियामक निकायों के प्रतिमानों, जो भी अधिक हो, के अनुसार होगी,

(छ) इस बात का अभिलेख प्रस्तुत करना कि विश्वविद्यालय ने प्रत्येक विभाग या शाखा में आवश्यक सहायक कर्मचारी वर्ग सहित कम से कम एक आचार्य, दो सहयुक्त आचार्य और पर्याप्त संख्या में सहायक आचार्यों या सम्बन्धित नियामक निकायों के प्रतिमानों जो भी अधिक हो, के अनुसार, आचार्यों की नियुक्ति की है और यह कि उन्होंने अपने-अपने पदों पर कार्यभार भी ग्रहण कर लिया है।

(ज) विश्वविद्यालय में समस्त प्रकार के रैगिंग को रोकने के लिए अपनी असंदिग्ध प्रतिबद्धता प्रदान करना, सुसंगत नियमों और शासनादेशों के अनुसार शक्ति से छात्रसंघ चुनावों को सुनिश्चित करना, उत्तर प्रदेश निजी व्यावसायिक शैक्षिक संस्था (प्रवेश विनियमन और फीस निर्धारण) अधिनियम, 2006 या इस अधिनियम में यथा उपबंधित उपबंधों, जो भी लागू हों के अधीन यथा निर्धारित फीस को प्रभावित करना, सरकार और अन्य विनियमन निकायों द्वारा यथाविहित शिक्षा, परीक्षा, अनुसंधान और अवसंरचना के मानकों को अनुरक्षित रखकर अग्रतर प्रायोजक निकाय प्रत्येक पॉच वर्ष पर उपर्युक्त मानकों की समीक्षा करने का बचन देगी।

(झ) विनियमन निकायों द्वारा निर्धारित प्रतिमानों के अनुसार छात्रों की प्रसुविधाओं के लिए सहपाठ्य सम्बन्धी क्रिया-कलापों यथा सेमिनार, वाद-विवाद, क्विज प्रतियोगिता विषयक कार्यक्रमों और पाठ्यचर्येतर क्रियाकलापों यथा-खेल, क्रीड़ा, राष्ट्रीय सेवा योजना, राष्ट्रीय केडेट कार्प्स आदि का उत्तरदायित्व ग्रहण करने के लिए बचन देना,

(ञ) भविष्य निधि की स्थापना के लिए बचन देना और कर्मचारियों हेतु कल्याणकारी कार्यक्रमों का उत्तरदायित्व ग्रहण करना,

(ट) ऐसी अन्य शर्तों और प्रतिमानों को पूरा करना जैसा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद् या केन्द्रीय या राज्य सरकार की विधि द्वारा स्थापित किन्हीं अन्य सांविधिक निकायों द्वारा विहित किया जाय,

(ठ) इस बात का वचन देना कि विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित अधिनियम नियमावली और विनियमावली का उल्लंघन नहीं करेगा।

(2) प्रायोजक निकाय आशय-पत्र के निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर उपधारा (1) में निर्दिष्ट आवश्यकताओं व शर्तों को पूर्ण करेगा तथा अनुपालन के सम्बन्ध में स्पष्ट शपथ-पत्र के द्वारा सरकार को सूचित करेगा;

(3) अनुपालन आख्या प्राप्त किये जाने पर सरकार अनुपालन रिपोर्ट सत्यापित करने हेतु इसे धारा 4 की उपधारा (3) के अधीन गठित समिति को सन्दर्भित करेगी और सरकार से इसकी प्राप्ति के दिनांक से एक माह के भीतर अपनी आख्या सरकार को प्रस्तुत करेगी जिसमें यह विनिर्दिष्ट होगा कि क्या प्रायोजक निकाय ने उपधारा (1) में निर्धारित अपेक्षाओं और शर्तों को पूरा किया है; कमेटी प्रायोजक निकाय से स्पष्टीकरण मांग सकती है। प्रायोजक निकाय से स्पष्टीकरण मांगने के दिनांक से उसे प्राप्त करने के दिनांक के बीच की अवधि ऊपर उपबंधित एक माह की समय-सीमा से अलग होगी।

(4) यदि प्रायोजक निकाय उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उपधारा (2) के उपबन्धों का अनुपालन करने में विफल होता है तो इसका प्रस्ताव अस्वीकृत माना जायेगा और उपधारा (1) के अधीन जारी आशय-पत्र निरस्त हो जायेगा :

परन्तु यह कि सरकार छह माह तक का समय विस्तार कर सकती है जो पुनः छः माह तक विस्तारणीय होगा यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि विलम्ब के वास्तविक एवं अपरिहार्य कारण थे जो प्रायोजक निकाय के नियंत्रण से परे थे तथा विलम्ब के पर्याप्त कारण विद्यमान थे :

परन्तु यह और कि विशेष परिस्थितियों में सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित किये गये किसी अधिनियम/नियम/विनियम के अधीन अपेक्षित किन्हीं अपेक्षाओं के अलावा उपधारा (1) के अधीन किन्ही अपेक्षाओं के अनुपालन में शिथिलता या से अधित्यजन कर सकती है।

विश्वविद्यालय की स्थापना

6. (1) धारा 5 की उपधारा (3) के अधीन प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् राज्य सरकार का यदि समाधान हो जाय तो वह प्रस्तावित विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए इस अधिनियम में संशोधन करने की कार्यवाही कर सकती है ताकि अनुसूची में नये विश्वविद्यालय के नाम और विवरण की प्रविष्टि की जा सके।

(2) सरकार द्वारा प्राधिकार-पत्र जारी किये जाने के दिनांक से विश्वविद्यालय कार्य करना प्रारम्भ कर देगा।

विश्वविद्यालय का निगमन

7. इस अधिनियम के अधीन स्थापित प्रत्येक विश्वविद्यालय एक निगमित निकाय होगा।

विश्वविद्यालय सरकार से अनुदान प्राप्त नहीं करेगा

8. विश्वविद्यालय सरकार या अन्य माध्यमों से कोई अनुदान अथवा अन्य वित्तीय सहायता प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा, सिवाय निम्नलिखित प्रायोजनों के :-

(एक) सामाजिक रूप से प्रसुविधा से वंचित या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों द्वारा देय शुल्क के प्रति किसी धनराशि की पूर्णतः या अंशतः पूर्ति करना

(दो) शोध के प्रयोजनार्थ किसी अध्ययन का संचालन करना ।

विश्वविद्यालय कोई वाह्य कैम्प या दूरस्थ शिक्षा केन्द्र नहीं खोलेगा

9. विश्वविद्यालय कोई वाह्य कैम्प या दूरस्थ शिक्षा केन्द्र नहीं खोलेगा ।

विन्यास निधि

10. (1) प्रायोजक निकाय विश्वविद्यालय के लिए दस करोड़ रुपये की धनराशि से एक विन्यास निधि की स्थापना करेंगी जो सरकार के नाम गिरवी रखी जायेगी तथा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि जमा के रूप में रखी जायेगी।

(2) उक्त जमा प्रमाण-पत्र मूल रूप में सरकार के उच्च शिक्षा विभाग के पास रखा जायेगा।

(3) विन्यास निधि इस अधिनियम, तद्धीन बनाये गये नियमों, विनियमों, परिनियमों या अध्यादेशों के उपबंधों के सख्त अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए सावधि जमा में प्रतिभूति स्वरूप रखी जाएगी।

(4) यदि विश्वविद्यालय अथवा प्रायोजक निकाय इस अधिनियम तथा तद्धीन बनाये गये नियमों, परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है तो राज्य सरकार के पास विहित रीति से विन्यास निधि को आंशिक अथवा पूर्ण भाग को जब्त करने की शक्ति होगी।

(5) विन्यास निधि (सावधि जमा) की आय से प्राप्त ब्याज का उपयोग विश्वविद्यालय के अवसंरचना के विकास के लिए किया जायेगा किन्तु इसका उपयोग विश्वविद्यालय के आवर्तक व्यय की पूर्ति के लिए नहीं किया जायेगा।

(6) विन्यास निधि की धनराशि विश्वविद्यालय के भंग होने तक इस शर्त के साथ निवेशित रखी जायेगी कि यह निधि राज्य सरकार की अनुमति के बिना आहरित नहीं की जायेगी।

सामान्य निधि

11. प्रत्येक विश्वविद्यालय एक निधि स्थापित करेगा जिसे सामान्य निधि कहा जायेगा, जिसमें निम्नलिखित धन जमा किया जायेगा, अर्थात् :-

(क) विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त शुल्क एवं अन्य प्रभार;

(ख) प्रायोजक निकाय द्वारा किया गया कोई अंशदान;

(ग) विश्वविद्यालय द्वारा परामर्श सेवा तथा अन्य लिये गये कार्यों से प्राप्त कोई आय;

(घ) प्रतीयत, दान, विन्यास और कोई अन्य अनुदान; तथा

(ङ) विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त की गयी अन्य समस्त धनराशि।

सामान्य निधि का उपयोग

12. सामान्य निधि का उपयोग निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए किया जायेगा, अर्थात् :-

(क) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और अध्यापन व अनुसंधान कर्मचारियों के सदस्यों के वेतन तथा भत्तों के भुगतान के निमित्त, तथा ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों के किन्हीं भविष्य निधि अंशदानों, उपादान एवं अन्य सुविधाओं के भुगतान के निमित्त;

(ख) विद्युत, ईंधन आदि सहित उपयोग की गयी सेवाओं के लिए विश्वविद्यालय द्वारा उठाये गये व्ययों के निमित्त;

(ग) जहां कहीं लागू हो करों अथवा स्थानीय उद्ग्रहणों के भुगतान के निमित्त;

(घ) विश्वविद्यालय की परिसम्पत्तियों के रख-रखाव के निमित्त;

(ङ) विश्वविद्यालय द्वारा तद्निमित्त उपगत ब्याज प्रभारों सहित ऋण के भुगतान के निमित्त;

(च) शासी निकाय, विद्या परिषद् आदि के सदस्यों एवं कर्मचारियों हेतु यात्रा एवं अन्य भत्तों के भुगतान के निमित्त;

(छ) यथास्थिति समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों या अनुसंधान सहायकों या प्रशिक्षुओं को अध्येतावृत्तियों, शुल्क मुक्तियों, छात्रवृत्तियों, सहयोगीवृत्तियों और अन्य पुरस्कार के भुगतान हेतु अथवा इस अधिनियम के अधीन बनाये गये परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों या नियमों के अन्तर्गत ऐसे पुरस्कार हेतु अन्यथा पात्र किन्हीं छात्रों हेतु उक्त के भुगतान हेतु;

(ज) धारा 9 व 10 के अधीन सृजित निधियों की सम्परीक्षा लागत के भुगतान के निमित्त;

(झ) किसी प्रकार के वाद अथवा कार्यवाहियों जिसमें विश्वविद्यालय एक पक्षकार हो, के व्ययों की पूर्ति हेतु;

(ञ) चल एवं अचल सम्पत्तियों के प्रयोजनार्थ;

(ट) इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों अथवा नियमों के उपबंधों के अनुपालनार्थ विश्वविद्यालय द्वारा उपगत किन्हीं व्ययों के निमित्त; और

(ठ) किसी अन्य व्यय के भुगतान के निमित्त जिसे विश्वविद्यालय के प्रयोजनार्थ व्यय के रूप में शासी निकाय द्वारा अनुमोदित किया गया हो :

परन्तु यह कि शासी निकाय द्वारा यथा नियत आवर्ती एवं अनावर्ती कुल वार्षिक व्यय की सीमा से अधिक व्यय विश्वविद्यालय द्वारा शासी निकाय की अनुमति के बिना उपगत नहीं किया जायेगा :

परन्तु यह और कि शासी निकाय के पूर्वानुमोदन से उपखण्ड (ङ) के अधीन विनिर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए सामान्य निधि का उपयोग किया जा सकेगा ;

13. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे :- विश्वविद्यालय के अधिकारी

(एक) कुलाध्यक्ष ;

(दो) अध्यक्ष ;

(तीन) कुलपति ;

(चार) कुलसचिव ;

(पाँच) परीक्षा नियंत्रक ;

(छः) मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी; तथा

(सात) ऐसे अन्य अधिकारी जिन्हें परिनियमावली द्वारा विश्वविद्यालय का अधिकारी घोषित किया जाय।

कुलाध्यक्ष

14. (1) उत्तर प्रदेश के राज्यपाल इस अधिनियम के अधीन स्थापित प्रत्येक विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष होंगे।

(2) कुलाध्यक्ष इस अधिनियम के अधीन स्थापित प्रत्येक विश्वविद्यालय का प्रमुख अध्यक्ष होगा और वह निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगा :-

(क) जब वह उपस्थित हो, विश्वविद्यालय की उपाधि एवं डिप्लोमा प्रदान किये जाने हेतु दीक्षान्त समारोह का सभापतित्व करेगा,

(ख) विश्वविद्यालय के मामलों सम्बन्धी कागजात अथवा सूचना प्राप्त करना, और

(ग) खण्ड (ख) के अधीन प्राप्त सूचना के आधार पर यदि उसका समाधान हो जाता है कि विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी का कोई आदेश, कार्यवाही अथवा उसके द्वारा लिया गया निर्णय इस अधिनियम के उपबंधों, परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों अथवा नियमों के अनुरूप नहीं है तो वह ऐसे निर्देश निर्गत कर सकेगा जो उसके विचार में विश्वविद्यालय के हित में हो एवं इस प्रकार निर्गत किये गये निर्देशों का विश्वविद्यालय द्वारा पालन किया जायेगा। विश्वविद्यालय उसमें यथा विनिर्दिष्ट समयावधि के अन्तर्गत निदेशों का अनुपालन करेगा।

(घ) यदि उसका यह समाधान हो जाय कि विश्वविद्यालय के कार्य-कलाप धारा 3 के अनुसार विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के अनुकूल नहीं हैं तो वह अध्यक्ष के परामर्श से धारा 48 के अनुसार कार्यवाही के लिए सरकार को परामर्श प्रदान करेगा,

मानद उपाधि प्रदान किये जाने से संबंधित प्रत्येक प्रस्ताव कुलाध्यक्ष की पुष्टि के अध्यधीन होगा,

(ङ) कुलपति की नियुक्ति करना,

(च) धारा-16 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार कुलपति को हटाना।

15. (1) ट्रस्ट का प्रबन्ध ट्रस्टी विश्वविद्यालय का अध्यक्ष होगा ; अध्यक्ष

(2) कुलाध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा।

16. (1) कुलपति डाक्ट्रेट उपाधि प्राप्त या प्रख्यात ऐसा शिक्षाविद् होगा जिसको शैक्षणिक संस्थाओं के प्रबन्ध का दीर्घ अनुभव हो और उसकी नियुक्ति प्रायोजक निकाय की संस्तुति पर कुलाध्यक्ष द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी। कुलपति

कुलपति की नियुक्ति हेतु प्रायोजक निकाय के प्रस्ताव के साथ दो व्यक्तियों का पैनल उनके विवरण सहित होगा। कुलाध्यक्ष कुलपति के रूप में एक व्यक्ति की नियुक्ति हेतु प्रस्ताव पर अनुमोदन करेगा। प्रस्ताव को सरकार के माध्यम से कुलाध्यक्ष के पास भेजा जायेगा :

परन्तु यह कि तीन वर्ष के कार्यकाल के समाप्त होने पर कुलपति अन्य तीन वर्षों की अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र होगा :

परन्तु यह और कि कुलपति अपने कार्यकाल के समाप्त होने पर भी कार्य करता रहेगा जब तक नया कुलपति कार्यभार ग्रहण न कर ले, तथापि किसी भी दशा में यह अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(2) कुलपति के विरुद्ध लगाये गये गम्भीर आरोप की दशा में शासी निकाय को कुलपति को निलम्बित करके एक कार्यवाहक कुलपति की नियुक्ति करने की शक्ति होगी। ऐसा निलम्बन छः माह की अवधि के पश्चात् यदि कुलाध्यक्ष द्वारा उसे अनुसमर्थन न प्राप्त हुआ हो, स्वतः प्रतिसंहृत समझा जायेगा। कुलपति को हटाये जाने से सम्बन्धित प्रस्ताव प्रायोजक निकाय द्वारा सरकार के माध्यम से कुलाध्यक्ष के पास भेजा जायेगा।

(3) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रधान होगा।

(4) कुलपति को ऐसी शक्तियां प्राप्त होंगी जो विहित की जायं, अर्थात् :-

(क) संकायाध्यक्ष या विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारी से किसी सूचना या अभिलेख की मांग करना।

(ख) ऐसी अन्य शक्तियां जो परिनियमावली द्वारा विनिर्दिष्ट की जायं।

(5) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यकारी और शैक्षणिक अधिकारी होगा और उसके पास विश्वविद्यालय के क्रिया-कलापों के सम्बन्ध में सामान्य अधीक्षण और नियंत्रण होगा और वह विश्वविद्यालय के विभिन्न प्राधिकारियों के विनिश्चयों को कार्यान्वित करेगा।

(6) कुलाध्यक्ष और अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कुलपति विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेगा।

(7) यदि कुलपति की राय में ऐसे किसी मामले में जिसके लिए इस अधिनियम द्वारा या तद्धीन किसी अन्य प्राधिकारी को शक्तियां प्रदान की गयी हों, तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो तो वह ऐसी कार्यवाही कर सकता है जिसे वह आवश्यक समझे और वह तत्पश्चात् पूर्णतम अवसर पर ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी को अपनी कार्यवाही के सम्बन्ध में ऐसी रिपोर्ट देगा जिसे वह सामान्य प्रक्रम में व्यवहृत कर चुका हो :

परन्तु यदि सम्बन्धित अधिकारी या प्राधिकारी की राय में ऐसी कार्यवाही कुलपति द्वारा नहीं की जानी चाहिए थी तो ऐसे मामले को शासी निकाय को संदर्भित कर दिया जाएगा जिस पर उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

(8) यदि कुलपति की राय में विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी का कोई विनिश्चय इस अधिनियम या तद्धीन निर्मित परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों या नियमों द्वारा प्रदत्त शक्तियों के परे हो अथवा उससे विश्वविद्यालय के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो तो वह सम्बन्धित अधिकारी से अपने विनिश्चय के दिनांक से पन्द्रह दिनों के भीतर अपने विनिश्चय को पुनरीक्षित करने के लिए अनुरोध करेगा और यदि प्राधिकारी ऐसे विनिश्चय को पूर्णतः या आंशिक रूप से पुनरीक्षित करने से अस्वीकार करता है अथवा पन्द्रह दिनों के भीतर कोई विनिश्चय करने में विफल रहता है तो ऐसा मामला शासी निकाय को सन्दर्भित किया जायेगा और उस पर उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

(9) कुलपति ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा एवं ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जैसा कि परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय।

(10) यदि किसी समय किये गये अभ्यावेदन पर या अन्यथा और ऐसी जांच जो आवश्यक समझी जाय करने के पश्चात् ऐसा करना परिस्थितिजन्य हो और यदि कुलपति का बना रहना विश्वविद्यालय के हित में न हो तो प्रायोजक निकाय सरकार के माध्यम से कुलाध्यक्ष के अनुमोदन के पश्चात् कारणों को उल्लिखित करते हुए लिखित आदेश द्वारा कुलपति से अपना पद आदेश में यथानिर्दिष्ट दिनांक से त्याग करने के लिये कह सकता है :

परन्तु यह कि इस उपधारा के अधीन किसी कार्यवाही से पूर्व कुलपति को सुनवाई का अवसर दिया जायेगा।

परीक्षा नियंत्रक

17. (1) परीक्षा नियंत्रक विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा।

(2) परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा यथाविहित रीति से की जाएगी।

(3) परीक्षा नियंत्रक परीक्षाओं का संचालन करेगा और तद्निमित्त अन्य समस्त व्यवस्था करेगा और उससे सम्बन्धित समस्त प्रक्रियाओं का सम्यक् निष्पादन करने के लिए उत्तरदायी होगा।

कुलसचिव

18. (1) कुलसचिव की नियुक्ति कुलपति द्वारा, ऐसी रीति से और सेवा की ऐसी निबन्धन एवं शर्तों पर जैसा कि विहित हो, की जाएगी।

(2) कुलसचिव को यह शक्ति होगी कि वह विश्वविद्यालय की ओर से कोई करार/संविदा करे, दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करे और अभिलेखों को अभिप्रमाणित करे तथा वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जैसा कि विहित किया जाय।

(3) कुलसचिव शासी निकाय और विद्या परिषद का सदस्य सचिव होगा किन्तु उसे मतदान करने का अधिकार नहीं होगा।

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी

19. (1) मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी की नियुक्ति कुलपति द्वारा ऐसी रीति से और सेवा की ऐसी निबन्धन एवं शर्तों पर की जाएगी जैसा कि विहित किया जाय।

(2) मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जैसा कि विहित किया जाय।

अन्य अधिकारी

20. (1) विश्वविद्यालय ऐसे अन्य अधिकारियों की नियुक्ति कर सकता है जो उसकी कार्य-प्रणाली के लिए आवश्यक हो।

(2) विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति और उनकी शक्तियां तथा कृत्य ऐसे होंगे जैसा कि विहित किया जाय।

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

21. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे :-

(एक) शासी निकाय ;

(दो) विद्या परिषद ;

(तीन) वित्त समिति ;

(चार) परीक्षा समिति ;

(पांच) प्रवेश समिति ;

(छः) नियोजन बोर्ड ; और

(सात) ऐसे अन्य प्राधिकारी जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय का प्राधिकारी घोषित किया जाय।

शासी निकाय

22.(1) विश्वविद्यालय के शासी निकाय में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :-

(क) अध्यक्ष, जो सभापति होगा ;

(ख) कुलपति ;

(ग) प्रायोजक निकाय द्वारा नाम-निर्दिष्ट पांच व्यक्ति जिनमें से दो उत्कृष्ट शिक्षाविद् होंगे;

(घ) कुलाध्यक्ष द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जाने वाला एक विख्यात व्यक्ति;

(ङ) उच्च शिक्षा/ प्राविधिक शिक्षा/ चिकित्सा शिक्षा/ पशुपालन/ कृषि/उद्यान का कोई एक निदेशक जैसा कि सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जाय।

(2) शासी निकाय विश्वविद्यालय की सर्वोच्च प्राधिकरण होगी।

(3) शासी निकाय के पास निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात्-

(क) उन समस्त शक्तियों का प्रयोग करके जो इस अधिनियम अथवा परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों एवं तद्धीन बनाये गये नियमों द्वारा उपबन्धित हों, सामान्य अधीक्षण तथा निर्देश देना और विश्वविद्यालय के कार्य-प्रणाली को नियंत्रित करना;

(ख) विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों के उन विनिश्चयों का पुनरीक्षण करना यदि वे इस अधिनियम अथवा परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों एवं तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों अनुसार न हों;

(ग) विश्वविद्यालय के बजट एवं वार्षिक रिपोर्ट का अनुमोदन करना;

(घ) विश्वविद्यालय द्वारा अनुसरण की जाने वाली नीतियों का निर्धारण करना;

(ङ) ऐसी परिस्थिति में जब सभी प्रयासों के बावजूद विश्वविद्यालय का सुचारू कार्य संचालन संभव न हो, तो प्रायोजक निकाय को स्वैच्छिक रूप से विश्वविद्यालय को भंग करने के सम्बन्ध में संस्तुति करना ;

(च) ऐसी अन्य शक्तियां जैसी विहित की जायें।

(4) शासी निकाय किसी कैलेण्डर वर्ष में कम से कम तीन बैठक करेगी।

(5) शासी निकाय की बैठकों हेतु गणपूर्ति छह उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों से होगी।

(6) शासी निकाय को कुलपति को निलम्बित करने की शक्ति होगी।

विद्या परिषद्

23. (1) विद्या परिषद् विश्वविद्यालय की मुख्य शैक्षणिक निकाय होगी तथा यह परिनियमों और अध्यादेशों के उपबंधों के अध्यधीन विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों का समन्वय करेगी और उनका सामान्य पर्यवेक्षण करेगी।

(2) विद्या परिषद् का गठन, उसके सदस्यों का कार्यकाल और उसकी शक्तियां एवं कृत्य ऐसी होंगी जैसी विहित की जायं।

(3) विद्या परिषद् में कुलपति एवं ऐसे अन्य सदस्य होंगे जैसा कि विहित किया जाय।

(4) कुलपति विद्या परिषद् का अध्यक्ष होगा।

(5) विद्या परिषद् की बैठकों की गणपूर्ति की संख्या ऐसी होगी जैसी विनिर्दिष्ट की जायं।

नियोजन बोर्ड

24. (1) नियोजन बोर्ड विश्वविद्यालय का मुख्य नियोजन निकाय होगा। नियोजन बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि अवसंरचनात्मक एवं शैक्षणिक सहायता प्रणाली विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा अन्य नियामक निकायों के प्रतिमानों को पूरा करे।

(2) नियोजन बोर्ड का गठन, इसके सदस्यों का कार्यकाल और इसकी अन्य शक्तियाँ एवं कृत्य ऐसी होंगी जैसी कि विहित की जायं।

वित्त समिति

25. (1) वित्त समिति विश्वविद्यालय की मुख्य वित्त निकाय होगी एवं वित्तीय मामलों की देख रेख करेगी।

(2) वित्त समिति का गठन, शक्तियां एवं कृत्य ऐसी होंगी जैसी विहित की जायं।

परीक्षा समिति

26. (1) परीक्षा समिति शैक्षणिक कैलेन्डर के अनुरूप विश्वविद्यालय की विभिन्न परीक्षाओं की योजना बनाने एवं संचालित करने के लिए उत्तरदायी होगी।

(2) परीक्षा समिति का गठन, शक्तियां, कृत्य एवं गणपूर्ति तथा इसके सदस्यों का कार्यकाल ऐसा होगा जैसा विहित किया जाय।

प्रवेश समिति

27. (1) प्रवेश समिति यह सुनिश्चित करेगी कि समस्त पाठ्यक्रमों एवं विषयों में प्रवेश इस अधिनियम की धारा 37 के अधीन निदेशों के अनुसार किये गये हैं।

(2) प्रवेश समिति का गठन, शक्तियां, कृत्य एवं गणपूर्ति तथा इसके सदस्यों का कार्यकाल ऐसा होगा जैसा कि विहित किया जाय।

अन्य प्राधिकारी

28. विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों की संरचना, गठन, शक्ति एवं कृत्य ऐसे होंगे जैसा कि विहित किया जाय।

अनर्हताएं

29. कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी या निकाय का सदस्य बनने से अनर्ह हो जायेगा ; यदि :-

(क) वह अस्वस्थ मस्तिष्क का हो तथा जिसे सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित कर दिया गया हो ; अथवा

(ख) वह अनुन्मोचित दिवालिया हो ; अथवा

(ग) वह नैतिक अधमता से अन्तर्वलित किसी अपराध में दोष सिद्ध पाया गया हो ; अथवा

(घ) निजी कोचिंग कक्षायें संचालित करता हो अथवा स्वयं संलिप्त हो ; अथवा

(ङ) वह किसी परीक्षा के संचालन में किसी भी रूप में, कहीं भी अनुचित साधनों के प्रयोग में लिप्त हुआ हो अथवा प्रोत्साहित करने पर दण्डित किया गया हो।

रिक्तियां जो विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी अथवा निकाय को अविधिमान्य नहीं कर सकती

30. विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी अथवा निकाय का कोई भी कार्य अथवा कार्यवाही किसी रिक्ति अथवा उसके गठन के दोष होने मात्र के कारण अविधिमान्य नहीं होगी।

आकस्मिक रिक्तियों को भरना

31. विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी अथवा किसी निकाय में, किसी सदस्य की मृत्यु होने, त्याग-पत्र देने या किसी सदस्य को हटाये जाने से आकस्मिक रूप से रिक्त हुये किसी पद को यथाशीघ्र ऐसे व्यक्ति

या निकाय द्वारा भरा जायेगा जो उस सदस्य को नियुक्त अथवा नाम-निर्दिष्ट करता है जिसका स्थान रिक्त हुआ हो तथा किसी आकस्मिक रिक्ति के लिए नियुक्त अथवा नाम-निर्दिष्ट व्यक्ति ऐसे प्राधिकारी अथवा निकाय का उस शेष अवधि के लिए सदस्य रहेगा जिस अवधि हेतु वह व्यक्ति सदस्य रहता जिसकी रिक्ति पर वह नियुक्त अथवा नाम-निर्दिष्ट हुआ है।

समितियाँ

32. (1) ऐसी समितियों द्वारा विनिर्दिष्ट कार्यों के सम्पादन हेतु विश्वविद्यालय के प्राधिकारी/अधिकारी संदर्भ की शर्तों के साथ समितियों का गठन कर सकते हैं।

(2) ऐसी समितियों का गठन एवं उनके कर्तव्य ऐसे होंगे जैसे विहित किये जायें।

प्रथम परिनियम

33. (1) इस अधिनियम एवं तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम में निम्नलिखित सभी या उसमें से किसी मामले की व्यवस्था होगी, अर्थात् :-

(क) समय-समय पर गठित किये जाने वाले विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों एवं अन्य निकायों का गठन, उनकी शक्ति एवं कृत्य;

(ख) कुलपति की नियुक्ति की सेवा शर्तें एवं उनकी शक्तियाँ एवं कृत्य;

(ग) कुलसचिव, परीक्षा नियंत्रक, मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी की नियुक्ति की रीति, निबन्धन एवं सेवा शर्तें तथा उनकी शक्तियां और कृत्य;

(घ) कर्मचारियों की नियुक्ति की रीति निबन्धन एवं सेवा शर्तें तथा उनकी शक्तियां और कृत्य;

(ङ) कर्मचारियों, छात्रों एवं विश्वविद्यालय के मध्य विवाद होने की दशा में माध्यस्थम् की प्रक्रिया;

(च) मानद उपाधि प्रदान किया जाना;

(छ) छात्रों को शिक्षण शुल्क के भुगतान से मुक्ति और उन्हें छात्रवृत्ति एवं अध्येतावृत्ति प्रदान करने सम्बन्धी उपबन्ध;

(ज) सीटों के आरक्षण के विनियमन सहित प्रवेश की नीति से सम्बन्धित उपबन्ध;

(झ) छात्रों से प्रभारित की जाने वाली फीस से सम्बन्धित उपबन्ध;

(ञ) विभिन्न पाठ्यक्रमों में सीटों के निर्धारण सम्बन्धी उपबन्ध।

(2) प्रथम परिनियम शासी निकाय द्वारा बनाया जायेगा तथा सरकार के समक्ष उसके अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

(3) सरकार विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत प्रथम परिनियम पर विचार करेगी और उसकी प्राप्ति के दिनांक से तीन माह की अवधि के भीतर उस पर अपना अनुमोदन ऐसे उपान्तरों, यदि कोई हों, के साथ जैसा वह आवश्यक समझे, प्रदान करेगी।

(4) विश्वविद्यालय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित प्रथम परिनियम से सम्बन्धित अपनी सहमति के सम्बन्ध में संसूचित करेगा और यदि वह उपधारा (3) के अधीन राज्य सरकार द्वारा किये गये उपान्तरों में से किसी या सभी को प्रभावी नहीं करना चाहता हो तो वह उसका कारण बताएगा और ऐसे कारणों पर विचार करने के पश्चात् सरकार विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये सुझावों को स्वीकार कर सकती है या स्वीकार नहीं कर सकती है।

(5) सरकार अपने द्वारा अन्तिम रूप से अनुमोदित प्रथम परिनियमावली को शासकीय गजट में प्रकाशित करेगी और तत्पश्चात् वह ऐसे प्रकाशन के दिनांक से प्रवृत्त हो जायेगी।

अनुवर्ती परिनियम

34. (1) इस अधिनियम और तद्धीन बनाये गये प्रथम परिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय के अनुवर्ती परिनियम का उपबन्ध निम्नलिखित किसी एक अथवा समस्त विषयों के लिए किया जायेगा, अर्थात् :-

(क) विश्वविद्यालय के नये प्राधिकारियों का सृजन;

(ख) लेखा नीति और वित्तीय प्रक्रिया;

(ग) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों में अध्यापकों का प्रतिनिधित्व;

(घ) नये विभागों का सृजन अथवा विद्यमान विभाग का समापन या पुनर्गठन;

(ङ) पदक एवं पारितोषिक संस्थित करना;

(च) पदों का सृजन एवं उनके समापन के लिए प्रक्रिया;

(छ) शुल्क का पुनरीक्षण;

(ज) विभिन्न पाठ्यक्रमों में सीटों की संख्या में परिवर्तन; और

(झ) सभी अन्य मामले जो इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किये जायं।

(2) शासी निकाय समय-समय पर नये या अतिरिक्त परिनियम बना सकता है और इस प्रकार बनाये गये परिनियमों का इस धारा में एतद्पश्चात् दी गयी रीति से संशोधन या निरसन कर सकता है:

परन्तु यह कि शासी निकाय न तो कोई ऐसा परिनियम बनायेगा, न ही परिनियम में कोई ऐसा संशोधन करेगा जिसका प्रभाव विश्वविद्यालय के विद्यमान प्राधिकारी की प्रास्थिति, शक्ति या गठन पर पड़ता हो जब तक कि ऐसे प्राधिकारी को उक्त प्रस्ताव पर राय व्यक्त करने का अवसर न प्रदान किया गया हो और इस प्रकार व्यक्त कोई राय लिखित रूप में होगी और उस पर शासी निकाय द्वारा विचार किया जाएगा।

(3) प्रत्येक ऐसा परिनियम या परिनियमों में कोई परिवर्धन या परिनियमों में कोई संशोधन या निरसन कुलाधिपति के अनुमोदन के अधीन होगा :

परन्तु यह कि शासी निकाय द्वारा विद्या परिषद् की सहमति के बिना ऐसा कोई परिनियम नहीं बनाया जायेगा जिसका प्रभाव छात्रों के अनुशासन, शिक्षण के मानक, शिक्षा एवं परीक्षा पर पड़ता है।

(4) उपधारा (2) के अधीन बनाये गये परिनियमों को राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जायेगा और वह इसका अनुमोदन कर सकती है या यदि वह आवश्यक समझे तो परिनियमों के प्राप्ति के दिनांक से यथासम्भव दो माह के भीतर उपांतरण हेतु सुझाव दे सकती है।

(5) शासी निकाय राज्य सरकार द्वारा सुझाये गये उपांतरों पर विचार करेगा और परिनियमों को ऐसे परिवर्तनों के लिए अपनी सहमति सहित या राज्य सरकार द्वारा दिये गये सुझाओं पर अपनी टिप्पणियों सहित उसे वापस करेगा।

(6) राज्य सरकार शासी निकाय के टिप्पणियों पर विचार करेगी और उपान्तरण सहित या रहित परिनियमों का अनुमोदन कर सकती है और इसका प्रकाशन उसके द्वारा शासकीय गजट में किया जायेगा और उक्त परिनियम ऐसे प्रकाशन के दिनांक से प्रवृत्त होंगे।

अध्यादेश कैसे बनाए जायेंगे

35. इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये परिनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये शासी निकाय ऐसे अध्यादेशों का निर्माण कर सकता है, जैसा वह विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए उचित समझे और ऐसे अध्यादेशों में निम्नलिखित विषयों में से किसी या सभी के लिए व्यवस्था होगी, अर्थात् :-

(क) विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश एवं उनका इस रूप में नामांकन;

(ख) विश्वविद्यालय की डिग्री और डिप्लोमा के लिए, निर्धारित किया जाने वाले पाठ्यक्रम;

(ग) उपाधि, डिप्लोमा और अन्य शैक्षणिक विशिष्टताएं प्रदान करना और उसके लिए न्यूनतम अर्हताएं निर्धारित करना और उसको प्रदान करने या प्राप्त करने के सम्बन्ध में किये जाने वाले उपाय;

(घ) अध्येतावृत्ति, छात्रवृत्ति, वृत्तिका, पदक एवं पारितोषिक प्रदान किये जाने हेतु शर्तें;

(ङ) परीक्षा संचालन एवं पद की शर्तें, नियुक्ति की रीति, परीक्षा निकायों-परीक्षकों और अनुसीमकों के कर्तव्य;

(च) विश्वविद्यालय की डिग्री, डिप्लोमा एवं विभिन्न पाठ्यक्रमों और परीक्षाओं कें लिए प्रभारित की जाने वाली फीस;

(छ) विश्वविद्यालय के छात्रावासों में छात्रों के निवास की शर्तें;

(ज) छात्रों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही सम्बन्धी उपबन्ध;

(झ) विश्वविद्यालय के शैक्षणिक जीवन के अभिवृद्धि के लिए किसी अन्य निकाय जिसे आवश्यक समझा जाय, का सृजन, गठन एवं कृत्य;

(ञ) विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा संस्थानों के साथ मध्य पारस्परिक सहयोग और सहकार्य;

(ट) ऐसे अन्य मामले जो इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये परिनियमों द्वारा उपबन्धित किये जाने के लिए अपेक्षित हों।

विनियम

36. विश्वविद्यालय के प्राधिकारी, शासी निकाय के पूर्व अनुमोदन के अधीन रहते हुए, अपने कारबार और स्वयं द्वारा नियुक्त समितियों के संचालन के लिए ऐसे विनियम बना सकते हैं जो इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों, परिनियमों और अध्यादेशों के अनुरूप हो।

प्रवेश

37. (1) विश्वविद्यालय में प्रवेश निश्चित रूप से गुणावगुण के आधार पर पारदर्शी रूप से किया जाएगा, तथापि, ऐसे पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में, जहां प्रवेश सरकार या नियामक निकाय के निर्देशों के अनुसार सामान्य प्रवेश परीक्षा के माध्यम से किए जाते हैं, विश्वविद्यालय के लिए यह आवश्यक होगा कि वह छात्रों का प्रवेश सामान्य प्रवेश परीक्षा के माध्यम से ही करे।

(2) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों और विकलांग छात्रों के लिए विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु सीटों का आरक्षण समय-समय पर सरकार की नीति के अनुसार प्रदान किया जाएगा।

फीस का ढांचा

38. (1) विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों कें लिए ली जाने वाली फीस तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसार या उत्तर प्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश और फीस निर्धारण का विनियमन) अधिनियम, 2006, जो भी लागू हो, के उपबंधों के अनुसार होगी।

(2) विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किया गया फीस का ढांचा :-

(क) अलाभकारी, शोषणारहित और वाणिज्यीकरण की दिशा में नहीं होगी,

(ख) शिक्षा देने में उपगत लागत के उचित अनुपात में होगा,

(ग) निम्न व्यवस्था के लिए पर्याप्त हो -

(एक) विश्वविद्यालय के आवर्ती व्यय को पूरा करने के लिए संशोधन, और

(दो) विश्वविद्यालय के अग्रतर विकास के लिए अपेक्षित बचत, और

(घ) तर्कसंगत दृष्टि से अधिक न हो।

(3) विश्वविद्यालय छात्रों से प्राप्त सभी प्रकार की फीस और अन्य भुगतानों की रसीद देगा।

परीक्षा

39. (1) प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के आरम्भ में और प्रत्येक दशा में प्रत्येक कैलेन्डर वर्ष के 30 अगस्त तक विश्वविद्यालय, अपने द्वारा आयोजित प्रत्येक पाठ्यक्रम हेतु, यथास्थिति, सेमेस्टरवार या वार्षिक रूप से परीक्षा कार्यक्रम को प्रकाशित करेगा और ऐसे कार्यक्रम का कड़ाई से अनुपालन करेगा।

स्पष्टीकरण :– 'परीक्षा कार्यक्रम' का आशय परीक्षा कार्यक्रम के अंगभूत प्रत्येक प्रश्न पत्र के प्रारम्भ के समय, दिन और दिनांक के विवरणयुक्त तालिका से है और इसकें प्रायोगिक परीक्षा के भी विवरण सम्मिलित होंगे :

परन्तु यह कि, यदि किसी भी कारण से विश्वविद्यालय यह कार्यक्रम अनुसरण नहीं करता है तो वह, यथा शक्य शीघ्र, सरकार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जिसमें अपने प्रकाशित परीक्षा कार्यक्रम से उसके विचलन करने का विस्तृत कारण बताया जायेगा। सरकार, इसके पश्चात्, ऐसे निर्देश जारी कर सकती है जैसा वह भविष्य में बेहतर अनुपालन के लिए उचित समझे।

(2) विश्वविद्यालय के स्तर को बनाये रखने के लिए 50 प्रतिशत परीक्षा प्रश्न पत्र बाहरी पेपर सेटर द्वारा तैयार किये जायेंगे और मूल्यांकन भी 50 प्रतिशत बाहरी परीक्षकों द्वारा कराया जायेगा।

परीक्षाफल की घोषणा

40. (1) विश्वविद्यालय अपने द्वारा आयोजित प्रत्येक परीक्षा का परीक्षाफल किसी विशेष पाठ्यक्रम हेतु परीक्षा के अंतिम दिनांक से 30 दिनों के भीतर घोषित करने का हर संभव प्रयास करेगा और किसी भी परिस्थिति में ऐसे दिनांक से 45 दिनों के अन्दर परीक्षाफल घोषित करेगा :

परन्तु यह कि यदि विश्वविद्यालय किसी भी कारण से पैंतालीस दिनों की अवधि के भीतर किसी परीक्षा का परिणाम अंततः घोषित नहीं कर पाता है, तो वह ऐसे विलम्ब के कारणों को सविस्तार बताते हुए सरकार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। सरकार, तत्पश्चात् ऐसे निर्देश दे सकती है जैसे वह भविष्य में बेहतर अनुपालन के लिए उचित समझे।

(2) किसी परीक्षा का कोई परिणाम केवल इस कारण से अवैध नहीं माना जाएगा कि विश्वविद्यालय ने धारा 39 और 40 में यथा नियत परीक्षा कार्यक्रम का अनुपालन नहीं किया है।

(3) विश्वविद्यालय परीक्षा परिणामों की घोषणा के छः माह के भीतर छात्रों को उपाधियां जारी करेगा।

दीक्षान्त समारोह

41. प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में विश्वविद्यालय का दीक्षान्त समारोह ऐसी रीति में आयोजित होगा जैसा कि परिनियमावली द्वारा उपाधियों, डिप्लोमा या किसी अन्य प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट किया गया है।

विश्वविद्यालय का प्रत्यायन

42. विश्वविद्यालय अपनी स्थापना के पांच वर्षों के भीतर नेशनल काउंसिल ऑफ असेसमेन्ट एंड एक्रिडिटेशन से प्रत्यायन प्राप्त करेगा और सरकार को तथा ऐसे अन्य विनियामक निकायों को, जो विश्वविद्यालय द्वारा चलाये गये पाठ्यक्रमों से सम्बन्धित हैं, एन0ए0ए0सी0 द्वारा विश्वविद्यालय को प्रदत्त श्रेणी के बारे में सूचित करेगा, और विश्वविद्यालय प्रत्येक पांच वर्षों के अंतराल पर तत्पश्चात् ऐसे प्रत्यायन का पुनः नवीनीकरण करायेगा।

विश्वविद्यालय द्वारा विनियामक निकायों के नियमों, विनियमों, मानकों इत्यादि का अनुपालन

43. इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय विनियामक निकायों के सभी नियमों, विनियमों, मानकों इत्यादि के अनुपालन के लिए बाध्य होगा और वह ऐसे निकायों को ऐसी सभी सुविधाएं और सहायता उपलब्ध करायेगा जो उनको अपने कर्तव्यों के निर्वहन और कृत्यों को करने के लिए अपेक्षित हों।

वार्षिक रिपोर्ट

44. विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन प्रबंध-तंत्र द्वारा तैयार किया जाएगा जिसमें अन्य विषयों के साथ-साथ विश्वविद्यालय द्वारा अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उठाये गए कदमों का उल्लेख किया जायेगा और उसकी प्रति कुलाध्यक्ष, सरकार और प्रायोजक निकाय को प्रस्तुत की जाएगी।

वार्षिक लेखा एवं लेखा परीक्षा

45. (1) विश्वविद्यालय के तुलन-पत्र सहित वार्षिक लेखा शासी निकाय के निर्देशाधीन बनाया जायेगा और विश्वविद्यालय द्वारा इस प्रयोजनार्थ नियुक्त लेखा परीक्षकों द्वारा प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार वार्षिक लेखों का लेखा परीक्षण किया जाएगा। कोई संपरीक्षक तीन वर्ष से अधिक के लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा।

(2) लेखा परीक्षा रिपोर्ट सहित वार्षिक लेखों की एक प्रति शासी निकाय के प्रेक्षणों सहित कुलाध्यक्ष, सरकार तथा शासी निकाय को प्रस्तुत की जाएगी।

(3) विश्वविद्यालय के लेखों और लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर कुलाध्यक्ष और सरकार का परामर्श, यदि कोई हो, शासी निकाय के समक्ष रखा जाएगा और शासी निकाय उसे प्रायोजक निकाय को प्रस्तुत करेगा जो ऐसे निर्देश जारी करेगा जो वह उचित समझे और उसका अनुपालन उसे बताया जायेगा, तथा अनुपालन आख्या की एक प्रति यथास्थिति, कुलाधिपति या सरकार को भेजी जाएगी।

विश्वविद्यालय के निरीक्षण हेतु राज्य सरकार की शक्तियां

46. (1) शिक्षण परीक्षा और अनुसंधान या विश्वविद्यालय से सम्बन्धित किसी अन्य मामले के स्तर के विनिश्चय के प्रयोजनार्थ सरकार, अध्यक्ष के परामर्श से, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा जैसा वह उचित समझे, यथा विहित रीति में निर्धारण करा सकती है।

(2) सरकार ऐसे निर्धारण के परिणाम सम्बन्धी अपनी संस्तुतियों को सुधारात्मक कार्यवाही हेतु विश्वविद्यालय को संसूचित करेगी और विश्वविद्यालय द्वारा संस्तुतियों के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक सभी उपाय किये जायेंगे।

(3) सरकार प्रत्येक 5 वर्षों पर विश्वविद्यालय के अनुसंधान मानकों, शिक्षण एवं परीक्षा के सम्बन्ध में किसी स्वतंत्र अभिकरण से अनिवार्यतः एक पुनरीक्षण करायेगी और ऐसे पुनरीक्षण के आधार पर सरकार द्वारा की गई संस्तुतियां विश्वविद्यालय पर बाध्यकारी होंगी।

(4) यदि विश्वविद्यालय, उपधारा (2) या (3) में की गई संस्तुतियों का युक्तियुक्त समय के भीतर अनुपालन करने में विफल रहता है तो सरकार ऐसे निर्देश दे सकती है जैसा वह उचित समझे और जो विश्वविद्यालय पर बाध्यकारी होगा।

प्रायोजक निकाय द्वारा विश्वविद्यालय का विघटन

47. (1) प्रायोजक निकाय सरकार को, विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को और छात्रों को कम से कम एक वर्ष पहले से इस आशय की सूचना देते हुए विश्वविद्यालय का विघटन कर सकता है :

परन्तु विश्वविद्यालय का विघटन तभी प्रभावी होगा जबकि नियमित पाट्यक्रमों के छात्रों के अंतिम दल (बैच) अपना पाट्यक्रम पूर्ण कर चुके हों और उन्हें यथास्थिति, उपविधियां, डिप्लोमा और अवार्ड प्रदान कर दिये गये हों।

(2) विश्वविद्यालय के विघटन पर उसकी सभी आस्तियां और दायित्व प्रायोजक निकाय में निहित हो जायेंगे।

कतिपय मामलों में सरकार की विशेष शक्तियां

48. (1) यदि कुलाध्यक्ष या सरकार को किसी समय यह प्रतीत होता है कि विश्वविद्यालय ने इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमावली का उल्लंघन किया है या इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा दिये गये किन्हीं निर्देशों का उल्लंघन किया है या धारा-5 व. उपधारा (1) के अधीन दिये गये सभी या किन्हीं वचनबंधों को पूरा करना बंद कर दिया है या विश्वविद्यालय में वित्तीय दुष्प्रबंधन या कुप्रशासन की स्थिति उत्पन्न हो गई है, तो वह एक कारण बताओ नोटिस जारी करेगी कि विश्वविद्यालय पैंतालीस दिनों के भीतर कारण बताये कि क्यों न उसके विरुद्ध परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जाए ;

(2) उपधारा (1) के अधीन जारी नोटिस का उत्तर प्राप्त हो जाने पर, यदि कुलाध्यक्ष या राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि विश्वविद्यालय ने इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों का या तद्धीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमावली का उल्लंघन किया है, या इस अधिनियम के अधीन जारी किन्हीं निर्देशों का उल्लंघन किया है या धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन दिये गए सभी या किन्हीं वचनबंधों को पूरा करना बंद कर दिया है या विश्वविद्यालय में वित्तीय दुष्प्रबंधन या कुप्रशासन की स्थिति उत्पन्न हो गई है तो वह ऐसी जांच का आदेश दे सकती है जैसा वह आवश्यक समझे;

(3) उपधारा (2) के अधीन किसी जांच के प्रयोजनार्थ, राज्य सरकार किन्हीं आरोपों की जांच करने और उस पर अपनी रिपोर्ट देने के लिये जांच अधिकारी या अधिकारियों की नियुक्ति कर सकती है जो सरकार के विशेष सचिव से अन्यून स्तर के न होंगे ;

(4) उपधारा (3) के अधीन नियुक्त जांच अधिकारी या अधिकारीगणों की निम्नलिखित मामलों के सम्बन्ध में वाद विचारण के दौरान वही शक्तियां होंगी जो दंड प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन सिविल न्यायालय में निहित होती है; अर्थात् :-

(क) किसी व्यक्ति को उपस्थित होने और शपथपूर्वक परीक्षण किये जाने के लिए उसको बुलाना (सम्मन करना);

(ख) किसी ऐसे दस्तावेज या अन्य सामग्री की खोज और प्रस्तुतीकरण जो साक्ष्य के लिये प्रस्तुत किये जाने योग्य हो;

(ग) किसी न्यायालय या कार्यालय से कोई सार्वजनिक अभिलेख की मांग करना; और

(घ) कोई अन्य मामला जो विहित किया जाय।

(5) इस अधिनियम के अधीन जांच करने वाले जांच अधिकारी या अधिकारीगण दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 195 और अध्याय 26 के प्रयोजनार्थ सिविल न्यायालय माने जायेंगे।

(6) उपधारा (3) के अधीन नियुक्त अधिकारी या अधिकारियों से जांच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर, यदि राज्य सरकार का समाधान हो जाता है कि विश्वविद्यालय ने इस अधिनियम के सभी या किन्हीं उपबंधों या तद्धीन बनाये गये नियमों, परिनियमों या अध्यादेशों का उल्लंघन किया है या इस अधिनियम के अधीन जारी किन्हीं निर्देशों का उल्लंघन किया है या धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन दिये गये सभी या किन्हीं वचनबंधों को पूरा करना बंद कर दिया है या विश्वविद्यालय में द्वितीय दुष्प्रबंधन या कुप्रशासन की स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे विश्वविद्यालय के शैक्षिक स्तर को खतरा हो तो वह विश्वविद्यालय के विघटन का आदेश जारी कर देगी और प्रशासक नियुक्त करेगी।

(7) उपधारा (6) के अधीन नियुक्त प्रशासक को सभी शक्तियां होंगी और वे इस अधिनियम के अधीन शासी निकाय के सभी कर्तव्यों के अध्यधीन होंगी और विश्वविद्यालय के कार्य-कलापों को तब

तक प्रशासित करेगा जब तक कि नियमित पाठ्यक्रमों के छात्रों का अंतिम दल अपने पाठ्यक्रम पूरा न कर लें और उन्हें, यथास्थिति उपाधियां, डिप्लोमा और अवार्ड प्रदान न कर दिये जायें।

(8) यदि विश्वविद्यालय की निधियां विश्वविद्यालय के अपेक्षित व्ययों के पूरा करने के लिये पर्याप्त न हों तो प्रशासक, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से उक्त व्ययों को पूरा करने के लिये विश्वविद्यालय की आस्तियों या सम्पत्ति का निस्तारण कर सकता है।

(9) नियमित पाठ्यक्रमों के छात्रों के अंतिम दलों को, यथास्थिति, उपाधियां, डिप्लोमा और अवार्ड प्रदान कर दिये जाने के बाद, प्रशासक इस आशय की रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजेगा।

(10) उपधारा (9) के अधीन रिपोर्ट की प्राप्ति पर, राज्य सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा विश्वविद्यालय के विघटन का आदेश जारी करेगी और ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से विश्वविद्यालय विघटित हो जाएगा और उसकी सभी आस्तियां और दायित्व ऐसे दिनांक से प्रायोजक निकाय में निहित हो जायेंगे।

प्रवेशों और नियुक्तियों में आरक्षण

49. (1) प्रत्येक विश्वविद्यालय को यह अनिवार्य होगा कि वह राज्य सरकार द्वारा आरक्षण के सम्बन्ध में सुसंगत उपबन्धों के अनुसार प्रवेशों और नियुक्तियों में आरक्षण लागू करे ;

(2) आरक्षण लागू न होने की स्थिति में, सरकार धारा 48 के अनुसार कार्यवाही कर सकेगी।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से खण्ड 49 तक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड 50

विद्यमान निजी विश्वविद्यालयों पर इस अधिनियम के कतिपय उपबन्धों का लागू होना

50. निम्नलिखित अधिनियमों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी इस अधिनियम के उपबंध तद्धीन स्थापित विश्वविद्यालयों पर आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे और ऐसे विश्वविद्यालयों के लिए इस अधिनियम के उपबंधों की अपेक्षाओं का अनुपालन एक वर्ष के भीतर करना आध्यकारी होगा -

(1) इन्टीग्रल विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 9, सन् 2004)

(2) एमिटी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 11 सन् 2005)

(3) मंगलायतन विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 32 सन् 2006)

(4) मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 19 सन् 2006)

(5) स्वामी विवेकानन्द सुभारती विश्वविद्यालय अधिनियम, 2008 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 29 सन् 2008)

(6) तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय अधिनियम, 2008 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 30 सन् 2008)

(7) शारदा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 14 सन् 2009)

(8) इनवर्टिस विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009

(9) जी0एल0ए0 विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 :

परन्तु यह कि इस अधिनियम की कोई बात विश्वविद्यालय को निम्नलिखित के सम्बन्ध में रोकने के लिए नहीं समझी जायेगी :-

(क) इन्ट्रीग्रल विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक समुदाय के आरक्षण के लिए, जो पचास प्रतिशत से अधिक न हो; समुचित उपबन्ध बनाने से, उसमें किसी अध्यापक या छात्र के रूप में प्रवेश देने से या किसी पद को धारण करने से, वहां पर उपाधि प्राप्त करने से;

(ख) तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय अधिनियम, 2008 के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय को पदों और कर्मचारियों की भर्ती और विश्वविद्यालय में अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश करने के लिए सीटों के आरक्षण में अल्पसंख्यक समुदाय से सम्बन्धित व्यक्तियों के आरक्षण के लिए, जो पचास प्रतिशत से अधिक न हो, समुचित उपबन्ध बनाने से।

श्री अध्यक्ष-

बृजेश सौरभ जी इस पर संशोधन रखें।

श्री बृजेश सौरभ-

माननीय अध्यक्ष जी उत्तर प्रदेश निजी निधिकृत विश्वविद्यालय (स्थापना एवं विनियमन) विधेयक, 2010 के खण्ड 50 में क्रमांक (1) से (9) पर उल्लिखित अधिनियमों के स्थान पर निम्नलिखित अधिनियम रख दिये जायं, अर्थात्:-

(1) उत्तर प्रदेश जगद्गुरू रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय अधिनियम, 2001 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 32 सन् 2001)

(2) इन्ट्रीग्रल विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 09 सन् 2004)

(3) एमिटी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2005 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 11 सन् 2005)

(4) मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 19 सन् 2006)

(5) मंगलायतन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 32 सन् 2006)

(6) स्वामी विवेकानन्द सुभारती विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 2008)

(7) तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 2008)

(8) शारदा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2009 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2009)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश निजी निधिकृत विश्वविद्यालय (स्थापना एवं विनियमन) विधेयक, 2010 के खण्ड-50 में क्रमांक (1) से (9) पर उल्लिखित अधिनियमों के स्थान पर निम्नलिखित अधिनियम रख दिये जायं, अर्थात्:-

(1) उत्तर प्रदेश जगद्गुरू रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय अधिनियम, 2001 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 32 सन् 2001)

(2) इन्ट्रीग्रल विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 09 सन् 2004)

(3) एमिटी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2005 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 11 सन् 2005)

(4) मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 19 सन् 2006)

(5) मंगलायतन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 32 सन् 2006)

(6) स्वामी विवेकानन्द सुभारती विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 2008)

(7) तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 2008)

(8) शारदा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2009 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2009)

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं स्वीकृत हुआ)

खण्ड-51

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति

51. (1) इस अधिनियम के उपबंधों के प्रर्वतन में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो सरकार गजट मे आदेश प्रकाशित कर उपबंध बना सकती है जो इस अध्यादेश से असंगत न होगे और जो कठिनाइयां दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों :

परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से 2 वर्षों के बाद इस धारा के अधीन कोई आदेश नही किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश अपने बनाये जाने के बाद यथा शीघ्र राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखा जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड 51 इस विधेयक का अंग माना जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुसूची, खण्ड 1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश निजी निधिकृत विश्वविद्यालय (स्थापना एवं विनियमन) विधेयक 2010

उच्च शिक्षा हेतु प्रदेश में निजी निधिकृत विश्वविद्यालयों की स्थापना निगमन और विनियमन के उद्देश्य से तथा उनके संचालन और उससे जुड़े अथवा अनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश निजी निधिकृत विश्वविद्यालय (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम, 2010 कहा जाएगा।

(2) यह ऐसे दिनांक से प्रवृत्त होगा जैसा राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

अनुसूची

(धारा-6 देखिए)

क्रम संख्या	विश्वविद्यालय का नाम	विश्वविद्यालय का स्थान
1	2	3

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुसूची, खण्ड 1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग मानें जायें?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश निजी निधिकृत विश्वविद्यालय (स्थापना एवं विनियमन) विधेयक, 2010 यथासंशोधित रूप में पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश निजी निधिकृत विश्वविद्यालय (स्थापना एवं विनियमन) विधेयक, 2010 यथासंशोधित रूप में पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग का प्रतिषेध विधेयक, 2010

व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा मंत्री (श्री सदल प्रसाद) -

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग का प्रतिषेध विधेयक, 2010 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

इस पर डॉ0 राधामोहन दास अग्रवाल, श्री जोखू लाल यादव, श्री अमरमणि त्रिपाठी किसी का संशोधन प्रस्तुत नही हुआ है, इसलिए मैं दूसरा प्रश्न उपस्थित कर रहा हूँ।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग का प्रतिषेध विधेयक, 2010 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड 2 से खण्ड 11 तक, खण्ड 1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग का प्रतिषेध विधेयक, 2010

शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग का प्रतिषेध करने और उससे सम्बन्धित एवं आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग का प्रतिषेध अधिनियम, 2010 कहा जाएगा।

परिभाषाएं

2-जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में-

(क) "मण्डलायुक्त" का तात्पर्य ऐसे मण्डलायुक्त से है जिसकी अधिकारिता में संस्था स्थित है और इसके अन्तर्गत अपर आयुक्त भी हैं;

(ख) "शैक्षणिक संस्था" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश में स्थित व किसी भी प्रकार की शिक्षा प्रदान कर रहे किसी विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय या किसी अन्य संस्था, जिसे किसी भी नाम से पुकारा जाय, से है और जिसके अन्तर्गत कोई अनाथालय या कोई बोर्डिंग या कोई हॉस्टल या कोई ट्यूटोरियल संस्था या कोई कोचिंग संस्था या उससे सम्बद्ध कोई अन्य परिसर भी है;

(ग) "संस्था का प्रधान" का तात्पर्य किसी विश्वविद्यालय के कुलपति, संकायाध्यक्ष, किसी संस्था के निदेशक या प्राचार्य या संस्था के प्रबन्ध के लिए उत्तरदायी किसी अन्य व्यक्ति से है;

(घ) "रैगिंग" का तात्पर्य किसी विद्यार्थी से कोई ऐसा कार्य करने या ऐसे कृत्य का सम्पादन करने, के लिए कहे जाने, शब्दों, इशारों या संकेत द्वारा किसी ऐसे कार्य को कराने, प्रलोभन देने, विवश करने, दबाव डालने से है जिससे किसी भी प्रकार से मानव गरिमा का ह्रास होता हो या उसका व्यक्तित्व दूषित होता हो या जिससे वह उपहास, अभित्रास, अन्यायपूर्ण नियन्त्रण, अन्यायपूर्ण परिरोध से पीड़ित होता हो और उसे क्षति पहुँचाने या उसे किसी प्रकार की धमकी या अभित्रास देने, अन्यायपूर्ण नियन्त्रण, अन्यायपूर्ण परिरोध करने या क्षति पहुँचाने या उस पर आपराधिक बल प्रयोग करने से है;

(ङ) "विद्यार्थी" का तात्पर्य किसी ऐसे विद्यार्थी से है जो किसी शैक्षणिक संस्था में अपना अध्ययन कर रहा हो/रही हो।

रैगिंग का प्रतिषेध

3-किसी शैक्षणिक संस्था के भीतर या उसके बाहर रैगिंग प्रतिषिद्ध है।

छात्र का निष्कासन/ शिकायत दर्ज किया जाना

4-(1) जब कभी कोई छात्र या यथास्थिति माता-पिता या अभिभावक या किसी शैक्षणिक संस्था का कोई अध्यापक रैगिंग के सम्बन्ध में शैक्षणिक संस्था के प्रधान को लिखित रूप में शिकायत करे तो सम्बन्धित शैक्षणिक संस्था का प्रधान शिकायत प्राप्त होने के सात दिन के भीतर शिकायत में उल्लिखित मामले की जाँच करेगा और यदि प्रथमदृष्टया यह सत्य पाया जाता है तो ऐसे छात्र को निष्कासित कर देगा जो अपराध का अभियुक्त हो और ऐसे क्षेत्र, जिसमें शैक्षणिक संस्था स्थित हो, में अधिकारिता रखने वाले पुलिस थाने में शिकायत को अग्रतर कार्यवाही हेतु तत्काल भेज देगा।

(2) जहाँ शैक्षणिक संस्था के प्रधान द्वारा जाँच किये जाने पर यह सिद्ध हो जाये कि उपधारा (1) के अधीन प्राप्त शिकायत में प्रथमदृष्टया कोई तथ्य नहीं है वहाँ शिकायतकर्ता को लिखित रूप में इस तथ्य से अवगत करा देगा।

रैगिंग के लिए शास्ति

5-जो कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी शैक्षणिक संस्था के भीतर या उसके बाहर रैगिंग करता है, उसमें भाग लेता है, दुष्प्रेरित करता है या उसका प्रचार करता है, उसे दो वर्ष तक के किसी भी प्रकार के कारावास या रुपये दस हजार तक के जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

छात्र का विवर्जन

6-धारा 5 के अधीन अपराध के लिए दोष सिद्ध किसी छात्र को विवर्जन के दिनांक से ऐसी अवधि के लिए जो पाँच वर्ष तक हो सकती है, किसी शैक्षणिक संस्था में दाखिल नहीं किया जायेगा।

अपील

7-धारा 4 के अधीन निष्कासित या धारा 6 के अधीन विवर्जित कोई छात्र सम्बन्धित अपील प्रभारी को आदेश के दिनांक से तीस दिन की अवधि के भीतर विहित रीति से अपील कर सकता है और ऐसी अपील में अपील प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा।

अपील प्राधिकारी

8-माध्यमिक स्तर तक शिक्षा प्रदान करने वाले किसी स्कूल या विद्यालय के मामले में मण्डलायुक्त, किसी सम्बद्ध महाविद्यालय के मामले में सम्बद्धक विश्वविद्यालय का कुलपति और किसी विश्वविद्यालय के मामले में कुलाधिपति धारा 4 के अधीन किसी छात्र के निष्कासन आदेश या धारा 6 के अधीन विवर्जन आदेश के विरुद्ध अपील प्राधिकारी होंगे।

अध्यारोही प्रभाव

9-इस अधिनियम से भिन्न किसी अधिनियम में या इस अधिनियम से भिन्न किसी अधिनियमन के आधार पर प्रभाव रखने वाले किसी लिखत में अन्तर्विष्ट किसी बात से संगत होते हुए भी इस अधिनियम के उपबन्ध प्रभावी होंगे।

नियम बनाने की शक्ति

10-राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

कठिनाइयों को दूर किया जाना

11-(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार अधिसूचित आदेश द्वारा, ऐसे उपबन्ध, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो, कर सकती है जो कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों:

परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष की अवधि के पश्चात् इस उपधारा के अधीन कोई आदेश नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश उसके किये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से खण्ड 11 तक खण्ड 1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग मानें जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री सदल प्रसाद–

मान्यवर, मै आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग का प्रतिषेध विधेयक, 2010 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग का प्रतिषेध विधेयक, 2010 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश पन्द्रहवीं विधान सभा की नियम समिति (2009–2010) का प्रथम प्रतिवेदन, जो सदन में दिनांक 04 फरवरी, 2010 को प्रस्तुत किया गया है, में समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों के सम्बन्ध में नियम 251 में प्राविधानित 14 दिन की कालावधि को वर्तमान सत्र के अन्तिम उपवेशन की कालावधि समझे जाने विषयक प्रस्ताव।

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)–

मान्यवर, मै एक प्रस्ताव रखना चाहता हूँ ।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, लाइये।

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, मै आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा संचालन नियमावली, 1958 के नियम 311 के अन्तर्गत यह प्रस्ताव करता हूँ कि उक्त नियमावली के संगत प्राविधानों को निलम्बित करते हुए उत्तर प्रदेश की पन्द्रहवीं विधान सभा की नियम समिति (2009–2010) का प्रथम प्रतिवेदन, जो सदन में दिनांक 04 फरवरी, 2010 को प्रस्तुत

किया गया है, में समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों के सम्बन्ध में नियम 251 में प्राविधानित 14 दिन की कालावधि को वर्तमान सत्र के अन्तिम उपवेशन की कालावधि समझा जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 1958 के नियम 311 के अन्तर्गत उक्त नियमावली के संगत प्राविधानों को निलम्बित करते हुए उत्तर प्रदेश की पन्द्रहवीं विधान सभा की नियम समिति (2009–2010) का प्रथम प्रतिवेदन, जो सदन में दिनांक 04 फरवरी, 2010 को प्रस्तुत किया गया है, में समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों के सम्बन्ध में नियम 251 में प्राविधानित 14 दिन की कालावधि को वर्तमान सत्र के अन्तिम उपवेशन की कालावधि समझा जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2010 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधनों पर विचार का प्रस्ताव

उच्च शिक्षा मंत्री डा० राकेशधर त्रिपाठी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2010 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधनों पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2010 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधनों पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

डा० राकेशधर त्रिपाठी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि यह सदन उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2010 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा किये गये संशोधनों से सहमत है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2010 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधनों से सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 15 फरवरी, 2010 को नियम 51 के अन्तर्गत कुल 46 सूचनायें प्राप्त हुई :–

पहली सूचना श्रीमती मिथिलेश पाल की मुजफ्फरनगर में इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत योजना की स्थायी प्रतीक्षा सूची को पेण्ट कराये जाने के सम्बन्ध में हैं,

दूसरी सूचना श्री माता प्रसाद पाण्डेय की सिद्वार्थनगर के पुनियांव एवं भवनापुर ब्लाक में नरेगा में किये गये अनिमितता की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में हैं,

तीसरी सूचना श्री जावेद अंसारी की मऊ के बुनकरों को मन्दी से बचाने एवं आत्महत्यों को रोकने के सम्बन्ध में हैं,

चौथी सूचना श्री प्रमोद तिवारी की प्रतापगढ़ के रामपुर कसिहा लिफ्ट कैनाल को चालू कराये जाने के सम्बन्ध में हैं,

पांचवी सूचना चौ० सत्येन्द्र सोलंकी की सहारनपुर के स्वास्थ्य विभाग में फर्जी चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्ति करने वाले के विरुद्ध जांच कराये जाने के सम्बन्ध में हैं,

छठी सूचना श्री अम्बिका चौधरी की इलाहाबाद के ग्राम धोकरी में जल निगम द्वारा ग्रामवासियों को पानी की सप्लाई न देने एवं उनके ऊपर बकाया धनराशि दिखाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है,

सांतवी सूचना श्री अनूप गुप्ता की नगरपालिका परिषद् सुल्तानपुर में भ्रष्ट अधिकारियों की मिली भगत से विधायक निधि से हुये कार्यों का भुगतान दुबारा कराये जाने के सम्बन्ध में हैं,

आठवीं सूचना श्री लाल जी यादव की सिद्धार्थनगर स्थित क्षतिग्रस्त सूपा राजा से चेतिया मार्ग को ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में हैं,

नवीं सूचना डॉ० पी०के० राय की कुशीनगर में खाद्यान्न माफियाओं द्वारा करोड़ों के घोटाले की सी०बी०आई० जांच कराये जाने के सम्बन्ध में हैं,

दसवीं सूचना श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह की प्रतापगढ़ के बेलखरनाथ धाम, पट्टी, आसपुरदेवसरा, मंगरौरा के अन्तर्गत ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा द्वारा पूर्वांचल विकास निधि के जिलांश एवं राज्यांश से बनाये गये क्षतिग्रस्त मार्गों को ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में हैं,

ग्यारहवीं सूचना श्रीमती सैय्यद सादाब फातिमा की गोरखपुर के ग्राम विशुनपुर मटियारा में फर्जी आवासीय एवं कृषि पट्टे पर दी गयी भूमि को निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में हैं,

बारहवीं सूचना श्री आरिफ अनवर हाशमी की बलरामपुर के बाजार साहदुल्ला नगर में किये गये अतिक्रमण को हटाये जाने के सम्बन्ध में हैं,

तेरहवीं सूचना श्री सुरेश चन्द्र तिवारी की लखनऊ स्थित छितवापुर भुईयन खटिकाना मोहल्ला में सीवर लाईन बिछाये जाने के सम्बन्ध में हैं,

चौदहवीं सूचना श्री कौकब हमीद खां की चक्रवात से कस्बा बागपत निवासी श्री भंवर सिंह के मकान के क्षतिग्रस्त होने के कारण उनके परिवार को आर्थिक सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में हैं,

पन्द्रहवीं सूचना श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा की सीतापुर के महमूदाबाद क्षेत्र के ग्रामों में बन्द पड़े नलकूपों को चालू कराये जाने के सम्बन्ध में हैं,

सोलहवीं सूचना श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ला की सिद्वार्थनगर के उस्का बाजार स्थित कूड़ा नदी पर बने पुराने रेलवे पुल को आवागमन हेतु चालू किये जाने के सम्बन्ध में हैं,

सत्तरहवीं सूचना श्री अशोक कंशल मुजफ्फरनगर स्थित शिव मूर्ति से झांसी चौक, एवं भोपा ओवर ब्रिज तक क्षतिग्रस्त सड़को की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में हैं,

अट्ठारहवीं सूचना श्री बैजनाथ दुबे की गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र कटरा बाजार के कतिपय ग्रामों में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में हैं,

उन्नीसवीं सूचना श्रीमती कृष्णाराज की शाहजहांपुर के बहादुरगंज विद्युत उपग्रह पर 10 एम०बी०ए० का ट्रांसफार्मर लगाये जाने के सम्बन्ध में हैं, तथा

बीसवीं सूचना श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव की उत्तर प्रदेश की मण्डी समितियों में कार्यरत कर्मचारियों की पदोन्नति एवं पंचम तथा षष्टम वेतनमान का लाभ दिलाये जाने के सम्बन्ध में प्राप्त सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

निम्नलिखित सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकृत हुईं :–

1–श्री विद्यासागर गुप्ता,
2–श्री प्रजापालन वर्मा,
3–श्री सत्यप्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले),
4–श्री शम्भू चौधरी,
5–डॉ० राधामोहन दास अग्रवाल,
6–श्री सुखलाल,
7–श्री जोखूलाल यादव,
8–श्री सुरेश कुमार खन्ना,
9–श्री अमर मणि त्रिपाठी,
10–श्री कृष्ण गोपाल पटेल,
11–श्री उदयभान करवरियां,
12–डॉ० आर०ए० उस्मानी,
13–श्रीमती विमलेश,
14–डॉ० अजय तोमर,
15–श्री इमरान मसूद,
16–श्री कुबेर सिंह,
17–श्री सुरेश्वर सिंह,
18–श्री आर०के० चौधरी,
19–श्री काशीराम,
20–श्री सर्वेश कुमार सिंह,
21–श्री दुर्गा प्रसाद यादव,
22–श्री राजेश कुमार गौतम,
23–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद,
24–श्री राम विशुन आजाद,
25–श्री अनूप सण्डा तथा
26–श्री रमापति।

प्रदेश में अनुदानित महाविद्यालयों में नियुक्त शिक्षकों को नियमित किये जाने के सम्बन्ध में श्री श्याम देव राय चौधरी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर उच्च शिक्षा मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (लाल जी वर्मा)–

मान्यवर, मा० सदस्य, विधान सभा, श्री श्यामदेव राय चौधरी

वस्त्रोद्योग एवं रेशम मंत्री (श्री जगदीश नारायण राय)–

यह वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इस वक्तव्य को पढ़ा हुआ मान लेते है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लालजी वर्मा [द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न पर ध्यान आकर्षित करते हुए अवगत कराया है कि प्रदेश के 345 वित्त पोषित महाविद्यालय के स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों में तैनात हजारों शिक्षक वर्षों से सेवा प्रदान करने के बाद भी विनियमित किये जाने का इन्तजार कर रहे हैं। विनियमित नहीं किये जाने से उनका भविष्य अधर में लटका हुआ है जबकि उच्च शिक्षा मंत्री जी द्वारा इस सम्बन्ध में कई बार शीघ्र ही विनियमित किये जाने हेतु अनुदानित महाविद्यालय व विश्वविद्यालय अनुमोदित शिक्षक संघ के प्रदेश शिक्षक प्रतिनिधि सम्मेलन में कर चुके हैं लेकिन अभी तक उक्त के सम्बन्ध में शासन स्तर पर आवश्यक प्रभावी कार्यवाही पूर्ण न करने के कारण हजारों शिक्षक अशासकीय महाविद्यालय के प्रबन्धकों द्वारा शोषण के शिकार होकर जीने को मजबूर है। उनकी प्रमुख मांगे हैं कि यू0जी0सी0 मानकों के अनुरूप वेतन का भुगतान तथा वेतन विसंगति दूर हो। सामूहिक बीमा योजना का लाभ मिले और पेपर सेटिंग, उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का अधिकार के साथ ही पेंशन विकल्प खोलने और चिकित्सा भत्ता आदि प्रदान किये जाने की है। उनकी मांगे न्यायोचित है, उच्च शिक्षा मंत्री द्वारा आश्वासन भी दिया गया है जिसे अविलम्ब अमलीजामा पहनाये जाने हेतु शासन स्तर पर प्रभावी कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं। उक्त मामले पर सरकार से वक्तव्य देने की मांग की गयी है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु मानकों का निर्धारण विषयक निर्गत शासनादेश संख्या–1960/सत्तर–2–97–2 (85)/97, दिनांक 11 नवम्बर, 1997, शासनादेश संख्या–4228ए/सत्तर–2–99–2(85)/97, दिनांक 30 अक्टूबर, 1999 शासनादेश संख्या–2443/सत्तर–2–2000–2(85)/97, दिनांक 09 मई, 2000, शासनादेश संख्या–5803/सत्तर–2–2005–2(85)/97, दिनांक 17 जनवरी, 2006 एवं शासनादेश संख्या–5699/सत्तर–2–2007–2(85)/97, दिनांक 11 जनवरी, 2008 में सहायता प्राप्त अशासकीय स्नातक एवं स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम में कार्यरत शिक्षकों की चयन प्रक्रिया, उनके वेतन निर्धारण एवं अर्हताआं के सम्बन्ध में मुख्य रूप से निम्नलिखित व्यवस्था है :–

(1) स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों में अध्यापकों के चयन के लिए विशेषज्ञ का नामांकन विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा। चयन का अनुमोदन विश्वविद्यालय से कराया जायेगा, जिससे चयनित व्यक्ति के सम्बन्ध में सूचना विश्वविद्यालय में भी उपलब्ध हो जायेगी। विश्वविद्यालय के कुलपति कार्यपरिषद् के अनुमोदन से प्रत्येक विषय के लिए विशेषज्ञों का पैनल बनायेंगे।

नोट [ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्रबन्धतंत्र को जिस विषय में अध्यापक का चयन कराना हो इन पैनल में से विशेषज्ञों का चयन प्रबन्धतंत्र द्वारा कर लिया जायेगा।

(2) संस्था को छात्रों के शिक्षण शुल्क से प्राप्त होने वाली आय का 75 से 80 प्रतिशत भाग संस्था द्वारा वेतन मद में खर्च किया जायेगा। परन्तु अध्यापकों को दिये जाने वाले वेतन तथा वेतनमान के सम्बन्ध में वचनबद्धता (कमिटमेण्ट) न किया जाय। अध्यापकों को देय वेतन शिक्षण शुल्क की मात्रा पर निर्भर करेगा।

(3) स्ववित्त पोषित संस्थाओं के शिक्षकों के लिए अर्हताएं व शर्तें वहीं होगी, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित है।

(4) अध्यापकों के लिए अंशदायी भविष्य निधि (कान्ट्रीब्यूटरी फण्ड) अनिवार्य रूप से लागू की जाय।

(5) स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति पांच वर्ष की संविदा पर की जायेगी। संविदा की अवधि समाप्त हो जाने के बाद प्रबन्धतंत्र द्वारा फिर से चयन की कार्यवाही प्रारम्भ करते समय पूर्व से कार्यरत ऐसे व्यक्ति के नाम पर निश्चित रूप से विचार किया जायेगा। जिसका कार्य व आचरण संतोषजनक हो तथा जिनके विरुद्ध कोई अनुशासनहीनता का मामला प्रचलित न हो। ऐसे व्यक्ति की संविदा का अगले पांच वर्ष के लिए नवीनीकरण किया जायेगा तथा उसे साक्षात्कार में सम्मिलित होने या विश्वविद्यालय से अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी। इन महाविद्यालयों में नियुक्त शिक्षक, संस्था के प्रबन्धतंत्र को तीन माह का नोटिस देकर सेवा से त्याग–पत्र दे सकता है। यदि प्रबन्धतंत्र शिक्षक के शिक्षण कार्य से संतुष्ट न हो तो वे अनुशासनिक कार्यवाही कर सम्बन्धित शिक्षक को सेवा से हटा सकते है किन्तु अनुशासनिक कार्यवाही की स्थिति में कुलपति का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा।

3–इस सम्बन्ध में यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रदेश की कठिन अर्थोपाय के दृष्टिगत प्रदेश में उच्च शिक्षा की आवश्यकता की पूर्ति किये जाने हेतु स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों को संचालित किये जाने का प्राविधान किया गया है। यह पाठ्यक्रम अल्प अवधि के हो सकते हैं एवं उपयोगिता के आधार पर कभी भी समाप्त किये जा सकते है। अतः इनमें कार्यरत शिक्षकों की कार्य अवधि उनके संचालन पर निर्भर रहती है। इसी कारण इनके लिए अधिकतम 05 वर्ष की अवधि तक का प्राविधान है।

अतएव उक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में यह स्पष्ट है कि प्रदेश के अनुदानित महाविद्यालयों में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत संचालित पाठ्यक्रमों में नियुक्त शिक्षकों को नियमित किये जाने के सम्बन्ध में वर्तमान में उपलब्ध शासनादेशों में कोई प्राविधान/व्यवस्था नहीं है]

प्रदेश के विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों का जनवरी, 2006 से वेतन बकाये का भुगतान न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डॉ0 अजय तोमर द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर उच्च शिक्षा मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)–

मान्यवर, मा0 सदस्य डॉ0 अजय तोमर द्वारा नियम 51 के .....

वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री–(श्री जगदीश नारायण राय)–

मान्यवर यह वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इस वक्तव्य को पढ़ा हुआ मान लेते है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लालजी वर्मा–

[अन्तर्गत दी गयी सूचना में लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न पर ध्यान आकर्षित करते हुए अवगत कराया है कि "विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली ने विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को 6ठवें वेतनमान की संस्तुतियों का लाभ 01 जनवरी, 2006 से दिये जाने की संस्तुति की है।

उत्तर प्रदेश शासन अपने अधिकांश कर्मचारियों, प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों, शिक्षणेत्तर कर्मियों तथा विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों के शिक्षणेत्तर कर्मियों को 6ठें वेतनमान का वास्तविक लाभ 01 जनवरी, 2006 से देते हुए 01 जनवरी, 2006 से ही एरियर का भुगतान कर रही है।

लेकिन विश्वविद्यालयों एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों को शासन के 28 फरवरी, 2009 के आदेश के तहत वास्तविक लाभ 01 दिसम्बर, 2008 से देते हुए काल्पनिक लाभ 01 जनवरी, 2006 से दिसम्बर, 2008 तक का एरियर का भुगतान न करने का निर्णय लिया गया है।

यह आश्चर्यजनक है कि शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को जिनका समस्त भुगतान राज्य कोष से होता है उन्हें तो शासन 01 जनवरी, 2006 से एरियर दे रही है। और दूसरी ओर विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के शिक्षकों के वेतनमान का प्रथम 5 वर्षों तक 80 प्रतिशत भुगतान यू0जी0सी0 द्वारा किये जाने के प्राविधान के बावजूद उन्हें 01 जनवरी, 2006 से एरियर नहीं दे रही है।

यह भी सूच्य है कि यू0जी0सी0 ने सभी स्वीकृत पदों के सापेक्ष प्रदेश को 80 प्रतिशत भुगतान कर दिया जबकि प्रदेश के विश्वविद्यालयों में 750 व महाविद्यालयों में 4500 पद रिक्त है। इनका भी अनुदान आया हुआ है। जिसका समायोजन इन अवशेष 20 प्रतिशत के सापेक्ष भी यू0जी0सी0 से अनुमति ले भुगतान किया जा सकता है। जिससे प्रदेश पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार भी नहीं पड़ेगा।" उक्त मामले पर सरकार से वक्तव्य देने की मांग की गयी है।

2–इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा नियंत्रित राज्य विश्वविद्यालयों (कृषि विश्वविद्यालय, चिकित्सा विश्वविद्यालय एवं प्राविधिक विश्वविद्यालय को छोड़कर) तथा उनके सम्बद्ध एवं सहयुक्त राजकीय/अशासकीय महाविद्यालयों (सम्पर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी से सम्बद्ध महाविद्यालयों को छोड़कर) के वेतन संदाय पर नियुक्त पूर्णकालिक शिक्षकों एवं सहायक पुस्तकालयाध्यक्षकों/

नोट [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उपपुस्तकालयाध्यक्षों/पुस्तकालयाध्यक्षों को शासनादेश दिनांक 28 फरवरी, 2009, शासनादेश दिनांक 13 मई, 2009 एवं शासनादेश दिनांक 17 जुलाई, 2009 द्वारा पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ दिनांक 01–01–2006 से काल्पनिक रूप से स्वीकृत करते हुए वेतनमान निर्धारित करते हुए पुनरीक्षित वेतनमान का वास्तविक लाभ/नगद भुगतान दिनांक 01–12–2008 से तथा राज्य सरकार के कर्मचारियों की भांति अन्य भत्ते दिये जाने के सम्बन्ध में आदेश पूर्व में ही निर्गत किये जा चुके है।

3–तत्क्रम में यह भी अवगत कराना है कि राज्य विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के यू0जी0सी0 वेतनमान से आच्छादित पदों पर पूर्णकालिक शिक्षकों को दिनांक 01–01–2006 से पुनरीक्षित वेतनमान के एरियर के भुगतान का प्रकरण विचाराधीन है।]

मथुरा एवं महामायानगर में इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत हो रहे भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में डा0 अनिल चौधरी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)–

मान्यवर, पूरे प्रदेश सहित जनपद मथुरा एवं महामायानगर.....

वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री–(श्री जगदीश नारायण राय)–

मान्यवर यह वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इस वक्तव्य को पढ़ा हुआ मान लेते है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लाल जी वर्मा–

[में इन्दिरा आवास योजना के क्रियान्वयन में भारी भ्रष्टाचार की शिकायत की गयी है। सम्बन्धित जनपद के अधिकारियों के संज्ञान में लाने के बाद भी कोई कार्यवाही दृष्टिगोचर नहीं होती है। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार इन्दिरा आवास योजना की स्थायी प्रतीक्षासूची ग्राम पंचायतों में दीवारों पर पेन्ट कराकर सूची के अवरोही क्रमानुसार आवंटन किया जाना चाहिए परन्तु उक्त दोनों जनपदों में उक्त सूची को ग्राम पंचायतों में पेन्ट नहीं कराया गया है। जिससे अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा योजना के लाभार्थियों को फुसलाकर भ्रष्टाचार का अवसर प्राप्त कर लिया जाता है। अतः उक्त स्थायी प्रतीक्षासूची का पेन्ट कराया जाना आवश्यक है।

इन्दिरा आवास योजना भारत सरकार द्वारा संचालित आवासीय योजना है जिसमें 75 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 25 प्रतिशत राज्यांश शामिल है। इस योजना में की गयी व्यवस्थानुसार प्रदेश के सभी जनपदों में बी0पी0एल0 सूची 2002 के आधार पर ऐसे परिवारों को छोड़ते हुए

नोट [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जिनके पास पूर्व से आवास उपलब्ध है अथवा अपात्र है, जनपद के खण्ड विकास अधिकारियों द्वारा एक प्रतीक्षासूची अवरोही क्रम में बनायी गयी है। तद्नुसार जनपद मथुरा एवं महामायानगर में भी आवासों का आवंटन किया जा रहा है और किसी भी दशा में उक्त वरीयताक्रम का अवक्रमण नहीं किया जा रहा है। उक्त सूची ग्राम पंचायतों में पेन्ट भी करायी गयी है। समय–समय पर इन्दिरा आवास योजना में भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में की गयी शिकायतों की त्वरित जांच कर उन पर प्रभावी कार्यवाही की जाती है। इस प्रकार अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा योजना के लाभार्थियों को फुसलाकर भ्रष्टाचार उत्पन्न होने की कोई सम्भावना नहीं रह जाती है। शासन स्तर से भी इस सम्बन्ध में समस्त जिलाधिकारियों/मुख्यविकास अधिकारियों को आवश्यक निर्देश निर्गत किये गये हैं ताकि भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड एवं प्रक्रियानुसार उक्त आवासों का पात्र लाभार्थियों को आवंटित करते समय किसी भी प्रकार की अनियमितता की कोई सम्भावना न रहे।]

जनपद मिर्जापुर स्थित जरगो नदी, गढ़ई नदी एवं कलकलिया नाला पर निर्माणाधीन अधूरे पुलों का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ओम प्रकाश सिंह द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)–

मान्यवर, जनपद मीरजापुर स्थित जरगों नदी, गड़ई नदी .....

वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री जगदीश नारायण राय)–

मान्यवर, यह वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इस वक्तव्य को पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लाल जी वर्मा–

[एवं कलकलिया नाला पर निर्माणाधीन अधूरे पुलों का कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ओम प्रकाश सिंह मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 10.2.2010 को नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना निम्नवत् है:–

"जनपद–मिर्जापुर के ब्लाक राजगढ़ स्थित जरगों नदी पर नुआंव का पुल, ब्लाक जमालपुर स्थित ग्राम वियरही में गड़ई नदी पर वियरही पुल तथा ब्लाक नारायणपुर स्थित कलकलिया नाला पर बेलवारी का पुल का निर्माण कार्य धनाभाव में विगत दो वर्षों से अधूरा पड़ा है। उक्त तीनों ही पुलों के निर्माण हेतु प्रथम किश्त अवमुक्त कर दी गयी थी जिसका उपयोग करके निर्माण कराया गया। शेष कार्य अधूरा है। इस सम्बन्ध में मेरे द्वारा सम्बन्धित विभाग से पत्राचार भी किया गया जिसके उपरान्त कार्य पूरा कराने हेतु मुझे आश्वस्त भी किया गया है। परन्तु खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि आश्वासन के उपरान्त भी न आवश्यक धन आवंटित हुआ न निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया गया। उपरोक्त तीनों पुलों के निर्माण से जहां एक

नोट [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

ओर तो ग्रामीण जनता को आवागमन में कठिनाई हो रही है वहीं दूसरी ओर निर्माण कार्य अधूरा रहने से स्थानीय नागरिकों में सरकार के प्रति आक्रोश उत्पन्न हो रहा है।" प्रकरण में सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए वक्तव्य की मांग की गयी है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद मिर्जापुर में चौकिया मार्ग पर जरगों नदी पर नुआंव का पुल की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या–2666पू0वि0नि0/23–14–06–6(2)मिर्जापुर/06 दिनांक 10.10.2008 द्वारा पूर्वान्चल विकास निधि (राज्यांश) योजनान्तर्गत परियोजना की कुल लागत रु0 284.66 लाख पर प्रदान करते हुए इसके सापेक्ष रु0 113.86 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई है। इस 133 मीटर लम्बे प्रश्नगत सेतु का निर्माण जुलाई, 2008 में प्रारम्भ किया गया था। वर्तमान में सेतु की भौतिक प्रगति 24 प्रतिशत है। इसके अतिरिक्त 3.50 कि0मी0 लम्बाई के अतिरिक्त पहुंच मार्ग के सापेक्ष 3.00 कि0मी0 अतिरिक्त पहुंच मार्ग का निर्माण भी पूर्ण करा दिया गया है। कार्य को पूर्ण कराये जाने हेतु परियोजना की पुनरीक्षित आगणन गठित करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। पुनरीक्षित आगणन की स्वीकृति के उपरान्त परियोजना की अवशेष धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

जनपद मिर्जापुर में गड़ई नदी पर वियरही का पुल की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृत शासनदेश संख्या–1286पू0वि0नि0/23–14–06–6(1)मिर्जापुर/06 दिनांक 18.5.06 द्वारा पूर्वान्चल विकास निधि (राज्यांश) योज़नान्तर्गत परियोजना की कुल लागत रु0 142.13 लाख पर प्रदान करते हुए इसके सापेक्ष रु0 71.06 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई है। इस 58.40 मीटर लम्बे सेतु का निर्माण माह फरवरी, 2008 में प्रारम्भ किया गया है। वर्तमान में सेतु की भौतिक प्रगति 65 प्रतिशत है। परियोजना की पुनरीक्षित आगणन गठित करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। पुनरीक्षित आगणन की स्वीकृति के उपरान्त परियोजना की अवशेष धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

जनपद मिर्जापुर में कलकलिया नदी पर बेलवारी विजुरका के पास 3 गुणे 5 मीटर स्पान का आर0आर0सी0 रपटा पुल एवं 1.20 कि0मी0 लम्बाई में सम्पर्क मार्ग के निर्माण किया जाना है। प्रश्नगत योजना की शासनादेश संख्या 2666पू0वि0नि0/23–14–06–6(2)मिर्जापुर/06 दिनांक 10.10.2008 द्वारा रु0 34.53 लाख की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए इसके सापेक्ष रु0 13.81 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई है। वर्मतान में रपटे के निर्माण के सापेक्ष 3 गुणे 5 मीटर स्पान में पीयर एवं एवटमेंट का कार्य पूर्ण है तथा 1.20 कि0मी0 सम्पर्क मार्ग के सापेक्ष 1.10 कि0मी0 लम्बे मार्ग में टापकोट तक की कुटाई का कार्य पूर्ण है। वित्तीय वर्ष 2009–10 में चालू कार्य हेतु प्रश्नगत योजना में धनराशि उपलब्ध नहीं है। अतः वित्तीय वर्ष 2010–11 में अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने पर नियमानुसार विचार किया जा सकेगा।]

लखनऊ नगर स्थित मनकामेश्वर शिव मन्दिर में हुई चोरी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री हुकुम सिंह द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)–

मान्यवर, प्रकरण में पुलिस उपमहानिरीक्षक, लखनऊ .....

वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री जगदीश नारायण राय)–

मान्यवर, यह वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इस वक्तव्य को पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लालजी वर्मा–

[से प्राप्त आख्यानुसार दिनाक 17–01–2010 को वादिनी महन्त देव्यागिरि, नि0–मनकामेश्वर मंदिर थाना हसनगंज, लखनऊ द्वारा सूचना दी गयी कि मनकामेश्वर मन्दिर में शिवलिंग पर चढ़ा चांदी का पत्तर करीब 60 किलो रात्रि में समय 01.00 बजे से 04.30 बजे के मध्य अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर लिया है। इस सूचना पर थाना हसनगंज लखनऊ में मु0अ0सं0–23/10धारा 457/380 भा0दं0वि0 के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक हसनगंज द्वारा की जा रही है।

उपरोक्त अपराध के सफल अनावरण हेतु मंदिर परिसर में स्थित सीसीटीवी कैमरों पर उपलब्ध फुटेज के आधार पर छानबीन की जा रही है। आपराधिक तत्वों एवं सूत्रों से पूछताछ का क्रम जारी है। उक्त अपराध की गम्भीरता व संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुए अपर पुलिस अधीक्षक ट्रान्सगोमती एवं क्षेत्राधिकारी महानगर के निकट पर्यवेक्षण में अनावरण के सभी संभव प्रयास किये जा रहे हैं।

जनपद सुल्तानपुर के ग्राम पंचायत सत्थिन में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद तिवारी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)–

मान्यवर, मा0 सदस्य द्वारा 51 के अन्तर्गत दिनांक 10.02.2010 को .....

वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री जगदीश नारायण राय)–

मान्यवर, यह वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इस वक्तव्य को पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लालजी वर्मा–

[यह सूचना दी गई कि जनपद सुल्तानपुर के विकास खण्ड बाजार शुकुल के अन्तर्गत ग्राम पंचायत सत्थिन में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन का निर्माण विगत 13 वर्षों से किया जा रहा है किन्तु अभी तक भवन का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका है। इस चिकित्सालय की दूरी विकास खण्ड बाजार शुकुल से लगभग 15 किमी0 है। भवन का निर्माण

नोट [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पूरा न होने के कारण जहां क्षेत्रीय लोगों को सुचारू रूप से चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पा रही है वहीं चिकित्सक एवं अन्य कर्मचारियों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है तथा चिकित्सा कार्य भवन के अभाव में बाधित हो रहा है। चिकित्सालय के भवन का निर्माण कार्य काफी अर्से से चलने के बावजूद अभी तक पूर्ण न होने के कारण लागों में असंतोष तथा चिन्ता व्याप्त है। और लोग सुचारू रुप से होने वाले चिकित्सीय सुविधा से वंचित है। जनहित में उपरोक्त चिकित्सालय के भवन का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा कराया जाना आवश्यक है जिससे जहां लोगों को अच्छी चिकित्सा सुविधा मिल सके वहीं वहां पर कार्यरत चिकित्सकों एवं अन्य कर्मचारियों को परेशानियों का सामना न करना पड़े अन्यथा इसका प्रतिकूल प्रभाव चिकित्सा कार्यो पर पड़ रहा है। अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए वक्तव्य की मांग की गई है।

इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सथिन जनपद सुल्तानपुर के भवन निर्माण की स्वीकृति शासनादेश दिनांक 28.08.98 के द्वारा निर्माण कार्य की लागत रू० 32.21 लाख को अनुमोदित करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू० 15.39 लाख अवमुक्त हुआ था। मूल स्वीकृति के सापेक्ष अवशेष रु० 16.82 लाख वर्ष 1999–2000 में अवमुक्त कर दी गई थी। सी०एण्ड डी० एस० जल निगम को निर्माण एजेंसी चयनित किया गया। उक्त के अतिरिक्त निर्माण कार्य की पुनरीक्षित स्वीकृति शासनादेश दिनांक 12–08–2005 द्वारा रु० 7.31 लाख की प्रदान की गयी है।

यह भी उल्लेखनीय है कि जनपद स्तर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं जिला अधिकारी तथा मण्डल स्तर पर मण्डलायुक्त द्वारा बैठक आयोजित की गयी तथा कार्यदायी संस्था सी०एण्ड डी० एस० जल निगम के विरुद्ध निर्माण कार्यो को समय से पूर्ण न किये जाने एवं शासकीय धन के दुरुपयोग के आरोप में थाना बाजार शुकुल तहसील मुसाफिरखाना जनपद सुल्तानपुर में दिनांक 01–10–07 को मुकदमा संख्या 488/07, धारा 409 आई०पी०सी० के तहत पंजीकृत है।

निर्माण कार्य की भौतिक प्रगति निम्नवत् है :–

1–मुख्य भवन 90 प्रतिशत, चिकित्सा अधिकारी आवास, 75 प्रतिशत, श्रेणी–2 आवास 02 नग–75 प्रतिशत, श्रेणी–1 आवास 02 नग–90 प्रतिशत, जलापूर्ति–50 प्रतिशत, चहारदीवारी–प्रारम्भ नहीं।

निर्माण एजेन्सी को निर्माण कार्य माह अप्रैल 2010 तक पूर्ण किये जाने हेतु निर्देश दे दिये गये हैं।]

वाराणसी में एल0पी0जी0 ईधन गैस का अभाव, कालाबाजारी एवं कम तौल से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री श्याम देव राय चौधरी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर खाद्य एवं रसद मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)–

मान्यवर, आजकल प्रत्येक घर में ईधन गैस सिलेण्डर .....

वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री जगदीश नारायण राय)–

मान्यवर, यह वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इस वक्तव्य को पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

लालजी वर्मा–

[का ही उपयोग होता है लेकिन खेद का विषय है कि वितरकों द्वारा सिलेण्डरों का कृत्रिम अभाव उत्पन्न कर दिया गया है। प्रायः प्रत्येक एजेन्सी में एक से डेढ़ माह का बैकलॉग है ऐसा उपभोक्ताओं को बताया जा रहा है और उपभोक्ताओं को 20–25 दिन के बाद भी डिलीवरी नहीं मिल पर रही है। जबकि जन सूचना अधिकार के तहत मांगी गयी सूचना में इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन का कहना है कि गैस का कोई अभाव नहीं है और उपभोक्ता अपनी आवश्यकतानुसार 24 से 48 घंटे के अन्दर गैस सिलेण्डर प्राप्त कर सकता है लेकिन इसके विपरीत एजेन्सियों द्वारा दूसरी बुकिंग कराने हेतु उपभोक्ताओं के समक्ष नियमों के विपरीत 20–21 दिन बाद बुकिंग कराने का प्रतिबन्ध लगाकर परेशान किया जा रहा हे। अधिकांश वितरक एजेन्सियों फोन नहीं रिसीव करते हैं। वितरक एजेन्सियों द्वारा द्वारा नया कनेक्शन लेने पर उन्हें जयादा कीमत का चूल्हा, पाइप तथा एप्रान खरीदने हेतु विवश किया जाता है, जबकि नियमानुसार उपभोक्ता अपनी इच्छानुसार कहीं से भी किसी कम्पनी का आई0एस0आई0 मार्क द्वारा प्रमाणित चूल्हा, पाइप खरीद सकता है। नियमों के विपरीत (डी0बी0सी0) डबल बुकिंग सिलेण्डर की मांग करने पर उपभोक्ताओं के समक्ष फोटो, निर्वाचन पहचान–पत्र आदि प्रस्तुत करने को कहकर टालने और अनेकों प्रकार से बाधा खड़ी कर परेशान और हतोत्साहित करते हैं। प्रायः प्रत्येक सिलेण्डर में 4–5 किलोग्राम गैस कम पायी जाती है और ट्राली मैनों तथा संगठित गिरोह की साजिश से गैस निकाल कर छोटे सिलेण्डरों में भरकर अवैध कारोबार किया जाता है। हद की इन्तहा हो जाती है तब बाटलिंग प्लान्ट से ट्रकों में सिलेण्डर वितरकों को भेजा जाता है उस समय रास्ते में ही निश्चित एकान्त स्थान पर ट्रक को रोककर गिरोह और ट्रक ड्राइवर आदि की मिलीभगत से सिलेण्डरों से गैस निकाल लिया जाता है और तब कम तौल की सिलेण्डर वितरकों तक पहुँचाई जाती है, उक्त सभी बातें अनेकों बार समाचार-पत्रों द्वारा शासन-प्रशासन के संज्ञान में आने के बाद भी कोई प्रभावी उपाय अमल में नहीं लायी जाती है। पेट्रोल, डीजल के स्थान पर अवैध रूप से वाहनों में भी सिलेण्डरों का प्रयोग किया जाने लगा है। सामने होली जैसा त्योहार भी है। इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन के कथनानुसार बुकिंग तिथि से 24 से 48 घण्टे के अन्दर गैस की डिलीवरी करने, निश्चित वजन का सिलेण्डर, डी0बी0सी0 की बुकिंग हेतु बाध्यताओं को दूर करने, अधिक दाम का चूल्हा, एप्रन खरीदने की बाध्यता को हटाने तथा सूचना में उल्लिखित अन्य सभी बिन्दुओं पर प्रभावी कार्यवाही करने व उपभोक्ताओं के समक्ष उत्पन्न कठिनाईयों को अविलम्ब दूर करने हेतु अपर जिलाधिकारी, वाराणसी तथा इण्डियन आयल कार्पोरेशन के डिप्टी मैनेजर को शासन स्तर पर प्रभावी निर्देश दिये जाने की लोकहित में मांग करता हूँ।

[ ] यह अंश पढा हुआ माना गया।

अतः नियम-51 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के सुनिश्चित विषय पर प्रभावी कार्यवाही एवं संबंधित मा0 मंत्री जी द्वारा वक्तव्य की मांग करता हूँ।

उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि प्रदेश में गैस की घटतौली एवं कालाबाजारी रोके जाने के संबंध में शासनादेश दिनांक 03–03–2008, 19–01–2009, 01–10–2009 एवं 05–01–2010 द्वारा गैस की कालाबाजारी रोकने के लिये सुदृढ़ व्यवस्था की गई है, जिसके तहत आपूर्ति विभाग, परिवहन, राजस्व विभाग एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों की संयुक्त टीम द्वारा अभियान चलाकर सघन जांच की जा रही है। फिर भी वाराणसी में एल0पी0जी0 के आपूर्ति के सम्बन्ध में क्षेत्रीय अधिकारियों से आख्या प्राप्त की गयी, जिसके अनुसार वाराणसी जिले में इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन के 19 वितरक हैं। इस जिले में दिनांक 01–04–2009 से 10–02–2010 की समयावधि में कुल 26,58,373 घरेलू एल0पी0जी0 सिलेण्डरों की आपूर्ति की गयी है। जो विगत वर्ष में इसी समयावधि के सापेक्ष की गयी 24,77,288 घरेलू एल0पी0जी0 सिलेण्डरों की आपूर्ति से 1,81,085 सिलेण्डर अधिक है। इस आपूर्ति में 7.31 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी है।

दिसम्बर, 2009 से फरवरी, 2010 के बीच के अधिक मांग वाले माहों में भी क्रमशः 8.42 प्रतिशत, 6.44 प्रतिशत एवं 17.12 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी है। जिससे स्पष्ट होता है कि गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष सिलेण्डरों की अधिक आपूर्ति की गयी है।

प्राप्त सूचना के अनुसार एक सिलेण्डर धारक ग्राहकों की 8,468 काल एवं दो सिलेण्डर धारक ग्राहकों की 27,114 काल आपूर्ति हेतु दिनांक 11–02–2010 के आरम्भ में लम्बित है जो विगत दो से तीन दिन की मांग के अनुरूप है। इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन की ओर से समस्त वितरकों को यह निर्देश है कि वह रिफिल बुकिंग पर 20 से 21 दिन की अवधि की कोई रोक नहीं लगायेंगे। सभी वितरकों के शोरूम पर एम0आर0टी0पी0 की सूचना लगाई गयी है,, ताकि ग्राहक अपने अधिकार को समझे एवं चूल्हा, पाईप आदि उत्पादों की जबरन बिक्री के बारे में सम्बन्धित अधिकारियों को अपनी शिकायत दे सके। इन सभी उत्पादों के निर्धारित मूल्य भी दर्शाये गये हैं। वाराणसी के किसी भी वितरक से जबरन चूल्हा आदि की बिक्री की कोई भी शिकायत किसी भी कार्यालय में प्राप्त नहीं हुई है।

नये कनेक्शन अथवा डी0बी0सी0 जारी करते समय नियमानुसार फोटो पहचान पत्र, निवास प्रमाण–पत्र आदि दस्तावेज ग्राहक से लेने के प्राविधान है। सभी वितरकों के सिलेण्डर डिलीवरी कर्मचारियों को डायल टाइप वेइंग स्केल उपलब्ध कराये गये है, ताकि वह ग्राहक को वजन दिखाकर संतुष्ट कर सके। विभिन्न माध्यमों से ग्राहकों को भी उनके अधिकारों के बारे में अवगत कराया गया हैं। हाल ही में महा प्रबन्धक, इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन, उ0प्र0 राज्य कार्यालय का दिनांक 27–01–2010 को दूरदर्शन पर "आवाम की आवाज" कार्यक्रम में साक्षात्कार प्रसारित किया गया।

जहाँ तक उपभोक्ताओं द्वारा नये कनेक्शन लेने पर चूल्हा, पाईप एवं एप्रेन खरीदने के लिये विवश करने का प्रश्न है तो इस संबंध में अवगत कराना है कि भी उपभोक्ता की शिकायत मिलने पर उसका समाधान जिला प्रशासन एवं उप प्रबन्धक, एल0पी0जी0 द्वारा किया जाता है। गैस उपभोक्ताओं की सुविधा के लिये कुकिंग गैस अदालत का भी आयोजन प्रत्येक मंगलवार एवं शुक्रवार को नागरिक सुरक्षा कार्यालय में किया जाता है, जहां आपूर्ति विभाग के

अधिकारी एवं गैस वितरक उपस्थित रहते हैं तथा उपभोक्ताओं की समस्या का निराकरण करते हैं। इसके अतिरिक्त श्री विपिन कुमार, उप प्रबन्धक, एल0पी0जी0 प्रत्येक शनिवार को हर्ष एजेन्सी पर उपस्थित रहकर उपभोक्ताओं की समस्या का समाधान करते हैं।

गैस की कालाबाजारी, घटतौली, रिफिलिंग के संबंध मे अवगत कराना है कि समय–समय पर छापे डालकर दोषी गैस एजेन्सी ट्राली चालक रिफिलिंग करने वाले तथा घरेलू गैस का व्यवसायिक प्रयोग करने वाले होटल हलवाई एवं रेस्टोरेंट के विरुद्ध ई0सी0 एक्ट की धारा 3/7 के अधीन कार्यवाही की जाती है। माह जुलाई, 09 से आज तक गैस की रिफलिंग, घटतौली, कालाबाजारी तथा व्यवसायिक प्रयोग करने वाले 17 डिलीवरी मैन तथा 04 होटल मालिकों के विरुद्ध ई0सी0 एक्ट 1955 की धारा 3/7 के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया गयी तथा मौके से ही 17 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। कार्यवाही में 601 सिलेण्डर तथा 22 वाहन सीज किये गये, जिनका अनुमानित कुल मूल्य 15,19,580/– रुपया है।

महाराजगंज, गोरखपुर देवारिया एवं कुशीनगर की क्षतिग्रस्त नहरों को ठीक कराये जाने एवं टेल तक पानी पहुँचाये जाने के सम्बन्ध में डॉ0 पी०के०राय द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत की गई सूचना पर सिंचाई मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)–

मान्यवर, गोरखपुर मण्डल में सिंचाई की रीढ़ पश्चिमी गण्डक...

वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री जगदीश नारायण राय)–

मान्यवर, यह वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इस वक्तव्य को पढ़ा हुआ मान लेते है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लाल जी वर्मा–

[नहर प्रणाली की मुख्य नहर एवं उससे निकलने वाली नहर शाखाओं एवं राजवाहों में अत्यधिक सिल्ट जम जाने के कारण किसानों को पर्याप्त सिंचाई हेतु पानी नहीं मिल पा रहा है। सिंचाई का पानी नहरों एवं राजवाहों में आधे से भी कम क्षमता में निकल पा रहा है। महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया एवं कुशीनगर की नहरें क्षतिग्रस्त हो गयी हैं। इन जनपदों की 68 प्रतिशत सिंचाई उक्त नहर प्रणाली पर निर्भर है। सिंचाई विभाग द्वारा नहरों की पुनर्स्थापना का कार्य, लाइनिंग कार्य एवं सिल्ट की सफाई का कार्य समय से न कराये जाने के कारण किसानों के खेत सिंचाई से वंचित होते जा रहे है तथा पैदावार भी प्रभावित है। सिंचाई विभाग द्वारा उक्त सुधार कार्य कराये जाने हेतु बनाया गयी परियोजना पर समयबद्ध कार्य न कराये जाने कारण किसानों के कृषि का कार्य प्रभावित हो रहा है और किसानों के सामने भुखमरी स्थिति उत्पन्न हो गयी है।

उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में जनपद गोरखपुर, महराजगंज, देवरिया एवं कुशीनगर जो गोरखपुर राजस्व मण्डल के अन्तर्गत हैं, में मुख्य पश्चिमी गण्डक नहर सिंचाई का मुख्य साधन है। गण्डक नहर प्रणाली का निर्माण कार्य वर्ष 1961 में प्रारम्भ हुआ था तथा निर्माण के दौरान

नोट [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

वर्ष 1972 से आंशिक रूप से सिंचाई प्रारम्भ हो गयी थी। परियोजना के अन्तर्गत नहर प्रणाली का निर्माण कार्य वर्ष 1994 में पूर्ण होने के पश्चात सिंचाई हेतु यह नहर प्रणाली निरन्तर प्रयुक्त हो रही है। वर्तमान में मुख्य पश्चिमी गण्डक नहर तथा इससे निकलने वाली देवरिया शाखा, मठिया शाखा, खजुरिया शाखा एवं चाफ शाखा तथा सभी राजवाहों में अत्यधिक सिल्ट जमा हो जाने के कारण इनकी क्षमता परिकल्पित क्षमता के अनुरूप नहीं रह गयी है। इन शाखाओं एवं राजवाहों को ओवर गेज से चलाने पर भी परिकल्पित डिस्चार्ज का लगभग 40 प्रतिशत पानी ही नहरों में संचालित हो पा रहा हैं। सिल्ट सफाई हेतु अनुरक्षण मद में विभागीय एवं जिलास्तरीय मद से प्राप्त होने वाली धनराशियों को माइनरों एवं छोटे-छोटे राजवाहों के सिल्ट सफाई-कार्य कराये जाते हैं, जिससे टेल तक पानी पहँचाने में सुविधा होती है, परन्तु मुख्य नहर, शाखाओं एवं बड़े राजवाहों की क्षमता पुनर्स्थापना के कार्य वृहत प्रकृति के होने कारण इन कार्यो को अनुरक्षण एवं जिलास्तरीय मद के अन्तर्गत कराया जाना सम्भव नहीं होता हैं।

मुख्य पश्चिमी गण्डक नहर की नहरों की क्षमता को पुनर्स्थापित किये जाने हेतु परियोजना उत्तर प्रदेश शासन की व्यय वित्त समिति द्वारा दिनांक 31–01–08 को रू० 132.97 करोड़ अनुमोदित की गयी थी। अनुमोदित लागत के सापेक्ष परियोजना का कार्य प्रारम्भ कराये जाने हेतु रु० 1.00 करोड़ की धनराशि भी स्वीकृत की गयी है। इस नहर प्रणाली की नहरों की क्षमता पुनर्स्थापना हेतु परियोजना त्वारित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए०आई०बी०पी०) के अन्तर्गत वित्त पोषण हेतु भारत सरकार के स्तर पर विचाराधीन हैं। उक्त परियोजना की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त होने पर नहर प्रणाली का पुनरोद्धार कराया जायेगा, जिससे क्षेत्र को कृषकों की सिंचाई समस्या का स्थायी रूप से समाधान हो सकेगा।]

लखनऊ के प्राथमिक विद्यालय टिकरा जुगराज के शिक्षा मित्रों को मानदेय का भुगतान न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री आर०के०चौधरी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर बेसिक शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)–

मान्यवर, मा० सदस्य, विधान सभा, श्री आर०के०चौधरी .....

वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री जगदीश नारायण राय)–

मान्यवर, यह वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इस वक्तव्य को पढ़ा हुआ मान लेते है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लालजी वर्मा–

[द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में यह अवगत कराया गया है कि राजधानी लखनऊ में विकास खण्ड गोसाईगंज के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय टिकरा जुगराज में ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम प्रधान और खण्ड विकास अधिकारी द्वारा बनाये गये अराजकता के माहौल की तरह दिलाना चाहता हूँ। विषय अति लोक महत्व का है तथा तात्कालिक है। प्राथमिक विद्यालय टिकरा जुगराज में कार्यरत शिक्षामित्र श्री रमेश चन्द्र रावत को विगत 7–8 माह से मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है। शिक्षामित्र श्री रमेश चन्द्र नियमित रूप से

विद्यालय में शिक्षण कार्य का सम्पादन कर रहे है। खण्ड विकास अधिकारी का कहना है कि सम्बन्धित ग्राम विकास अधिकारी पंकज वर्मा निलम्बित था। वह बहाल होकर आने वाला है। उसके आने पर मानदेय का भुगतान होगा। जबकि वास्तविकता यह है कि पंकज वर्मा सरकारी काम का सम्पादन करता रहता है। ग्राम विकास अधिकारी पंकज वर्मा द्वारा ही दिनांक 06–02–2010 को चार विद्यालयों की छात्रवृत्ति का वितरण कराया गया है स्थिति चिन्ताजनक और गम्भीर है। एक गहरी साजिश के चलते दलित शिक्षामित्र श्री रमेश चन्द्र रावत के मानदेय का भुगतान 7–8 माह से नहीं किया जा रहा है। सरकार को स्थिति स्पष्ट करते हुए उक्त दलित शिक्षा मित्र के बकाया मानदेय का शीघ्र भुगतान कराना चाहिए और दोषी ग्राम विकास अधिकारी और खण्ड विकास अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करनी चाहिए।

2–इस संबंध में अवगत कराना है कि जनपद लखनऊ के विकास खण्ड गोसाई गंज के प्राथमिक विद्याालय टिकरा जुगराज के खाते का संचालन जिलाधिकारी लखनऊ के आदेशानुसार ग्राम विकास अधिकारी तथा प्रधानाध्यापक द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। उक्त विद्यालय में कार्यरत शिक्षामित्र श्री रमेश चन्द्र रावत के मानदेय के भुगतान हेतु जनपद स्तर से वांछित धनराशि पूर्व में ही अवमुक्त की जा चुकी है, किन्तु ग्राम विकास अधिकारी के निलम्बित होने के कारण खाते का संचालन नहीं हो सका है, जिसके कारण उक्त शिक्षामित्र को मानदेय का भुगतान नहीं हो सका है।

उक्त विद्यालय में कार्यरत शिक्षामित्र श्री रमेश चन्द्र रावत के अवशेष मानदेय का भुगतान करने हेतु जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, लखनऊ द्वारा विद्यालय के खाते का एकल संचालन कराकर सम्बन्धित शिक्षामित्र के मानदेय के भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।

आजमगढ़ के सोल्हावारी निवासी श्रीमती लक्ष्मी देवी की कृषि योग्य भूमि पर अराजक तत्वों द्वारा अवैध कब्जा किया जाने के सम्बन्ध में श्री पशुपति द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)–

मान्यवर, पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ से प्राप्त की गयी.....

वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री जगदीश नारायण राय)–

मान्यवर, यह वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इस वक्तव्य को पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लालजी वर्मा–

[आख्यानुसार जित्तू प्रसाद पुत्र नरजिव प्रसाद निवासी ग्राम सोल्हाबारी थाना जॉहागंज आजमगढ़ की दो शादियां दो सगी बहनों से हुयी थी । पहली पत्नी श्रीमती श्यामप्यारी से 03 बच्चे उदयभान, मनोज व अनिल हुए तथा दूसरी पत्नी श्रीमती लक्ष्मी देवी से एक लड़का अर्जुन है। जित्तू प्रसाद ने अपनी दूसरी पत्नी लक्ष्मी के नाम से ग्राम सोल्हाबारी में जमीन खरीद कर मकान बनवाया था जिसमें पहली पत्नी अपने तीनों बच्चों के साथ रह रही है तथा श्रीमती लक्ष्मी देवी को उक्त मकान में एक कमरा मिला हुआ है, जिसमें

ताला बन्द है। जित्तू प्रसाद की मृत्यु के पश्चात् श्रीमती लक्ष्मी देवी पुलिस लाइन्स, आजमगढ़ के नजदीक किराये का एक कमरा लेकर रह रही हैं तथा स्व0 जित्तू प्रसाद की पहली पत्नी के बच्चों से उक्त मकान व जमीन श्रीमती लक्ष्मी देवी द्वारा अपने नाम से होने के कारण उसे खाली करवाना चाहती है। इस सम्बन्ध में स्व0 जित्तू प्रसाद की पहली पत्नी के लड़कों द्वारा श्रीमती लक्ष्मी देवी के विरुद्ध मा0 न्यायालय सिविल जज (जूडी0) आजमगढ़ में वाद सं0–786/2008 उदयभान बनाम श्रीमती लक्ष्मी देवी दाखिल किया गया है, जो विचाराधीन न्यायालय है।जमीन सम्बन्धी विवाद को दृष्टिगत रखते हुए मौके पर शान्ति व्यवस्था बनाए रखने हेतु पूर्व में थाना जहॉनागंज द्वारा स्व0 जित्तू प्रसाद की पहली पत्नी के लड़कों उदयभान आदि के विरुद्ध 151/160/116 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत निरोधात्मक कार्यवाही की गयी है। उक्त प्रकरण में जमीन व मकान का विवाद चूँकि न्यायालय में विचाराधीन है, अतः जब तक न्यायालय का निर्णय नहीं होता है, तब तक किसी पक्ष को कब्जा दिलाना अथवा कब्जा कराना खाली समीचीन नहीं है।]

सिद्धार्थनगर के ग्राम पंयायत उस्की की ग्राम सभाओं के टाउन एरिया में सम्मिलित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ला द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर पंचायतीराज मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)–

मान्यवर, मा0 सदस्य द्वारा दी गयी सूचना में यह उल्लेख .....

वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री जगदीश नारायण राय)–

मान्यवर, यह वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, वक्तव्य को पढ़ा हुआ मान लेते है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लालजी वर्मा–

[किया गया है कि जनपद सिद्धार्थनगर के विकास खण्ड उस्का बाजार के गांव पंचायत उस्की में तीन राजस्व ग्राम 1, उस्की 2, लक्ष्मनपुर एवं 3, केवटलिया थे जिसमें से राजस्व गांव उस्की टाउन एरिया उस्का बाजार में सम्मिलित कर लिया गया है और शेष दो राजस्व गांव लक्षनपुर एवं केवटलिया का गांव पंचायत का अलग अस्तित्व ही नहीं रहा गया है। इसी प्रकार से गांव पंचायत परसाखुर्द को टाउन एरिया उस्का बाजार में सम्मिलित कर लेने के बाद राजस्व गांव गौरा का गांव पंचायत काक अस्तित्व समाप्त हो गया है, या तो इन गांव को किसी गांव पंचायत में सम्मिलित किया जाये अथवा इनको अलग गांव पंचायत की इकाई मान लिया जाये। ऐसी स्थिति में उक्त गांव के नागरिक सुविधाओं से वंचित हो गये हैं और उनमें रोष व्याप्त है तथा धरना प्रदर्शन पर अमादा है। अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए वक्तव्य की मांग की गयी है।

प्रकरण में निदेशक, पंचायतीराज, उ0प्र0 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या के अनुसार नगर विकास विभाग की अधिसूचना दिनांक 31–7–2009 द्वारा उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम

नोट [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

1916 के अन्तर्गत जिला सिद्धार्थनगर में नगर पंचायत उस्का बाजार का सृजन किया गया है। उक्त नगर पंचायत में 10 ग्राम सभाओं के कुल 17 राजस्व ग्राम सम्मिलित किए गये हैं, जिनमें ग्राम पंचायत उस्की का राजस्व ग्राम उस्की एवं ग्राम पंचायत परसाखुर्द का राजस्व ग्राम परसाखुर्द भी शामिल है।

नगर पंचायत उस्का बाजार के गठन से पूर्व ग्राम पंचायत उस्की में 04 राजस्व ग्राम उस्की, लक्ष्मनपुर, केवटलिया तथा नउवाडाडी सम्मिलित थे। उक्त ग्रामों में से राजस्व ग्राम उस्की के नगर पंचायत उस्का बाजार में जाने के फलस्वरूप जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर के पत्र दिनांक 29 सितम्बर, 2009 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर शेष 03 राजस्व ग्रामों–लक्ष्मनपुर, केवटलिया तथा नउवाडाडी को ग्राम पंचायत करमा में जोड़ते हुए ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन किया गया, जिसकी अधिसूचना दिनांक 01 दिसम्बर, 2009 सरकारी गजट में प्रकाशित हो चुकी है।

इसी प्रकार ग्राम पंचायत परसाखुर्द में नगर पंचायत उस्का बाजार बनने से पूर्व दो राजस्व ग्राम परसाखुर्द एवं गौरा सम्मिलित थे। परसाखुर्द के नगर पंचायत उस्का बाजार में सम्मिलित हो जाने के फलस्वरूप जिलाधिकारी के पूर्व संदर्भित प्रस्ताव दिनांक 29–09–2009 के अनुसार राजस्व ग्राम गौरा को ग्राम पंचायत फुलवरिया में शामिल कर दिया गया है। तद्नुसार निदेशक, पंचायतीराज द्वारा राजस्व ग्राम लक्ष्मनपुर, केवटलिया एवं नउवाडाडी को ग्राम पंचायत करमा में तथा राजस्व ग्राम गौरा को ग्राम पंचायत फुलवरिया में सम्मिलित करते हुए ग्राम पंचायत के गठन की अधिसूचना दिनांक 01 दिसम्बर, 2009 सरकारी गजट में प्रकाशित हो चुकी है।]

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं, कल पूर्वाहन 11.00 बजे पुनः बैठेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 03 बजकर 38 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश1

दिनांक 15 फरवरी, 2010

नत्थी 'क'

(देखिये अ0 ता0 प्र0 9 का उत्तर पीछे पृष्ठ 37 पर)

अनुपूरक सामग्री (संलग्नक–1)

क्रम सं०	वर्ष	ग्राम पंचायत का नाम	आवंटित धनराशि	कराये गये कार्यों का विवरण	रोजगार प्राप्त जॉबकार्ड धारा की संख्या
1		सिकन्दरपुर	248944	वृक्षारोपण सम्पर्क मार्ग	34
2		सैजलपुर	398944	वृक्षारोपण सम्पर्क मार्ग	79
3		रतनपुर	148900	वृक्षारोपण सम्पर्क मार्ग	17
4		करनपुर	527532	वृक्षारोपण सम्पर्क मार्ग	16
5	2007–2008	महरागौरा (राजस्व ग्राम–सिसहनी)	148944	नाला खुदाई, तालाब मिट्टी पटाई	20
6		अम्बरपुर	148944	वृक्षारोपण खडन्जा	55
7		गड़रही	148944	वृक्षारोपण खड़न्जा	50
8		हरनाटायर	148944	वृक्षारोपण तालाब	80
9		भगोहर	548944	वृक्षारोपण पुलिया, मिट्टी पटाई	50
		योग	2469040		401
1		सिकन्दरपुर	595690	वृक्षारोपण सम्पर्क मार्ग	42
2		सैजलपुर	594505	वृक्षारोपण सम्पर्क मार्ग तालाब	100
3		रतनपुर	305974	वृक्षारोपण मिट्टी पटाई	40
4		करनपुर	136150	वृक्षारोपण सम्पर्क मार्ग	16
5	2008–2009	महरागौरा (राजस्व ग्राम–सिसहनी)	335798	नाला खुदाई, तालाब मिट्टी पटाई	37
6		अम्बरपुर	675019	वृक्षारोपण खडन्जा	85
7		गड़रही	504431	वृक्षारोपण खड़न्जा	40
8		हरनाटायर	694491	वृक्षारोपण तालाब	93
9		भगोहर	1266250	सम्पर्क मार्ग, पौधे की निराई गुड़ाई, खड़न्जा	60
		योग	5108308		513

नत्थी 'ख'

(देखिये अ0 ता0 प्र0 35 का उत्तर पीछे पृष्ठ 51–52 पर)

नगर निगम गोरखपुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2007–08 तथा 2008–09 में विभिन्न वार्डों में कराये गये कार्यों की सूची

क्र०सं०	वार्ड संख्या	वित्तीय वर्ष 2007–08 में कराये गये कार्यों की संख्या	वित्तीय वर्ष 2008–09 में कराये गये कार्यों की संख्या
1	1	07	01
2	2	08	01
3	3	07	10
4	4	06	05
5	5	11	06
6	6	05	01
7	7	06	–
8	8	13	05
9	9	07	07
10	10	12	06
11	11	17	02
12	12	16	04
13	13	11	08
14	14	13	06
15	15	13	09
16	16	10	05
17	17	08	11
18	18	07	05
19	19	10	02
20	20	13	05
21	21	05	05
22	22	06	06
23	23	08	10
24	24	10	14
25	25	10	07
26	26	08	01
27	29	14	07
28	30	05	08
29	31	21	07

क्र०सं०	वार्ड संख्या	वित्तीय वर्ष 2007–08 में कराये गये कार्यों की संख्या	वित्तीय वर्ष 2008–09 में कराये गये कार्यों की संख्या
30	32	11	08
31	33	06	08
32	34	06	07
33	35	05	07
34	36	03	01
35	37	07	09
36	38	16	11
37	39	06	04
38	40	14	08
39	41	06	07
40	42	10	03
41	43	05	04
42	44	12	04
43	45	08	07
44	46	07	06
45	47	08	–
46	48	08	–
47	49	05	05
48	50	03	05
49	51	08	11
50	52	04	04
51	53	07	01
52	54	05	04
53	55	07	11
54	56	09	05
55	57	10	03
56	58	06	04
57	59	07	04
58	60	07	03
59	61	11	02
60	62	09	03
61	63	15	01

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्र०सं०	वार्ड संख्या	वित्तीय वर्ष 2007–08 में कराये गये कार्यों की संख्या	वित्तीय वर्ष 2008–09 में कराये गये कार्यों की संख्या
62	64	21	11
63	65	12	06
64	66	07	08
65	67	05	07
66	68	05	05
67	69	12	10
68	70	12	03

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी (ग)

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या–113 का उत्तर पीछे पृष्ठ 81 पर)

अतारांकित प्रश्न संख्या 113 के उत्तरालेख का संलग्नक

वर्ष 2007–08, 2008–09 व 2009–10 में इंदिरा आवास योजनान्तर्गत लक्ष्य, आवंटित एवं अवशेष आवासों की क्षेत्र पंचायतवार स्थिति

जनपद गोण्डा–

क्रमांक	क्षेत्र पंचायत का नाम	वर्ष 2007–08			वर्ष 2008–09			वर्ष 2009–10		
		निर्धारित लक्ष्य	आवंटित आवास	अवशेष	निर्धारित लक्ष्य	आवंटित आवास	अवशेष	निर्धारित लक्ष्य	आवंटित आवास	अवशेष
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	झंझरी	870	870	0	1288	1288	0	1176	715	461
2	पंडरी कृपाल	626	626	0	243	243	0	624	218	406
3	रूपईडीह	732	732	0	918	918	0	1249	952	297
4	इंटियाथोक	520	520	0	1025	1025	0	915	299	606
5	मुजेहना	195	195	0	330	330	0	987	106	881
6	मनकापुर	399	399	0	457	457	0	891	850	41
7	छपिया	600	600	0	772	772	0	916	906	10
8	बभनजोत	365	365	0	299	299	0	352	342	10
9	तरबगंज	365	365	0	425	425	0	1300	240	1060
10	वजीरगंज	408	408	0	967	967	0	864	431	433
11	नवाबगंज	1241	1241	0	889	889	0	876	527	349
12	बेलसर	410	410	0	508	508	0	1090	541	549
13	कर्नलगंज	474	474	0	551	551	0	990	328	662
14	हलधरमऊ	994	994	0	1160	1160	0	786	571	215
15	कटरा बाजार	359	359	0	533	533	0	1046	903	143
16	परसपुर	759	759	0	775	775	0	1009	813	196
	योग	9317	9317	0	11140	11140	0	15071	8742	6329

नत्थी 'घ'

(देखिये अता0 प्र0 संख्या 155 का उत्तर पीछे पृष्ठ 98 पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र 2009 हेतु निर्धारित डा० अजय तोमर, मा0 सदस्य, विधान सभा, उत्तर प्रदेश द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न सं० 155 के सम्बन्ध में सूचना

उपरोक्त क्रम में विकास खण्ड बडौत में नरेगान्तर्गत निम्नानुसार श्रमिकों को रोजगार दिया गया है।

क्रम सं०	ग्राम का नाम	रोजगार प्राप्त परिवार सं०
1	अंगदपुर	20
2	जोहडी	38
3	आ० खेडी	40
4	कण्डेरा	30
5	बिजरौल	28
6	गुराना	39
7	छछरपुर	10
8	गूंगाखेडी	65
9	बडावद	43
10	बडका देवी०	8
11	इदरीशपुर	3
12	सिनौली	38
13	जागोस	14
14	चौबली–बो०	4
15	जिवाना	22
16	ह०जिवानी	20
17	हिलवाडी	2
18	अलावलपुर	28
19	बाम	8
20	औसिक्का	50
21	महावतपुर	45
22	लौहडडा	15
23	आ० खडखडी	–
24	जलालपुर	3
25	फ०चक	9

उत्तर प्रदेश विधान सभा

26	बराल	40
27	अ०थल	2
28	ई०माजरा	9
29	बाजिदपुर	42
30	जौनमाना	6
31	लोयन	16
32	मलकपुर	15
33	बावली	118
34	बूढपुर	19
35	शा० बडौली	30
36	का० खेडी	35
37	किशनपुर	35
38	कोताना	7
39	ढिकाना	16
40	लुहारी	40
41	शबगा	55
42	ओढापुर	10
43	बरवाला	13
44	रूस्तमपुर	5
	योग	1095

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी (ङ)

(देखिये मा0 अध्यक्ष के आदेश के पीछे पृष्ठ.....पर)

श्री फतेहबहादुर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से वन विभाग का बजट प्रस्तुत करने से पूर्व चन्द शेर अर्ज करना चाहता हूं।

1–है हवा हम्द और दुआ जंगल,
आदमी खाक है, खुदा जंगल।
(सीन कॉफ निजाम)

2–फलस्फे मौत के उलझे जाते हैं,
जिन्दगी बदहाल हुई जाती है,
क्यों न अब आखिरी सच की बात करें,
आओ कि अब पेड़ पौधों की बात करें,
(मु0 अहसन)

3–वो दरख्त जो गिरा दिया है तुमने,
हजार परिन्दों के घर थे उसमें।
(मु0 अहसन)

मान्यवर,

मा0 अध्यक्ष जी, सर्वप्रथम मैं आपके प्रति आभार ज्ञापित करता हूं कि आपने मुझे वन विभाग का बजट प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया इस प्रदेश की मा0 मुख्य मंत्री जी के प्रति भी विनम्र कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे वन विभाग का गुरुतर दायित्व देकर यह शुभ अवसर प्रदान किया कि मैं वन विभाग का बजट विधान सभा के पटल पर रख सकूँ।

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश का वनावरण एवं वृक्षावरण 9.02 प्रतिशत है। हमारा प्रदेश जैव विविधता सम्पन्न प्रदेश है। वृक्षारोपण कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिये प्रदेश सरकार द्वारा जनचेतना, जन सहयोग तथा जनसहभागिता पर विशेष बल दिया जाता है। इसे दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश में वृहद वृक्षारोपण, संयुक्त वन प्रबंध, इको विकास आदि जनसहभागिता पर आधारित योजनायें चलाई जाती है। हमारी सरकार वनावरण एवं वृक्षारोपण की वृद्धि एवं वन्य जीव संरक्षण के प्रति कटिबद्ध है।

मान्यवर,

आप जानते हैं कि पर्यावरण संतुलन बनाये रखने में वृक्षों की महत्वपूर्ण भूमिका है। आम जन मानस के दैनिक उपयोग की वस्तुओं जैसे :– जलौनी लकड़ी, इमारती लकड़ी, घास, चारा–पत्ती, उद्योग धन्धों हेतु कागज, प्लाई बोर्ड, खेलकूद का सामान, पैकिंग केस आदि के लिए कच्चे माल की उपलब्धता वनों व वृक्षों से होती है। इन उद्योग धन्धों में लाखों लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार का अवसर मिलता है।

भारत के संविधान के अनुसार देश के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वन, झील, नदी और वन्य जीव आदि की रक्षा करें।

मान्यवर,

सदन का ध्यान वन विभाग द्वारा किये गये उल्लेखनीय कार्यों की ओर आकर्षित करते हुए सरकार की ओर से यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि वन विभाग अपनी पूरी सामर्थ्य, दृढ़संकल्प एवं निष्ठा के साथ आम जनता के कल्याण के लिए समर्पित है।

मान्यवर,

वन विभाग राज्य के संसाधनों के साथ–साथ भारत सरकार तथा अन्य संस्थाओं के सहयोग से प्रदेश के वन क्षेत्र को बढ़ाने और वन क्षेत्रों के आस–पास रहने वाले नागरिकों का आर्थिक स्तर उठाने की दिशा में सतत् कार्य करता है। जापान बैंक की सहायता से प्रदेश में सहभागी वन प्रबन्ध एवं निर्धनता उन्मूलन परियोजना कार्यान्वित है। परियोजना की कुल लागत लगभग रु0 575.20 करोड़ (पांच अरब पचहत्तर करोड़ बीस लाख) है, जिसमें से जे0आई0सी0ए0 (जापान इन्टरनेशल को–ऑपरेशन एजेन्सी) द्वारा रु0 468.20 करोड़ (चार अरब अरसठ करोड़ बीस लाख) सस्ते कर्ज के रूप में तथा राज्य सरकार द्वारा रु0 107.00 करोड़ (एक सौ सात करोड़) उपलब्ध कराये जायेंगे। परियोजना 08 वर्षों की है जो वर्ष 2008–09 (प्रथम वर्ष) से आरम्भ होकर वर्ष 2015–16 (आठवाँ वर्ष) में समाप्त होगी।

मान्यवर,

प्रदेश में 21722 (इक्कीस हजार सात सौ बाइस) वर्ग कि0मी0 क्षेत्र में वनावरण तथा वृक्षावरण है जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का 9.02 प्रतिशत है। राष्ट्रीय वन नीति एवं राज्य वन नीति में दिये गये लक्ष्य के अनुरूप प्रदेश के एक तिहाई भू–भाग को वनावरण तथा वृक्षावरण से आच्छादित करने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न वृक्षारोपण योजनायें संचालित की जाती है।

मान्यवर,

उच्च गुणवत्ता के पौधों को तैयार करने हेतु पौधशालाओं का निर्माण किया गया है। इन पौधशालाओं में तैयार किये गये पौधे विभागीय वृक्षारोपण एवं कृषकों के बीच वितरित किये जाते हैं।

मान्यवर,

वित्तीय वर्ष 2009–10 (दिसम्बर, 2009 तक) विभागीय वृक्षारोपण के अन्तर्गत 79507 (उन्यासी हजार पांच सौ सात) हे0 क्षेत्र में वृक्षारोपण कराया जा चुका है। इसके अतिरिक्त अन्य विभागों द्वारा 115.69 लाख (एक सौ पन्द्रह लाख उन्हत्तर हजार) पौधों का रोपण किया गया है।

माननीय अध्यक्ष जी–

वर्ष 2009–10 (दिसम्बर, 2009 तक) कुल अवैध कटान के मामलों की संख्या 1762 (एक हजार सात सौ बासठ) थी, जिनसे रु0 74.90 लाख (चौहत्तर लाख नब्बे हजार) प्रतिकर के रूप में वसूला गया। अवैध कटान करने वाले अपराधियों के विरुद्ध विभाग ने कठोर विधिक कार्यवाही की है।

मान्यवर,

माननीय सदस्य इस बात से भली–भांति परिचित हैं कि वन्य जीव हमारे परिवेश के एक महत्वपूर्ण अंग है। प्रदेश के विभिन्न भागों में वन्य जीवों के साथ हो रही दुर्घटनाओं को रोकने की दिशा में विभाग सतत् प्रयत्नशील है, जिसके अन्तर्गत प्रदेश के वन्य जीव बाहुल्य क्षेत्रों में राष्ट्रीय एवं राज मार्गों पर वन्य जीवों की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए गति अवरोधक एवं सूचना पट्ट लगाये जाते हैं एवं प्रभावी पेट्रोलिंग की जाती है।

इनकी सुरक्षा को लेकर सदन में समय–समय पर चर्चा होती है। वन विभाग वन्य जीवों की समस्या से पूरी तरह भिज्ञ है और वन्य जीवों की सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में प्रदेश स्तर पर व्यापक व्यवस्था की गयी है। वन्यजीव अपराधियों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्यवाही करते हुए वर्ष 2009–10 में दिसम्बर, 2009 तक 266 मामले दर्ज कराये गये, जिनमें 294 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई एवं रु0 1025350 (रुपये दस लाख पच्चीस हजार तीन सौ पचास) का जुर्माना वसूल किया गया।

मान्यवर,

दुधवा टाइगर रिजर्व प्रदेश का एक प्रतिष्ठित वन्य जीव वास स्थल है। इसके संरक्षण एवं विकास हेतु विभिन्न कार्य कराये जाते हैं।

वन विभाग प्रदेश के वनावरण और वृक्षावरण को सुरक्षित रखने के साथ–साथ उसे बढ़ाने, वन्य जीवों की सुरक्षा और उनकी संख्या में वृद्धि का मुख्य कार्य वर्षों से करता चला आ रहा है। साथ ही साथ वन विभाग द्वारा प्रदेश के लिए आवश्यक राजस्व भी अर्जित किया जाता है। वन विभाग ने माह दिसम्बर, 2009 तक रु0 17987.50 लाख (रुपये एक अरब उन्यासी करोड़ सत्तासी लाख पचास हजार) का राजस्व अर्जित किया है।

मान्यवर,

विकास के साथ–साथ वनों की सुरक्षा प्रदेश सरकार के लिए एक चुनौती है। इसीलिए वन क्षेत्रों में अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण की दिशा में वन प्रबंधन को आधुनिक तकनीक से लैस किया गया है।

मान्यवर,

आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि वन विभाग ने भारत सरकार से सम्पर्क करके केन्द्र पोषित योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 2008–09 में अवमुक्त तथा पुनर्वैध रु0 1238.26 लाख (रुपये बारह करोड़ अड़तीस लाख छब्बीस हजार) के केन्द्रांश के सापेक्ष वर्ष 2009–10 में माह दिसम्बर, 2009 तक भारत सरकार से रु0 1200.46 लाख (रुपये बारह करोड़ छियालिस हजार) की धनराशि अवमुक्त तथा पुनर्वैध करा ली गई है।

माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश सरकार वनावरण एवं वृक्षावरण में वृद्धि के साथ–साथ वन्य जीव के प्राकृतवास के संरक्षण एवं संवर्धन में विशेष रूचि लेती है। इसी के दृष्टिगत प्रदेश में वन्यजीव विहारों की संख्या 24, राष्ट्रीय पार्क 1 तथा प्राणि उद्यानों की संख्या 2 है।

राज्य सरकार के अथक प्रयास से गोरखपुर में नये प्राणि उद्यान की स्थापना हेतु भारत सरकार की अनुमति प्राप्त हो गई है। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु रु0 100.00 लाख (एक करोड़) का आय–व्ययक प्राविधान है।

मान्यवर,

विश्व खाद्य कार्यक्रम योजना के अन्तर्गत प्रारम्भ से अब तक 5.27 करोड़ (पांच करोड़ सत्ताइस लाख) खाद्यान्न दिवस सृजित हुए है।

मान्यवर,

राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (वन विकास अभिकरण) के अन्तर्गत वर्ष 2008–09 तक कुल रु0 16346.77 लाख (एक अरब तिरसठ करोड़ छियालिस लाख सतहत्तर हजार) की धनराशि अवमुक्त हुई, जिससे 2195 (दो हजार एक सौ पन्चानवे) संयुक्त वन प्रबन्ध समितियों के माध्यम से 90968 (नब्बे हजार नौ सौ अरसठ) हे0 क्षेत्र में वृक्षारोपण एवं अन्य विकास कार्य कराये गये है।

राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (वन विकास अभिकरण) के अन्तर्गत वर्ष 2009–10 में रु0 2622.00 लाख (छब्बीस करोड़ बाइस लाख) की केन्द्रीय सहायता अवमुक्त हुई है।

मान्यवर,

भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार वृक्षों के पातन की नीति अपनायी जाती है। उत्तर प्रदेश वन निगम द्वारा वृक्षों के पातन का कार्य किया जाता है। वन निगम द्वारा वर्ष 2008–09 में 10159.12 लाख (एक अरब एक करोड़ उन्सठ लाख बारह हजार) की धनराशि अर्जित की गई।

मान्यवर,

वर्ष 2010–11 के महत्वपूर्ण प्रस्तावित कार्यों के साथ–साथ अधिक से अधिक संसाधनों को जुटाने और उनका बेहतर प्रयोग किये जाने की दिशा में सदन के पटल पर बजट प्रस्ताव रखा गया है। इस बजट प्रस्ताव में कुछ उल्लेखनीय बिन्दु है।

मान्यवर,

वृक्षारोपण को व्यापक बनाने और गुणवत्ता सुनिश्चित करने की दृष्टि से वर्ष 2010–11 में वृक्षारोपण योजनाओं का कार्यान्वयन वृहद स्तर पर किया जाना प्रस्तावित है।

प्रदेश को हरा–भरा कर धरती के बढ़ते तापमान को कम कर विशिष्ट प्रदेश बनाना हमारी प्राथमिकता है।

मान्यवर,

यह सर्वविदित है कि वृक्ष प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण के संरक्षण एवं सुधार में विशेष योगदान करते हैं। वृक्ष प्रदूषित वातावरण से हानिकारक गैस, ठोस उत्सर्जित कण एवं ध्वनि प्रदूषण को कम करते हैं। पीपल, बरगद तथा पाकड़ के पौधों का रोपण आदि काल से किया जाता हैं इसी क्रम में प्रदेश के वृक्षारोपण में मृदा एवं कृषि–जलवायु क्षेत्र के अनुरूप शीशम, आम, नीम, अमली, जामुन, बेल एवं महुआ के रोपण के लिए विशेष प्रयास किये जाते है।

माननीय अध्यक्ष जी,

वन विभाग समयबद्ध ढंग से वृक्षारोपण का कार्य सम्पन्न कराता है। राज्य सरकार द्वारा वनावरण वृद्धि हेतु वृक्षारोपण की अनेक योजनाएं यथा सामाजिक वानिकी, शहरी क्षेत्रों में सामाजिक वानिकी, औद्योगिक एवं पल्पवुड वृक्षारोपण योजना, वनावरण विस्तार योजना, विन्ध्य

एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्र में बांस रोपण एवं वन सुधार योजना आदि कार्यान्विचत की जाती है। इन योजनाओं के अन्तर्गत नियोजित तरीके से वृक्षारोपण कार्य किया जाता है। राज्य संसाधन के अतिरिक्त भारत सरकार से वृक्षारोपण हेतु राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश में स्थापित वन विकास अभिकरण के माध्यम से भी धनराशि प्राप्त कर वृक्षारोपण का कार्य कराया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के अन्य विभागों द्वारा एवं आम जनता की सहभागिता से वृहद् वृक्षारोपण का कार्य कराया जाता है।

मान्यवर,

मैं सदन के समक्ष वृक्षारोपण की विभिन्न योजनाओं को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करता हूं :–

सामाजिक वानिकी

यह राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित वृक्षारोपण की मुख्य योजना है। प्रदेश के समस्त जनपदों के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रकाष्ठ, ईंधन एवं चारा पत्ती तथा लघु वन उपज की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न प्रकार की सामुदायिक भूमि, नहर, रेल तथा सड़क के किनारे उपलब्ध भूमि पर वृक्षारोपण कराया जाता है। ग्रामीणों को लघु काष्ठ उद्योग हेतु कच्चे माल की उपलब्धता इस कार्य से सुनिश्चित जाती है। वित्तीय स्रोत के अनुसार यह योजना निम्न प्रकार कार्यान्वित है :–

सामाजिक वानिकी योजना (सामान्य)

यह योजना प्रदेश के सभी जनपदों में संचालित है। वित्तीय वर्ष 2007–08 में रु0 9360.50 लाख (तिरान्वे करोड़ साठ लाख बावन हजार) का व्यय किया गया है। वर्ष 2008–09 में इस योजना के अन्तर्गत रु0 9363.11 लाख (तिरान्वे करोड़ तिरसठ लाख ग्यारह हजार) का व्यय हुआ है। वर्ष 2009–10 में रु0 8374.69 लाख (तिरासी करोड़ चौहत्तर लाख उन्हत्तर हजार) का मूल आय–व्ययक प्राविधानित है। वर्ष 2010–11 में रु0 812.71 लाख (आठ करोड़ बारह लाख इकहत्तर हजार) का मूल आय–व्ययक प्राविधानित है।

सामाजिक वानिकी–स्पेशल कम्पोनेन्ट सब प्लान

अनुसूचित जाति के कल्याणार्थ समाज कल्याण विभाग से स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि से सामाजिक वानिकी योजना का कार्यान्वयन किया जाता है। इसके अन्तर्गत अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामीण क्षेत्रों में वृक्षारोपण कराया जाता है। वित्तीय वर्ष 2007–08 में रु0 2729.04 लाख (सत्ताइस करोड़ उन्तीय लाख चार हजार) का व्यय किया गया है। वर्ष 2008–09 में इस योजना के अन्तर्गत रु0 2985.06 लाख (उन्तीस करोड़ पचासी लाख छः हजार) का व्यय हुआ है। वर्ष 2009–10 में रु0 3000.00 लाख (तीस करोड़) का मूल आय–व्ययक प्राविधानित है। वर्ष 2010–11 में रु0 3322.33 लाख (तैंतीस करोड़ बाइस लाख तैंतीस हजार) का मूल आय–व्ययक प्राविधानित है।

सामाजिक वानिकी–ट्राइबल सब प्लान

प्रदेश के अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में समाज कल्याण विभाग से ट्राइबल सब प्लान के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि से सामाजिक वानिकी योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों की सामुदायिक भूमि आदि पर वृक्षारोपण कार्य कराया जाता है। वित्तीय वर्ष 2007–08 में

रु0 51.30 लाख (इक्यावन लाख तीस हजार) का व्यय किया गया है। वर्ष 2008–09 में इस योजनान्तर्गत 56.43 लाख (छप्पन लाख तैंतालिस हजार) का व्यय हुआ है। वर्ष 2009–10 में रु0 56.43 लाख (छप्पन लाख तैंतालिस हजार) का मूल आय–व्ययक प्राविधानित है। वर्ष 2010–11 में रु0 56.43 लाख (छप्पन लाख तैंतालिस हजार) का मूल–व्ययक प्राविधानित है।

शहरी क्षेत्रों में सामाजित वानिकी

शहरी क्षेत्रों में पर्यावरण एवं सौन्दर्यीकरण हेतु सड़कों के किनारे खाली पड़ी भूमि एवं पार्कों की भूमि में शोभाकार व छायादार वृक्षों का वृक्षारोपण इस योजना में किया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2007–08 में रु0 900.00 लाख (नौ करोड़) का व्यय किया गया है। वर्ष 2008–09 में इस योजना के अन्तर्गत रु0 900.00 लाख (नौ करोड़) का व्यय हुआ है। वर्ष 2009–10 में रु0 900.00 लाख (नौ करोड़) का मूल आय–व्ययक प्राविधानित है। वर्ष 2010–11 में रु0 150.00 लाख (एक करोड़ पचास लाख) का मूल आय–व्ययक प्राविधानित है।

औद्योगिक एवं पल्पवुड वृक्षारोपण

प्रदेश की वनाधारित औद्योगिक इकाईयों को कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त प्रजातियों यथाः–सागौन, शीशम, कदम्ब एवं पापुलर आदि पौधों का वृक्षारोपण इस योजना के अन्तर्गत कराया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2007–08 में रु0 56207 लाख (पांच करोड़ बासठ लाख सात हजार) का व्यय किया गया है। वर्ष 2008–09 में इस योजना के अन्तर्गत रु0 562.07 लाख (पांच करोड़ बासठ लाख सात हजार) का व्यय हुआ है। वर्ष 2009–10 में रु0 562.07 लाख (पांच करोड़ बासठ लाख सात हजार) का मूल आय–व्ययक प्राविधानित है। वर्ष 2010–10 में रु0 50.00 लाख (पचास लाख) का मूल आय–व्ययक प्राविधानित हैं।

वनावरण वृद्धि हेतु सघन वृक्षारोपण योजना

प्रदेश के चयनित 22 जनपदों में वनावरण/वृक्षावरण वृद्धि हेतु यह योजना वित्तीय वर्ष 2005–06 में प्रारम्भ की गयी थी। यह योजना उत्तर प्रदेश के एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, औरैया, फर्रूखाबाद, कन्नौज, झांसी, जालौन, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, बदायूं तथा बागपत जनपदों में कार्यान्वित की गयी है। इसके अन्तर्गत ग्राम समाज की भूमि, अवनत वनों की रिक्त पड़ी भूमि एवं पटरी के किनारे की भूमि पर वृक्षारोपण कराया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2007–08 में रु0 1500.00 लाख (पन्द्रह करोड़) का व्यय किया गया है। वर्ष 2008–09 में इस योजना के अन्तर्गत रु0 1500.00 लाख (पन्द्रह करोड़) का व्यय हुआ है। वर्ष 2009–10 में रु0 303.15 लाख (तीन करोड़ तीन लाख पन्द्रह हजार) का मूल आय–व्ययक प्राविधानित है।

लखनऊ शहर में वृक्षारोपण

राज्य की राजधानी की सुन्दरता तथा हरियाली बढ़ाने एवं बढ़ते हुए प्रदूषण को नियंत्रित किये जाने के उद्देश्य से यह योजना लखनऊ जनपद के शहरी क्षेत्र में चलाई जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2007–08 में रु0 101.30 लाख (एक करोड़ एक लाख तीस हजार) का व्यय किया गया है। वर्ष 2008–09 में इस योजना के अन्तर्गत रु0 100.00 लाख (एक करोड़) का व्यय हुआ है। वर्ष 2009–10 में रु0 100.00 लाख का मूल आय–व्ययक प्राविधानित है।

लखनऊ जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में वृक्षारोपण

लखनऊ जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में ईधन एवं लघु प्रकाष्ठ की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा वन भूमि पर अतिक्रमण के दबाव को कम करने के उद्देश्य से यह योजना नाबार्ड के वित्त पोषण से कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2007–08 में रु0 100.00 लाख (एक करोड़) का व्यय किया गया है। वर्ष 2008–09 में इस योजना के अन्तर्गत रु0 100.00 लाख (एक करोड़ का व्यय हुआ है। वर्ष 2009–10 में रु0 100.00 लाख (एक करोड़) का मूल आय–व्ययक प्राविधानित है।

वृक्षावरण विस्तार योजना

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना काल के वर्ष 2007–08 से यह योजना कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के गांगेय क्षेत्र में पश्चिमी जनपद–बुलन्दशहर, गाजियाबाद, बिजनौर, बरेली, शाहजहांपुर आदि से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के महाराजगंज, अम्बेडकरनगर, सन्तकबीरनगर, गोरखपुर, बस्ती, बलिया एवं देवरिया आदि जनपदों में वनावरण एवं वृक्षावरण में वृद्धि के लिए वृक्षारोपण कराया जाता है। वित्तीय वर्ष 2007–08 में आयोजनागत पक्ष में इस योजना के अन्तर्गत रु0 2008–09 में रु0 2999.49 लाख (उन्तीस करोड़ निन्नावे लाख उन्चास हजार) का व्यय हुआ है तथा वर्ष 2009–10 में रु0 3000.00 लाख (तीस करोंड़) का मूल आय–व्ययक प्राविधानित है। वर्ष 2010–11 में रु0 383.21 लाख (तीन करोड़ तिरासी लाख इक्कीस हजार) का मूल आय–व्ययक प्राविधानित है।

विन्ध्य एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्र में बॉस रोपण एवं वन सुधार

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजनाकाल के वर्ष 2007–08 से यह योजना कार्यान्वित है। प्रदेश में बॉस के वन विन्ध्य एवं बुन्देलखण्ड के अधिकांश क्षेत्रों में फैले हैं। अत्यधिक जैविक दबाव के कारण इन वनों की दशा दिन प्रतिदिन खराब हो गई है। इन वनों की दशा सुधारने के लिए इनका वैज्ञानिक विधि से संवर्द्धन किया जाना आवश्यक है, जिसके लिए सघन रूप से संवर्द्धन कार्य कराये जाने के उद्देश्य से यह योजना नाबार्ड के वित्त पोषण से कार्यान्वित की जा रही है। आयोजनागत पक्ष में इस योजना के अन्तर्गत रु0 197.00 लाख (एक करोड़ सत्तानवे लाख) का व्यय हुआ है। वर्ष 2008–09 में रु0 167.85 लाख (एक करोड़ सरसठ लाख पचासी हजार) का व्यय हुआ तथा वर्ष 2009–10 में रु0 171.68 लाख (एक करोड़ एकहत्तर लाख अरसठ हजार) का मूल आय–व्ययक प्राविधानित है।

वन्यजीव संरक्षण की योजनाएँ

मान्यवर, वन्य जीव संरक्षण हेतु योजनाओं का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करता हूँ।

गोरखपुर प्राणि उद्यान

गोरखपुर में प्राणि उद्यान की स्थापना के लिए वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु रु० 100.00 लाख (एक करोड़) का आय–व्ययक प्राविधान है।

प्रोजेक्ट टाइगर

भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त पोषण से यह योजना बाघ एवं उसके प्राकृतवास के संरक्षण हेतु कार्यान्वित की जा रही है। दुधवा राष्ट्रीय पार्क मुख्यतः भारत सरकार की योजना 'प्रोजेक्ट टाइगर' से वर्ष 1987 में आच्छादित किया गया। कालान्तर में

किशनपुर वन्यजीव विहार एवं कतर्नियाघाट वन्य जीव विहार को भी इसके साथ रखकर इसे संयुक्त रूप से भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना "प्रोजेक्ट टाइगर" के अन्तर्गत लाया गया एवं दुधवा टाइगर रिजर्व का नाम दिया गया। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2007–08 में रु० 195.58 लाख (एक करोड़ पन्चानवें लाख अटठावन हजार) का व्यय किया गया है। वर्ष 2008–09 में इस योजना के अन्तर्गत रु० 360.56 लाख (तीन करोड़ छप्पन लाख उन्नतीस हजार) का मूल आय–व्ययक प्राविधानित है। प्रथम अनुपूरक मांगों के माध्यम से रु० 0.02 लाख (दो हजार) का प्राविधान कराया गया है। वर्ष 2010–11 में रु० 730.17 (सात करोड़ तीस लाख सत्रह हजार) का मूल–व्ययक प्राविधानित है।

पार्कों एवं पक्षी विहारों का विकास (नया नाम–इन्टीग्रेटेड डेवलेपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैवीटेट्स)

यह योजना भारत सरकार की सहायता से प्रदेश के समस्त पक्षी विहारों एवं वन्यजीव विहारों के विकास एवं प्रबन्धन हेतु क्रियान्वित की जा रही है। वर्ष 2002–03 से भारत सरकार द्वारा समस्त पक्षी विहारों के पारिस्थितकीय विकास कार्यों को भी उकत योजना में सम्मिलित कर दिया गया है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2007–08 में रु० 445.47 लाख (चार करोड़ पैंतालिस लाख सैंतालिस हजार) का व्यय किया गया है। वर्ष 2008–09 में इस योजना के अन्तर्गत रु० 364.65 लाख (तीन करोड़ चौसठ लाख पैंसठ हजार) का व्यय हुआ है। वर्ष 2009–10 में रु० 443.93 लाख (चार करोड़ चौवालिस लाख तिरान्वे हजार) का मूल आय–व्ययक प्राविधानित है। वर्ष 2010–11 में रु० 443.93 लाख (चार करोड़ चौवालिस लाख तिरान्वे हजार) का मूल आय–व्ययक प्राविधानित है।

प्रोजेक्ट एलीफैन्ट

यह योजना भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा औपचारिक रूप से विज्ञापित एलीफैन्ट रिजर्व हेतु चलाई जा रही है। योजना के अन्तर्गत हाथी के प्राकृत वासों की सुरक्षा व संरक्षण, अवैध शिकार विरोधी गतिविधियॉं, मानव वन्यजीव संघर्ष की स्थितियों के अल्पीकरण, स्थानीय समुदायों में वन्यजीव संरक्षण के प्रति चेतना व जागरूकता उत्पन्न करना आदि कार्यों के लिए यह वित्तीय सहायता प्राप्त होती है।

उत्तर प्रदेश में 3 वन प्रभागों, शिवालिक, बिजनौर सामाजिक वानिकी एवं नजीबाबाद वन प्रभाग, जिनमें हाथियों की बहुतायत है, इस योजना के लिए चिन्हित किये गये हैं। इस योजना के अर्न्गत वर्ष 2007–08 में 43.73 लाख (तैंतालिस लाख तिहत्तर हजार) का व्यय किया गया है। वर्ष 2008–09 में इस योजना के अन्तर्गत रु० 37.20 लाख (सैंतीस लाख बीस हजार) का व्यय हुआ है। वर्ष 2009–10 में रु० 58.24 लाख (अट्ठावन लाख चौबीस हजार) का मूल आय–व्ययक प्राविधानित है। वर्ष 2010–11 में रु० 71.59 लाख (इकहत्तर लाख उनसठ हजार) का मूल आय–व्ययक प्राविधानित है।

झादीताल संरक्षण योजना (दुधवा टाईगर रिजर्व)

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजनाकाल के वर्ष 2007–08 से यह योजना कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना में किशनपुर व्यय जीव विहार स्थित झादीताल, जो उत्तर प्रदेश के राज्य पशु बारहसिंहा का प्रमुख बास स्थल है, को शारदा नदी के कटान से बचाने के लिए बांधों का निर्माण किया जा रहा है। आयोजनागत पक्ष में इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2007–08 में

रु० 339.11 लाख (तीन करोड़ उन्तालिस लाख ग्यारह हजार) का व्यय हुआ है। वित्तीय वर्ष 2009–10 में पुनर्विनियोग के माध्यम से रु० 383.12 लाख (तीन करोड़ तिरासी लाख बारह हजार) की धनराशि प्राविधानित की गयी है।

बर्ड फ्लू योजना

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजनाकाल के वर्ष 2007–08 से यह योजना कार्यान्वित की जा रही है। प्रवासी पक्षियों के कारण बर्ड फ्लू फैलने की आशंका तथा बर्ड फ्लू से उत्पन्न होने वाली किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए प्रवासी पक्षियों के विषय में अध्ययन करने के लिये यह योजना चालू की गयी है। आयोजनागत पक्ष में वित्तीय वर्ष 2007–08 में रु० 40.79 लाख (चालीस लाख उन्यासी हजार) का व्यय हुआ। वर्ष 2008–09 में रु० 10.63 लाख (दस लाख तिरसठ हजार) का व्यय हुआ। वर्ष 2009–10 में रु० 31.16 लाख (इकत्तिस लाख सोलह हजार) का मूल आय–व्ययक प्राविधानित है।

दुधवा टाईगर रिजर्व प्रभाग के अन्तर्गत सुहेली नदी का पारिस्थितिकीय पुनरुद्धार

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजनाकाल के वर्ष 2007–08 से यह योजना कार्यान्वित की गयी है। सुहेली नदी बैराज में अत्यधिक गाद (सिल्ट) के जमा होने से पानी वन क्षेत्रों में जमा हो जाता है, जिससे उस क्षेत्र में खाद्य घास की जगह अखाद्य घास के आने से बारहसिंहा आदि बन्य जीव प्राणियों का घास मैदान कम हो रहा है तथा प्राकृतिक साल वनों के स्थान पर जामुन के वनों का उद्भव हो राहा है। इसलिए सुहेली नदी को गहरा कर गाद (सिल्ट) को निकानले हेतु इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2007–08 में रु० 276.44 (दो करोड़ छियहत्तर लाख चौवालिस हजार) लाख का व्यय किया गया है।

मानव वन्य जीव संघर्ष निवारण परियोजना

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजनाकाल के वर्ष 2007–08 से यह योजना कार्यान्वित की जा रही है। विगत कई वर्षों से मनुष्य तथा वन जीवों के संघर्ष की घटनाओं में बढ़ोत्तरी हुई है। उकत समस्या से निपटने हेतु यह परियोजना तैयार की गयी है। आयोजनागत पक्ष में वित्तीय वर्ष 2007–08 के अन्तर्गत इस योजना में रु० 15.35 लाख (पन्द्रह लाख पैंतीस हजार) का व्यय हुआ है। वर्ष 2008–09 में रु० 1.01 लाख (एक लाख एक हजार) का व्यय हुआ है। वर्ष 2009–10 में रु० 1.01 लाख (एक लाख एक हजार) का मूल आय–व्ययक प्राविधानित है। वर्ष 2010–11 में रु० 1.01 लाख (एक लाख एक हजार) का मूल आय–व्ययक प्राविधानित है।

राष्ट्रीय वेटलैण्ड संरक्षण योजना

यह योजना पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के नेशनल वेटलैण्ड कन्जरवेशन प्रोग्राम के तहत चलाई जा रही है। इस योजना का उद्देश्य संरक्षित तथा गैर संरक्षित वेटलैण्ड की सुरक्षा, प्राकृत वास सुधार, कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट, शोध, स्थानीय समुदायों के साथ भागीदार प्रबंध एवं जलगुणवत्ता अनुश्रवण आदि मदों में सहायता पहुंचाना हैं इस कार्यक्रम के तहत भारत सरकार द्वारा विशिष्ट वेटलैण्ड्स के 5 वर्षीय मैनेजमेंट इन्टरवेन्शन ऐक्शन प्लान के आधार पर वार्षिक वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2007–08 में रु० 64.46 लाख (चौसठ लाख छियालिस हजार) का व्यय किया गया है। वर्ष 2008–09 में इस योजना के अन्तर्गत रु० 76.16 लाख (छियत्तर लाख सोलह हजार) का व्यय हुआ है। वर्ष 2009–10 में रु०60.18 लाख (साठ लाख अट्ठारह हजार) का मूल

आय–व्ययक प्राविधानित है तथा प्रथम अनुपूरक मांगों के माध्यम से रु० 134.90 लाख (एक करोड़ चौंतिस लाख नब्बे हजार) का आय–व्ययक प्राविधान कराया गया है। वर्ष 2010–11 में रु० 222.33 लाख (दो करोड़ बाइस लाख तैंतीस हजार) का मूल आय–व्ययक प्राविधानित है।

विभाग में कार्यान्वित राज्य पोषित अन्य योजनाएं संचार साधन (सड़क तथा टेलीफोन लाइन)

वनों के प्रभावी सुरक्षा प्रबन्ध तथा सुचारु रूप से आवागमन हेतु संचार साधन योजन कार्यान्वित है। इस योजना में मुख्यतः आरक्षित वन क्षेत्र के अन्तर्गत नई सड़कों का निर्माण, पुरानी सड़कों का जीर्णोद्धार तथा पुल/पुलियों का निर्माण आदि कार्य किये जाते हैं। इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2007–08 में रु० 278.37 लाख (दो करोड़ अट्ठहत्तर लाख सैंतिस हजार) का व्यय हुआ है। वर्ष 2008–09 में रु० 5.00 लाख (पांच लाख) का व्यय हुआ है। वर्ष 2009–10 में रु० 5.00 लाख (पांच लाख)का मूल आय–व्ययक प्राविधानित है। वर्ष 2010–11 में रु० 5.00 लाख (पांच लाख)का मूल आय–व्ययक प्राविधानित है।

भवन निर्माण

वनों में कार्यरत वन कर्मियों के लिये आवासीय भवनों तथा विभागीय कार्यालयों एवं अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु यह योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2007–08 में रु० 192.36 लाख (एक करोड़ बान्वे लाख छत्तीस हजार) का व्यय हुआ है। वर्ष 2008–09 में रु० 5.00 लाख (पांच लाख) का व्यय हुआ है। वर्ष 2009–10 में रु० 5.00 लाख (पांच लाख) मूल आय–व्ययक प्राविधानित है। वर्ष 2010–11 में रु० 5.00 लाख (पांच लाख) का मूल आय–व्ययक प्राविधानित है।

वन विभाग का आधुनिकीकरण

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजनाकाल के वर्ष 2007–08 से यह योजना कार्यान्वित की जा रही है। कौशलपूर्ण प्रबंधन हेतु त्वरित संयुक्त वन प्रबंध, उत्तम तकनीक एवं प्रभावी संचार व्यवस्था वर्तमान में अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इसलिए विभाग की ढांचागत व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से यह योजना कार्यान्वित की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2007–08 में आयोजनागत पक्ष के अन्तर्गत रु० 153.26 लाख (एक करोड़ तिरपन लाख छब्बीस हजार) का व्यय हुआ है। वर्ष 2008–09 में 453.78 लाख (चार करोड़ तिरपन लाख अट्ठहत्तर हजार) का व्यय हुआ है। वर्ष 2009–10 में रु० 442.77 लाख (चार करोड़ बयालिस लाख सतहत्तर हजार) का मूल आय–व्ययक प्राविधानित है।

वन क्षेत्रों में सर्वे एवं सीमांकन

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजनाकाल के वर्ष 2007–08 से यह योजना कार्यान्वित की जा रही है। आरक्षित वन क्षेत्र में अतिक्रमण एवं अवैध खनन आदि की समस्याओं पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करने हेतु वन क्षेत्रों का सीमांकन करके सीमा स्तम्भों का लगाया जाना नितान्त आवश्यक है। सीमाओं के स्पष्ट न होने के कारण वन क्षेत्रों को असामाजिक तत्वों/भू–माफिओं के द्वारा अतिक्रमण किये जाने की समस्या बनी रहती है। इसी प्रकार सीमा स्पष्ट न होने से वन भूमि पर अवैध खनन/अतिक्रमण की सम्भावना बनी रहती है। उक्त समस्याओं के निराकरण हेतु यह योजना कार्यान्वित की जा रही है। आयोजनागत पक्ष में

वित्तीय वर्ष 2007–08 में इस योजना के अन्तर्गत रु० 24.54 लाख (चौबीस लाख चौवन हजार) का व्यय हुआ है। वर्ष 2008–09 में 132.40 लाख (एक करोढ़ बत्तीस लाख चालीस हजार) का व्यय हुआ है। वर्ष 2009–10 में रु० 77.26 लाख (सतहत्तर लाख छब्बीस हजार) का मूल आय–व्ययक प्राविधानित है। वर्ष 2010–11 में रु० 56.66 लाख (छप्पन लाख छाछट हजार) का मूल आय–व्ययक प्राविधानित है।

पौधशाला प्रबन्धन एवं अवस्थापना विकास

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजनाओं के वर्ष 2007–08 से यह योजना कार्यान्वित की जा रही है। प्रदेश में वन क्षेत्र बढ़ाने की सम्भावनायें लगभग नगण्य हैं, लेकिन विभिन्न प्रकार की उपलब्ध भूमि पर वृक्षारोपण कर वृक्षाच्छादित क्षेत्र को बढ़ाने की अपार सम्भावनायें हैं। वृक्षाच्छादन की योजना वृहद् स्तर पर समस्त विभागों के सहयोग से जन सहभागिता द्वारा सम्भव है। इसके लिए वृहद् वृक्षारोपण हेतु उच्च गुणवत्ता की पौध उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु वन विभाग द्वारा पौध तैयार करने के लिए यह योजना क्रियान्वित की गयी है। आयोजनागत पक्ष में वित्तीय वर्ष 2007–08 में इस योजना के अन्तर्गत रू० 1392.33 लाख (तेरह करोड़ बान्वे लाख तैतीस हजार) का व्यय हुआ है। वर्ष 2008–09 में रू० 1499.89 लाख (चौदह करोड़ निन्नावे लाख नवासी हजार) का व्यय हुआ है। वर्ष 2009–10 मे रु० 1500.00 लाख (पन्द्रह करोड़) का मूल आय–व्ययक प्रविधानित है। वर्ष 2010–11 में रु0 194.57 लाख (एक करोड़ चौरानवे लाख सत्तावन हजार) का मूल आय–व्ययक प्राविधानित है।

ई–गवर्नेंस योजना

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजनाकाल के वर्ष 2007–08 से यह योजना कार्यान्वित की जा रही है। वन विभाग में कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं की प्रगति तथा वन विभाग के विविध क्रियाकलापों से संबंधित सूचनाओं के आदान–प्रदान/आवागमन तथा संधारण हेतु ई– गवर्नेंस एवं सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग कर सूचनाओं को स्ट्रीम लाईन करने के उद्देश्य से यह योजना विभाग में लागू की गयी है। आयोजनागत पक्ष में वित्तीय वर्ष 2007–08 में इस योजना के अन्तर्गत रु० 99.72 लाख (निन्नावे लाख बहत्तर हजार) का व्यय हुआ है। वर्ष 2008–09 में रु० 92.02 लाख (बान्वे लाख दो हजार) का व्यय हुआ है। वर्ष 2009–10 में रु० 78.53 लाख (अट्ठहत्तर लाख तिरपन हजार) का भूल आय–व्ययक प्राविधानित है। वर्ष 2010–11 में रु० 56.63 लाख (छप्पन लाख तिरसठ हजार का मूल आय–व्ययक प्राविधानित है।

प्रबन्ध योजनाओं का निरूपण

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजनाकाल के वर्ष 2007–08 से यह योजना कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना में प्रदेश के बहुमूल्य वनों का वैज्ञानिक योजनाबद्ध ढंग से प्रबन्ध करने के लिए प्रबन्ध योजनाओं का निरूपण किया जाता है। वनों का प्रबन्धन निर्धारित प्रबन्ध योजना के अन्तर्गत किये जाने के लिए उच्च कोटि की प्रबन्ध योजनाओं के निरूपण के लिए यह योजना कार्यान्वित की जा रही है। इसके अन्तर्गत फील्ड सर्वेक्षण, वनों का मूल्याँकन तथा जी०आई०एस० प्रणाली पर आधारित मानचित्रों का निरूपण आदि कार्य किया जाता है। आयोजनागत पक्ष में वित्तीय वर्ष 2007–08 में इस योजना के अन्तर्गत रु० 24.97 लाख (चौबीस लाख सत्तान्वे हजार) का व्यय हुआ है। वर्ष 2008–09 में रु० 24.94 लाख (चौबीस लाख चौरान्वे हजार) व्यय हुआ है। वर्ष 2009–10 में रु० 24.94 लाख (चौबीस लाख चौरान्वे

हजार) का मूल आय–व्ययक प्राविधानित है। वर्ष 2010–11 में रु० 83.06 लाख (तिरासी लाख छः हजार) का मूल आय–व्ययक प्राविधानित है।

ऑपरेशन ग्रीन

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजनाकाल के वर्ष 2007–08 से यह योजना कार्यान्वित की जा रही है। प्रदेश के समस्त जनपदों में हरीतिमा विस्तार तथा प्रभागों में स्थित वन चेतना केन्द्रों/वन पार्कों के उच्चीकरण हेतु यह योजना कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत आम जनता को हरीतिमा संवर्द्धन हेतु जागृत करने के लिए आवश्यक गोष्ठी, प्रशिक्षण तथा भ्रमण आदि कार्य कराये जाते हैं। आयोजनागत पक्ष में वित्तीय वर्ष 2007–08 में इस योजना के अन्तर्गत रु० 579.21 लाख (पाँच करोड़ उन्यासी लाख इक्कीस हजार) का व्यय हुआ है। वर्ष 2008–09 में रु० 387.24 लाख (तीन करोड़ सत्तासी लाख चौबीस हजार) का व्यय हुआ है। वर्ष 2009–10 में रु० 247.62 लाख (दो करोड़ सैतालिस लाख बासठ हजार) का मूल आय–व्ययक प्राविधानित है। वर्ष 2010–11 में रू०146.96 लाख (एक करोड़ छियालिस लाख छियानबे हजार) का मूल आय–व्ययक प्राविधानित हैं।

मान्यवर कांशीराम वन, वन्य जीव एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार योजना

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजनाकाल के वर्ष 2007–08 से वृक्ष बन्धु पुरस्कार योजना कार्यान्वित थी। इस योजना के स्थान पर मान्यवर कांशीराम वन, वन्य जीव एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार योजना वर्ष 2010–11 से प्रारम्भ की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य वृक्षारोपण एवं वन्य जीव संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए इस क्षेत्र में कार्य करने वाले नागरिकों, संस्थाओं एवं विभागों द्वारा उल्लेखनीय कार्यों के लिए पुरस्कृत एवं सम्मानित किया जाना है। वर्ष 2010–11 में रु० 4.40 लाख (रु० चार लाख चालीस हजार) का मूल आय–व्ययक प्रविधानित है।

उत्तर प्रदेश में राज्य जैव विविधता बोर्ड निधि

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजनाकाल के वर्ष 2007–08 से यह योजना कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश में राज्य जैव विविधता बोर्ड निधि की स्थापना है। इस निधि का उद्देश्य जैव विविधता के संरक्षण, संसाधनों के पोषणीय उपयोग तथा जैव संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभ के साम्यपूर्ण हिस्सा जुटाने के संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये गये निर्देशिका के अधीन सलाह देना है। आयोजनागत पक्ष में वित्तीय वर्ष 2007–08 में इस योजना के अनतर्गत रू० 500.00 लाख (पाँच करोड़) का व्यय हुआ है। वर्ष 2008–09 में रु० 500.00 लाख (पाँच करोड़) का व्यय हुआ है। वर्ष 2009–10 में रु० 500.00 लाख (पाँच करोड़) का मूल आय–व्ययक प्राविधानित है। वर्ष 2010–11 में रु० 50.00 लाख (पचास लाख) का मूल आय–व्ययक प्रविधानित है।

उत्तर प्रदेश पार्टीसिपेट्री फारेस्ट मैनेजमेंट एवं पावर्टी एलिविएशन प्रोजेक्ट

उत्तर प्रदेश के अवनत वनों के सुधार एवं वनों पर निर्भर जन समुदाय की निर्धनता उन्मूलन के दृष्टिगत जापान इण्टरनेशनल कोआपरेशन एजेन्सी (जे०आई०सी०ए०) द्वारा वित्त

पोषित "उत्तर प्रदेश पार्टीसिपेट्री फारेस्ट मैनेजमेंट एवं पावर्टी एलिविएशन प्रोजेक्ट" वित्तीय वर्ष 2008–09 से क्रियान्वित की जा रही है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य जन सहभागिता के माध्यम से अवनत वनों का पुनरोद्धार एवं प्रबंधन किया जाना तथा स्थानीय जन समुदाय की आय क्षमता बढ़ाया जाना है। यह परियोजना उत्तर प्रदेश के पीलीभीत,लखीमपुर, खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, इलाहाबाद, मिर्जापुर, सोनभद्र तथा चन्दौली जनपदों के 20 वन प्रभागों में क्रियान्वित की जा रही है। इन जनपदों का चयन प्रदेश के बुन्देलखण्ड, तराई एवं विन्ध्य क्षेत्रों के अवनत वनों को दृष्टिगत रखते हुए किया गया है। वर्ष 2008–09 में इस योजना के अन्तर्गत रु० 5480.00 लाख (चौवन करोड़ अस्सी लाख का व्यय हुआ है। वर्ष 2009–10 में रू० 5490.00 लाख (चौवन करोड़ नब्बे लाख) का मूल आय–व्ययक प्राविधानित है। वर्ष 2010–11 में रू० 9470.00 लाख (चौरानबे करोड़ सत्तर लाख) का मूल आय–व्ययक प्राविधानित है।

हाई वैल्यू प्लानटेशन

प्रदेश में वनों पर बढ़ते जैविक दबाव, प्रकाष्ठ की माँग एवं पूर्ति में अन्तर को दृष्टिगत रखते हुए उच्च गुणवत्ता की प्रजातियों यथा–शीशम, टीक आदि के वृक्षारोपण कराये जाने हेतु वर्ष 2008–09 से यह योजना कार्यान्वित की जा रही है। प्रदेश के मेरठ, ज्योतिबाफुलेनगर, बिजनौर, खीरी, रायबरेली, मिर्जापुर,सोनभद्र, श्रावस्ती, बहराइच, पीलीभीत, बस्ती संतकबीरनगर तथा चन्दौली जनपदों के 15 प्रभागों में यह योजना क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना में ऐसे क्षेत्रों का चयन किया गया है, जो औधोगिक प्रजाति के रोपण हेतु उपयुक्त है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2008–09 में रु० 807.45 लाख (आठ करोड़ सात लाख पैंतालिस हजार का व्यय हुआ है। वर्ष 2009–10 में रू० 581.26 लाख (पाँच करोड़ इक्यासी लाख छब्बीस हजार) का मूल आय–व्ययक प्रविधानित है। वर्ष 2010–11 में रु० 272.12 लाख (दो करोड़ बहत्तर लाख बारह हजार) का मूल आय–व्ययक प्रविधानित है।

भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित अन्य योजनाएँ

इन्टीग्रेटेड फारेस्ट प्रोटेक्शन स्कीम (नया नाम– इन्टेन्सीफिकेशन आफ फारेस्ट मैनेजमेंट)

भारत सरकार द्वारा 75 प्रतिशत तथा राज्य सरकार द्वारा 25 प्रतिशत वित्त पोषण से वनों की सुरक्षा के उद्देश्य से यह योजना कार्यान्वित की जा रही है। योजनान्तर्गत वनों की अग्नि से सुरक्षा, वनों की सुरक्षा हेतु आवश्यक सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण एवं प्रबन्ध योजना का निरूपण, फील्ड सर्वे, सीमांकन आदि से सम्बन्धित कार्य कराये जाते हैं। वर्ष 2007–8 में रु० 311.76 लाख (तीन करोड़ ग्यारह लाख छियत्तर हज़ार का व्यय हुआ है। वर्ष 2008–09 में रु० 333.63 लाख (तीन करोड़ तैंतिस लाख तिरसठ हजार) का व्यय हुआ है। वर्ष 2009–10 में रु० 358.78 लाख (तीन करोड़ अट्ठावन लाख अटठहत्तर हजार) का मूल आय–व्ययक प्राविधानित है। वर्ष 2010–11 में रु० 257.72 लाख (दो करोड़ सत्तावन लाख बहत्तर हजार) का मूल आय–व्ययक प्राविधानित हैं।

विश्व खाद्य कार्यक्रम

अन्तर्राष्ट्रीय कृषि संगठन की विशिष्ट एजेन्सी, विश्व खाद्य कार्यक्रम की सहायता से श्रमिक कल्याण की योजना "विश्व खाद्य कार्यक्रम" वन विभाग में माह मार्च, 2008 तक

संचालित की गयी। इसके अन्तर्गत प्रदेश के अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति बाहुल्य 4 जनपदों–बाँदा, चित्रकूट, मिर्जापुर एवं सोनभद्र के अन्तर्गत 7 वन प्रभागों में वानिकी श्रमिकों को प्रति यूनिट 2.5 किग्रा० गेहू एवं 200 ग्राम दाल दिया जाता रहा। इसके बदले उनकी मजदूरी से मात्र रू० 10.00 प्रति इकाई की दर से कटौती की जाती रही। इस योजना से मार्च, 2008 तक 5.27 करोड़ (पाँच करोड़ सत्ताइस लाख) खाद्य दिवस सृजित हुए हैं।

उपरोक्तानुसार सृजित धनराशि से प्रदेश के उक्त 4 जनपदों के वन प्रभागों के चयनित ग्रामों में विभागीय माइक्रोप्लान बनाकर तथा एन०जी०ओ० के माध्यम से उनके द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के अनुसार ग्रामवासियों विशेष कर गरीब महिलाओं एवं बच्चों की कल्याणकारी योजनाएँ चलाई जा रहीं हैं। इन योजनाओं से अब तक 3451 (तीन हजार चार सौ इक्यावन) से अधिक परिवार लाभान्वित हो चुके हैं।

राज्य की समेकित निधि के अन्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष से उत्तर प्रदेश वन विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2009–10 में 5000 (पाँच हजार) अनामित वन श्रमिकों का बीमा कराया गया है। इस योजना के अन्तर्गत वन श्रमिकों को ड्यूटी के दौरान मृत्यु अथवा स्थायी विकलांगता की स्थिति में रु० 52,000,00 (बावन हजार) का लाभ तथा अस्थायी विकलांगता की स्थिति में रु० 26,000,00 (छब्बीस हजार) की आर्थिक सहायता दिया जाता है। विश्व खाद्य कार्यक्रम के आरम्भ से अब तक इस बीमा योजना के अन्तर्गत 102 वन श्रमिकों को लाभ मिल चुका है।

अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं कार्ययोजना निरूपण वन अनुसंधान

वर्तमाम में अनुसंधान गतिविधियों के अन्तर्गत वृक्ष सुधार कार्यक्रम को शीर्ष प्राथमिकता दी जा रही है। अनुसंधान गतिविधियों के सम्पादन के लिए वित्त पोषण मुख्यतः राज्य आयोजनागत योजना "वन संबंधी शोध कार्य एवं प्रसार" से प्राप्त होता है। वित्तीय वर्ष 2008–09 में प्राप्त रू० 48.50 लाख (अड़तालिस लाख पचास हजार) की धनराशि एवं वर्ष 2009–10 में प्राप्त इतनी ही धनराशि से अनुसंधान के विभिन्न कार्य कराये गये हैं। वित्तीय वर्ष 2010–11 में रू० 48.50 लाख (अड़तालिस लाख पचास हजार) का आय-व्ययक प्राविधानित है।

विगत वर्ष में स्थापित बीज उत्पादन क्षेत्र, सीड आचर्ड तथा बैम्बू सेटम आदि के अनुरक्षण का कार्य सम्पादित कराया जाता है।

पूर्व चयनित/स्थापित बीज स्रोतों से वित्तीय वर्ष 2008–09 में प्रदेश के विभिन्न प्रभागों को उनकी मांग के सापेक्ष कुल 676.00 (छः सौ छियत्तर) कुन्तल उच्च गुणवत्तायुक्त बीज उपलब्ध कराया गया, जिनमें शीशम, सागौन, खैर बबूल, विलायती बबूल, कंजी, अर्जुन, चिलबिल तथा यूकेलिप्टस आदि मुख्य प्रजातियाँ हैं।

भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वित्त पोषित परियोजना "बांस एवं शीशम के इन विट्रो क्लोनल गुणन की तकनीक का प्रदर्शन, प्रसार तथा उत्तर प्रदेश में उनकी संस्थापना" नामक परियोजना के अन्तर्गत वन अनुसंधान संस्थान, कानपुर में स्थापित टिशू कल्चर प्रयोगशाला में बांस व शीशम के टिशू कल्चर प्राविधि से पौध तैयार करने का कार्य सम्पादित किया जा रहा है। इस विधि से तैयार पौधों का फील्ड ट्रायल भी किया जा रहा है।

राज्य वन अनुसंधान संस्थान, कानपुर को भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद (डीम्ड विश्वविद्यालय) देहरादून, उत्तराखण्ड से वानिकी विषयों में पी०एच०डी० की उपाधि प्रदान कराने हेतु शोध केन्द्र की मान्यता प्राप्त है।

उत्तर प्रदेश वन निगम

उत्तर प्रदेश के वनों को अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी संरक्षण, परिरक्षण, विकास तथा वनोपज के वैज्ञानिक विदोहन के लिए स्थानीय प्राधिकरण के रूप में उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम 1974 के अन्तर्गत, 25 नवम्बर 1974 को उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना हुई। अन्य प्रदेशों में वन विकास निगम (कम्पनी अधिनियम) के अन्तर्गत कम्पनी के रूप में पंजीकृत है, जबकि उत्तर प्रदेश वन निगम का गठन राज्य सरकार के स्थानीय निकाय के रूप में उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम के उपबन्धों तथा राज्य सरकार के निर्देशों के अधीन किया गया है। वन निगम द्वारा विभिन्न प्रजातियों का विदोहन किया गया है।

मान्यवर,

प्रदेश में वनावरण में वृद्धि सराहनीय है। भारतीय वन सर्वेक्षण, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, देहरादून द्वारा उपग्रह से विभिन्न वर्षो मे एकत्रित किये गये आकड़ों के अनुसार वर्ष 2001 से 2009 तक उत्तर प्रदेश में 595 वर्ग किलोमीटर वनावरण में वृद्धि हुई है जो कि भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.24 प्रतिशत है। वर्ष 2005 से 2009 तक 214 वर्ग किलोमीटर वनावरण क्षेत्र बढ़ा है जो कि भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.09 प्रतिशत है। यह बढ़ोत्तरी वन विभाग द्वारा विगत वर्षो में किये गये वृक्षारोपण व वनों की सुरक्षा का परिणाम है।

वित्तीय वर्ष 2010–11 का परिव्यय आय–व्ययक प्राविधान

दिनांक 04-02-2010 तक की स्थिति

क्रम सख्या	योजना का नाम	परिव्यय	आय-व्ययक प्राविधान
1	2	3	4
I	अनुदान संख्या–60		
	(क) राज्य सेक्टर		
	अ–वाह्य सहाययित योजना		
1	उ०प्र० पार्टिसिपेट्र फारेस्ट मैनेजमेन्ट एवं पावर्टी एलीविएशन प्रोजेक्ट (जे०बी० आई०सी० सहायतित	9470.00	9470.00
	योग–अ	9470.00	9470.00
	ब–केंन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं		
1	इन्टीग्रेटेड फारेस्ट प्रोटेस्शन स्कीम	64.43	257.72
2	प्रोजेक्ट टाइगर	238.00	730.17
3	पार्को एवं पक्षी विहारों का विकास	123.64	444.93

1	2	3	4
4	प्राजेक्ट एलीफैन्ट	0.00	71.59
5	राष्ट्रीय वेटलैण्ड संरक्षण कार्यक्रम	0.00	222.33
	योग–ब	426.07	1726.74
	स–आर०आई०डी०एफ०योजनाएं		
1	लखनऊ जनपद के ग्रामीण क्षेत्र में वृक्षरोपण	0.00	0.00
2	विन्ध्य एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्र में बांस रोपण एवं बांस वन सुधार	0.00	0.00
3	हाई वैल्यू प्लान्टेशन	272.12	272.12
4	नाबार्ड की नई योजना हेतु	295.06	0.00
	योग–स	567.18	272.12
	द–राज्य आयोजनागत योजनाएं		
1	वन सम्बन्धी शोध कार्य एवं प्रसार	48.50	48.50
3	लखनऊ शहर में वृक्षारोपण	0.00	0.00
5	वनावरण वृद्धि हेतु सघन वृक्षारोपण	0.00	0.00
6	वृक्ष बन्धु पुरस्कार योजना	4.40	4.40
8	पौधशाला प्रबन्ध एवं अवस्थावना विकास	494.57	194.57
9	ई–गवर्नेन्स	56.63	56.63
11	उत्तर प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड को अनुदान	500.00	50.00
12	वन क्षेत्रों में सर्वे/सीमांकन की योजना	56.66	56.66
13	वन विभाग का आधुनिकीकरण	193.61	0.00
14	वनों के प्रबन्धन हेतु कार्य योजनाओं का निरूपण	84.31	83.06
15	आपरेशन ग्रीन	246.96	146.96
16	वृक्षावरण विस्तार योजना	713.21	383.21
17	झांदी ताल संरक्षण योजना (दुधवा टाईगर रिजर्व)	0.00	0.00
18	मानव वन्य जीव संघर्ष निवारण परियोजना	1.01	1.01
19	प्रिंस आफ जुलोजिकल गार्डेन लखनऊ को अनुदान	0.00	0.00
20	चिड़ियाघर की स्थापना	1000.00	100.00

1	2	3	4
21	बर्ड फ्लू कन्ट्रोल हेतु योजना	0.00	0.00
22	जनपद शाहजहाँपुर में वन प्रबन्धन हेतु भूमि अधिग्रहण	0.00	0.00
	योग–स	3399.86	1125.00
	योग–राज्य सेक्टर	13863.11	12593.86

दिनांक 04-02-2010 तक की स्थिति

क्रम सख्या	योजना का नाम	परिव्यय	आय-व्ययक प्राविधान
1	2	3	4
	(ख) जिला सेक्टर		
1	सड़क तथा टेलीफोन लाइन	5.00	5.00
2	भवन निर्माण	5.00	5.00
3	सामाजिक वानिकी	2022.71	812.71
4	शहरी क्षेत्र में सामाजिक वानिकी	300.00	150.00
5	औद्योगिक एवं पल्पवुड वृक्षारोपण	200.00	50.00
	योग–जिला सेक्टर	2532.71	1022.71
	योग अनुदान संख्या–60	16395.82	13616.57

श्री रामवीर उपाध्याय–

मान्यवर,

आदरणीया बहन मायावती के नेतृत्व में गठित वर्तमान सरकार के कार्यकाल मे विद्युत क्षेत्र में हुई प्रगति से यह माननीय सदन पूरी तरह परिचित है। वर्तमान सरकार ने कार्यभार ग्रहण करते ही विद्युत क्षेत्र में व्यापक सुधार, विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि तथा प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को बेहतर विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार की तथा उसे प्रभावी ढ़ग से लागू किया। सरकार के इन प्रयासों के सार्थक परिणाम आने शुरु हो गए हैं।

मान्यवर, प्रदेश में वर्ष 2004 में प्रतिदिन औसत विद्युत की उपलब्धता 4799 मे०वा० जो 2007 में 60.52 मे० वा० तथा वर्ष 2009 में 6699 मे०वा० हो गई। वर्तमान में प्रतिदिन औसतन 6825 मे०वा० बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। विद्युत की दिनोंदिन बढ़ती मांग के कारण अभी भी प्रदेश मे लगभग 2500 मे०वा० विद्युत की कमी है जिसे पूरा करने के लिए गत तीन वर्षो में किए गये प्रयासों के फलस्वरूप अगले दो वर्षो में 5600 मे०वा० अतिरिक्त बिजली

उपलब्ध हो जाएगी। जो परियोजनाएँ इस अवधि में पूर्ण होने वाली हैं उनका ब्यौरा इस प्रकार है:–

क्रम-सख्या	योजना का नाम	क्षमता	पूर्ण होने का वर्ष
1	पारीछा विस्तार	500 मे०वा०	जून 2010
2	हरदुआगंज विस्तार	500 मे०वा०	अगस्त 2010
3	अनपरा सी	1100 मे०वा०	जुलाई 2011
4	अनपरा डी	1000 मे०वा०	फरवरी 2012
5	रोजा	600 मे०वा०	जून 2010
6	बजाज हिन्दुस्तान	200 मे०वा०	जनवरी 2012
7	श्रीनगर	330 मे०वा०	मार्च 2012
8	केन्द्रीय परियोजनाएँ	1367	2009–12
	कुल योग	5597 मे0 वा0	

मान्यवर,

हमारी सरकार ने न केवल नई परियोजनाओं की परिकल्पना की बल्कि पिछली सरकार के समय धीरे-धीरे चल रही परियोजनाओं को गति प्रदान की। हमने पारीछा एवं हरदुआगंज विस्तार परियोजनाओं को पूरा करने के लिए परियोजनाओं का गहन अनुश्रवण कर परियोजनाओं को इस स्थिति में ले आये कि वर्ष 2010 में इन परियोजनाओं से उत्पादन मिलने लगे। इसी प्रकार अनपरा डी परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति कोयलें का आवंटन तथा कार्य का आवंटन करके सरकार ने मौके पर परियोजना का कार्य तीव्र गति से प्रारम्भ कराया। इस परियोजना से भी वर्ष 2010 के प्रारम्भ में बिजली मिलने लगेगी। अनपरा-सी परियोजना के लिए मौके पर भूमि उपलब्ध कराई गयी तथा परियोजना की स्थापना के लिए अन्य आवश्यक स्वीकृतियाँ भी प्रदान की गयी जिससे यह परियोजनाओं के सम्बन्ध में विकासकर्ता के चयन का निर्णय भी वर्तमान सरकार ने किया तथा इन परियोजनाओं पर भी कार्य प्रारम्भ हो गया है।

मान्यवर, आदरणीया बहन सुश्री मायावती के मार्गदर्शन में वर्ष 2009 में नई ऊर्जा नीति तैयार की गयी जिसमें निजी क्षेत्र को विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने के लिए हर प्रकार की सुविधा दिए जाने का प्राविधान किया गया। केस–2 बिडिंग के माध्यम् से विद्युत परियोजनाओं की स्थापना में समय लगता है तथा परियोजना लगाने के लिए चयनित स्थान के सम्बन्ध में भी विकासकर्ता की कोई भागीदारी नहीं होती। अतः प्रदेश के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए समझौता ज्ञापन के माध्यम् से विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने का प्राविधान किया गया। चीनी मिलों को भी आफ सीजन में कोयले अथवा गैस से विद्युत उत्पादन की छूट प्रदान की गयी। समझौता ज्ञापन के माध्यम् से विद्युत परियोजनाओं की स्थापना क्रे लिए 23 उद्यमियों ने लगभग 18000 मे०वा० क्षमता की विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने में रूचि दिखाई है।

मान्यवर, राज्य सरकार ने 12वीं पंचवर्षीय योजना काल में प्रदेश की विद्युत उत्पादन क्षमता में 25000 मे०वा० की वृद्धि का लक्ष्य रखते हुए विद्युत परियोजनाएं चिन्हित की हैं जिनका ब्यौरा इस प्रकार है:–

क्रम-सख्या	योजना का नाम	प्रस्तावित क्षमता (मे०वा०)	उत्तर प्रदेश का अंश (मे०वा०)
1	बारा	3 X 660	1782
2	करछना	2 X 660	1188
3	एटा	2 X 660	1320
4	दोपहा	3 X 660	1980
5	एन०सी०आर०प्रोजक्ट	3 X 660	1980
6	अनपरा-ई	2 X 660	1320
7	ओबरा-सी	2 X 660	1320
8	हरदुआगंज विस्तार	1 X 660	660
9	मेजा	2 X 660	990
10	रोजा चरण-द्वितीय	2 X 300	300
11	फतेहपुर	2 X 660	660
12	अनपरा-सी विस्तार	1 X 660	330
13	फर्रूखाबाद	2 X 660	660
14	सण्डीला	2 X 660	660
15	दोहरीघाट	2 X 660	660
16	चोला	2 X 660	660
17	बरगढ़	2 X 660	660
18	ललितपुर	3 X 660	1980
19	केस-1	5000	5000
		योग	24110

मान्यवर, मैं आपके माध्यम् से उपस्थित सदस्यों को यह अवगत कराना चाहता हूँ कि वर्तमान सरकार प्रदेश के विकास के लिए विद्युत उत्पादन को अधिक से अधिक बढ़ाने के लिए कृतसंकल्प है तथा यह लक्ष्य लेकर चल रही है कि अगले तीन-चार वर्षों में विद्युत उत्पादन इतना हो जाय कि प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों को आवश्यकतानुसार पूरी बिजली मिल सके।

मान्यवर, नई परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार ने भूमि एवं जल का प्रबन्ध कर लिया है लेकिन वर्तमान में गैस की उपलब्धता अनिश्चित होने के कारण सभी परियोजनाओं के

लिए कोयले के आवंटन हेतु केन्द्र सरकार को अनुरोध किया गया है जो अभी लम्बित है। माननीया मुख्यमंत्री जी द्वारा इस सम्बन्ध में प्रधान मंत्री जी को भी पत्र लिखकर अनुरोध किया गया है। मैं कांग्रेस पार्टी के मा० सदस्यों को यह अनुरोध करूँगा कि वह केन्द्र सरकार में अपनी पार्टी के माध्यम् से प्रदेश को अधिक से अधिक कोयला आवंटन कराने में सहयोग करें ताकि प्रस्तावित परियोजनाएं समय से पूरी की जा सकें।

मान्यवर, विद्युत उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ विद्युत पारेषण एवं वितरण तंत्र की क्षमतावृद्धि का कार्यक्रम भी साथ-साथ प्रारम्भ किया गया है। प्रदेश मे वर्तमान मे अधिकतम 400 के०वी०ए० का पारेषण तंत्र उपलब्ध है। पहली बार 765 के०वी० क्षमता का पारेषण तंत्र स्थापित करने का कार्य प्रारम्भ हो चुका है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत उन्नाव एवं अनपरा में 765 के०वी० उपकेन्द्रों के निर्माण का कार्य आवंटित किया जा चुका है। 765 के०वी० अनपरा उन्नाव लाईन का कार्य भी आवंटित किया जा चुका है। निजी क्षेत्र के माध्यम् से लगभग रूपए 8000 करोड़ के पारेषण कार्य कराए जाने के लिए शीघ्र ही निविदाओं को अन्तिम रूप दे दिया जाएगा। पारेषण के क्षेत्र में जो नए कार्य कराये जाएगें उनका विवरण इस प्रकार है:-

क्रम-सख्या	श्रेणी	उपकेन्द्र की क्षमता एम०वी०ए०	पारेषण लाइनें सर्किट कि०मी०
1	765 के०वी० (निर्माणाधीन)	2000	410
2	765 के०वी० (नई लाइनें)	–	13
3	400 के०वी० (निर्माणाधीन)	3260	710
4	400 के०वी० (नए कार्य)	1720	59
5	400 के०वी० (क्षमतावृद्धि)	390	–
6	220 के०वी० (निर्माणाधीन)	2900	515
7	220 के०वी० (नये कार्य)	3620	833
8	220 के०वी० (क्षमतावृद्धि)	1040	–
9	132 के०वी० (निर्माणाधीन)	260	353
10	132 के०वी० (नये कार्य)	2200	1196
11	132 के०वी० (क्षमतावृद्धि)	1260	–
	योग	18650	4090

वर्ष 2009–10 में 220 के०वी० के 3 तथा 132 के०वी० के 13 नये उपकेन्द्र पूर्ण किये गये हैं। इसके अतिरिक्त 1182 एम०वी०ए० की क्षमता वृद्धि की गई है। 77 स०कि०मी० 220 के०वी० तथा 589 स०कि०मी० 132 के०वी० लाइन भी पूर्ण की गई है।

मान्यवर, वर्तमान सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली व्यवस्था के सुधार हेतु पूरी तरह जागरूक है। किसानों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप सिंचाई हेतु बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए फीडर सेपरेशन की योजना प्रारम्भ की गई है। इस योजना का

शुभारम्भ जनपद मुजफ्फरनगर से किया गया है। लगभग रु० 6000 करोड़ की इस योजना के ग्रामीण क्षेत्रों के निजी नलकूपों एवं बत्ती पंखा के फीडर अलग-अलग कर दिए जाएगें। इससे लो वोल्टेज की समस्या भी समाप्त हो जाएगी तथा परिवर्तकों की अतिभारिता समाप्त हो जाने से विद्युत आपूर्ति में व्यवधान भी बहुत कम हो जाएगें।

मान्यवर, शहरी क्षेत्रों में विद्युत व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए केन्द्र सरकार के सहयोग से संशोधित एपीडीआरपी योजना प्रारम्भ की गई है। जिसके प्रथम चरण में उपभोक्ताओं की मीटर रीडिंग, बिल वितरण तथा बिलों के भुगतान की सुगम व्यववथा के साथ-साथ प्रभावी इनर्जी आडिट का प्राविधान है। यह कार्य अगले 18 महीने में पूरा हो जाएगा।

जितनी बिजली हम कह रहे हैं उतनी बिजली हर उपभोक्ता को पहुँचे इसके लिये हमने वर्ष 2009–10 में 33 के०वी० क्षमता के 124 उपकेन्द्र 33 के०वी0 क्षमता की 630 स0कि0मी0 लाईन तथा 725 एम०वी०ए० की परिवर्तक क्षमता वृद्धि की है तथा अगले वर्ष भी क्षमता वृद्धि के इस कार्यक्रम के अन्तर्गत जो कार्य किये जायेंगे उनका ब्यौरा इस प्रकार है:–

क्रम-सख्या	कार्य का वितरण	इकाई	मात्रा
1	33/11 के०वी० नये उपकेन्द्र	संख्या/एम०वी०ए०	220/1125
2	33/11 के०वी० क्षमता वृद्धि	संख्या/एम०वी०ए०	200/610
3	33 के०वी० नई लाइनें	स०कि०मी०	2000

मान्यवर, गत तीन वर्षो में ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत तंत्र का बृहद विस्तार हुआ है। 27000 नए गांवों को विद्युत व्यवस्था से जोड़ा गया है। राज्य सरकार ने गैर विद्युतीकृत मजरों के विद्युतीकरण की लगभग रु० 9000 करोड़ की योजना केन्द्र सरकार को भेज रखी है जिसकी स्वीकृति पिछले 2 वर्षो से लम्बित है। केन्द्र सरकार ने केवल रायबरेली एवं सुल्तानपुर जनपद के विद्युतीकरण की योजना स्वीकृति की है किन्तु अन्य जनपदों के गैर विद्युतीकृत मजरों की योजना की स्वीकृति अभी भी लम्बित है। माननीया मुख्य मंत्री जी जे इन योजनाओं की स्वीकृति के लिए भी प्रधानमंत्री, भारत सरकार से अनुरोध किया है।

मान्यवर राज्य सरकार ऊर्जा क्षेत्र के विकास तथा वर्ष 2012 तक प्रत्येक घर तक बिजली पहुँचाने के ठोस कार्यक्रम को लेकर आग बढ़ रही है। मुझे आशा ही नही पूर्ण विश्वास है कि अगले 3–4 वर्षो मे उत्तर प्रदेश ऊर्जा की उपलब्धता के मामले में देश का अग्रणी राज्य होगा तथा बिजली की उपलब्धता बढ़ने से कृषि एवं औद्योगिक प्रगति के साथ-साथ रोजगार के नये अवसर उत्पन्न होगें।

मुझे यह भी विश्वास है कि राज्य सरकार के इस कार्यक्रम को अमली जामा पहनाने में मुझे सभी माननीय सदस्यों का सहयोग पूर्व की भाँति मिलता रहेगा।

माननीय अध्यक्ष जी,

प्रदेश में विकास की गति को बल प्रदान करने के लिये ऊर्जा की उपलब्धता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। विद्युत के पारम्परिक उत्पादन के अलावा वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों

के विकास को भी पर्याप्त बल प्रदान किये जाने के लिय राज्य सरकार द्वारा अधिक से अधिक योजनाओं का क्रियान्वयन किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग द्वारा वैकल्पिक ऊर्जा कार्यक्रमों के माध्यम से शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की ऊर्जा की बढ़ती मांग तथा आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कार्य किया जा रहा है। वैकल्पिक ऊर्जा कार्यक्रमों के अन्तर्गत विभिन्न ऊर्जा संयंत्रों का वितरण एवं स्थापना का कार्य कराया जा रहा है। इन संयंत्रों को व्यापक प्रचार–प्रसार के द्वारा तथा वित्तीय अनुदान उपलब्ध कराकर जन–ग्राहय बनाने के प्रयास किये जा रहे है। वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक में आयोजनागत (सामान्य) पक्ष में कुल रु० 832.14 लाख तथा आयोजनेत्तर पक्ष में रु० 1897.25 लाख का बजट प्राविधान सम्मिलित है। वित्तीय वर्ष 2010–11 में विभाग द्वारा प्रमुखतयः प्रस्तावित कार्यक्रम इस प्रकार है :–

सोलर वाटर हीटर संयंत्र स्थापित किये जाने के लिये इस संयंत्र के प्रचार–प्रसार हेतु प्रदेश के प्रमुख नगरों में गोष्ठियॉ आयोजित कर लोगों को संयंत्र अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। घरेलू क्षेत्र में सोलर वाटर हीटर को प्रोत्साहित करने के लिये इस पर राज्य अनुदान दिया जा रहा है। वर्ष 2010–11 में आयोजनागत (सामान्य) पक्ष में घरेलू उपयोग हेतु 100 लीटर प्रतिदिन क्षमता के सोलर वाटर हीटर का 200 संयंत्रों के लक्ष्य के सापेक्ष रु० 5000–6000 प्रति संयंत्र की दर से राज्यानुदान हेतु रु० 10.50 लाख का बजट प्राविधान रखा गया है।

सामुदायिक मार्ग प्रकाश हेतु सोलर स्ट्रीट की स्थापना का कार्यक्रम केन्द्रीय अनुदान एवं राज्य अनुदान के आधार पर क्रियान्वित किया जा रहा है। वर्ष 2010–11 में आयोजनागत (सामान्य) पक्ष में 8192 सोलर स्ट्रीट लाईट संयंत्रों के लक्ष्य के सापेक्ष रु० 7100 प्रति संयंत्र कर दर से राज्यानुदान हेतु रु० 581.64 लाख का बजट प्राविधान रखा गया है।

केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत ऐसे ग्रामों/मजरों, जहाँ सामान्य ग्रिड की उपलब्धता नहीं है, को सौर ऊर्जा से प्रकाश व्यवस्था कराकर विद्युतीकृत कराये जाने का कार्य किया जा रहा है जिसके अन्तर्गत सामान्य ग्रामों के साथ-साथ डा० अम्बेडकर ग्राम एवं नक्सल प्रभावित ग्राम भी सम्मिलित हैं। वर्ष 2010–11 में आयोजनागत (सामान्य) पक्ष में 150 ग्राम/मजरो के विद्युतीकरण में 10350 सोलर होम लाईट तथा 2250 सोलर स्ट्रीट लाईट की स्थापना के लक्ष्य के सापेक्ष क्रमशः रू०1341.00 एवं रू० 4498.00 के राज्यानुदान की दर से रू० 240.00 लाख के राज्यांश का बजट प्राविधान रखा गया है।

प्रदेश की ग्रामीण जनता को घरों में प्रकाश व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु बैंकों के माध्यम से ऋण की सुविधा भारत सरकार की माइकों फाईनेन्सिंग योजना के अन्तर्गत उपलब्ध करायी जा रही है तथा प्रदेश में ऐसे स्थलों पर जहाँ विद्युत आपूर्ति की निरन्तरता आवश्यक है, उन स्थलों पर सोलर पीवी पावर जेनरेटरों की स्थापना केन्द्रीय अनुदान के अन्तर्गत करायी जा रही है।

प्रदेश में उपलब्ध कैनाल फाल्स पर आधारित लघु जल विद्युत परियोजनाओं की निजी उद्यमियों के सहयोग से स्थापना हेतु माईकों हाइडिल पालिसी (लघु जल विद्युत ऊर्जा नीति) बनायी गयी है। उक्त नीति के आधार पर परियोजनाओं का विकास किया जायेगा।

प्रदेश की चीनी मिलों में प्रचूर मात्रा में उपलब्ध खोई (बगास) से को-जनरेशन (सह-उत्पादन), विभिन्न उद्योगों की ऊर्जा की माँग की पूर्ति हेतु बायोमास गैसीफायर एवं बायोमास पावर प्रोजेक्ट्स की स्थापना द्वारा लगभग 1155 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता विकसित की जा चुकी है। आगामी वर्ष में को–जनरेशन, बायोमास गैसीफायर एवं बायोमास पावर प्रोजेक्ट्स की विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के विकास पर अधिक बल दिया जायेगा।

श्री विनोद सिंह–

मा० अध्यक्ष जी मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आपने मुझे अपने विभाग का बजट प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। मैं मा० मुख्यमंत्री जी के प्रति भी अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूँ कि उनके मार्गदर्शन में पर्यटन विकास के क्षेत्र में नये आयाम खोले गये हैं। मैं सदन के समी मा० सदस्यों के प्रति आभारी हूँ कि प्रदेश के पर्यटन विकास एवं उनसे जुड़े हुए बिन्दुओं पर उनके द्वारा गहरी दिलचस्पी दिखाई गयी है।

वर्ष 2009–10 में हालाँकि पूरे विश्व में पर्यटकों के आवागमन पर आर्थिक मंदी के कारण प्रतिकूल असर पड़ा है लेकिन उत्तर प्रदेश में 17 लाख 71 हजार विदेशी पर्यटक आये जो पिछले वर्ष 2008 से लगभग 10 प्रतिशत अधिक है। प्रदेश में भारतीय पर्यटकों की संख्या में भी लगमग 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यह भी उल्लेखनीय है कि देश में, आने वाले पर्यटकों की संख्या में एक अनुमान के अनुसार हर चौथा पर्यटक उत्तर प्रदेश आता है। अतः प्रदेश का स्थान पर्यटन की दृष्टि से देश में भी अति महत्वपूर्ण है।

बौद्ध परिपथ के अन्तर्गत कुशीनगर भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल होने के कारण पूरे विश्व के बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस सम्बन्ध में यह भी अवगत कराना चाहूँगा कि बौद्ध धर्म विश्व का चौथा सबसे बड़ा धर्म है और लगभग 6 प्रतिशत आबादी (लगभग 48 करोड़) बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं।

कुशीनगर में जापान, कोरिया, थाईलैण्ड, वियतनाम, म्यान्मार श्रीलंका, लाओस एवं चीन आदि अनेक देशों से विदेशी पर्यटक आते हैं, लेकिन वर्तमान में इसकी एयर कनेक्टिविटी नहीं होने के कारण बहुत से विदेशी पर्यटक या तो पहुँच नहीं पाते हैं या फिर यहाँ पहुँचने में उन्हें लम्बे सड़क मार्ग की यात्रा करनी पड़ती है। वर्तमान में पूर्वान्चल में केवल एक अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में है जिससे सम्पूर्ण पूर्वान्चल क्षेत्र में पर्यटकों के लिए पर्याप्त सुविधा नहीं मिल पाती है। अतः माननीय मुख्य मंत्री जी ने बौद्ध परिपथ तथा पूर्वान्चल के विकास के लिए कुशीनगर में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की स्थापना करने का एक महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक कदम उठाया है। कुशीनगर में सार्वजनिक निजी सहभागिता के आधार पर 750 एकड़ भूमि में लगभग रु० 829 करोड़ की लागत से अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण तथा क्षेत्रीय विकास किया जायेगा। प्रदेश सरकार ने इस एयर पोर्ट के लिए भूमि के अधिग्रहण के लिए रु० 156 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की है। इस हवाई अड्डे की स्थापना के लिए पर्यटन विभाग के माध्यम से आवश्यक अनुमति के लिए कार्यवाही त्वरित गति से की जा रही है। इस हवाई अड्डे की स्थापना के साथ-साथ कपिलवस्तु में पर्यटन विकास, संकिसा, श्रावस्ती में एयरस्ट्रिप का विकास एवं बौद्ध परिपथ के अन्तर्गत मार्गीय सुविधाओं का विकास भी प्रस्तावित किया गया है। इस अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की स्थापना से दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ-साथ मध्य पूर्व के आवागमन के लिए जो इन देशों में पूर्वांचल से नौकरी आदि के लिये जाते हैं, को भी

लाभ मिलेगा। कुशीनगर एयर पोर्ट की स्थापना से कारगो मूवमेन्ट का भी विकास होगा जिससे इस क्षेत्र की उपज को सीधे अन्तर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुँचाया जा सकेगा। वस्तुतः यह एयरपोर्ट पूर्वान्चल के विकास का महत्वपूर्ण केन्द्र बन जायेगा। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देता हूँ कि उनके मार्गदर्शन में एयरपोर्ट की स्थापना के लिए जिस तेजी से कार्य किया जा रहा है इससे लगभग 3 वर्ष में ही यह अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कार्यशील हो जायेगा।

इस सम्बन्ध में यह भी अवगत करना चाहूँगा कि जापान सरकार द्वारा सहायतित रु० 386.27 करोड़ (रु० तीन सौ छियासी करोड़ सत्ताइस लाख) की बौद्ध परिपथ विकास की द्वितीय चरण की परियोजना जो वर्ष 2005 से विचाराधीन थी, की स्वीकृति जापान इण्टरनेशनल कोआपरेशन एजेन्सी (JICA) द्वारा की स्वीकृति इस वित्तीय वर्ष में दे दी गयी है जिसके अन्तर्गत कुशीनगर, कपिलवस्तु एवं सारनाथ में जलापूर्ति, जल निकासी, विद्युत आपूर्ति तथा अन्य मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं के विकास के साथ–साथ कोल्हुई–हाटा मार्ग एवं बहराईच बाईपास का निर्माण किया जाना भी आच्छादित है।

आगरा के समन्वित विकास के अन्तर्गत रिवाइटलाइजेशन एण्ड विजिटर मैनेजमेण्ट फार ताजमहल विसिनिटी एज एस्पेशनल डेस्टीनेशन के अन्तर्गत ताजमहल के पूर्वी गेट हेतु रु0 848.49 लाख (रु0 आठ करोड़ अड़तालीस लाख उन्चास हजार) के कार्य के अन्तर्गत जे0पी0 क्रासिंग से शिल्पग्राम तक मार्ग सुधार, शिल्पग्राम से ताजमहल के पूर्वी गेट तक मार्ग, रिवाइटलाइजेशन आफ शिल्पग्राम, ताजमहल नेचर पार्क ताजमहल के पूर्वी द्वार पर नाले को ढकना, ताजमहल से ताज नेचर वाक एवं ताजखेमा में सुविधा आदि के कार्य इस वर्ष पूर्ण कराये गए हैं।

ताजमहल के पश्चिमी गेट हेतु रु0 933.40 (रु0 नौ करोड़ तैतीस लाख चालीस हजार) के कार्य के अन्तर्गत पुरानी मण्डी से लक्ष्मीबाई चौक तक एवं लक्ष्मीबाई चौक से अमरूद टीला तक मार्ग सुधार, यमुना किनारे रोड के सुधार के कार्य एवं साइनेज के कार्य इस वर्ष पूर्ण कराए गए हैं।

मथुरा में गोवर्धन स्थित छतरियों का पुनरोद्धार के अन्तर्गत रू0 86.93 लाख (रु0 छियासी लाख तिरानवे हजार) के कार्य पूर्ण कराए जा चुके हैं।

मथुरा में कुसुम सरोवर के पुनरोद्धार के अन्तर्गत रू0 134.27 लाख (रु0 एक सौ चौतीस लाख सत्ताईस हजार) के कार्य कराए गए हैं।

जनपद मथुरा में राधाकुण्ड–श्यामकुण्ड का जीर्णोद्धार रु0 178.63 लाख (रु0 एक सौ अठहत्तर लाख तिरसठ हजार) के कार्य पूर्ण कराए गए हैं।

इसी प्रकार जनपद मथुरा के अन्तर्गत मुखराई गांव का ग्रामीण पर्यटन विकास रु0 52.03 लाख (रु0 बावन लाख तीन हजार) की लागत से पूर्ण कराया गया।

बृज चौरासी कोस परिक्रमा मार्ग रु0 493.00 लाख (रू0 चार सौ तिरानवे लाख) के कार्य प्रगति पर हैं।

राज्य सेक्टर के अन्तर्गत जनपद मथुरा में नंदगांव में सी0सी0 ब्लाक, इन्टरलाकिंग रोड एवं गली का सुधार रु0 24.09 लाख (रु0 चौबीस लाख नौ हजार) तथा ग्राम संचौली स्थित चन्द्रावली मंदिर में इन्टरलाकिंग के कार्य रु0 34.47 लाख (रु0 चौतीस लाख सैतालीस

हजार) से पूर्ण कराए गए। इसके अलावा जनपद आगरा में सूर सरोवर का पर्यटन विकास रु0 90.64 लाख (रु0 नब्बे लाख चौसठ हजार), शिल्पग्राम आगरा में 150 बेड की डारमेट्री का निर्माण रु0 235.09 लाख (रु0 दो सौ पैतीस लाख नौ हजार), श्री दाऊजी महराज मंदिर हाथरस एवं मेला स्थल पर प्रकाश व्यवस्था रु0 36.88 लाख (रु0 छत्तीस लाख अठ्ठाइस हजार), हाथरस में दाऊ जी महराज मंदिर एवं किला राजा दयाराम का सौन्दर्यीकरण रु0 25.91 लाख (रु0 पच्चीस लाख इक्यानवे हजार) के कार्य प्रगति पर है।

जनपद वाराणसी में अरबन हाट एवं ओपन एयर थियेटर की स्थापना रु0 267.54 लाख (रु0 दौ सौ सरसठ लाख चौव्वन हजार), टूरिस्ट डेस्टीनेशन डेवलपमेण्ट आफ वाराणसी फेज–2 रु0 1416.31 लाख (रु0 चौदह करोड़ सोलह लाख इक्कतीस हजार), वाराणसी शहर के पुनरोद्धार के अन्तर्गत घाटों का विकास, कुण्डों का सौन्दर्यीकरण, पंचकोसी पर्यटन सुविधाए, साइनेज आदि के रू0 786.00 (रु0 सात सौ छियासी लाख) के कार्य प्रगति पर हैं तथा वाराणसी में ध्वनि एवं प्रकाश शो सारनाथ का कार्य प्रारम्भ कराया जा रहा है।

राज्य सेक्टर के अन्तर्गत जनपद वाराणसी में मार्कण्डेय महादेव मंदिर कैंथी रु0 17.24 लाख (रु0 सत्रह लाख चौबीस हजार) के कार्य प्रगति पर हैं।

अयोध्या का पर्यटन गन्तव्य के रूप में विकास के अन्तर्गत रु0 528.96 लाख (रु0 पांच सौ अठ्ठाईस लाख छियानवे हजार) के कार्य कराए जा रहे हैं। इनमें मुख्य रूप से सूरज कुण्ड, विद्या कुण्ड, दातुन–कुण्ड, सीता कुण्ड, हनुमान कुण्ड, विभीषण कुण्ड, भरत कुण्ड एवं बृहस्पति कुण्ड के जीर्णोद्धार का कार्य कराया जा रहा है।

राज्य सेक्टर के अन्तर्गत जनपद फैजाबाद में लक्ष्मीसागर घाट तथा गहनागन पर्यटन विकास का कार्य पूर्ण कराया गया है। श्रृंगि ऋषि आश्रम में संत रविदास मंदिर के सौन्दर्यीकरण का कार्य अन्तिम चरण में है।

मा0 मुख्य मंत्री जी की घोषणा के फलस्वरूप ब्रज मास्टर प्लान तैयार करा लिया गया है। मास्टर प्लान के अन्तर्गत केन्द्र एवं राज्य सेक्टर के अन्तर्गत किए जाने वाले कार्यों का वर्गीकरण कर लिया गया है तथा उनका डी0पी0आर0 मास्टर प्लान के अनुसार मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा द्वारा तैयार कराया जा रहा है।

प्रदेश में पर्यटन विकास के लिए वर्ष 2010-11 में कुल रु0 95 करोड़ 60 लाख, 65 हजार की परियोजनाओं का प्राविधान किया गया हैं। इसमें केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत कुल रु0 61 करोड़, 10 लाख, 65 हजार का प्राविधान किया गया है।

कुल बजट प्राविधान रु0 1 अरब 11 करोड़, 70 लाख, 40 हजार, जो गतवर्ष से 32 प्रतिशत अधिक

वित्तीय वर्ष 2010-11 में केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें निम्नलिखित हैं:–

आयोजनागत मद में रु0 95 करोड़, 60 लाख, 65 हजार का प्राविधान

आयोजनेत्तर मद में रु0 16 करोड़, 9 लाख, 75 हजार का प्राविधान केन्द्रीय योजनान्तर्गत रुC 16 करोड़, 10 लाख 65 हजार का प्राविधान

1–डेस्टीनेशन डेवलपमेन्ट-आगरा का समन्वित विकास फेज-2 के लिए रु0 20.00 करोड़ का प्राविधान किया गया है।

मेला-महोत्सवों के लिए एकमुश्त रु0 20.00 लाख का प्राविधान

2–डेस्टीनेशन/सर्किट डेवलपमेन्ट-मथुरा के पर्यटन विकास के लिए रु0 10.00 करोड़ का प्राविधाान किया गया है।

शॉपिंग फेस्टिवेल नोएडा के लिए रु0 30.00 लाख का प्राविधान

3–जनपद आगरा में स्थित ग्राम-बरारा के रूरल टूरिज्म के अन्तर्गत विकास के लिए रु0 19 लाख 62 हजार का प्राविधान किया गया है।

शिल्पग्राम आगरा के लिए वर्ष पर्यन्त संचालन के लिए रु0 2 करोड़ 46 लाख का प्राविधान

4–बुन्देलखण्ड परिपथ के पर्यटन विकास के लिए रु0 8.00 करोड़ का प्राविधान किया गया है।

जिला योजना के लिए रु0 4 करोड़, 96 लाख 61 हजार का प्राविधान

5–डेस्टीनेशन/सर्किट डेलवपमेंट योजनान्तर्गत पर्यटन स्थलों के विकास के लिए रु0 20.00 करोड़ का प्राविधान किया गया है।

6–जनपद प्रतापगढ़ घुइसरनाथ धाम के सौंदर्यीकरण के लिए रु0 55.28 लाख का प्राविधान किया गया है।

7–मथुरा में राधा कुण्ड एवं श्याम कुण्ड के जीर्णोद्धार के लिए रु0 12.10 लाख का प्राविधान किया गया है।

8–अयोध्या में पर्यटन गन्तव्य के रूप में विकास के लिए रु0 1 करोड़ 30 लाख 50 हजार का प्राविधान किया गया है।

9–चित्रकूट के पर्यटन विकास के अन्तर्गत रु0 93.07 लाख का प्राविधान किया गया है।

राज्य सेक्टर के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों में पर्यटन विकास कराया जाना प्रस्तावित हैं। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2010-11के आय-व्ययक में रु0 1.00 करोड़ का प्राविधान किया गया

है। इसके अतिरिक्त पर्यटक आवास गृहों के लिए भूमि की अध्याप्ति के लिए रु0 10.00 करोड़ का प्राविधान किया गया है। ब्रज क्षेत्र के पर्यटन विकास के लिये रु0 2.00 करोड़ का प्राविधान किया गया है। जनपद चित्रकूट की योजनाओं के लिए राही पर्यटक आवास गृह के जीर्णोद्धार एवं विस्तार के लिए रु0 1.00 करोड़ का प्राविधान किया गया है।

शिल्पग्राम, आगरा के वर्षपर्यन्त संचालन हेतु रु0 2 करोड़ 46 लाख का प्राविधान किया गया है। व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए रु0 1.00 करोड़ का प्राविधान किया गया है। डिस्कवर योर रूट्स योजना के अन्तर्गत रु0 7.00 लाख का प्राविधान किया गया है। जापान बैंक आफ इण्टरनेशनल कोआपरेशन के सहयोग से प्रदेश में बौद्ध परिपथ के विकास के लिए रु0 10.00 करोड़ का प्राविधान किया गया है।

जिला योजना के अन्तर्गत प्रदेश के पर्यटन स्थलों का विकास किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2010-11 के आय-व्ययक में रु0 496.61 लाख (रु0 चार करोड़ छियानवे लाख इक्सठ हजार) का प्राविधान किया गया है।

इसके अतिरिक्त मेलें-महोत्सवों के लिए एक मुश्त रु0 20.00 का प्राविधान किया गया है तथा शॉपिंग फेस्टिवेल नोएडा के आयोजन के लिए रु0 30.00 लाख का प्राविधान किया गया है।

वर्ष 2009-10 में कुल धनराशि रु0 84 करोड़ 93 लाख 50 हजार के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2010-11 में कुल रु0 1 अरब 11 करोड़ 70 लाख 40 हजार की व्यवस्था की गयी है जो गत वर्ष की अपेक्षा 32 प्रतिशत अधिक है।

कामनवेल्थ गेम्स, पेइंग गेस्ट, बेड एण्ड ब्रेकफास्ट योजना

कामनवेल्थ गेम्स-2010 के दृष्टिगत गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ, आगरा एवं मथुरा में पर्यटकों की सुविधा के लिए अतिरिक्त कक्षों की मांगपूर्ति हेतु होटल साईट्स एवं पेइंग गेस्ट हाऊसेज को चिन्हित किया जा रहा है। पर्यटकों की सुविधा के लिए पर्यटन पुलिस सहायतार्थ उपलब्ध रहेंगे और उपरोक्त सभी पर्यटन स्थलों में पर्यटन विभाग द्वारा कन्ट्रोल रूम भी बनाया जायेगा, जो पर्यटकों की किसी भी कठिनाई में सहायता के लिए तत्पर रहेगा। इसके अतिरिक्त पेइंग गेस्ट योजना तथा बेड एण्ड ब्रेकफास्ट की योजना के अन्तर्गत भी पर्यटकों के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध रहेगी।

महोत्सवों के सम्बन्ध में

विगत वर्षों में स्थानीय प्रशासन के सहयोग से पर्यटन विभाग द्वारा लखनऊ महोत्सव, झांसी महोत्सव, आगरा महोत्सव, वाराणसी में गंगा महोत्सव एवं बुद्ध महोत्सव के आयोजन होते रहे हैं इन्हें हम आगामी वर्षों में भी आयोजित करेंगे। इस सम्बन्ध में यह भी अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2000-10 में लम्बे समय से बन्द जलक्रीड़ा महोत्सव इलाहाबाद एवं वाराणसी जनपद में शुभारम्भ किया गया है। शिल्पग्राम आगरा के वर्ष पर्यन्त संचालन का कार्य किया गया। मिजिपुर में कजरी महोत्सव तथा नोएडा शॉपिंग फेस्टिवेल का आयोजन किया गया उपरोक्त के अतिरिक्त शॉपिंग फेस्टिवेल नोएडा, शिल्पग्राम आगरा, मगहर महोत्सव, वाराणसी एवं इलाहाबाद में जलक्रीड़ा महोत्सव, कजरी महोत्सव मिर्जापुर, बरसाना होली फेस्टिवेल मथुरा का आयोजन करेंगे। यह भी अवगत कराना चाहूंगा कि माननीय मुख्य

मंत्री जी द्वारा घोषणा की गयी थी कि "पर्यटन विभाग के द्वारा पूरे ब्रज क्षेत्र का मास्टर प्लान अगले तीन माह में तैयार किया जाएगा"। माननीय मुख्य मंत्री जी के द्वारा की गयी घोषणा के अनुरूप ब्रज क्षेत्र का पर्यटक मास्टर प्लान मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह भी घोषणा की थी कि "आगरा के शिल्प उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शिल्पग्राम, जो अभी तक केवल तीन महीने चलाया जा रहा था, को अब पूरे वर्ष चलाया जाएगा।" माननीय मुख्य मंत्री जी के द्वारा की गयी घोषणा के अनुपालन में शिल्पग्राम का वर्ष पर्यन्त संचालन उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है।

पर्यटन उद्योग में रोजगार सृजन, दक्षता प्रशिक्षण एवं गाइड प्रशिक्षण के कार्य कराये जा रहे हैं। मा0 कांशीराम पर्यटन प्रबन्ध संस्थान द्वारा पर्यटन से सम्बन्धित विभिन्न कोर्स का सफल आयोजन किया जा रहा है।

कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर सर्विस प्रोवाईडर्स योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम (हुनर से रोजगार) पर्यटन निगम की चार चिन्हित इकाइयों यथा होटल गोमती, लखनऊ, पर्यटक आवास गृह, सारनाथ (वाराणसी) पर्यटक आवास गृह, आगरा एवं पर्यटक आवास गृह, इलाहाबाद में दिनांक 1 दिसम्बर, 2009 से संचालित किया जा रहा है जिसमें प्रशिक्षणार्थियों को फूड एवं बेवरेज सर्विसेज (छः सप्ताह) और फूड प्रोडक्शन (आठ सप्ताह), ट्रेड पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उल्लिखित दोनों ट्रेड में चिन्हित चारों इकाइयों में कुल 245 प्रशिक्षणार्थियों द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किया जा रहा है।

शासनादेश दिनांक 19 जून, 2009 के द्वारा राज्य स्तरीय पर्यटन गाइड स्कीम जारी की गयी है। इस स्कीम के माध्यम से प्रदेश में स्वरोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। यह एक उपलब्धि है तथा प्रदेश में आने वाले स्वदेशी एवं विदेशी पर्यटकों को पर्यटन सम्बन्धी जानकारियां प्रशिक्षित राज्य स्तरीय पर्यटन गाइडों के माध्यम से उपलब्ध होंगी। वर्ष 2009-10 में एमिटी विश्वविद्यालय, लखनऊ के माध्यम से इसके लिए परीक्षा आयोजित की गयी, जिसमें कुल 2488 अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा हेतु बुलाया गया। इसमें कुल 1257 आवेदक लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। साक्षात्कार के उपरान्त कुल 918 अभ्यर्थी प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त पाये गये। प्रथम बैच में कुल 219 अभ्यर्थियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है। शेष अन्य चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण प्रदान कराया जा रहा है। प्रशिक्षण कार्यक्रम मान्यवर कांशीराम पर्यटन प्रबन्ध संस्थान, लखनऊ द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय के माध्यम से सम्पन्न कराया जा रहा है।

श्री भगवती प्रसाद सागर–

माननीय अध्यक्ष जी, सेवायोजन कार्यालयों का मुख्य उद्देश्य नियोजकों एवं रोजगार के इच्छुकों के मध्य सम्पर्क स्थापित करा कर रोजगार सहायता उपलब्ध कराना है। बेरोजगार

अभ्यर्थियों को सेवायोजन सहायता उपलब्ध कराने, व्यवसाय मार्ग निर्देशन के अवसरों की जानकारी उपलब्ध कराने, स्वतः रोजगार हेतु प्रेरित करने तथा रोजगार/बेरोजगारी के विभिन्न आयामों की सूचना के एकत्रीकरण, संकलन, प्रचार एवं प्रसार हेतु वर्तमान में जनपद स्तर पर 59 सेवायोजन कार्यालय हैं, जिनमें क्षेत्रीय/जिला सेवायोजन कार्यालय हैं। इसके अतिरिक्त 13 विश्वविद्यालयों में सेवायोजन सूचना एवं मंत्रणा केन्द्र, निदेशालय में 01 व्यावसायिक एवं प्रबन्धकीय सेवायोजन कार्यालय तथा क्षेत्र में शारीरिक अक्षमता से ग्रसित बेरोजगारों को लाभ प्रदान किये जाने हेतु 16 विशिष्ट सेवायोजन कार्यालय स्थापित हैं जिनके माध्यम से विकलांग बेरोजगारों को विशेष रूप से सेवायोजन सहायता, व्यवसाय मार्ग निर्देशन, स्वतः नियोजन की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। समाज के निर्बल वर्ग यथा अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़ी जाति के बेरोजगारों की रोजगारपरकता में वृद्धि करने के उद्देश्य से 52 जनपदों में शिक्षण एवं मार्ग दर्शन केन्द्र स्थापित हैं।

सेवायोजन कार्यालयों द्वारा व्यवसाय मार्ग निर्देशन कार्यक्रम के अन्तर्गत पंजीकृत बेरोजगारों को व्यवसाय जगत में उपलब्ध रोजगार के अवसरों की जानकारी के अनुरूप स्वयं को उपयुक्त बनाने हेतु उच्च शिक्षा, प्रशिक्षण के अवसरों की जानकारी प्रदान की जा रही है। रोजगार बाजार सूचना कार्यक्रम के अन्तर्गत सेवायोजन कार्यालय (रिक्तियों का अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959 का प्रवर्तन करते हुए रोजगार बाजार के विभिन्न व्यवसायिक वर्गीकरण में रोजगार के विभिन्न आयामों की सूचना एकत्र कर संकलित एवं प्रसारित की जाती है। इसका उपयोग बेरोजगारों को व्यवसाय मार्ग निर्देशन देने हेतु भी किया जाता है।

सेवायोजन कार्यालय एक मात्र ऐसा संगठन है जिसके द्वारा नियमित अन्तराल (मासिक, त्रैमासिक) पर प्रदेश में शैक्षिक योग्यतावार, अनुभववार, जाति/धर्मवार जनशक्ति की सूचना, संगठित क्षेत्र में कार्यरत जनशक्ति की सूचना (औद्योगिक वर्गीकरण, शैक्षिक योग्यता, जाति, धर्म, लिंगवार) एवं वांछित जनशक्ति का आंकलन आदि की सूचनाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।

समाज के निर्बल वर्ग के अभ्यर्थियों (यथा अनुसूचित जाति/जनजाति तथा पिछड़े वर्ग) हेतु स्थापित शिक्षण एवं मार्ग दर्शन केन्द्रों में टंकण, आशुलिपि, सचिवीय पद्धति एवं कम्प्यूटर का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस वर्ग के बेरोजगारों की रोजगारपरकता में वृद्धि हेतु प्रदेश में 52 शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्र स्थापित हैं।

सेवायोजन प्रखण्ड में संचालित 52 शिक्षण एवं मार्ग दर्शन केन्द्रों द्वारा वर्ष 2009 में कुल 2,110 को प्रशिक्षण दिया गया और 241 को नियुक्त करने की सूचना विभिन्न नियोजकों से प्राप्त हुई। यह संख्या अधिक भी हो सकती है क्योंकि सभी नियोजकों द्वारा नियुक्ति की सूचना नहीं दी जाती है।

बेरोजगारों को त्वरित एवं प्रभावशाली ढंग से रोजगार बाजार में उपलब्ध प्रशिक्षण एवं रोजगार के अवसरों की सूचना प्रदान करने हेतु सेवायोजन कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है। सेवायोजन कार्यालयों के कम्प्यूटरीकरण के उपरान्त इन्हें इन्टरनेट के माध्यम से एक साथ जोड़ने का कार्य इसी वित्तीय वर्ष में समाप्त हो जायेगा।

- हमारी सरकार बेरोजगारों के लिए रोजगार के निरन्तर अवसर दे रही है। प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगारों को नियोजकों द्वारा अधिसूचित रिक्तियों में

सम्प्रेषित कर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाते हैं। वर्ष 2009 में 1702 पंजीकृत बेरोजगारों को सेवायोजन कार्यालय के माध्यम से सवेतन रोजगार दिलाया गया।

- मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार अब नियोजक सेवायोजन कार्यालय से ही नाम प्राप्त कर अपनी रिक्तियां भरने के लिए बाध्य नहीं हैं। अतः बेरोजगारों को सेवायोजन कार्यालयों के माध्यम से इतर अन्य माध्यमों से भी सवेतन रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं।
- प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों द्वारा निजी क्षेत्र में भी बेरोजगारों को रोजगार के अवस उपलब्ध कराने के प्रयास किए गये हैं। बेरोजगारों एवं नियोजकों को एक ही स्थान पर एकत्र कर रोजगार मेलों का आयोजन किया गया है। जिसमें नियोजक अपने संस्था के कार्य के उपयुक्त बेरोजगारों का चयन करते हैं तथा बेरोजगारों को भी अपनी इच्छानुसार संस्था का चयन करने की सुविधा उपलब्ध रहती है।

रोजगार मेलों हेतु निदेशालय द्वारा नियोजकों को आमंत्रित किया जाता है। यह भी ध्यान रखा गया है कि प्रदेश के पिछड़े जनपद जहां रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं हैं वहां भी रोजगार मेले लगे।

बिना किसी वित्तीय संसाधन के प्रदेश में कुल 141 रोजगार मेले आयोजित किए गए, जिनके माध्यम से पांच हजार छः सौ सत्तर बेरोजगारों को सवेतन रोजगार के अवसर प्राप्त हुए।

प्रदेश में रोजगार मेलों का आयोजन अन्य किसी सरकार द्वारा नहीं किया गया। यह बेरोजगारों को सवेतन रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में हमारी पहल है।

- रोजगार मेलों के आयोजन को आगामी वर्षों में और वृहद रूप दिया जा रहा है।
- बेरोजगारी के मुख्य कारणों में से एक कारण छात्रों द्वारा निरूद्देश्य शिक्षा प्राप्त करना है। छात्रों को रोजगार बाजार में उपलब्ध रोजगार के अवसरों के अनुरूप ही शिक्षा/प्रशिक्षण ग्रहण करना चाहिए।

इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों द्वारा कैरियर काउन्सिलिंग का कार्य किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में छात्रों को बताया जाता है कि वर्तमान में किस प्रकार के रोजगार की मांग है तथा उस मांग के अनुरूप किस प्रकार की शिक्षा/प्रशिक्षण के ऐसे अवसर कहां उपलब्ध हैं।

इस कार्यक्रम में वर्ष 2009 में 185 कैरियर काउन्सिलिंग के शिविर विभिन्न स्कूलों/कालेजों में सेवायोजन कार्यालयों द्वारा लगाये गये हैं। इन शिविरों में बेरोजगारों को वर्तमान में रोजगार बाजार में उपलब्ध रोजगार के अवसरों की जानकारी दी गयी तथा सम्बन्धित व्यवसाय हेतु प्रशिक्षण एवं शिक्षा के अवसरों की जानकारी दी गयी।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में–

नवसृजित जनपदों में पंजीयन केन्द्र की स्थापना, जिन जनपदों में शिक्षण मार्ग दर्शन केन्द्र नहीं हैं वहां स्थापित करना, शिक्षण मार्ग दर्शन केन्द्रों के भवन का निर्माण करना तथा विभाग के वेबपोर्टल की संरचना का लक्ष्य रखा गया है।

वर्ष 2007-08 में नवसृजित जनपद ज्योतिबाफुलेनगर, चित्रकूट, चन्दौली, सन्तकबीर नगर तथा श्रावस्ती में पंजीयन केन्द्र स्थापित हुए। 05 सेवायोजन कार्यालयों की नेटवर्किंग हुई तथा मथुरा, ललितपुर, में शिक्षण एवं मार्ग दर्शन केन्द्रों के भवन निर्माण की स्वीकृति प्राप्त हुई।

वर्ष 2009-10 में सेवायोजन कार्यालयों की नेटवर्किंग पूर्ण हुई। पूर्व स्थापित शिक्षण एवं मार्ग दर्शन केन्द्रों में छात्रवृत्ति एवं निःशुल्क पुस्तकों की व्यवस्था हुई। नवसृजित जनपद मा0 कांशीराम नगर में जिला सेवायोजन कार्यालय की स्थापना हुई। इसके अतिरिक्त सबसे महत्वपूर्ण योजना सेवायोजन कार्यालयों की वेब पोर्टल बनाने हेतु वर्ष 2009-10 में बजट प्राविधान हो गया है तथा इसकी संरचना का कार्य शीघ्र प्रारम्भ कर दिया जायेगा। इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के बेरोजगारों का विवरण कम्प्यूटर में उपलब्ध रहेगा जिसे कोई भी नियोजक पढ़कर अपनी संस्था के अनुकूल कार्मिकों का चयन कर सकेगा। इस वेब पोर्टल पर रोजगार के अवसरों का भी प्रदर्शन किया जायेगा।

छात्रों के लिए उपयोगी कैरियर सम्बन्धी सूचनाओं का भी प्रदर्शन होगा।

वर्ष 2010–11 में निम्नलिखित योजनायें प्रस्तावित हैं:–

- वर्ष 2010-11 में चालू योजनाओं हेतु बजट की व्यवस्था।
- वेव पोर्टल हेतु अवशेष धनराशि की व्यवस्था।
- अवशेष जनपदों में शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्रों का खोला जाना।
- पूर्व स्थापित शिक्षण एवं मार्ग दर्शन केन्द्रों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु छात्रवृत्ति की व्यवस्था।
- कैरियर काउन्सेलिंग का कार्य।
- शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्रों का भवन निर्माण।
- रोजगार मेलों का संचालन।

वर्ष 2010-11 में प्रस्तावित योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त होने पर विभाग की योजनाओं को और प्रभावी ढंग से संचालित किया जा सकेगा।

श्री बादशाह सिंह–

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-76 श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये रुपया 1,72,49,66000.00 से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्रम आयुक्त संगठन

मान्यवर आपके समक्ष वर्ष 2010-11 का श्रम विभाग का आय-व्ययक प्रस्तुत करते हुए मैं आपका ध्यान श्रमायुक्त, उ0प्र0 की प्रमुख प्रतिबद्धताओं एवं तत्क्रम में किये गये विभागीय प्रयासों की ओर आकर्षित करना चाहूंगा, जो प्रदेश की वर्तमान लोकप्रिय सरकार की महत्वपूर्ण प्रतिबद्धताओं और प्राथमिकताओं के अनुरूप विभाग द्वारा संचालित किये जा रहे हैं।

मान्यवर आप अवगत ही हैं कि वर्तमान व पूर्व से कुछ परिवर्तित प्रतीत हो रहे आर्थिक परिदृश्य में जहां आज भी एक ओर मधुर औद्योगिक सम्बन्धों की एवं औद्योगिक श्रम शान्ति को

स्थायित्व प्रदान करने की आवश्यकता है, वहीं दूसरी ओर श्रमिकों की मूलभूत अपेक्षाओं तथा विधिसंगत हितों को संरक्षित व संवर्धित करने की भी महती आवश्यकता है ताकि श्रमिक औद्योगिक विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकें। श्रमायुक्त संगठन द्वारा सुदीर्घ अनुभवों व सुविचारित पूर्वानुमानों के आधार पर उद्योग एवं श्रम जगत की अपेक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए एक समन्वयात्मक कार्यप्रणाली विकसित की गयी है, जिसके अन्तर्गत सेवायोजकों एवं श्रमिकों के प्रतिनिधियों के मध्य पारस्परिक विचार-विमर्श के माध्यम से औद्योगिक शान्ति को स्थिरता प्रदान करने की महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहित की जा रही है। सम्भव सीमा तक अनवरत प्रयासों के फलस्वरूप प्रदेश में औद्योगिक अशान्ति की स्थिति पर प्रभावी तौर से नियंत्रण सुनिश्चित कर लिया गया है जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2009-10 में (अक्टूबर, 09 तक) प्रदेश में औद्योगिक श्रम स्थिति समान्यतया शान्तिपूर्ण एवं प्रायः उद्योगों के अनुकूल ही रही है, जो कि एक प्रशंसनीय उपलब्धि है।

विभिन्न श्रम अधिनियमों का प्रभावी एवं व्यापक अनुपालन श्रम विभाग की महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता है। प्रदेश का श्रम विभाग श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत श्रमिकों को प्रदत्त मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने एवं उनके हितों का संरक्षण व संवर्धन करने हेतु कृत संकल्पित है प्रदेश में भवन निर्माण एवं अन्य संनिर्माण कार्यों में विभिन्न श्रेणियों में कार्यरत श्रमिकों की अनुमानित संख्या 18 से 20 लाख आंकी जाती है जिसके हित लाभ/देय मूलभूत सुविधाओं हेतु भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्त विनियमन) अधिनियम 1996 के अन्तर्गत उ0प्र0 भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्त विनियमन) नियमावली-2009 दिनांक 4 फरवरी 2009 को प्राख्यापित की जा चुकी है, जिसके अनुरूप कार्य की प्रगति पर दृष्टि रखी जा रही है।

जनगणना 2001 में देश में सर्वाधिक बाल श्रमिक (19.27 लाख) उत्तर प्रदेश में दर्शाये गये हैं। जो प्रदेश के लिये चिन्ता का विषय है। प्रदेश सरकार बाल श्रम समस्या के निवारण हेतु पूर्णतया दृढ़संकल्पित एवं कटिबद्ध है। वित्तीय वर्ष 2009-10 में माह अक्टूबर 09 तक प्रदेश में कुल 3831 बाल श्रमिक चिन्हांकित किये गये, जिनमें से 2110 खतरनाक व्यवसायों/प्रक्रियाओं में 1721 गैर खतरनाक व्यवसाय/प्रक्रियाओं में चिन्हित हुये हैं। नियोजकों के विरुद्ध 413 अभियोजन भी दायर किये गये हैं, जबकि 259 नियोजकों के विरुद्ध मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु प्रमाण–पत्र जारी किये गये है। इस वर्ष नियोजकों से रु0 62.39 लाख की क्षतिपूर्ति वसूल की गयी है। प्रदेश के 46 जिलों में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के अन्तर्गत संचालित कुल 1471 बाल श्रमिक विद्यालयों में लगभग 65027 बच्चे शिक्षारत हैं। इन विद्यालयों से विगत वर्षों में 80352 बच्चे कक्षा–5 उत्तीर्ण कराकर शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़े गये हैं।

11वीं पंचवर्षीय योजना में प्रदेश के 10 जिलों क्रमशः मुरादाबाद, कानपुर नगर, अलीगढ़, फिरोजाबाद, आगरा, गाजियाबाद, बुलन्दशहर, आजमगढ़, लखनऊ एवं सोनभद्र में प्रदेश शासन द्वारा ऐसे बाल श्रमिकों जिन्हें परिवार की विषम परिस्थितियों (माता या पिता अथवा दोनों के गम्भीर बीमारी से रोगग्रस्त होने/अपाहिज होने/मृत्यु होने) के कारण विवश होकर स्वयं तथा परिवार के जीवन–यापन के लिए बाल श्रम/कार्य करना पड़ता है, के लिए कण्डीशनल कैश ट्रान्सफर योजना राज्य सेक्टर से पायलट प्रोजेक्ट्स के रूप में चलायी गयी है। पात्र बाल

श्रमिकों को कक्षा में प्रवेश के समय रु0 3000/– तथा कक्षा उत्तीर्ण करने पर रु0 5000/– की आर्थिक सहायक एवं प्रतिमाह रुपये 100 छात्रवृत्ति के रूप में प्रदान की जाती है। इस प्रकार कक्षा-1 से कक्षा-5 की अवधि में कुल रु0 40 हजार की आर्थिक सहायक एवं रु0 6000/– छात्रवृत्ति के रूप में सम्बन्धित छात्र/परिवार को प्राप्त होते हैं। योजना का लक्ष्य 260 बाल श्रमिक रखा गया और 259 को आच्छादित किया गया। इनमें से 30 बच्चे कक्षा-5 उत्तीर्ण कर चुके हैं जबकि अन्य 30 बच्चे विभिन्न कारणों से ड्राप आउट/प्रवासी होने के कारण लाभान्वित नहीं कराये जा सके। वर्तमान में 199 बच्चे योजना के अन्तर्गत लाभान्वित हो रहे हैं। शासन द्वारा स्वीकृत/अवमुक्त धनराशि रु0 10 लाख में से रु0 4.87 लाख व्यय किया जा चुका है।

11वीं पंचवर्षीय योजना में राज्य सेक्टर से एक अन्य योजना बाल श्रम उन्मूलन समस्या परियोजना (बाल श्रम सर्वेक्षण) ऐसे 23 जिलों के लिए प्रारम्भ की गयी है जो राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना से आच्छादित नहीं है। प्रथम तीन वर्षों में 5-5 जिलों को आच्छादित किया गया, जबकि अन्तिम 2 वर्षों में 4-4 जिलों में सर्वेक्षण के माध्यम से बाल श्रमिकों का चिन्हांकन कर उनका शैक्षिक पुनर्वासन कराया जाना है। वित्तीय वर्ष 2009-10 में औरैया, मैनपुरी, हाथरस, हमीरपुर और गौतमबुद्धनगर में सर्वेक्षण कराया गया है तथा परिणामों का संकलन किया जा रहा है सर्वेक्षण के परिणामों के आधार पर आवश्यकतानुसार इन जिलों के लिए भी राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के लिए विद्यालयों की स्वीकृत का प्रस्ताव भारत सरकार को उपलब्ध कराया जाना है। शासन द्वारा स्वीकृत/अवमुक्त धनराशि रु0 5.00 लाख में से रु0 3.17 लाख व्यय किया जा चुका है।

बन्धुआ श्रम प्रथा उन्मूलन हेतु भारत सरकार द्वारा बंधुआ श्रम प्रथा (उत्सादन) अधिनियम 1976 लागू किया गया है जिसका क्रियान्वयन प्रदेश सरकार द्वारा पूर्ण संवेदनशीलता और कटिबद्धता के साथ कराया जा रहा है। चिन्हित/अवमुक्त कराये गये बंधुआ श्रमिकों को रु0 20 हजार की धनराशि प्रदान की जाती है जिसमें रु0 10 हजार केन्द्रांश तथा रु0 10 हजार राज्यांश है। वित्तीय वर्ष 2008-09 में 80 बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वासन तथा 26 बंधुआ श्रमिकों को तात्कालिक सहायता उपलब्ध कराये जाने पर रु0 16.10 लाख की धनराशि व्यय की गयी। वर्ष 2008-09 के अन्तिम माहों में चिन्हित बंधुआ श्रमिकों में से 358 बंधुआ श्रमिकों का पुनर्वासन कराया जाना शेष रहा गया था, इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2009-10 में प्रदेश में चिन्हांकित कुल 159 में से 03 अन्य राज्य के हैं। अतः प्रदेश में पुनर्वासन योग्य 156 व अन्य राज्यों से अवमुक्त होकर आये 09 अर्थात् कुल 165 को सम्मिलित करते हुए प्रदेश में कुल 523 बंधुआ श्रमिकों को पुनर्वासन कराया जाना था। जिनमें से 01 बंधुआ श्रमिक जो बाराबंकी का निवासी है विक्षिप्त/लापता होने के कारण अब केवल 522 बंधुआ श्रमिकों का पुनर्वासन कराया जाना शेष है।

वित्तीय वर्ष 2009-10 में शासन द्वारा रु0 5.00 लाख की धनराशि प्रदान की गयी जिससे अलीगढ़ के 22 तथा मुरादाबाद के 03 अर्थात् कुल 25 का पुनर्वासन कराया गया इसके अतिरिक्त शासन द्वारा रु0 15 लाख (रु0 7.50 लाख केन्द्रांश तथा रु0 7.50 लाख राज्यांश) की धनराशि इस शर्त के साथ स्वीकृत/अवमुक्त की गयी है कि केन्द्रांश की स्वीकृति के बाद ही व्यय की जाये। इस बारे में महानिदेशक श्रम कल्याण, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार

से केन्द्रांश की स्वीकृति हेतु अनुरोध किया गया है। स्वीकृति प्राप्त होते ही इस धनराशि से 75 बंधुआ श्रमिकों को पुनर्वासन कराया जाना प्रस्तावित है। शेष बंधुआ श्रमिकों को पुनर्वासन कराये जाने हेतु आवश्यक धनराशि की मांग के प्रस्ताव पर शासन स्तर पर विचार किया जा रहा है।

आगामी वित्तीय वर्ष 2010-11 के अन्तर्गत श्रम कल्याण के कार्यक्रमों को और अधिक गति प्रदान किये जाने हेतु बंधुआ श्रमिकों का पुनर्वासन (50 प्रतिशत केन्द्रपोषित) बाल श्रमिकों का सर्वेक्षण, कण्डीशनल कैश ट्रांसफर नामक चालू योजनाओं के अतिरिक्त श्रमायुक्त संगठन के कम्प्यूटरीकरण की योजना के कार्यान्वयन के प्रस्ताव के साथ ही उक्त योजनाओं हेतु कुल रु0 182.80 लाख का आय-व्ययक प्रस्तावित हैं इसमें 150 बंधुआ श्रमिकों का पुनर्वासन 260 बच्चों को आर्थिक सहायता व छात्रवृत्ति प्रदान किया जाना, बाल श्रम बाहुल 04 अन्य जिलों-चन्दौली, पीलीभीत, बागपत व संतकबीर नगर में बाल श्रमिकों का सर्वेक्षण कार्य तथा श्रमायुक्त संगठन का कम्प्यूटरीकरण किये जाने का लक्ष्य है।

श्रम विभाग के अन्तर्गत ही वर्तमान में 41 राजकीय श्रम हितकारी केन्द्रों एवं 02 क्षय चिकित्सालय संचालित हैं। केन्द्रों में चिकित्सा सहायता, शारीरिक व्यायाम तथा वाचनालय, मातृत्व कल्याण शिशु कल्याण व सिलाई-कढ़ाई के कार्य संचालित होते हैं।

प्रदेश में स्थापित ऐसे सभी औद्योगिक प्रतिष्ठानों को, जो कारखाना अधिनियम से आच्छादित होते हैं, पंजीकृत कर लाइसेन्स देने व लाइसेन्स नवीनीकरण का कार्य भी विभाग द्वारा किया जाता है। कारखानों में कार्य करने वाले श्रमिकों को सुरक्षित और स्वस्थ कार्य स्थल व कार्य-पर्यावरण मिले तथा नियमानुसार कल्याण सुविधायें भी उपलब्ध होती रहें, इसके लिए निरीक्षण कराये जाते हैं। साथ ही उद्योगपतियों व श्रमिकों में सुरक्षा संस्कृति उत्पादकता वृद्धि व कार्य संस्कृति आदि के प्रति जागरूकता बनी रहे, इस दृष्टि से संगोष्ठियां आयोजित की जाती हैं। प्रदेश में पंजीकृत 14026 कारखानों में 2009-10 में (अक्टूबर 2009 तक) 1337 निरीक्षण किये गये और इसी अवधि में 58 अभियोग अक्षम न्यायालय में दायर किये गये। वर्ष 2009-10 में (अक्टूबर 2009 तक) कुल 222 दुर्घटनायें घटित हुई जिनमें 39 संघातक तथा 183 असंघातक दुर्घटनायें थीं। जांच कराकर नियमानुसार कार्यवाही की गयी। कारखानों के पंजीयन/नवीनीकरण से वर्ष 2009-10 में (अक्टूबर 2009 तक) रु0 372.30 लाख का राजस्व विभाग को प्राप्त हुआ।

उच्च दाब व ताप पर कार्य करने वाले ब्वायलर नामक संयंत्र में दुर्घटनायें होने पर श्रमिकों व संबंधित उद्योग के लिए खतरा रहता है। अतः उपकरण को सुरक्षित कार्यरत रखने के लिए ही प्रदेश में भारतीय ब्वॉयलर अधिनियम-1923 का अनुपालन सजगता से कराया जा रहा है। वर्ष 2009-10 में (30 नवम्बर 2009 तक) कुल 2552 ब्वॉयलर और 276 इकोनोमाइजर्स कार्यरत हैं जिनमें से 30 नवम्बर 2009 तक 1546 ब्वायलर्स एवं 101 इकोनोमाइजर्स का निरीक्षण तथा 68 ब्वॉयलर का पंजीयन किया गया। इस अवधि में अर्जित राजस्व की धनराशि रु0 67.69 लाख रही है। भारतीय ब्वॉयलर अधिनियम, विनियमन व अन्य नियमावलियों के प्रदेश में भली–भांति संचालन के फलस्वरूप ब्वायलर से संबंधित दुर्घटनाओं की संख्या सीमित रही।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना–

कर्मचारी राज्य बीमा योजना उ0प्र0 में कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम-1948 के अधीन विद्युत चालित प्रतिष्ठानों में कम से कम 10 तथा गैर विद्युत चालित प्रतिष्ठानों में कम से कम

20 कर्मचारी कार्य करने वाले कारखानों में उन कामगारों पर लागू हैं, जिनका मासिक वेतन सीमा रु0 10,000/– प्रतिमाह तक है। उक्त प्रकार अधिनियम के प्राविधानों से आच्छादित होने वाले कामगारों को भारत सरकार के अधीन संचालित कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा विभिन्न हितलाभों के लिए बीमित किया जाता है जिसमें से एक लाभ चिकित्सा देख–रेख का दायित्व अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकार को दिया गया है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा बीमित कामगारों एवं उनके परिवारजनों की चिकित्सा देख-रेख के लिए राज्य सरकार द्वारा नोयडा एवं ग्रेटर नोयडा क्षेत्र को छोड़कर योजना के अन्तर्गत 124 औषधालयों तथा 15 चिकित्सालय संचालित किये जा रहे हैं। नोयडा तथा ग्रेटर नोयडा क्षेत्र के बीमांकितों की चिकित्सा देख-रेख कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा स्वयं की जाती है। चिकित्सा देख-रेख के लिए राज्य सरकार द्वारा किये गये व्यय के 7/8 की प्रतिपूर्ति निर्धारित सीलिंग के अन्तर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा राज्य सरकार को की जाती है। वर्तमान में योजना के प्रशासनिक व्ययों के लिए रु0 700/– प्रति बीमा परिवार एकक प्रतिवर्ष तथा रु0 500/– प्रतिबीमांक परिवार एकक प्रतिवर्ष गैर प्रशासनिक व्ययों के लिए सीलिंग निर्धारित है।

वर्ष 2009-10 में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के संचालन हेतु अनुदान संख्या-76 के अन्तर्गत आयोजनेत्तर मद में धनराशि रु0 7350.35 लाख तथा आयोजनागत मद में रु0 80.00 लाख का प्राविधान है। वर्ष 2010-11 में चिकित्सा देखरेख के लिए प्रशासनिक मदों में रु0 8121.15 लाख तथा गैर प्रशासनिक मदों में रु0 1045.45 लाख कुल रु0 9166.66 लाख का व्यय आयोजनेत्तर मद में अनुदान संख्या-76 में प्राविधान किया गया है। गैर प्रशासनिक मदों में उक्त व्यय रु0 500/– की सीलिंग के अन्तर्गत है अतः इसके 7/8 भाग की प्रतिपूर्ति कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा कर दी जायेगी। प्रशासनिक मदों में निर्धारित सीलिंग से अधिक व्यय हो रहा है जिसमें से सीलिंग के अन्तर्गत 7/8 भाग की प्रतिपूर्ति होगी।

गैर प्रशासनिक श्रेणी में वर्ष 2009-10 में मरीजों की औषधि एवं मरहम पट्टी के लिए रु0 715.00 लाख के बजट के सापेक्ष वर्ष 2010-11 में रु0 815.00 लाख का प्राविधान किया गया है। औषधालयों/चिकित्सालयों के आधुनिकीकरण हेतु उपस्करों/संयंत्रों के क्रय हेतु वर्ष 2009-10 के रु0 84.50 लाख के सापेक्ष वर्ष 2010-11 में रु0 70.00 लाख का प्राविधान है।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा प्रोजेक्ट पंचदीप के अन्तर्गत औषधालयों/चिकित्सालयों तथा क्षेत्रीय कार्यालयों एवं निदेशालय का कम्प्यूटरीकरण अनुबंधित संस्था मेसर्स विप्रो से कराया जा रहा है। प्रदेश में 17 नये केन्द्रों पर योजना का विस्तार किया जाना है।

मैंने अत्यन्त संक्षिप्त रूप में श्रमिक वर्ग की आशाओं/आकांक्षाओं से जुड़े श्रम आयक्त संगठन एवं कर्मचारी राज्य बीमा योजना के क्रिया-कलापों की रूप-रेखा आपके समक्ष प्रस्तुत की है। आपने मुझे ध्यान से सुना इसके लिए मैं अत्यन्त आभारी हूं। सदस्यगणों से आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं कि वे अपने विचारों से हमें लाभान्वित करेंगे और उसके बाद श्रम विभाग की अनुदान संख्या-76 की अनुदान मांगों पर अपनी अनुज्ञा प्रदान करेंगे ताकि श्रम विभाग की श्रमिक कल्याणकारी योजनाओं तथा कार्यक्रमों को वर्ष 2010-11 में क्रियान्वित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

डा0 धर्मवीर सैनी–

माननीय अध्यक्ष जी परम आदरणीया बहन कु० मायावती जी के आशीर्वाद से मुझे आज अपने प्रदेश के वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु बेसिक शिक्षा विभाग के बजट को सदन के मा० सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अपार हर्ष का अनुभव हो रहा है । हमारी सरकार के गठन के पश्चात बेसिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययन/अध्यापन के लिए समुचित अवस्थापना सुविधाएं जैसे कि विद्यालयों में विद्युतीकरण, चहारदीवारी निर्माण तथा स्वच्छ पेयजल एवं अध्ययन/अध्यापन बच्चों के बैठने हेतु फ़र्नीचर आदि की सुविधा से समस्त विद्यालयों को आच्छादित किये जाने का लक्ष्य हमारी सरकार की प्राथमिकता में हैं साथ ही विद्यालयों के भौतिक परिवेश को और अधिक सुदृढ़ किया गया तथा शैक्षिक प्रशासन को चुस्त–दुरुस्त करने का हर सम्भव प्रयास भी किया गया है।

माननीय अध्यक्ष जी प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण हेतु शिक्षा की पहुंच में विस्तार, विद्यालयों में बच्चों के ठहराव में वृद्वि तथा शिक्षा की गुणवत्ता मे सुधार लाने हेतु राज्य सरकार कृत संकल्प हैं। प्राथमिक शिक्षा का महत्व सर्वाधिक है क्योंकि यह बच्चों के विकास की आधारशिला है । बच्चों में मानवीय सदगुणों के विकास तथा उन्हें सुयोग्य नागरिक बनाने के लिए शिक्षा एक प्रभावी माध्यम हैं ।

मान्यवर 06–14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए प्रारम्भिक शिक्षा हेतु भारत सरकार द्वारा नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रसारित किया जा चुका है। इस अधिनियम के अन्तर्गत यह अपेक्षा की गयी है कि जिन असेवित क्षेत्रों में शासकीय/परिषदीय विद्यालय उपलब्ध नहीं है उन असेवित क्षेत्रों के बच्चों को गैर सहायता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययन करने पर उनकी शिक्षा व्यय की प्रतिपूर्ति की जाय तथा अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध करायी जाय। चूंकि भारत सरकार द्वारा उक्त अधिनियम को लागू करने हेतु अभी नियमावली प्रख्यापित नहीं की गयी है। इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने हेतु अतिरिक्त आवश्यकताओं का आंकलन किया गया है। तथा आगामी वर्ष में इसे लागू किये जाने की आवश्यक तैयारी की जा रही हैं ।

माननीय अध्यक्ष जी वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में साक्षरता दर 56.30 प्रतिशत है, जिसे ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 80 प्रतिशत किये जाने का लक्ष्य रखा है । साथ ही लिंग भिन्नता की खाई को समाप्त किया जाना भी हमारी सरकार की प्राथमिकता में है, इस उद्देश्य से अधिक से अधिक बालिकाओं के नामांकन कराये जाने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं, जिससे कि लिंग भिन्नता लगभग 5 प्रतिशत से कम हो जाय।

मान्यवर प्रदेश में साक्षरता प्रतिशत में अपेक्षित वृद्वि करने हेतु 15 वयवर्ग से अधिक आयु वर्ग के निरक्षरों को आगामी 03 वर्षों में साक्षर किये जाने के लिए भारत सरकार द्वारा साक्षरता कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित योजनाओं को समाप्त करते हुए संशोधित प्रारूप के आधार पर "**साक्षर भारत मिशन 2012**" को संचालित करने का निर्णय लिया गया है ।

मान्यवर इस कार्यक्रम के अन्तर्गत उन जनपदों का चयन किया गया है जहां वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर महिला साक्षरता दर 15 वय वर्ग से अधिक आयु वर्ग में 50 प्रतिशत से कम है, प्रदेश में 66 जनपदों का चयन किया गया है ।

मान्यवर योजना के प्रथम चरण में प्रदेश के पूर्व में सतत् शिक्षा से आच्छादित जनपदों में से 26 जनपदों को भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। (आगरा, अलीगढ़, बलिया, बांदा, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, बिजनौर, बदायूं, देवरिया, इटावा, फतेहपुर, गौतम बुद्धनगर, गाजीपुर, हाथरस, झांसी, कन्नौज, कुशीनगर, महराजगंज, मैनपुरी, मुजफफरनगर, प्रतापगढ़, रायबरेली, संतकबीरनगर, उन्नाव एवं वाराणसी)। योजनान्तर्गत आगामी तीन वर्षों में प्रदेश के सभी शेष जनपदों को आच्छादित करने की योजना तैयार की गई है।

मान्यवर योजनान्तर्गत आच्छादित जनपदों के प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर एक लोक शिक्षा केन्द्र स्थापित किया जायेगा, जिसके अन्तर्गत निरक्षरों को साक्षर करने, सभी लोगों को पुस्तकालय/ वाचनालय एवं जीवन पर्यन्त शिक्षा दिये जाने की व्यवस्था की जायेगी। इन केन्द्रों का प्रथम लक्ष्य 15 वयवर्ग की निरक्षर महिलाओं को कार्यात्मक साक्षरता (पढ़ना व लिखना)प्रदान करतें हुए स्वावलम्बी एवं आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने का लक्ष्य है। योजनान्तर्गत वर्ष 2012 तक कुल 182.08 लाख निरक्षरों को साक्षर बनाये जाने का लक्ष्य है। जिसमें 156.07 लाख महिला एवं 26.01 लाख पुरुष निरक्षर हैं। प्रथम वर्ष से आच्छादित जनपदों में कुल 73.67 लाख निरक्षर प्रतिभागियों की संख्या है, जिसमें 63.15 लाख महिलाएं एवं 10.52 लाख पुरुष हैं।

माननीय अध्यक्ष जी "साक्षर भारत मिशन 2012" योजना में भारत सरकार द्वारा कुल लागत का 75 प्रतिशत एवं राज्य सरकार द्वारा 25 प्रतिशत व्यय वहन किये जाने की व्यवस्था की गई है। वर्ष 2010–11 हेतु आय व्ययक में उक्त योजनान्तर्गत रू० 10.00 करोड़ की धनराशि प्रस्तावित की गयी है।

मानक के अनुसार असेवित ग्रामों में प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना करते हुए संतृप्तीकरण के लक्ष्य को हमारी सरकार द्वारा शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण कर लिया जायेगा।

मान्यवर, शिक्षा की पहुंच को सुलभ तथा सुगम बनाने हेतु एक कि०मी० की दूरी और 300 की आबादी का मानक पूरा करने वाले ग्रामों में नवीन प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की जायेगी । इसी प्रकार कक्षा 6 से 8 की शिक्षा हेतु दो कि० मी० की दूरी तथा 800 की आबादी का मानक पूर्ण करने वाले ग्रामों में नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले जायेंगे, जिस हेतु वित्तीय वर्ष 2009–10 में असेवित बस्तियों में मानक के अनुसार 793 नवीन प्राथमिक विद्यालय तथा 1119 उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालित किये गये । अवशेष असेवित बस्तियों में वर्ष 2010–11 में 1000 नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा बच्चों के बैठने के लिए 10000 अतिरिक्त कक्षा कक्षों का निर्माण के साथ–साथ 20000 विद्यालयों में चहारदीवारी का निर्माण कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।

मा० अध्यक्ष जी, सदन के मा० सदस्यों को मै यह भी अवगत कराना चाहूँगा कि वर्ष 2010–11 में शिक्षकों के शिक्षण कौशल में संवर्द्धन करने हेतु शिक्षकों को सेवारत प्रशिक्षण के साथ–साथ प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तकों की संरचना, शैक्षिक शोध एवं सर्वेक्षण तथा शिक्षा की गुणवत्ता सम्बन्धी विविध कार्य निरन्तर सम्पादित किये जा रहे हैं ।

मा० अध्यक्ष जी, मैं सदन को बताना चाहूँगा कि देश के सबसे बड़े प्रदेश की मा० मुख्य मंत्री आदरणीया बहन जी ने उन ग्रामीण क्षेत्र के गरीब बच्चों को जिनकी तरफ कभी किसी सरकार ने नहीं देखा, आदरणीया मुख्य मंत्री जी उन बन्द पड़े स्कूलों को खोलने के लिए ऐतिहासिक कार्य कर बड़े पैमाने पर शिक्षकों की नियुक्ति का निर्णय लिया। जिसके कारण छात्र नामांकन में निरन्तर वृद्वि हो रही है इसके फलस्वरूप शिक्षक छात्र अनुपात को मानक के रूप में विकसित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा 88 हजार शिक्षकों की भर्ती का निर्णय लिया गया था, जिसके सापेक्ष लगभग 59 हजार शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान कर विद्यालयों में तैनाती दी जा चुकी है। अवशेष 29 हजार शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं तथा यथाशीघ्र उनकी तैनाती विद्यालयों में की जायेगी । इसके फलस्वरूप विद्यालयों में शिक्षकों की उपलब्धता में अभूतपूर्व सुधार होगा और विद्यालयों में पठ्न पाठन का अनुकूल वातावरण भी सृजित होगा। साथ ही हमारी सरकार द्वारा यह भी कदम उठाया गया है कि अध्यापकों की विद्यालयों में तैनाती हेतु नियमावली में संशोधन करते हुये महिला अध्यापिकाओं के लिए शिथिलीकरण किया गया है, जिसके अन्तर्गत महिला अध्यापिकाओं से विद्यालयों के विकल्प लिये जायेंगे तथा उसके आधार पर उनकी तैनाती की जायेगी।

हमारी सरकार द्वारा प्रदेश में बी०टी०सी०प्रशिक्षित अध्यापकों की कमी को दृष्टिगत रखते हुए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एन.सी.टी.ई.) से मान्यता प्राप्त निजी संस्थाओं को बी०टी०सी० प्रशिक्षण कोर्स संचालित करने की अनुमन्यता देने का निर्णय भी लिया गया है।

मा० अध्यक्ष जी, कोई भी बच्चा शिक्षा की मुख्य धारा से वंचित न रहे, इसलिए हमारी सरकार 6–14 वर्ष के बच्चों का शत–प्रतिशत नामांकन कराने के लिए कृत संकल्प है। आउट आफ स्कूल बच्चों के नामांकन हेतु प्रत्येक वर्ष विशेष नामांकन अभियान चलाया जाता है। इसके अन्तर्गत प्रत्येक जनपद में स्कूल चलो अभियान के माध्यम से बच्चों को विद्यालय तथा वैकल्पिक शिक्षा के कार्यक्रमों के अन्तर्गत नामांकन कराया जाता है,जिसके फलस्वरूप आउट आफ स्कूल बच्चों की संख्या में काफी कमी आ रही हैं । वर्ष 2009–10 में आउट आफ स्कूल बच्चों को चिन्हित करने हेतु परिवार सर्वेक्षण कराया गया है और यदि किसी कारण से शिक्षा की पहुँच से बाहर बच्चे स्कूल जाने से वंचित रहे तो ऐसे बच्चों का नामांकन परिषदीय विद्यालयों, कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों, आवासीय कैम्प तथा वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों में नामांकित कराये जाने का शत–प्रतिशत प्रयास किया गया । इस हेतु नियमित रूप से अधिकारियों द्वारा अनुश्रवण किया जा रहा है तथा आगामी वर्षों में यह प्रक्रिया अपनायी जायेगी।

मान्यवर, विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति को सुनिश्चित करना तथा शिक्षा की गुणवत्ता को बनाये रखने हेतु शिक्षकों की उपस्थिति पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अभियान चलाकर विद्यालयों का निरीक्षण किया जा रहा है। साथ ही अधिकारियों द्वारा अपने निरीक्षण में अनुपस्थित पाये गये अध्यापकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

मा० अध्यक्ष जी कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत सभी बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरित की जाती तथा 1 व 2 के बच्चों को अभ्यास कार्य हेतु निःशुल्क कार्यपुस्तिकाएं दी गयी हैं । हमारी सरकार बालिकाओं के सर्वांगीण विकास के लिए कटिबद्व है, जिसके लिए प्रदेश के शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ें विकास खण्डों के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों को यूनीफार्म वितरित की गयी, जिससे लनगभग 70.56 लाख बालिकाएं लाभान्वित हुयीं । उच्च प्राथमिक विद्यालयों की लगभग 16.41 लाख बालिकाओं को स्कूल बैग वितरित किये गये। साथ ही विद्यालयों में बालिकाओं हेतु पृथक से शौचालयों की व्यवस्था की जा रही है। आगामी सत्र में भी उच्च प्राथमिक विद्यालय की बालिकाओं को स्कूल बैग के वितरण के प्रोत्साहन कार्यक्रम पूर्व की भॉति संचालित रहेंगे। इसके अतिरिक्त बालिकाओं के कौशल विकास के कार्यक्रम संचालित किये जायेंगे।

मा० अध्यक्ष जी आदरणीया मुख्य मंत्री जी द्वारा बालिकाओं की शिक्षा को और अधिक प्रोत्साहित करने हेतु वित्तीय वर्ष 2009–10 में शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े विकास खण्डों में अपवंचित एवं कमजोर वर्ग की बालिकाओं के लिए कक्षा 6 से 8 तक आवासीय शिक्षा हेतु 454 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय संचालित किये गये हैं, जिनमें 38593 बालिकाएं शिक्षा ग्रहण कर रही है। यह भी उल्लेखनीय है कि संचालित 454 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में से 171 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में खोले गये हैं ।

मा० अध्यक्ष जी वित्तीय वर्ष 2010–11 में भी पूर्व में स्वीकृत 454 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों का संचालन जारी रहेगा तथा इन विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष बल दिया जायेगा। समस्त कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में इन्टरनेट सुविधा के माध्यम से वेब कैमरा संचालित किया जायेगा, जिससे समय समय पर विद्यालय स्तर पर छात्राओं/ स्टाफ से मुख्यालय स्तर पर आडियों–विडियो के माध्यम से सम्पर्क किया जा सकेगा।

मा० अध्यक्ष जी विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समेकित शिक्षा का कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है जिसके अन्तर्गत विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की चिन्हीकरण उनका चिकित्सीय परीक्षण निःशुल्क उपकरणों का वितरण ब्रेल लिपि में पाठ्य पुस्तकें जैसी गतिविधियाँ सम्मिलित हैं । विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को शैक्षिक सपोर्ट देने हेतु विशेष शिक्षक संविदा पर रखे गये हैं विद्यालयों में रैम्प्स का निर्माण किया गया है। इसके अतिरिक्त गम्भीर रूप से विकलांग बच्चों के लिए प्रदेश में 56 आवासीय प्री–इंटीग्रेशन कैम्प संचालित किये गये हैं जिनमें 3052 बच्चे पंजीकृत है। वित्तीय वर्ष 2010–11 में विकलांग बच्चों को समेकित शिक्षा के अन्तर्गत विकलांग बच्चों का चिन्हीकरण, उनका चिकित्सीय परीक्षण, निःशुल्क उपकरण प्रदान करना एवं इसके अतिरिक्त गंभीर रूप से विकलांग बच्चों की शिक्षा हेतु प्री–इंटीग्रेशन कैम्प प्रत्येक जनपद में दस माह का एक–एक आवासीय शिविर संचालित किया जाना प्रस्तावित है।

मा० अध्यक्ष जी सर्व शिक्षा अभियान नामक योजनान्तर्गत वर्ष 2010–11 की वार्षिक कार्ययोजना रू0 4000 करोड़ की अनुमानित है, जिसका 55 प्रतिशत अंश भारत सरकार तथा

45 प्रतिशत अंश राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। अतः इस हेतु राज्यांश के रूप में समुचित बजट व्यवस्था प्रस्तावित की गयी हैं ।

मा० अध्यक्ष जी मध्यान्ह भोजन योजना एक अत्यन्त जनोपयोगी योजना है जो भारत सरकार तथा राज्य सरकार के समवेत् प्रयासों से संचालित हैं।

मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 28 नवम्बर, 2001 को दिये गये निर्देश के क्रम में प्रदेश में दिनांक 01 सितम्बर, 2004 से पका–पकाया भोजन प्राथमिक विद्यालयों में उपलब्ध कराने की योजना आरम्भ की जा चुकी है।

योजना के क्रियान्वयन हेतु मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण का गठन निम्न उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किया गया है :–

1–प्रदेश के राजकीय, परिषदीय तथा राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त अर्ह प्राथमिक विद्यालयों, ई०जी०एस० एवं ए०आई०ई० केन्द्रों में अध्ययनरत बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना।

2–पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराकर बच्चों में शिक्षा ग्रहण करने की क्षमता को विकसित करना ।

3–विद्यालयों में छात्र संख्या बढ़ाना।

4–प्राथमिक कक्षाओं में छात्रों में विद्यालय में रुकने की प्रवृत्ति विकसित करना तथा ड्रॉप आउट रेट कम करना ।

5–बच्चों में भाईचारें की भावना विकसित करना तथा विभिन्न जातियों एवं धर्मों के मध्य के अन्तर को दूर करने हेतु उन्हें एक साथ बिठाकर भोजन कराना ताकि उनमें अच्छी समझ उत्पन्न हो ।

इस योजनान्तर्गत विद्यालयों में मध्यावकास (इन्टरवल) में छात्र–छात्राओं को स्वादिष्ट एवं रुचिकर भोजन प्रदान किया जाता हैं। योजनान्तर्गत प्रत्येक छात्र को सप्ताह में 4 दिन चावल के बने भोज्य पदार्थ तथा 2 दिन गेहूं से बने भोज्य पदार्थ दिये जाने की व्यवस्था की गयी है। प्राथमिक विद्यालय में प्रत्येक छात्र को प्रातिदिन 100 ग्राम एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रतिदिन प्रति छात्र 150 ग्राम खाद्यान्न से निर्मित सामग्री दी जाती है। खाद्यान्न से भोजन पकाने के लिए परिवर्तन लागत की व्यवस्था की गयी है। परिवर्तन लागत से सब्जी, तेल, मसाले एवं अन्य सामग्रियों की व्यवस्था की जाती हैं। छात्र/छात्राओं को उपलब्ध कराये जा रहे भोजन में प्राथमिक स्तर हेतु कम से कम 450 कैलोरी ऊर्जा व 12 ग्राम प्रोटीन एवं उच्च प्राथमिक हेतु 700 कैलोरी ऊर्जा तथा 20 ग्राम प्रोटीन की मात्रा उपलब्ध होना चाहिए। उक्त के आधार पर सप्ताह के अलग–अलग दिवसों में मीनू को निर्धारित कर तदनुसार भोजन दिये जाने की व्यवस्था है, जिससे भोजन के सभी पोषक तत्व उपलब्ध हों तथा वह बच्चों की अभिरुचि के अनुसार भी हों । मीनू निर्धारित होने से पारदर्शिता आई है तथा समुदाय मीनू के अनुपालन की स्थिति को ज्ञात करने में सक्षम हो सका है। योजना का कार्यान्वयन सफलतापूर्वक किया जा रहा है। वर्ष 2010–11 में प्रति रसोई सहायक हेतु रु० 1 हजार के मानदेय की व्यवस्था बजट में की गयी है, इस हेतु 25 प्रतिशत राज्यांश के रूप में व्यय वहन किया जायेगा।

वर्तमान में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तरों हेतु परिवर्तनों एवं लागत की दर क्रमशः रुपये 2.50 एवं 3.75 प्रति छात्र प्रतिदिन है, जिसमें क्रमशः 62 पैसा एवं 94 पैसा राज्यांश है।

मा० अध्यक्ष जी, वित्तीय वर्ष 2010–2011 में रसोइयें के मानदेय की व्यवस्था अलग से की गयी है जिस हेतु रू० 1,000/–प्रतिमाह प्रति रसोइया प्रस्तावित है, जिसका 75 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा तथा 25 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत 2010–11 के आय–व्ययक अनुमानों में रू० 1866 करोड़ का प्राविधान किया गया हैं, जिसमें परिवर्तन लागत भी समावेशित है।

अन्त में मा० अध्यक्ष जी आपने मुझे वित्तीय वर्ष 2010–11 बेसिक शिक्षा विभाग का बजट मा०सदन में प्रस्तुत करने का अवसर दिया इसके लिये मै आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं।

(डॉ० धर्म सिंह सैनी)

मंत्री,

बेसिक शिक्षा विभाग,

उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी0एस0यू0पी0–एल0 26 विधान सभा (40)–10–5–10–813 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।